



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH



BPSC
WALLAH

BPSC सम्पूर्ण

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विस्तृत पुस्तिका

बिहार विशेष

बिहार सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज



संस्करण : प्रथम
ISBN : 978-81-19352-29-6
MRP: 339/-
द्वारा प्रकाशित : Physics Wallah
मोबाइल ऐप: Physics Wallah (प्ले स्टोर पर उपलब्ध)



वेबसाइट: www.pw.live
यूट्यूब चैनल: Physics Wallah - Alakh Pandey
UPSC Wallah
UPSC Wallah - Hindi Medium
PSC Wallah - UP Bihar
MPSC Wallah
ईमेल: support@pw.live

अधिकार

सभी अधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित रहेंगे। लेखक या प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी हिस्से का किसी भी तरह से उपयोग या इसकी अन्य प्रतिलिपि तैयार नहीं की जा सकती है।

छात्र समुदाय के हित में:

किसी भी सोशल मीडिया चैनल, ईमेल आदि या किसी अन्य चैनल के माध्यम से मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से पीडीएफ या अन्य समकक्ष प्रारूपों में पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी का प्रसार एक प्रकार का अपराध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी डिवाइस (उपकरणों) पर पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी को प्रसारित, डाउनलोड, संग्रहीत करना कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक या इसकी किसी भी सामग्री की फोटोकॉपी करना भी अवैध है। ऐसी किसी भी सॉफ्ट कॉपी संबंधी सामग्री के प्राप्त होने की अवस्था में इसे डाउनलोड या फॉरवर्ड न करें।

अस्वीकरण:

विषय की गहरी समझ रखने वाले PW ONLY IAS विशेषज्ञों एवं अध्यापकों की टीम ने पुस्तकों के लिए कड़ी मेहनत की है। जबकि इन पुस्तकों को तैयार करने में कंटेंट बनाने वालों (कंटेंट क्रिएटर्स), सम्पादकों एवं प्रकाशकों द्वारा पूर्ण प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत है तथा लेखक पुस्तक में निहित किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विषय वस्तु की सटीकता के लिए जाँच की गई है। प्रकाशक द्वारा विषय-वस्तु को सटीक एवं आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है।

यह पुस्तक एवं इसमें निहित व्यक्तिगत योगदान प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित हैं।

प्रतिक्रिया के लिए ईमेल करें: support@pw.live

(यह पुस्तक केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी।)

प्रस्तावना

PW ONLY IAS की एक अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है कि छात्रों को बीपीएससी परीक्षा के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्राप्त हो।

शुरुआत से ही कंटेंट बनाने वालों (कंटेंट क्रिएटर्स), समीक्षकों, डीटीपी ऑपरेटर्स, प्रूफरीडर्स एवं अन्य लोगों की पूरी कंटेंट टीम छात्रों के लिए प्रभावशाली अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा अनुभव के अनुसार अध्ययन सामग्री को आकार देने में संलग्न है।

अध्यापकों ने विषय-वस्तु को आसानी से समझने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की नई शैली अपनाई है एवं इस अध्ययन सामग्री के निर्माण के दौरान टीम को अपना मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया है।

PW ONLY IAS वैचारिक एवं मनोरंजक शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखता है। PW ONLY IAS छात्रों को गुणवत्ता तथा स्पष्टता लाने के लिए उच्च परीक्षा-उन्मुख विषय-वस्तु प्रदान करता है।

बीपीएससी अध्ययन सामग्री बहुतायत के साथ बाजार में उपलब्ध है, परंतु PW ONLY IAS विशेषज्ञ हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए सर्वोच्च अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु निरंतर कार्यरत हैं।

यह अध्ययन सामग्री परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रचुर विविधता के साथ अवधारणाओं का विशेष एवं समझने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है तथा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज्ञान से सुसज्जित करती है।

इस अध्ययन सामग्री का मुख्य उद्देश्य हमारे छात्रों को संक्षिप्त, स्पष्ट, लघु एवं गुणवत्तापूर्ण विषय-वस्तु प्रदान करना है।

पुस्तक की विशेषताएं

- विषयों की समग्र चर्चा, बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के पूर्णतः अनुरूप
- विषयवार कवरेज के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन
- त्वरित समझ और पुनरीक्षण के लिए आरेख, फ्लोचार्ट और टाइमलाइन्स
- इस परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य चरणों की एकीकृत तैयारी

विषय-सूची

खंड-I: बिहार का इतिहास..... 1-50

1. बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत.....3-15

- 1.1 बिहार का प्राचीन इतिहास3
- 1.2 बिहार का पूर्व-ऐतिहासिक काल.....5
- 1.3 बिहार में वैदिक और उत्तर वैदिक युग.....6
- 1.4 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार: महाजनपद...6
- 1.5 बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय.....7
- 1.6 मौर्य काल के पूर्व बिहार8
- 1.7 मौर्य काल.....10
- 1.8 बिहार में मौर्योत्तर राजवंश12
- 1.9 गुप्त साम्राज्य.....13

2. बिहार का मध्यकालीन इतिहास..... 16-23

- 2.1 बिहार में मध्यकालीन इतिहास के स्रोत16
- 2.2 बिहार में प्रारंभिक मध्यकाल17
- 2.3 बिहार में तुर्की आक्रमण18
- 2.4 गुलाम वंश के समय बिहार18
- 2.5 खिलजी वंश के दौरान बिहार.....19
- 2.6 बिहार और तुगलक वंश19
- 2.7 चेरों राजवंश19
- 2.8 भोजपुर का उज्जैनी राजवंश20
- 2.9 बिहार और नूहानी राजवंश.....20
- 2.10 मुगल वंश के दौरान बिहार.....21
- 2.11 बिहार और बंगाल के नवाब.....22
- 2.12 मध्यकालीन बिहार में धर्म.....22
- 2.13 मध्ययुगीन काल में बिहार की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति.....23

3. बिहार का आधुनिक इतिहास..... 24-36

- 3.1 बिहार में यूरोपीय24
- 3.2 प्लासी का युद्ध25

3.3 बक्सर का युद्ध.....25

3.4 1857 का विद्रोह26

3.5 कांग्रेस और बिहार.....28

3.6 बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद29

3.7 बंगाल के विभाजन के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन.....29

3.8 बिहार और होम रूल आंदोलन.....29

3.9 बिहार और चंपारण सत्याग्रह 191729

3.10 बिहार और खिलाफत आंदोलन.....30

3.11 असहयोग आंदोलन30

3.12 स्वराजवादी आंदोलन.....31

3.13 साइमन कमीशन.....31

3.14 बिहार और सविनय अवज्ञा आंदोलन31

3.15 व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा.....31

3.16 किसान और राष्ट्रीय आंदोलन31

3.17 श्रमिक आंदोलन.....32

3.18 बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां32

3.19 बिहार सोशलिस्ट पार्टी.....32

3.20 भारत छोड़ो आंदोलन32

3.21 बिहार में चुनाव और स्वतंत्रता की प्राप्ति ...33

3.22 बिहार के स्वतंत्रता सेनानी33

3.23 बिहार में महिला स्वतंत्रता सेनानी.....35

4. बिहार के आदिवासी विद्रोह 37-40

4.1 नोनिया विद्रोह37

4.2 सन्यासी आंदोलन.....37

4.3 तमार विद्रोह37

4.4 चेरों विद्रोह.....37

4.5 हो और मुंडा विद्रोह37

4.6 कोल विद्रोह	38
4.7 भूमिज विद्रोह.....	38
4.8 सन्थाल विद्रोह	38
4.9 लोटा विद्रोह	39
4.10 सरदारी आन्दोलन	39
4.11 मुंडा विद्रोह	39
4.12 सफाहोड आन्दोलन-1870	40
4.13 ताना भगत आन्दोलन	40
5. बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास....	41-43
5.1 बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास.....	41
5.2 बिहार में महिला शिक्षा.....	43
5.3 बिहार में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा.....	43
5.4 बिहार में शिक्षा के मुद्दे	43
6. बिहार की कला और शिल्प.....	44-50
6.1 मौर्य काल में कला.....	44
6.2 पाल राजवंश के दौरान कला.....	47
6.3 पटना कलाम चित्रकला	47
6.4 मधुबनी चित्रकला.....	49

खंड-II: बिहार का भूगोल..... 51-110

7. बिहार: भौतिक भूगोल.....	53-60
7.1 प्रस्तावना	53
7.2 बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना.....	54
7.3 बिहार का भौगोलिक विभाजन	55
7.4 बिहार के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर/पहाड़ियां....	60
8. बिहार की जलवायु और मिट्टी.....	61-65
8.1 बिहार की जलवायु	61
8.2 बिहार में मौसम	61
8.3 बिहार की मिट्टी.....	63
9. नदियाँ और जल निकासी प्रणाली.....	66-71
9.1 बिहार की प्रमुख नदियाँ.....	66
9.2 बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात.....	69
9.3 बिहार में झीलें	70
9.4 बिहार की आर्द्रभूमियाँ.....	71

10. बिहार का जैव भूगोल	72-76
10.1 बिहार की प्राकृतिक वनस्पति.....	72
10.2 बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य	73
10.3 बिहार में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)	76
10.4 वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास.....	76
11. खनिज स्रोत.....	77-79
11.1 बिहार में पाए जाने वाले खनिज	77
12. बिहार की जनजातियाँ.....	80-87
12.1 सन्थाल	80
12.2 उरांव.....	80
12.3 थारू	81
12.4 गोंड.....	82
12.5 चेरों	82
12.6 कोरा	82
12.7 खरवार.....	82
12.8 कोरवा	83
12.9 सौरिया पहाड़िया	83
12.10 चीक बड़ाईक	83
12.11 हो.....	83
12.12 बिंझिया.....	84
12.13 बिहार में आदिवासी मुद्दे	84
12.14 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सरकार की पहल	85
13. बिहार की प्रमुख आपदाएं	88-96
13.1 भूकंप.....	88
13.2 बाढ़.....	89
13.3 सूखा.....	91
13.4 गर्म तरंगें	93
13.5 तेज गति वाली हवा/चक्रवात	93
13.6 अन्य खतरे.....	93
13.7 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	94

13.8	बिहार में आपदा प्रबंधन.....	94
13.9	संस्थागत ढांचा	94
13.10	बिहार में आपदा प्रबंधन में हालिया पहल	96
13.11	आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-2030.....	96
14.	जलवायु परिवर्तन.....	97-99
14.1	जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाएँ	98
15.	बिहार का जिला रूपरेखा.....	100-110
15.1	पटना मंडल के जिले.....	100
15.2	मगध मंडल के जिले.....	102
15.3	तिरहुत मंडल में जिला	103
15.4	सारण मंडल के जिले.....	104
15.5	भागलपुर मंडल के जिले.....	105
15.6	मुंगेर मंडल के जिले	105
15.7	पूर्णिया मंडल के जिले.....	107
15.8	दरभंगा मंडल के जिले.....	108
15.9	कोसी मंडल के जिले.....	109

खंड-III: बिहार की राज्य-व्यवस्था और शासन 111-142

16.	बिहार का प्रशासनिक ढांचा	113-115
16.1	बिहार विधानमंडल.....	113
16.2	पटना सचिवालय	115
17.	बिहार कार्यकारी.....	116-119
17.1	राज्यपाल	116
17.2	बिहार में राष्ट्रपति शासन.....	117
17.3	मुख्यमंत्री	117
17.4	मंत्री परिषद.....	119
18.	संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय.....	120-122
18.1	बिहार लोक सेवा आयोग	120
18.2	बिहार राज्य चुनाव आयोग.....	121
18.3	बिहार मानवाधिकार आयोग.....	121
18.4	बिहार राज्य महिला आयोग.....	122

19.	बिहार न्यायपालिका.....	123-125
19.1	उच्च न्यायालय.....	123
19.2	अधीनस्थ न्यायालय.....	123
19.3	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम..	125
19.4	लोकायुक्त	125
19.5	महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)	125
19.6	बिहार में पुलिस प्रशासन.....	125
20.	बिहार में स्थानीय स्वशासन.....	126-134
20.1	पंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण स्वशासन)..	126
20.2	शहरी स्थानीय स्वशासन	131
21.	चुनाव और राजनीति	135-138
21.1	बिहार में चुनाव: शोशान युग के पहले और बाद.....	135
21.2	बिहार में जाति आधारित राजनीति	136
21.3	बिहार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका.....	137
21.4	बिहार में कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल	138
22.	शासन.....	139-142
22.1	ई-गवर्नेंस.....	139
22.2	बिहार के संबंध में केंद्र-राज्य संबंधों की समस्या	140

खंड-IV: बिहार की अर्थव्यवस्था 143-198

23.	बिहार: अर्थव्यवस्था एक नज़र में	145-156
23.1	बिहार की जनसांख्यिकी.....	145
23.2	राज्य घरेलू उत्पाद.....	146
23.3	बिहार में कृषि.....	146
23.4	बिहार में सिंचाई	151
23.5	बिहार में उद्योग	153
24.1	बिहार में सड़क परिवहन क्षेत्र.....	157
24.	बिहार में बुनियादी ढांचा.....	157-162
24.2	बिहार में रेलवे परिवहन.....	158
24.3	बिहार में वायुमार्ग परिवहन	158
24.4	बिहार में जलमार्ग.....	158

24.5	बिहार के विकास में अधोसंरचना का महत्व....	158
24.6	चुनौतियाँ	159
24.7	बिहार सरकार के पहल	160
25.	बिहार में ऊर्जा क्षेत्र	163-168
25.1	नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ	164
25.2	बिहार में थर्मल पावर प्लांट	164
25.3	बिहार सरकार और ऊर्जा विकास	166
25.4	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा)	167
25.5	कोशी हाइडल पावर स्टेशन	168
26.	बिहार में विकास	169-191
26.1	बिहार का ग्रामीण विकास	169
26.2	बिहार का शहरी विकास	174
26.3	बिहार में मानव विकास	177
26.4	बाल विकास	185
26.5	बिहार में गरीबी से संबंधित मुद्दे	186
26.6	बिहार में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे	187
26.7	सात निश्चय योजना	189
26.8	बिहार में आर्थिक विकास की समस्याएं	190
27.	बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं ...	192-198
27.1	2023-24 के बजट अनुमान संक्षेप में	192
27.2	बिहार बजट 2023-24 की आर्थिक रूपरेखा	193

27.3	बिहार बजट 2023-24 का फिस्कल ओरिएंटेशन (राजकोषीय विन्यास)	194
27.4	प्राप्तियों की प्रवृत्ति और संरचना	195
27.5	राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति और विन्यास	195
27.6	ऋण प्राप्ति की रूपरेखा	196
27.7	प्राथमिकताएं	196

खंड-V: पिछले वर्ष के प्रश्न.....199-268

परिशिष्ट 1: बीपीएससी मुख्य परीक्षा (39वीं से 68वीं)..... 201-205

पेपर 1

खंड 1: भारत का इतिहास और कला एवं संस्कृति	201
खंड 2: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ	203

पेपर 2

खंड 1: राजनीति और शासन	203
खंड 2: भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल	204
खंड 3: भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव	205

परिशिष्ट 2: बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (विगत वर्षों के प्रश्न)..... 206-268

खंड-I

बिहार का इतिहास

‘बिहार’ शब्द की उत्पत्ति ‘विहार’ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे – ‘बिहार’ नाम दिया।

1.1 बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत

बिहार के प्राचीन इतिहास का विकास में पुरातात्विक साक्ष्यों, साहित्यिक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का योगदान है।

1.1.1 पुरातात्विक साक्ष्य

- मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेषों में कुम्हारार (पटना) स्थित अस्सी स्तंभों वाले हॉल के खंडहर शामिल हैं।
- वैशाली, लौरियाअरैराज, लौरियानंदनगढ़ और रामपुरवा में अशोक के पॉलिश किए गए स्तंभ पाए गए हैं।
- चिरांद में कुषाण काल की स्मारकीय इमारतों के अवशेष मिले हैं।
- बक्सर और पटना में टेराकोटा से बनी मानव मूर्तियाँ पाई गई हैं।
- नालंदा और विक्रमशिला में की गई खुदाई से गुप्त और पाल वंश के समय के बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों की बौद्ध वास्तुकला का पता चलता है।
- गया, नालंदा और नवादा में पाल-सेन शैली की कला का विकास हुआ।
- नालंदा, सारण, मुंगेर और वैशाली बिहार के प्रागैतिहासिक चरण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं।



वैशाली स्थित अशोक स्तंभ

बिहार के पुरातात्विक साक्ष्यों में शिलालेख, सिक्के आदि भी शामिल हैं।

शिलालेख

- पढ़े गए आरंभिक शिलालेख अशोक के समय के हैं।
- लौरियाअरैराज, लौरियानंदनगढ़ और रामपुरवा में स्तंभों पर शिलालेख पाए गए हैं।
- ये प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और सम्राट अशोक के समय के हैं।



गया के निकट बराबर के गुहाशिलालेख।

- नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित शिलालेख मौर्य राजा दशरथ के हैं जो हमें उस काल में आजीविकों के संरक्षण के बारे में बताते हैं।
- गया एवं नालंदा के ताम्रपत्र अभिलेख और वैशाली एवं नालंदा से प्राप्त मुहरें गुप्त काल की हैं।
- बोधगया के शिलालेख श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय से संबंधित हैं।
- ताम्रपत्र पर लिखे गए भूमि अधिकार पत्र हमें बिहार में पाल शासन काल की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं।
- नालंदा में मिले ताम्रपत्र अभिलेख राजा धर्मपाल से संबंधित हैं।
- नालंदा और मुंगेर के ताम्रपत्र अभिलेख राजा देवपाल से संबंधित हैं।

- भागलपुर का ताम्रपत्र अभिलेख **राजा नारायणपाल** से संबंधित हैं।
- भानगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख **राजा विग्रहपाल** से संबंधित हैं।
- प्रतिहारों और गहड़वालों के भी कुछ अभिलेख मिले हैं।
- गहड़वाल वंश के **मनेर** के ताम्रपत्र में 12वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्द्ध के दौरान पटना की राजस्व प्रणाली का वर्णन मिलता है।
- अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों में भागलपुर स्थित समुद्र गुप्त का **पंचोभा ताम्रपत्र अभिलेख**, **गया का जनीबिघा अभिलेख**, **दियोपारा का अभिलेख** आदि हैं।

सिक्के

- पूर्णिया और पटना के **गोलकपुर** में चांदी के आहत सिक्के मिले हैं।
- बक्सर और चिरांद से प्राप्त सिक्के कुषाण साम्राज्य से संबंधित हैं।
- हाजीपुर में गुप्तकाल के सिक्के मिले हैं।

1.1.2 साहित्यिक स्रोत

साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, गैर-धार्मिक और विदेशी साहित्य शामिल हैं।

वैदिक साहित्य

- ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को **किकाता या कीकट** और प्रजा को **व्रत्य** कहा गया है।
- बिहार के बारे में सबसे पहला संदर्भ **अथर्ववेद** और **पंचविंश ब्राह्मण** में मिलता है।
- अथर्ववेद में अंग, गांधार और मुजावंतों के साथ मगध के लोगों का उल्लेख मिलता है।
- आर्यों ने वैदिक काल के उत्तरार्ध में (1000-600 ई०पू०) में भारत के पूर्वी भाग की ओर बढ़ना शुरू किया।
- शतपथ ब्राह्मण में उत्तर-बिहार में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख है।
- शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, बिहार में गंगा के किनारे सुस्थापित आर्य सभ्यता थी जिसे **विदेह साम्राज्य** के रूप में जाना जाता था।

पुराण

- बिहार का उल्लेख विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है।
 - **विष्णु पुराण** - मौर्य वंश।
 - **वायु पुराण** - गुप्त वंश।
 - **मत्स्यपुराण** - शुंग वंश।

- वराहपुराण में '**कीकट**' को अशुभ स्थान और **गया**, **पुनपुन** और **राजगीर** को शुभ स्थान बताया गया है।

महाकाव्य

- हमें विदेह (राजा जनक) के संबंध में जानकारी रामायण से और अंग (कर्ण) के बारे में जानकारी महाभारत से प्राप्त होती है।

बौद्ध साहित्य

- अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनयपिटक, दिव्यावदान आदि बिहार के प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं।
- **अंगुत्तर निकाय** में उत्तर भारत के सोलह महाजनपदों और राज्यों एवं गणराज्यों का उल्लेख है।
- अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था।
- **विनयपिटक** से मगध की राजशाही और वैशाली गणराज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
- पूर्व मौर्य युगीन राजाओं के कालक्रम की जानकारी '**दीपवंश**' और '**महावंश**' से प्राप्त होती है।
- **दिव्यावदान** में शुंग वंश के इतिहास का उल्लेख मिलता है।
- **अशोकवदान** से अशोक के सुव्यवस्थित जीवन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
- बौद्ध ग्रन्थ **आर्यमंजुश्रीमूलकल्प** में गुप्त राजाओं के अंतर्गत बिहार के राजनीतिक इतिहास का वर्णन मिलता है।

जैन साहित्य

- जैन साहित्य में **शेरावली** और **भगवती सूत्र** बिहार के प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं।
- **शेरावली** 'कल्प सूत्र' का वह भाग है जिससे हमें उन स्थानों के नाम का पता चलता है जहाँ महावीर ने अपना समय व्यतीत किया था।
- **कल्प सूत्र और उत्तर ध्यान सूत्र**- पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- **भगवती सूत्र**- वैशाली के लिच्छवी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- **कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन**- चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

गैर-धार्मिक साहित्यिक स्रोत

बिहार के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले गैर-धार्मिक साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र जो पाटलिपुत्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है और मुद्राक्षस जो मौर्य कालीन संघर्षों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मालविकाग्निमित्रम्, कथासरित्सागर, गागी संहिता, मनुस्मृति, सी-यू-की शामिल हैं।



ह्वेनत्सांग

विदेशी विवरण

- मेगस्थनीज ने चंद्र गुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान 302 से 288 ई०पू० के बीच भारत की यात्रा की थी, लेकिन भारत में उनकी यात्रा की सटीक तिथि निश्चित नहीं है। **मेगस्थनीज की इंडिका** में पाटलिपुत्र के मौर्य प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया गया है।
- फा-ह्यान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 399 से 412 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी और उन्होंने मगध साम्राज्य का वर्णन किया है।
- ह्वेनत्सांग ने अपनी पुस्तक **सी-यू-की** (पश्चिमी देशों का विवरण) में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। ह्वेनत्सांग लगभग 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे।
- **ईत्सिंग** ने उत्तरकालीन गुप्त वंश के शासन के दौरान 671 से 695 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। वे 11 वर्ष तक नालंदा में रहे।

1.2 बिहार का पूर्व-ऐतिहासिक काल

- पूर्व-ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है अर्थात् पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण।
- **पुरापाषाण काल:**— इस काल के उपकरण बिहार में नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमबांध

और पैसरा भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर तथा पश्चिम चंपारण के बाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं।

- मुंगेर से प्राप्त मध्यपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष बिहार में मानव गतिविधि के प्रमाण हैं।
- **मध्यपाषाण युग (12000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व)** के साक्ष्य मुंगेर, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना से मिले हैं।
- **मुंगेर के पैसरा** में आरंभिक पाषाण युग और पुरा पाषाण युग के उपकरण, हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर प्राप्त हुए हैं।
- नवादा, कैमूर और जमुई की पहाड़ियों में शैल चित्र मिले हैं।

- शैल चित्र उस समय की पूर्व-ऐतिहासिक जीवन शैली और प्राकृतिक वातावरण का चित्रण करते हैं।
- ये बिहार में मानव के शुरुआती दैनिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं जिसमें शिकार, दौड़ना, नृत्य करना, चलना शामिल है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, जानवर, पौधे, पेड़ और नदियाँ प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं।



कैमूर शैलचित्र

- **चिरांद (सारण) और चेचर (वैशाली)** से नवपाषाण युग (2500 से 1345 ईसा पूर्व) के आसपास की कलाकृतियाँ मिली हैं।
- **चिरांद में**— नवपाषाण काल के हड्डी के औजार मिले हैं।
- **वैशाली के चेचर, ताराडीह, सेनुवर और मनेर में**— काले और लाल बर्तन, गेरू (पीले) चित्रित मिट्टी के बर्तन और धब्बेदार बर्तन मिले हैं।
- बिहार के मध्य गंगा के मैदानों से ताम्रपाषाण युगीन (2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व) अनेक कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं।

- चिरांद (सारण), मनेर (पटना), ओनूप और चंपा (भागलपुर), चेचर-कुतुबपुर (वैशाली), सोनपुर (सारण) और ताराडीह (गया)।
- इस युग के स्थलों से काले और लाल रंग के बर्तन एवं ताँबे के बर्तन मिले हैं।

1.3 बिहार में वैदिक और उत्तर वैदिक युग

- वैदिक साहित्य और वाल्मीकि रामायण के अनुसार विदेह नामक प्राचीन साम्राज्य पर जनक का शासन था और मिथिला इसकी राजधानी थी।
- उत्तर वैदिक युग (1,000 से 600 ईसा पूर्व) में, आर्य पूर्वी भारत की ओर बढ़ने लगे थे।
- प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में बिहार के राजाओं के नामों का उल्लेख है।
- शतपथ ब्राह्मण में उनके आगमन और प्रसार का उल्लेख है।
- उत्तर वैदिक काल के दौरान, जनक वंश के स्थान पर छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए जिन्होंने जनपद नामक गणराज्यों का गठन किया। कुछ जनपदों ने मिलकर महाजनपद का निर्माण किया।

1.4 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार: महाजनपद

- 500 ईसा पूर्व तक 16 महाजनपदों का राष्ट्र राज्य के रूप में गठन हो गया था। ये सिंधु-गंगा के मैदान में आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक फैले हुए थे।
- ये महाजनपद थे कोसी, कोसल, अंग, मगध, वज्जि (वृज्जी), मल्ल, चेदि, वत्स (वामसा), कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सक, अवन्ति, गांधार और कम्बोज।
- 16 महाजनपदों में से तीन (अंग, वज्जि और मगध) बिहार में थे।



1.4.1 अंग

- अथर्ववेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। इस साम्राज्य में वर्तमान समय के खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल थे। यह मगध के उत्तर-पूर्व में स्थित था।
- चंपा इस राज्य की राजधानी थी जो वर्तमान बिहार का भागलपुर है।
- चंपा का नाम पहले **मालिनी** था, जिसकी स्थापना **महागोविन्द** ने की थी।
- चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने इसे चैनपो कहा है।
- महाभारत के अनुसार राजा बलि के छह पुत्र थे जिनमें से एक अंग था। इस राज्य की स्थापना अंग ने की थी। यह कर्ण का राज्य था।
- बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तरनिकाय में अंग का उल्लेख 16वें महाजनपद के रूप में किया गया है। जैन साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है।
- अंग देश का प्रथम राजा **तितिक्षु** था।
- अंग के अंतिम तीन राजा दधिवाहन, दुर्धर्मन और ब्रह्मदत्त थे। बिंबिसार ने अंग साम्राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को मार कर अंग का मगध में विलय कर दिया।

1.4.2 वज्जि/वृज्जी

- वज्जि आठ संघीय गण परिषदों से मिलकर बना था।
- वज्जि की राजधानी वैशाली में स्थित थी।
- वज्जि साम्राज्य वर्तमान चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में फैला हुआ था।
- आठ गणों में से, वैशाली, विदेह और जनात्रिक सबसे महत्वपूर्ण गण परिषद थे।
 - **वैशाली (लिच्छवि)**
- वैशाली स्वतंत्र गण परिषद था।
- यह गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित था, जो वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी वैशाली थी।
- वैशाली शहर का नाम महाभारत काल में राजा विशाल के नाम पर रखा गया था।
- यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र और वज्जि गणराज्य का मुख्यालय था।
- भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था।
- वज्जि के लिए **पाणिनि ने वृज्ज** शब्द का प्रयोग किया है।
- विभिन्न जैन साहित्य में लिच्छवियों का वर्णन मिलता है।
- वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है और इसमें जन प्रतिनिधियों की निर्वाचित सभा थी।

- कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वैशाली के आदिवासी गण परिषद का उल्लेख किया है।
- बौद्ध ग्रंथ, महापरिनिब्बान सुत्त में वैशाली के लोगों को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि मनुस्मृति ने उन्हें वृत्त्य क्षत्रियों की श्रेणी में रखा है।
- महावीर की माता, त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थीं।
- चेतक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध के बिंबिसार से किया था।
- मगध के राजा अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली थी।

○ विदेह (मिथिला)

- गंगा के उत्तरी भाग में स्थित था जो वर्तमान में उत्तरी बिहार और नेपाल का पूर्वी तराई क्षेत्र है।
- विदेह का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है जिसमें बिहार के कुछ हिस्से और नेपाल का छोटा भाग शामिल है।
- इसका सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है।
- इस राज्य की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमिविदेह ने की थी।
- इसके बाद के राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी।
- हिंदू देवी सीता विदेह की राजकुमारी थीं। वह विदेह के राजा जनक की पुत्री थीं।
- विदेह साम्राज्य की राजधानी जनकपुर (जो अब नेपाल में हैं) थी।

○ ज्ञातात्रिकास

- महावीर जैन एक ज्ञातत्रिका थे और उनके पिता ज्ञत्रिका गण परिषद के प्रमुख थे और उनकी माँ लिच्छवि की राजकुमारी थीं।

1.4.3 मगध

- इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
- बुद्ध काल में यह मजबूत गणतंत्र था जो बाद में मजबूत साम्राज्य बना।
- इसका क्षेत्र उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य तक और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था।
- पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी, जो चारों ओर से पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में, राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो गई।
- बृहद्रथ ने मगध में प्रसिद्ध बृहद्रथ वंश की स्थापना की।
- भारत के दो सबसे बड़े साम्राज्यों, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, की उत्पत्ति मगध में हुई थी।

1.5 बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय

प्राचीन भारत दो नए संप्रदायों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साक्षी रहा है। इन दोनों धर्मों का उदय और विकास बिहार में हुआ है।

1.5.1 बौद्ध धर्म

- गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई थी।
- उन्होंने बिहार के विभिन्न स्थानों पर अपने कई उपदेश दिए।
- गौतम बुद्ध का जन्म 563 ई०पू० में शाक्य क्षत्रिय कुल में लुंबिनी (जो अब नेपाल में है) में हुआ था।
- उन्होंने सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है।
- 35 वर्ष की आयु में वे निरंजना नदी के तट पर उरुवेला पहुँचे और वहाँ तपस्या की।
- उन्हें 528 ई०पू० में बोधगया में पीपल के पेड़ (बोधि वृक्ष) के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए।
- ज्ञान प्राप्ति के बाद, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
- उन्होंने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया।
- बुद्ध का 'महापरिनिर्वाण' कुशीनगर में हुआ था।

1.5.1.1 बौद्ध संगीतियां

- प्रथम बौद्ध संगीति (483 ई०पू०) राजगीर (राजगृह) में अजातशत्रु के संरक्षण में और बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं (सुत्त) और शिष्यों हेतु नियमों (विनय) को संरक्षित करने के तरीके पर विचार-विमर्श किया।
- दूसरी बौद्ध संगीति (383 ई०पू०) वैशाली में राजा कालाशोक के संरक्षण और सबकामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस संगीति का मुख्य विषय विनय पिटक (अनुशासन संहिता) संबंधी विवाद का समाधान करना था।
- तीसरी बौद्ध संगीति (250 ई०पू०) अशोक के संरक्षण में और मोगलीपुत्ततिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस संगीति में अभिधम्म पिटक की स्थापना की गई थी। इसमें विनय पिटक के साथ विवाद के समाधान का भी प्रयास किया गया था।
- चौथी बौद्ध संगीति (78 ई.) कुषाण शासक कनिष्क के अधीन कुण्डलवन, कश्मीर में हुई थी। अश्वघोष ने इस संगीति में भाग लिया था। चौथी संगीति की अवधि के दौरान ही महायान बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया।

Buddhism - Councils

Council	Year	Place	Headed by	Patron	Outcome
1st	483 BC	Saptaparani Cave, Rajgriha	Mahakassapa	Ajatasatru (Harayanka Dy)	Sutta P and Vinaya P was compiled by Ananda and Upali resp.
2nd	383 BC	Chullavanga, Vaishali	Sabbakami	Kalashoka (Shishunaga Dy)	Vaishali monks wanted some change in rites. Division between Sthaviravadins and Mahasangikas.
3rd	250 BC	Pataliputra	Mogaliputta Tissa	Ashoka	Compilation Abhdhanam P. Missionaries were decided to send abroad
4th	98 AD	Kashmir	Vasumitra	Kanishka	Compilaion of Mahavibha Shastra. Div into MahaY and HinaY

1.5.1.2 त्रिपिटक

- बुद्ध की मृत्यु के पांच सौ साल बाद संकलित बौद्ध ग्रंथों को 'त्रिपिटक' के नाम से जाना जाता है। ये निम्न हैं:-
- **विनयपिटक** – मठवासियों के जीवन के नियमों और विनियमों से संबंधित है।
- **सुत्तपिटक** – बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है।
- **अभिधम्मपिटक** – बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है।

1.5.2 जैन धर्म

- जैन धर्म का इतिहास 24 तीर्थकरों के माध्यम से है। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, वहीं महावीर 24 वें और आखिरी तीर्थकर थे।
- महावीर का जन्म 540 ई०पू० में वैशाली के पास कुंडलग्राम में हुआ था। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे।
- वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त किया। उन्हें 'निर्ग्रन्थ' कहा गया।
- **कैवल्य के माध्यम से**, उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की और उन्हें जिन या महावीर के रूप में जाना जाने लगा।
- उन्होंने अपना पहला उपदेश **विपुलगिरि (राजगीर)** में दिया। उनके पहले शिष्य जामाली थे।
 - जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए रत्नत्रयी या त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान हैं।
 - महावीर ने 468 ई०पू० में राजगृह (राजगीर) के पास पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था।
- **जैन धर्म में दो सभाओं का आयोजन किया गया है।**
- पहली सभा तीसरी शताब्दी ई०पू० की शुरुआत में स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जहां जैन धर्म दो संप्रदायों, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ।

- दूसरी सभा 5वीं शताब्दी ईस्वी में देवर्धि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में वल्लभी में आयोजित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हो पाया।

1.6 मौर्य काल के पूर्व बिहार

- मगध सोलह महाजनपदों में से एक था जो वर्तमान पटना, गया और दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था।
- यह प्राचीन भारत के पहले सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। इस क्षेत्र पर कई छोटे-छोटे राजवंशों का शासन रहा जिन्हें 'पूर्व मौर्यकालीन राजवंश' कहा जाता है।

1.6.1 बृहद्रथ राजवंश

- इस राजवंश की स्थापना छठी शताब्दी ई०पू० के मध्य में हुई थी। बृहद्रथ मगध के सबसे पहले ज्ञात राजा थे और उनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
- ये मगध के सबसे पुराने राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे।
- **महाभारत और पुराणों के अनुसार**, बृहद्रथ चेदि के कुरु राजा वसु के सबसे बड़े पुत्र थे।
- रामायण के अनुसार, वसु ने वसुमती या गिरित्रज की स्थापना की थी।
- इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ। उसने कई समकालीन राज्यों के शासकों को हराया, जैसे काशी, मालवा, आगरा, बंग, कलिंग आदि।
- महाभारत के अनुसार जरासंध को भीम ने मारा था। गिरित्रज (राजगीर) जरासंध की राजधानी थी। उसके बाद सहदेव मगध का शासक बना। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था।
- पुराणों के अनुसार मगध में बृहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश आया।

1.6.2 हर्यक राजवंश

- **बिम्बिसार** (544 से 492 ई०पू०) ने हर्यक वंश की स्थापना की और राजगीर (गिरिव्रज) में अपनी राजधानी स्थापित की। वे बुद्ध के समकालीन थे।
 - **बौद्ध ग्रन्थ महावंश के अनुसार** बिम्बिसार को उनके पिता भाटिया ने 15 वर्ष की आयु में राजा नियुक्त किया था।
 - उसने वैवाहिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया।
 - जैन ग्रंथों में बिम्बिसार को श्रेणिक कहा गया है।
 - अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विवाह गठबंधन की उनकी नीति बहुत सफल रही। उनकी पहली पत्नी कौसल की राजकुमारी, कौशल देवी, प्रसेनजित की बहन थीं। इस प्रकार कौसल की भूमि मगध को मिल गई।
 - **बिम्बिसार** को काशी का साम्राज्य दहेज के रूप में उपहार में मिला।
 - उनकी दूसरी पत्नी चेल्लना लिच्छवी राजकुमारी थीं और तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र वंश की राजकुमारी थीं।
 - अंग के साम्राज्य पर उसने विजय प्राप्त की थी।
 - **मगध का सबसे गंभीर प्रतिद्वंद्वी अवन्ति था**, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंद्र प्रद्योत महासेन ने बिम्बिसार के विरुद्ध युद्ध किया। **लेकिन अंततः** दोनों मित्र बन गए और बिम्बिसार ने चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था।
 - **बिम्बिसार** स्थायी सेना बनाने वाले इतिहास के पहले शासक भी थे।
- **अजातशत्रु (492 से 460 ई०पू०)** ने राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिम्बिसार को कैद कर लिया और मार डाला। उसने कौसल राजा को हराया और काशी एवं वैशाली पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का विस्तार किया।
 - **महात्मा बुद्ध (487 ई०पू० में)** ने उनके शासनकाल के दौरान ही कुशीनगर में 'महापरिनिर्वाण' प्राप्त किया और भगवान महावीर (468 ई०पू०) ने पावापुरी में निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया। अजातशत्रु के मन में गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के लिए बहुत सम्मान था।
 - बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफाओं में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया।
 - उसने 32 वर्ष तक शासन किया और अपने ही पुत्र उदयिन ने (460 से 440 ई०पू०) उसकी हत्या कर दी थी।

- **उदयिन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना।**

- उसने 455 ई०पू० में गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया।
- उसके उत्तराधिकारी जैसे अनुरुद्ध, मुंडा और नागदासक कमजोर शासक थे।
- नागरिक विद्रोह के परिणामस्वरूप मगध में शिशुनाग वंश का उदय हुआ।

1.6.3 शिशुनाग राजवंश

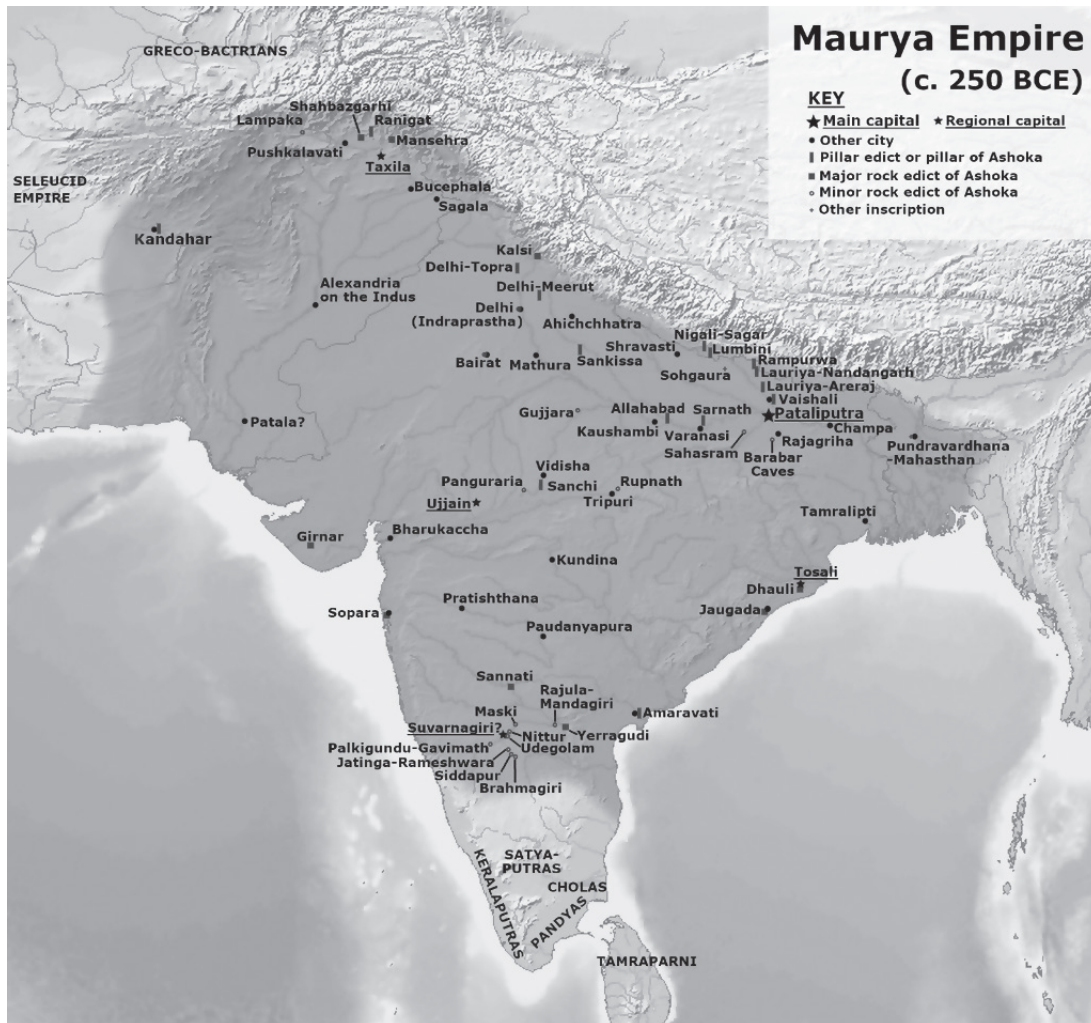
- **शिशुनाग वंश (412 से 394 ई०पू०)** की स्थापना शिशुनाग ने की थी।
- इस समय मगध की दो राजधानियाँ थीं, एक राजगीर में और दूसरी वैशाली में।
- शिशुनाग ने मगध और अवन्ती के बीच सौ साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर दिया।
- **शिशुनाग की मृत्यु 394 ई०पू० में हुई थी** और उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बना।
- **द्वितीय बौद्ध संगीति (383 ई०पू०)** वैशाली में उनके संरक्षण में आयोजित की गई थी।
- दूसरी बौद्ध संगीति के बाद कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया।
- कालाशोक के बाद, उनके दस पुत्रों ने 'महावंश' ग्रंथ के अनुसार मगध साम्राज्य पर शासन किया और अंतिम शासक नंदीवर्धन (महानंदिन) थे।

1.6.4 नंद राजवंश

- महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन (नंदीवर्धन) की हत्या करके नंद वंश (344-321 ई०पू०) की स्थापना की।
- महापद्मनंद को पुराणों में महापद्म या महापद्मपति के रूप में वर्णित किया गया है।
- उसने "एकराट" की उपाधि धारण की।
- महाबोधिवंश में उसे उग्रसेन के रूप में भी संदर्भित किया गया है। महाबोधि वंश में नौ नंद राजाओं की भी सूची है, जिनके नाम हैं महापद्म नंद (उग्रसेन), पांडुक, पांडुगती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषणक, दशासिद्धक, कैवर्त और धनानंद।
- धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे और सिकंदर के समकालीन थे।
- जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया (327-326 ई०पू०), उस समय धनानंद मगध के शासक थे। यूनानियों ने धनानंद को अग्रमीज या एक्सेंड्रेम्स के रूप में संदर्भित किया है।

1.7 मौर्य काल

मौर्य साम्राज्य भौगोलिक रूप से प्राचीन भारत का पहला व्यापक, शक्तिशाली और राजनीतिक सैन्य साम्राज्य था। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी।



1.7.1 चंद्रगुप्त मौर्य

- मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य (321 से 298 ई०पू०) ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की मदद से की थी। 321 ई०पू० में अंतिम नंद शासक धनानंद को गद्दी से पदच्युत कर इसकी स्थापना की।



चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य

- मत्स्य पुराण और मुद्राराक्षस के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की माँ मुरा, नंद के दरबार में शूद्र महिला थी।
- मुद्राराक्षस में उन्हें 'वृषला' कहा गया है।
- बौद्ध परंपरा के अनुसार, वह मौरिया क्षत्रिय वंश के थे।
- उसने सेल्यूकस निकेटर (सिकंदर का सेनापति) से 305 ई०पू० में युद्ध किया था। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था।
 - मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का वर्णन किया है।
 - मेगस्थनीज के अनुसार साम्राज्य में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे।
 - पाटलिपुत्र में मौर्य प्रशासन 30 सदस्यों की परिषद के माध्यम से चलाया जाता था। यह 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित थी।
 - इसमें पाटलिपुत्र को 'पोलिब्रोथा' कहा गया है।
- आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। वे "अर्थशास्त्र" के लेखक हैं।
- जैन सूत्रों के अनुसार (परिशिष्ट पर्वन) चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के लिए सिंहासन खाली कर दिया।
- वह जैन मुनियों के साथ श्रवणबेलगोला गए और उपवास करते हुए स्वयं के प्राण त्याग दिए।

1.7.2 बिंदुसार

- इनके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय की प्राकृतिक सीमा तक और पूर्व में असम तक फैली हुई थी। पश्चिम में इसकी सीमाएं पाकिस्तान से कहीं आगे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकांश भू-भाग तक फैली हुई थी।
- बिंदुसार के अलग-अलग नाम- ग्रीक लेखकों ने उन्हें अमित्रोचेट्स (अमित्रघात) या एलिट्रोचौड्स, वायु पुराण में मुद्रासर और विभिन्न जैन साहित्य में सिंहसेन या बिंदुपाल कहा गया है। जैन ग्रन्थ राजवल्ली-कथा में उन्हें सीमसेरी कहा गया है।
- सीरिया के राजा ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था।
- मिश्र के टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था।
- उन्होंने आजीविकों का समर्थन किया।

1.7.3 अशोक

- महान अशोक (273-232 ई०पू०) ने 273 ई०पू० में अपने पिता बिंदुसार से सिंहासन प्राप्त किया था।



सांची से प्राप्त पहली शताब्दी ई०पू० की नक्काशी जिसमें अशोक को रामग्राम में नागाओं का दौरा करते हुए अपने रथ पर दिखाया गया है।

- दीपवंश और महावंश के अनुसार, मौर्य राजा बनने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और केवल एक भाई वितशोक या तिस्सा था को जिन्दा रखा था।
- अशोक का साम्राज्य दक्षिण में चोल और पांड्य साम्राज्य तक और उत्तर में कश्मीर एवं उत्तर-पूर्व में नेपाल तक फैला हुआ था।
- अशोक ने 261 ई०पू० में कलिंग का युद्ध लड़ा था।
- इसका उल्लेख उनके प्रमुख शिलालेख XIII में मिलता है।
- ओडिशा से प्राप्त हाथीगुम्फा के शिलालेख में इस विनाशकारी युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है जिसने अशोक के मन-मस्तिष्क को बदल दिया।
- कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धम्मशोक के नाम से जानें जाने लगे।
- कई शिलालेखों में अशोक का उल्लेख देवनामप्रिय और प्रियदर्शी के रूप में भी किया गया है।
- भाब्रू के शिलालेख में मगध के राजा के रूप में उनका उल्लेख है।
- अशोक ने मोग्गलिपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया।
- इसके साथ ही बौद्ध आदर्शों का प्रसार श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और भूमध्यसागरीय यूरोप में हुआ।
- अशोक की मृत्यु के बाद मौर्यसाम्राज्य का पतन आरंभ हो गया।

- मौर्य काल के लिखित अभिलेखों के प्राथमिक स्रोत अर्थशास्त्र, अशोक के धर्मदेश और अशोकवर्धन के आदेश हैं।
- अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। उन्होंने अनेक पत्थर के स्तंभ और शिलालेख बनवाए थे।
- बिहार में अशोक के तीन स्तंभ शिलालेख स्थित हैं उदाहरणार्थ: पूर्वी चंपारण जिले में लौरिया अरेराज और पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ शिलालेख स्थित हैं।

1.7.4 मौर्य युगीन प्रशासन

- मौर्य साम्राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक प्रांत पर शासन के लिए एक राज्यपाल नियुक्त था।
- चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार राज्य को 7 तत्वों में विभाजित किया गया था, जो स्वामिन (राजा), अमात्य (मंत्री), जनपद (लोग), दुर्ग (किला), कोष (कोषागार), बल (सेना) और मित्र (सहयोगी) थे।
- 18 तीर्थों या महामात्यों को मंत्री, मुख्य पुजारी, कमांडर-इन-चीफ और क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें चांदी के सिक्कों में भुगतान किया जाता था।
- सैन्य संगठन सेनापति के नियंत्रण में था जिसके अधीन विभिन्न शाखाओं के अनेक अधिकारी अपना कर्तव्य निभाते थे।
- दो प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थीय (सिविल न्यायालय) और कंटकशोधन (आपराधिक न्यायालय)।
- रज्जुक भूमि की माप करने और सीमाओं को तय करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी होते थे और ये जिलों का प्रशासन भी देखते थे।
- गाँवों के प्रभारी अधिकारी गोप कहा जाता था और गाँव के सरपंच को ग्रामणी के रूप में जाना जाता था।
- मौर्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन 27 अधीक्षकों द्वारा किया जाता था जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था।
- मुद्रा में चांदी के सिक्के (पनस), तांबे के सिक्के (मशाका) और सोने के सिक्के (निष्क) शामिल थे।
- मेगस्थनीज मौर्य समाज में सात जातियों के होने का उल्लेख करता है, अर्थात् दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, न्यायाधीश और पार्षद।
- कलिंग के शैल उत्कीर्ण धर्मदेशों के अनुसार तोसली और उज्जयिनी के वायसराय को कुमार कहा जाता था और सुवर्णगिरि के वाइसराय को आर्यपुत्र के रूप में जाना जाता था।

1.7.5 कला और वास्तुकला

- कुम्हारार (पटना) में मौर्य युगीन स्तंभयुक्त हॉल मिला है।
- अशोक के समय में बनाए गए स्तंभ मौर्यकालीन कला का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करते हैं। ये दो प्रकार के पत्थरों, चित्तीदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर और बर्फ रंग के महीन दाने वाले कठोर भूरे बलुआ पत्थर से बने हैं। ये स्तंभ दिल्ली, इलाहाबाद, रुमिनदेई, सांची और सारनाथ में पाए गए हैं।
- दीदारगंज (बिहार) से यक्ष की दो मूर्तियाँ और चौरी (फ्लाई-व्हिस्क) धारण किए हुए यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है।
- अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में कई स्तूप बनवाए लेकिन उनमें से अधिकांश विदेशी आक्रमणों के दौरान नष्ट हो गए।

- चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं भिक्षुओं का निवास स्थान थीं और सभा भवन (चौत्य) के रूप में भी कार्य करती थीं।
- अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बोधगया के निकट बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में ऐसी गुफाओं का निर्माण किया था।
- गुफाओं की आंतरिक दीवारों पर इतनी अच्छी तरह से पॉलिश की गई थी कि वे दर्पण की तरह दिखाई देती थीं।
- लोमस ऋषि की गुफाएं, सुदामा की गुफाएं बराबर पहाड़ियों में बनाई गई थीं।
- अशोक और दशरथ ने इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित किया था।

1.7.6 मौर्य साम्राज्य का पतन

- अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य दो भागों अर्थात् पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित हो गया।
 - पश्चिमी भाग पर अशोक के पुत्र कुणाल और पूर्वी भाग पर अशोक के पौत्र दशरथ का शासन था।
- बैक्ट्रियन के आक्रमण के कारण साम्राज्य का पश्चिमी भाग हाथ से निकल गया लेकिन पूर्वी भाग अशोक के अन्य पौत्र संप्रति, जो जैन धर्म का संरक्षक था, के अधीन बरकरार रहा।
- बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी।

1.8 बिहार में मौर्योत्तर राजवंश

1.8.1 शुंग राजवंश

- शुंग वंश (184-72 ईसा पूर्व) की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी।

- पुष्यमित्र ने मगध, कोसल, सकला, मालवा और बरार पर शासन किया।
- पुष्यमित्र शुंग मौर्य सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ थे।
- पुष्यमित्र ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था।
- दिव्यावदान व तारानाथ पुष्यमित्र को बौद्धों के दुश्मन के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्ध कला का संरक्षण किया था।
- उसके काल में भरहुत और सांची में बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया।
- उसके शासनकाल में दो अश्वमेध यज्ञ हुए, जिनका उल्लेख धनदेव के अयोध्या अभिलेखों से मिलता है।
- महान संस्कृत विद्वान और महाभाष्य के लेखक पतंजलि इन यज्ञों के मुख्य पुजारी थे।
- अशोक वर्धन जैसे बौद्ध अभिलेखों में उल्लेख है कि बृहद्रथ की हत्या और शुंग साम्राज्य के उदय के कारण बौद्धों का उत्पीड़न तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ।
- ब्राह्मणवादी सामाजिक आदर्शों और संस्थाओं में वृद्धि देखी गई तथा बौद्ध धर्म का धीरे-धीरे पतन हुआ।
- 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। जो कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम् का नायक था।
- पुराणों के अनुसार देवभूति शुंग वंश के अंतिम व 10वें शासक थे।

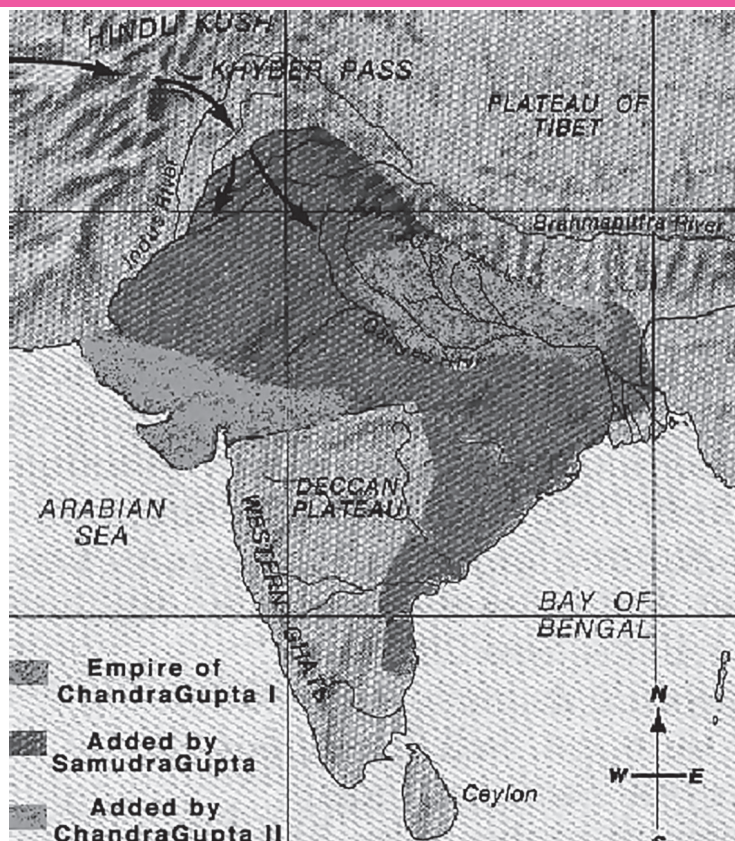
1.8.2 कण्व राजवंश

- शुंग वंश के बाद कण्व वंश (72-27 ईसा पूर्व) ने मगध में शासन किया।
- शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को वासुदेव ने 72 ईसा पूर्व में हरा दिया था।
- सुशर्मान इस वंश का अंतिम शासक था।
- दक्कन के पठार क्षेत्र से सातवाहन वंश के शासकों के सत्ता में आने के फलस्वरूप कण्व शासन (45 वर्षों के बाद) समाप्त हो गया।

1.8.3 कुषाण वंश

- मगध क्षेत्र से कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में अपना अभियान शुरू किया था।
- कुषाण शासक कनिष्क (78-125 ईस्वी) के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के साक्ष्य हैं, क्योंकि यह मगध की राजधानी थी।
- वह अपने साथ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को ले गया था।
- कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद, इस क्षेत्र पर लिच्छवियों का शासन था।
- कुषाण वंश के अनेक सिक्के चिरांद, बक्सर, बोधगया, और वैशाली से मिले हैं।

1.9 गुप्त साम्राज्य



- भारत के प्रमुख भागों को एकीकृत प्रशासन के अंतर्गत लाने में गुप्त शासक सफल रहे थे।
- गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बीच प्रमुख अंतर यह था कि मौर्य प्रशासन में सत्ता केंद्रीकृत थी जबकि गुप्त प्रशासन में सत्ता अधिक विकेंद्रीकृत थी।
- गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था तथा प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।
- श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के पहले राजा थे। उन्होंने 275 ई. में साम्राज्य की स्थापना की। तथा उत्तर बंगाल व दक्षिण बिहार के एक छोटे से भाग पर शासन किया।
- **घटोत्कच 280 ईस्वी** में अपने पिता श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना। इन दोनों राजाओं ने मिलकर मगध क्षेत्र के चारों ओर शासन किया।
- ये बाद में कुषाणों के अधीन रहे।
- वह कला का महान संरक्षक था उसने **‘कविराज’** की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार की भाषा संस्कृत थी।
- हरिसेन और वसुबंधु उसके दरबार में थे।
- कुछ सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त को संगीत में भी रुचि थी।
- वह हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखता था तथा भगवान विष्णु की पूजा करता था।
- उसने पद्मावती, मालवा, यौधेय, अर्जुनयान, मदुरा और अभीर साम्राज्य पर हमला किया तथा उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया।
- उसका शासन हिमालय से नर्मदा नदी तक और ब्रह्मपुत्र से यमुना तक फैला हुआ था।
- उसने पश्चिमी भाग में शकों और कुषाणों को हराया।

1.9.1 चंद्रगुप्त प्रथम

- चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था।
- वह **महाराजाधिराज** की उपाधि धारण करने पहले राजा थे उन्होंने 319-320 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत की थी। उनके साम्राज्य में ऊपरी गंगा घाटी, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल शामिल थे।
- चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से हुआ था।
- उसने इस उपलक्ष्य में सोने के सिक्के जारी किए थे।
- उसने गंगा घाटी के साथ प्रयाग और अवध भूमि तक अपना प्रभुत्व बढ़ाया।

1.9.2 समुद्रगुप्त

- इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासन संभाला।
- हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख है। यह ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया था।
- समुद्रगुप्त को उसकी विजय के लिए विन्सेंट आर्थर स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी।
- चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख में समुद्रगुप्त को ‘सभी राजाओं का संहारक’ बताया गया है।
- समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है।
- समुद्रगुप्त के शासन के समय, सीलोन के शासक मेघवर्मन को श्रीलंका के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी गई थी।

1.9.3 चंद्रगुप्त द्वितीय ‘विक्रमादित्य’

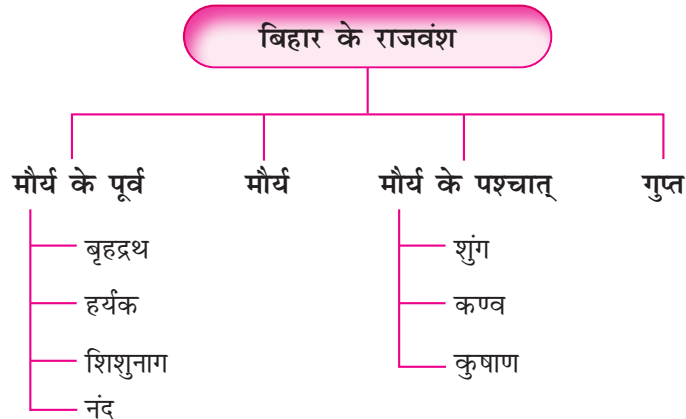
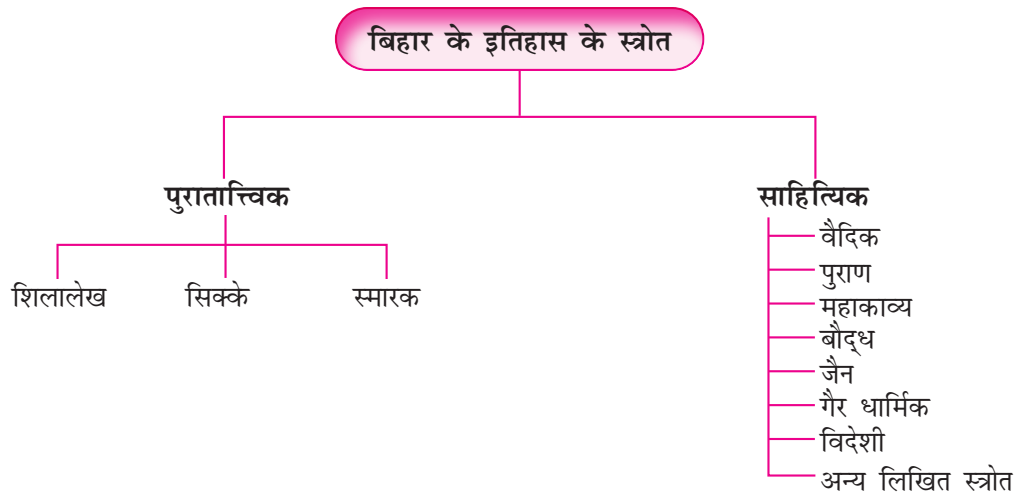
- चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य प्राप्ति हेतु अपने भाई रामगुप्त को पराजित कर मार डाला।
- उन्होंने उनकी विधवा ध्रुवदेवी से विवाह किया।
- उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध और वैवाहिक गठबंधन स्थापित किए।
- उन्होंने मध्य भारत की एक नागा राजकुमारी कुबेरनागा से शादी की तथा उनकी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था।
- उसने मथुरा को कुषाणों से, गुजरात को शकों से जीता तथा कदंब शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए।
- उन्हें साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।
- उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा केंद्रों के रूप में उभरे।
- उनके दरबार में नौ रत्न कवि कालिदास, वेतालभट्ट, वराहमिहिर, धन्वन्तरि, वररुचि, शंकु, अमरसिंह, क्षपणक और घटकपर्प थे।
- **चीनी यात्री फाहियान**, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया तथा पाटलिपुत्र में रहा।
- वह सोने के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजाओं में सबसे पहले थे। उन्हें ‘विक्रमादित्य’ कहा जाता था तथा उन्होंने सिंहविक्रम की उपाधि धारण की थी।
- उसने उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया।

1.9.4 कुमारगुप्त प्रथम

- चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम (415-455 ईस्वी) ने शासन संभाला जिसे 'महेन्द्रादित्य' के नाम से भी जाना जाता है।
- उसने नए प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए।
- पहला हूण आक्रमण इनके समय में हुआ था उस समय तक कुमारगुप्त प्रथम वृद्ध हो चुके थे।
- उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की।
 - नालंदा विश्वविद्यालय 427 से 1197 ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र था।
 - प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।
 - विश्वविद्यालय को बाद में 1197 ईस्वी में बख्तियार खलजी के नेतृत्व में मामलुक वंश की सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

1.9.5 स्कंदगुप्त

- भितरी अभिलेखों के अनुसार स्कंदगुप्त ने 'पुष्यमित्रों' को पराजित किया, जो जनजाति समुदाय थे। तथा संभवतः नर्मदा नदी के आस पास एक क्षेत्र पर शासन करते थे।
- स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी में हूणों के हमले का प्रतिकार किया था तथा 467 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।
- जूनागढ़ के एक शिलालेख से पता चलता है कि उनके राज्यपाल ने चंद्र गुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील में एक बांध पर जीर्णोद्धार का काम करवाया था।
- स्कंदगुप्त के बाद, पुरुगुप्त, बुद्ध गुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त आदि शासकों के अधीन गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया।
- विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
- गुप्त साम्राज्य के विघटन की शुरुआत के बाद मौखरियों की तरह मगध में छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ।



- बिहार में मध्ययुगीन इतिहास के प्रारंभिक काल में पाल, सेन और कर्नाटक राजवंशों का उदय हुआ, जिसने बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समृद्ध किया।
- मध्यकाल में बिहार ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपना महत्व खो दिया।
- बिहार के मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमण, युद्ध और मुस्लिम शासन की स्थापना शामिल है।
- बिहार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा था।
- गुलाम, खिलजी, तुगलक, सूर और नूहानी राजवंशों ने बिहार में अपना शासन स्थापित किया।
- 1526 में, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस तरह बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया।
- अरबी और फारसी शिलालेख मस्जिदों, मकबरों, इमामबाड़ों आदि की दीवारों पर पाए जाते हैं।
- ये शिलालेख ज्यादातर पटना, बिहारशरीफ, सासाराम और राजमहल में पाए गए हैं।
- 1545 ई. का शेरशाह का एक शिलालेख उसकी कब्र पर मिला है।
- मुहम्मद-इब्न-यूसुफ का बेदीबुन शिलालेख जो बिहार में मुस्लिम शासन के विस्तार पर प्रकाश डालते हैं।

गैर-फारसी अभिलेखों से पाल वंश के पतन के बाद उभरे छोटे-छोटे राज्यों की जानकारी मिलती है।

- बल्लाल सेन का सनोखर शिलालेख,
- गढ़वालों का मनेर ताम्रपत्र शिलालेख,
- सिमराँव स्तम्भ शिलालेख
- अंधराथदी शिलालेख और
- कर्नाटक के प्रतापमल्ला शिलालेख।

2.1 बिहार में मध्यकालीन इतिहास के स्रोत

2.1.1 पुरातत्व, पुरातात्विक स्रोत

बिहार के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, शिलालेख आदि हैं।

सिक्के

- लखीसराय जिले के जयनगर में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सिक्के मिले हैं।
- बाजीराव शिंदे के नाम वाले दो तांबे के सिक्के इस क्षेत्र में मराठाओं की मजबूत उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।
- दरभंगा में जामा मस्जिद की दीवार पर पाए गए 1326 ईस्वी के अरबी शिलालेख में उल्लेख है कि दरभंगा “इक्लीम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत” की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर भी बन गया था। यह शिलालेख मुहम्मद-बिन-तुगलक से संबंधित है।
- अकबर ने पटना, अजीमाबाद और राजमहल में टकसालों का निर्माण कराया जहां 1580 ईस्वी के बाद सिक्के बनाए गए।

शिलालेख

मध्ययुगीन बिहार के शिलालेखों को दो श्रेणियों अरबी और फारसी और गैर-फारसी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

स्मारक

- स्मारक हमें शासक विशेष के अधीन राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों की जानकारी देते हैं।
- बिहार में एसआई (भातीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के 70 स्मारकों को मान्यता दी गई है।

बिहार में प्रसिद्ध स्मारक स्थल

साइट	जगह
• रानी का जिला महल, इब्राहिम बायुका मकबरा	बिहारशरीफ नालंदा
• शाह मखदून का मकबरा, दौलत मनेरी और इब्राहिम खान	मनेर पटना
• हसन शाह सूरी का मकबरा	सासाराम रोहतास
• शेर शाह सूरी का मकबरा	सासाराम रोहतास
• रोहतासगढ़ किला	रोहतास
• बख्तियार खान का मकबरा	मलिक सराय कैमूर
• तीन शिलालेख	सासाराम रोहतास

2.1.2 साहित्यिक स्रोत

- बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में उल्लेख करने वाले साहित्यिक स्रोतों में मिन्हाज-उस-सिराज द्वारा तबकात-ए-नासिरी, तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित तुजुक-ए-बाबरी, अबुल फजल द्वारा अकबर नामा, अब्बास सरवानी द्वारा तारिख-ए-शेरशाही, जियाउद्दीन बरनी द्वारा तारिख-ए-फिरोज शाही, गुलाम हुसैन सलीम द्वारा रियाज-उस-सलातिन, आदि हैं।
- स्थानीय भाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ- कीर्तिलता, विद्यापति की कृतपताका, ज्योतिरीश्वर कीवर्णरत्नाकर, चन्द्रेश्वर वाचस्पति की रजनीतिरत्नाकर आदि हैं।
- सूफी साहित्य में- ताजकिरा, मकतूबत और मलकुजात आदि हैं।

विदेशी वर्णन

- मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक वहाबानी, बसतिन-उल-उन्स आदि का यात्री विवरण।
- यूरोपीय यात्रियों में पीटर मुंडी, जॉन टैवर्नियर, मनुची बिशप, राल्फ फिच आदि के वर्णन शामिल हैं।

2.2 बिहार में प्रारंभिक मध्यकाल

पाल वंश 7वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा।

पाल वंश के बाद सेन और कर्नाटक राजवंशों का भी उदय हुआ।

2.2.1 पाल वंश

- गोपाल (750-770 ई.) पाल वंश के पहले शासक व संस्थापक थे।
- पाल बौद्ध धर्म के महायान व तान्त्रिक स्कूल के अनुयायी थे।

2.2.1.1 गोपाल

- 'मत्स्य-न्याय' की स्थिति से बचने के लिए गोपाल पाल वंश के पहले राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे।
- खलीमपुर ताम्रपत्र शिलालेख, 750 ईस्वी, से पता चलता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें राजा चुना था। यह महाजनपद के समय से दक्षिण एशिया में पहले लोकतान्त्रिक चुनावों में से एक था।
- उन्होंने संपूर्ण बंगाल के साथ-साथ बिहार के कुछ भागों पर अपना नियंत्रण बढ़ाकर स्थिति मजबूत की।
- ओदंतपुरी (अब बिहारशरीफ) में गोपाल द्वारा एक बौद्ध मठ और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।

2.2.1.2 धर्मपाल

- गोपाल के बाद, उनका पुत्र धर्मपाल (770-810 ई.) 770 ई. में गद्दी पर बैठा।
- धर्मपाल और देवपाल के अधीन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया।
- धर्मपाल ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में साम्राज्य का विस्तार किया।
- कन्नौज पर कब्जा करने के बाद, उन्होंने उत्तरापंथस्वामी की उपाधि धारण की तथा कन्नौज में एक भव्य दरबार का आयोजन किया।
- धर्मपाल बौद्ध थे। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गाँव दान में दिये।

2.2.1.3 देवपाल

- धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल (810-850 ई.) ने साम्राज्य को दक्षिण एशिया और उससे आगे तक बढ़ाया।
- उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया।
- पाल ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार, देवपाल ने उत्कल और प्रागज्योतिष (असम) पर विजय प्राप्त की।
- देवपाल के शिलालेख घोरावां, हिलसा, नालंदा और मुंगेर में पाए गए हैं।
- सुवर्णभूमि के शासक बालापुरदेव ने अपने समय में नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी।
 - पाल राजाओं ने भी हिन्दू धर्म का संरक्षण किया।
 - उन्होंने मंदिरों के निर्माण और गुरुकुल स्थापित करने जैसे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दान दिया।
 - पाल राजाओं के दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे।

2.2.1.4 महिपाल प्रथम

- महिपाल 988 ई. में गद्दी पर बैठा।
- उन्हें पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है।
- महिपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान 11 वीं शताब्दी में चोल वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया गया था।
- महिपाल ने चोल वंश के राजेन्द्र चोल से 1023 ई. में युद्ध किया जिसमें वह पराजित हुआ।
- उसी वर्ष महिपाल प्रथम की मृत्यु हो गयी जिसके साथ ही पाल वंश का अंत हो गया।

2.2.2 सेन राजवंश

- सेन राजवंश की स्थापना 11 वीं शताब्दी के मध्य में सुमंतसेन ने की थी। इनके बाद विजयसेन ने शासन संभाला था।
- विजयसेन के बाद उसका पुत्र बल्लालसेन राजा बना।
- वह एक महान विद्वान थे, उन्होंने दानसागर और अद्भुतसागर की रचना की।
- उन्होंने 'कुलीनवाद' नामक एक सामाजिक आन्दोलन चलाया जिसके द्वारा जन्म की श्रेष्ठता और रक्त की शुद्धता की सावधानी से रक्षा की जाती थी।
- आंतरिक विद्रोहों और बख्तियार खलजी के आक्रमण के कारण सेन वंश कमजोर हो गया।
- लक्ष्मणसेन इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था।
- लक्ष्मणसेन अपनी राजधानी से भाग गया तथा उसने पूर्वी बंगाल के विक्रमपुर में शरण ली।
- गीत गोविन्द के लेखक जयदेव, भाषाविद हलायुध, पवनदुतम के लेखक धोयी जैसे व्यक्तित्व उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

2.2.3 कर्नाट राजवंश

- कर्नाट राजवंश (1097-1324 ई.) की स्थापना मिथिला में नान्यदेव ने की थी।
- वह संगीत के महान संरक्षक थे। उन्होंने विभिन्न रागों का विश्लेषण कर संगीत पर एक ग्रंथ लिखा।
- चंपारण में सिमरांव कर्नाट राजवंश की राजधानी थी।
- बाद में कमलादित्य स्थान (कमलाधन) उनकी राजधानी बनी जिसे अब मधुबनी जिले में अंधराथाडी के नाम से जाना जाता है।
- इस वंश के अन्य शासकों में गंगा सिंह देव, नरसिंह देव और हरिसिंहदेव थे।
- गंगा सिंह देव एक सक्षम प्रशासक और नान्यदेव के पुत्र थे।
- नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर अधिकार था।
- हरिसिंहदेव कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे।
- वह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे।
- उनके दरबार में 'वर्ण रत्नाकर' के लेखक ज्योतिरीश्वर राजपुरोहित थे।
- कर्नाट शासकों के काल को मिथिला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है।
- पणजी व्यवस्था और पणजी प्रबंध की स्थापना हरिसिंहदेव ने की थी।

- गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर आक्रमण किया तब हरिसिंहदेव नेपाल भाग गए।
- इसके बाद कर्नाट राजवंश पर ओइनवार वंश ने अधिकार कर लिया।
- ओइनवार वंश ने 1353 से 1526 ईस्वी तक उत्तर बिहार (मिथिला) में शासन किया।

2.3 बिहार में तुर्की आक्रमण

- बिहार पर मुहम्मद गौरी ने हमला किया था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय सहित बहुत सारे बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया तथा कई निर्दोष लोगों को मार डाला।
- तुर्की आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ तथा बिहार को एक अलग प्रांत बना दिल्ली से शासन करने वाले शासकों के अधीन शामिल कर लिया गया।

बख्तियार खिलजी

वह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापतियों में से एक था।

- उसने सेन सेनाओं द्वारा निर्मित मठों को नष्ट कर दिया, इस दौरान कई विहार तथा नालंदा व विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया गया।
- उसने ओदंतपुरी शहर के विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया।
- वह बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था।
- बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी।
- बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट नरेश नरसिंह देव के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया।
- बंगाल और असम क्षेत्र पर भी उसके द्वारा आक्रमण किया गया था।
- यहीं उसकी मृत्यु हुई तथा उसकी समाधि बिहारशरीफ में है।
- सदरुद्दीन हसन निजामी ने 1192-1228 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण के संबंध में 'ताज-उल-मासिर' में वर्णन किया है।

2.4 गुलाम वंश के समय बिहार

- अली मर्दन के बाद लखनौती में हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने स्वतंत्र शासन स्थापित किया। वह तिरहुत शासकों से कर प्राप्त करने में सक्षम रहा था।

- कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़घाँटी) पर आक्रमण किया तथा बाद में लखनौती चला गया।
- इवाज सेना राजमहल पहाड़ियों के पास लड़ी लेकिन उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा।
- इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि (सूबेदार) बनाया लेकिन बाद में इवाज ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया।
- इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद ने बदले में इवाज पर हमला किया तथा उसे मार डाला।
- उसने बिहार, अवध और लखनौती को अपने पक्ष में शामिल कर 1229 ई. तक शासन किया।
- **नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद**, मलिक इख्तियार उद-दीन-बलका (बलख खिलजी) ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए इल्तुतमिश ने बलख को हराकर बिहार को बंगाल से अलग कर दिया।
- इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगन खान बिहार का गवर्नर बना।
- **1236 ई.** में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का बिहार पर नियंत्रण कमजोर हो गया।
- बलबन ने लखनौती शासक तुगरिल खान को हराकर मार डाला तथा बुगरा खान को वहाँ का शासक बनाया।
- मनेर, बिहारशरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संधाल परगना, नालंदा, लखीसराय और विक्रमशिला गुलाम वंश के अधीन थे।
- तिरहुत क्षेत्र में, कर्नाट शासक स्वतंत्र थे, हालाँकि उन्हें दिल्ली को कर देना पड़ता था।
- लखनौती राजा नसीरुद्दीन ने आत्मसमर्पण कर दिया था जबकि सोनारगाँव के राजा गयासुद्दीन बहादुर ने सुल्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन बहादुर की सेना को हरा दिया।
- उन्होंने मिथिला राजा हरिसिंहदेव (कर्नाट वंश) को भी हराया था।
- तिरहुत से तुगलक के सिक्के मिले हैं।
- मुहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा को तुगलकपुर कहा जाता था।
- उस समय यहाँ एक किला और जामा मस्जिद भी बनाई गई थी। हालाँकि, मुहम्मद बिन तुगलक के समय भी विद्रोह हुआ था।
- फिरोजशाह तुगलक का फारसी शिलालेख बिहारशरीफ से मिला है जो उस समय बिहार की राजधानी थी।
- पटना और गया से कुछ शिलालेख और सिक्के मिले हैं।
- मलिक इब्राहिम बया (मलिक बया) का मकबरा बिहारशरीफ (पीर पहाड़ी पर) में स्थित है।
- सूफी साहित्य में सूफी संत शरफुद्दीन याहया मनेरी द्वारा लिखित मालफुजत और हजरत मखदूम शाह फिरदौस द्वारा लिखित मनाकिबुल-असफिया में बिहार में तुगलक वंश के शासन के बारे में वर्णन है।

2.5 खिलजी वंश के दौरान बिहार

- **1296 ईस्वी में**, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के रूप में जमीन पर उत्पादित फसल का आधा हिस्सा मांग लिया।
- शेख मोहम्मद इस्माइल को अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा भेजा लेकिन राजा सकरा सिंह ने उसे हरा दिया।
- **1301 ई.** में शमसुद्दीन फिरोजशाह ने खुद को बंगाल का शासक घोषित किया तथा अपने बेटे फिरोजशाह को बिहार का गवर्नर (1309 -1321) घोषित किया।
- खिलजी वंश के कुछ सिक्के भोजपुर और लखीसराय से मिले हैं।

2.6 बिहार और तुगलक वंश

- **गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ई.** में बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया।

2.7 चैरो राजवंश

- उन्होंने भोजपुर, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित किया।
- उन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया।
- **जगदीशपुर मेले की शुरुआत इसी समय फूलचंद ने की थी।**
- 1587 से 1607 ई. के बीच भोजपुर के चैरों का मुखिया कुकुमचंद झरप था।
- उज्जैनी और चैरो ने 1611 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसे उज्जैनियों ने जीता था।
- मेदिनी राय चैरो वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था।
- मेदिनी राय का राज्यक्षेत्र गया, दाऊदनगर, अरवाल तथा रामगढ़ तक विस्तृत था।
- मेदिनी राय की मृत्यु 1634 ई. के अंत में हुई।
- उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र राजा प्रताप राय था।
- उसके शासन के दौरान तीन मुगल आक्रमण हुए।
- अंत में चैरो को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।

2.8 भोजपुर का उज्जैन राजवंश

- **उज्जैन एक राजपूत वंश है** जो बिहार राज्य में निवास करता है।
- बिहार में बसने के बाद उन्हें उज्जैनिया के नाम से जाना जाने लगा।
- **उज्जैनिया अंततः** बिहार में भोजपुर क्षेत्र के शासक बने।
- भोजपुर की स्थापना भोजराज के पुत्र देवराज ने चेरों के साहसबल को खत्म कर की थी।
- देवराज को भोजपुर में संतान सिंह कहा जाता था।
- उज्जैनियों और चेरों के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं।
- उज्जैनिया के शासक 'गजपत' ने शेर शाह सूरी के साथ गठबंधन किया तथा बंगाल सल्तनत को एक साथ मिलकर हराया।
- उज्जैनिया बक्सर, जगदीशपुर और डुमरांव में शक्तिशाली थे।

2.9 बिहार और नूहानी राजवंश

- सिकंदर लोधी के समय राजनीतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नूहानी वंश का उदय हुआ।
- **जैसे ही सिकंदर लोधी सत्ता में आया**, जौनपुर के गवर्नर बिहार भाग गए।
- तिरहुत और सारण के जमींदार केन्द्रीय शासन के विरुद्ध थे। इन सभी ने सिकंदर लोधी को बिहार पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।
- सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को हराया और दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जो 1523 में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रशासक बना रहा।
- उनके पुत्र बहार खान नूहानी अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रशासक बना।
- **बहार खान नूहानी 1523 ई. में गद्दी पर बैठा।**
- उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की।
- इब्राहिम लोदी ने उस पर आक्रमण किया। दिल्ली की सेना शुरुआत में जीत गई लेकिन बाद में उसे हार का सामना करना पड़ा।
- इस हार के कारण मोहम्मद साम्राज्य का बिहार से कन्नौज तक विस्तार हुआ।
- सुल्तान मोहम्मद ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित होने के बाद बाबर की सत्ता स्वीकार कर ली।

- सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खान गद्दी पर बैठा। शेर शाह सूरी को उनके सलाहकार और रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- नूहानी शासकों के पतन के बाद, शेर शाह शक्तिशाली अफगान शासक के रूप में उभरा।

शेर शाह सूरी

- शेर शाह सूरी एक अफगान था और उसका असली नाम फरीद खान था।
- अफगान शासक सुल्तान मुहम्मद ने उसे शेर खान की उपाधि दी।
- इसने बिहार के सासाराम में अपनी राजधानी के साथ सूरी साम्राज्य की स्थापना की।
- 1534 में, शेर शाह और महमूद शाह के बीच सूरजगढ़ की लड़ाई हुई, जिसमें शेर शाह ने जीत हासिल की।
- 1539 में, हुमायूँ और शेरशाह के बीच **चौसा की लड़ाई** हुई।
- उसने 1540 में कन्नौज में हुमायूँ को फिर से हराया तथा उसे भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया।
- उसने इस जीत के बाद **शेरशाह सुल्तान-ए-आदिल** की उपाधि धारण की।
- शेरशाह ने 1541 ई. में पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया।
- शेरशाह ने चांदी के सिक्के जारी किए।
- कई भूमि और राजस्व सुधार तथा ग्रेंड ट्रंक रोड का चटगांव से काबुल तक विस्तार किया।
- **शेरशाह केवल पांच वर्ष (1540-1545) तक गद्दी पर रहा।**
- उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान और बुंदेलखंड तक किया।
- शेरशाह का साम्राज्य असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ था।
- **13 मई, 1545** को कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान शेरशाह मारा गया। शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है।
- **सूर वंश के पतन के बाद**, बिहार के क्षेत्र पर ताज खान करनी का शासन शुरू हुआ।
- उसने बिहारशरीफ को अपनी राजधानी बनाया।
- **सुलेमान करनी (1565-1572)** और दाऊद खान करनी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे।

- सुलेमान करानी ने मुगल बादशाह अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया लेकिन उसके पुत्र दाउद ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर ने हाजीपुर आकर हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया तथा 1576 ईस्वी में राजमहल की लड़ाई में दाउद को हरा दिया जिसके बाद बिहार में मुगल शासन मजबूती से स्थापित हो गया।

2.10 मुगल वंश के दौरान बिहार

- मुगलों ने बिहार को हड़प लिया और इसे पटना में अपनी मजबूत स्थिति के साथ इसे एक सूबे में बदल दिया।
- मुगलों द्वारा बिहार को हड़पने का संघर्ष 1527 ई. में बाबर और सुल्तान मोहम्मद के मध्य घाघरा की लड़ाई से शुरू हुआ।
- 1532 ई. में नूहानी राजवंश का अंत हो गया जब मुगल बादशाह हुमायूँ ने दोहा सराय में अफगानों को हराया। उसने 1531 ई. में चुनार के किले पर आक्रमण किया।

2.10.1 अकबर और बिहार

- 1574 में, मुगलों ने पटना को दाउद खान से छीन लिया, जो अफगान प्रमुख सुलेमान खान का पुत्र था।
- 1575 में तुकारोई की लड़ाई के बाद, दाऊद खान को पकड़ लिया गया और मार डाला गया।
- अकबर ने 1576 में बिहार को अपने साम्राज्य का एक अलग सूबा बनाया।
- मुनीम खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया।
- 17 मार्च, 1587 को राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया।
- उसने भोजपुर, गिद्धौर तथा खड़गपुर को पराजित कर रोहतास को अपनी राजधानी बनाया।
- उसने सासाराम में रोहतासगढ़ किले में किलेबंदी का जीर्णोद्धार कराया।
- 1577 ई. में अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का प्रशासक बनाया।
- महेश ठाकुर ने मधुबनी के राजनगर को अपनी राजधानी बनाया।
- आसिफ खान अकबर के शासन काल में बिहार का अंतिम राज्यपाल था।

2.10.2 जहांगीर और बिहार

- जहांगीर के शासनकाल में बिहार के राज्यपाल के रूप में लाला बेग ने आसिफ खान की जगह ली, जिसे बेग बहादुर के नाम से जाना जाता है।

- 1621 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को बिहार का राज्यपाल घोषित किया।
- वह बिहार का राज्यपाल बनने वाला पहले मुगल राजकुमार था।
- शहजादा खुर्रम (शाहजहाँ) ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तथा परवेज से पटना, रोहतास आदि को हड़प लिया।
- लेकिन बाद में शाहजहाँ को पराजित कर बिहार से बाहर कर दिया गया।
- बाज बहादुर (जहांगीर कुली खान) को बिहार का सूबेदार बनाया गया।
- उसने तत्काल कार्रवाई की और विद्रोहियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया।
- जहांगीर के शासनकाल में मिर्जा रुस्तम सफरी बिहार के अंतिम राज्यपाल था।

2.10.3 शाहजहाँ और बिहार

- खान-ए-आलम को शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
- उनकी जगह मिर्जा सफी को लिया गया, जिन्हें सैफ खान के नाम से भी जाना जाता है।
- सैफ खान ने पटना में शाही ईदगाह बनवाई।
- बिहार के अगले राज्यपाल शाइस्ता खान (1639 ई.-1643 ई.) थे।
- 1651 ई. में जफर खान को राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- उन्होंने पटना में बाग-ए-जफर खान तथा डंडी बाजार मस्जिद का निर्माण किया।
- जाफर खान के बाद जुल्फिकार खान और उसके बाद अलीवर्दी खान सफल हुए।

2.10.4 औरंगजेब और बिहार

- औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पहला राज्यपाल दाउद खान कुरैशी था।
- दाऊद खान ने गया जिले के दाउदनगर शहर की स्थापना की।
- उसने पलामू के चेरों को हराया एवं साम्राज्य को छोटा नागपुर तक बढ़ाया।
- दाऊद खान के बाद जन निसार खान को लश्कर खान के नाम से भी जाना जाता है।
- वह इब्राहिम खान के बाद उत्तराधिकारी बना।

- उसके शासनकाल में पटना में भयंकर अकाल पड़ा।
- **औरंगजेब ने 1702 ई. में अपने पोते शहजादे अजीम, जो अजीमुशान के नाम से जाने जाते थे, को बिहार का सूबेदार बनाया था।**
- उसने 1704 ई. में पटना का पुनर्निर्माण किया तथा इसे अजीमाबाद कहा।

2.10.5 मुगलोत्तर और बिहार

- बहादुर शाह प्रथम (शाह आलम प्रथम) ने राजकुमार अजीमुशान को बिहार का प्रशासक तथा फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब बनाया।
- **अजीमुशान के बाद, बिहार में मुगल नियंत्रण कमजोर हो गया।**
- **फर्रुखसियर पहला मुगल था जिसे 1713 में पटना में ताज पहनाया गया था।**
- वह पटना में शपथ लेने वाला पहला मुगल शासक बना।
- मुहम्मद शाह ने फकर-उद-दौला को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। वह बिहार के अंतिम मुगल गवर्नर थे तथा 1733 में बंगाल के नवाब द्वारा पदच्युत कर दिए गए थे।
- बिहार के सूबेदार के काल में पटना में फकरा-उद-दौला 'न्यायालय' का निर्माण हुआ।

2.11 बिहार और बंगाल के नवाब

- 1733 तक, बंगाल के नवाबों ने बिहार में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
- अलीवर्दी खान को नायब नाजिम या उप नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वह वर्ष 1756 तक नवाब के रूप में रहा। इस अवधि में मुगल शासन के कमजोर होने के कारण अफगानों के कई आक्रमण हुए।
- अलीवर्दी खान ने पटना तथा रानीसराय की लड़ाई में विद्रोहों और आक्रमणों को दबा दिया।
- अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बिहार और बंगाल का नवाब बना।
- बंगाल के नवाबों ने इस क्षेत्र में व्यापार को पनपने दिया।
- **भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ सबसे बड़े मेलों, जैसे सोनपुर मेला, जो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला है, को जारी रखने**

और यहां तक कि फलने-फूलने की अनुमति दी गई, जिसमें दूर-दूर के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया।

- सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में मुंगेर तथा भागलपुर में 1743 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजी राव के आक्रमण के साथ मराठों का आगमन हुआ।

2.12 मध्यकालीन बिहार में धर्म

2.12.1 बिहार में सिख धर्म

- मध्ययुगीन काल के बाद के हिस्से में सिख धर्म बिहार में फैल गया।
- **गुरु नानक देव 1509 में पटना आए, 1509 ईस्वी में गायघाट, पटना के पास भगत जैतमल के घर रुके और बाद में गुरु तेग बहादुर अपने परिवार सहित 1666 ईस्वी में आए।**
- **सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब, पटना में हुआ था।**
- वह एक आध्यात्मिक नेता, कवि और योद्धा थे। उन्होंने मुगल सेना से लड़ने के लिये खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की।
- उन्हें करतारपुर पोथी को गुरु ग्रंथ साहिब में अंतिम रूप देने का श्रेय भी दिया जाता है।
- **तख्त श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के पाँच तख्तों में से एक है।**

2.12.2 बिहार में सूफीवाद

- बिहार में सूफीवाद वजुदिया सिलसिले से संबंधित था।
- बिहारशरीफ और सारण चिश्ती सूफीवाद की गतिविधियों के उल्लेखनीय केंद्र थे।
- शूतसिया सम्प्रदाय के सबसे महान सूफियों में से एक वैशाली के निकट बनिया बसाढ़ का अबुल फ़ैज काजीन ओला था।
- इमाम ताज फकीह, चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी बिहार में लोकप्रिय सूफीवाद के विभिन्न संप्रदाय थे।
- **मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहजा मनेरी सबसे प्रमुख सूफी संत थे जिनका जन्म पटना के मनेर गांव में जुलाई, 1264 ई. में हुआ था।**
- 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अरबी, फारसी तर्क, दर्शन व धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनेर छोड़ दिया।
- उन्हें फिरदौसी की उपाधि शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी ने दी थी।

- उन्होंने मकतूबत-ए-सादी, मकतूबती-बिस्ट-ओ-हशत एवं फवाद-ए-रुक्नी लिखीं।
- उनकी कब्र नालंदा के बिहारशरीफ में बड़ी दरगाह में स्थित है।
- हिंदू धर्म के एक संप्रदाय शैवों ने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की।
- मिथिला वासी शक्ति के उपासक थे।

2.13 मध्ययुगीन काल में बिहार की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति

2.13.1 आर्थिक स्थिति

- चावल, कपास, गेहूँ, दालें, तम्बाकू तथा अफीम की खेती आजीविका के प्रमुख स्रोत थे।
- इस अवधि में छोटे पैमाने पर रेशम, चीनी, चमड़ा एवं कपड़ा उद्योग का उदय हुआ।

2.13.2 धार्मिक स्थिति

- हिन्दू धर्म प्रमुख धर्म था। गया में विष्णुपद मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। इसे 1783 ईस्वी में अहिल्या बाई होल्कर ने बनवाया था।

2.13.3 सामाजिक स्थिति

- सामंतों एवं मध्यम वर्ग की तुलना में आम लोगों की स्थिति दयनीय थी।
- समाज के मनोबल गिराने वाली संस्थाओं में से एक गुलामी थी और यह उस समय अस्तित्व में थी।

बिहार के मध्यकालीन राजवंश



- अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु के साथ बिहार में मुगल शासन समाप्त हो गया। मुगल शासन के दौरान, पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। यह अपने सूती वस्त्रों, रेशम उद्योग, नील एवं नमक के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश तथा अंग्रेजी जैसे कई यूरोपीय देश पटना की समृद्धि से आकर्षित हुए और इस प्रकार व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए बिहार में प्रवेश किया।

3.1 बिहार में यूरोपीय

3.1.1 बिहार में पुर्तगाली

- 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे।
- उन्होंने बंगाल में हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया लेकिन जलवाहकों व सड़कों के माध्यम से व्यापार के लिए प्रायः पटना जाते थे।
- बिहार में पुर्तगालियों द्वारा खरीदी जाने वाली मुख्य वस्तुएँ कालीन, अंबरती, खस्सा एवं पतले कपड़े थे।
- वे अपने साथ मसाले व चीनी मिट्टी लाते थे तथा सूती वस्त्रों के बदले व्यापार के लिए उनका उपयोग करते थे।

3.1.2 बिहार में डच

- 1632 में डच कंपनी ने वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में अपना कारखाना स्थापित किया।
- डच सूती वस्त्र, शोरा, अफीम और खाद्यान्न में रुचि रखते थे।
- 1662 में, मुगल सम्राट औरंगजेब ने बिहार, बंगाल एवं ओडिशा में व्यापार करने के लिए डचों को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए।
- 1665 में एक डच यात्री टैवर्नियर पटना आया तथा बाद में उसने छपरा की यात्रा की।
- साल्टपीटर के व्यापारिक अधिकारों को लेकर फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच कंपनियों के मध्य विवाद था।
- नवंबर 1759 में, बेदारा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को हराया।

- 10 जुलाई, 1781 को ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना में डचों के गोदाम को अधिकृत कर लिया।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छपरा तथा सिंधिया के डच कारखानों को हड़प लिया।
- 1784 में पटना का गोदाम वापस डचों को लौटा दिया गया।

3.1.3 बिहार में फ्रेंच

- फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी।
- वे लगातार डच कंपनियों के साथ संघर्ष कर रहे थे क्योंकि दोनों शोरा चाहते थे।
- 1734 में, उन्होंने पटना में एक व्यापारिक केंद्र व गोदाम स्थापित किया।
- अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच व्यापार को लेकर तनाव था जिसके कारण 1757 में अंग्रेजों ने चंदन नगर पर अधिकार कर लिया।
- प्लासी की लड़ाई के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय के बिहार के जनरल को पटना से निष्कासित कर दिया और फ्रांसीसियों के सभी गोदामों पर अधिकार कर लिया।

3.1.4 बिहार में डेनिश

- डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग-अलग कंपनियों को संदर्भित करती है जो पहली बार 1616 से 1650 के मध्य संचालित हुई थी तथा दूसरी कंपनी 1670 से 1729 के मध्य अस्तित्व में थी।
- डेनिश एशियाटिक कंपनी की स्थापना 1730 में हुई थी।
- इस कंपनी ने भारत व बिहार में डेनिश व्यापार को पुनर्जीवित किया।
- उन्होंने 1774 में नेपाली कोठी (पटना) में शोरा बनाने के लिए एक कारखाना बनाया।
- डेनमार्क ने आखिरकार 1845 में भारत की अपनी शेष बस्तियों को बेच दिया।

3.1.5 बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में शोरा के व्यापार के लिए पटना के आलमगंज में अपना कारखाना स्थापित किया। हालांकि कारखाने को 1621 में बंद कर दिया गया था।
- 1651 में, कंपनी ने गुलजार बाग में एक कारखाना स्थापित किया।
- शोरा का उत्पादन बिहार में मुख्य रूप से पटना के पड़ोस में होता था, जहाँ यह बहुतायत में उपलब्ध था।
- अंग्रेज बिहार में किसी भी यूरोपीय शक्ति से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे।
- उन्होंने बिहार के उन क्षेत्रों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया जो अफीम के उत्पादन के लिए लोकप्रिय थे।
- केलिको कपड़े के व्यापार के लिए पटना महत्वपूर्ण था।
- 1680 में, बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने ब्रिटिश कंपनियों के व्यापार पर 3.5% कर लगाया।
- अजीमुशान को 1697 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अजीमुशान ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में व्यापार करने की अनुमति दी, जिसके बाद 1703 में अंग्रेजी फैक्ट्री को फिर से स्थापित किया गया।
- 1713 में, फर्रुखसियर के शासन के दौरान, पटना कारखाने को बंद कर दिया गया था, लेकिन 1717 में इसने फिर से अंग्रेजों को बिहार तथा बंगाल में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। 1718 में पटना का कारखाना फिर से खोल दिया गया।
- 1733 में, अलीवर्दी खान को बिहार के नायब नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया था।
- 1740 में, अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार डाला तथा बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया।
- उन्होंने बादशाह मोहम्मद शाह से एक बड़ी रकम देकर पुष्टि प्राप्त की। 1750 में नवाब अलीवर्दी खां के दबाव में पटना का कारखाना बंद कर दिया गया।

3.2 प्लासी का युद्ध

- 1756 ई. में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब था। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद, वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष में आ गया।
- रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद-दौला के कमांडर-इन-चीफ मीर जाफर के साथ मिलकर एक साजिश रची और 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब को हरा दिया।
- प्लासी के युद्ध के बाद लार्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया।

- 1756 में, अंग्रेजों ने बिहार में पटना में कई कारखाने स्थापित किए और 1758 में शोरा के लिए अपना एकमात्र व्यापारिक अधिकार स्थापित किया।
- 1760 में, अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया।
- मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद (बंगाल में) से मुंगेर (बिहार में) स्थानांतरित कर दी। जल्द ही अंग्रेजों तथा नवाब के मध्य मतभेद पैदा हो गए।
- 2 सितंबर, 1763 को उदावाला के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया।
- अंग्रेजों ने पटना के मारुफगंज व कर्नलगंज क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।

3.3 बक्सर का युद्ध

- बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर, 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम (बंगाल के नवाब) और शुजा-उद-दौला, (अवध के नवाब) के नेतृत्व में मुगलों की संयुक्त सेना के मध्य लड़ी गई थी।
- भारतीयों की हार हुई।
- लॉर्ड क्लाइव के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 अगस्त, 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ तथा 16 अगस्त, 1765 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की दो अलग-अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए।
- कंपनी को बंगाल एवं बिहार के अधिकार दिए गए थे।
- उन्हें बंगाल प्रांत और अवध के कुछ हिस्सों के राजस्व के संग्रह व प्रबंधन का अधिकार मिला, जिसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा शामिल था।
- ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को प्रशासित करने के लिए उप राज्यपाल का पद सृजित किया।
- रॉबर्ट क्लाइव ने शिताब राय को बिहार का नायब (उप) दीवान नियुक्त किया।
- बिहार के सामान्य प्रशासन को परिषद के प्रभार में छोड़ दिया गया था।
- 1770 में, 'पटना की राजस्व परिषद' का गठन किया गया था, इसे बाद में 1781 में 'बिहार के राजस्व प्रमुख' नामक पद से बदल दिया गया।

1783 में, जब बिहार में अकाल पड़ा, तो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने पटना में गोलघर के गुंबद के आकार के विशाल अन्न भंडार के निर्माण का आदेश दिया।

इसे **जॉन गारस्टिन** ने डिजाइन किया था। अकाल से निपटने के लिए इसका निर्माण 28 जुलाई, 1786 को पूरा किया गया था।

3.4 1857 का विद्रोह

3.4.1 बिहार में विद्रोह का प्रसार

- **बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून, 1857** को देवघर जिले के रोहिणी गाँव से सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। वहाँ विद्रोही सैनिकों ने 30वीं रेजीमेंट के मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। तीन दोषी सैनिकों को मार दिया गया और इस प्रकार विद्रोह अपने प्रारंभिक चरण में विफल हो गया।
- पटना शहर में वारिस अली सहित अधिकांश क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी पीर अली सहित अन्य क्रांतिकारियों के हौसले को तोड़ने में विफल रही और 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में, दो सौ सशस्त्र क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल फूँकते हुए चौक तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
- प्रारंभ में विद्रोहियों को भी सफलता मिली व मेजर लॉयल मारा गया। लेकिन कमिश्नर टेलर विद्रोह को कठोरता से दबाने में सफल रहे।
- **उन पर बहाउल्लाह के साथ सहयोग करने**, मुहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और बैजुल हक को बंदी बनाने का झूठा आरोप लगाया गया। पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को मार डाला गया तथा इसके साथ ही विद्रोह समाप्त हो गया।
- 25 जुलाई को दानापुर रेजीमेंट की तीन टुकड़ियों ने पीर अली को फाँसी की सजा की खबर से क्रोधित होकर स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। लेकिन विद्रोही सैनिक अपनी सीमा से अवगत थे, इसलिए उन्होंने जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह को अपना नेता चुना, जो विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम थे।
- विद्रोह मध्य बिहार से उत्तर बिहार पहुँचा। उसी दिन उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट विद्रोही सैनिकों द्वारा मेजर होम्स व अन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई।

3.4.1.1 उत्तर और मध्य बिहार में विद्रोह का फैलाव

- 25 जुलाई को दानापुर छावनी में तीन रेजीमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। विद्रोह की प्रकृति में बदलाव आया और सामंती-सैन्य तत्व आपस में मिल गए।
- 30 जुलाई को सरकार ने पटना संभाग में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। इस बीच, विद्रोही गया पहुँचे तथा 400 कैदियों को मुक्त कर दिया और अंग्रेजी समर्थक टिकारी राज पर भी हमला किया।

- अगस्त में भागलपुर में भी विद्रोह हुआ।
- विप्लव शाही एवं पीताम्बर शाही के नेतृत्व में पलामू में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही सैनिकों ने रोहतास-सासाराम क्षेत्र के विद्रोही जमींदारों के साथ मिलकर विद्रोह को भड़काने का प्रयास किया। लेकिन शीघ्र ही इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया।
- मध्य बिहार में **कुंवर सिंह** जबकि दक्षिण बिहार में **ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पाण्डेय गणपत राय** विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे।
- हजारीबाग एवं रामगढ़ के सैनिकों द्वारा छोटानागपुर क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गया। यह 30 जुलाई 1857 को **साधो सिंह** के नेतृत्व में हुआ तथा रांची इसका मुख्य केंद्र बन गया। अधिकांश जमींदारों के ब्रिटिश समर्थक रवैये के कारण विद्रोहियों को जनता का समर्थन नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप, कैप्टन मिडलटन के नेतृत्व में विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया।
- 1858 में ब्रिटिश सैनिकों को हराने में सफल रहे। **अंततः** कैप्टन डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद से विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की।
- बिहार में 1857 का विद्रोह किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने लगभग पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन, कुंवर सिंह के नेतृत्व वाले विद्रोह को छोड़कर, विद्रोही लंबे समय तक औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने में सक्षम नहीं थे। उसे शीघ्र ही दबा दिया गया। फिर भी, इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें भारत के एक बड़े हिस्से के लोगों ने एक आम दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए एकता दिखाई।

3.4.2 कुंवर सिंह की भूमिका

बिहार के संदर्भ में **1857 के विद्रोह** की चर्चा न तो कुंवर सिंह के बिना शुरू हो सकती है और न ही समाप्त हो सकती है। यह **‘अस्सी साल का बूढ़ा आदमी’** बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रतीक बन गया। इसलिए कुंवर सिंह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो हैं **‘जॉन ऑफ आर्क’** और **‘रानी लक्ष्मीबाई’**, जिनकी तरह कुंवर सिंह भी जीते जी महापुरुष बन गए। उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी तथा वे अद्भुत युद्ध कौशल से सुसज्जित थे। साहस, वीरता व शक्ति में उनका कोई सानी नहीं था। वे जगदीशपुर के जमींदार परिवार से अवश्य आते थे, लेकिन उनमें जमींदार की मानसिकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने न केवल बिहार में 1857 के विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि अपने से अलग व्यवहार करते हुए बिहार में सैनिकों तथा जमींदारों को भी नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने विद्रोहियों के पारंपरिक समर्थन से बने गठबंधन का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोहियों के साथ संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास किया।

3.4.2.1 कुंवर सिंह की गतिविधियां

आरा में स्वतंत्र सरकार का गठन: पटना के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा मोहम्मद हुसैन व मौलवी अहमदुल्ला के साथ किए गए कपट पूर्ण व्यवहार से सबक लेते हुए कुंवर सिंह ने टेलर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। 25 जुलाई, 1857 को जब दानापुर की तीन रेजीमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर शाहाबाद में प्रवेश किया तो उन्होंने चार हजार सैनिकों की सहायता से औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया। जल्द ही सैनिकों की संख्या बढ़कर 10,000 हो गई तथा उनकी मदद से कुंवर सिंह ने आरा शहर पर अधिकार कर लिया और सरकारी खजाने पर अधिकार कर लिया। साथ ही वहां स्वतंत्र सरकार बनाने की घोषणा करते हुए उन्होंने स्वयं उस सरकार का नेतृत्व किया। यह विद्रोह इस मायने में अनूठा है कि विद्रोहियों ने अनुशासन बनाए रखते हुए यूरोपीय लोगों को मारने से परहेज किया।

विक-युद्ध कला के माध्यम से अंग्रेजों को परेशान करना: कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किले की घेराबंदी कर दी, इसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 29-30 जुलाई को कप्तान डनवर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सोन नदी को पार करके यह सेना आरा के वन क्षेत्रों में प्रवेश कर गई, लेकिन कुंवर सिंह ने अपनी विक-युद्ध कला से डनवर के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर दिया। वुड-आर्ट्स गुरिल्ला युद्ध का दूसरा नाम है। इसमें दुश्मन को देखते ही सेना पीछे हट जाती है और गायब हो जाती है तथा मौका मिलते ही उसकी लापरवाही का फायदा उठाते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंवर सिंह एवं तात्या टोपे दोनों ने उस कला में इस रणनीति में महारत प्राप्त की थी। इस रणनीति के तहत उन्होंने किले को घेर लिया तथा सैनिकों को जंगल में छिपा दिया और जैसे ही उन्हें डनवर के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों के जंगल में प्रवेश करने की सूचना मिली, जंगल में छिपे भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। परिणामस्वरूप, सिखों द्वारा समर्थित तथा कैप्टन डनवर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 50 अंग्रेज सैनिक ही किसी तरह अपनी जान बचा सके। परिणामस्वरूप, मेजर विसेंट आयर की सेना, जो इलाहाबाद की ओर बढ़ रही थी, को आरा पर आक्रमण करना पड़ा। इस युद्ध में तोपों ने बड़ा परिवर्तन किया। परिणामस्वरूप, कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर होने लगी तथा छापामार युद्ध का सहारा लेने के बावजूद जगदीशपुर, आरा के साथ, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। दुश्मन की बढ़ती ताकत को देखकर कुंवर सिंह ने एक रात विद्रोही सैनिकों के साथ जगदीशपुर छोड़ दिया और 14 अगस्त को आयर ने किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन, मेजर आयर की यह सफलता न तो विद्रोहियों के उत्साह को सीमित कर सकी तथा न ही कुंवर सिंह तमाम कोशिशों के बावजूद मेजर आयर के हाथ लग सके। कुंवर सिंह अब धावा बोलकर अंग्रेजों को

परेशान करने लगे। सोन नदी के तट पर पश्चिम बिहार के जंगलों में अपना स्थाई डेरा जमाकर कुंवर सिंह ने छापामार हमलों से अंग्रेजों को परास्त किया। प्रभावी गुप्तचर प्रणाली के कारण यह स्थिति छह महीने तक बनी रही और इस दौरान उसने सैन्य संगठन को यथासंभव मजबूत बनाने का भी प्रयास किया। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने लंबे समय तक कैमूर की पहाड़ियों में किलेबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, जबकि कुंवर सिंह खुद सासाराम से रोहतास पहुंचे तथा रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया और मिर्जापुर और रीवा होते हुए बांदा पहुंचे। कार्ल मार्क्स ने भी 'दास कैपिटल' में अमर सिंह तथा उनकी युद्ध-पद्धति की प्रशंसा की है।

पूर्वी अवध प्रदेश की ओर कुंवर सिंह का कदम: कुंवर सिंह को जैसे ही पूर्वी अवध में ब्रिटिश सेना की शिथिल पकड़ के बारे में खुफिया जानकारी मिली, उन्होंने आरा तथा जगदीशपुर का बदला लेने के लिए आजमगढ़, बनारस और इलाहाबाद पर हमला करने की योजना बनाई। बांदा में ही उन्होंने तात्या टोपे से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। फिर लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंचे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर विद्रोह में भाग लिया। 29 नवम्बर, 1857 को कानपुर पर अधिकार करने के बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े। मार्च 1858 में बेतवा के क्रांतिकारियों की सहायता से उन्होंने कैप्टन मिल्डन की सेना को पराजित कर कोसिला तक खदेड़ दिया। अब उसने आजमगढ़ की ओर रुख किया तथा अली करीम और उसके 300 सैनिकों की सहायता से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया।

आजमगढ़ से जगदीशपुर वापसी: अनुज अमर सिंह को आजमगढ़ घेरने के लिए छोड़कर कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वाराणसी पर आक्रमण कर दिया। बनारस के बाहर उन्हें लॉर्ड मार्कर के नेतृत्व में तोपों से लैस ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ा। लखनऊ के क्रांतिकारियों ने भी इस समय कुंवर सिंह का साथ दिया। लेकिन, अंग्रेज अब तक सतर्क हो चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि कुंवर सिंह को न रोकने की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। लॉर्ड कैनिंग के निर्देशानुसार कुंवर सिंह पर अंग्रेजी सैनिकों का दबाव बढ़ने लगा। इलाहाबाद से लाई काके तथा लखनऊ से लुगार्ड कुंवर सिंह को घेरने के लिए आजमगढ़ की ओर बढ़े। दरअसल कुंवर सिंह रणनीति के तहत जगह-जगह अंग्रेजी सेना को उलझाकर जगदीशपुर की ओर बढ़ना चाहते थे। इस रणनीति में उन्हें सफलता भी मिली जब आजमगढ़ को मुक्त करने के लिए मार्कर आजमगढ़ की ओर और जनरल लुगार्ड तनु नदी की ओर बढ़े। अंग्रेज इस भ्रम में थे कि कुंवर सिंह आजमगढ़ जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन कुंवर सिंह ने तनु नदी के पुल पर एक छोटी सी टुकड़ी को छोड़ दिया, जिससे लुगार्ड काफी देर तक उलझा रहा, और वह खुद गाजीपुर की ओर बढ़ा। जब तक लुगार्ड को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी

थी। फिर भी जासूसों की सूचना के आधार पर लुगार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन लुगार्ड तथा अंग्रेजी सेना को कुंवर सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, जो इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। बहुत जल्द अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचने के लिए गंगा पार करने की कोशिश कर रहे थे।

डगलस द्वारा पीछा किया गया: कुंवर सिंह से युद्ध में पराजित होकर लुगार्ड के स्थान पर अब डगलस को कुंवर सिंह से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गाजीपुर की ओर बढ़ते हुए, कुंवर सिंह ने यह अफवाह फैला दी कि पीछा कर रहे डगलस व उसकी सेना को भ्रमित करने के लिए वह बलिया के पास अपनी सेना के साथ गंगा पार करेंगे। इधर डगलस बलिया में कुंवर सिंह एवं उनकी सेना की प्रतीक्षा कर रहा था तथा उधर बलिया से सात मील दूर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कुंवर सिंह की सेना नदी पार कर रही थी। डगलस उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा। 20 अप्रैल 1858 को डगलस ने एक बार फिर उन पर हमला किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालाँकि कुंवर सिंह गंगा नदी को पार करने में सफल हो गए, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गए। जहर को शरीर में फैलने से रोकने के लिए उन्हें अपना हाथ काटना पड़ा। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटने पर उन्हें घायल अवस्था में कैप्टन ले ग्रैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से युद्ध करना पड़ा। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना कितनी बुरी तरह पराजित हुई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि “300 सैनिकों में से केवल 20-30 सैनिक ही आरा लौट सके।” एक दिन बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई।

भूमिका का मूल्यांकन: यह स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हुए कुंवर सिंह ने बिखरे हुए सैनिकों को न केवल एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास किया, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध को भी संगठित कर उन्होंने बिहार के विद्रोह को क्षेत्रीय दायरे से बाहर फैलाने का प्रयास किया। कुंवर सिंह के नेतृत्व की सफलता इस बात में निहित है कि अंग्रेजों से कई बार पराजित होने के बावजूद उन्होंने कभी अंग्रेजों को अपने पास नहीं आने दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद अंग्रेज उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे तथा इस क्रम में उन्हें कुंवर सिंह के हाथों कई बार हार का मुंह देखना पड़ा।

शायद इतिहास में पहली बार, एक 75 वर्षीय कुंवर सिंह ने अपने पुराने हाथ में तलवार, युवा शक्ति के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ललकारा तथा जुलाई, 1857-अप्रैल, 1858 के मध्य केवल नौ महीनों में 15 भयंकर लड़ाईयां लड़ीं। 1857 के विद्रोही नेताओं में कुंवर सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं था, जो युद्ध कला में महारत प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। इतना ही नहीं, वह शिवाजी के बाद पहला भारतीय योद्धा था जो छापामार युद्ध

में निपुण था। अल्प साधनों, अल्प संगठन, अल्प सैन्य-कलाओं और धन के अभाव में भी उन्होंने जिस प्रकार अपने को सुरक्षित रखते हुए धनाढ्य अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये, वह काबिले तारीफ है। निस्संदेह कुंवर सिंह बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में अग्रणी रहे हैं।

आजादी के बाद लोकप्रिय संस्कृति में कुंवर सिंह

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए, भारत गणराज्य ने 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। बिहार सरकार ने 1992 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा की स्थापना की।

2017 में, वीर कुंवर सिंह सेतु, जिसे आरा-छपरा पुल के रूप में भी जाना जाता है, का उद्घाटन उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए किया गया था। 2018 में, कुंवर सिंह की मृत्यु की 160वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, बिहार सरकार ने उनकी एक मूर्ति को हार्डिंग पार्क में स्थानांतरित कर दिया। पार्क का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर ‘वीर कुंवर सिंह आजादी’ कर दिया गया।

3.4.3 बिहार में विद्रोह के परिणाम

- 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। हालाँकि, उन्होंने अपने प्रशासन में कुछ सुधार समाविष्ट किए।
- ऐसा ही एक सुधार बंगाल काशतकारी अधिनियम, 1885 था, जिसमें जमींदारों के विरुद्ध व्यापक असंतोष के कारण बिहार एवं बंगाल में काशतकारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था।

3.5 कांग्रेस और बिहार

- 28 दिसंबर, 1885 को एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए एक मजबूत संघ के रूप में उभरा।
- 1912 में आयोजित कांग्रेस का 28 वां अधिवेशन आर एन मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर (पटना) में हुआ।
- 1922 में 38 वां अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। चित्तरंजन दास ने परिषद प्रवेश के आधार पर गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया।
- सन् 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ, जिसमें पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ तथा चंपारण के नील बागान मालिकों के पक्ष में दो अन्य प्रस्ताव बिहार के राजकुमार शुक्ल द्वारा भेजे गए।

3.6 बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद

- बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक गतिविधियों का पता दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन (1899) तथा सरस्वती अकादमी (1901) की स्थापना से लगाया जा सकता है।
- अफाक खान इसके अध्यक्ष थे, सूर्यदेव नारायण शर्मा इसके संस्थापक थे और कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके सचिव थे।
- यह एसोसिएशन इस क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था और 1920 तक सक्रिय रहा।

3.7 बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

- 16 अक्टूबर, 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिला।
- युवा स्वदेशी आंदोलन के विचारों से प्रेरित थे।
- सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए।
- बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 में हुई थी।
- 1908 में सोनपुर में मेला नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (BPCC) का गठन किया गया था।
- समिति का पहला सत्र 1908 में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना में मिला।
- बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (BPCC) की पहली बैठक में, दिसंबर, 1908 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक सत्र के लिए छह प्रतिनिधियों का चयन किया गया था।
- हसन इमाम, बसंती चंद्र, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल होदा, परमेश्वरलाल और सच्चिदानंद सिन्हा।
- 'इंडियन मिरर' और बंगाली जैसे समाचार पत्रों ने उस समय बिहार में प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा की।

3.8 बिहार और होम रूल आंदोलन

- अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन अप्रैल, 1916 में हुआ था।
- दो होम रूल आंदोलन जिनमें से एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुए।
- 16 दिसंबर, 1916 को मजहर-उल-हक के अध्यक्ष के रूप में बांकीपुर (पटना) में एक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी।
- सरफराज हुसैन खान और पूर्णंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैजनाथ नारायण सिंह सचिव बने।

- होमरूल लीग आंदोलन की शुरुआत मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद और सारण में बजरंग सहाय तथा तारिणी प्रसाद सिंह ने की थी।

3.9 बिहार और चंपारण सत्याग्रह 1917

- यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह बिहार में यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था।
- यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से उच्च लगान और अवैध बकाया की मांग की ताकि वे किसानों को अन्य फसलों में स्थानांतरित करने से पहले अपने लाभ को अधिकतम कर सकें।
- इससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई।
- गरीबी और भुखमरी में भारी वृद्धि हुई क्योंकि किसान अच्छी फसल नहीं उगा सके।

3.9.1 चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल की भूमिका

- 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी।
- मुरली भित्तिहरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी को नील की खेती करने वालों की समस्याओं पर गौर करने के लिए आमंत्रित किया।
- इस अधिवेशन के बाद, राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी से चंपारण आने और नील बागान मालिकों के दुखों को देखने का आग्रह किया।

3.9.2 चंपारण में गांधीजी

- गांधीजी 10 अप्रैल, 1917 को चंपारण पहुंचे और अमोलवा गांव में संत राउत के घर ठहरे।
- गांधीजी ने 13 नवंबर, 1917 को बरहरवा लखन सेन गांव में पहले बेसिक स्कूल की स्थापना की।
- 11 अप्रैल, 1917 को गांधीजी किसानों की सहायता के लिए मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री से मिले।
- 15 अप्रैल, 1917 को जैसे ही आंदोलन ने गति पकड़ी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी जैसे कई नेता गांधीजी से जुड़ गए।
- किसानों की भागीदारी और अहिंसा की विचारधारा ने आंदोलन को ताकत दी।

3.9.3 आंदोलन के परिणाम

- 10 जून, 1917 को लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ट गेट ने मामले की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया।
- 4 मार्च, 1918 को तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, लगान कम कर दिए गए और समिति की सिफारिश के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया गया।
- चंपारण कृषि अधिनियम 1 मई, 1918 को समिति द्वारा पारित किया गया था।

3.10 बिहार और खिलाफत आंदोलन

- 1919 का खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य (तुर्की में) पर लगाए गए प्रतिकूल शर्तों के विरुद्ध था।
- यह आंदोलन भारत में अली भाइयों द्वारा शुरू किया गया था।
- मौलाना सज्जाद ने गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया।
- 16 फरवरी, 1919 को हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना में एक बैठक में मित्र देशों की शक्तियों द्वारा खलीफा के साथ उचित व्यवहार के पक्ष में जनमत बनाने का निर्णय लिया गया।
- 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।
- अप्रैल 1920 में मौलाना शौकत अली ने पटना का दौरा किया।
- पटना, दरभंगा, गया, बिहार शरीफ, छपरा, मुंगेर, भागलपुर आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे।
- 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया।
- 30 नवंबर, 1919 को इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मौलाना शाह रशीदुल हक की अध्यक्षता में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक जनसभा आयोजित की गई।
- खिलाफत सभाएं सासाराम, चंपारण, फतुहा, मुजफ्फरपुर, काको और सीतामढ़ी में भी आयोजित की गई।
- खिलाफत आंदोलन में बिहार से प्रमुख समर्थक राजेंद्र प्रसाद, मुहम्मद सफी, मौलाना नरुल हसन आदि थे।
- 19 मार्च, 1920 के दिन को दूसरे खिलाफत दिवस के लिए निर्धारित किया गया था और इसे 'राष्ट्रीय शोक' के दिन के रूप में मनाया गया।

3.10.1 रॉलेट सत्याग्रह

- बिहार सत्याग्रह सभा के सदस्यों ने फरवरी, 1919 में पटना के टाउन हॉल में रॉलेट बिल के खिलाफ बैठकें आयोजित कीं।
- रॉलेट बिल के विरोध में मुजफ्फरपुर, मंसूरगंज, मुंगेर, छपरा और गया में भी सभाएं की गईं।
- जुलूस निकाले गए, हड़तालों की गईं और प्रदर्शन भी किए गए।

3.11 असहयोग आंदोलन

- राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय बैठक में असहयोग पर जोर दिया। इस बैठक में धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया।
- 15 अगस्त, 1920 को एक हिजरत समिति का गठन किया गया।
- सरकार की नीतियों से नाराज कुछ मुसलमानों ने भारत से पलायन करने की सोची।

3.11.1 बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान की घटनाएँ

- मुंगेर और भागलपुर में फेरी तथा पौंड के बंदोबस्त के लिए नीलामी का बहिष्कार।
- पटना में सरकारी प्रेस में हड़ताल।
- राष्ट्रीय महाविद्यालय को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पटना-गया रोड पर प्रधानाचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद के साथ स्थापित किया गया था।
- गांधीजी ने दिसंबर, 1920 में बिहार का दौरा किया।
- 'तिलक स्मृति समिति' का गठन किया गया।
- तिलक की मृत्यु पर 'सर्च-लाइट' ने 'बिहार शोक में है' लेख प्रकाशित किया।
- मार्च-अप्रैल, 1921 में पुलिस हड़ताल हुई जो पटना, पूर्णिया, मुंगेर और चंपारण तक फैल गई।
- गांधीजी ने 5 जनवरी, 1921 को बिहार नेशनल कॉलेज और 6 फरवरी, 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया।
- मजहर-उल-हक ने 30 सितंबर, 1921 को हिंदू-मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए 'द मदरलैंड' अखबार शुरू किया।
- 22 दिसंबर, 1921 को ब्रिटिश राजकुमार ने बिहार का दौरा किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया।

- महेंद्र प्रसाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के भाई ने असहयोग आंदोलन के समय 'राय साहब' की उपाधि लौटा दी थी।

3.12 स्वराजवादी आंदोलन

- दिसंबर, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की।
- इस सत्र में कांग्रेस में दो गुट देखे गए, एक विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करने वाला और दूसरा इसका विरोध करने वाला जो गांधीवादी मार्ग पर चलने का इच्छुक था।
- 'प्रो-चेंजर्स' का नेतृत्व सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने किया था।
- 'नो-चेंजर्स' का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और एमए अंसारी ने किया था।
- मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था।
- फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया।

3.13 साइमन कमीशन

- साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष जॉन साइमन के नाम पर, 1928 में भारत आया।
- अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
- 12 दिसंबर, 1928 को आयोग पटना पहुंचा और 24 दिसंबर को यह रांची पहुंचा। दोनों जगहों पर इसका बहिष्कार किया गया।

3.14 बिहार और सविनय अवज्ञा आंदोलन

- डॉ राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की और 6 अप्रैल, 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह की तिथि के रूप में चुना गया।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल, 1930 तक पूरे बिहार की यात्रा की।
- यह आंदोलन चंपारण और सारण जिलों से शुरू हुआ तथा बाद में पटना, बेतिया, हाजीपुर, दरभंगा आदि तक फैल गया।
- 16 अप्रैल, 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन किया गया।
- कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, पूरे बिहार में खादी पर जोर, नशीले पेय के खिलाफ, चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार आदि पर जोर दिया गया।

- आंदोलन में महिलाओं और समाज के हर वर्ग की बड़ी भागीदारी देखी गई।
- अली इमाम के नेतृत्व में ऐसे आयोजनों के आयोजन के लिए 1930 में पटना में स्वदेशी समिति की स्थापना की गई थी।
- सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम बिहार से इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
- उसी समय बिहपुर सत्याग्रह किया गया था।
- राय बहादुर द्वारकानाथ ने राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था।
- इनके विरोध में छपरा जेल के कैदियों ने भी हड़ताल की।
- किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया।

3.15 व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा

- गांधीजी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया जहां केवल चुने हुए व्यक्ति ही सत्याग्रह करेंगे।
- 27 नवंबर, 1940 को श्री कृष्ण सिंह बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, जिसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा आए।
- गौरी शंकर सिंह ने गया से और श्याम नारायण सिंह ने सिवान से सत्याग्रह किया।

3.16 किसान और राष्ट्रीय आंदोलन

1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद, बिहार किसान आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इन गतिविधियों ने बटाईदारों की समस्याओं जैसे प्रथागत गैर-किराए के भुगतान को समाप्त करना, बेदखली का विनियमन और उचित किराए का निर्धारण आदि को संबोधित किया था। आंदोलनों का मुख्य केंद्र उत्तर बिहार था। उत्तर और मध्य बिहार में, एक किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रभाव था।

कांग्रेस ने जमींदारों के खिलाफ अपने संघर्ष में किसानों का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया था, बिहार के किसानों के सामने मुद्दों की कोई कमी नहीं थी: बेगार (जबरन श्रम), अबवाब (अवैध वसूली), उपज किराए को नकद किराए में बदलना, दियारा भूमि पर विवाद, वन उपज का अधिकार, चरागाह भूमि, बकाशत भूमि (भूमि मूल रूप से रैयतों की थी, लेकिन जमींदारों द्वारा लगान बकाया के बदले में 'फिर से शुरू' की गई) तथा इसी तरह और भी मुद्दे थे। कुछ सामाजिक मुद्दे भी थे, जैसे, भूमिहार और यादव, कुछ अन्य 'निम्न' जातियों के साथ, एक उच्च सामाजिक स्थिति के लिए लड़ रहे थे। धीरे-धीरे बकाशत भूमि का मुद्दा कृषि संबंधी विवादों के केंद्र बिंदु के रूप में उभरने के लिए अन्य सभी मुद्दों

पर हावी हो गया – जबकि जमींदारों को ऐसी भूमि पर खुद खेती करनी थी, वास्तविक व्यवहार में वे दूसरों को, अक्सर मूल मालिकों को, गैर-मान्यता प्राप्त बटाईदारों के रूप में शामिल कर रहे थे।

इन सभी मुद्दों का संचयी प्रभाव किसान संघर्षों के लिए बहुत उर्वर जमीन तैयार करना था। और इसी आधार पर 1927 में पहली बार किसान सभा का उदय पटना जिले के पश्चिमी भाग में हुआ।

3.16.1 बिहार में किसान सभा

- स्वामी विद्यानन्द ने मधुबनी में किसान सभा की शुरुआत की।
- इसी तरह के आंदोलन मुंगेर, शाहाबाद, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर आदि में भी किसानों द्वारा शुरू किए गए।
- शाह गफूर की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर, 1920 को हिलसा में जगन्नाथ पाठक द्वारा एक किसान सभा का आयोजन किया गया था।
- किसान सभा का गठन मुंगेर में 1922-23 में श्रीकृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था।
- 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने अधिभोग अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा (BPKS) का गठन किया।
- 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया।
- राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- बिहार में किसान आंदोलनों का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनके अनुयायी पंडित यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और अन्य ने किया था।
- पंडित यमुना कारजी ने राहुल सांकृत्यायन और अन्य हिंदी साहित्यकारों के साथ 1940 में बिहार से एक हिंदी साप्ताहिक **हुंकार** का प्रकाशन शुरू किया।
- हुंकार बाद में बिहार में किसान आंदोलन और कृषि आंदोलन का मुखपत्र बन गया।

3.17 श्रमिक आंदोलन

- 1937-38 में बिहार में रोहतास उद्योग (डालमियानगर), गया कॉटन मिल्स, टाटानगर फाउंड्री कंपनी, जपला सीमेंट वर्क्स आदि में चल रहे सभी कारखानों में कई हड़तालें आयोजित की गईं।
- बिहार व्यापार संघ का गठन हुआ और पहला अधिवेशन 10 जून, 1944 को गिरिडीह में हुआ।
- भाकपा के नेतृत्व में पटना में कई संगठनों द्वारा श्रमिक सम्मेलन आयोजित किए गए।

3.18 बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां

- **खुदीराम बोस ने 1908** में प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर में एक ब्रिटिश न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक कर हत्या करने का प्रयास किया।
- **सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913** में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की।
- बंकिम चन्द्र चटर्जी और पी मित्रा ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किया। उन्हें बनारस षडयंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था।
- पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंद्र नारायण राय ने की थी।
- बिहारी युवक संघ का गठन 1928 में मोतिहारी में हुआ था।
- पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में रामबृक्ष बेनीपुरी और अबिकाकांत सिंह ने की थी।
- 'युवक' मासिक पत्रिका का प्रारंभ पटना से हुआ।
- अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई।

3.19 बिहार सोशलिस्ट पार्टी

- 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामबृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई।
- 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा बुलाई और औपचारिक रूप से **बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी** का उद्घाटन किया।
- आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया।
- इस पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण तथा संगठन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया।
- उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया।

3.20 भारत छोड़ो आंदोलन

- **बिहार कांग्रेस कमेटी ने डॉ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 31 जुलाई, 1942** को भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।
- 8 अगस्त, 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- 9 अगस्त, 1942 को कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अखबारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
- हड़तालों की गईं और अधिकांश इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

11 अगस्त, 1942 को छात्रों ने पटना विधान सभा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कलेक्टर डब्ल्यू जी आर्चर ने खुली फायरिंग का आदेश दिया, जिससे 7 छात्रों की मौत हो गई।

- 12 अगस्त, 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल हुई।
- कई बैठकें हुई और संचार लाइनों को बंद करने और सरकारी काम को बंद करने का निर्णय लिया गया।
- राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ जयप्रकाश नारायण ने चल रहे उथल-पुथल की कमान तब संभाली जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- 1943 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आजाद दस्ता का आयोजन किया गया।

3.20.1 आजाद दस्ता

- आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की थी।
- सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद का गठन किया गया था।
- संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी मशीनरी और सैन्य प्रशिक्षण को पंगु बनाना था, जिसके लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले पुरुषों को तैयार करने के लिए शिविर स्थापित किए गए थे।
- दस्ता के सदस्यों ने एक शपथ ली, जिसमें अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहने की प्रतिज्ञा की गई थी, जब तक कि भारत आजाद नहीं हो जाता, दस्ता के प्रति निष्ठा और सैन्य अनुशासन के पालन के साथ-साथ संगठन के नियमों के उल्लंघन पर मृत्यु सहित किसी भी सजा को स्वीकार करने का समझौता किया गया था।
- दस्ता ने मुख्य रूप से छात्रों, स्कूली शिक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ब्रिटिश सेना या पुलिस को छोड़कर चले गए लोगों की भर्ती को करना पसंद किया।

- आजाद दस्ते की स्थापना बिहार के विभिन्न हिस्सों में की गई थी और इसके सदस्य अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ ब्रिटिश सरकार को भयभीत करने में सफल रहे।

3.21 बिहार में चुनाव और स्वतंत्रता की प्राप्ति

- 1937 में बिहार के 152 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए।
- कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा और 98 सीटें जीती।
- विधान परिषद चुनाव में, 8 उम्मीदवार विजेता थे।
- इस तरह कांग्रेस को दोनों सदनों में बहुमत मिला।
- श्री कृष्ण सिंह ने बहुमत होने के बावजूद सरकार बनाने से इनकार कर दिया था।
- मोहम्मद यूनुस (स्वतंत्र पार्टी के नेता) ने सरकार बनाई।
- इस प्रकार, मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे।
- 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस की सरकार बनाई।
- श्री रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी क्रमशः विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे।
- बिहार काश्तकारी संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसने काश्तकारी बंदोबस्त की समस्याओं को दूर किया।
- 12 अप्रैल 1946 को सरकार ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर से प्रतिबंध हटा लिया।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी।
- भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और जयरामदास दौलतराम को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

3.22 बिहार के स्वतंत्रता सेनानी

No.	नाम	विवरण	आंदोलन
1	अनुग्रह नारायण सिन्हा	आधुनिक बिहार के अग्रणी निर्माताओं में से एक, और कई वर्षों तक बिहार को उनका नेतृत्व मिला।	1. चंपारण सत्याग्रह आंदोलन • सविनय अवज्ञा आंदोलन
2	जयप्रकाश नारायण	जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। उनके सम्मान में छपरा-दिल्ली-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस का नाम बदलकर 'लोकनायक एक्सप्रेस' कर दिया गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।	• भारत छोड़ो आंदोलन
3	कुंवर सिंह	बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य सूत्रधार। एवं वीर कुंवर सिंह के नाम से लोकप्रिय रहे।	• 1857 का विद्रोह

4	राजेंद्र प्रसाद	उन्हें देश रत्न या देश का रत्न कहा जाता है। वह भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे और दो बार पद पर रहने वाले पहले राष्ट्रपति थे। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे बिहार के प्रमुख नेता थे। 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 के चुनावों के बाद उन्होंने केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 1950 में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष भी बने।	1931 में नमक सत्याग्रह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन - चंपारण सत्याग्रह - असहयोग आंदोलन।
5	रामवृक्ष बेनीपुरी	बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति थे।	असहयोग आंदोलन
6	यमुना करजी	एक किसान नेता पंडित यमुना करजी ने एक प्रांतीय किसान सभा आयोजित करने की पहल की।	- किसान सभा आंदोलन और किसान आंदोलन - असहयोग आंदोलन
7	प्रभावती देवी	प्रभावती देवी जेपी नारायण की पत्नी थीं। उन्हें 1932 में लखनऊ में अज्ञात वस्तुओं की काली सूची के आह्वान के दौरान पकड़ा गया था। उन्होंने पटना में महिला चरखा समिति का गठन कर, गांधीवादी मॉडल पर बड़े पैमाने में विकास किया था। जिसमें छोड़ी और त्यागी महिलाओं को शामिल किया गया था।	- सविनय अवज्ञा आंदोलन - भारत छोड़ो आंदोलन
8	विंध्यवासिनी देवी	विंध्यवासिनी देवी ने 1919 में गांधी जी के साथ मुलाकात के बाद सामाजिक कार्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लिया था। 1930 में नमक आंदोलन करने के दौरान विभिन्न महिलाओं के साथ विंध्यवासिनी देवी को पकड़ लिया गया था। 1932 में उन्हें मुजफ्फरपुर जेल से भेज दिया गया था और लोक प्राधिकरण ने कन्या स्वयं सेवा दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।	नमक सत्याग्रह
9	तारा रानी श्रीवास्तव	वह अपने शहर में और उसके आसपास की महिलाओं को अनुशासन बद्ध बनाती थी और अपने सहयोगियों के साथ तीर्थयात्री नियम का विरोध जताती थी। वह 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुईं, और सिवान रेलवे स्टेशन पर भारतीय झंडे को ऊपर उठाने का इरादा किया। उसी जुलूस में लाठीचार्ज में अपने पति की मौत के बावजूद वह अपने संघर्ष को जारी रखी।	भारत छोड़ो आंदोलन
10	तारकेश्वरी सिन्हा	वह 26 दिसंबर, 1926 को बिहार में पैदा हुईं, सिन्हा देश में लगातार हो रही लड़ाई के लिए खुद को अलग नहीं कर पाई। वह पटना के बांकीपुर कॉलेज की छात्रा थी, वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 16 साल की छोटी उम्र में शामिल हुईं। सिन्हा उन लोगों में शामिल थीं, जिन्हें नालंदा में महात्मा गांधी मिले थे।	भारत छोड़ो आंदोलन
11	राम प्यारी देवी	उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें एक साल के लिए कैद किया गया था। वह इसके लिए प्रसिद्ध थीं कि उन्होंने किसान नेता सहजानंद सरस्वती को हरा दिया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक सदस्य बन गई और 1939 तक इसका हिस्सा रहीं।	नमक सत्याग्रह किसान आंदोलन

12	जगजीवन राम	वह दलित समुदाय के नेता और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के संस्थापक सदस्य थे। वह जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे और श्रम मंत्री के रूप में भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। वह संविधान सभा के सदस्य भी थे जहां उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय संविधान में निहित हो। वह 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे।	भारत छोड़ो आंदोलन दलित आंदोलन
13	स्वामी सहजानंद सरस्वती	वे एक बुद्धिजीवी, विपुल लेखक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और पटना के निकट बिहटा में आश्रम की स्थापना की।	अखिल भारतीय किसान सभा
14	श्री कृष्ण सिंह	वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवादी डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. अनुराग नारायण सिंह और श्री बाबू के साथ आधुनिक बिहार के वास्तुकार माने जाते हैं। उन्होंने बैद्यनाथ धाम मंदिर, देवघर में दलित प्रवेश का नेतृत्व किया। वे जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे।	- असहयोग आंदोलन - सविनय अवज्ञा आंदोलन - भारत छोड़ो आंदोलन
15	बसावन सिंह	वह योगेंद्र शुक्ला के साथ बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता थे और वंचित, औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के अधिकारों के लिए प्रचारक थे।	किसान आंदोलन
16	बिधान चंद्र रॉय	वे ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पटना में सामाजिक सेवा के लिए अपनी संपत्तियों के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया और प्रख्यात राष्ट्रवादी गंगा शरण सिंह (सिन्हा) को ट्रस्टी बनाया। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रॉय भी महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर और दोस्त थे।	- ब्रह्म समाज - सविनय अवज्ञा आंदोलन

3.23 बिहार में महिला स्वतंत्रता सेनानी

- सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी ने 1919 में कस्तूरबा गांधी द्वारा आयोजित महिला आंदोलन में भाग लिया।
- सीसी दास और उर्मिला दास ने पटना में चरखा समिति का आयोजन किया।
- सरला देवी ने स्कूली बच्चों को अंग्रेजी स्कूल को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शैलबाला रॉय ने बिहार में हजारों महिलाओं को नमक बनाने करने के लिए प्रेरित किया था।
- पटना में महिलाओं ने विदेशी कपड़ों का सामूहिक बहिष्कार किया।
- राम स्वरूप देवी को भागलपुर सेंट्रल जेल में 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनों को भड़काने के लिए जेल भेजा गया था।
- चंद्रवती देवी ने चौकीदार कर के खिलाफ आवाज उठाई।
- कुसुम कुमारी देवी ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दी गई सजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आरा में लोगों को एकजुट किया।
- प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी और महादेवी केजरीवाल ने 1940 में महात्मा गांधी द्वारा बुलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया।

- भगवती देवी (डॉ राजेंद्र प्रसाद की बहन) ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चरखा समिति का आयोजन किया था।
- वैशाली में राधिका देवी और सुनीता देवी पुरुषों की तरह कपड़े पहने हुए थे और दूर-दराज के इलाकों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाती थी।
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की कई महिलाओं को मुंगेर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनमें सुधा शर्मा, धतूरी देवी आदि प्रमुख हैं।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस समिति की अध्यक्ष बनीं। उन्हें आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए साधना देवी के साथ गिरफ्तार किया गया था।

आधुनिक इतिहास के मुख्य घटना

- प्लासी का युद्ध
- बक्सर का युद्ध
- 1857 का विद्रोह—जगदीशपुर और पटना
- जनजातीय विद्रोह
- बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह
- कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन
- चंपारण सत्याग्रह
- किसान और श्रमिक आंदोलन
- क्रांतिकारी गतिविधियाँ



- ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान जनजातीय विद्रोह ज्यादातर स्थानीय, छिटपुट और असंगठित थे। आदिवासी लोग आदिवासी भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे या बाहरी लोगों को उनके हस्तांतरण या उनके वन अधिकारों के हनन के खिलाफ थे।
- **हो, मुंडा, कोल, भूमिज, संथाल, ताना भगत** बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह थे।

आदिवासी लोग तब प्रभावित हुए जब अंग्रेजों ने कई वन क्षेत्रों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आदिवासियों के जीवन यापन का मुख्य स्रोत वन थे। वे जंगल में रहते थे और वन उपज एकत्र करते थे। इसलिए कई क्षेत्रों में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।

4.1 नोनिया विद्रोह

- **नोनिया विद्रोह 1700-1800** में उन जगहों पर उभरा जहाँ शोरा का निर्माण किया जाता था, अर्थात् हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में।
- शोरा का उत्पादन बिहार में नोनिया नामक जाति द्वारा किया जाता था।
- शोरा का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों के उत्पादन में किया जाता था।
- ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समूह का शोषण किया जिसके कारण इन लोगों ने खुद को विद्रोही समूहों में संगठित किया।

4.2 सन्यासी आंदोलन

- यह 1762 में बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश में शुरू हुआ तथा 1774 तक जारी रहा।
- इसकी शुरुआत सन्यासियों (हिंदू संतों) और मुस्लिम फकीरों ने की थी।
- वे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए।
- उन्होंने ढाका में अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा कर लिया।
- **बिहार के सारण, पूर्णिया और तिरहुत क्षेत्र** इस विद्रोह के छोटे केंद्र थे।

4.3 तमार विद्रोह

- **आदिवासी समूह उरांव, मुंडा, हो और कोल समूह** विदेशी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए।
- **विद्रोह 1789 में ओरांव जनजाति द्वारा शुरू किया गया था**, बाद में अन्य आदिवासी समूह भी विद्रोह में शामिल हो गए।
- **इस विद्रोह का मुख्य कारण जनजातियों की कृषि व्यवस्था पर प्रतिबंध था**, जिसने इन लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया।
- इस विद्रोह का नेतृत्व तमार क्षेत्र के भोला नाथ सहाय ने किया था। इस आंदोलन को 1832 में अंग्रेजों ने दबा दिया था और तमार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था।

4.4 चैरो विद्रोह

- कंपनी ने चूड़ामन को चैरो के राजा के रूप में रखा, जो लोगों से भारी कर लेता था।
- चूड़ामन ने किसानों, आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया जिसके कारण राज्य में गुस्सा और अशांति थी।
- चैरो ने 1800 ई० में सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की।
- जल्द ही इसे अंग्रेजों ने दबा दिया था।

4.5 हो और मुंडा विद्रोह

- छोटा नागपुर के **हो और मुंडा जनजाति** ने 1820-22 में कंपनी की सेना के खिलाफ विद्रोह किया, फिर दोबारा 1831 में विद्रोह किया गया एवं 1837 तक यह जारी रहा।
- वे राजा प्रहत के अधीन ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
- वे अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर कब्जे के खिलाफ थे।

वहाबी आंदोलन

- वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने सभी गैर-इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करने का प्रयास किया।
- इसकी स्थापना 1829 में रायबरेली के सैयद अहमद ने की थी।
- इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में दार-उल-इस्लाम की स्थापना करना था।
- जब सैयद अहमद पहली बार पटना आए तो उन्होंने मुहम्मद हुसैन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया।
- 1821 में उसने मुहम्मद हुसैन, विलायत अली, फरहत हुसैन और इनायत अली को खलीफा नियुक्त किया।
- यह आंदोलन सऊदी अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था।
- इसे 1870 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था, हालांकि यह 1890 के दशक तक छिटपुट रूप से जारी रहा।
- हाजी शरियातुल्लाह वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे **पटना 1828 से 1868 तक इसका मुख्य केंद्र रहा।**
- आंदोलन 1863 में पटना में समाप्त हो गया जब अंग्रेजों ने इसके कई नेताओं को कैद कर लिया जिससे इस आंदोलन को चलाने के लिए धन समाप्त हो गया।

4.6 कोल विद्रोह

- 1831-32 में अपनी भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और सिख एवं मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोगों को उनकी भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ छोटा नागपुर में **बुद्धु भगत** द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था।
- आंदोलन में बड़े पैमाने पर रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी हिस्से शामिल थे।
- बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के बाद, इस विद्रोह को दबा दिया गया था।
- इस विद्रोह के परिणामस्वरूप, दक्षिण पूर्व सीमांत एजेंसी नामक एक नए प्रांत का गठन किया गया।

4.7 भूमिज विद्रोह

- भूमिज विद्रोह का नेतृत्व 1832-33 में सिंहभूम तथा बीरभूम में **गंगा नारायण** ने किया था।
- विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा भू-राजस्व में वृद्धि, राजा वीरभूम, मुसिफ, इंस्पेक्टर और जमींदारों द्वारा आदिवासियों का शोषण था।

- इसकी शुरुआत 26 अप्रैल, 1832 को हुई जब वीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई।
- गंगा नारायण सिंह ने सक्षम नेतृत्व प्रदान किया लेकिन ठाकुर चेतन सिंह द्वारा 7 फरवरी, 1833 को एक लड़ाई में वे मारे गए।

4.8 संथाल विद्रोह

- इसका नेतृत्व 1855-56 में **सिद्धू और कान्हू** ने जमींदारों तथा साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ किया था।
- राजमहल पहाड़ी के संथालों ने राजस्व अधिकारियों, पुलिस, सूदखोरों, जमींदारों आदि के दमन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था।
- संथालों ने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की थी और 1854 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था।

4.8.1 संथाल विद्रोह के कारण

- **जमींदारी प्रणाली:** ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, जिसने सरकार को भुगतान किए गए एक निश्चित राजस्व के बदले में जमींदारों (कर वसूलने वाले बिचौलियों) को स्थायी और वंशानुगत अधिकार प्रदान किए। इससे जमींदार किसानों का शोषण करते थे। कई संथाल धन-उधार के तरीकों के शिकार हो गए, जहां उनसे ऋण पर अत्यधिक ब्याज दर वसूल की गई। जब वे इन ऋणों को चुकाने में असमर्थ थे, तो वे अक्सर अपनी जमीन खो देते थे और उन्हें बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता था।
- **भूमि के स्वामित्व का नुकसान:** जमींदारों और साहूकारों ने ब्रिटिश पुलिस की मदद से संथालों को बार-बार आक्रामक तरीके से उनकी जमीन से बेदखल कर दिया।
- **सामाजिक-राजनीतिक कारण:** अंग्रेजों के आगमन के साथ, पारंपरिक मांझी प्रणाली और संथालों की पाराहा पंचायत प्रणाली नष्ट हो गई थी। ये दोनों प्रणालियाँ ब्रिटिश नियमों और विनियमों से अत्यधिक प्रभावित थीं।
- **तत्काल कारण:** जून, 1855 के महीने में, चोरी की एक छोटी सी घटना के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा कई संथाल लोगों को गिरफ्तार किया गया और बेरहमी से पीटा गया। इस घटना ने संथाल विद्रोह को हवा दी।
- **पारंपरिक प्रणालियों का विघटन:** जमींदारी प्रणाली के कार्यान्वयन और साहूकारों के आगमन ने उन पारंपरिक प्रणालियों और राजनीतिक संरचनाओं को बाधित कर दिया जो संथालों के बीच पीढ़ियों से मौजूद थीं।

- **धार्मिक कारण:** 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। ईसाई मिशनरी ने संथालों की पारंपरिक मान्यताओं और आचार संहिता को भी खतरे में डाल दिया।
- **1856 में,** व्यापक सैन्य अभियान के बाद ही स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। 1855 में सिद्धू की मृत्यु हो गई, जबकि कान्हू को 1866 में गिरफ्तार कर लिया गया।
- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप अंग्रेजों द्वारा संथाल परगना का निर्माण किया गया और **एशले ईंडन** इसके पहले जिला कलेक्टर बने।

4.9 लोटा विद्रोह

- इसकी शुरुआत 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पीतल के बर्तन (लोटा) वापस लेने और जेलों में मिट्टी के बर्तन पेश करने के फैसले के खिलाफ हुई थी।
- आरा और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की।
- इससे कैदियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात हुआ क्योंकि पीतल धार्मिक सवेदनाओं से जुड़ा हुआ था।
- शहर के लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने जेलों पर हमला कर दिया।
- परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया और फिर से पीतल के बर्तनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

4.10 सरदारी आंदोलन

- 1858 में एक कृषि आंदोलन शुरू हुआ।
- कृषि में बेगारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए **ईसाई आदिवासी किसानों** ने दमनकारी जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया।
- इस आंदोलन का उद्देश्य कृषि पद्धतियों में भूमि सुधार करना था।

4.11 मुंडा विद्रोह

- 1865 में वन विनियमन अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को पेड़ों या झाड़-झंखाड़ से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और अपनी पसंद की शर्तों के तहत इसे प्रबंधित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया।
- अधिनियम ने जनजातीय उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया।

4.11.1 मुंडा विद्रोह के कारण

- **आर्थिक कारण:** मुंडा जनजाति में **खुंटकट्टी प्रणाली** सामान्य भूमि जोत की एक प्रणाली थी, जिसमें मुंडा जनजाति के प्रत्येक सदस्य का जनजाति के सभी भूमि क्षेत्र पर हिस्सा/सामान्य अधिकार था। ब्रिटिश सरकार ने राजस्व संग्रह बढ़ाने की दृष्टि से इस सामान्य जोत प्रणाली को व्यक्तिगत जोत में परिवर्तित कर दिया। इस बदलाव के कारण, आदिवासी समुदाय ने खुद को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा पाया, साहूकारों और ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया।
- **धार्मिक कारण:** 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने एजेंडे का प्रचार करने की अनुमति दी। ईसाई मिशनरियों ने मुख्य रूप से मुंडा जनजाति सहित आदिवासी समूहों को निशाना बनाया और पारंपरिक मान्यताओं तथा विश्वासों को बदलने की कोशिश की।
- **राजनीतिक कारण:** मुंडा समुदाय के नागरिक और आपराधिक मामलों पर सामूहिक निर्णय लेने की पारंपरिक प्रणाली (जैसे पंचायत) के साथ-साथ आदिवासी समुदाय की पुलिस शक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था।
- 1878 में एक अधिक व्यापक भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, जिसने संरक्षित और आरक्षित वनों में वन भूमि एवं उपज पर आदिवासियों के अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाए।
- इस अधिनियम ने आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आम संपत्ति की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया और इसे राज्य की संपत्ति बना दिया।
- **बिरसा मुंडा** के अधीन मुंडा ने ब्रिटिश शासन और उनके स्थानीय एजेंटों, मुख्य रूप से साहूकारों के खिलाफ आवाज उठाई।
- बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन एक कृषि और राजनीतिक सामग्री के साथ एक धार्मिक आंदोलन या विद्रोह (**उलगुलान**) था।
- आंदोलन का उद्देश्य ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं और हाकिमों की हत्या करके भूमि में मुंडा शासन स्थापित करना था।
- बिरसा ने 6000 मुंडाओं की एक बड़ी सेना इकट्ठी की जिसे ब्रिटिश सेनाओं ने बुरी तरह दबा दिया था।
- 3 फरवरी, 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां 9 जून, 1900 को हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

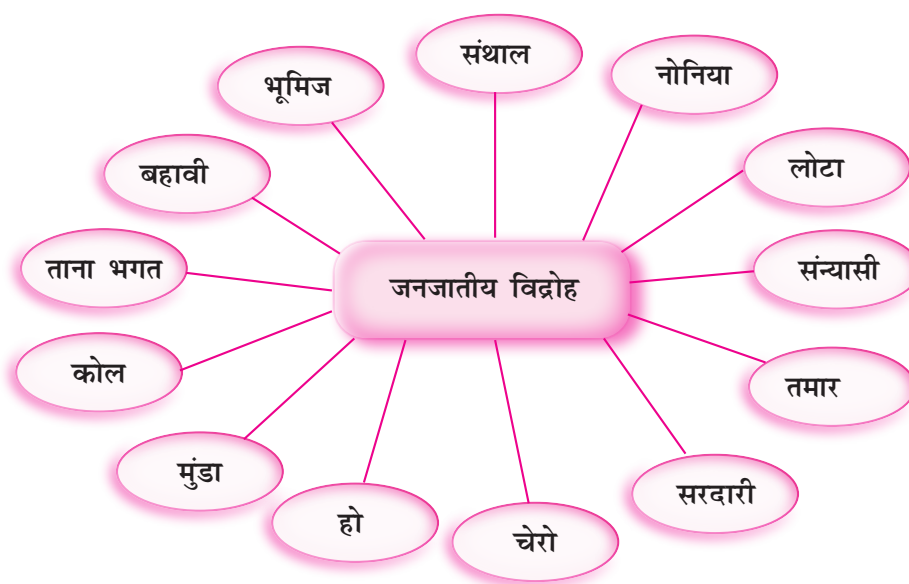
- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप नए भूमि अधिकार बनाए गए।
- काश्तकारी अधिनियम के तहत पहली बार **मुंडारी खूंटी कट्टी व्यवस्था** लागू की गई।
- 11 नवंबर, 1908 को **छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम** पारित किया गया था।

4.12 सफाहोंद आन्दोलन-1870

- सफाहोड आन्दोलन का अर्थ हैं-सिंगबोंगा के प्रति समर्पण।
- इसे खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है।
- यह आंदोलन **भागीरथ मांझी** द्वारा 1868 में शुरू किया गया।
- इसका नेतृत्व संथालों ने किया और एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया।
- भागीरथ ने खुद को संथालों का राजा घोषित किया और एक अलग संथाल राज्य की मांग की।
- इसका उद्देश्य **‘दुष्ट बोंगों’** की बलि को रोकना जैसे सामाजिक सुधार करना था।

4.13 ताना भगत आंदोलन

- 1914 में उरांव जनजाति ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया।
- ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है जिसे बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है।
- जतरा भगत और तुरिया भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
- अन्य नेताओं में बलराम भगत, भीखू भगत, शिबू भगत आदि शामिल थे।
- ताना भगत आंदोलन की विशेषता इसकी विचारधारा में बड़े पैमाने पर हिंदू प्रथाओं को शामिल करना है।
- आंदोलन के आदिवासी नेताओं ने विदेशी शोषकों, जमींदारों और ठेकेदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- इस आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों का भी विरोध किया।
- इस आंदोलन में अहिंसा को हथियार के रूप में स्वीकार किया गया।



- **प्राचीन समय में**, बिहार की शिक्षा प्रणाली वेदों, शास्त्रों, दर्शन पर आधारित थी, लेकिन विश्व के अन्य भागों में हो रही वैज्ञानिक प्रगति का बिहार में अभाव था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि शिक्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान रहे हैं।
- **मध्ययुगीन काल में**, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। बिहार, फारसी और संस्कृत के उन्नत अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, विभिन्न शहरों में बोली भाषाओं के लिए संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।
- **आधुनिक भारत में**, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार में कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन 1813 के **चार्टर अधिनियम** के माध्यम से एक विनम्र शुरुआत की गई, जिसमें विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक लाख रुपये प्रतिवर्ष आवंटित किए गए और शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा गया।
- प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की परंपरा को मध्ययुगीन काल के दौरान खो दिया गया था, ब्रिटिश शासन के बाद के भाग के दौरान ब्रिटिश शासन के पूर्व के काल में, संस्कृत और फारसी लोकप्रिय भाषाएं थीं और 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थान थे—
- प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठशालाएं और मकतब।
- उच्च शिक्षा के लिए चतुष्पाठी और मदरसे।
- 1820 की शुरुआत में बिहार और बंगाल के लगभग 15 लाख गांवों में लगभग 1 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। पश्चिमी शिक्षा 1820-30 के दशक से बिहार में फैल रही थी।

5.1 बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास

- 1817 में राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा कलकत्ता कॉलेज की स्थापना बंगाल में हुई। प्राच्यवादी एंग्लिसिस्ट विवाद के बाद, 1835 में शिक्षा पर मैकाले मिनट की शुरुआत के साथ एक कट्टरपंथी परिवर्तन पेश किया गया था। जिसने अंग्रेजी शिक्षा को पसंद किया और भारतीय शिक्षा प्रणाली की विषय वस्तु, पद्धति और माध्यम को सीधे प्रभावित किया।

मैकाले के स्मरण-पत्र ने अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की वकालत की, अर्थात् अंग्रेजों ने उच्च और मध्यम वर्गों के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करने की योजना बनाई, इस प्रकार रक्त और रंग में भारतीय लेकिन जो विचार बुद्धि और नैतिकता में अंग्रेजी हो, जो अंग्रेजी वर्ग के बीच दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा। सरकार जनता और देशी भाषाओं को समृद्ध करेगी जिससे पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जनता तक पहुंचेगा।

- सरकार ने जल्द ही अपने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी बनाई और बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूलों के बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले, इस प्रकार सार्वजनिक शिक्षा की उपेक्षा की।
- **पहला आधुनिक-पश्चिमी शैक्षिक विद्यालय 1835** में पटना में स्थापित किया गया था। उसी वर्ष पूर्णिया में एक और पश्चिमी विद्यालय खोला गया। और अगले वर्ष बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि में कई जिला स्कूल शुरू किए गए।
- 1844 में सरकारी नौकरी में आवेदकों के लिए अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, इसने अंग्रेजी माध्यम स्कूल को अधिक लोकप्रिय बना दिया।
- **शैक्षिक प्रणाली में वुड्स डिस्पैच (1854)** को “भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा” माना जाता है यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। वुड्स डिस्पैच के आदर्शों और तरीकों ने पांच दशकों तक इस क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित किया, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली में यूरोपीय हेडमास्टर और प्रिंसिपल द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के साथ तेजी से पश्चिमीकरण को देखा।
- सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए।
- भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय (1857) था।
- **पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863** को कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था।
- **1863 में देवघर**, मोतिहारी और चाईबासा में जिला स्कूल खोला गया था।

- सरकार ने भारत में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए 1882 में **डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर कमीशन** नियुक्त किया। 1902 में, भारत में विश्वविद्यालयों की परिस्थितियों और संभावनाओं पर विचार करने एवं उनके संविधान और कार्य में सुधार के उपायों पर सुझावों के लिए **रैले आयोग** की स्थापना की। आयोग ने प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्टिंग को रोक दिया। और अपनी सिफारिशों के आधार पर, 1904 में **भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम** पारित किया गया था।
- इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को गुणवत्ता और योग्यता के नाम पर विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण मिला, लेकिन वास्तव में शिक्षा को प्रतिबंधित करने और सरकार के प्रति निष्ठा के लिए शिक्षित लोगों को अनुशासन देने का प्रयास किया।
- 1913 में राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव में आकर सरकार ने शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया। यद्यपि इसने अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, परन्तु इसने निरक्षरता को हटाने की नीति को स्वीकार कर लिया और प्रांतीय सरकारों से गरीब और अधिक पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जल्द कदम उठाने का आग्रह किया।
- **सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-19)** ने स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की। और उनका यह विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक पूर्व शर्त है। महिला शिक्षा, व्यावहारिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, पेशेवर और व्यावसायिक कॉलेजों सहित शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिग्री और डिप्लोमा देने की सिफारिश की गयी।
- **1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।** इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज पटना यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। सैडलर समिति की सिफारिशों के आधार पर 1919 में पटना कॉलेज में भौतिकी और रसायन विज्ञान विभाग खोला गया था। इस विभाग की स्थापना 1927 में पटना साइंस कॉलेज में हुई थी।
- **हार्टोग समिति (1929)** ने सिफारिश की कि केवल योग्य छात्रों को उच्च विद्यालय और मध्यवर्ती स्तर के लिए जाना चाहिए, जबकि औसत छात्रों को आठवीं कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- **सार्जेंट योजना ऑफ एजुकेशन (1944)** एक स्पष्ट और व्यापक योजना थी, लेकिन इसने कार्यान्वयन के लिए कोई पद्धति प्रस्तावित नहीं की। इसका उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर शिक्षा प्राप्ति का वही स्तर बनाना था जो इंग्लैंड में प्रचलित था।
- 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। 1886 में एक निरीक्षण प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई। इसे 1900 में **बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग** में बदल दिया गया। 1932 में इसका नाम बदलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया और **2004 में यह एनआईटी-पटना** बन गया।
- सैडलर शिक्षा आयोग ने सिफारिश की कि स्कूली शिक्षा 10 वर्ष की बजाय 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट (12वीं) पूरा करने के बाद ही कॉलेजों में भर्ती किया जाना चाहिए। आयोग ने विश्वविद्यालयों के कामकाज पर सरकारी नियमावली की कठोरता को कम करने का सुझाव दिया। आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश विश्वविद्यालयों को अधिक केंद्रीकृत, एकात्मक आवासीय और स्वायत्त बनाने के लिए थी। और इसलिए संबद्ध कॉलेजों की संख्या में कमी हो जाती है।
- 1902 में, **पूसा** में हेनरी फिलिप्स की मदद और अनुदान के साथ एक कृषि अनुसंधान केंद्र और परीक्षण फार्म स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य खेती की नई तकनीकों का आविष्कार करके उपज में सुधार लाना था। **1925 में, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज (अब पीएमसीएच)** की स्थापना की गई थी। 1926 में, धनबाद में एक भारतीय खान विद्यालय की स्थापना की गई। उसी वर्ष पटना में आयुर्वेद का राजकीय विद्यालय स्थापित किया गया और इसे 1947 में कॉलेज का दर्जा दिया गया था। **1930 में, पटना पशु चिकित्सा कॉलेज** की स्थापना नस्ल आदि में सुधार के लिए की गई थी।
- बिहार में मुस्लिम शिक्षा अलीगढ़ आंदोलन की तर्ज पर विकसित और फैल गई, जिसे सर सैयद खान ने शुरू किया था, जिन्होंने पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं के साथ-साथ पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुस्लिम जनता में प्रचार किया था। 1872 में इमाद अली खान के प्रयासों के माध्यम से मुजफ्फरपुर में बिहार विज्ञान सोसायटी की स्थापना की गई। दूसरी शाखा की स्थापना 1873 में पटना में हुई थी। **शम्सुल उलेमा मोहम्मद हसन** ने बिहार में मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5.2 बिहार में महिला शिक्षा

- पहली बालिका विद्यालय **सेंट जोसेफ स्कूल 1847** में महिला शिक्षा के लिए पटना में स्थापित किया गया था। पटना में 1867 में दो और बालिका विद्यालय स्थापित किए गए।
- बिहार और ओडिशा की संयुक्त सरकारों ने 1914 में महिला शिक्षा के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन करके बांकीपुर और कटक के बालिका विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने का सुझाव दिया। इसने प्रत्येक आयोग में एक महिला कॉलेज स्थापित करने का भी फैसला किया। 1940 में, **पटना महिला कॉलेज** (महिलाओं के लिए विशेष रूप से पहला कॉलेज) खोला गया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, 1920 दशक के मध्य में बिहार और ओडिशा में स्कूल जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत केवल 0.7% था। महिलाओं की शिक्षा पर 1919 की हार्टिंग समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि 25 लाख में से केवल 1.16 लाख लड़कियां ही स्कूल जाती हैं। इसमें यह भी बताया गया कि महिलाओं में उच्च शिक्षा बहुत कम थी।
- महिलाओं की शिक्षा को लगभग पूरी तरह उपेक्षित किया गया क्योंकि सरकार रूढ़िवादी वर्गों के क्रोध को उत्तेजित नहीं करना चाहती थी, और औपनिवेशिक शासन के लिए इसकी कोई तात्कालिक उपयोगिता भी नहीं थी।

5.3 बिहार में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा

- **पूसा में कृषि विश्वविद्यालय** के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, यह बिहार और भारत में पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक कृषि विश्वविद्यालय था।
- पहली बार 1919 में पटना कॉलेज में भौतिकी और रसायन विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए गए, बाद में 1928 में पटना विज्ञान कॉलेज की स्थापना की गई, जो विशेष रूप से विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए ही था।
- 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। 1886 में एक सर्वेक्षण प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई। इसे 1900 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बदल दिया गया। 1932 में इसका नाम बदलकर **बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया और 2004 में यह एनआईटी-पटना बन गया।**
- 1925 में, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज (अब PMCH) की स्थापना की गई थी। 1926 में, धनबाद में एक भारतीय खान विद्यालय की स्थापना की गई थी। और उसी वर्ष पटना में आयुर्वेद का राजकीय विद्यालय स्थापित किया गया था। इसे 1947 में कॉलेज का दर्जा दिया गया था, 1930 में, पटना

पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना नस्ल आदि में सुधार के लिए की गई थी।

- आजादी के बाद कई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए जिनमें से कुछ प्रमुख एनआईटी (पटना) आईआईटी (पटना) और कई अन्य सार्वजनिक और निजी इंजीनियरिंग संस्थान हैं। बिहार के कुछ मेडिकल कॉलेज NMCH, AIIMS पटना, DMCH हैं।

5.4 बिहार में शिक्षा के मुद्दे

- **सभी प्रयासों के बावजूद**, ब्रिटिश काल के दौरान स्कूल, शहरों और कस्बों तक सीमित रहे। जिसने बिहार की ग्रामीण आबादी को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के साथ विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा के दायरे से भी बाहर कर दिया।
- 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार और सामाजिक पाबंदी की नीतियों ने लड़कियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिनमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियाँ शामिल रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और समाज ने स्कूलों के अभाव के कारण लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में जाने की अनुमति नहीं दी।
- आजादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है और ज्यादा नहीं बदली है। **जनगणना रिपोर्ट-2011 के अनुसार राज्य में केवल 51.5 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं जो भारत में सबसे कम हैं।**
- ब्रिटिश काल के विश्वविद्यालय केवल बड़े शहरों और कस्बों तक सीमित थे, जिसने बड़े पैमाने पर निरक्षर और अशिक्षित लोगों के बीच कुछ को ही शिक्षित कर पाए।
- राज्य में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, राज्य में उच्च स्तर का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है क्योंकि कई मुद्दों जैसे कि न कोई नियमित कक्षाएं, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों का कुप्रबंधन, देरी से परीक्षा, सामूहिक धोखाधड़ी और परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी आदि इसके कारण हैं।
- वैज्ञानिक, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में, स्वतंत्रता पूर्व के युग के दौरान स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, जब देश के अन्य हिस्सों की तुलना में केवल कुछ कॉलेज और संस्थान मौजूद थे।
- बिहार में अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों की कमी के कारण आज भी बड़ी संख्या में छात्र चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में चले जाते हैं।

दृश्य कलाओं की रचनात्मक सुंदरता को पत्थरों, लकड़ी के ढांचे, घास-वस्त्र, लाख और धातु-सामान जैसे विभिन्न रूपों में संरक्षित किया गया है।

6.1 मौर्य काल में कला

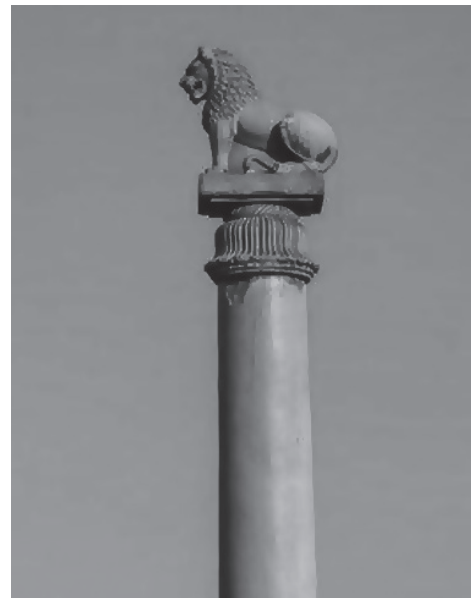
पटना में कुम्हारार और गया के पास राजगीर, बराबर की पहाड़ियों में मौर्यकालीनकाल वास्तुकला के साक्ष्य मिले हैं।

- **मूर्तिकला और शैल कला** अपने चरम पर थीं।
- जली हुई ईंटों और पत्थरों का उपयोग बाहरी निर्माण और महलों के अंदरूनी हिस्सों के लिए किया गया था
- लकड़ी से बने हैं।
- दीवारों और स्तंभों को फूलों, लताओं, पहाड़ों और जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों की आकृतियों से सजाया गया था।
- इस अवधि की मुख्य विशेषता स्तंभों और गोल के लिए एक पत्थर का उपयोग था।
- शीर्ष पर आकार।
- एकल पाषाण स्तंभ अशोक काल की विशिष्ट विशेषता हैं।
- लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और बसढ़ में अशोक के प्रमाण मिलते हैं
- एकल पत्थर के स्तंभ।
- इन स्तंभों को या तो लाल बलुआ पत्थर, सफेद बलुआ पत्थर या बारीक भूरे रंग के बलुआ पत्थर में तराशा गया था।
- इन स्तंभों की औसत ऊंचाई 40 फीट है।
- आमतौर पर स्तंभों के शीर्ष भाग में पशु आकृतियों से नक्काशी की गई थी।
- स्तंभ के शीर्ष पर स्थित एकाक्षक (मोनोलिथ) मौर्य साम्राज्य की राजधानी या जनपद का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो घंटी के आकार का था या कमल के आकार का था।

मेगस्थनीज ने उल्लेख किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल में स्तंभों की एक पंक्ति थी। इसे लकड़ी के महल के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से लकड़ी से बना था। यह कुम्हारार से खुदाई की गई थी जिसमें 80 स्तंभों के साथ एक बड़ा हॉल था।



- भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसके आधार से अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में रखा गया था। इस मूर्ति को पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर की एक चट्टान से तराशा गया है जो एक स्तंभ के ऊपर स्थित है।
- वैशाली में एक मौर्यकालीन इसी प्रकार की मूर्ति मिलती है। इसमें एक ही सिंह होता है और इसे सिंगल लायन कैपिटल कहा जाता है।



- स्तूप गुंबद के आकार के स्मारक थे जो पवित्र अवशेषों को प्रतिष्ठित करते थे और ईंट और गारे से बने थे। सभी स्तूपों के आकार समान थे।



सांची स्तूप

मूर्तिकला

- मौर्य काल की मूर्तिकला में बहुत विस्तृत मूर्तियाँ थीं, मानव जैसे दिखावट और रूप तथा एक चमकदार पोलिश के साथ एक दर्पण की तरह परिष्कृति।
- यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियाँ पटना की उत्कृष्ट मूर्तिकला के उदाहरण हैं।



- दीदारगंज यक्षिनी प्रतिमा में समकालीन महिला फैशन शैली को दर्शाया गया है। प्रतिमा अच्छी तरह से आनुपातिक है और एक अच्छी तरह से निर्मित मांसपेशियों वाली महिलाओं को दर्शाती है जो सुंदरता और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करती है।

- यक्षिणी प्रतिमा के एक हाथ में चौरी है और उनका पूरा शरीर आभूषणों से ढका हुआ है।
- यह प्रतिमा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले परतदार वस्त्रों को दिखाती है।
- इनमें से कुछ मूर्तियाँ कांस्य से बनाई गई थीं, जो उस समय एक उन्नत तकनीक थी। उदाहरण के लिए सुल्तानगंज में बनी बुद्ध की प्रतिमा 1500 वर्ष पुरानी है, जो लगभग सात फीट ऊंची है और 500 किलोग्राम कांस्य से बनी उस समय की सबसे बड़ी प्रतिमा है।

गुफा वास्तुकला

- इन गुफाओं को चैत्य हॉल के नाम से प्रसिद्ध बड़े हॉल में काटा गया था।
- जहानाबाद के पास बाराबर में चार गुफाओं का समूह इस अवधि में प्रचलित गुफा वास्तुकला को दिखाता है।



- लोमस ऋषि गुफा, बाराबर हिल्स, गया, बिहार
- सुदामा या न्याग्रौधा और कर्म चौपड़ जैसी गुफाएं अशोक के शिलालेख को धारण करती हैं।
- लोमस ऋषि गुफा इस काल की एक और प्रमुख कृति है।
- सभी गुफाओं के अंदरूनी हिस्सों को कांच की तरह पॉलिश किया गया है।

6.1.1 मौर्य कला और बौद्ध धर्म

मौर्य काल के दौरान कला, बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी। अशोक के बौद्ध धर्म के संरक्षण ने मौर्यों की कला और स्थापत्य शैली को बहुत प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के विषय जैसे कि चार महान सत्त्यों और कानून के चक्र, नैतिकता और शुद्धता की उत्कृष्टता को राजधानी, पत्थर की मूर्तिकला में फूलों जैसे कला रूपों में शामिल किया गया है।

उदाहरण-

1. सारनाथ मोनोलिथिक स्तंभ का निर्माण बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था जिसमें चार शेर पीछे की ओर बैठे हुए हैं, जिनके चार पहिये हैं, जो घंटी के आकार की संरचना के नीचे हैं, जिसमें धर्मचक्र शामिल हैं। यह कमल “पवित्रता” को इंगित करता है कि किसी को नेतृत्व करना चाहिए जबकि धर्मचक्र बुराई पर धर्म को बनाए रखने का संकेत देता है जो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। वर्तमान में यह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है।
2. जिन स्तूपों में “भगवान बुद्ध” के अवशेष हैं, उनमें एक अर्ध गोलाकार या गोलाकार गुंबद है, जो रेलिंग से घिरा हुआ है, जिसमें “जातक कहानियों के खूबसूरत अलंकरण” शामिल हैं, जो बौद्ध धर्म प्रभावित हैं।
3. यक्षिणी (उर्वरता के स्वामी) और यक्ष (समृद्धि के स्वामी) की मानव मूर्तियों की पाषाण प्रतिमाओं का श्रेय मौर्य साम्राज्य को दिया गया है। हंपेड बुल (रामनगर) और अन्य स्थानों जैसे जानवरों का उपयोग करने वाली विभिन्न राजधानियों में बौद्ध धर्म से जुड़े मूल्यों का महत्व है।

मौर्य काल के दौरान बुद्ध को हमेशा मानव रूप के बजाय प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता था जैसे कि “खाली सिंहासन”, बोधित्व प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व व्यक्ति, बुद्ध की पूजा करने वाले पशु और पौधे, मूर्तियों में चित्रित पागल हाथियों को भी। अशोक के साम्राज्य के दौरान अनुसरण किए जाने वाले आदर्श “धम्म” को स्तंभों और चट्टानों के माध्यम से प्रचारित किया गया है, जिसने मोनोलिथिक बड़े पत्थर के टॉवर बनाने की कला को भी बढ़ावा दिया।

बौद्ध कला, अशोक मौर्य के नेतृत्व में अपने चरम तक पहुंची, जिन्होंने बड़ी संख्या में विहार, चैत्य और स्तूप बनाए। विहार भिक्षुओं के निवास के रूप में कार्य करते थे और मूर्तियों से सुशोभित थे जो बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। विहारों का निर्माण चैत्यों के पास हुआ था, जो अनिवार्य रूप से बौद्ध मंदिर थे, जो कान्हेरी, कार्ले, भाजा आदि में बनाए गए थे, हीनयान और महायान दोनों ही रूपों में पाये जाते हैं।

इस युग की बौद्ध कला का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्तूप है। इसमें आमतौर पर बुद्ध का एक अवशेष रहता था, जो एक ताबूत में रखा जाता था, जो क्रिस्टल से बना होता था। भीतरी चेहरा कच्ची ईंटों से बना था, जबकि स्तूप का बाहरी चेहरा पकी हुई ईंटों से बना था, जिसे प्लास्टर की एक परत से ढक दिया गया था। आनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए भी एक मार्ग था।

सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची और नालंदा (नष्ट) में बनाए गए थे। इसके अलावा उदयगिरि, कार्ले, अजंता और एलोरा में धार्मिक गुफा चित्र इस समय से आकार लेने लगे। ये चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातकों के जीवन को चित्रित करते हैं।

6.2 पाल राजवंश के दौरान कला

प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला का विकास देखा गया

पाल राजवंश का शासन।

पत्थर, तांबे और आठ विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बनी मूर्तियाँ लोकप्रिय हो गईं।

इस काल में कई मंदिरों, स्तूपों, विहारों और चौत्यों का निर्माण हुआ।

मठ, स्तूप और मंदिर

- पाल राजवंश के धर्मपाल और देवपाल ने ओदांतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला में बुद्ध विहार बनाए।
- इस अवधि के दौरान कई मंदिर बनाए गए थे जिनमें गया में विष्णुपद मंदिर, कुकरीहार और कहलगांव में गुफा मंदिर शामिल हैं।
- पाल राजवंश के वास्तुकार उस युग में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म की उपस्थिति दिखाते हैं।
- इस काल में तांत्रिक कला का भी प्रभाव था।
- विक्रमशिला महाविहार इस अवधि के पुरातात्विक अवशेष दिखाते हैं।
- नालंदा के स्तूपों में एक से अधिक छतें थीं जीने कई छतरियों द्वारा ताज पहनाया गया था।
- गया के कोच स्थित शिव मंदिर का वक्र्रीय शिखर उस काल की अद्भुत वास्तुकला है।

6.2.1 पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम चरण था।:

- नालंदा और विक्रमशिला जैसे विभिन्न मठ बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र थे, कला तथा कई पांडुलिपियों को यहां बौद्ध विषयों और ताड़ के पत्तों में वज्रयान बौद्ध देवताओं की छवियों के साथ चित्रित किया गया था।
- पाल संरक्षकों ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में संरक्षित किया, इस अवधि के दौरान मंदिरों की छतें बौद्ध स्तूप जैसे होती थी जिन्हें बांग्ला छत कहा जाता था।
- उन्होंने गौंडा के शशांक द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध स्थानों का कायाकल्प किया और बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीयकरण (जावा के राजा सैलेन्द्र) की सुविधा प्रदान की।
- इसके अलावा, पाल वंश भारत में अंतिम प्रमुख शासक राजवंश भी है जिसके तहत बौद्ध धर्म को राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ।

मूर्तिकला

- पत्थर और पीतल के अलावा प्रतिमाएं अष्ट धातु से भी बनी थीं।
- बुद्ध की प्रतिमाएं विभिन्न दृष्टिकोण और मिट्टी में निर्मित की गई थीं।
- बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को भी तराशा गया।



- राजगृह, वैशाली, नालंदा, बिहारशरीफ, बोधगया, पटना मुख्य केंद्र हैं जहां से पालकालीन धातु और पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं।
- इसके अलावा बारहवीं शताब्दी में निर्मित ब्राह्मण शिल्प मूर्तियाँ जिनमें उमा-महेश्वर, शिव और वैष्णव प्रतिमाएं भी पाई गई हैं।
- बोधिसत्व की कांस्य आकृतियाँ (अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, मैत्रेय, वज्रपाणि और ब्राह्मणवादी छवियाँ) भी इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
- धीमान और बिटपाल, कास्ट मेटल छवियों, मूर्तियों और चित्रों के स्कूलों के संस्थापक के रूप में।
- पाल मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियों से तराशे गए कलात्मक सौंदर्य के भी उदाहरण हैं। पाल राजवंश द्वारा लोकप्रिय मूर्तिकला की इस शैली को, मूर्तिकला की पूर्वी शैली के रूप में जाना जाता था।

6.3 पटना कलाम चित्रकला

- भारत में मुगल शासन ने भारतीय लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन शैली को प्रभावित किया है लेकिन जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित था वह था कला, वास्तुकला और संस्कृति।

- भारतीय पारंपरिक शैली के साथ फारसी शैली का संयोजन करते हुए, उन्होंने चित्रकला का एक नया तरीका पेश किया।
- औरंगजेब के शासन के दौरान, मुगल चित्रों के हिंदू कारीगरों को उसकी हिंदू विरोधी नीति और कला और चित्रकला में अरुचि के कारण अभियोजन का सामना करना पड़ा।
- उनके मुख्य विषय थे बाजार के दृश्य, स्थानीय शासक, स्थानीय त्योहार और समारोह।
- बाद में पटना कला विद्यालय की स्थापना श्री राधा मोहन ने की थी।
- इन चित्रों को पटना संग्रहालय और खुदा बक्श लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया गया है।
- अधिकांश चित्र लघु श्रेणी के हैं और कागज पर बनाए गए हैं।

दैनिक जीवन पर चित्र



- इन चित्रों के विषय- दैनिक श्रमिक, मछली विक्रेता, टोकरी निर्माता।
- पटनिया एक्का- सबसे पुरानी चित्रकला शैली।
- शिवलाल की 'मुस्लिम विवाह', गोपाल लाल की 'होली', महादेव लाल की 'रानी गंधती' इस शैली की प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
- पटना कलम की पेंटिंग कांच, अभ्रक और हाथी दांत की चादरों पर बनाई गई हैं।
- इन चित्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रश ऊंट, हिरण, गिलहरियों आदि जानवरों के बालों और कबूतर, चील आदि जैसे पक्षियों के पंखों से बने थे।

- इन चित्रों को सीधे ब्रश से चित्रित किया गया था (पहले पेंसिल में बनाए बिना)। इस तकनीक को कजली स्याही के नाम से जाना जाता था। पटना स्कूल की परंपरा ने एक व्यक्तिगत शैली और तकनीक विकसित की, जो सामान्य मुगल स्कूल (परशियन प्रभाव के कारण) और कम औपचारिक राजपूत स्कूल से बहुत अलग थी।
- रंग स्वदेशी पौधों, छालों, फूलों और धातुओं से निकाले जाते हैं।
- चित्रों को हल्के रंगीन स्केच और जीवन की तरह के चित्रण द्वारा चित्रित किया गया है।
- कोई परिदृश्य, अग्रभूमि या पृष्ठभूमि नहीं।
- ठोस रूपों की छाया में विकास।
- 'काजली स्याही'- चित्रों को चित्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए पेंसिल का उपयोग किए बिना सीधे ब्रश से चित्रित किया जाता है।

6.3.1 पटना कलम का पतन

- 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, शिव लाल और शिव दयाल लाल की मृत्यु के बाद, उनके शिल्पशाला भी अस्तित्व में नहीं रहे। इस पतन का एक प्रमुख कारण फोटोग्राफी का आगमन था। नई तकनीक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और 'भारतीय जीवन' के पुनरुत्पादन में तेजी आई जो निश्चित रूप से अधिक विश्वसनीय थी।
- ईश्वरी प्रसाद भी 1904 में कला और भारतीय चित्रकला के प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता चले गए। भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में उनकी मृत्यु के साथ, पटना कलम का अस्तित्व समाप्त हो गया।
- पटना के चित्रकारों ने मुगल या यूरोपीय शैलियों का पालन नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों में आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को दर्ज किया। कई पीढ़ियों तक, ये चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी के पटना के सांस्कृतिक ताने-बाने का जश्न मनाना जारी रखा जो अन्यथा अज्ञात और केवल काल्पनिक होता।

6.3.2 पटना कलम चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार

- 'सेवक राम' अपनी कला के लिए पहचाने जाने वाले पहले चित्रकार थे।
- हुलास राम, महादेव लाल, मधोलाल, यमुना प्रसाद, शिव दयाल पटना कलाम स्कूल ऑफ आर्ट के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
- ईश्वरी प्रसाद इस शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं।

- पटना में शिया दयाल लाल की जीविका और काम उनके चचेरे भाई शिव लाल के समान था। हालांकि, वह एक कम व्यापारी व्यक्ति थे और उनके ग्राहक मुख्य रूप से भारतीय थे। उन्होंने हाथीदांत पर लघु चित्र भी बनाए और उनके बड़े ग्राहक थे।

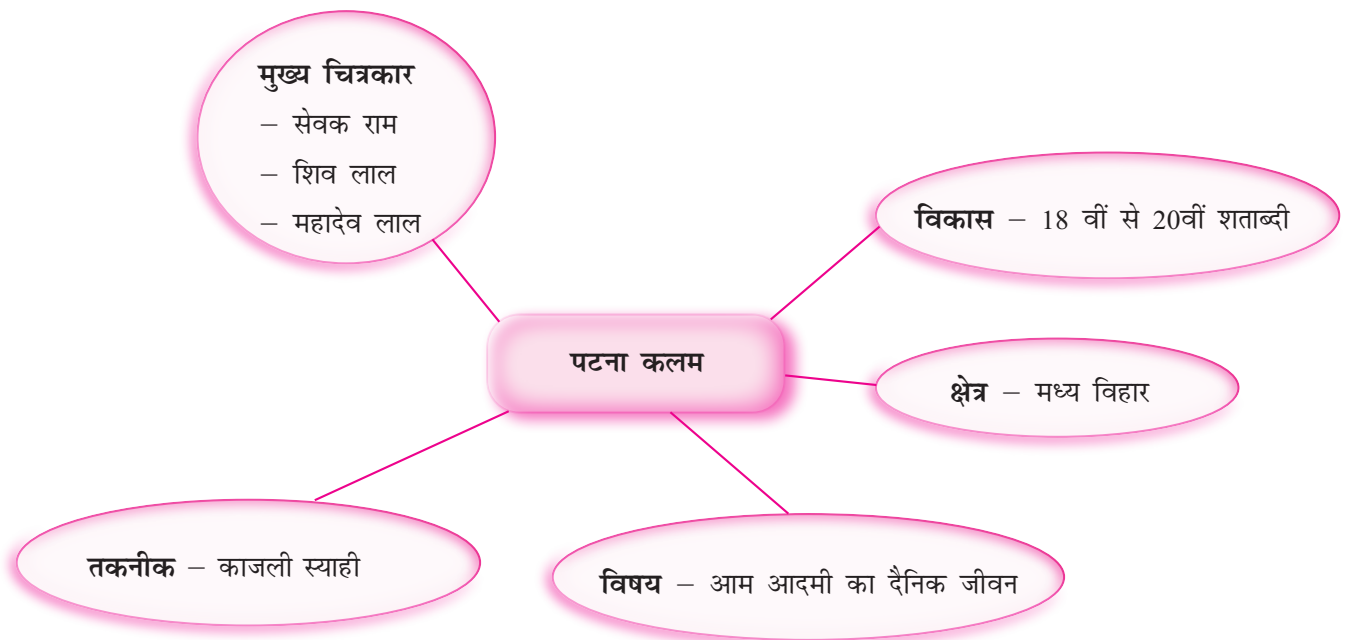
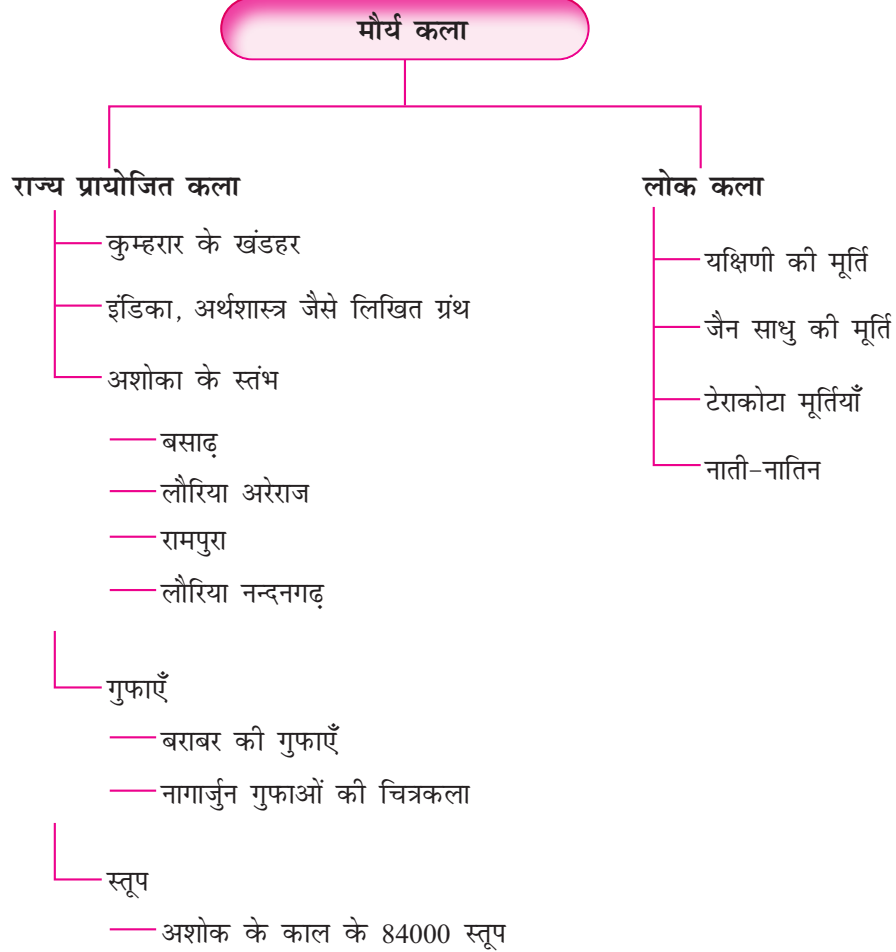
6.4 मधुबनी चित्रकला

- यह बिहार की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है। यह मूल रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा। यह रामायण के समय से चली आ रही है। मूल रूप से, पेंटिंग झोपड़ियों की ताजी मिट्टी की दीवार पर की जाती थी, लेकिन अब यह कपड़े, हाथ से बने कागज और तिरपाल पर भी की जाती है।



राम-सीता विवाह को दर्शाती मधुबनी पेंटिंग

- मधुबनी चित्रकला के विषय प्रकृति और हिंदू धार्मिक आंकड़े हैं और आम तौर पर हिंदू देवताओं, सूर्य, चंद्रमा जैसी प्राकृतिक वस्तुओं और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों से जुड़ी हुई हैं।
- पेंटिंग में खाली जगह फूलों, जानवरों, पक्षियों और ज्यामितीय डिजाइनों के रूपांकनों से भरे हुए हैं।
- इसकी मुख्य विशेषता यह है कि चित्रों में विविध और विषम रंगों को भरा हुआ है। रैखिक मधुबनी पेंटिंग को रंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें केवल रुपरेखा बनाई जाती है।
- चित्रकला की इस शैली की शुरुआत रामायण के समय हुई थी जब राजा जनक ने भगवान राम से अपनी बेटी सीता के विवाह के समय कलाकारों को चित्र बनाने के लिए आज्ञा दी थी।
- इन चित्रों को ब्रश, रंग और कागज से बनाया गया है। ब्रश कपास से बना होता है जो बहुत पतली बांस की छड़ी से बंधा होता है। इन चित्रों में मुख्य रूप से पीला, हरा, लाल, काला, नीला, नारंगी आदि रंगों का उपयोग किया जाता है। पीले रंग का उपयोग भूमि बनाने के लिए किया जाता है, लाल का उपयोग आग के लिए किया जाता है, काले का उपयोग हवा के लिए किया जाता है, नीले रंग का उपयोग आकाश के लिए किया जाता है।
- कलाकार लाल और नारंगी रंग के लिए हल्दी, काले रंग के लिए जड़, नीले रंग के लिए नील, हरे रंग के लिए सेब के पेड़ के पत्ते, लाल और नारंगी रंग के लिए पलाश फूलों के साथ रंगों को तैयार करते हैं।



खंड-II

बिहार का भूगोल

बिहार: भौतिक भूगोल

7.1 प्रस्तावना

बिहार, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह तीन भारतीय राज्यों अर्थात्- उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमाबद्ध राज्य है तथा यह नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। बिहार की सीमा- उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है।

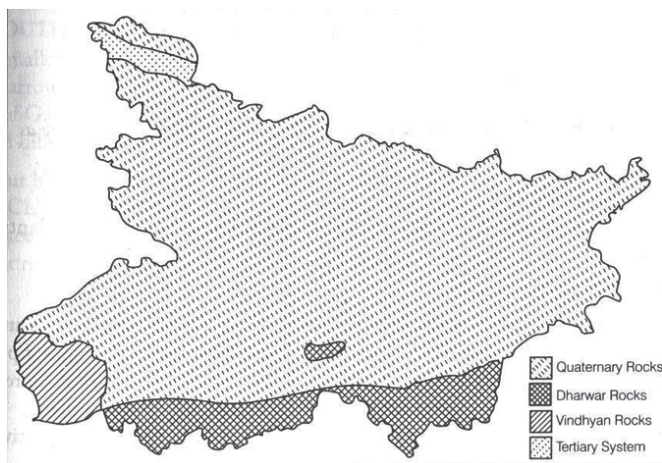


- देशान्तरीय विस्तार - 83°19' पूर्व से 88°7' पूर्व
- अक्षांशीय विस्तार - 24°20' उत्तर से 27°3' उत्तर
- पूर्व से पश्चिम की दूरी - 483 किमी
- उत्तर से दक्षिण की दूरी - 345 कि
- नेपाल सीमा की लम्बाई - 601 किमी
- 7 जिले, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं- पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज।
- 8 जिले, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्मित करते हैं- पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास।

- पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा से सटे 8 जिले- रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार।
- 3 जिले, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में पश्चिम बंगाल की सीमा निर्मित करते हैं- किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार।
- गंगा, घाघरा तथा गंडक नदी कुछ हिस्सों में उत्तर-प्रदेश के साथ सीमा निर्मित करती हैं।
- सोन नदी, रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा निर्मित करती है।

7.2 बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना

बिहार के भूविज्ञान में पुराने और नए दोनों प्रकार के चट्टान स्वरूप पाए जाते हैं। उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण तृतीयक काल में हुआ था। हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण ने बिहार के मैदान का निर्माण किया, जो कि समयावधि के आधार पर सबसे नवीन है। इस मैदान का निर्माण, नव-उन्नत हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर तीव्रता से बहने वाली नदियों द्वारा लादे गए भारी भार से एक विशाल गर्त के भर जाने से हुआ था। बिहार का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल से लेकर, प्लेइस्टोसिन काल की चतुर्थातुक चट्टानों तक का योगदान है। बिहार के उत्तरी भाग का संबंध, चतुर्थातुक शैल काल से है। बिहार का उत्तरी चंपारण, तृतीयक शैल काल से संबंधित हैं एवं बिहार का रोहतास तथा औरंगाबाद, विंध्य शैल काल से संबंधित हैं।



संरचना के आधार पर बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

7.2.1 धारवाड़ की चट्टानें

- ये सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। ये चट्टानें प्रीकैम्ब्रियन काल की हैं।
- आर्कियन अवसाद, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, गनीस, शिस्ट और स्लेट, धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं।

- ये चट्टानें बिहार के दक्षिण-पूर्वी भाग अर्थात् मुंगेर, जमुई, गया, नालंदा और नवादा जिलों में पाई जाती हैं।
- धारवाड़ की चट्टानों में अभ्रक- शिस्ट की प्रधानता होती है।
- वे छोटा नागपुर पठार का एक भाग हैं।
- इन चट्टानों की आयु, आर्कियन चट्टानों की आयु के लगभग बराबर हैं।

7.2.2 विंध्य चट्टान

- विंध्य चट्टान का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। ये चट्टान चूना पत्थर और पाइराइट से समृद्ध हैं, जिनका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है।
- सोन नदी घाटी में जलोढ़ निक्षेप पाये जाते हैं।
- यह शैल समूह दो भागों में विभक्त है- निचला विंध्य समूह तथा ऊपरी विंध्य समूह।
- इन चट्टानों का उपयोग मनेर दरगाह, सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, सांची तथा अन्य बौद्ध स्तूप जैसे स्मारकों के निर्माण में किया गया है।
- औरंगाबाद जिले के नवीनगर में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
- विंध्य चट्टानें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और शैल जैसी क्षैतिज रूप से परतदार तलछटी चट्टानें हैं।
- कैमूर श्रृंखला, इस प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। ये चट्टानें भवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ये चट्टानें गंगा के मैदान और दक्कन के मध्य एक विभाजक रेखा का निर्माण करती हैं।

7.2.3 तृतीयक चट्टान

- हिमालय का निर्माण तृतीयक काल में हुआ था।
- बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र तथा शिवालिक चट्टानों में, तृतीयक चट्टानें पाई जाती हैं।
- ये तृतीयक चट्टानें रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ियों में पाई जाती हैं, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित हैं।
- बलुआ पत्थर, बोल्टर कले और कंग्लोमेरेट इन चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं।
- इन चट्टानों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं क्योंकि इनका निर्माण टेथिस समुद्र के अवसादों से हुआ था।

7.2.4 चतुर्थातुक चट्टानें

- इनका निर्माण प्लाइस्टोसीन तथा हाल के समय में हुआ था।
- चतुर्थातुक चट्टानें बलुआ पत्थर, जलोढ़, कंग्लोमेरेट, मोटे कंकड़ आदि से निर्मित होती हैं।

- बिहार का मैदान, जो कि एक कोमल ढलान वाला विशाल मैदान है, इस काल की नदियों द्वारा लाये गये अवसादों के निक्षेपण से बना है।
- गंगा के मैदानी भाग में ये चट्टानें, अवसादी चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं।
- इस मैदान में जलोढ़ की गहराई लगभग 6000 मीटर है। जलोढ़ की सर्वाधिक गहराई, पटना जिले के निकटवर्ती भागों में पाई जाती है।

जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं:

बांगर, पुराना जलोढ़ है, जिसमें कंकड़, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट शामिल होते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक ऊँचे स्थानों पर पाया जाता है और इसलिए यह बाढ़ से मुक्त होता है।

खादर, नया जलोढ़ है, अर्थात् खादर रेत, गाद और चिकनी मिट्टी से मिलकर बना होता है। यह निचले हिस्सों में पाया जाता है और प्रायः बाढ़ से प्रभावित होता है।

7.3 बिहार का भौगोलिक विभाजन

भौतिक एवं संरचनात्मक दशाओं के आधार पर, बिहार को तीन प्रमुख भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है।

7.3.1 शिवालिक श्रेणी

यह क्षेत्र हिमालय पर्वत का एक भाग है और इसमें लगभग 932 वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है। यह पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी क्षेत्र में 32 किमी. लंबे और 6-8 किमी. चौड़े क्षेत्र में स्थित है। इसकी औसत ऊँचाई लगभग 80-250 मीटर होती है। स्थानीय विभिन्नताओं के आधार पर इस क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। ये इस प्रकार हैं :

i. रामनगर दून

- यह टूटी हुई पर्वत श्रृंखला, सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है।
- इसकी दक्षिणी सीमा 32 किलोमीटर लंबी और 6-8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी संतपुर (242 मीटर) के पास स्थित है।
- हरहा नदी की घाटी, रामनगर दून के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जो 214 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिणी पर्वतमाला के रूप में भी देखा जा सकता है।

ii. सोमेश्वर श्रेणी

- इस श्रेणी का निर्माण तृतीयक काल में हुआ था। ये पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा के मैदान में स्थित हैं और बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग को घेरती हैं।

- यह 70 किमी. लंबा है और 84 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊँचाई 450 मीटर से अधिक है।
- यह उत्तरी श्रेणी है, जो उस बिंदु से फैलती है जहाँ से त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना थोरी दर्रे के पास जा कर समाप्त होती है।
- राज्य की सबसे ऊँची चोटी, सोमेश्वर पहाड़ी (880 मी) इसी श्रेणी में स्थित है।
- इस क्षेत्र में कई दर्रे देखे जाते हैं, जैसे- सोमेश्वर, भिखना थोरी और मरवाट दर्रे जो कि क्रमशः तुरिपानी, कुडी और हरहा नदियों द्वारा निर्मित किये जाते हैं।
- यह श्रेणी भारत और नेपाल के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्मित करती है।

iii. हरहा घाटी

- यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर श्रेणियों के मध्य स्थित है।
- इसकी लंबाई 21 किमी. और ऊँचाई 152 मीटर है। यह 214 वर्ग किमी. के क्षेत्र में विस्तृत है। इस घाटी की अधिकतम ऊँचाई लगभग 240 मीटर है।

7.3.2 बिहार (इंडो-गैंगेटिक) मैदान

- यह मैदान उत्तरी पर्वतों तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र (नेपाल से छोटा नागपुर पठार तक) के मध्य विस्तृत है।
- यह गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है तथा इसमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96.7% शामिल है। यह उत्तर के साथ-साथ दक्षिण में, 150 मीटर की समोच्च रेखाओं से घिरा हुआ है।
- बिहार का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह आंशिक रूप से टेथिस सागर का तल है, जिसके ऊपर हिमालय और छोटा नागपुर पठार की नदियाँ अपना निक्षेप भरती हैं।
- उत्तर में इसकी स्थलाकृति चिकनी है, जबकि इसके दक्षिण में गया, राजगीर और खड़गपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
- इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिमी भाग में यह पूर्व की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका औसत ढलान प्रति किमी. 5-6 सेमी. है। इसकी औसत ऊँचाई 75 मीटर से 120 मीटर और औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है।
- गंगा नदी द्वारा इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात् उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान।

7.3.2.1 उत्तरी बिहार का मैदान / उत्तर गंगा का मैदान

- यह गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर है।
- यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी संभागों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा-गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक विस्तृत है।
- यह मैदान गंडकी, घाघरा, बूढ़ी गंडकी, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है।
- इस मैदान का उत्तर-पश्चिमी भाग, जो पूर्व और पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है जो कि उच्च ऊँचाई वाला तराई क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी उच्च अंतःस्रवण स्तर के साथ चट्टानी और झरझरी है, जिसके परिणामस्वरूप जल का स्तर उच्च होता है। तराई क्षेत्र में साल के वन और लंबी लाल घास पाए जाते हैं।
- इस मैदान का ढाल, उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है।
- यह क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र है।

- इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊँचा है। यह जलोढ़ पंख का स्थान है, जो की गंडकी, बूढ़ी गंडकी, कोसी और महानंदा नदियों के अवसादों द्वारा निर्मित है।
- इनमें से कुछ नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध हैं। कोसी को 'बिहार का शोक' के नाम से जाना जाता है।
- इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता चौर (गोखुर झीलें या नदियों के परित्यक्त चैनल) हैं। ये बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा और कटिहार जिले में पाये जाते हैं।
- उत्तरी बिहार का यह मैदान, दोआब (दो अभिसरण नदियों के मध्य स्थित भूमि) में विभाजित है। घाघरा-गंडक दोआब, गंडक-कोसी दोआब, और कोसी-महानंदा दोआब; बिहार के दोआब हैं।
- दियारा (दशकों से रेत और जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा निर्मित भूमि) भी इस मैदान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

उत्तरी बिहार मैदान का विभाजन

उत्तरी बिहार के मैदानी भाग को, अपवाह तंत्र तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर विभाजित किया गया है।



महानंदा मैदान

- यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कोसी नदी स्थित है।

- महानंदा नदी ने इस मैदान के निर्माण में, विशेष रूप से ऊपरी सतह के निर्माण में, जिसमें दलदली भूमि, तटबंध, पुराने जलोढ़ आदि शामिल हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कोसी और महानंदा नदियाँ भारी मात्रा में रेत और बजरी (कंकड़) ले जाती हैं तथा अपने तल एवं बाढ़ के मैदानों में निक्षेपण करती हैं।
- इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है।
- यह उत्तर बिहार के मैदानी भाग का लगभग दसवां भाग है।

कोसी का मैदान

- यह मैदान उत्तर में नेपाल की सीमा, पूर्व में महानंदा के मैदान, दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कमला नदी से घिरा हुआ है।
- इसमें बिहार के सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा और मधेपुरा जिलों को शामिल किया गया है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसमें उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों का लगभग छठा भाग शामिल है।
- कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। इस प्रकार, यह मैदान भी पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया है। अपनी परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही, यह राज्य में यह सदैव बाढ़ से प्रभावित रहता है।

कमला मैदान

- यह मैदान, उत्तर बिहार के मैदानी भाग के मध्य भाग में स्थित है। यह मैदान उत्तर में भारत-नेपाल सीमा, पूर्व में कोसी के मैदान, दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में बागमती के मैदान से घिरा हुआ है। इस मैदान का ढाल, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है।
- कमला नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी जानी जाती है। नदी की इस प्रक्रिया के कारण, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चौर का निर्माण हो गया है।

बागमती मैदान

- यह मैदान, पश्चिम में गंडकी के मैदान और पूर्व में कमला के मैदान के मध्य स्थित है। इस मैदानी भाग में बिहार के सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और शिवहर जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में भी कई चौर हैं।
- इस क्षेत्र में बागमती नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं- लालबकैया, लखनदेई और अधवारा।
- इस मैदान में कई दलदली भूमि है, जो परित्यक्त नदी मार्गों, विपथों और रेत तथा दोमट के असमान निक्षेपण द्वारा निर्मित है।

- मैदान में बहुत ही कोमल ढाल है, जो कि उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है।

गंडक मैदान

- यह मैदान, घाघरा के मैदान और बागमती के मैदान के मध्य स्थित है। गंडकी नदी पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर के निकट, उत्तर-बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तथा हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है।
- उत्तर में मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है और दक्षिण में इसका ढलान दक्षिण-पूर्व की ओर है।
- नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण, इस मैदान में एक विशाल निचला क्षेत्र है, जो कि लंबे अर्ध-वृत्ताकार चौर जैसा दिखाई देता है।

घाघरा मैदान

- यह, उत्तरी बिहार के मैदानी भाग का सबसे पश्चिमी भाग है। इसमें बिहार के सीवान, गोपालगंज और सारण जिलों को शामिल किया गया है।
- यह 'घाघरा-गंडक दोआब' का एक भाग है। इसे 'सारण मैदान' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं- नदी के भीतर दियासा भूमि, चौर या विस्तृत निचले इलाके तथा ऊँचे तटबंध।
- वर्षा-ऋतु में, नदी चौनलों के साथ-साथ तराई के विशाल विस्तार में बाढ़ आ जाती है लेकिन बाद में शुष्क मौसम के दौरान ये दिखाई देने लगते हैं। इस मैदान में मांझी, एकमा, गियासपुर और बरौली, अपने महत्वपूर्ण चौरों के लिए जाने जाते हैं।

क्षेत्रीय विविधता के आधार पर वितरण

क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर उत्तरी गंगा के मैदान को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे:

भाबर क्षेत्र

- भाबर, निम्न हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों का दक्षिणी क्षेत्र है।
- यह बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। इस क्षेत्र में रेत व बजरी का निक्षेपण है।
- यह क्षेत्र 7 जिलों (पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, किशनगंज और अररिया) में फैला हुआ है

बांगर क्षेत्र

- इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप है। यह क्षेत्र, निरंतर आने वाली बाढ़ से मुक्त है। यह बिहार के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है।

खादर क्षेत्र

- इस क्षेत्र में नए जलोढ़ के निक्षेप हैं। बाढ़ के पानी द्वारा लाए गए अवसादों और गाद के माध्यम से, प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ का निक्षेप होता है।
- यह क्षेत्र पश्चिम में गंडक से पूर्व में कोसी तक, उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी मैदान में विस्तृत है।

चौर

- चौर, निचले क्षेत्र और गोखुर झीलें हैं जो उत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों में नदियों और अत्यधिक वर्षा से बनती हैं।
- महत्वपूर्ण चौर हैं- लखानी चौर (पश्चिम चंपारण), सुंदरपुर चौर (पूर्वी चंपारण), तेतरिया चौर (पश्चिम चंपारण), माधोपुर मन, सरैया मन आदि।

7.3.2.2 दक्षिण बिहार का मैदान / दक्षिण गंगा का मैदान

- यह उत्तर बिहार के मैदान से क्षेत्रफल में छोटा है। यह गंगा नदी के दक्षिण से, छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक स्थित है।
- राज महल पहाड़ी और कैमूर पठार, क्रमशः उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। यह एक व्यापक पश्चिम तथा संकरे पूर्व भाग के साथ, त्रिकोणीय आकार में है।
- दक्षिण बिहार के मैदान में कई पहाड़ियाँ स्थित हैं जैसे- गया की पहाड़ियाँ (266 मीटर), राजगीर (466 मीटर), बराबर, गिरियाक, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर (510 मीटर) पहाड़ियाँ आदि।
- ये पहाड़ियाँ बिहार के जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर जिले में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के बाह्य भाग हैं और इन्हें अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है।
- इस मैदान का निर्माण कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, कैमूर, फल्गु, किऊल, हरोहर, मान नदी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों से उनकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये, जलोढ़ से हुआ है।
- दक्षिण बिहार का मैदान दक्षिण में ऊंचा है और गंगा की ओर ढालदार है, लेकिन इसकी ढलान उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों की तरह क्रमिक नहीं है।
- दक्षिण बिहार का मैदानी भाग स्थिर है और सीमित क्षेत्रों को छोड़कर बाढ़ के प्रति संवेदनशील नहीं है।

दक्षिण बिहार के मैदान को निम्नलिखित प्रभागों में विभाजित किया गया है:

चंदन मैदान

- यह मैदान, दक्षिण बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी भाग है। इसमें बिहार के बांका और भागलपुर जिलों को शामिल किया गया है।

- इस मैदान का निर्माण चंदन नदी द्वारा हुआ है, जो कि राजमहल पहाड़ियों और उसकी सहायक नदियों के एक भाग दिगिरिया पहाड़ियों से निकलती है।
- यह मैदान उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में गोड्डा, दक्षिण में देवघर और पश्चिम में जमुई से घिरा हुआ है।
- इस मैदान का उत्तरी भाग सजातीय है और उपजाऊ मिट्टी है जबकि इसका दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत लहरदार है।
- यह मैदान, दक्षिण बिहार के मैदान का लगभग दसवां भाग कवर करता है तथा यह दक्षिण से उत्तर की ओर ढालदार है।
- बांका, कटोरिया, बेलहर और भिटिया में मंदार पहाड़ी के क्षेत्रों में उबड़-खाबड़ क्षेत्र शामिल हैं, जबकि रजौन, अमरपुर और शंभुगंज आदि में दोमट मिट्टी का क्षेत्र है।

किऊल मैदान

- यह मैदान चंदन मैदान के पश्चिम, मोकामा ताल क्षेत्र के पूर्व और चकाई पठार के उत्तर में स्थित है।
- इसमें झांझा, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, पटसंडा और मझवा विकास खंडों के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं।
- इस मैदान का दक्षिणी भाग प्रकृति में लुढ़का हुआ है, जो चकाई, सिमुलतला, गोदई, बिशुनपुर, आदि विकास खंडों के क्षेत्रों को कवर करता है।
- इस मैदान के उत्तरी भाग में उपजाऊ मिट्टी है, जबकि दक्षिणी भाग में खुरदरी मिट्टी है।
- इस मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है।

ताल क्षेत्र

- यह तश्तरी के आकार का निम्न क्षेत्र है, जो मानसून के मौसम में पानी से भर जाता है तथा एक बड़ी झील के जैसा दिखाई देता है।
- यह गंगा नदी के उच्च तट के दक्षिण में, किऊल मैदान के पश्चिम में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान के पूर्व में स्थित है। यह 25 किलोमीटर चौड़ा है और पटना से मोकामा तक अवस्थित है।
- मोकामा ताल का विस्तार फतुहा से लखीसराय तक है। इसे बिहार की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है।
- इस क्षेत्र की लगभग 1,06,200 हेक्टेयर भूमि नीची है, जो मानसून के दौरान वर्षा जल से भर जाती है।
- यह मैदान दक्षिणी पहाड़ियों से नदियों द्वारा लाई गई उत्तम गुणवत्ता वाली जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है।
- पुनपुन, पैमार और फल्गु नदियाँ, गंगा नदी के दक्षिणी तट के उच्च होने के कारण, यह गंगा नदी में सीधे मिल जाती हैं।

- कुछ दूरी पर, कुछ नदियाँ वितरिका निर्मित करती हैं और ताल क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए फल्गु नदी, जो यहाँ विलुप्त हो चुकी है और इसकी रेत भूमि को अनुपजाऊ बना देती है।

मध्य दक्षिण बिहार का मैदान

- यह त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है।
- इसका क्षेत्रफल लगभग 1,230 वर्ग किमी है और इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं।
- इस मैदान का निर्माण गंगा नदी एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु नदी की वितरिकाओं द्वारा किया गया है।
- इस मैदान का ढाल दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर है।

शाहाबाद मैदान

- यह एक विस्तृत निचला मैदान है। यह दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के, पश्चिमी भाग में स्थित है।
- यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, दक्षिण में कैमूर पठार और पश्चिम में कर्मनाशा नदी से घिरा हुआ है।
- इसमें भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले के कुछ भाग शामिल हैं। इसका निर्माण, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों कर्मनाशा एवं सोन द्वारा किया गया है। इस मैदान को दो उपखंडों में विभाजित किया गया है:
 - पहला भाग गंगा नदी और पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन के मध्य स्थित है। गंगा नदी के किनारे की निम्न भूमि, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है।
 - भूमि का दूसरा बड़ा भू-भाग, रेलवे के दक्षिण में कैमूर पठार की तलहटी में स्थित है। इसमें लगभग 5.7 हजार वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है। यह भी एक समतल जलोढ़ मैदान है।

7.3.3 दक्षिणी संकीर्ण पठार

- यह पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र, दक्षिण बिहार मैदानी क्षेत्र के सुदूर दक्षिण में स्थित है। यह छोटा नागपुर के पठार की सीमा है।
- यह एक संकीर्ण पट्टी है, जो पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में बांका जिले तक विस्तृत है।
- यह भूमि का एक अविरल पथ है, जो पहाड़ियों से भरा हुआ है।

- यह क्षेत्र नाइस, शिस्ट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है।
- यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है।
- चूंकि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, अतः इसका निर्माण कठोर एवं प्राचीन चट्टानों से हुआ है।

दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

कैमूर/रोहतास पठार

- इसका क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कैमूर जिले के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करता है।
- यह 80 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत ऊँचाई 300 मीटर से 450 मीटर तक है।
- यह दक्षिण में कैमूर जिले की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, उत्तर में शाहाबाद के मैदान तक विस्तृत है।
- समुद्र तल से 495 मीटर की ऊँचाई के साथ, रोहतासगढ़ इस क्षेत्र का सबसे ऊँचा स्थान है।
- इस क्षेत्र में अधिकांशतः विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं।
- इस क्षेत्र में पहाड़ी धाराओं द्वारा निर्मित कई गहरी घाटियाँ हैं। यह बिहार का प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है।

गया पहाड़ी क्षेत्र

- यह टूटा हुआ तरंगित हिस्सा- गया, औरंगाबाद और नवादा जिलों के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- यह क्षेत्र पहाड़ियों की लंबी श्रृंखलाओं और इसके दक्षिण में ब्रशवुड जंगल की एक विस्तृत पट्टी के साथ विलय हो जाता है।
- यह भाग अत्यधिक बंजर है तथा खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। गिढौर पहाड़ियाँ, गया और नवादा की दक्षिणी सीमा पर स्थित हैं एवं धारवाड़ द्वारा निर्मित हैं। वे अत्यधिक कायांतरित हैं और उनमें अभ्रक पाया जाता है।
- ये पृथक पहाड़ियाँ हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार के बहिर्वाह के रूप में जलोढ़ मैदानों से घिरी हुई हैं।
- गया शहर में 'पहाड़ियों का राजा' उत्तर में रामशिला पहाड़ियों (214 मीटर), पश्चिम में कटारी पहाड़ियों (136 मीटर), दक्षिण में ब्रह्मयोनि पहाड़ी (238 मीटर) और उत्तरपश्चिम में प्रेतशिला पहाड़ी (262 मीटर) के रूप में स्थित है।
- माहेर पहाड़ी (482 मीटर), इस क्षेत्र का उच्चतम बिंदु है।
- गया और जहानाबाद की सीमा पर, बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियाँ स्थित हैं।

नवादा पर्वतीय क्षेत्र

- यह पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर में गंगा नदी से लेकर नवादा जिले के दक्षिणी भाग तक अवस्थित है।
- स्पर्स, इस क्षेत्र में पहाड़ियों और श्रेणियों के रूप में पाए जाते हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत हैं एवं छोटी घाटियों द्वारा पृथक किये जाते हैं।
- इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ श्रृंगिरिखी (555 मीटर), दुर्वासादी पहाड़ी (661 मीटर) और महाबार पहाड़ी (549 मीटर) हैं।
- मोहना और ककोलत जलप्रपात भी, इसी क्षेत्र में स्थित हैं।

राजगीर पर्वतीय क्षेत्र

- यह पहाड़ी क्षेत्र, मध्य दक्षिण बिहार मैदान के उपजाऊ जलोढ़ मैदान के मध्य भाग में स्थित है। यह नालंदा तथा गया जिलों में स्थित है। यह गया की पहाड़ियों का विस्तारित भाग है।
- ये पहाड़ी श्रृंखलाएं बोध गया से विस्तृत होती हैं और गिरियक के निकट समाप्त होती हैं एवं ये उस घाटी को घेरती हैं, जो कभी राजगृह का प्राचीन शहर था।
- इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं- वैभवगिरि पहाड़ियाँ (380 मीटर, सबसे ऊँची चोटी), बिपुलगिरि पहाड़ी (320 मीटर), रत्नागिरि पहाड़ी (313 मीटर), उदयगिरि पहाड़ी (231 मीटर), सोनागिरि पहाड़ी (222 मीटर) और बिहारशरीफ/पीरप्रहरी पहाड़ी (108 मीटर)।
- शांति स्तूप, बिपुलगिरि शिखर के पूर्व में स्थित है।

- इस क्षेत्र का उत्तरी भाग हरा-भरा है, जबकि इसका दक्षिणी भाग पहाड़ियों के वृष्टि छाया भाग के कारण तुलनात्मक रूप से बंजर है।
- ये पहाड़ियाँ मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट और स्लेट से निर्मित हैं।

मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र

- यह पहाड़ी क्षेत्र (जमुई और मुंगेर) बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- इसमें कई निम्न पर्वतमालाएँ और पृथक शिखर हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे व्यापक श्रेणी निर्मित करती हैं, जो कि जमालपुर से जमुई रेलवे स्टेशन तक विस्तृत हैं। इन पहाड़ियों में कई खड़ी अनियमित लकीरें हैं।
- गिद्धेश्वर पहाड़ियाँ, पहाड़ियों का एक खंड निर्मित करती हैं, जो इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। यह पहाड़ियाँ नवादा जिले में स्थित हैं।
- सतपहाड़ी पहाड़ी (542 मीटर), इस क्षेत्र के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है।
- चकाई पठार दक्षिणी सीमा के पास स्थित है, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है और व्यापक पैमाने पर जंगलों से भी घिरा हुआ है।
- इस पठार को उत्तर की ओर तरंगित पथ द्वारा, बटिया पहाड़ी श्रृंखला द्वारा पृथक किया गया है, जो बर्वे, सिमुलतला के उत्तर से हजारीबाग पठार और नवादा सीमा तक विस्तृत है।

7.4 बिहार के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर/पहाड़ियाँ

शिखर / पहाड़ियाँ	ऊँचाई (मीटर में)	शिखर / पहाड़ियाँ	ऊँचाई (मीटर में)
सोमेश्वर पहाड़ी	880	दुर्वासादी पहाड़ी	661
श्रृंगीरिखी पहाड़ी	555	महाबार हिल	549
सतपहाड़ी हिल	542	खड़गपुर पहाड़ी	510
माहेर पहाड़ी	482	राजगीर पहाड़ी	466
रोहतासगढ़ पहाड़ी	447	हादिया पहाड़ी	441
बयारी पहाड़	408	पहाड़ा हिल	358
तारी पहाड़	357	सतघरवा पहाड़	343
वैभारगिरि पहाड़ी	343	लोहारवा पहाड़	334
बिपुल गिरि शिखर	320	टाटानगरी चोटी	313
बराबर पहाड़ी	307	हरहा पहाड़ी	300
सोंगा पहाड़	300	गिद्ध पहाड़	281
द्वार पहर	275	प्रेतशिला पहाड़ी	262
रानीडीह पहाड़	269	ब्रह्मयोनी पहाड़ी	238
उदयगिरि पहाड़ी	231	सोनागिरि पहाड़ी	222
रामशिला पहाड़ी	214	कटारी पहाड़ी	136
बिहारशरीफ/पीरप्रहरी पहाड़ी	108		



बिहार में महाद्वीपीय मानसून प्रकार की जलवायु है जिसमें चार अलग-अलग मौसम होते हैं। यहां की जलवायु हिमालय से इसकी निकटता, समुद्र से दूरी और ऊपरी वायु परिसंचरण से प्रभावित होती है।

8.1 बिहार की जलवायु

बिहार समशीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र $23\frac{1}{2}^{\circ}$ से 40° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। बिहार में एक महाद्वीपीय मानसून और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है।

बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य भौगोलिक कारक इस प्रकार हैं:

- **भौतिक कारक:** कर्क रेखा से निकटता, बंगाल की खाड़ी के नजदीक, दक्षिण-पश्चिम मानसून, हिमालय पर्वत और ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन।
- बिहार कर्क रेखा के पास स्थित है जिससे यहां की जलवायु गर्म रहती है। ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार में तापमान कभी-कभी 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है।
- हिमालय से निकटता के कारण इसका उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में ठंडा रहता है।
- बिहार गंगा के मैदान और असम से भी जुड़ा हुआ है जो नॉर्वेस्टर्स का एक स्रोत क्षेत्र है। नॉर्वेस्टर पूर्व-मानसून सीजन में वर्षा का कारण बनते हैं।
- बिहार के पूर्वी भाग में समुद्र से निकटता के कारण आर्द्र जलवायु होती है जबकि पश्चिमी भाग महाद्वीपीय प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। पूर्वी भाग में 200 सेमी औसत वर्षा होती है जबकि पश्चिमी भाग में 100 सेमी औसत वर्षा होती है।
- निम्न दबाव का क्षेत्र जो राजस्थान और आस-पास के क्षेत्रों में निर्मित होता है, बाद में बिहार और ओडिशा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित हो जाता है। इससे गर्मी के मौसम में बिहार में मानसून वर्षा होती है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी इसकी जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

- वर्षा ऋतु के बाद हवा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, अतः इसकी जलवायु को '**संशोधित मानसूनी जलवायु**' कहा जा सकता है।

कोपेन के अनुसार, बिहार की जलवायु शुष्क शीतोष्ण (सीडब्लूजी) के साथ मानसून प्रकार की है, जबकि **ट्रेवर्था** और **थार्नथ्वेट** के अनुसार यह उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार है।

8.2 बिहार में मौसम

बिहार में ऋतुओं को मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. **ग्रीष्मकाल का मौसम**– मार्च से मई
2. **दक्षिण-पश्चिम मानसून**– जून से सितम्बर
3. **दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी**– अक्टूबर से नवंबर
4. **शीत काल**– दिसम्बर से फरवरी

8.2.1 ग्रीष्मकाल का मौसम

- गर्म मौसम मार्च में शुरू होता है, तापमान बढ़ता है और दबाव लगातार घटता है। यह मई तक जारी रहता है। अप्रैल में आर्द्रता सबसे कम होती है।
- इस मौसम के दौरान औसत तापमान पूर्व और उत्तर-पूर्व में 29°C से पश्चिम में 32°C के बीच रहता है।
- नॉर्वेस्टर शॉवर के प्रभाव के कारण पूर्व के तापमान में गिरावट आती है। यह बिहार से निकलती है और पूर्व की ओर बढ़ती है।
- नॉर्वेस्टर बिहार में वर्षा लाता है और इसके साथ बिजली, आंधी और ओलावृष्टि होती है। हालांकि, यह जूट, धान जैसी पूर्व-खरीफ फसलों और आम और लीची जैसे कई फलों के लिए बेहद मददगार होती है। ऐसी वर्षा को '**आम की वर्षा**' या '**काल वैशाखी**' के नाम से भी जाना जाता है।
- मई में गया सबसे गर्म जिला होता है जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि मई का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिहार में मई सबसे गर्म माह होता है।
- अप्रैल के अंत और मई के दौरान मैदानी इलाकों में गर्म चिलचिलाती 'लू' हवाएँ चलती हैं, जिनकी औसत गति 8-16

किमी प्रति घंटा होती है। लू स्थानीय हवाएं हैं जो विशेष रूप से गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा और सारण जिलों में मानव जीवन को प्रभावित करती हैं।

- इस मौसम में ओलावृष्टि जमीनी हवा के ऊर्ध्वाधर ऊपर उठने के कारण होती है जिससे नमी वायुमंडल के हिमांक स्तर से ऊपर पहुँच जाती है और वर्षा ओलों के रूप में नीचे आती है।
- इस मौसम के दौरान, बिहार के पश्चिमी भाग में लगभग 127 मिमी औसत वर्षा होती है जबकि पूर्वी भाग विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी भाग में लगभग 254 मिमी औसत वर्षा होती है।
- गर्मियों की यह वर्षा जूट और धान, रागी जैसी शरदकालीन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है।
- उत्तरी बिहार की तुलना में बिहार के दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है।

8.2.2 दक्षिण-पश्चिम मानसून

- यह ऋतु जून में शुरू होती है और सितम्बर तक रहती है। वर्षा वाली इन हवाओं के चलने का समय पूर्वी बिहार में 7 जून से पश्चिमी बिहार में 15 जून तक होता है।
- गंगा के मैदान के ऊपर एक कम दबाव का केंद्र विकसित हो जाता है जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक उच्च दबाव का केंद्र विकसित हो जाता है।
- दाब के इस अंतर के कारण वर्षा वाली हवाएं भारतीय मैदान की ओर चलती हैं। इन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून पवन कहते हैं।
- बिहार में मानसून के साथ तीव्र चक्रवाती तूफानों के अचानक आने के साथ गरज, बिजली और मूसलाधार बारिश होती है।
- इन हवाओं के कारण पूर्वी और उत्तरी बिहार में भारी वर्षा होती है। ये हवाएं सबसे पहले उत्तर-पूर्वी बिहार यानी किशनगंज जिले में दस्तक देती हैं।
- चूंकि कई चक्रवात बिहार के संक्रमणकालीन क्षेत्र में आते हैं, जो आर्द्र पश्चिम बंगाल और शुष्क उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, वर्षा पूर्व से पश्चिम दिशा में कम हो जाती है।
- कुल मिलाकर वर्षा स्थानिक और लौकिक भिन्नता दर्शाती है।
- बिहार के उत्तर-पूर्व भागों में लगभग 190 सेमी वर्षा दर्ज की जाती है जबकि राज्य के पश्चिमी भागों में केवल 100 सेमी वर्षा होती है।
- बुढ़ी गंडक के मैदान के उत्तर-पूर्व में स्थित क्षेत्र में 125 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इस मौसम में जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है।

नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों सहित दक्षिण बिहार क्षेत्र में आमतौर पर कम वर्षा दर्ज की जाती है।

- बिहार में मानसून के मौसम में 'हथिया' नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। इस नक्षत्र में होने वाली वर्षा रबी की फसलों को अत्यधिक प्रभावित करती है। यह अक्टूबर की वर्षा से भी जुड़ा हुआ है।

8.2.3 दक्षिण-पश्चिम मानसून का वापस लौटना

- अक्टूबर के पहले सप्ताह में, दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ वापस जाना शुरू कर देती हैं। यह ग्रीष्म से शीतकाल की संक्रमणकालीन अवधि होती है और इसे 'शरद ऋतु' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस महीने में, मौसमी कम दबाव खत्म हो जाता है और उत्तर-पश्चिमी हवाएं उत्तर-पश्चिम भारत में उच्च दबाव से बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होने वाले निम्न दबाव की ओर मैदानी इलाकों में बहने लगती हैं।
- इस मौसम की सबसे खास विशेषता उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आना है जो बंगाल की खाड़ी में निर्मित होते हैं।
- हथिया नक्षत्र काल में (सितंबर-अक्टूबर), इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति बिहार राज्य में अधिकतम है। ये चक्रवात राज्य में धान की फसल के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।
- कभी-कभी, राज्य में लगातार बारिश होती है जिससे बाढ़ आ जाती है।
- राज्य के बड़े हिस्से में 2.5 सेमी से 10 सेमी तक वर्षा होती है जो आमतौर पर अक्टूबर के महीने में होती है। नवंबर का महीना लगभग सूखा ही रहता है।
- इस ऋतु में जेट धाराएँ हिमालय की दक्षिणी शीत लहरें बन जाती हैं। पश्चिमी हवाएँ और उत्तरी हवाएँ मैदानी क्षेत्र में बहने लगती हैं। इससे तापमान गिर जाता है और शुष्क स्थिति पैदा हो जाती है।

बिहार में वर्षा का वितरण

- बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेमी होती है। यह वर्षा काल जून से अक्टूबर तक रहता है जो राज्य को 85% से 90% वर्षा देता है। पश्चिम-मध्य क्षेत्र में लगभग 100 सेमी की सामान्य वर्षा होती है जो उत्तर में उप-पर्वतीय क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्णिया और किशनगंज जिलों की ओर 200 सेमी तक बढ़ जाती है। किशनगंज में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जो राज्य में सबसे अधिक है।

8.2.4 शीतकाल का मौसम

- यह ऋतु दिसम्बर से फरवरी तक रहती है। इसकी विशेषता कम तापमान, हल्की उत्तरी हवाओं, साफ आसमान और कम आर्द्रता की है।

- इस मौसम में बिहार का औसत तापमान 16°C रहता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गया में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है और बिहार का सबसे ठंडा स्थान होता है।
- उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्षिण-पूर्वी भारत में दबाव के अंतर के कारण बिहार का मैदान शीत लहरों का अनुभव करता है। भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातीय विक्षोभ के कारण इस क्षेत्र में लगभग 10 से 20 मिमी वर्षा होती है, जो रबी फसलों के लिए लाभदायक होता है।
- फरवरी में जनवरी की तुलना में अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। इस मौसम के दौरान मैदानी इलाकों में पठारी क्षेत्र की तुलना में अधिक तापमान दर्ज किया जाता है।
- उत्तर-पश्चिम बिहार में शिवालिक क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना रहती है जिससे आलू की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

8.3 बिहार की मिट्टी

मृदा निर्माण मूल चट्टानों के टूटने या मूल चट्टानों में होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से होता है। जलवायु भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार में उच्चावच, वर्षण, वनस्पति और मूल चट्टानों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी होने के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के मैदानों में नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट से हुआ है।

भू-आकृति और नमी के आधार पर मृदा का वर्गीकरण

मृदा को नमी, भौतिक और रासायनिक गुणों जैसे गुणों के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. उत्तरी मैदानों की मिट्टी
2. दक्षिणी मैदानों की मिट्टी
3. दक्षिणी पठार की मिट्टी

8.3.1 उत्तरी मैदान की मिट्टी

शिवालिक रेंज में पश्चिमी चंपारण के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी के पर्वतीय क्षेत्रों में वन या पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण का परिणाम है।

उत्तरी मैदानी मिट्टी को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- I. पीडमोंट दलदली मिट्टी
- II. तराई की मिट्टी

III. जलोढ़ मिट्टी

IV. दोमट मिट्टी

(i) पीडमोंट दलदली मिट्टी

- यह मिट्टी पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में पूर्व में सोमेश्वर पहाड़ियों (किशनगंज) तक पाई जाती है। यह मिट्टी उथली से गहरी होती है और इसमें चट्टानों और कंकड़ होते हैं।
- यह मिट्टी अधिकतर चिकनी मिट्टी है, जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है। यह धान, मक्का और जौ की फसल के लिए उपयुक्त होती है।
- इस मिट्टी में कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा एवं नमी के कारण दलदली भूमि विकसित हो गई है। वनों की अधिकता के कारण यह हल्के भूरे या पीले रंग की और अम्लीय प्रकृति की होती है।

(ii) तराई मिट्टी

- इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के साथ-साथ सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में एक संकरी पट्टी में पाई जाती है।
- इस मिट्टी वाले जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हैं।
- यह मिट्टी पश्चिमी भाग में भारी प्रकृति की होती है जबकि दक्षिण-पूर्व क्षेत्र की मिट्टी कोसी और महानंदा नदियों के प्रभाव के कारण हल्की प्रकृति की है।
- यह मिट्टी भूरे से पीले रंग की होती है जिसमें अच्छी तरह से जल निकासी नहीं होती है और प्रतिक्रिया में तटस्थ से मध्यम अम्लीय होती है। यह चूने से भरपूर और छोटी बजरी वाली होती है।
- इसमें मध्यम क्रम की उर्वरता होती है। निचले क्षेत्र की तराई मिट्टी ऊपरी क्षेत्र की तराई मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है।
- निचले तराई क्षेत्र में चावल, गन्ना, जूट, मक्का, सब्जियां और तिलहन जैसी भदई और अगहनी फसलें उगाई जाती हैं, जबकि ऊपरी क्षेत्र की भूमि में मुख्य रूप से बाजरा, मरुआ, कुलथी, शकरकंद, अरहर, आदि की फसलें उगाई जाती हैं और यह मुख्य रूप से बंजर होती है।

(iii) जलोढ़ मिट्टी

- यह मिट्टी तराई मिट्टी की बेल्ट के दक्षिण में स्थित है। यह एक विस्तृत बेल्ट है जो उत्तर-पश्चिम की ओर संकरी और दक्षिण-पूर्व में चौड़ी होती जाती है।

- यह पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय और खगड़िया जिलों में पायी जाती है।
- यह मिट्टी उत्तर की ओर मोटी और दक्षिण की ओर महीन होती है और इसकी उत्पादकता मध्यम होती है।
- इस मिट्टी में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें जूट, धान, गेहूँ, मक्का, दालें जैसे चना, मसूर, खेसारी और तिलहन जैसे सरसों आदि हैं।
- इस मिट्टी में रेत, दोमट और चिकनी मिट्टी अलग-अलग अनुपात में पायी जाती है।
- इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके कारण यह भूरे और सफेद रंग की होती है।

इस मिट्टी को आगे दो प्रकारों में बांटा गया है:

A. पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी

- यह एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो घाघरा- गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भागों में पाई जाती है।
- यह बनावट और रासायनिक संरचना में भिन्न होती है। यह प्रकृति में ज्यादातर चिकनी दोमट होती है।
- इस मिट्टी में कंकर या कार्बनयुक्त यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं।
- जो इसे धान की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है।
- इसमें चूना और पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है जो इसे गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है।
- यह मिट्टी अनाच्छादन की प्रक्रिया में है।

उप-मृदा में एक अभेद्य मिट्टी की परत होती है।

बांगर में दो प्रकार की मिट्टी होती है:

- भाट मिट्टी

निचली गंडक घाटी में मध्य-पश्चिमी उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में भाट या चूने की मिट्टी है।

- बालसुंदरी मिट्टी

यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण और गोपालगंज जिले में पाया जाता है। यह चूने से भरपूर होती है जो आम, केला और लीची जैसे फलों और धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, तम्बाकू आदि फसलों के लिए उपयुक्त है।

B. नई जलोढ़ या खादर मिट्टी

- ये निचले इलाकों में और नदियों के आस-पास पायी जाती हैं जहां ताजा निक्षेप इसे समय-समय पर नवीनीकृत करते हैं।

- यह ऊपरी भाग में रेतीला है जबकि निचले भाग में गाद होती है। यह मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में कम चूनेदार और कार्बोनेटिक होती है और इसमें कंकर की सघनता कम होती है।
- खादर मिट्टी की सतह समय-समय पर गाद जमा होने के कारण समतल हो जाती है। खादर मिट्टी गेहूँ, धान आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
- नदी तल को छोड़कर बेहतर जल निकासी होने के कारण, इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन का प्रतिशत कम होता है और थोड़ा चूना होता है, इस प्रकार यह कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है।
- यह गहरे भूरे रंग का होती है। यह गंगा घाटी और गंडक, बूढ़ीगंडक, कोसी और महानंदा नदियों की निचली घाटियों में फैली हुई है।
- यह मुख्य रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में पायी जाती है और पूर्णिया और सहरसा जिलों में व्यापक रूप से पायी जाती है। अधिक वर्षा होने के कारण बिहार के उत्तर-पूर्वी भागों में जूट भी इसी मिट्टी में उगाया जाता है।

(iv) दोमट मिट्टी

- यह मिट्टी उत्तर-बिहार मैदान के दक्षिण-पश्चिमी भाग सीवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, आदि जिलों में एक विस्तृत बेल्ट में पायी जाती है।
- पूर्व से लेकर पश्चिम तक यह मिट्टी रंग, भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्न होती है।
- पूर्वी क्षेत्र में नए चूने वाली जलोढ़ मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है जबकि पश्चिमी भाग विशेष रूप से सीवान और सारण जिलों में लवणीय और क्षार मिट्टी के साथ नयी चूनायुक्त जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
- पूर्वी दोमट मिट्टी सफेद से लेकर जैतूनी धूसर रंग की होती है लेकिन इस क्षेत्र के विशाल निचले इलाके में गहरे धूसर दिखाई देती है जिसे 'चौर' के नाम से जाना जाता है।
- इस मिट्टी में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें मक्का, धान, गेहूँ, गन्ना, तम्बाकू आदि हैं। आम और लीची भी यहाँ विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में उगाई जाती हैं और केला वैशाली जिले में प्रमुख रूप से उगाया जाता है।

8.3.2 दक्षिणी मैदान की मिट्टी

दक्षिणी मैदान की मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच पाई जाती है। यह सोन, पुनपुन, फल्गु नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ से निर्मित होती है।

इस मैदानी मिट्टी को चार प्रकारों में बांटा गया है:

- I. करैल-केवाल मिट्टी
- II. ताल मिट्टी
- III. बलथर मिट्टी
- IV. कगरी मिट्टी

I. करैल-केवाल मिट्टी

- यह भारी चिकनी मिट्टी है और इसे गीली धान की भूमि या धनहार कहा जाता है, जो उत्तरी रोहतास, उत्तरी गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर में ताल मिट्टी क्षेत्र के दक्षिण में फैली हुई है।
- करैल एक क्षारीय मिट्टी है और केवल चिकनी मिट्टी और भारी मिट्टी दोमट मिट्टी है।
- यह मिट्टी गहरे भूरे से पीले और हल्के पीले रंग की प्रकृति के साथ अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की होती है।
- इसकी प्रकृति उच्च जल अवशोषण क्षमता और उच्च उर्वरता के साथ अत्यधिक संतुलित है। यह चावल और रबी दोनों फसलों जैसे गेहूँ, अलसी, बाजरा, दालें और चना के लिए उपयुक्त है।

II. ताल मिट्टी

- यह मिट्टी बक्सर से बांका जिले तक फैली हुई है। यह गंगा के बैकवाटर बेल्ट में स्थित है। मानसून के दौरान वर्षा का पानी जमा होने और खराब जल निकासी के कारण यह क्षेत्र महीनों तक पानी में डूबा रहता है।
- इसकी चौड़ाई 8 से 10 किमी तक होती है। ताल मिट्टी का रंग हल्के धूसर से गहरे धूसर और स्वरूप में मध्यम से भारी मिट्टी में भिन्न होता है।
- यह 7 से 8 के बीच पीएच वाली थोड़ा क्षारीय के लिए तटस्थ है। काफी समय तक पानी के जमा होने के कारण इस मिट्टी में खरीफ या मानसून की फसल नहीं उगाई जा सकती है। इस मिट्टी में रबी या वसंत ऋतु की फसलें जैसे गेहूँ, खेसारी, चना, मटर, मसूर आदि पानी सूखने के बाद बोई जाती हैं और इनकी उपज काफी अधिक होती है।

III. बलथर मिट्टी

- यह छोटा नागपुर पठार और दक्षिण गंगा मैदान के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है।
- यह कैमूर के पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक 5 से 15 किमी तक की संकरी बेल्ट में पाई जाती है।

- मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है।
- यह प्रकृति में अम्लीय है और इसमें रेत और बजरी की प्रधानता है। लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण यह लाल और पीले रंग की होती है।
- मक्का, ज्वार, बाजरा, चना इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं।

IV. कगरी मिट्टी

- यह मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी किनारे तथा सोन, किउल, पुनपुन और फल्गु नदियों के किनारे मोटे तटबन्धों के रूप में पाई जाती है।
- यह मिट्टी चूने से भरपूर और भूरे रंग की होती है।
- यह मिट्टी मक्का, जौ, मिर्च और सरसों की फसलों के लिए उपयुक्त है।

8.3.3 दक्षिणी पठार की मिट्टी

अवशिष्ट मिट्टी जो संकीर्ण दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है और लाल और पीले रंग की होती है।

दक्षिणी पठार की मिट्टी को दो प्रकारों में बांटा गया है:

i. लाल और पीली मिट्टी

- इन मिट्टी का निर्माण आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है।
- लोहे की उपस्थिति के कारण चट्टानों का रंग लाल होता है।
- वे कम उपजाऊ होते हैं और इस प्रकार मोटे फसलों और दालों के लिए उपयुक्त होते हैं।
- यह मिट्टी दक्षिण-पूर्वी बिहार जैसे बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर में पाई जाती है।

ii. कैमूर की पहाड़ियों की लाल रेतीली मिट्टी

- यह मिट्टी पश्चिम में कैमूर रेंज से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तरी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है।
- यह पीले लाल रंग की होती है और प्रकृति में अम्लीय होती है।
- बालू का अधिक प्रतिशत इस मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, इसलिए यह केवल बाजरा, ज्वार, आदि फसलों के लिए उपयुक्त है।



बिहार में अपनी भौतिक स्थलाकृति के कारण जालीदार (ग्रिड) और वृक्ष के समान जल निकासी प्रणाली हैं। कई नदियाँ जलोढ़ निक्षेपों से होकर बहती हैं जहाँ ढलान बहुत कम होता है, जिससे विस्तृत बाढ़ के मैदान बनते हैं। इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बड़ा है। ये नदियाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं और राज्य में पनबिजली पैदा करने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा वे जल परिवहन के लिए एक माध्यम हैं, मत्स्य उद्योग के लिए मछली प्रदान करती हैं और कई अन्य तरीकों से राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध करते हैं। राज्य के पास भूजल का एक अक्षय स्रोत भी होता है जिसका उपयोग पीने, सिंचाई और उद्योगों के लिए किया जाता है।

9.1 बिहार की प्रमुख नदियाँ

जल निकासी पैटर्न की उत्पत्ति के आधार पर, बिहार की नदी प्रणाली को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
2. पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ

9.1.1 हिमालय से निकलने वाली नदियाँ

ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं जो राज्य के उत्तर में स्थित हैं। ये नदियाँ उत्तरी मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती हैं जो गंगा और उसकी सहायक नदियों से निकलती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है। हिमालय की ये नदियाँ गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमलाबलान, बागमती और महानंदा हैं। ये नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। अपने बाढ़ के मैदानों में, ये नदियाँ उपजाऊ जलोढ़ जमा करती हैं, विसर्प बनाती हैं और बार-बार अपना मार्ग बदलती हैं।

हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों का विवरण नीचे दिया गया है:

9.1.1.1 गंगा

- यह गौमुख हिमनद से निकलती है।
- यह बिहार की मुख्य नदी है जो बक्सर में चौसा के पास राज्य में प्रवेश करती है और भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाती है।

- गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है।
- बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किमी है। राज्य में इसका 15,165 वर्ग किमी जल निकासी क्षेत्र है।
- इस नदी का ढाल बहुत कम है, इस प्रकार मानसून के मौसम में इसका पानी नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों के बाहर फैल जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देता है।
- यह नदी पूरे राज्य में नौगम्य है, इस प्रकार यह व्यापार और परिवहन के लिए एक अच्छा स्रोत प्रदान करती है।
- गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं जो उत्तर और दक्षिण दिशाओं से इसमें मिलती हैं। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियाँ उत्तर से आकर इसमें मिलती हैं।
- कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किऊल, फल्गु और चन्दन नदियाँ दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं।
- बिहार में गंगा नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है।
- बिहार में गंगा नदी पर सात पुल हैं, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ते हैं।
 1. महात्मा गांधी सेतु (केवल सड़क मार्ग)
 2. राजेंद्रसेतु (सड़क और रेल)
 3. जयप्रकाशसेतु (सड़क और रेल)
 4. विक्रमशिलासेतु (केवल सड़क मार्ग)
 5. श्रीकृष्ण सेतु (सड़क और रेल)
 6. बख्तियारपुर-ताजपुर पुल (सड़क)
 7. अगुवानी घाट पुल (सड़क)

9.1.1.2 घाघरा/सरयू

- यह नेपाल में मानसरोवर झील के निकट तिब्बती पठार में मैपचाचुंगो हिमनद से निकलती है। इसे “शारदा नदी” के नाम से भी जाना जाता है।
- यह सीवान जिले के गुठनी के निकट बिहार राज्य में प्रवेश करती है और सारण जिले के रिविलगंज में गंगा नदी में मिल जाती है। यह छपरा में उत्तर-पश्चिम दिशा से गंगा नदी में मिलती है।

- यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए अत्यधिक पवित्र नदी है।
- बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 83 किमी है।
- पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है।
- यह यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- घाघरा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, तेल और सांडी हैं।

9.1.1.3 गंडक

- यह उत्तर-पश्चिमी बिहार की महत्वपूर्ण नदी है। नदी का उद्गम अन्नपूर्णा पर्वत (नेपाल) के मस्टेंग हिमनद से होता है जो मनांगमोट और कुतांग के पास स्थित है।
- नेपाल में इसे काली के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल में विभिन्न धाराओं में बहती है। फिर, यह नेपाल में त्रिवेणी शहर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है।
- इसके बाद, नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है और सोमेश्वर रेंज के निकट वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है।
- यह बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली जिलों और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया जिले से होते हुए हाजीपुर और सोनपुर में गंगा में मिलती है।
- बिहार में गंडक नदी की कुल लंबाई 260 किमी है।
- यह उत्तर गंगा के मैदानों में दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बहती है।
- गंडक की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रोहुआ, मनौर, भाबसा, गंगरी या गोगरी, माही, डबरा नदियाँ हैं।
- वाल्मीकि नगर बैराज गंडक नदी पर स्थित है।
- इसे त्रिवेणी, नारायणी, काली गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है।
- गंडक नदी अपने बहाव को बदलने और बरसात के मौसम में बाढ़ का कहर ढाने के लिए भी विख्यात है।
- इस नदी ने चौर, दलदली भूमि और झीलों का भी निर्माण किया है।

9.1.1.4 बूढ़ी गंडक

- यह सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और गंडक नदी के समानांतर बहती है। यह अपने बहाव में विसर्प बनाती है। इसके ऊंचाई वाले इलाकों में इसे सिकरहना के नाम से जाना जाता है।

- यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिलों से होकर बहती है।
- बूढ़ी गंडक गंडक नदी की पुरानी धारा में बहती है, जो कभी अपने वर्तमान मार्ग से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई थी, इस प्रकार इसे इस नाम से जाना जाता है।
- इसका मार्ग उत्तर पश्चिम से दक्षिण-पूर्व तक गंडक नदी के समान है।
- यह खगड़िया के निकट गंगा में मिलती है। यह बिहार की सबसे तेज बहने वाली नदी है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 320 किमी है।
- इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हरहा, कपन, मेसन, बनगंगा, पंडई, मनियारी, करहा, कोहौरा, उरई, तेलाबे, प्रसाद और तिउर हैं।
- इस नदी के क्षेत्रों में कई चौर, दलदली भूमि और जलाशय स्थित हैं।

9.1.1.5 कोसी

- यह माउंट गोसाईथन से निकलती है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किमी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 86,900 वर्ग किमी है।
- यह हिमालय से निकलने के बाद अपने साथ भारी गाद और तलछट लाती है और इस बड़े भार को अपने मुहाने पर जमा कर देती है, जिसके कारण यह बार-बार अपना रास्ता बदलती है। कोसी की इस प्रकृति के कारण उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र बार-बार आने वाली बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। इसलिए इसे 'बिहार का शोक' कहा जाता है।
- इसकी सात ऊपरी सहायक नदियों के कारण इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सूर्य कोसी, अरुण कोसी, बागमती, कमलाबालन, तमूर कोसी, फरियानी धार, धेमना धार, भुतही बलान आदि।

9.1.1.6 बागमती

- यह नेपाल हिमालय की महाभारत श्रृंखला से निकलती है और सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर गांव से बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।
- काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इस नदी के तट पर स्थित हैं।
- इसकी कुल लंबाई 394 किमी है। यह बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- यह नदी दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में बहती है।

- यह अपने बदलते मार्ग के कारण एक खतरनाक नदी है और यह उन जिलों को बुरी तरह प्रभावित करती है जिनसे होकर यह गुजरती है।
- लालबकिया, लाखेंदेई, चंखला, जामुन, सिपरी धार, छोटी बागमती, कोला, भुरेंगी और अधवारा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं।

9.1.1.7 कमला बालन

- यह नदी नेपाल में सिंधुलियागढ़ी के पास पहाड़ियों की महाभारत श्रृंखला से निकलती है।
- ‘जीवछ कमला’ इस नदी का पुराना नाम था। यह मिथिला में गंगा के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है। मिथिला में इसे ‘कमला माई’ के नाम से भी जाना जाता है।
- यह बिहार के मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो जयनगर शहर से 3.5 किमी ऊपर की ओर है।
- जयनगर के पास राज्य सरकार द्वारा कमला बैराज नाम का बैराज बनाया गया है।
- कमला नदी की कुल लंबाई 328 किमी है, जिसमें से 208 किमी नेपाल में है और शेष 120 किमी बिहार में है। बिहार में इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 4,488 वर्ग किमी है। बिहार में लगभग 120 किमी बहने के बाद यह वितरिकाएं बनाती है।
- इसकी मुख्य सहायक नदियाँ धौरी, सोनी, बलान और त्रिसुला हैं।
- यह बरसात के मौसम में भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है, जब भी तटबंध में कोई भी दरार आती है तो यह तबाही मचाती है और जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है।

9.1.1.8 महानंदा

- यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महलदीरन पहाड़ी से निकलती है। यह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है।
- यह उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है, जो हिमालय से निकलकर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बहती है और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है।
- महानंदा नदी की कुल लंबाई 376 किमी है।
- यह किशनगंज जिले में बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर बहती है।
- कटिहार जिले में मनिहारी के पास गंगा नदी में मिलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है।

9.1.2 पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ

- इसमें वे नदियाँ शामिल हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और उत्तर दिशा की ओर बहती हैं और अंत में गंगा नदी में मिल जाती हैं।
- महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, सकरी, अजय, चंदन और किउल नदियाँ हैं।

9.1.2.1 सोन नदी

- यह नर्मदा के उद्गम क्षेत्र के निकट मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों की मैकाल श्रेणी से निकलती है। प्राचीन काल में इसे ‘सोनभद्र’ और ‘हिरण्यवाह’ के नाम से भी जाना जाता था।
- यह बिहार में गंगा की सबसे लंबी दक्षिण सहायक नदी है।
- यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है।
- यह रोहतास जिले में बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर बहती है।
- अंत में यह पटना में दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
- यह कैमूर पहाड़ियों और उत्तर कोयल नदी घाटी को विभाजित करता है जो दक्षिण में स्थित है।
- आरा, डेहरी और सोनभद्र सोन नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं।
- बिहार में सोन नदी की लंबाई 202 किमी है।
- इसकी मुख्य सहायक नदियाँ रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपद और कन्हर हैं।

9.1.2.2 पुनपुन

- यह नदी पलामू जिले में चौराहा पहाड़ी से निकलती है और पटना में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है।
- यह गया जिले में बिहार में प्रवेश करती है और औरंगाबाद, अरवल और पटना जिलों से होकर बहती है।
- इसकी लंबाई 200 किमी है। यह ज्यादातर वर्षा आधारित और मौसमी है और शुष्क मौसम में इसमें बहुत कम पानी होता है। हालांकि, वर्षा के दौरान, पुनपुन अक्सर पटना शहर के पूर्व में भारी बाढ़ का कारण बनती है।

9.1.2.3 फल्गु

- यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा को “निरंजना” (लीलाजन) के नाम से जाना जाता है जो बोधगया के निकट मोहना धारा से मिलकर फल्गु नदी बनाती है।

- बोधगया में 'निरंजना' नदी के तट पर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
- गया में फल्गु नदी के तट पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए 'पिंडदान' करते हैं।
- लीलाजन और मोहना नदियों के संगम पर, फल्गु मानसून के मौसम में भारी बाढ़ का कारण बनती है जबकि अन्य मौसमों में यह अलग-अलग धाराओं में सिमट जाती है और रेतीले क्षेत्रों से होकर बहती है।
- यह जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास दो धाराओं में विभाजित हो जाती है और आगे विभिन्न सहायक नदियाँ बनाती है।

9.1.2.4 कर्मनासा

- यह कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी दिशा में सरोदाग के पास से निकलती है और बक्सर जिले में चौसा के पास गंगा नदी से मिलती है जो उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा बनाती है। यह गंगा की सहायक नदी है।
- इसकी सहायक नदियाँ दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणुती, नदी और खजूरी हैं।
- इसे शापित और अपवित्र नदी माना जाता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र कैमूर पहाड़ी क्षेत्र और बक्सर जिले के मैदानी क्षेत्रों में है।

9.1.2.5 सकरी

- यह हजारीबाग पठार से निकलती है।
- यह नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट बिहार में प्रवेश करती है। यह गया, नवादा, पटना और मुंगेर से होकर बहती है और अंत में किऊल नदी के साथ गंगा नदी में मिल जाती है।
- नवादा जिले में सकरी नदी से एक नहर का निर्माण किया गया है। इसके पानी का उपयोग गया और पटना जिलों में सिंचाई के लिए किया जाता है।

9.1.2.6 अजय

- इसका उद्गम जमुई जिले के बटपाड़ स्थान से होता है।
- यह पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर बहती है और झारखंड फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में मिल जाती है।
- बिहार में इसकी लंबाई 202 किमी है। इस नदी को 'अजयवती' या 'अजमती' के नाम से भी जाना जाता है।

9.1.2.7 चंदन

- यह पांच धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे 'पंचानन' भी कहा जाता है।
- ये धाराएँ नालंदा जिले में गिरियक के निकट राजगीर पहाड़ी के अवरोध के कारण बड़ी जलधारा के रूप में बहती हैं।

9.1.2.8 किऊल

- यह हजारीबाग पठार से निकलती है और जमुई जिले में सतपहाड़ी पहाड़ी के पास एक संकरी खाई से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है।
- बिहार में इसकी कुल लंबाई 111 किमी है।
- इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हरोहर, अंजन, बरनार और उलान हैं।
- यह लखीसराय के सूरजगढ़ा गांव में गंगा में मिलती है।

9.2 बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात

ककोलत जलप्रपात: यह गोविंदपुरी संभाग के पास नवादा से लगभग 35 किमी दूर ककोलत पहाड़ियों के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस झरने की कुल ऊंचाई 47 मीटर (160 फीट) है लेकिन इसकी मुख्य ऊंचाई 24 मीटर (80 फीट) है। प्रपात के तल पर एक प्राकृतिक तालाब है। यह बिहार-झारखंड सीमा के पास स्थित है। चौर संक्रांति के दौरान यहां मेला लगता है। यह प्रपात कोडरमा पठार से निकलने वाली सात धाराओं से बना है।

करकट जलप्रपात: कैमूर जिले में कैमूर की पहाड़ियां करकट जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध हैं। करकट जलप्रपात में नौका विहार, तैराकी और मछली पकड़ने की सुविधा है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य इस झरने के पास स्थित है।

तेलहर जलप्रपात: कैमूर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 262 फुट है। यह एक गहरे ताल में गिरती है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड बहुत गहरा है और इसमें तेज अंतर्धारा होती है, इसलिए कुंड में तैरना प्रतिबंधित है।

धुआकुंड जलप्रपात: यह जलप्रपात सासाराम (रोहतास) के पास ताराचंडी में काओ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यह दो झरनों का जोड़ा है। इन झरनों के पानी का उपयोग 50-100 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले पनबिजली के स्रोत

के रूप में किया जाता है। यह मांझर कुंड जलप्रपात का एक हिस्सा है।

मांझर कुंड जलप्रपात: यह सासाराम (रोहतास) के निकट कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। यह कर्मनासा नदी पर स्थित है। यहां रक्षा बंधन पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है।

दुर्गावती जलप्रपात: यह रोहतास जिले के चनपापर गांव के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर (298 फुट) है। यह दुर्गावती नदी पर स्थित है। इसे “खादरकोह जलप्रपात” के नाम से भी जाना जाता है।

सुखलदरी जलप्रपात: यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा पर स्थित है। यह कनहर नदी पर स्थित है जो 100 फीट ऊंचाई से गिरता है।

जिआरखंड जलप्रपात: यह भोजपुर जिले में फुलवरिया नदी पर स्थित है।

खुआरी दाह जलप्रपात: यह रोहतास जिले में असाने नदी पर स्थित है इसकी ऊंचाई 590 फीट है।

राकिमकुंड जलप्रपात: यह रोहतास जिले में गायघाट नदी पर स्थित है।

ओखारीनकुंड जलप्रपात: यह रोहतास जिले में गोपथ नदी पर स्थित है इसकी ऊंचाई 90 मीटर है।

सुआरा जलप्रपात: यह रोहतास जिले में सुआरा नदी के पूर्व में स्थित है इसकी ऊंचाई 394 फीट है।

देवदारी जलप्रपात यह रोहतास जिले में कर्मनासा नदी पर स्थित है इसकी ऊंचाई 190 फुट है।

9.3 बिहार में झीलें

- उत्तर बिहार की नदियों ने अपने नदी मार्ग बदलते समय कई प्राकृतिक झीलों का निर्माण किया है।
- इन्हें स्थानीय भाषा में “मान, ताल या चौर” भी कहा जाता है।
- ऐसी झीलों का उपयोग मछली पालने, प्रवासी पक्षियों के लिए घरेलू आवास के रूप में किया जाता है और उनके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है।
- बिहार की महत्वपूर्ण गोखुर झीलें सरैयामन (बेतिया) सोनबर्ग मन (हरसिद्धि), खड़गपुर झील (खड़गपुर), सिउरी मान (जोगपट्टी) मोती झील (मोतिहारी) और पिथरा मन (पिथरा) हैं।

बिहार की प्रमुख झीलें

कांवर झील

- झील बिहार में बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है।
- यह 16 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुई है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडकनदी के विभ्रमण से हुआ है।
- यह बिहार का पहला रामसर स्थल है (2020)।
- शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं।
- अपनी जलीय वनस्पतियों के कारण इस झील को ‘आरक्षित क्षेत्र’ घोषित किया गया है।
- यहां लगभग 110 प्रकार की पक्षी प्रजातियां हैं, इसलिए यहां एक पक्षी प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है।
- तलछट और स्वपोषण के कारण इसका क्षेत्र सिकुड़ गया है, और पौधों की अत्यधिक वृद्धि के कारण इसका जल स्तर भी नीचे चला गया है।

सिमरी झील

- झील सिमरी संभाग में सहरसा से 25 किमी दूर स्थित है।
- यह कई झीलों जैसे, जमुनिया, सरिया, कुमिनी और गोबरा झीलों का एक संयोजन है।
- इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है।
- इस झील के दक्षिण-पश्चिम में कांवर झील तथा उत्तर-पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील स्थित है।

गोगाबिल झील

- यह झील कटिहार जिले के मनहारी उपखण्ड में स्थित है। इसे ‘घोघा चाप’ या ‘घोघा झील’ के नाम से भी जाना जाता है।
- यह लगभग 5 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मानसून की वर्षा के साथ-साथ महानंदा नदी से भी पानी प्राप्त करता है।

कुशेश्वर स्थान झील

- यह झील दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान के अनुमंडल में स्थित है।
- यह लगभग 100 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह अपनी विविध जैव-विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह एक धार्मिक स्थल भी है।
- यह मत्स्य पालन और व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र है। 1972 में इसे बिहार का पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया।

जगतपुर झील

- यह झील भागलपुर जिले में स्थित है। यह लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। स्थानीय लोगों और राज्य सरकार की मदद से इस झील के आसपास पक्षियों की कई प्रजातियों को संरक्षित किया गया है।

उदयपुर झील

- इसे सरैया मन के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम चंपारण जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में कई प्रवासी पक्षी आते हैं।

मुचलिंडा झील

- यह गया जिले के मुचारिम गांव के पास महाबोधि मंदिर से 3 किमी दक्षिण में स्थित है।

अनुपम झील

- अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इस झील के पास करकट और तेलहर जलप्रपात स्थित हैं।
- अनुपम झील में समृद्ध वनस्पति और जीव रिजर्व हैं।

9.4 बिहार की आर्द्रभूमियां

राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूसीपी) के अनुसार, भारत में लगभग 115 आर्द्रभूमियाँ हैं। जिनमें से बिहार में 3 आर्द्रभूमि जैसे कांवर या कोबर (बेगूसराय), कुशेश्वर स्थान (दरभंगा), और बरैला (वैशाली) हैं।



10.1 बिहार की प्राकृतिक वनस्पति

बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसून या शुष्क पर्णपाती वन हैं। बिहार में, वन क्षेत्र प्रमुख रूप से हिमालय के तराई क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य में 3 से 4 महीनों के भीतर लगभग 85% से 90% वर्षा हो जाती है और वर्ष के शेष महीने लगभग शुष्क रहते हैं। इसका राज्य की प्राकृतिक वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिहार में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र और शिवालिक रेंज की वनस्पति पर उनकी ऊंचाई का बहुत प्रभाव पड़ता है।

10.1.1 बिहार में वन

भारतीय वन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, राज्य का दर्ज (कुल) वन क्षेत्र 7380.8 वर्ग किमी है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। पर्यावरण प्रबंधन के मामले में यह प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, भारत के प्रत्येक राज्य में 33.33% भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र होना चाहिए।

बिहार में वन आवरण

भारतीय वन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण 7380.8 वर्ग किमी है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। इसमें से अति घना वन 333 वर्ग किमी, मध्यम घना वन 3286 वर्ग किमी और खुला वन 3762 वर्ग किमी है।

भारतीय वन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, बिहार के कैमूर जिले (भभुआ) में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जबकि शेखपुरा जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है।

10.1.2 बिहार के वन का वर्गीकरण

बिहार में जलवायु और वर्षा के आधार पर वनों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

10.1.2.1 नम पर्णपाती वन

ये वन तराई बेल्ट, सोमेश्वर और दून पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहां घने जंगल पाए जाते हैं। साल यहाँ का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है। ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियाँ छोड़

देते हैं। सेमल, चंपा, अशोक, केन, आम, जामुन, करंज यहां पाई जाने वाली अन्य किस्में हैं। साल मिश्रित नम पर्णपाती वन मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में और आंशिक रूप से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, सहरसा, पूर्णिया, बांका और मुंगेर की घाटियों में पाए जाते हैं।

इन वनों को दो भागों में बांटा गया है:

i. सोमेश्वर और दून श्रेणी वन

- इन वनों में 160 सेमी से अधिक वर्षा होती है।
- ये वन पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं।
- चूंकि ये वन काफी ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए यहां सवाना वन या घास के मैदान वाले छोटे पेड़ भी पाए जाते हैं।
- साल, खैर और शीशम यहाँ पाई जाने वाली महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियाँ हैं।
- बिहार की सोमेश्वर श्रृंखला झाड़ियाँ, घास और नरकट से बनी है और पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पर्वत श्रृंखला से छोटी है।

ii. तराई क्षेत्र के वन

- ये जंगल शिवालिक हिमालय के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी उच्चभूमि और तराई क्षेत्रों की दलदली भूमि में पाए जाते हैं। तराई के जंगल सहरसा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों की एक संकरी बेल्ट में पाए जाते हैं।
- बाँस, विशाल सरकंडा (नरकट), सेमल, झाड़ियाँ और घास यहाँ की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियाँ हैं।
- तराई क्षेत्र के जंगलों में, साल के पेड़ केवल सबसे उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बाँस के पेड़ पाए जाते हैं।

10.1.2.2 शुष्क पर्णपाती वन

- ये बिहार में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले वन हैं। शुष्क पर्णपाती वन दक्षिणी जिलों में मैदानी और प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- वे 120 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे वृक्ष पाए जाते हैं।

- ये वन मुख्य रूप से बिहार में पूर्वी-मध्य भागों और दक्षिण पी पठारी क्षेत्र के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं जो पहाड़ियों में स्थित हैं।
- अमलतास, शीशम, महुआ, खैर, पलाश, आंवला, हर और बहेड़ा, सवाई और कुश यहां की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। साल मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन प्राकृतिक वनस्पति आवरण अंतर्गत एक प्रमुख हिस्से में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा और मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं।
- शुष्क पर्णपाती वन बिहार के दक्षिणी जिलों में मैदानी और प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

10.1.3 बिहार में वन विकास योजनाएँ

हर परिसर, हरा परिसर: यह योजना 2015 में बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के परिसरों जैसे स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक संस्थानों, कार्यालयों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों आदि में वृक्षारोपण को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य शहरों के सौंदर्यीकरण को बढ़ाना और पर्यावरण को शुद्ध करना भी है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना: यह योजना 2013 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक चिनार के पेड़ लगाना और वानिकी में वृद्धि करना है। इस योजना के अन्तर्गत, किसानों और उद्यमियों को नर्सरी स्थापित करनी होगी और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उगाने होंगे जो वानिकी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत सेमल, अमलतास, महुआ, भारतीय शीशम, बांस आदि उगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना: यह योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शहरी वानिकी को 'हरित पट्टी' में बदलना है। इस योजना के अंतर्गत पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर और मुजफ्फरपुर जिलों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना: यह योजना भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) को 2006 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना स्कूल स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में कक्षा-6 के सभी छात्र शामिल हैं जो राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं।

हरियाली मिशन

यह कृषि वानिकी योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार के वनावरण को वर्तमान वनावरण 10.15% से बढ़ाकर से 15% करना है।

इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को आजीविका प्रदान करना, कच्चे माल की आपूर्ति करना और राज्य में औद्योगीकरण का विकास करना है। इस मिशन के अन्तर्गत नदियों और नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे और कृषि उपयोग में नहीं आने वाली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। इसने पारिस्थितिक संतुलन भी स्थापित किया। इस मिशन के माध्यम से, राज्य सरकार वानिकी अनुसंधान से संबंधित अवधारणाओं जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पेड़ों की पहचान और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों आदि को विकसित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सहयोग से कृषि वानिकी की पौधों की प्रजातियों जैसे चिनार, भारतीय शीशम, चिनबेरी यूकेलिप्टस आदि पर अनुसंधान किया जा रहा है।

10.2 बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य

बिहार में विविध वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं लेकिन गलत आचरण के कारण ये विविधताएं तेजी से गायब हो रही हैं। उन गतिविधियों को रोकने के लिए और वन्य जीवन और वनस्पतियों की रक्षा के लिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की है।

बिहार में राज्य में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.43% हैं।

10.2.1 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान

- यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह लगभग 335.65 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी।
- इस पार्क की महत्वपूर्ण वनस्पतियों में भाबर साल वन, शुष्क शिवालिक साल वन, नम मिश्रित पर्णपाती, खुली भूमि वनस्पति आदि शामिल हैं।
- इस राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण जीवों में बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, काला भालू, भारतीय सुस्त भालू, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सूअर आदि शामिल हैं।

- पार्क में कई सरीसृप और लगभग 241 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कलज तीतर, तीन पंजे वाली बटेर, पैराडाइज फ्लाईकैचर, ग्रे श्राइक आदि।
- इस राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत शामिल किया गया था। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।

10.2.2 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

यह टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है जिसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। इसमें बाघों के अलावा विभिन्न वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण वनस्पतियों में मीठे पानी के दलदल, कैनब्रेक, पूर्वी आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान, शुष्क शिवालिक साल वन, खैर-सीसू वन आदि शामिल हैं। अन्य जीवों में काला भालू, भारतीय स्लॉथ भालू, भारतीय गैंडा, भैंस, बौर मृग, भौंकने वाला हिरण, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीला बैल आदि शामिल हैं। बिहार सरकार इस रिजर्व में 800 एकड़ से अधिक का भारत का सबसे बड़ा घास का मैदान विकसित कर रही है। 2018 तक, इस बाघ अभयारण्य में लगभग 40 बाघ हैं जो 2010 में केवल 8 और 2014 में 28 थे।

10.2.3 बिहार में वन्यजीव अभयारण्य

भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य

- इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना मुंगेर जिले में वर्ष 1976 में की गई थी।
- यह 681.99 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर और संधाल परगना के पश्चिम में गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है।
- भीमबांध में दो प्रमुख बायोम यानी चरागाह और जंगल मौजूद हैं।
- महत्वपूर्ण वनस्पतियों में साल के जंगल, बांस के जंगल, घास के मैदान आदि शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण जीवों में बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, सुस्त भालू, सांभर हिरण, चीतल, चार सींग वाला मृग और नीलगाय शामिल हैं।
- अभयारण्य अपने जानवरों की बजाय पक्षी प्रजातियों के लिए अधिक प्रसिद्ध है जैसे मोर, ग्रे पार्टिज, बटेर, मालाबार हॉर्नबिल, बाज, चील आदि।
- अभयारण्य के पास भीमबांध, ऋषि कुंड, रामेश्वरकुंड, खड़गपुर झील, आदि जैसे कई पर्यटन स्थल हैं।

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य

- यह बिहार के गया जिले में स्थित है। यह 1976 में स्थापित किया गया था और 138.34 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- वन्यजीव अभयारण्य बनने से पहले, यह क्षेत्र एक निजी शिकार अभयारण्य था। इस अभयारण्य में निचले गंगा के मैदानी इलाकों, नम पर्णपाती जंगलों और छोटा नागपुर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों के हिस्से शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण जीवों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, सुस्त भालू, भेड़िये, शिकारी हिरण, नीलगाय, चिंकारा आदि शामिल हैं।

पंत (राजगीर) वन्यजीव अभयारण्य

- इसकी स्थापना वर्ष 1978 में नालंदा जिले में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 35.84 वर्ग किमी का है। यह दक्षिण गंगा के मैदान में राजगीर पहाड़ी में स्थित है।
- महत्वपूर्ण जीवों में चीतल या चित्तीदार हिरण, नीला बैल, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय क्रैस्टेड साही, एशियाई ताड़ की चिड़िया, जंगली बिल्लियाँ आदि शामिल हैं।
- इसमें हुदहुद, यूरेशियन थिक-नी, पैट्रिज, ब्लैक एंड ग्रे बटेर, हॉर्नबिल, तोता, कबूतर, मैना, आदि जैसी पक्षी प्रजातियाँ भी हैं।
- अभयारण्य के अतिरिक्त यहां पर वन विभाग द्वारा निर्मित एक वेणु वन भी है जिसमें चीतल, नीलगाय और सांभर आदि पाए जाते हैं।

उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य

- इसकी स्थापना वर्ष 1978 में पश्चिम चंपारण जिले में हुई थी। इसमें 8.87 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है।
- यह गंडक नदी के बाढ़ के मैदान में एक गोखुर झील पर स्थित है।
- महत्वपूर्ण वनस्पतियों में दलदली वन, शुष्क नदीय वन, खैर-सिसू वन आदि शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण जीवों में चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, जंगली सूअर, नीलगाय, कस्तूरी बिलाव, भेड़िया, जंगली बिल्ली, साही शामिल हैं।
- यह सर्दियों के महीनों के दौरान प्रवासी और निवासी जल पक्षियों का आश्रय भी होता है।

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य

- यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
- यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और लगभग 1342 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।

- घाटी के भागों में कई जलप्रपात हैं जिनमें करकट जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात सबसे शानदार हैं। यहां प्रसिद्ध झील अनुपम झील है।
- महत्वपूर्ण जीवों में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, भारतीय सूअर, सुस्त भालू, सांभर हिरण, चीतल, चार सींग वाला मृग और नीलगाय शामिल हैं।

विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य

- यह भागलपुर जिले में स्थित है। यह सुल्तानगंज से कहलगाँव तक गंगा नदी के 50 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के लिए यह बिहार में 1991 में स्थापित, पहला संरक्षित क्षेत्र है।
- गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है।
- अभयारण्य में लगभग 240 से 480 लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन हैं।

10.2.4 बिहार के प्रमुख पक्षी विहार

बिहार के महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य इस प्रकार हैं:

नागी बांध पक्षी अभयारण्य

- इसकी स्थापना वर्ष 1984 में जमुई जिले में हुई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.92 वर्ग किमी है।
- महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ रेड-क्रेस्टेड पोचर्ड, पिंटेल बत्तख, कूट आदि हैं।
- शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं।

नकटी बांध पक्षी अभयारण्य

- इसे वर्ष 1984 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। यह जमुई जिले में स्थित है और 3.33 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ हैं रेड-क्रेस्टेड पोचर्ड, कॉमन पोचर्ड, पिंटेल बत्तख, तालाब बगुला, बगुला, दलदल तीतर आदि।

कंवर झील पक्षी अभयारण्य

- इसकी स्थापना 1987 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुई थी। इसमें 67.5 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है।
- यह बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है।
- यह दुनिया के महान आर्द्रभूमियों में से एक है। यह कई प्रवासी पक्षियों आते हैं जो मंगोलिया और रूस (साइबेरियाई क्षेत्र) से प्रवास करते हैं।
- महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ प्राच्य सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध (गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ), ग्रेटर एडजुटेड, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, लेसर केस्ट्रेल, सारस क्रेन

(संवेदनशील प्रजातियाँ), भारतीय डार्टर, पेंटेड स्टॉक और ब्लैक-बेल्ड टर्न (संकटग्रस्त प्रजातियाँ), आदि।

गोगाबिल पक्षी अभयारण्य

- गोगाबिल एक गोखुर झील है, जो कांकड़ नदी के विसर्प से बनी है। चूंकि इसका वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व है, इसलिए राज्य सरकार ने वर्ष 1990 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित किया।
- यह 0.88 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है और कटिहार जिले में स्थित है। यह बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है।
- मानसून और सर्दियों के मौसम में लगभग 300 प्रवासी पक्षी इस झील पर आते हैं।
- महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ यूरेशियन कूट, पिंटेल, कॉमन टील, ग्रे टील, गैडवॉल, शोवेलर, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, व्हाइट आईड पोचर्ड, टपटेड डक, मार्श हैरियर, कूट, रेड-क्रेस्टेड पोचर्ड इत्यादि हैं।
- गोगाबिल को 2 अगस्त, 2019 को राज्य का पहला 'सामुदायिक रिजर्व' घोषित किया गया है।

कुशेश्वर-स्थान पक्षी अभयारण्य

- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में दरभंगा जिले में हुई थी।
- यह 29.17 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- अभयारण्य में दरभंगा जिले के कुशेश्वर-स्थान प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 14 गांव शामिल हैं जहां ज्यादातर समय जलजमाव रहता है।
- अभयारण्य को कम से कम 15 लुप्तप्राय प्रवासी पक्षियों के शीतकालीन प्रवास के रूप में भी जाना जाता है जो मंगोलिया और साइबेरिया से प्रवास करते हैं।
- साइबेरियाई पक्षी अक्टूबर के महीने में इस अभयारण्य में प्रवास करते हैं।
- महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ डेलमेटियन पेलिकन, भारतीय डार्टर, बार-हेडेड गूज, साइबेरियन क्रेन आदि हैं।

बरैला झील सालिम अली-जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य

- बरैला झील को वर्ष 1997 में सालिम अली-जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
- यह 1.96 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और वैशाली जिले में स्थित है।
- झील प्रवासी पक्षियों की लगभग 59 प्रजातियों और निवासी पक्षियों की लगभग 106 प्रजातियों जैसे चौती, जलकाग, चील, सफेद स्तन वाले किंगफिशर, चितकबरा बगुला, स्पूनबिल, हवासील, कूट, ग्रीब्स, हरा तोता, गल, लालसर और कई दूसरे पक्षियों का प्राकृतिक बसेरा है।

- महत्वपूर्ण वनस्पतियों में ओक, भटेल स्थानीय रूप से 'एजरा' (पक्षियों का पसंदीदा पेड़), लाल-कपास के पेड़ आदि शामिल हैं।

बक्सर पक्षी विहार

- यह पक्षी विहार बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। इसमें 25 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है।
- अक्टूबर के महीने में कश्मीर की लालसर पक्षी प्रजाति इस अभयारण्य में प्रवास करती है और मार्च में वापस लौट आती है।

संजय गांधी जैविक उद्यान: इस पार्क को वर्ष 1969 में वानस्पतिक उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। यह 152.95 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पटना जिले में स्थित है और 110 से अधिक पशु प्रजातियों का बसेरा है। पार्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा राइनो प्रजनन केंद्र और एक स्नेक हाउस है। राज्य सरकार ने इस पार्क को राज्य के पहले प्लास्टिक निषेध क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। मार्च, 1983 में संजय गांधी जैविक उद्यान को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया था। पार्क में विविध प्रकार के पेड़-पौधे, जड़ी-बूटियाँ, झाड़ियाँ, औषधीय पौधे आदि पाए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीव बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, हिमालयन ब्लैक बीम सियार, काला हिरन, चित्तीदार हिरण, आदि हैं।

10.3 बिहार में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)

बिहार में 13 पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र हैं जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं:

1. बैराला झील सालिम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य
2. भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य
3. गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य

4. कैमूर वन्यजीव अभयारण्य
5. कैवर (काबर) झील पक्षी अभयारण्य
6. कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य
7. नागी बांध पक्षी अभयारण्य
8. नकटी बांध पक्षी अभयारण्य
9. पंत (राजगीर) वन्यजीव अभयारण्य
10. उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य
11. वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य
12. विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य
13. वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान

10.4 वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं:

- बिहार सरकार नालंदा जिले के राजगीर में अपनी पहली प्रकृति सफारी (चिड़ियाघर सफारी) शुरू करने की योजना बना रही है।
- बैराला झील सालिम अली पक्षी आश्रय और पक्षी आश्रय भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित किया जा रहे हैं।
- राज्य सरकार ने पंत आश्रय, राजगीर के लिए उच्चतम प्रबंधन योजना विकसित करने का जिम्मा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान को सौंपा है।
- वन्यजीव दत्तक ग्रहण योजना लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, परिवार, प्रतिष्ठान या संस्थान अपनी रुचि के अनुसार स्वेच्छा से किसी भी जंगली जानवर को चिड़ियाघर में गोद ले सकता है और एक निश्चित अवधि के लिए उसके आहार और रखरखाव पर होने वाले खर्च को वहन करेगा।



बिहार में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज पाइराइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, सोना, सजावटी पत्थर, यूरेनियम, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज आदि हैं। राज्य का ऊर्जा क्षेत्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसमें तापीय और पनबिजली दोनों शामिल हैं।

11.1 बिहार में पाए जाने वाले खनिज

बिहार का प्रमुख क्षेत्र गंगा के मैदानों पर स्थित है और राज्य का बड़ा हिस्सा कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। द्विभाजन से पहले, बिहार राज्य खनिजों के प्रमुख उत्पादकों में से एक था। हालाँकि, विभाजन के बाद, खनिजों का सीमित भंडार राज्य में बना रहा और समृद्ध खनिज भंडार का अधिकांश भाग झारखंड में चला गया।

बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पाइराइट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में मुख्य रूप से धात्विक खनिज पाए जाते हैं जहाँ बॉक्साइट और सोना पाया जाता है।

आर्कियन चट्टानें जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका, भागलपुर और गया जिलों में पाई जाती हैं। विंध्य चट्टान समूह बिहार के दक्षिण-पश्चिमी भागों में पाया जाता है जिसमें अधात्विक खनिज उपलब्ध हैं। ये खनिज पाइराइट, अभ्रक, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, स्लेट आदि हैं। विंध्य चट्टानें नवादा, जमुई, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में पाई जाती हैं।

11.1.1 बिहार के प्रमुख खनिज

खनिज राज्य के औद्योगीकरण और विकास का आधार हैं। बिहार राज्य के प्रमुख खनिजों की चर्चा नीचे की गई है:

लौह अयस्क

- इसके निक्षेप गया, भागलपुर और जमुई जिलों में पाए जाते हैं।
- मैग्नेटाइट गया और जमुई में पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट भागलपुर जिले में पाया जाता है।

बॉक्साइट

- यह एल्युमीनियम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अयस्क है।

- यह मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट के 1.5 मिलियन टन भंडार हैं।

मैंगनीज

- मैंगनीज धारवाड़ काल की अवसादी चट्टानों में प्राकृतिक राख के रूप में पाया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है।
- मैंगनीज का उपयोग लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है और इसकी मिश्र धातु के निर्माण के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट और बैटरी बनाने में भी किया जाता है।
- इसके निक्षेप बिहार के पटना, गया और मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं।

सोना

- यह एक कीमती खनिज है जिसका उपयोग आभूषण बनाने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है।
- गया, नालंदा और जमुई जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुसार, बिहार में देश का लगभग 57% सोना भंडार उपलब्ध है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पुष्टि की है कि राजगीर और करमटिया के कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्रों में, जमुई जिले के रानी पहाड़ी, बड़मरिया, मदी पहाड़ी के सोनो ब्लॉक में सोने के भंडार उपलब्ध हैं।

गेलेना

- यह सीसे का अयस्क है।
- इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा, पेंट और अन्य रासायनिक आधारित उद्योगों में किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से बांका जिले के अबरखा क्षेत्र में पाया जाता है।

कोयला

- यह भागलपुर और मुंगेर जिलों में पाया जाता है जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से सटे हुए हैं।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुसार, बिहार राज्य में 160 मिलियन टन कोयले का भंडार उपलब्ध है।

चूना पत्थर

- यह कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम के दोहरे तत्वों से बना है।
- अच्छी गुणवत्ता वाला चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर के पठार और मुंगेर में पाया जाता है।
- राज्य के सबसे बड़े चूना पत्थर के भंडार रोहतास जिले के क्षेत्रों जैसे रोहतासगढ़, रामदिहरा, बंजारी और डेहरी - ऑन-सोन में पाए जाते हैं।
- सीमेंट उद्योग में अच्छी गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है जबकि लोहा, चीनी और भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाले चूना पत्थर पाए जाते हैं।

अभ्रक

- यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह मुख्य रूप से उष्मा से संबंधित उद्योगों और विद्युत प्रतिरोध उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- अभ्रक का उपयोग रबर उद्योग, पेंट उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है।
- अभ्रक बेल्ट बिहार में 30 मीटर की चौड़ाई में 3400 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यह नवादा के पूर्वी भाग से झारखंड राज्य तक फैला हुआ है।
- यह पट्टी बिहार के जमुई जिले और नवादा जिले में चकाई, बटिया और चरका पत्थर में स्थित है।
- विश्व का उच्च कोटि का माणिक अभ्रक बिहार और झारखंड में पाया जाता है।
- मुंगेर, भागलपुर और गया जिलों में अभ्रक पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

सीसा और जस्ता

- ये खनिज बांका और रोहतास जिले में पाए जाते हैं।
- सीसे का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है और यह विद्युत कुचालक है।

बेरिलियम

- यह गया जिले में आनेय चट्टानों में पाया जाता है।
- यह मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टरों में एक मॉडरेटर के रूप में, स्प्रिंग उद्योग में, फ्लोरोसेंट लैंप बनाने, जहाजों के कार्बोरेटर, साइक्लोट्रॉन आदि बनाने में उपयोग किया जाता है।

एस्बेस्टस

- यह एक रेशेदार खनिज है जो मैग्नीशियम, सिलिका और जल से बना होता है।
- यह मुख्य रूप से बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है।
- यह आग और विद्युत का बड़ा प्रतिरोधक है, इसलिए इसका उपयोग अग्निरोधक और विद्युतरोधक उत्पादों में किया जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज और रेलवे कोच में किया जाता है।
- अग्निरोधक सूट, जिनका उपयोग अग्निशामकों द्वारा किया जाता है, अभ्रक से बने होते हैं।

पायराइट

- यह लोहे का सल्फाइड है। इसका उपयोग लोहा बनाने में कम तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में अधिक होता है। सल्फर का उच्च अनुपात इसे लोहा बनाने के लिए हानिकारक बनाता है।
- सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कई उद्योगों जैसे उर्वरक, रसायन, रेयॉन, पेट्रोलियम, स्टील आदि उद्योगों में किया जाता है।
- एलिमेंटल सल्फर विस्फोटक, माचिस, कीटनाशक, कवकनाशी और वल्केनाइजिंग रबर के निर्माण के लिए उपयोगी है।
- मुख्य निक्षेप बिहार में रोहतास जिले के अमझोर में सोन घाटी में पाए जाते हैं। यहाँ, सल्फर के 47% भंडार हैं।
- अमझोर में आयरन पायराइट उद्योग है।
- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम के रूप में अमझोर में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की है।
- पाइराइट ऊपरी विंध्य चट्टान समूह और कुरारी, मांडा और करिरिया में भी पाया जाता है।
- रोहतास जिले के अमझोर के 109 वर्ग किमी क्षेत्र में आयरन-पाइराइट पाया जाता है।
- भारतीय खान ब्यूरो, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में भारत के लगभग 95% पाइराइट संसाधन उपलब्ध हैं।

शोरा

- यह सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है।
- यह मुख्य रूप से उर्वरकों, पेड़ के टूट को हटाने, रॉक प्रोपेलेंट, आतिशबाजी, कांच और स्टील को नरम करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसके मुख्य स्थान उत्पादक सरैया पहाड़ी (गोपालगंज) और मांझी (सारण) हैं।

- अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया और मुंगेर जिले हैं।

फेल्डस्पार

- यह पेग्मेटाइट चट्टानों में क्वार्टज के साथ पाया जाता है। इसको सिरैमिक, कांच और आग रोधक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फेल्डस्पार गया, जमुई और मुंगेर जिलों में पाया जाता है।
- इसका उपयोग **चाँद का पत्थर और सूरज का पत्थर** के रूप में भी किया जाता है।

क्वार्टजाइट

- यह एक कठोर बिना परत वाली रूपांतरित चट्टान है। यह बलुआ पत्थर का परिवर्तित रूप है।
- यह मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के रूप में और औद्योगिक क्षेत्र में उष्मा प्रतिरोधक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों और जमुई जिले के चकाई क्षेत्र की पहाड़ी श्रृंखलाओं में इसके बड़े भंडार पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जमालपुर, लखीसराय और नालंदा हैं।

फायर क्ले

- यह कोयले के निक्षेपों के नीचे तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ मिट्टी है जिसमें पोटाश और सोडा कम मात्रा में पाया जाता है।
- यह मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस, कारखानों में खनिजों के पिघलने के लिए चिमनियों और बॉयलरों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अग्निरोधी ईंटें फायर क्ले से बनाई जाती हैं।
- फायर क्ले पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर जिलों में पाई जाती है।

चीनी मिट्टी (काओलिनाइट)

- चीनी मिट्टी या काओलिनाइट ग्रेनाइट चट्टानों में फेल्डस्पार के क्षरण से बनता है।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से सिरैमिक, ब्लास्ट फर्नेस, उर्वरक, कपड़ा उद्योग, कागज, पेंट, दवाएं, सौंदर्य उत्पाद और सीमेंट उद्योग में किया जाता है।
- इसके निक्षेप भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली जिलों में पाए जाते हैं।

यूरेनियम

- यह आग्नेय चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व के रूप में पाया जाता है। यह पेग्मेटाइट, पिचब्लेंड और यूरेनियम के यौगिकों के रूप में पाया जाता है।

- यह गया जिले की अकबरी पहाड़ियों की अभ्रक खदानों और नवादा जिलों के पेग्मेटाइट गड्ढों में पाया जाता है।
- मगध प्रमंडल के सीमा भ्रंश में भी इसका बड़ा निक्षेप पाया जाता है।

क्वार्ट्ज

- यह मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग, अग्नि प्रतिरोधक, लौह-इस्पात उद्योग (भट्टियों में), इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है।
- यह जमुई, गया और नवादा जिलों में पाया जाता है।

मोनाजाइट

- यह थोरियम, यूरेनियम, सेरियम और टैंटेल्म तत्वों का यौगिक है।
- यह मुख्य रूप से गया और मुंगेर जिलों में पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है।

स्लेट

- स्लेट पत्थर का उपयोग सजावटी वस्तुओं और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- अनुमान है कि मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 2.53 मिलियन टन काले और रंगीन स्लेट पत्थरों के भंडार पाए जाते हैं।
- अन्य महत्वपूर्ण भंडार क्षेत्र मुंगेर जिले के जमालपुर शहर के धरहरा और कजरा हैं।

रेत पत्थर

- यह सजावटी निर्माण सामग्री और कांच उद्योग में उपयोग किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से कैमूर की पहाड़ियों में पाया जाता है, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है।

स्टीएटाइट

- यह सौंदर्य उत्पादों और पेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से बिहार में जमुई जिले के शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है।

ग्रेनाइट

- यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय अंतर्भेदी आग्नेय है जो बनावट में दानेदार होता है। इसके महत्वपूर्ण घटक क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार हैं।
- यह मुख्य रूप से (काले और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट के रूप में) भागलपुर, नवादा, बांका और मुंगेर जिलों में पाया जाता है।



जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, बिहार में 33 आदिवासी समूह निवास करते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले बिहार के जिलों में पश्चिम चंपारण (2.50 लाख), कटिहार (1.80 लाख), पूर्णिया (1.39 लाख), बांका (90,432) और सीवान (87,000) आदिवासी समूह निवास करते हैं।

बिहार की प्रमुख जनजातियाँ

12.1 संथाल

- संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जो पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर और बिहार के अन्य जिलों में भी पाई जाती है।
- संथाल लोग मुख्य रूप से प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़ियन प्रजाती से संबंधित हैं।
- संथाल ज्यादातर संथाली बोलते हैं।
- रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का निर्माण किया।
- ये आदिवासी लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी, उड़िया और बंगाली भाषा भी बोलते हैं।
- संथाल लोग मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए शिकार, मछली पकड़ने, वन उत्पादों के संग्रह और खेती में लगे हुए हैं।
- संथाल समुदाय में परिवार को सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है।
- एकल परिवार प्रणाली का पालन किया जाता है।
- जब बेटे की शादी हो जाती है तो उसे दूसरे घर में बसना पड़ता है।
- वृद्ध लोगों की मृत्यु एक अच्छा संकेत माना जाता है जो व्यक्ति के शरीर और आत्मा के परिवर्तन का अवसर लाता है। मृत शरीर का अंतिम संस्कार और दफन किया जाता है।

धार्मिक जीवन

- संथाल लोग दो जगहों नामतः 'जाहेर' और 'गोसादे' में प्रार्थना करते हैं।
- ये 'सरना' की मान्यता को मानते हैं।

- सरना आदिवासी लोगों का स्वदेशी धर्म है।
- यह प्रकृति की पूजा का प्रतिनिधित्व करता है।
- संथाल लोग सूर्य को सर्वशक्तिमान, निर्माता और सभी का पिता मानते हैं और 'पृथ्वी' को अपनी मां के रूप में मानते हैं। वे पृथ्वी को जननी समझते हैं। वे सूर्य देव की पूजा 'सिंहबोंगा' के रूप में करते हैं।
- ये पितृ देवता में विश्वास करते हैं।
- ये कई देवी-देवताओं में भी विश्वास करते हैं जैसे मारंग-बुरु, जाहेर-युग, इत्यादि।
- ये लोग भूतों और आत्माओं को सम्मान देते हैं जैसे कालसिंग, लक्चेरा, बेंडारंग आदि।
- देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि एक आम प्रथा है। गांव के पुजारी 'नैकी' और 'ओझा' के नाम से जाना जाता है।

संस्कृति और त्योहार

- त्योहार इस जनजाति की विशेषता बताने वाले सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट प्रतीकों में से एक हैं।
- समुदाय धनुष और तीर धारण करता है।
- संथाल इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।
- शिकार के लिए इसका इस्तेमाल करने के अलावा, वे विभिन्न अनुष्ठानों, त्योहारों और उत्सवों के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं।
- सोहराई संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है।

12.2 उरांव

- उरांव आदिवासी समूह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, (भभुआ), पश्चिमी चंपारण और भागलपुर जिलों में पाया जाता है।
- उरांव के अधिकांश आदिवासी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से पलायन कर गए हैं।
- उरांव लोग मुख्य रूप से द्रविड़ परिवारों से संबंधित 'कुरुख' भाषा बोलते हैं।

- ये मुख्य रूप से प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़ नस्लीय परिवारों/समूहों से संबंधित हैं।

आजीविका

- उरांव अपने अनुष्ठान और आर्थिक आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर थे। लेकिन हाल के दिनों में, उनमें से कुछ मुख्य रूप से बसे हुए कृषक बन गए हैं।
- ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
- ये वन उत्पादों जैसे चटाई, लकड़ी के स्टूल, टोकरियाँ, कप, प्लेट, कुशन, रस्सी, मोर्टार, मूसल और तेल प्रेस से घरेलू सामान बनाते हैं।
- ये वन उत्पादों से धनुष और तीर, गोफन, तलवार, भाले, मछली पकड़ने के जाल जैसे शिकार के उपकरण भी बनाते हैं।
- उनके मछली पकड़ने के जाल सुतली से बने होते हैं, लैंडल से छाते और बाँस की शाखाएँ जो गुंगु के पत्तों से ढकी होती हैं और उनके हुड वाले जलरोधक कोट भी गुंगु के पत्तों से बनाए जाते हैं।

सामाजिक और धार्मिक जीवन

- उरांव जनजातीय समूह का सामाजिक जीवन विभिन्न धार्मिक समूहों और संस्थाओं जैसे प्रकृतिवाद, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म आदि की मिश्रित संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्राचीन काल से इन लोगों ने प्रकृति की पूजा नहीं की है।
- उनकी धार्मिक व्यवस्था मुख्य रूप से मुंडा और खड़िया धार्मिक व्यवस्थाओं से प्रभावित है।
- वे सूर्य को 'बीरी बेलास' अर्थात् ईश्वर की महिमामय शक्ति और तेज का प्रतीक मानते हैं न कि ईश्वर। लेकिन उन्होंने अपने धर्म में उन्हीं पर्यावरणीय विशेषताओं को स्थान दिया है जैसे पवित्र उपवन, एक पर्वत, एक पहाड़ी, एक नदी, एक कुआँ, एक टैंक, हल्की आग, दिशा और एक पत्थर।

रीति रिवाज और परंपरा

- उरांव जनजातियों के समाज में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है।
- विवाह उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, जो पर्यावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
- विवाह से पहले एक प्रथा का पालन किया जाता है जिसमें पुरुष जंगल में जाकर जलाऊ लकड़ी लाते हैं। महिलाएं कप-प्लेट, शादी की चटाई और विभिन्न आकार की शादी की टोकरी तैयार करने के लिए साल के पत्ते लाती हैं।

त्यौहार और नृत्य

- उरांव के लोग संगीत और नृत्य के बहुत शौकीन होते हैं।
- कर्म, जादुर, दसई और काघा पर्व इस आदिवासी समूह में बहुत प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं।
- लोग जात्रा, सरहुल, फगु, करम आदि जैसे सामाजिक-धार्मिक समारोहों और त्योहारों में भी मिलते हैं।
- सरहुल एक वसंत उत्सव है जिसका आनंद उरांव के लोग तब लेते हैं जब साल के पेड़ पूर्ण रूप से खिले होते हैं।
- इस अवसर के दौरान, आदिवासी लोग धरती माता की उर्वरता सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी के साथ आकाश का प्रतीकात्मक विवाह करते हैं।

12.3 थारू

- यह जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है।
- यह तराई क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जातीय समूह है।
- थारू लोग मंगोलॉयड नस्ल के समूह से संबंध रखते हैं।
- थारू लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं जैसे उर्दू और अवधी, भोजपुरी और मैथिली।

आजीविका

- वे अपनी आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं।
- गेहूं, मक्का, जौ, चावल आदि महत्वपूर्ण फसलें हैं जबकि बत्तख, बकरी, मुर्गियाँ, सूअर आदि उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- मछली पकड़ना भी उनकी आजीविका का एक हिस्सा है।

सामाजिक और धार्मिक जीवन

- थारू महिलाओं द्वारा अपने घरों की दीवारों और बरामदों पर रंग-बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं।
- ये चित्र देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं।
- थारू लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और इस्लाम, जीववादी और बौद्ध धर्म में विश्वास भी रखते हैं।
- थारू आदिवासी समूह के प्रत्येक गांव का अपना कर्तव्य होता है, जिसे 'भुइंयार' के नाम से जाना जाता है।

रीति रिवाज और परंपरा

- इस जनजाति में विवाह का एक अलग रूप है।
- जब दो महिलाएं विपरीत लिंग के बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनके बच्चे बड़े होने पर विवाह कर लेते हैं।

12.4 गोंड

- गोंड आदिवासी समूह बिहार के पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और रोहतास जिलों में निवास करता है।
- ये आमतौर पर स्थानीय भाषा के साथ मुंडारी भाषा बोलते हैं।

आजीविका

- ये मुख्य रूप से किसान हैं।
- उनमें से कुछ **भू-स्वामी** हैं और कुछ भूमिहीन मजदूर हैं।

सामाजिक और धार्मिक जीवन

- कला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, शरीर पर गोदना और फर्श पर पेंटिंग करना शामिल है।
- ये अपने घर की दीवारों को लाल और काले रंग से भी रंगते हैं।
- **‘फारसी कलम’** गोंड धर्म की सबसे विशिष्ट विशेषता है।
- उनके सर्वोच्च ईश्वर को बारादेव, भगवान के नाम से जाना जाता है।
- प्रत्येक गोंड कबीले की अपनी फारसी कलम होती है जिसके बारे में माना जाता है कि वह सभी कबीले सदस्यों की रक्षा करती है।

रीति रिवाज और परंपरा

- इस समुदाय में चचेरे भाई विवाह प्रणाली है (उदाहरण के लिए किसी की माँ के भाई की बेटी से शादी करना)।
- यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक विधवा को मृत पति के पिता से पुनर्विवाह की अनुमति होती है।
- वधू मूल्य की भी व्यवस्था है। शादी के बाद, नया जोड़ा दूल्हे के परिवार के साथ तब तक रहता है जब तक वे अपने नए घर में नहीं चले जाते।

12.5 चेरों

- चेरों जनजाति को **‘चेरू’** और **‘चेरुवास’** के नाम से भी जाना जाता है।
- हालांकि यह झारखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह है, कुछ चेरों लोग रोहतास, भोजपुर और गया जिलों में भी रहते हैं।
- इस जनजाति के लोग अपने आप को क्षत्रिय और चौहान वंश का राजपूत कहते हैं।
- ये अपने आप को **‘चंद्रवंशी’** भी कहते हैं।
- ये मुख्य रूप से कृषि करते हैं। पशुपालन भी उनकी आजीविका का एक हिस्सा है। इनमें कुछ मजदूर भी हैं।

- इस आदिवासी समूह की धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म के समान हैं।
- ये लोग **‘शायरी मां’**, **‘गंवर भभनी’** और **‘दूल्हा देव’** जैसे कई आदिवासी देवताओं की भी पूजा करते हैं।
- यह जनजाति दो उपसमूहों बारहजारी और तेरहजारी में विभाजित है।
- इन दो समूहों के बीच विवाह सख्त वर्जित है, इस प्रकार, विवाह एक समूह के भीतर होता है।

12.6 कोरा

- कोरा जनजाति झारखंड और बिहार में पाई जाती है।
- कोरा जनजाति के लोग बिहार के मुंगेर, जमुई और कटिहार जिलों में निवास करते हैं।
- इस जनजाति के लोग मुंडारी, सदानी और हिंदी भाषा बोलते हैं।
- उनकी बस्तियाँ पहाड़ी चोटियों और मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- उनका आर्थिक जीवन कृषि, वनोपज और श्रम से जुड़ा है।
- ये लोग हिंदू धर्म के धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करते हैं।
- ये मृतकों की आत्मा, जीववादी विश्वास और पहाड़ियों, पृथ्वी आदि के पारंपरिक देवताओं की पूजा करने के विचार में भी विश्वास करते हैं।
- ये लोग चौत्र के महीने में सरहुल और बोंगा बुरु और भाद्र के महीने में करण जैसे विभिन्न त्योहार मनाते हैं।

12.7 खरवार

- खरवार जनजाति बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में निवास करती है।
- उनकी परंपरा के अनुसार, उनके पूर्वज **‘खैर’** (एक प्रकार की घास) की पूजा करते थे, इस प्रकार, इस **‘खैर’** की पूजा करने वाले लोग **‘खरवार’** कहलाने लगे।
- इन लोगों की मान्यता है कि कभी इनके पूर्वजों ने रोहतास जिले पर शासन किया था।
- खरवार शासकों में महत्वपूर्ण शासक उदय धवल, विक्रम धवल, देव विजय, सहस धवल, उदयचंद आदि थे।
- ये लोग कृषि करते हैं, इनमें से कुछ पशुपालन, मछली पकड़ने, वन उपज एकत्र करने, शिकार करने में लगे हुए हैं।
- ये टोकरी बनाने, टैटू बनाने, दीवार कला आदि जैसे कई कला रूपों का अभ्यास करते हैं।
- इन लोगों में हिंदू और आदिवासी दोनों पंथों का मिश्रण है।

- ये देवी लक्ष्मी, दुर्गा, भगवती, हनुमना और दिहवार बोंगा जैसे देवताओं की पूजा करते हैं।
- ये सरहुल, दिवाली, दुर्गा पूजा, मावाखानी, जितिया, रामनवमी, सोहराई, फाग आदि जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं।
- इस जनजाति में सजातीय विवाहों की अनुमति है और उनमें वधू मूल्य भी प्रचलित है।

12.8 कोरवा

- यह भारत की अनुसूचित जनजातियों में से एक है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है।
- कोरवा आदिवासी बिहार के रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिलों में निवास करते हैं।
- कोरवा लोग मुख्य रूप से प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड नस्लीय समूह से संबंधित हैं।
- ये एकल परिवार प्रणाली को मानते हैं जहाँ विवाह एक जाति के भीतर होते हैं।
- चावल से बनी एक प्रकार की शराब जिसे 'इली' या 'हंडिया' कहा जाता है, इस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक पेय के रूप में उपयोग की जाती है।
- इस जनजाति के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र 'पैजन', 'यंदर', 'दरखर' आदि हैं।
- इस जनजाति का आर्थिक जीवन शिकार, झूम खेती और वन उपज पर आधारित है।
- यह सामाजिक रूप से पिछड़ा जनजातीय समूह है जहाँ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और शिक्षा प्रणाली का अभाव पाया जाता है।
- सरकार इस समूह को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
- उनमें से लगभग एक तिहाई मुसलमान हैं और बाकी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
- इनके मुख्य आदिवासी देवता 'दूल्हा देव' हैं।
- ये 'खुरी रानी' की भी पूजा करते हैं। यह एक ऐसी देवी है जिसे जानवरों की बलि की आवश्यकता होती है।
- पूर्वजों की पूजा भी एक आम प्रथा है।

12.9 सौरिया पहाड़िया

- सौरिया पहाड़िया आदिवासी बिहार के कई जिलों के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहते हैं।
- यह पहाड़िया जनजातियों का हिस्सा है।
- ये लोग 'माल्टो' भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा समूह की हैं।

- झूम खेती इनकी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है।
- उनकी बस्तियाँ पहाड़ी की चोटी पर और वन क्षेत्र के अंदर स्थित हैं।
- ये गर्मी के मौसम में मछली पकड़ने का भी अभ्यास करते हैं।
- ये लोग जीववाद और हिंदू धर्म को मानते हैं।
- जादू-टोना और बुरी आत्माएं उनका आम विश्वास है।
- आत्माओं को खुश करने के लिए, वे पक्षियों और जानवरों की बलि देते हैं।
- घाघरा पूजा और बंदना इन लोगों के महत्वपूर्ण त्योहार हैं।

12.10 चीक बड़ाईक

- यह जनजाति मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है।
- चीक बड़ाईक लोग मुख्य रूप से प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड नस्लीय समूह से संबंधित हैं।
- ये लोग मुंडारी, साधनी और हिंदी भाषा बोलते हैं।
- यह एक कारीगर जनजाति है जो अपनी आजीविका के लिए बुनाई और पक्षियों को फंसाने का काम करती है।
- यह जनजाति मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करती है।
- इनके सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा हैं।
- ये 'देवी माई' की भी पूजा करते हैं।
- ये लोग ग्राम देव, धीवर देव, पितर देव, मग देव, बाग देव, बुरहिया देव जैसे अन्य देवताओं को भी मानते हैं।
- इस आदिवासी समूह के महत्वपूर्ण त्योहार सरहुल, सोहराई, कर्मा, नवाखामी, दुर्गा देवी पूजा, फागू, रामनवमी आदि हैं।

12.11 हो

- हो आदिवासी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
- ये लोग ऑस्ट्रो-एस्कैटिक जातीय समूह से संबंधित हैं।
- ये मुख्य रूप से हो और मुंडा भाषा बोलते हैं।
- उनकी अर्थव्यवस्था शिकार और आदिम घुमंतू खेती, खनन कार्यों आदि पर आधारित है।
- इस आदिवासी समुदाय में लोग पैतृक गोत्र के बाहर शादी करते हैं लेकिन मायके में अपनी मौसरी बहन से शादी करना भी शादी की एक आम प्रथा है।
- दुल्हन की कीमत और दहेज प्रथा इस जनजाति में विवाह की सामान्य प्रथाएं हैं।
- ये लोग आत्माओं की पूजा करते हैं और जादू-टोना भी करते हैं।

- ये लोग पारंपरिक और स्वीकृत दोनों तरह के त्योहार मनाते हैं।
- उनके महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार माघ, बहा परब, राजसाला या राजा परब, हीरो परब, जमनावा परब, काकवोंटानरी और कलाम परब, शोराई वगैरह हैं।
- अपनाए गए त्योहार हैं दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, रथ यात्रा आदि।

12.12 बिड़िया

- यह सभी आदिवासी समूहों में सबसे उन्नत जनजाति है। इनके घर टाइल्स, लकड़ी, बांस से डिजाइन किए गए हैं।
- ये लोग ज्यादातर जंगल और पहाड़ी इलाकों के पास रहते हैं।
- ये लोग मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए खेती करते हैं।
- ये लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और उनकी सर्वोच्च देवी विंध्य वासिनी हैं, जिन्हें एक महिला के आकार में एक पत्थर द्वारा दर्शाया गया है।
- ये अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं।
- ये लोग सोहराई, कर्मा, सरहुल, कार्तिक पूर्णिमा, जितिया, दशहरा, दीवाली आदि जैसे कई त्योहार मनाते हैं।
- यह सबसे उन्नत जनजाति है।
- ये अंतर-जनजातीय विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए एक ही गोत्र के साथ विवाह की अनुमति है। इस समुदाय में एक स्त्री या एक पुरुष से विवाह प्रचलित है और विधवा पुनर्विवाह भी स्वीकार्य है।
- इस आदिवासी समुदाय में दुल्हन की कीमत भी देखी जाती है।

12.13 बिहार में आदिवासी मुद्दे

कुल जनसंख्या में से, बिहार में कुल आबादी का 1.28% अनुसूचित जनजाति (एसटी) है। भारत के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी आदिवासी मुद्दे इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी या आदिवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चिंताओं और चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत कुल 1,574.49 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जो बजटीय राशि से अधिक है। आदिवासियों की जीविका वनों से होती है। लेकिन बिहार में ज्यादा जंगल नहीं बचा है। अधिकांश आदिवासी आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। उनमें से अधिकांश अन्य क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं क्योंकि उनके पास कृषि के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है।

कुछ जनजातियों के पास घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है। कुछ जनजातियों के पास भूमि का आकार बहुत छोटा है। बिहार में

आदिवासियों को गैर-आदिवासियों को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और उन्हें अपनी जमीन की कीमतों की जानकारी भी नहीं है। इसी वजह से कुछ अमीर आदिवासी गरीब आदिवासियों की जमीन सस्ते में खरीद लेते हैं। आदिवासी समुदायों में गरीबी व्याप्त है। लोग अक्सर नक्सलवाद में शामिल हो जाते हैं।

बिहार में कुछ प्रमुख आदिवासी मुद्दे इस प्रकार हैं:

- **भूमि अधिकार:** बिहार में आदिवासी समुदायों के लिए भूमि हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई आदिवासियों को औद्योगिक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और शहरीकरण के कारण अपनी पैतृक भूमि से विस्थापन का सामना करना पड़ा है। उचित भूमि स्वामित्व की कमी और सुरक्षात्मक कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन से अक्सर उन्हें भूमि हड़पने और शोषण के लिए कमजोर बना दिया जाता है।
- **वन अधिकार:** बिहार में वन पर निर्भर जनजातीय समुदायों को वन संसाधनों और भूमि पर अपने अधिकारों का दावा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां वे परंपरागत रूप से रहते हैं और जीविका के लिए उपयोग किए जाते हैं। वन अधिकार अधिनियम (2006) का कार्यान्वयन धीमा रहा है, जिसके कारण वन भूमि और संसाधनों पर संघर्ष हुआ है।
- **आजीविका और आर्थिक अवसर:** बिहार में आदिवासी समुदाय अक्सर सीमित आजीविका के अवसरों और आर्थिक विषमताओं का सामना करते हैं। वे आम तौर पर कृषि, वन-आधारित गतिविधियों और कारीगर के काम जैसे पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे की कमी, बाजारों तक पहुंच और कौशल विकास कार्यक्रम उनकी आर्थिक प्रगति में बाधा बनते हैं।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:** बिहार में जनजातीय समुदाय अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच के साथ संघर्ष करते हैं। दूरस्थ स्थान, स्कूलों की कमी, और शैक्षिक बुनियादी ढांचे आदिवासियों की आबादी के बीच कम साक्षरता दर में योगदान करते हैं। इसी तरह, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में कठिनाइयाँ उनकी स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ा देती हैं।
- **सामाजिक हाशियाकरण:** बिहार में जनजातीय समुदायों को सामाजिक हाशियाकरण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वे निर्णय लेने की प्रक्रिया और मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों से बाहर हो जाते हैं। उनकी सांस्कृतिक विरासत, भाषा और पहचान को अक्सर आत्मसात करने के दबावों और शासन संरचनाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** जनजातीय समुदायों के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। विधान सभाओं और संसद में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के बावजूद, राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में आदिवासियों की प्रभावी भागीदारी एक चुनौती बनी हुई है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** कुल मिलाकर, बिहार में विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए लक्षित व्यापक विकास पहलों की आवश्यकता है। इसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और स्थायी आजीविका के अवसरों में निवेश शामिल है।

इन मुद्दों को हल करने और बिहार में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए सरकार, नागरिक समाज संगठनों और जमीनी स्तर के आंदोलनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में आदिवासी आबादी के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भूमि और वन अधिकारों की वकालत, जागरूकता अभियान, क्षमता निर्माण और समावेशी नीतियां आवश्यक हैं।

12.14 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सरकार की पहल

बिहार में, आदिवासियों के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी समुदायों की चिंताओं को दूर करने और उनके उत्थान के लिए कई पहल की गई हैं। बिहार में की गई उल्लेखनीय जनजातीय पहलें निम्न हैं:

- **वन बंधु कल्याण योजना:** वन बंधु कल्याण योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक जनजातीय विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान जैसी पहल शामिल हैं।
- **पहल योजना:** बिहार राज्य आदिवासी विकास विभाग द्वारा शुरू की गई पहल योजना, आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने और उनके शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कोचिंग सुविधाएं और छात्रावास जैसे उपाय शामिल हैं।
- **वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन:** वन अधिकार अधिनियम (2006) वन संसाधनों और भूमि पर आदिवासियों

सहित वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। बिहार सरकार आदिवासी समुदायों की भूमि और संसाधन अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने, अधिनियम को लागू करने पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य भूमि अलगाव के मुद्दों का समाधान करना और जनजातीय आबादी को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।

- **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और आजीविका कार्यक्रम:** सरकार, गैर सरकारी संगठनों और विकास एजेंसियों के साथ मिलकर बिहार में आदिवासी समुदायों के बीच स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को बढ़ावा दे रही है। ये स्वयं सहायता समूह आदिवासी महिलाओं को आय-सृजन गतिविधियों, जैसे हस्तशिल्प, लघु-स्तरीय खेती और सूक्ष्म-उद्यमों के लिए समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आजीविका कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के आर्थिक अवसरों को बढ़ाना और पारंपरिक व्यवसायों पर उनकी निर्भरता को कम करना है।
- **जनजातीय सांस्कृतिक संरक्षण:** बिहार में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी कला रूपों, भाषाओं और परंपराओं के सांस्कृतिक उत्सव, प्रदर्शनियां और प्रलेखन उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।
- **शिक्षा और रोजगार में आरक्षण:** शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार सुरक्षित करने के अवसर प्रदान करती है। प्रतिनिधित्व और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आवंटित की जाती हैं।
- **सामुदायिक सशक्तिकरण और भागीदारी:** विभिन्न जमीनी स्तर के संगठन और गैर-सरकारी संगठन जनजातीय समुदायों की क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रशासन संरचनाओं को मजबूत करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं। ये पहलें आदिवासी व्यक्तियों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने, स्व-शासन को बढ़ावा देने और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

इन पहलों का उद्देश्य बिहार में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करना, उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उन्हें शिक्षा, आजीविका और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। हालाँकि, इन पहलों के कार्यान्वयन की

निगरानी जारी रखना और बिहार में जनजातीय आबादी के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने में उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अन्य महत्वपूर्ण पहल

1. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोलना एवं बनाना।
2. अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तक अनुदान प्रदान करना
3. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत शिक्षण संस्थानों और समितियों को सहायता।
4. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना
5. अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं
6. एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम
7. अनुसूचित जनजाति के लिए गृह निर्माण योजनाएं
8. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना
9. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुदान योजना
10. खाद्य आपूर्ति योजना
11. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तक अनुदान प्रदान करना
12. अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना
13. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों एवं उप-संसाधनों के लिए अनुदान
14. अनुसूचित जाति के सदस्यों के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
15. अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास खोलना एवं प्रबंध करना।
16. अनुसूचित जातियों की नागरिक अक्षमताओं को हटाना और बिहार हरिजन (नागरिक उन्मूलन उन्मूलन) अधिनियम, बिहार हरिजन (विलंब निवारण अधिनियम) और अनुसूचित जातियों से संबंधित अन्य अधिनियमों का प्रशासन।
17. अनुसूचित जाति, स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि की सहकारी समितियों का गठन।
18. अनुसूचित जाति के लाभ के लिए कार्यरत शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान।
19. अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
20. अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट गृह-निर्माण योजना।

21. सभी विभागों के साथ विशेष घटक योजना का अनुश्रवण एवं समन्वय।
22. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम का प्रशासनिक नियंत्रण।

अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए धन प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लोक सेवा प्रोत्साहन योजना

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे मेधावी छात्रों को आगे की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना और संघ लोक सेवा आयोग, नयी दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए एकमुश्त 50,000/- रुपये तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) का एकमुश्त लाभ प्रदान किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नियम-1995 और संशोधित नियम 2016 केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे बिहार में लागू हैं।
 - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।
 - माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी एवं निगरानी समिति की नियमित बैठकें बुलाई जाती हैं।
- अधिनियम-1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

1. **प्रमुख सचिव**, गृह विभाग द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन

के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए हैं।

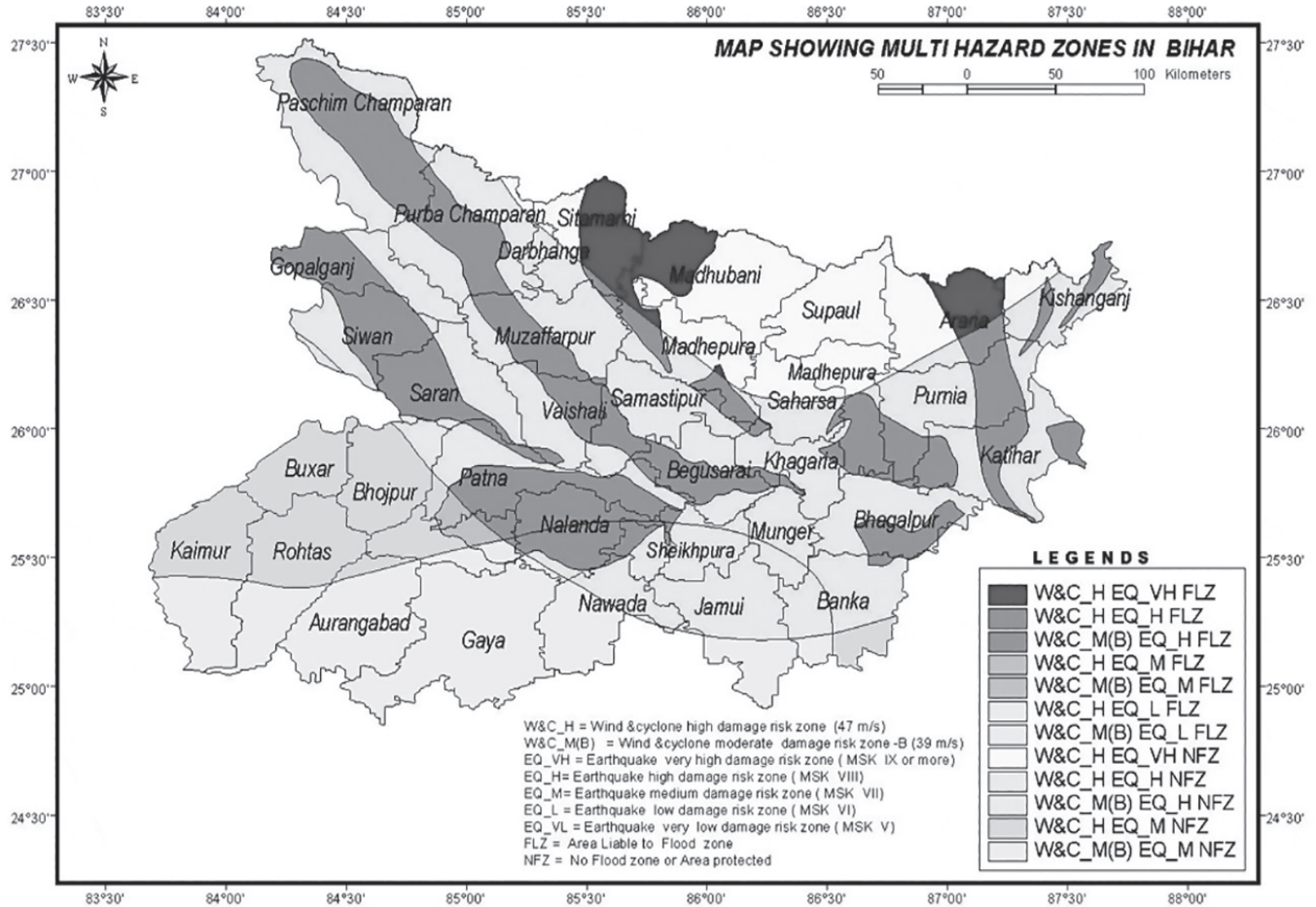
2. राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
3. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय पंजीकृत मामलों के निष्पादन के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष न्यायालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में विशेष विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और महानिदेशक, अभियोजन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।
 - इस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में सरकार का दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करने के लिए विधि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर पर विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं।
 - अत्याचार पीड़ितों/पीड़ितों के आश्रितों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
 - प्रदेश में इस अधिनियम के तहत प्रभावित पीड़ितों को सरकारी नौकरी दी गई है।

- इसके अलावा प्रकरणों की सुनवाई के दौरान पीड़िता/पीड़ित के आश्रितों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।
- आम जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्रों में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं तथा विशिष्ट स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं।
- इसके साथ ही फिल्म और पत्रक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम भी किया जाता है।
- पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
- अत्याचार पीड़ितों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर-“सहायता” 18003456345 है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना

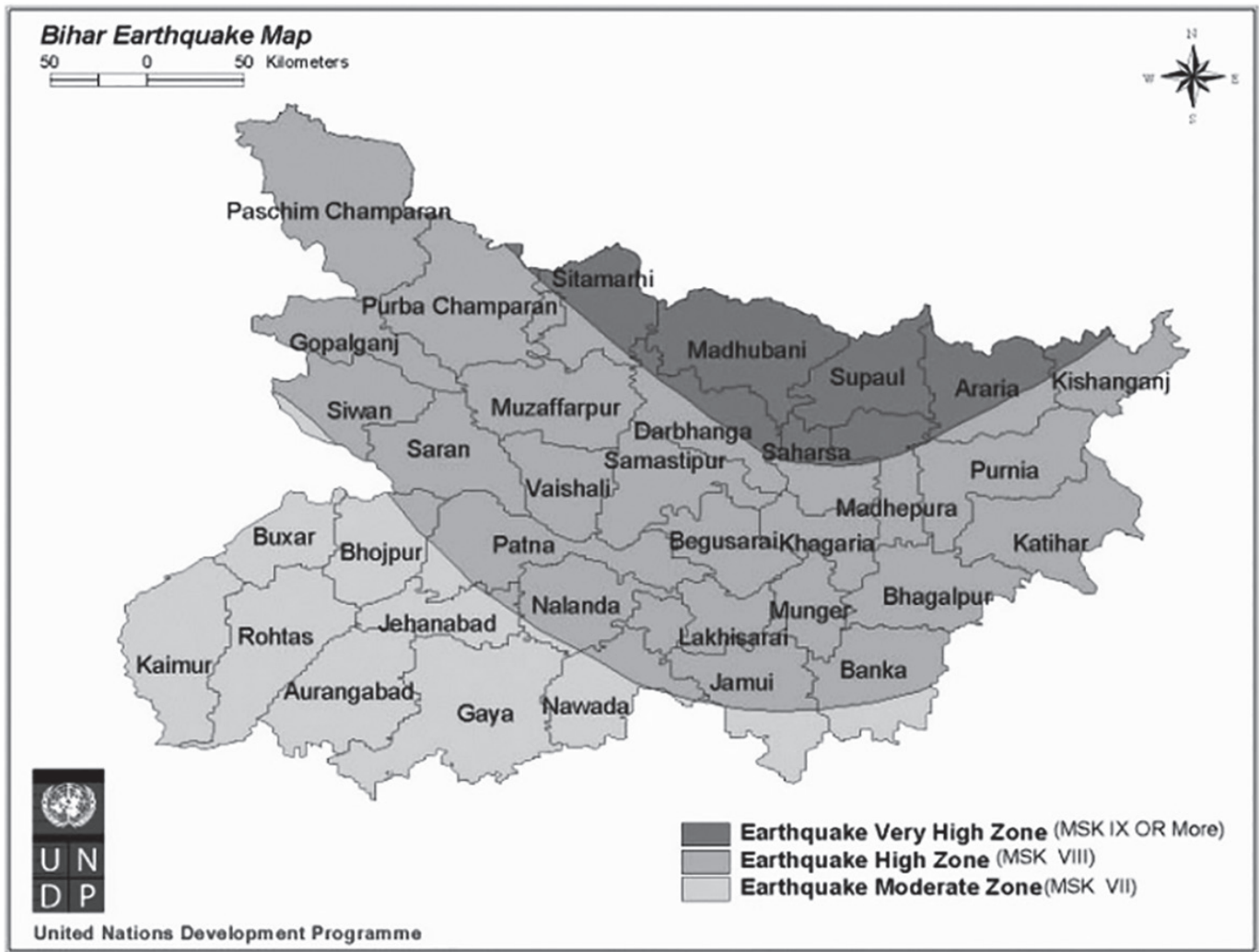
- वर्तमान में छात्रावासों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को चारपाई, गद्दा, चादर, पढ़ने के लिए मेज-कुर्सी, खाना पकाने के बर्तन एवं रसोई आदि की सुविधा दी जाती है।
- छात्रों को दी जा रही सुविधाओं को बढ़ाने तथा समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने तथा उच्च शिक्षा की दर में वृद्धि करने तथा विद्यार्थियों की छात्रावास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास का लाभ 1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से प्रदान किया जाता है।





13.1 भूकंप

- बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो बिहार-नेपाल सीमा के पास हिमालयी टेक्टोनिक प्लेट में शामिल होने वाली टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर पड़ता है। इसमें चार दिशाओं में गंगा के मैदानी इलाकों की ओर जाने वाली छह उपसतह फॉल्ट लाइनें हैं। बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र V में आते हैं, जिनमें से 2 जिले (मधुबनी और सुपौल) पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र V में आते हैं, जबकि 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र IV और 6 जिले भूकंपीय क्षेत्र IV और III में आते हैं।
- **प्रमुख भूकंप:** सबसे खतरनाक 1934 का भूकंप था जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद 1988 में भूकंप और सितंबर 2011 में सिक्किम में भूकंप और 2015 में नेपाल में भूकंप आया।
- राज्य में नए और बढ़ते शहरी केंद्र जहां बिल्डिंग कोड और नियंत्रण तंत्र लागू नहीं होते हैं, भूकंप शहरों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों और अस्पतालों जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं का नुकसान हो सकता है जिनकी इमारतें भूकंप प्रतिरोधी नहीं बनाई गई हैं। इससे गंभीर क्षति और जीवन की हानि भी हो सकती है।

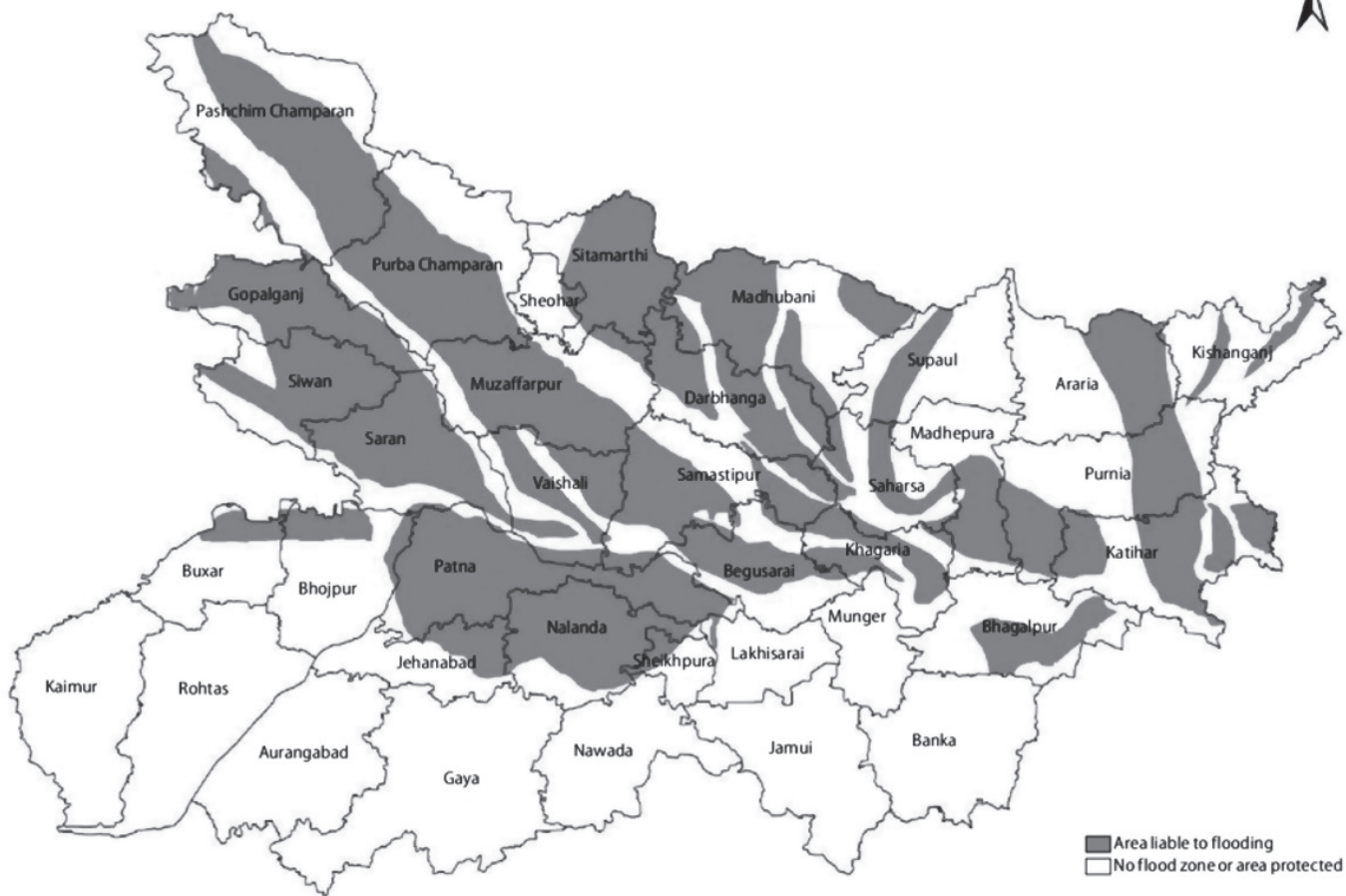


13.2 बाढ़

बिहार की स्थलाकृति कई बारहमासी और गैर-बारहमासी नदियों द्वारा चिह्नित है, जिनमें से नेपाल से निकलने वाली नदियों को उच्च तलछट भार ले जाने के लिए जाना जाता है जो तब बिहार के मैदानी इलाकों में जमा हो जाती हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा मानसून के 3 महीनों में केंद्रित होती है, जिसके दौरान नदियों का प्रवाह 50 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार सरकार के बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के अनुसार बिहार की बाढ़ को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है

- **श्रेणी 1:** आकस्मिक बाढ़ - नेपाल में वर्षा के कारण बाढ़ आती है, समय सीमा कम (8 घंटे) हो जाती है, बाढ़ का पानी तेजी से घटता है;
- **श्रेणी 2:** नदी बाढ़ - समय सीमा 24 घंटे, बाढ़ का पानी 1 सप्ताह में घटता है;
- **श्रेणी 3:** नदी संगम में जल निकासी 24 घंटे से अधिक समय तक चलती है, जो पूर्ण मानसून के मौसम तक चलती है; पानी कम होने में 3 महीने लगते हैं;
- **श्रेणी 4:** स्थायी जल भराव क्षेत्र।

उत्तर बिहार का 73.63% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र माना जाता है। 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं (जिनमें से 15 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं) जिससे संपत्ति, जान, खेत और बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान होता है। 2008 की कोसी बाढ़ के दौरान, 350,000 एकड़ से अधिक धान, 18,000 एकड़ मक्का और 240,000 एकड़ अन्य फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं, जिससे करीब 500,000 किसान प्रभावित हुए।



बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए) के अनुसार उत्तर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.63% बाढ़ प्रभावित है। लगभग हर साल उत्तर बिहार बाढ़ का गवाह बनता है जो जीवन, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है।

13.2.1 बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र

उत्तर बिहार

भारत के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का लगभग 16.5% बिहार में है और वह भी मुख्य रूप से उत्तर बिहार में। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज आदि उत्तर बिहार के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं।

दक्षिण बिहार

दक्षिण बिहार में गैर बारहमासी नदियां हैं जो केवल बरसात के मौसम में पानी से भर जाती हैं जिसके कारण बाढ़ आता है। लेकिन गंगा नदी के दक्षिणी तट के पास, दक्षिण बिहार में भी प्रत्येक 2-3 वर्ष में बाढ़ आती है। बिहार के सबसे बुरी तरह बाढ़ प्रभावित जिलों में से भोजपुर, पटना और नालंदा हैं।

13.2.2 बिहार में बाढ़ के कारण

बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण नेपाल से आने वाली नदियां हैं। मानसून के मौसम के दौरान, नेपाल में बहुत भारी वर्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे ओवरलोड बढ़ जाता है और बेसिन (उत्तर बिहार में) में बाढ़ आ जाती है।

इसका मुख्य जिम्मेदार नेपाल में कोसी पर कोशी बैराज भी है, जिसे नदी में पानी के अधिक भार के दौरान खोलना पड़ता है, जिससे सुपौल और इसके बेसिन के अन्य जिलों में बाढ़ आ जाती है।

कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान आदि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नदियां हैं।

अन्य छोटे कारण हैं:

- कमजोर तटबंध, जो पानी से टूट जाते हैं, इस क्षेत्र में खतरनाक बाढ़ का कारण बनते हैं।
- पहले से ही ओवरलोडेड गंगा नदी में पानी में अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्तर बिहार में नदियों की गति धीमी हो जाती है, जिससे बेसिन क्षेत्र में पानी फैल जाता है।

- एक अन्य कारण यह है कि ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ लाती हैं जो तटबंध के कारण बिखरती नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप नदी की गहराई कम हो जाती है जिससे नदियों की जल वहन क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ आ जाती है।

13.2.3 प्रभाव

प्रत्यक्ष नुकसान

- मनुष्यों और जानवरों की जान को नुकसान।
- फसलों और पेड़ों को नुकसान।
- घरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेलवे और अन्य परिवहन और संचार सुविधाओं और संचार जीवन जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान।
- बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

अप्रत्यक्ष नुकसान

- दिहाड़ी मजदूरों, कारीगरों और छोटे दुकान मालिकों के रोजगार का नुकसान।
- पीने के साफ पानी को नुकसान।
- मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू आदि जैसे विभिन्न संचारी और गैर-संचारी रोग आम तौर पर बाढ़ जैसी महामारी के कारण उत्पन्न होते हैं।
- बाढ़ उपजाऊ मिट्टी को भी नष्ट कर देती है और उसे लैटेराइटिक और अनुपजाऊ बना देती है।

13.2.4 बाढ़ की समस्या के संभावित समाधान

तटबंध का निर्माण

बिहार की पहली बाढ़ नीति, 1954 में बाढ़ पैदा करने वाली नदियों के किनारे तटबंधों की लंबाई बढ़ाने का प्रस्ताव था, जो उस समय केवल 160 किमी था। इसलिए तटबंध को बढ़ाकर 3465 किलोमीटर कर दिया गया, लेकिन साथ ही बाढ़ प्रवण क्षेत्र को भी 2004 तक 25 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 68.9 लाख हेक्टेयर कर दिया गया।

- हालांकि विशेषज्ञ बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में तटबंध के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि कई बार ये तटबंध ओवरलोड होने के कारण टूट जाते हैं और क्षेत्र में और भी विनाशकारी बाढ़ का कारण बनते हैं।

नदी तल की सफाई

प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम से पहले नदियों के तल की सफाई की जाती है ताकि नदियों की वहन क्षमता बढ़ाई जा सके।

बांधों का निर्माण

बाढ़ नियंत्रण पर नियंत्रण उपायों का सुझाव देने के लिए 1974 में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने नेपाल के बाराह क्षेत्र में एक

बड़े बांध की सिफारिश की थी, जो समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है।

- यह न केवल बाढ़ को नियंत्रित करेगा बल्कि बिहार और नेपाल दोनों को सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी उपलब्ध कराएगा।

उत्तर बिहार में लिंक नहरों का निर्माण

बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए यह भी एक प्रभावी समाधान है जिसके कई लाभ हैं जैसे कि सिंचाई और भूजल स्तर में वृद्धि। जिससे मानव गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है।

- बिहार गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा और अन्य नदियों को विभिन्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ऊपरी भागों में जोड़ने वाली कई नहरें बना सकता है।

गंगा नदी का घटता भार

दक्षिण बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा पर नहरें बनाकर हम अतिरिक्त पानी को हटाकर गंगा की वहन क्षमता बढ़ा सकते हैं। इससे उत्तर बिहार में नदियों के प्रवाह का वेग बढ़ाया जाएगा, जिससे बाढ़ की संभावनाएं कम होंगी।

- हालांकि दक्षिण बिहार में नहर खोदने की संभावना काफी कठिन है क्योंकि दक्षिण बिहार ऊंचा है। इसलिए गंगा से दक्षिण की ओर नहर खोदना मुश्किल है। लेकिन तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जैसी लिफ्ट सिंचाई नहर का निर्माण करके इसे संभव बनाया जा सकता है। जिससे सूखाग्रस्त दक्षिण बिहार में सिंचाई की संभावनाएं बढ़ेंगी।

13.3 सूखा

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए) के अनुसार, बिहार के अधिकांश हिस्सों में अपर्याप्त वर्षा के अभाव में, उत्तरी बिहार सहित सूखे का सामना करता है, जो बाढ़ की चपेट में है। लेकिन बिहार का सबसे असुरक्षित हिस्सा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार है जो हर 2-3 साल बाद सूखे का सामना करता है।

बीएसडीएमए के अनुसार मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं।

13.3.1 बिहार में सूखे के कारण

मानसून वर्षा पर निर्भरता

बिहार फसलों की खेती के लिए वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर है। बिहार में हर साल औसतन 108 सेमी वर्षा होती है। लगभग 85% वर्षा मानसून के दौरान होती है। लेकिन यह वर्षा हर साल स्थिर नहीं होती है। बिहार (विशेष रूप से दक्षिण बिहार) में मानसून

की वर्षा अत्यधिक असंगत है। कुछ वर्षों में यह औसत से बहुत अधिक होती है तो कुछ वर्षों में औसत से बहुत कम होती है। प्रत्येक 2-3 वर्ष के बाद सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

उचित सिंचाई सुविधाओं का अभाव

- बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, केवल लगभग 50% से कम कृषि भूमि सिंचित होती है, जिसमें से 63% नलकूपों से आती है, 31% उचित सिंचाई परियोजनाओं (नहरों) से आती है और बाकी 4% अन्य स्रोतों से आती है। इसलिए 50% से अधिक खेत वर्षा पर निर्भर हैं, जो यहां की खेती को कमजोर बनाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नलकूप भूजल स्तर को कम कर रहे हैं जो बिहार में सूखे का एक अन्य पहलू है।

तालाबों की संख्या में कमी

- टैंकों और तालाबों की संख्या में काफी कमी आई है, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह लगभग पूरे वर्ष के लिए पानी उपलब्ध कराता है और साथ ही भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। पुरानी सिंचाई प्रणालियों का अभ्यास जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है, भी बिहार में सूखे का एक प्रमुख कारण है।

वन क्षेत्र में कमी

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएफएसआर) 2019 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 7.76% वन क्षेत्र है, जो भारत के लिए अनुशासित 33% के स्तर से बहुत कम है। चूँकि पेड़ हवा की गति को कम करने और वर्षा करने में प्रभावी होते हैं, इसलिए यह राज्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

13.3.2 प्रभाव

फसलों की बर्बादी

सूखे के कारण फसलें खराब हो जाती हैं और इसलिए किसानों को भारी नुकसान होता है। इसके कारण कुछ किसान भुखमरी और कुपोषण के खतरे का सामना करते हैं।

बेरोजगारी

चूँकि बिहार की 80% से अधिक आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगी हुई है। इसलिए, सूखे का परिणाम न केवल किसानों के रोजगार के नुकसान में होता है बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल होते हैं।

प्रवासन

बेरोजगारी और गरीबी के कारण बड़े पैमाने पर लोग आजीविका की तलाश में बिहार से बड़े शहरों और यहां तक कि पंजाब और

हरियाणा के खेतों की ओर पलायन कर रहे हैं।

राज्य की अर्थव्यवस्था में गिरावट

राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 19.3% है और सूखे की स्थिति में और गिरावट आई है। यह एक तरंग प्रभाव भी पैदा करता है और जीडीपी में अन्य क्षेत्रों के योगदान में भी गिरावट का कारण बनता है। इसलिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाती है।

पर्यावरण क्षरण

चूँकि सूखे से भूजल स्तर में गिरावट आती है, इसके परिणामस्वरूप पेड़ सूख जाते हैं और इसलिए राज्य में वन/वृक्ष आवरण कम हो जाता है, जो पहले से ही बहुत कम है (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76%) वन आवरण में गिरावट के परिणामस्वरूप विभिन्न पर्यावरणीय खतरे होते हैं जैसे औसत तापमान में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि आदि होती है। जिससे कई पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरे बढ़ जाते हैं।

13.3.3 सूखे की समस्या के संभावित समाधान

बांधों का निर्माण

चूँकि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार में, अधिकांश नदियाँ गैर-बारहमासी हैं (जो केवल बरसात के मौसम में बहती हैं) और उनमें से कुछ मानसून की अवधि के दौरान मामूली बाढ़ का कारण भी बनती हैं। इसलिए मानसून के दौरान इन नदियों के अतिरिक्त पानी को इन नदियों पर बांध और सिंचाई नहरें बनाकर रोका जा सकता है। बांध बिहार के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भागों में सूखे की समस्या का सबसे अच्छा समाधान है।

बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई की तीव्रता बढ़ाने के अलावा, बांधों के कई अन्य लाभ हैं जैसे सस्ती बिजली, भूजल स्तर में वृद्धि और इन गैर-बारहमासी नदियों में पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता।

लिफ्ट सिंचाई नहरें

यद्यपि दक्षिण बिहार उत्तर में गंगा के किनारे से दक्षिण में बिहार के छोटानागपुर पठार क्षेत्र तक 6 सेमी प्रति किमी की औसत ढाल के साथ ऊपर की ओर झुका हुआ है। लेकिन लिफ्ट सिंचाई या भूमिगत जल सुरंग प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग करके नहरों का निर्माण संभव है। सरकार गंगा से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार तक लिफ्ट सिंचाई नहरें बना सकती है। ऐसी परियोजना तेलंगाना में पहले से ही निर्माणाधीन है, जहां गोदावरी पर तेलंगाना सरकार द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। तो बिहार में क्यों नहीं?

नदियों को जोड़ना

हालांकि दक्षिण बिहार की नदियाँ मौसमी हैं लेकिन इन नदियों को जोड़ने से मानसून के दौरान गंगा में पानी की बर्बादी कम होगी और साथ ही इनसे मानसून के दौरान गंगा में पानी के अधिभार को कम किया जा सकता है, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

इससे दक्षिण बिहार में भूजल स्तर भी बढ़ेगा। इसलिए नदियों को आपस में जोड़ने से दक्षिण बिहार में भूजल स्तर भी बढ़ता है। नदियों को आपस में जोड़ना सूखे के साथ-साथ बाढ़ का भी एक अच्छा समाधान है।

तालाब/टैंक संस्कृति को बढ़ावा देना

ग्राम/समुदाय/व्यक्तिगत स्तर पर प्राचीन तालाब/तालाब संस्कृति को बढ़ावा देना, जो प्राचीन काल से उपयोग में था, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाल के दिनों में तालाबों की संख्या में काफी कमी आई है, जबकि कुछ गांवों में एक भी तालाब नहीं है। तालाब कमजोर किसानों के लिए एक वैकल्पिक आजीविका भी देंगे क्योंकि इसका उपयोग मछली पकड़ने (मछली पालन) के लिए किया जा सकता है।

वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना

भूजल का दोहन करने के बजाय, लोग वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं और इसका उपयोग कृषि के साथ-साथ घरेलू उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

अन्य समाधान

- लंबी, मध्यम और छोटी अवधि के पूर्वानुमानों के आधार पर पूर्व चेतावनी और निगरानी।
- मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले नदियों, नालों, तालाबों और तालाबों के माध्यम से पारंपरिक वर्षा जल प्रणाली को फिर से जीवंत करना।
- वैकल्पिक खेती या शुष्क खेती की तलाश करना। किसानों को दाल, तिलहन, मक्का और आलू जैसी कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कमजोर शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर तनाव कम करने के लिए पशुधन, पशुपालन, मछली पकड़ने और कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- किसानों को सूखे जैसी स्थितियों का आसानी से सामना करने के लिए समय पर ऋण और फसल बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सरकार को उपयुक्त भूमि उपयोग योजना को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि मिट्टी के अनुसार फसल बोई जा सके। इसके लिए मिट्टी की मैपिंग की जानी चाहिए।

13.4 गर्म तरंगें

लू असामान्य रूप से गर्म मौसम की एक लंबी अवधि है जिसमें पृथ्वी की जलवायु समग्र रूप से गर्म होती है। लू की उन स्थानों पर अधिक बारंबारता, लंबी और अधिक तीव्र होने की उम्मीद है जहां वे पहले से मौजूद हैं। लू की बढ़ी हुई आवृत्ति और गंभीरता विशेष रूप से बुजुर्गों, युवाओं और अन्य कमजोर समूहों में बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है। लू स्थानीय हवा है जो बिहार में बहती है।

13.5 तेज गति वाली हवा/चक्रवात

चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव का एक क्षेत्र है जो उच्च वायुमंडलीय दबाव से घिरा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलने वाली शक्तिशाली हवाओं के साथ घूमता हुआ वायुमंडलीय अशांति होती है। वे मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में होते हैं। चक्रवातों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में चक्रवात मध्यम प्रकृति के होते हैं।

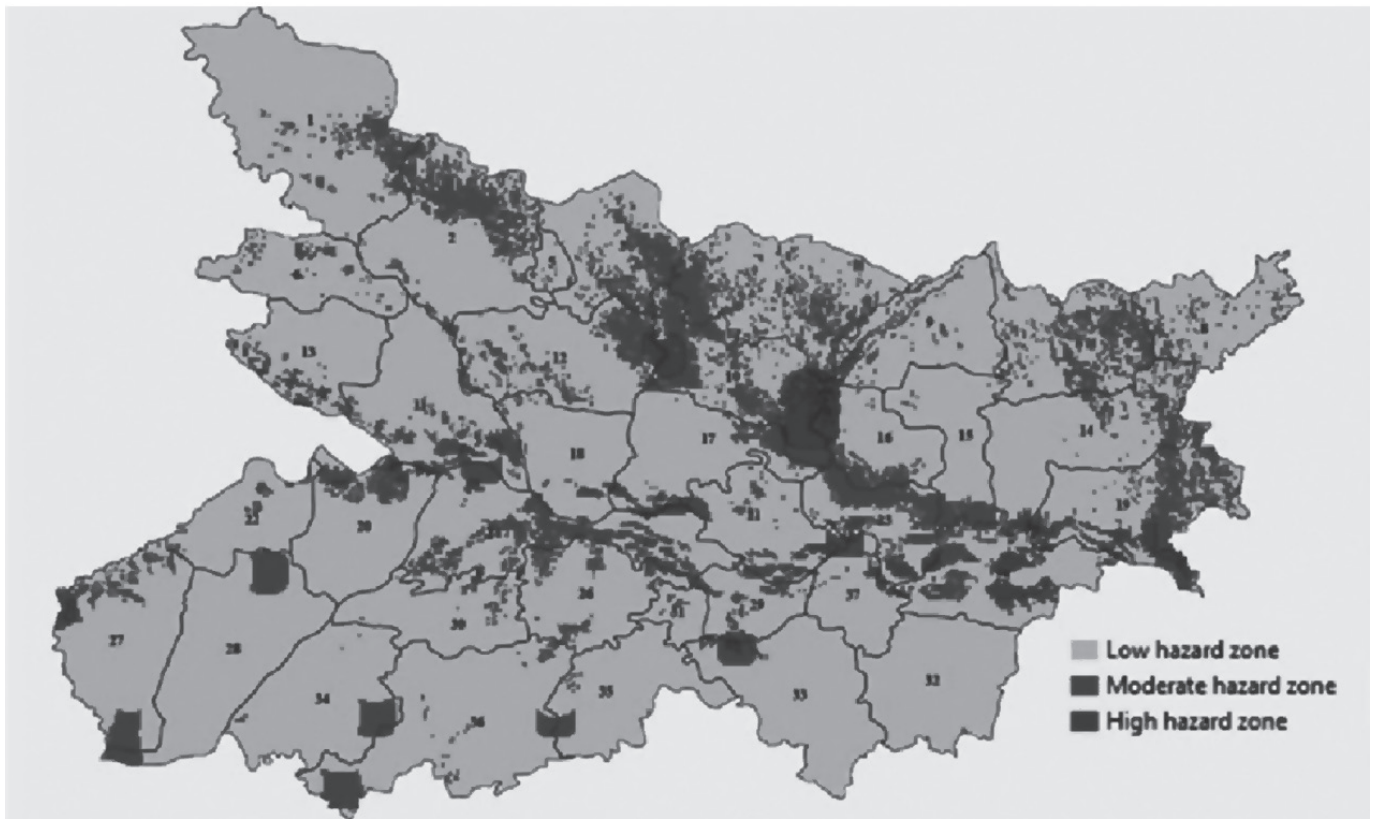
चक्रवात की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं:

- तेज हवाएं
- असाधारण वर्षा
- तूफान उठना

चक्रवात आमतौर पर तेज हवाओं के साथ उत्पन्न होते हैं जो बहुत अधिक विनाश का कारण बनते हैं। कुछ मामलों में यह भारी बारिश भी लाते हैं और समुद्र में भी वृद्धि होती है जो अंतर्देशीय होती है जिससे बाढ़ आती है। बिहार में बंगाल की खाड़ी से चक्रवात से संबंधित विक्षोभ का अनुभव होता है।

13.6 अन्य खतरे

उपरोक्त खतरों के अलावा, राज्य बिजली गिरने, शीत लहरों और आग, महामारी, सड़क/नाव दुर्घटनाओं, भगदड़ आदि जैसे मानव जनित खतरों से भी ग्रस्त है। आग की घटनाएं मुख्य रूप से स्थानीय प्रकृति की होती हैं लेकिन गांवों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। चूंकि अधिकांश कच्चे घरों में छप्पर और लकड़ी के ढांचे होते हैं, गर्मी के महीनों में जब हवाएं तेज होती हैं, तो पारंपरिक चूल्हों से आग पूरे गांव को नुकसान पहुंचाती है।



13.7 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने “आपदा” और “आपदा प्रबंधन” को और इसके स्वरूप को विस्तार से परिभाषित किया है। इसने आपदा प्रबंधन संस्थानों को भी निर्दिष्ट किया है जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है। अधिनियम प्रमुख सरकारी अधिकारियों/हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का भी विस्तार से वर्णन करता है।

“आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन या मानव पीड़ा या क्षति, संपत्ति या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता है।

13.8 बिहार में आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन राज्य के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय के रूप में उभरा है, जो किसी भी घटना के बाद राहत और पुनर्वास पर ऐतिहासिक ध्यान केंद्रित करने से परे है। डीएम अधिनियम 2005 के अधिनियमन के बाद, बिहार में आपदा प्रबंधन की अवधारणा, आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रोकथाम, कमी या शमन, तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव और राहत और पुनर्निर्माण की दिशा में आदर्श बदलाव आया है। बिहार में आपदा प्रबंधन के लक्ष्य हैं आपदा के खिलाफ मानव जीवन की रक्षा के

लिए अत्यधिक महत्व देना, जीवन रक्षक प्रणाली का विकास, कई उपायों को मिलाकर बहुस्तरीय प्रतिक्रिया में सुधार, आपदा के प्रति लोगों की लचीलापन में सुधार- स्वयं सहायता-इस विचार में सुधार कि हर किसी को स्वयं जीवन की रक्षा करनी चाहिए। समुदाय में आपसी सहायता प्रदान करके एक दूसरे को बचाने में मदद करनी चाहिए।

13.9 संस्थागत ढांचा

13.9.1 राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 23(1) आपदा प्रबंधन को लागू करने के उपायों के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है जो प्रबंधन योजना है। बिहार सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना विकसित करके खतरे को रोका है, जिसे वर्ष 2014 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना दो भागों में विभाजित है: आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा संकट प्रबंधन।

आपदा जोखिम प्रबंधन भाग में किसी भी परिप्रेक्ष्य से निपटने की तैयारी और रोकथाम, शमन और तैयारी पर खंड शामिल हैं।

आपदा संकट प्रबंधन भाग में प्रतिक्रिया और राहत पर अनुभाग शामिल हैं। पुनर्निर्माण और पुनर्वास, सरकारी विभागों और अन्य

हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-आवश्यकताओं से संबंधित 'बिल्ट बैक बेटर' शामिल हैं।

13.9.2 आपदा प्रबंधन विभाग

1977-78 से पहले, बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग मुख्य रूप से राजस्व और भूमि सुधार विभाग का एक खंड था जिसे “**राहत और पुनर्वास**” कहा जाता था। लेकिन 1979 में इसे अपने मूल विभाग से अलग कर दिया गया और 2004 में इसे “**आपदा प्रबंधन विभाग**” नाम दिया गया। इसे अब सभी प्रकार की आपदाओं में तैयारी प्रतिक्रिया, राहत और बचाव कार्यों के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

13.9.3 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए)

बीएसडीएमए का गठन 2007 में 2005 के डीएम अधिनियम के अनुसार किया गया था। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में होता है, जिसमें से एक सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नामित होता है। डीएम अधिनियम और बीएसडीएमए के संविधान के अनुरूप, बीएसडीएमए विशेष रूप से आपदा और जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिम विश्लेषण, आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण, क्षमता वृद्धि, और आपदा और जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और संचार को मजबूत करने से संबंधित इस रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगा।

13.9.4 आपदा प्रतिरोधी बिहार बनाने की दिशा में बीएसडीएमए की पहल

हालांकि राज्य एक बहु-संकट प्रवण राज्य है, यह अधिक आपदा प्रतिरोध की ओर भी बढ़ रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए), बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर जागरूकता पैदा करने और विभिन्न हितधारकों और प्रभावित आबादी की क्षमता निर्माण की दिशा में कई पहल कर रहा है। बीएसडीएमए का जोर आपदा जोखिमों को कम करने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रणाली के संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण पर रहा है। सुरक्षा सप्ताह (सड़क सुरक्षा, भूकंप सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और बाढ़ सुरक्षा), हितधारकों का प्रशिक्षण, सुरक्षित स्कूल कार्यक्रम, सुरक्षित निर्माण दिशानिर्देश, मुफ्त भूकंप सुरक्षा क्लिनिक और केंद्र, आईईसी सामग्री का व्यापक प्रसार आदि प्राधिकरण की कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं।

13.9.5 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीओएमए)

जिला मजिस्ट्रेट के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता और विभागों के जिला डब्ल्यू प्रमुखों को शामिल करते हुए, डोमा डब्ल्यू ने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाने का आदेश दिया। रोडमैप में यह परिकल्पना की गई है कि जिला मजिस्ट्रेट और डीओएमएएस आपदा जोखिम न्यूनीकरण और डीएम अधिनियम के अनुसार इस रोडमैप के कार्यान्वयन में एक अभिन्न भूमिका निभाएंगे और विशेष रूप से परिचालन दिशा प्रदान करने, लक्ष्यीकरण और प्राथमिकता देने, जोखिम विश्लेषण करने, जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालेंगे। इस रोडमैप में परिकल्पित विशिष्ट कार्यों के अलावा साझेदारी, आवधिक निगरानी और रोडमैप कार्यान्वयन की समीक्षा स्थापित करना शामिल है।

13.9.6 एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल)

एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की 9वीं बटालियन बिहटा, पटना में स्थापित है। बिहार सरकार ने एनडीआरएफ बटालियन की स्थापना के लिए 75 एकड़ भूमि प्रदान की है। एनडीआरएफ बटालियन में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, मानव निर्मित और गैर प्राकृतिक आपदाओं में प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित विशेष दल शामिल हैं।

13.9.7 एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल)

किसी भी घटना के दौरान प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए, एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरई की एक बटालियन बनाई गई है। एसडीआरई एक नया बल है, जो एनडीआरएफ की तर्ज पर गठित आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नियंत्रित/शासित है। एसडीआरएफ मुख्यालय के लिए बिहटा (पटना) में 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

13.9.8 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान (बीएसआईडीएम)

इसे खतरों की अपेक्षित समझ विकसित करने, जानकारी और ज्ञान इकट्ठा करने, प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और लागू करने और राज्य में जोखिम विशिष्ट अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली में शामिल किया गया है। बीएसआईडीएम बहुपक्षीय एजेंसियों और कॉर्पोरेट निकायों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ जुड़ने और घटनाओं के समय समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित और बनाए रखेगा।

बीएसआईडीएम के मुख्य उद्देश्य होंगे -

- जोखिम मानचित्रण और भेद्यता अध्ययन।
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण।
- प्राकृतिक खतरों की निगरानी और प्रभाव का आकलन।
- मुख्य रूप से प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकास।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली।

13.10 बिहार में आपदा प्रबंधन में हालिया पहल

- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त राहत और नकद सहायता के अलावा कृषि इनपुट सब्सिडी, हाउस डैमेज सब्सिडी और मवेशियों के नुकसान के लिए सब्सिडी का प्रावधान है।
- नदी कटाव के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे के रूप में धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।
- राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी अधिकारियों और समुदायों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें बाढ़ के दौरान खोज और बचाव के लिए गोताखोरों का प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण और मोटर बोट चलाने का प्रशिक्षण शामिल है। साथ ही इंजीनियरों, ठेकेदारों, वास्तुकारों और राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- किसानों को सहायता प्रदान करने और कृषि संकट को रोकने के उपाय करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि संकट में किसानों को सहायता के लिए बिहार योजना, 2015 तैयार की है। इस योजना के तहत, रुपये के अनुग्रह भुगतान का प्रावधान

है। जिस किसान की मृत्यु हो गई है, उसके निकटतम संबंधी के नाम पर 4.00 लाख जमा किए जाएंगे। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक कोष बनाता है जो खाताधारक को वित्तीय राहत के रूप में मासिक ब्याज प्रदान करता है।

- राज्य सरकार ने 28 बाढ़-प्रवण जिलों को 40 फाइबर प्रबलित प्लास्टिक नौकाएं और 310 इन्फ्लेटेबल मोटर नौकाएं प्रदान की हैं।
- राज्य आपदा मोचन बल बाढ़ के दौरान खोज और बचाव के लिए आधुनिक उपकरण जैसे इन्फ्लेटेबल मोटर बोट, लाइफ जैकेट, डीप डाइविंग सूट और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के सहयोग से, त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया टीमों के लिए प्रशिक्षण के दो चरणों को पूरा कर लिया गया है।

13.11 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-2030

- आपदा प्रतिक्रिया में पैरामीटर स्थापित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है।
- कुशल आपदा प्रबंधन के लिए, राज्य सरकार ने सेंडाई फ्रेमवर्क समझौते का पालन करते हुए 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) रोड मैप 2015-2030 तैयार किया है।
- बिहार इस अभ्यास को पूरा करने वाला सभी भारतीय राज्यों में पहला है।
- राज्य सरकार ने कुशल आपदा प्रबंधन के लिए बैंकाक में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (एडीपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।



जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है जिसका बिहार सहित विभिन्न भू-भागों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिहार में जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- **बढ़ता तापमान:** बिहार, भारत के कई अन्य हिस्सों की तरह, वर्षों से तापमान में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। गर्म हवाएं और दीर्घकालिन हॉट स्पेल (गर्म अवधि) लगातार हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम, ऊर्जा की मांग में वृद्धि और कृषि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **अनियमित मानसून स्वरूप:** बिहार कृषि के लिए मानसून के मौसम पर बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि राज्य की आबादी का एक महत्वपूर्ण अंश कृषि में संलग्न है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून स्वरूप में बदलाव आया है, जिससे वर्षा वितरण और तीव्रता में परिवर्तनशीलता बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप सूखा, बाढ़ और फसल का नुकसान हो सकता है।



- **वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन ने बिहार में वर्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि हो सकती है, जिससे बाढ़ का अधिक जोखिम हो सकता है, जबकि अन्य में कम वर्षा हो सकती है, जिससे पानी की कमी और सूखे की स्थिति में योगदान होगा। इन परिवर्तनों का कृषि, जल संसाधनों और समग्र आजीविका पर प्रभाव पड़ता है।

- **समुद्र के स्तर में वृद्धि:** हालांकि बिहार एक अंतर्देशीय राज्य है, यह गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी बेसिन में स्थित है, जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। समुद्र के स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में लवणता में वृद्धि हो सकती है, जिससे कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकते हैं।
- **कृषि पर प्रभाव:** बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। अनियमित वर्षा, तापमान में उतार-चढ़ाव और चरम मौसम की घटनाएं फसल उत्पादन, उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। इन चुनौतियों को कम करने के लिए अनुकूलन के उपाय, जैसे बेहतर सिंचाई बुनियादी ढाँचे और जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हैं।
- **जल प्रबंधन:** जलवायु परिवर्तन बिहार में जल की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अवक्षेपण स्वरूप में परिवर्तन और बढ़ी हुई वाष्पीकरण दर सतही जल और भूजल संसाधनों को प्रभावित करती है। सतत जल उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन और कुशल सिंचाई तकनीकों सहित उचित जल प्रबंधन पद्धतियां आवश्यक हैं।
- **पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता:** जलवायु परिवर्तन बिहार में पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को प्रभावित करता है। तापमान, वर्षा और आवास की स्थिति में परिवर्तन प्रजातियों के वितरण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, संभावित रूप से पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव और जैव विविधता के नुकसान की ओर अग्रसर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास और बिगड़े हुए आवासों की बहाली आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है और इसका कोई सहज समाधान नहीं है। हालांकि, **बिहार में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए** कई उपाय किये जा सकते हैं। इसमें शामिल है:

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना:** बिहार सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्थानांतरित करके अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनाना:** बिहार तटीय क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए समुद्री दीवारों का निर्माण करके और सूखा प्रतिरोधी फसलों को विकसित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना:** बिहार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान

कर सकता है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं, जैसे बाढ़ या सूखे में अपना घर खो चुके लोग।

जलवायु परिवर्तन बिहार के लिए एक गंभीर खतरा है, लेकिन यह अजेय नहीं है। अभी कार्रवाई करके बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकता है और अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई कुछ विशिष्ट पहल इस प्रकार हैं:

बिहार ग्रीन ड्राइव: ग्रीन ड्राइव की 2016 में लॉन्च किया गया था। यह अगले पांच वर्षों में बिहार में 200 मिलियन पौधे लगाने की एक पहल है।

बिहार सौर नीति: बिहार सौर नीति 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

14.1 जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाएँ

14.1.1 जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी)

अन्य जगहों की तरह, बिहार जलवायु परिवर्तन और जलवायु-प्रेरित मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, इसकी अधिकांश आबादी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने की पहल 2011 की शुरुआत में की गई थी। राज्य सरकार ने अंततः 2015 में एसएपीसीसी तैयार की थी, जिसमें एसएपीसीसी और विकास प्राथमिकताओं को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की अनिवार्यताओं के साथ जोड़ दिया गया था। राज्य में कई उपायों को पहले ही अपनाया जा चुका है जो राज्य के जलवायु संबंधी एजेंडे का हिस्सा है, जैसा कि एसएपीसीसी के तहत विस्तार से बताया गया है।

वैश्विक औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में काम करने के लिए 2015 में एसएपीसीसी पेरिस समझौते के निर्माण के बाद से जलवायु नीति और कार्रवाई विकसित हुई है। भारत ने 2020 के बाद अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को तैयार किया है। इस संदर्भ में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को एसएपीसीसी को संशोधित और मजबूत करने की सलाह दी है, 2020-2030 के लिए बिहार के एसएपीसीसी का संशोधन वर्तमान में विभिन्न हितधारक विभागों, विशेषज्ञ समूहों और संस्थानों से इनपुट को शामिल करके प्रगति पर है। कार्य योजना मौजूदा जलवायु जोखिमों और कमजोरियों को दूर करने के साथ-साथ सामूहिक

कार्यों के माध्यम से जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए राज्य के लिए एक प्राथमिक नीति दस्तावेज के रूप में काम करेगी।

14.1.2 पटना चिड़ियाघर, पटना में जलवायु परिवर्तन लर्निंग लैब

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 'पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक साझेदारी' (एसपीआईपीए) परियोजना के साथ साझेदारी में 'जलवायु परिवर्तन लर्निंग लैब' की स्थापना की है। SPIPA परियोजना को GIZ, भारत के साथ मिलकर भारत में यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। फंडिंग यूरोपीयन यूनियन पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट और पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय होती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है। परियोजना के हिस्से के रूप में, इसी तरह की 'क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब्स' हरियाणा, गुजरात और केरल में भी स्थापित की जा रही हैं।

बिहार के पटना चिड़ियाघर में जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला 17 जुलाई, 2022 को उद्घाटन की गई चार प्रयोगशालाओं में से पहली है। प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य एक समर्पित वास्तविक शिक्षण स्थान के माध्यम से प्रासंगिक हितधारकों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी (उनके प्रभाव और शमन सहित) इंटरैक्टिव तरीके से प्रदान करना है। लैब का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों दोनों के छात्रों, विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कमजोर समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और इच्छुक नागरिकों तक पहुंचना है। यह सीखने की प्रक्रिया और जलवायु कार्रवाई में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को मजबूत करेगा।

14.1.3 बिहार में आर्द्रभूमि संरक्षण और विकास

बिहार गंगा के मैदान के केंद्र में स्थित है। राज्य से कई नदियां होकर गुजरती हैं, जिनमें से कई का उद्गम नेपाल से होता है। अतीत में इन नदियों ने कई बार अपना मार्ग बदला है, जिससे प्राकृतिक गड्ढे निकल गए हैं जो बाद में वर्षा और नदी के अतिप्रवाह से पानी से पोषित होते हैं। वे अक्सर गोखुर झीलें, नदी के आर्द्रभूमि, कट-ऑफ मिनांडर, मान और चौर बनाते हैं। इन प्राकृतिक आर्द्रभूमियों के अलावा, कई मानव निर्मित जलाशय/आर्द्रभूमियाँ हैं जो पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। नेशनल वेटलैंड एटलस (NWA) 2011 के अनुसार, बिहार में 4416 वेटलैंड्स हैं, जिनका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर से अधिक है। इसके अलावा, लगभग 17,582 छोटी आर्द्रभूमियाँ (2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली) भी बिहार में मौजूद हैं।

स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन 31 जनवरी, 2020 को किया गया था। बिहार स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी राज्य में वेटलैंड्स के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ चला रही है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स (रामसर साइट) की पहचान कर रही है और वेटलैंड्स के स्थायी प्रबंधन के लिए अन्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर रही है।

आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 के तहत यह कार्रवाई की गई है। बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने प्रथम चरण में संरक्षण एवं विकास के लिए 133 आर्द्रभूमि का चयन किया है। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली, 2017 के अनुसार 133 आर्द्रभूमियों में से 28 आर्द्रभूमियों के लिए संक्षिप्त दस्तावेज एवं स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। 36 अतिरिक्त आर्द्रभूमियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा उनके प्रलेखन का कार्य प्रगति पर है।



बिहार को 9 मंडलों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 38 जिले हैं। बिहार के प्रत्येक जिले को उप-मंडलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें फिर से खंडों में विभाजित किया गया है।

मंडल	मुख्यालय	जिले
पटना	पटना	बक्सर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास
मगध	गया	अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा
तिरहुत	मुजफ्फरपुर	पू. चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, प. चंपारण
सारण	छपरा	गोपालगंज, सारण, सीवान
भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर, बांका
मुंगेर	मुंगेर	बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा
पूर्णिया	पूर्णिया	अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया
दरभंगा	दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
कोसी	सहरसा	मधेपुरा, सहरसा, सुपौल

15.1 पटना मंडल के जिले

बक्सर

- बक्सर को 11 मार्च, 1991 को भोजपुर जिले से अलग कर बनाया गया था। प्राचीन काल में इसे 'सिद्धाश्रम', 'वेदगर्भपुरी', 'करुष', 'तपोवन', 'चैत्रथ', 'व्याघ्रसर' और बाद में बक्सर के नाम से जाना जाता था।
- बक्सर जिला पश्चिम और उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में भोजपुर जिले, दक्षिण में रोहतास जिले और दक्षिण-पश्चिम में कैमूर जिले से घिरा हुआ है।
- जिले में कर्मनाशा और गंगा नदियों का संगम है।
- बक्सर जिले में कपड़ा, सूती धागे, लालटेन उद्योग, कालीन उद्योग, चावल और तेल मिल जैसे कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मक्का और गन्ना हैं।

- चौसा का प्रसिद्ध युद्ध (1539 ई.) और बक्सर का युद्ध (1764 ई.) इसी जिले में लड़ा गया था।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौसा गढ़, चौसा युद्धक्षेत्र, मीर कासिम किला, नौलखा मंदिर, विश्वामित्र मुनि आश्रम, बिहारी जी मंदिर, कतकौली का मैदान आदि।
- क्षेत्रफल - 1703 वर्ग किमी
- मुख्यालय - बक्सर
- जनसंख्या - 17,06,352
- घनत्व - 1002 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 70.14%
- लिंगानुपात - 922 महिलाएं/1000 पुरुष

भोजपुर

- भोजपुर शाहाबाद जिले का एक हिस्सा था जिसे वर्ष 1972 में एक अलग जिले के रूप में बनाया गया था।
- भोजपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य और सारण जिले, पूर्व में पटना जिले, दक्षिण में अरवल और रोहतास जिले और पश्चिम में बक्सर जिले से घिरा हुआ है।
- गंगा और सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- भोजपुर कई उद्योगों जैसे चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, चावल और तेल मिलों, तंबाकू उद्योग, गुड़ बनाने आदि के लिए प्रसिद्ध है।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं- वीर कुंवर सिंह किला, शाही मस्जिद, अरण्य देवी मंदिर, चतुर्भुज नारायण मंदिर, जैन पार्श्वनाथ मंदिर।
- क्षेत्रफल - 2395 वर्ग किमी
- मुख्यालय - आरा
- जनसंख्या - 27,28,407
- घनत्व - 1139 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 70.47%
- लिंगानुपात - 907 महिलाएं/1000 पुरुष

कैमूर (भभुआ)

- कैमूर जिला वर्ष 1991 में रोहतास जिले से अलग कर बनाया गया था।

- कैमूर जिला उत्तर और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर-पूर्व में बक्सर जिले और पूर्व और दक्षिण में रोहतास जिले से घिरा हुआ है।
- कर्मनाशा, दुर्गावती और सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- कैमूर में कई महत्वपूर्ण चावल मिलें और तेल मिलें हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, गेहूँ और गन्ना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माता मुंडेश्वरी (भगवानपुर), हरसू ब्रह्म मंदिर (चौनपुर), बैद्यनाथ मंदिर, मां छेरावरी धाम, पीर बाबा मजार, चंदेश्वरी धाम, कुलेश्वरी धाम, बख्तियार खान का रौजा, तेलहर कुण्ड/झरना।
- क्षेत्रफल - 3332 वर्ग किमी
- मुख्यालय - भभुआ
- जनसंख्या - 16,26,384
- घनत्व - 488 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 69.34%
- लिंगानुपात - 920 महिलाएं/1000 पुरुष

नालंदा

- वर्ष 1972 में तत्कालीन पटना जिले से अलग होकर नालंदा जिला अस्तित्व में आया।
- नालंदा जिला उत्तर में पटना, पूर्व में शेखपुरा और लखीसराय जिले, दक्षिण में नवादा और गया और पश्चिम में जहानाबाद और पटना जिले से घिरा हुआ है।
- फल्गु, मोहाने, जिरयान और कुम्भरी इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- नालंदा जिले के महत्वपूर्ण उद्योग हथकरघा बुनाई, सिगरेट, तम्बाकू, चमड़ा, आयुध हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, आलू और प्याज हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पांडु पोखर, पावापुरी जल मंदिर, राजगीर, बड़गांव, जगदीशपुर, घोरा कटोरा, पावापुरी, नालंदा विश्वविद्यालय भग्नावशेष, मनियार मठ, जापानी मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 2367 वर्ग किमी
- मुख्यालय - बिहारशरीफ
- जनसंख्या - 2877,653
- घनत्व - 1222 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 64.43%
- लिंगानुपात - 922 महिलाएं/1000 पुरुष

पटना

- पटना की स्थापना मगध साम्राज्य के राजा उदयिन ने 490 ईसा पूर्व में की थी।
- इसके प्राचीन नाम पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद थे।

- पटना का वर्तमान जिला 1793 में एक न्यायिक जिले के रूप में बनाया गया था।
- पटना जिला उत्तर में सारण, वैशाली और समस्तीपुर जिले, पूर्व में बेगूसराय और लखीसराय जिले, दक्षिण में नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिले और पश्चिम में भोजपुर जिले से घिरा हुआ है।
- गंगा, सोन और पुनपुन इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- पटना जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी उद्योग, अग्नि कार्य, बिस्कुट निर्माण, आटा मिल, लाइट बल्ब, जूते, वेल्डिंग कार्य, वैगन फैक्ट्री, ग्लास उद्योग, साइकिल निर्माण आदि हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, आलू, प्याज और सब्जियाँ हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोल घर, संजय गांधी वनस्पति उद्यान, गांधी संग्रहालय, कुम्हार, महावीर मंदिर, पटना संग्रहालय, पादरी की हवेली, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र, शेर शाह सूरी मस्जिद हैं।
- क्षेत्रफल - 3202 वर्ग किमी
- मुख्यालय - पटना
- जनसंख्या - 58,38,465 (सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला)
- घनत्व - 1823 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 70.68%
- लिंगानुपात - 897 महिलाएं/1000 पुरुष

रोहतास

- रोहतास जिले को 1972 में तत्कालीन शाहाबाद जिले से अलग कर बनाया गया था।
- रोहतास जिला उत्तर में बक्सर और भोजपुर जिले, पूर्व में अरवल और औरंगाबाद जिले, दक्षिण में झारखंड राज्य और पश्चिम में कैमूर और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है।
- सोन और काव इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- रोहतास जिले के महत्वपूर्ण उद्योग सीमेंट फैक्ट्री, वनस्पति तेल मिल, पेपर फैक्ट्री, चीनी उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान और गेहूँ हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शेर शाह सूरी का मकबरा, रोहतासगढ़ किला, इंद्रपुरी बांध (डेहरी), कैमूर की पहाड़ियाँ, धुवा कुंड, मां तारा चंडी मंदिर, पायलट बाबा मंदिर, गुप्त धाम, मंझर कुंड हैं।
- क्षेत्रफल - 3851 वर्ग किमी
- मुख्यालय - सासाराम
- जनसंख्या - 29,59,918
- घनत्व - 763 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 73.37%
- लिंगानुपात - 918 महिलाएं/1000 पुरुष

15.2 मगध मंडल के जिले

अरवल

- अरवल जिला तत्कालीन जहानाबाद जिले से अगस्त, 2001 में अलग कर बनाया गया था।
- अरवल जिला उत्तर में भोजपुर और पटना जिलों, पूर्व में जहानाबाद जिले, दक्षिण में गया और औरंगाबाद जिलों और पश्चिम में रोहतास और भोजपुर जिलों से घिरा हुआ है।
- सोन अरवल जिले की महत्वपूर्ण नदी है।
- अरवल जिले में महत्वपूर्ण उद्योग कृषि आधारित, लकड़ी आधारित फर्नीचर, धातु आधारित, मरम्मत और सर्विसिंग उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मक्का और चना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फखरपुर मंदिर, गौतम बुद्ध मंदिर, मधुश्रवा आश्रम, मखदूम शाह की मजार हैं।
- क्षेत्रफल - 638 वर्ग किमी
- मुख्यालय - अरवल
- जनसंख्या - 700843
- घनत्व - 1098 व्यक्ति/वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 67.43%
- लिंगानुपात - 928 महिलाएं/1000 पुरुष

औरंगाबाद

- औरंगाबाद जिला 26 जनवरी, 1973 को तत्कालीन गया जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया।
- औरंगाबाद जिला उत्तर में अरवल जिले, पूर्व में गया जिले, दक्षिण में झारखंड राज्य और पश्चिम में रोहतास जिले से घिरा हुआ है।
- सोन, पुनपुन, औरंगा, बताने, मोरहर आदि इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- औरंगाबाद जिले में महत्वपूर्ण उद्योग कालीन और कंबल बुनाई, इंजीनियरिंग इकाइयाँ हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मसूर और चना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देव कुंड, देव मंदिर, उमगा मंदिर, सूर्य मंदिर, अमझर शरीफ, झुंझुनवा पहाड़ियाँ, शमशेर खान का मकबरा हैं।
- क्षेत्रफल - 3305 वर्ग किमी
- मुख्यालय - औरंगाबाद
- जनसंख्या - 25,40,073
- घनत्व - 768 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 70.32%
- लिंगानुपात - 926 महिलाएं/1000 पुरुष

गया

- गया 1865 में एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया।
- गया जिला उत्तर में अरवल, जहानाबाद और नालंदा जिलों, पूर्व में नवादा जिले, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में औरंगाबाद जिले से घिरा हुआ है।
- फल्गु इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है।
- गया जिले में महत्वपूर्ण उद्योग चीनी, सूती वस्त्र, तम्बाकू, चमड़ा, लाख उद्योग और तेल मिलें हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, गन्ना और मक्का हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया, बोधि वृक्ष, पुरातत्व संग्रहालय, थाई मठ, सुजाता गढ़ /गांव, बाबा कोटेश्वरनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर, प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, टेकरी किला हैं।
- क्षेत्रफल - 4976 वर्ग किमी
- मुख्यालय - गया
- जनसंख्या - 43,91,418
- घनत्व - 883 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 63.67%
- लिंगानुपात - 937 महिलाएं/1000 पुरुष

जहानाबाद

- गया जिले से अलग होकर 1 अगस्त, 1986 को जहानाबाद अस्तित्व में आया।
- जहानाबाद जिला उत्तर में पटना जिले, पूर्व में नालंदा जिले, दक्षिण में गया जिले और पश्चिम में अरवल जिले से घिरा हुआ है।
- फल्गु, दरधा और जमुने जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- जहानाबाद जिले के महत्वपूर्ण उद्योग कृषि आधारित, लकड़ी आधारित, खनिज आधारित, धातु आधारित, विद्युत मशीनरी, रसायन आधारित उद्योग और इंजीनियरिंग इकाइयाँ हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ और मसूर हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हजरत बीबी कमाल मकबरा, बराबर गुफाएं, बाबा सिद्धनाथ मंदिर, सप्त गुहा, नागार्जुन संग्रहालय, मीरा बीघा, लोमेश ऋषि गुफा, गोपी गुफा, विश्व झोपड़ी, घेजण, नागार्जुन गुफा, सुदामा गुफा हैं।
- क्षेत्रफल - 931 वर्ग किमी
- मुख्यालय - जहानाबाद
- जनसंख्या - 11,25,313
- घनत्व - 1209 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 66.80%
- लिंगानुपात - 922 महिलाएं/1000 पुरुष

नवादा

- नवादा जिला तत्कालीन गया जिले से अलग होकर वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया।
- नवादा जिला उत्तर में नालंदा और शेखपुरा से घिरा हुआ है, पूर्व में जमुई जिला, दक्षिण में झारखंड राज्य और पश्चिम में गया जिला है।
- सकरी, खुरी, पंचान, भुसरी और तिलैया महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- नवादा जिले के महत्वपूर्ण उद्योग बीड़ी, चीनी, हथकरघा (रेशम) हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, तिलहन, दालें हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात, सूर्य मंदिर हंडिया, शेखोदेवरा आश्रम (कौआकोल), श्री गुनावां जी तीर्थ, बुधौली मठ, इंद्रसाल गुफा, आपसगढ़, पार्वती पहाड़ी हैं।
- क्षेत्रफल - 2494 वर्ग किमी
- मुख्यालय - नवादा
- जनसंख्या - 22,19,146
- घनत्व - 890 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर 59.76%
- लिंगानुपात - 939 महिलाएं/1000 पुरुष

15.3 तिरहुत मंडल में जिला

पूर्वी चंपारण

- चंपारण जिला वर्ष 1866 में अस्तित्व में आया।
- 1971 को, चंपारण जिले को दो जिलों, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में विभाजित किया गया था।
- पूर्वी चंपारण जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में सीतामढ़ी और शिवहर जिले, दक्षिण में मुजफ्फरपुर, सारण और गोपालगंज जिले और पश्चिम में पश्चिम चंपारण जिले से घिरा हुआ है।
- गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लालबकिया इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- चंपारण के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिल, बटन उद्योग, धातु आधारित, रसायन आधारित, कृषि आधारित उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गन्ना, जूट, मसूर हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोतिहारी आश्रम, अशोक स्तंभ (अरेराज), सोमेश्वर शिव मंदिर, गांधी संग्रहालय (मोतिहारी), केसरिया बुद्ध स्तूप (केसरिया), मोती झील, नरेगा पार्क हैं।
- क्षेत्रफल - 3968 वर्ग किमी
- मुख्यालय - मोतिहारी
- जनसंख्या - 5,099,371
- घनत्व - 1285 व्यक्ति/वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 55.79%
- लिंग अनुपात - 902 महिलाएं/1000 पुरुष

मुजफ्फरपुर

- प्रशासनिक सुविधा के कारण तिरहुत के पुराने जिले को विभाजित करके वर्ष 1875 में मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया था।
- यह उत्तर में पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी जिले, पूर्व में दरभंगा और समस्तीपुर जिले, दक्षिण में वैशाली जिले और पश्चिम में सारण जिले से घिरा हुआ है।
- गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदायी इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- मुजफ्फरपुर जिले में चीनी मिलें, थर्मल पावर स्टेशन, वैगन फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, गैस सिलेंडर फैक्ट्री जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं।
- मुजफ्फरपुर को 'लीची की भूमि' के रूप में जाना जाता है।
- जिले की महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, गेहूँ, मसूर, आम, लीची हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोल्हुआ, गरीब स्थान मंदिर, रमन की काली मंदिर, कमलशाह की मजार हैं।
- क्षेत्रफल - 3172 वर्ग किमी
- मुख्यालय - मुजफ्फरपुर
- जनसंख्या - 48,01,062
- घनत्व - 1514 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 63.43%
- लिंग अनुपात - 900 महिलाएं/1000 पुरुष

सीतामढ़ी

- सीतामढ़ी जिला तत्कालीन मुजफ्फरपुर जिले से अलग होकर 11 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया।
- सीतामढ़ी जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में मधुबनी जिला, दक्षिण में मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले और पश्चिम में शिवहर और पूर्वी चंपारण जिले से घिरा हुआ है।
- बागमती इस जिले की एक महत्वपूर्ण नदी है।
- सीतामढ़ी के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी कारखाने (रीगा), चावल और तेल मिलें, आसवनी संयंत्र हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मक्का, मसूर, तिलहन, गन्ना, तम्बाकू हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हलेश्वर स्थान, पुनौरा धाम, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, गोरौल शरीफ, सीताकुंड, जानकी मंदिर, बगही धाम, सूर्य मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 2294 वर्ग किमी
- मुख्यालय - सीतामढ़ी
- जनसंख्या - 34,23,574
- घनत्व - 1492 व्यक्ति/ वर्ग किमी

- साक्षरता दर - 52.05%
- लिंग अनुपात - 899 महिला/1000 पुरुष

शिवहर

- शिवहर बिहार राज्य का एक प्रशासनिक जिला है। जिला मुख्यालय शिवहर में स्थित है और तिरहुत डिवीजन का एक हिस्सा है।
- यह जिला 1994 में सीतामढ़ी जिले से अलग होकर बनाया गया था।
- जिले का क्षेत्रफल 443 वर्ग किमी है और इसकी जनसंख्या 656,916 (2011 तक) है।
- शिवहर अपनी हरियाली और साफ-सफाई के लिए जाना जाता है। कैडम्बा और सागौन इस जिले के प्रमुख पेड़ हैं।
- नीलगाय या नीला बैल इस क्षेत्र का क्षेत्रीय पशु है।
- कृषि व्यवसाय का मुख्य स्रोत है।
- बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों में बाढ़ के कारण यह बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है।
- देवकुली भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के लिए लोकप्रिय एक पवित्र स्थान है। 2011 तक यह शेखपुरा के बाद बिहार का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला (39 में से) है।
- यह तीन जिलों से घिरा है। सीतामढ़ी उत्तर और पूर्व में है, पूर्वी चंपारण पश्चिम में है और मुजफ्फरपुर दक्षिण में है।

वैशाली

- वैशाली जिला तत्कालीन मुजफ्फरपुर जिले से अलग होकर 12 अक्टूबर, 1972 को अस्तित्व में आया।
- वैशाली जिला उत्तर में मुजफ्फरपुर जिले, पूर्व में समस्तीपुर जिले, दक्षिण में पटना जिले और पश्चिम में सारण जिले से घिरा हुआ है।
- गंगा और गंडक राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- वैशाली जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिलें, गुल और जर्दा निर्माण केंद्र हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें केला, गेहूँ, धान, मक्का और मसूर हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अशोक स्तंभ, वैशाली राजवंश की राजधानी (लालगंज के पास), रामचौरा में बौद्ध स्तूप, नेपाल मंदिर, शांति स्तूप हैं।
- क्षेत्रफल - 2036 वर्ग किमी
- मुख्यालय - हाजीपुर
- जनसंख्या - 34,95,021
- घनत्व - 1717 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 66.60%
- लिंगानुपात - 895 महिलाएं/1000 पुरुष

पश्चिमी चंपारण

- 1971 में चंपारण जिले को दो जिलों में विभाजित किया गया, अर्थात् पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण।
- पश्चिम चंपारण जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में पूर्वी चंपारण जिला, दक्षिण में गोपालगंज जिला और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है।
- गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- चंपारण जिले के महत्वपूर्ण उद्योग कागज उद्योग, चमड़ा और चीनी उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का और जौ हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भैंसा लोटन, गांधी आश्रम (भित्तिहरवा), वाल्मीकिनगर, रामनगर पंच मंदिर, हजारीमल धर्मशाला, अशोक स्तंभ (रामपुरवा) हैं।
- क्षेत्रफल - 5228 वर्ग किमी (सबसे बड़ा क्षेत्र)
- मुख्यालय - बेतिया
- जनसंख्या - 39,35,042
- घनत्व - 753 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 55.70%
- लिंगानुपात - 909 महिलाएं/1000 पुरुष

15.4 सारण मंडल के जिले

गोपालगंज

- वर्ष 1973 में बिहार के पुराने सारण जिले से अलग होकर गोपालगंज जिला अस्तित्व में आया।
- गोपालगंज जिला उत्तर में पश्चिम चंपारण, पूर्व में पूर्वी चंपारण और सारण जिले, दक्षिण में सीवान जिला और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है।
- गंडक जिले की महत्वपूर्ण नदी है।
- गोपालगंज में महत्वपूर्ण उद्योग चीनी कारखाने और वनस्पति तेल मिलें हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ और मक्का हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पीताम्बरा पीठ (मां बगलामुखी), गोपाल मंदिर, लकड़ी दरगाह, थावे मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 2033 वर्ग किमी
- मुख्यालय - गोपालगंज
- जनसंख्या - 25,62,012
- घनत्व अनुपात - 1290 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 65.47%
- लिंगानुपात - 1021 महिलाएं/1000 पुरुष

सारण

- सारण जिला 1866 में चंपारण जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बन गया।
- सारण जिला उत्तर में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, पूर्व में वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले, दक्षिण में पटना और भोजपुर जिले और पश्चिम में सीवान और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है।
- सारण में गंगा, घाघरा और गंडक महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- सारण जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी कारखाने, चावल मिल, चॉकलेट कारखाने और पीतल के शिल्प हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ और गन्ना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध स्थल सोनपुर मेला, ढोढ़ आश्रम, हरिहरनाथ तीर्थ स्थल, अंबा मंदिर (आमी), गौतम ऋषि स्थान हैं।
- क्षेत्रफल - 2641 वर्ग किमी
- मुख्यालय - छपरा
- जनसंख्या - 39,51,862
- घनत्व - 1496 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 65.96%
- लिंग अनुपात - 954 महिलाएं/1000 पुरुष

सिवान

- सीवान 1972 में अस्तित्व में आया।
- सीवान जिला उत्तर में गोपालगंज, पूर्व में सारण और दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है।
- दाहा और झरही सीवान जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- सीवान जिले में महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिलें, पीतल शिल्प और हस्तकरघा उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ और गन्ना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जीरादेई (भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद), सोहागरा धाम, महेंद्र नाथ मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 2219 वर्ग किमी
- मुख्यालय - सीवान
- जनसंख्या - 33,30,464
- घनत्व - 1501 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 69.45%
- लिंगानुपात - 988 महिलाएं/1000 पुरुष

15.5 भागलपुर मंडल के जिले

भागलपुर

- भागलपुर जिला उत्तर में मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में बांका जिला और पश्चिम में मुंगेर और खगड़िया जिले से घिरा हुआ है।
- गंगा और चांदन जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।

- भागलपुर जिले के महत्वपूर्ण उद्योग टसर रेशम, थर्मल पावर प्लांट (कहलगाँव में), चीनी उद्योग, शराब उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का और मसूर हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंदार पहाड़ी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर, सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर, प्राचीन चंपानगरी, जय प्रकाश वनस्पति उद्यान, पत्थर मंदिर (कहलगाँव), सेंट्रल जेल, पातालपुरी तिलका मांझी, महर्षि मेही आश्रम, कुप्पाघाट हैं।
- क्षेत्रफल - 2570 वर्ग किमी
- मुख्यालय - भागलपुर
- जनसंख्या - 30,37,766
- घनत्व - 1182 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 63.14%
- लिंगानुपात - 880 महिलाएं/1000 पुरुष

बांका

- बांका जिला तत्कालीन भागलपुर जिले से अलग होकर 21 फरवरी, 1991 को अस्तित्व में आया।
- बांका जिला उत्तर में भागलपुर, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में जमुई और मुंगेर जिले से घिरा हुआ है।
- चंदन, बेलहरनी, बरुआ, चीर और ओरहामी बांका जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- बांका जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिलें, तेल मिलें, कपड़ा उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ, धान और गन्ना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंदार पर्वत, चंदन बांध, कोजिद्रक, दाँत गौर मठ, लक्षदीप मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 3019.34 वर्ग किमी
- मुख्यालय - बांका
- जनसंख्या - 20,34,763
- घनत्व - 674 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 58.17%
- लिंगानुपात - 907 महिलाएं/1000 पुरुष

15.6 मुंगेर मंडल के जिले

बेगूसराय

- बेगूसराय जिला तत्कालीन मुंगेर जिले से अलग होकर वर्ष 1972 में अस्तित्व में आया।

- बेगूसराय जिला उत्तर में समस्तीपुर, पूर्व में खगड़िया और मुंगेर जिले, पश्चिम में समस्तीपुर और पटना और दक्षिण में लखीसराय और मुंगेर जिलों से घिरा हुआ है।
- गंगा, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- बेगूसराय जिले में महत्वपूर्ण उद्योग उर्वरक कारखाने, थर्मल पावर स्टेशन, पेट्रो रसायन, तेल रिफाइनरी हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें हैं गेहूँ, मक्का और मिर्चा।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जयमंगला गढ़, नौलखा मंदिर, काँवर झील, सिमरिया घाट हैं।
- क्षेत्रफल - 1918 वर्ग किमी
- मुख्यालय - बेगूसराय
- जनसंख्या - 29,70,541
- घनत्व - 1549 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 63.87%
- लिंगानुपात - 895 महिलाएं/1000 पुरुष

जमुई

- 21 फरवरी, 1991 को तत्कालीन मुंगेर जिले से जमुई जिला बना था।
- जमुई जिला उत्तर में मुंगेर और लखीसराय जिले, पूर्व में बाँका, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में नवादा और शेखपुरा जिलों से घिरा हुआ है।
- उलाई, अजय, किउल, बदना, मोहने, होरोहर इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- जमुई जिले के महत्वपूर्ण उद्योग धातु आधारित हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मसूर, चना और जौ हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गिद्धेश्वर मंदिर, जैन मंदिर लछुआर, काली मंदिर मलयपुर, सिमुलतला हिल स्टेशन, भीमबांध, गिधौर हैं।
- क्षेत्रफल - 3,123 वर्ग कि.मी
- मुख्यालय - जमुई
- जनसंख्या - 17,60,405
- घनत्व - 568 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 59.79%
- लिंगानुपात - 922 महिलाएं/1000 पुरुष

खगड़िया

- खगड़िया 10 मई, 1981 को तत्कालीन जिला मुंगेर से अलग होकर एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया।

- खगड़िया जिला उत्तर में सहरसा और दरभंगा जिलों, पूर्व में मधेपुरा और भागलपुर, दक्षिण में मुंगेर और भागलपुर और पश्चिम में बेगूसराय और समस्तीपुर जिलों से घिरा हुआ है।
- गंगा, बागमती और कोसी इस जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं।
- खगड़िया जिले के महत्वपूर्ण उद्योग जूट उद्योग, वस्त्र और कढ़ाई, धातु आधारित उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मक्का, जूट हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बदला घाट, कात्यायनी स्थान, अजगैविनाथ महादेव हैं।
- क्षेत्रफल - 1486 वर्ग किमी
- मुख्यालय - खगड़िया
- जनसंख्या - 16,66,886
- घनत्व - 1122 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 57.92%
- लिंगानुपात - 886 महिलाएं/1000 पुरुष

लखीसराय

- जिले को 3 जुलाई, 1994 को मुंगेर जिले से अलग कर बनाया गया था।
- लखीसराय जिला उत्तर में बेगूसराय और पटना जिलों, पूर्व में मुंगेर जिले, दक्षिण में जमुई जिले और पश्चिम में पटना, नालंदा और शेखपुरा जिलों से घिरा हुआ है।
- गंगा, मोहने, हरोहर, किउल इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- लखीसराय के महत्वपूर्ण उद्योग खनिज आधारित उद्योग, सिंदूर कारखाने, कपड़ा उद्योग और तंबाकू उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मसूर, मक्का, चना हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अशोक धाम मंदिर, ऋषि पहाड़ी हैं।
- क्षेत्रफल - 1228 वर्ग किमी
- मुख्यालय - लखीसराय
- जनसंख्या - 10,00,912
- घनत्व - 815 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 62.42%
- लिंग अनुपात - 902 महिलाएं/1000 पुरुष

मुंगेर

- मुंगेर जिला 1832 ई. में अस्तित्व में आया।
- मुंगेर जिला उत्तर में बेगूसराय और खगड़िया जिले, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण में बाँका और जमुई जिले और पश्चिम में लखीसराय और बेगूसराय जिले से घिरा हुआ है।
- गंगा, मोहने, हरोहर और किउल इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।

- मुंगेर जिले के महत्वपूर्ण उद्योगों में गन फैक्ट्री, रेल इंजन, तम्बाकू, शराब, सिगरेट, स्लेट, स्टोन क्रशिंग उद्योग और हथकरघा उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ और मसूर हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोयनका शिवालय (मिर्ची तालाब), मीर कासिम सुरंग, मनपत्थर (सीता चरण), कष्टहरणी घाट, चंडी स्थान, पीर शाह नफाह मकबरा, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय हैं।
- क्षेत्रफल - 1419 वर्ग किमी
- मुख्यालय - मुंगेर
- जनसंख्या - 13,67,765
- घनत्व - 964 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 70.46%
- लिंगानुपात - 876 महिलाएं/1000 पुरुष

शेखपुरा

- शेखपुरा जिला 31 जुलाई, 1994 को तत्कालीन मुंगेर जिले से अलग कर बनाया गया था।
- शेखपुरा जिला उत्तर और पश्चिम में नालंदा, पूर्व में लखीसराय और दक्षिण में जमुई और नवादा जिलों से घिरा हुआ है।
- गंगा, मोहने, हरोहर, टाटी, कच्छी रिजौन, सोमी और किउल इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- शेखपुरा के महत्वपूर्ण उद्योग सिगरेट, बंदूक, शराब, सूती वस्त्र उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, चना, मसूर, आलू हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अरघंटी पाखर, गिरिहिन्दा पहाड़, समस, शेखपुरा पहाड़ी, श्री विष्णु धाम (बरबीघा) हैं।
- क्षेत्रफल - 689 वर्ग किमी
- मुख्यालय - शेखपुरा
- जनसंख्या - 6,36,342 (सबसे कम जनसंख्या वाला जिला)
- घनत्व - 924 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 63.86%
- लिंगानुपात - 930 महिलाएं/1000 पुरुष

15.7 पूर्णिया मंडल के जिले

अररिया

- अररिया जिले को जनवरी, 1990 में पूर्णिया जिले से अलग कर बनाया गया था।
- अररिया जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में किशनगंज जिला, दक्षिण में पूर्णिया जिला और पश्चिम में मधेपुरा और सुपौल जिले से घिरा हुआ है।
- कोशी, सुवारा, काली और कोली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।

- महत्वपूर्ण उद्योग जूट मिलें हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, जूट हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानीगंज वृक्ष वाटिका, कुसियारगाँव जैव विविधता पार्क हैं।
- क्षेत्रफल - 2830 वर्ग किमी
- मुख्यालय - अररिया
- जनसंख्या - 28,11,569
- घनत्व - 993 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 53.53%
- लिंगानुपात - 921 महिलाएं/1000 पुरुष

कटिहार

- कटिहार जिले को वर्ष 1973 में तत्कालीन पूर्णिया जिले से अलग कर बनाया गया था।
- कटिहार जिला उत्तर और पश्चिम में पूर्णिया जिले, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड और भागलपुर जिले से घिरा हुआ है।
- महानंदा, गंगा और कमला इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- कटिहार के महत्वपूर्ण उद्योग जूट और पेपर मिल हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, जूट और केला हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोगाबिल झील, गोरखनाथ मंदिर, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, पीर मजार, गौरी शंकर मंदिर, सत्संग मंदिर, गांधी घर कुर्सेला, नवाबगंज किला हैं।
- क्षेत्रफल - 3057 वर्ग किमी
- मुख्यालय - कटिहार
- जनसंख्या - 30,71,029
- घनत्व - 1005 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 52.24%
- लिंगानुपात - 919 महिलाएं/1000 पुरुष

किशनगंज

- किशनगंज जिले को 14 जनवरी, 1990 को तत्कालीन पूर्णिया जिले से अलग कर बनाया गया था।
- किशनगंज जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में पूर्णिया और पश्चिम में अररिया से घिरा हुआ है।
- महानंदा इस जिले की प्रमुख नदी है।
- किशनगंज जिले के महत्वपूर्ण उद्योग प्लाईवुड उद्योग, चाय प्रोसेसिंग यूनिट, जूट उद्योग, पोल्ट्री फार्मिंग, रेशम (सिल्क) उद्योग और कुटीर उद्योग, अनानास प्रोसेसिंग यूनिट, बिस्कुट फैक्टरी हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, पटसन, चाय, अनानास आदि हैं।
- कच्चूदह झील, चूरली एस्टेट, किशनगंज किला, हरगौरी मंदिर, रुईधासा खानकाह और कदम रसूल मजार।
- क्षेत्रफल - 1884 वर्ग किमी

- **मुख्यालय** - किशनगंज
- **जनसंख्या** - 16,90,400
- **घनत्व** - 897 व्यक्ति / वर्ग किमी
- **साक्षरता दर** - 55.46%
- **लिंगानुपात** - 950 महिलाएं/1000 पुरुष

पूर्णिया

- पूर्णिया जिले का गठन वर्ष 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था।
- पूर्णिया जिला उत्तर में अररिया और किशनगंज जिलों, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में कटिहार और भागलपुर जिलों और पश्चिम में मधेपुरा जिलों से घिरा हुआ है।
- कोसी, महानंदा, परना, सुवारा, काली, कोली इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- महत्वपूर्ण उद्योग जूट मिलें हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें जूट, धान, गेहूँ, मक्का और केला हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानी सती मंदिर, पूरण देवी मंदिर, पीर बाबा मंदिर, नरसिंह अवतार कोठी, जलालगढ़ का किला, काझा बनमनखी (महादेव) में कोठी, काली मंदिर, धीमेश्वर मंदिर हैं।
- **क्षेत्रफल** - 3229 वर्ग किमी
- **मुख्यालय** - पूर्णिया
- **जनसंख्या** - 32,64,619
- **घनत्व** - 1011 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- **साक्षरता दर** 51.08%
- **लिंगानुपात** - 921 महिलाएं/1000 पुरुष

15.8 दरभंगा मंडल के जिले

दरभंगा

- दरभंगा जिला ब्रिटिश शासन के तहत वर्ष 1875 ई. में अस्तित्व में आया।
- दरभंगा जिला उत्तर में मधुबनी जिले, पूर्व में सहरसा, दक्षिण में खगड़िया और समस्तीपुर जिले और पश्चिम में मुजफ्फरपुर से घिरा हुआ है।
- कमला, बलान और बागमती इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- दरभंगा जिले के महत्वपूर्ण उद्योग पेपर मिल, चीनी कारखाने, हथकरघा, जूट और सिगरेट उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, मखाना हैं।
- प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अहिल्या स्थान, ब्रह्मपुर, कुशेश्वर-स्थान पक्षी विहार क्षेत्र, सती स्थान, दरभंगा महाराज के किला, दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, अहियारी आकाशवाणी हैं।
- **क्षेत्रफल** - 2279 वर्ग किमी

- **मुख्यालय** - दरभंगा
- **जनसंख्या** - 39,37,385
- **घनत्व** - 1728 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- **साक्षरता दर** - 56.56%
- **लिंगानुपात** - 911 महिलाएं/1000 पुरुष

मधुबनी

- मधुबनी जिले को वर्ष 1972 में भूतपूर्व दरभंगा जिले से अलग कर बनाया गया था।
- मधुबनी जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में सुपौल, दक्षिण में सहरसा और दरभंगा और पश्चिम में सीतामढ़ी से घिरा हुआ है।
- कमला-बलान इस जिले की एक महत्वपूर्ण नदी है।
- मधुबनी जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी उद्योग, मत्स्य पालन, हथकरघा, मधुबनी पेंटिंग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उगाना महादेव, कपिलेश्वर स्थान, उच्चैठ (भगवती मंदिर), भवानीपुर हैं।
- **क्षेत्रफल** - 3501 वर्ग किमी
- **मुख्यालय** - मधुबनी
- **जनसंख्या** - 44,87,397
- **घनत्व** - 1282 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- **साक्षरता दर** - 58.62%
- **लिंगानुपात** - 926 महिलाएं/1000 पुरुष

समस्तीपुर

- समस्तीपुर जिले को 1972 में तत्कालीन दरभंगा जिले से अलग कर बनाया गया था।
- समस्तीपुर जिला उत्तर में दरभंगा और मुजफ्फरपुर, पूर्व में खगड़िया और दरभंगा, दक्षिण में बेगूसराय और पटना तथा पश्चिम में वैशाली और मुजफ्फरपुर से घिरा हुआ है।
- बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती और बलान इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- समस्तीपुर जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चीनी कारखाने, जूट मिल, हथकरघा उद्योग आदि हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, मिर्च और तम्बाकू हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कबीर मठ, विद्यापति धाम, बाबा की मजार, उदयनाचार्य डीह, पंडा गांव, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, खुदनेश्वर स्थान, नरहन एस्टेट, करियन गांव आदि हैं।
- **क्षेत्रफल** - 2904 वर्ग किमी
- **मुख्यालय** - समस्तीपुर
- **जनसंख्या** - 42,61,566
- **घनत्व** - 1467 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- **साक्षरता दर** - 61.86%

- लिंगानुपात - 911 महिलाएं/1000 पुरुष

15.9 कोसी मंडल के जिले

मधेपुरा

- सहरसा जिले से अलग होकर 9 मई 1981 को मधेपुरा जिला अस्तित्व में आया।
- मधेपुरा जिला उत्तर में सुपौल और अररिया जिले से, पूर्व में पूर्णिया जिले से, दक्षिण में भागलपुर जिले से और पश्चिम में खगड़िया और सहरसा जिले से घिरा हुआ है।
- कोसी इस जिले की प्रमुख नदी है।
- मधेपुरा जिले में महत्वपूर्ण उद्योग जूट मिल, चावल मिल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाने हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान और जूट हैं।
- प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिंहेश्वर मंदिर (भगवान शिव), डाकिनी स्थान, मायानगर मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 1788 वर्ग किमी
- मुख्यालय - मधेपुरा
- जनसंख्या - 20,01,762
- घनत्व - 1120 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 52.25%
- लिंगानुपात - 911 महिलाएं/1000 पुरुष

सहरसा

- सहरसा 1 अप्रैल, 1954 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया।
- सहरसा जिला उत्तर में मधुबनी और सुपौल जिले, पूर्व में मधेपुरा जिले, दक्षिण में खगड़िया जिले और पश्चिम में दरभंगा जिले से घिरा हुआ है।
- कोशी और कमला इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
- सहरसा जिले के महत्वपूर्ण उद्योग जूट कारखाने, सिगरेट, साबुन निर्माण उद्योग आदि हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें धान, गेहूँ, मक्का, जूट आदि हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंडन भारती धाम (महिषी), श्री उग्रतारा स्थान (महिषी), सूर्य मंदिर(कन्दाहा), संत कारू

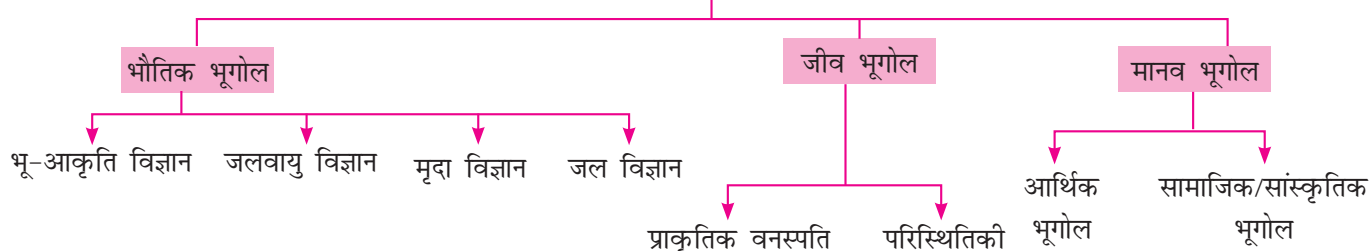
खिरहरी मंदिर, चंडिका स्थान (विराटपुर), सौर बाजार, सोन वर्षा वन (हरसिद्धि), बनगांव हैं।

- क्षेत्रफल - 1687 वर्ग किमी
- मुख्यालय - सहरसा
- जनसंख्या - 19,00,661
- घनत्व - 1127 व्यक्ति/ वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 53.20%
- लिंगानुपात - 906 महिलाएं/1000 पुरुष

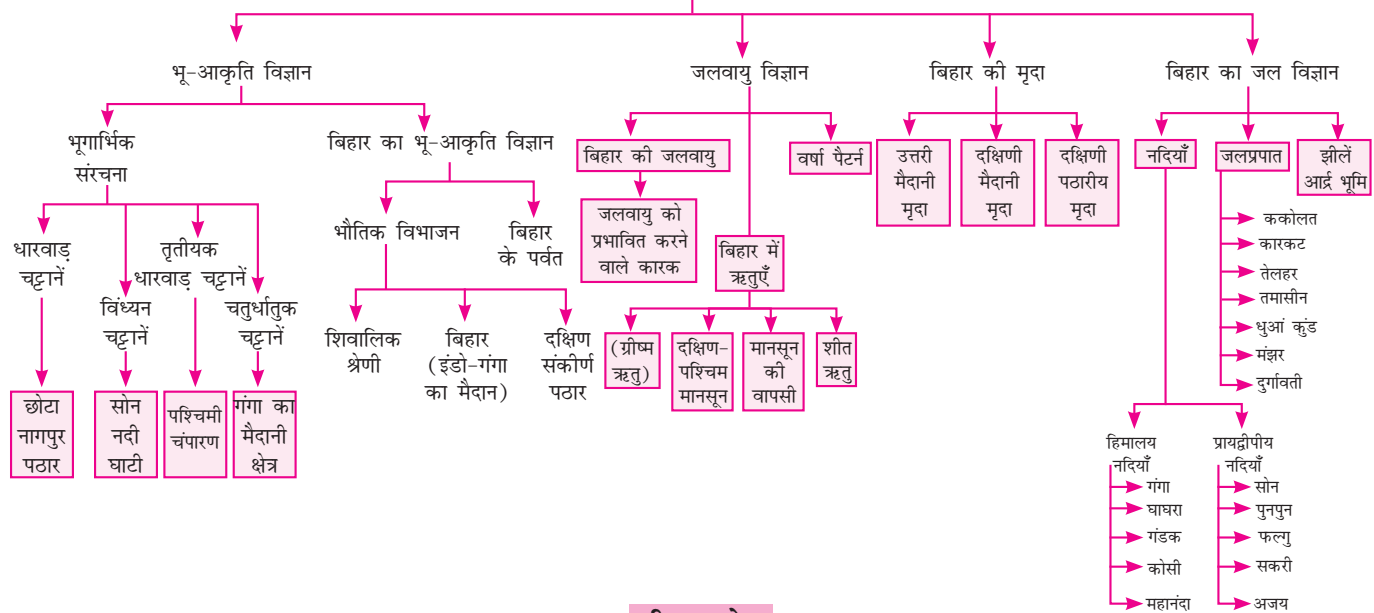
सुपौल

- सहरसा जिले से अलग होकर 14 मार्च 1991 को सुपौल जिला अस्तित्व में आया।
- सुपौल जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में अररिया जिले, दक्षिण में मधेपुरा और सहरसा जिले और पश्चिम में मधुबनी जिले से घिरा हुआ है।
- कोसी इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है।
- सुपौल जिले के महत्वपूर्ण उद्योग चावल मिलें, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, जूट उद्योग हैं।
- महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ, मक्का, धान, केला हैं।
- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोसी बैराज, गणपतगंज का विष्णु मंदिर, तिलहेश्वरनाथ मंदिर, तिंटोलिया (काली मंदिर), कपिलेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर हैं।
- क्षेत्रफल - 2410 वर्ग किमी
- मुख्यालय - सुपौल
- जनसंख्या - 22,29,076
- घनत्व - 919 व्यक्ति / वर्ग किमी
- साक्षरता दर - 59.65%
- लिंगानुपात - 929 महिलाएं/1000 पुरुष

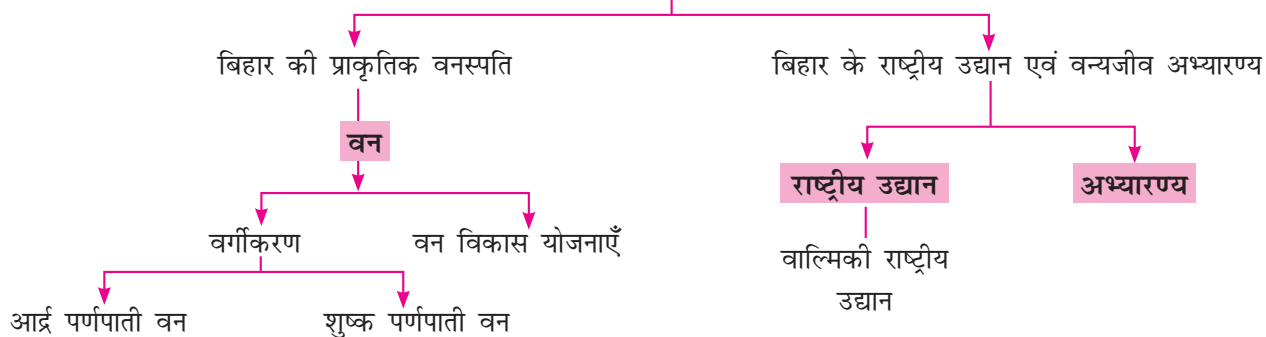
बिहार का भूगोल



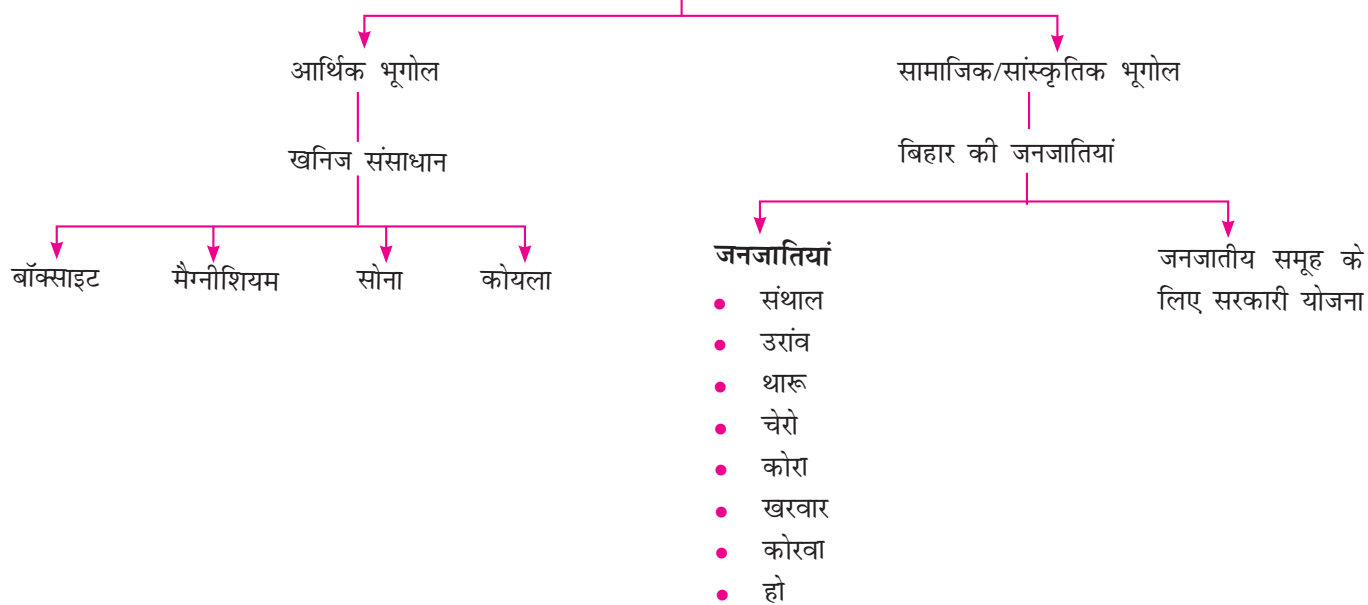
Geography of Bihar



जीव भूगोल



मानव भूगोल



खंड - III

बिहार की राज्य-व्यवस्था
और शासन

- मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल राज्य का सर्वोच्च शासी निकाय है।
- राज्य विधानमंडल राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखता है।
- राज्य की नौकरशाही का प्रमुख मुख्य सचिव होता है।
- बिहार में राज्य प्रशासन का क्रियान्वयन तीन अंगों या स्तंभों बिहार विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।
- सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं।
- कुल सदस्यों में से, पाँच-छठे सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक-छठे सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- विधान परिषद एक स्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है।
- यह द्विसदनीय विधायिका का ऊपरी सदन है।
- विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों को सभापति और उपसभापति के रूप में जाना जाता है।

16.1 बिहार विधानमंडल

बिहार राज्य विधायिका की एक द्विसदनीय प्रणाली का अनुसरण करता है अर्थात् इसके दो सदन हैं, बिहार विधान परिषद (विधान परिषद) और बिहार विधान सभा (विधानसभा)।

- दोनों सदनों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 152-237 के आधार पर किया जाता है।
- विधायिका की प्राथमिक भूमिका विधेयकों को बनाने की होती है, जो तभी कानून बनते हैं जब उन्हें या तो राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है।
- अनुसूची 7 में भारत का संविधान राज्य सूची में 61 मद प्रदान करता है।
- राज्य विधानमंडल को इन मदों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
- यह वार्षिक बजट और वित्तीय विधेयक भी पारित करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 में विधायिकाओं, उनके गठन, सदस्यों, चुनाव, व्यवसाय, विघटन और शक्तियों आदि के प्रावधान हैं।
- परिषद ने 20 जनवरी, 1913 से अपनी बैठक शुरू की।
- पहला सत्र 20 जनवरी, 1920 से शुरू हुआ और इसमें 43 सदस्य थे।
- 1936 में इसे ऊपरी सदन में परिवर्तित कर दिया गया जब बिहार को राज्य का दर्जा मिला और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ओडिशा से अलग हो गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन बिहार में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया था।
- इसमें 29 सदस्य शामिल थे क्योंकि बाकी विधान सभा के सदस्य बन गए थे।
- 1952 में पहले आम चुनाव के दौरान, इसके सदस्य बढ़कर 72 और फिर 1958 तक 96 हो गए।
- 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद अब इसके सदस्यों की संख्या 75 हो गई है।
- बिहार परिषद में 27 समितियाँ और 3 वित्तीय समितियाँ हैं।

16.1.1 विधान परिषद

- विधान परिषद को लेजिस्लेटिव कौंसिल के रूप में भी जाना जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है।
- विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।

16.1.1.1 बिहार विधान परिषद की संरचना

- विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है:
- इसके एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं।

- इसके एक तिहाई सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- राज्य में स्थायी और निवास करने वाले 3 वर्ष के पंजीकृत स्नातकों के बीच इसके सदस्यों में से एक-बारहवां चुना जाता है।
- परिषद के एक-बारहवें सदस्यों का चुनाव माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है।
- साहित्य, कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान आदि में विशेष उपलब्धि रखने वाले व्यक्तियों में से एक-छठा सदस्य (शेष सदस्य) राज्यपालों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

16.1.1.2 बिहार विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता

अनुच्छेद 173 में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। वे योग्यताएं हैं:

- 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए।
- संघ या किसी अन्य राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए।

16.1.2 विधान सभा

- विधान सभा को लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में भी जाना जाता है।
- विधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है अर्थात् आम चुनाव।
- संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य के मनोनयन का प्रावधान है। वर्तमान में यह प्रावधान लागू नहीं है।
- विधान सभा की अवधि 5 वर्ष होती है।
- यद्यपि, इसे राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है।
- विधान सभा एक स्थायी सदन नहीं है और इसे उन राज्यों में निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है जहां द्विसदनीय विधायिकाएं हैं।
- विधान सभा के सभी सदस्य अपना कार्य राज्य सचिवालय से करते हैं।
- 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिलने और ओडिशा से अलग होने के बाद पहली बार 1937 में बिहार विधान सभा अस्तित्व में आई।
- उस समय विधानसभा की संख्या 152 थी।

- 1952 में बिहार में हुए पहले आम चुनाव में इसकी ताकत बढ़कर 331 हो गई और 1956 में घटकर 318 हो गई।
- 1977 में यह संख्या फिर से बढ़कर 324 हो गई।
- झारखंड बनने के बाद बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य रह गए हैं।
- 242 सदस्य सीधे राज्य के चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं और एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
- सभापति को अध्यक्ष भी कहा जाता है और उपसभापति को उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान में बिहार विधान सभा राज्य की राजधानी पटना में स्थित है।
- इसके तीन सत्र यानी बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होते हैं।

16.1.2.1 बिहार विधान सभा के कार्य और शक्तियाँ

- विधान सभा के कार्य और शक्तियाँ इस प्रकार हैं:
- अधिकारियों के कामकाज से संबंधित कानून बनाना।
- राज्य के लिए अंतरिम बजट तैयार करना।
- धन विधेयक को विधान सभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित कानून विधान सभा द्वारा बनाए जाते हैं।

16.1.2.2 बिहार विधान सभा के सदस्यों की योग्यता

अनुच्छेद 173 के अनुसार, राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
- संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए।

16.1.2.3 विधानसभा अध्यक्ष

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा।
- प्रत्येक विधान सभा के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति निर्वाचित सभा सदस्यों द्वारा की जाती है।

- अध्यक्ष की भूमिका राज्य के निचले सदन की अध्यक्षता करना है और उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष निचले सदन की कार्यवाही की संचालन करता है।
- अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है।
- राम दयालू सिंह बिहार विधान सभा के पहले अध्यक्ष या सभापति थे।
- उनका कार्यकाल 23 जुलाई, 1937 से 11 नवंबर, 1944 तक था।

16.1.2.4 प्रोटेम स्पीकर

- एक प्रोटेम स्पीकर राज्य विधान सभा में एक पीठासीन अधिकारी होता है जो अध्यक्ष (स्पीकर) के कार्यों को तब तक करता है जब तक कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता।

16.2 पटना सचिवालय

- सचिवालय मुख्य कार्यालय है जहाँ से सरकार प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करती है।
- यह राज्य में उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- बिहार में सचिवालय इसकी राजधानी पटना में स्थित है।
- पटना सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था जहाँ से राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते थे।
- प्रारंभ में, पटना सचिवालय में केवल आठ विभाग थे जो 1955 में बढ़कर 34 हो गए।
- पटना सचिवालय का भवन 1913 में जोसेफ मुनिंग्स और मार्टिन बर्न द्वारा डिजाइन किया गया था।



- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 के अनुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करती है।
- कार्यपालिका राज्य का दैनिक प्रशासन चलाती है तथा कानून का क्रियान्वयन भी करती है।
- भारत के अन्य राज्यों की तरह, बिहार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- उनका पद काफी हद तक औपचारिक है।
- मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित होता है।

17.1 राज्यपाल

- बिहार का राज्यपाल राज्य में औपचारिक प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, चुनाव और शक्तियां निर्धारित हैं।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है।
- वह केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 158 के तहत एक प्रावधान है कि यदि किसी विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसी नियुक्ति के तुरंत बाद सदस्य नहीं रह जाता है।
- भारत की आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयरामदास दौलतराम थे।

17.1.1 राज्यपाल की योग्यताएँ

एक राज्यपाल के रूप में योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
- किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

- संघ या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

17.1.2 राज्यपाल का कार्यकाल और निष्कासन

राज्यपाल के कार्यालय की सामान्य अवधि पांच वर्ष है, हालांकि उसे इससे पहले भी हटाया जा सकता है:

- अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 156(2) के तहत त्यागपत्र दिया जा सकता है।

17.1.3 राज्यपाल की शक्तियाँ

- राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद्, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति करता है।
- उनकी पूर्व संस्तुति के बिना धन विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- एक विधेयक जिसे राज्य विधानमंडल ने पारित कर दिया है, केवल तभी कानून बन सकता है जब इसे राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति है यदि उन्हें लगता है कि वर्तमान राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है।

17.1.4 बिहार के राज्यपाल की हालिया पहल

बिहार के राज्यपाल ने हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें शामिल हैं:

- “बिहार कौशल विकास मिशन” का शुभारंभ। इस पहल का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 10 मिलियन लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है।
- बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल नियुक्त करना। टास्क फोर्स को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

- बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने का निर्देश। राज्यपाल ने राज्य में बढ़ती अपराध दर पर चिंता व्यक्त की है।
- राज्य की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग। राज्यपाल ने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

- “बिहार ग्रीन ड्राइव” का शुभारंभ। इस पहल का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में बिहार में 20 करोड़ पौधे लगाना है।

ये कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं जो बिहार के राज्यपाल ने हाल के महीनों में की हैं। इन पहलों का उद्देश्य बिहार के लोगों के जीवन में सुधार लाना और राज्य को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना है।

इन पहलों के अलावा, राज्यपाल अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे हैं, जैसे:

- सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना। राज्यपाल ने बिहार के लोगों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी जाति, धर्म या पंथ के शांति और सद्भाव के साथ रहें।
- खेल और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करना। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और संस्कृति महत्वपूर्ण है।
- प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करना। राज्यपाल ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और पीड़ितों को सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया है।

बिहार का राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसने राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी पहल ने बिहार के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है और राज्य को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना दिया है।

बिहार के राज्यपाल



- श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 17-02-2023 को बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
- उन्होंने फागू चौहान का स्थान लिया।
- अर्लेकर पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे।

17.2 बिहार में राष्ट्रपति शासन

राष्ट्रपति शासन आपातकाल के समय लगाया जाता है, जब राज्य विधानमंडल समय से पहले भंग हो जाता है या राज्य सरकार विधान सभा में बहुमत खो देता है और जब गठबंधन सरकार टूट जाती है। यह राष्ट्रपति के परामर्श के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा लगाया जाता है। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा।

1. 29 जून, 1968 से 26 फरवरी, 1969 - 242 दिन
2. 4 जुलाई, 1969 से 16 फरवरी, 1970 तक - 227 दिन
3. 9 जनवरी, 1972 से 19 मार्च, 1972 तक - 70 दिन
4. 30 अप्रैल, 1977 से 24 जून, 1977 - 55 दिन
5. 17 फरवरी, 1980 से 8 जून, 1980 तक - 112 दिन
6. 28 मार्च, 1995 से 5 अप्रैल, 1995 - 8 दिन
7. 12 फरवरी, 1999 से 9 मार्च, 1999 - 25 दिन
8. 7 मार्च, 2005 से 24 नवंबर, 2005 तक - 262 दिन

17.3 मुख्यमंत्री

- बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय राज्य बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और यह कोई अवधि सीमा के अधीन नहीं है।
- उन्हें राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

17.3.1 मुख्यमंत्री की शक्तियाँ

- राज्य में सभी प्रमुख निर्णय मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोग से लेते हैं।
- चूंकि, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, वित्तीय, तकनीकी और मानव विकास के संदर्भ में राज्य का विकास मुख्यमंत्री की शक्तियों पर निर्भर करता है।
- राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं के भीतर मंत्री के प्रदर्शन के आधार पर मुख्यमंत्री को किसी भी कैबिनेट सदस्य या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की शक्ति निहित है।

बिहार के मुख्य मंत्री

क्रम. सं.	नाम	कार्यालय की अवधि	
1	श्री कृष्ण सिंह	26 जनवरी 1950	31 जनवरी 1961
2	दीप नारायण सिंह	1 फरवरी 1961	18 फरवरी 1961
3	बिनोदानंद झा	18 फरवरी 1961	2 अक्टूबर 1963
4	कृष्ण बल्लभ सहाय	2 अक्टूबर 1963	5 मार्च 1967
5	महामाया प्रसाद सिन्हा	5 मार्च 1967	28 जनवरी 1968
6	सतीश प्रसाद सिंह	28 जनवरी 1968	1 फरवरी 1968
7	बीपी मंडल	1 फरवरी 1968	22 मार्च 1968
8	भोला पासवान शास्त्री	22 मार्च 1968	29 जून 1968
-	राष्ट्रपति शासन	29 जून 1968	26 फरवरी 1969
9	हरिहर सिंह	26 फरवरी 1969	22 जून 1969
(8)	भोला पासवान शास्त्री	22 जून 1969	4 जुलाई 1969
-	राष्ट्रपति शासन	6 जुलाई 1969	16 फरवरी 1970
10	दारोगा प्रसाद राय	16 फरवरी 1970	22 दिसंबर 1970
11	कर्पूरी ठाकुर	22 दिसंबर 1970	2 जून 1971
(8)	भोला पासवान शास्त्री	2 जून 1971	9 जनवरी 1972
-	राष्ट्रपति शासन	9 जनवरी 1972	19 मार्च 1972
12	केदार पाण्डेय	19 मार्च 1972	2 जुलाई 1973
13	अब्दुल गफूर	2 जुलाई 1973	11 अप्रैल 1975
14	जगन्नाथ मिश्र	11 अप्रैल 1975	30 अप्रैल 1977
-	राष्ट्रपति शासन	30 अप्रैल 1977	24 जून 1977
(11)	कर्पूरी ठाकुर	24 जून 1977	21 अप्रैल 1979
15	राम सुंदर दास	21 अप्रैल 1979	17 फरवरी 1980
-	राष्ट्रपति शासन	17 फरवरी 1980	8 जून 1980
(14)	जगन्नाथ मिश्र	8 जून 1980	14 अगस्त 1983
16	चंद्रशेखर सिंह	14 अगस्त 1983	12 मार्च 1985
17	बिदेश्वरी दुबे	12 मार्च 1985	14 फरवरी 1988
18	भागवत झा आजाद	14 फरवरी 1988	11 मार्च 1989
19	सत्येंद्र नारायण सिन्हा	11 मार्च 1989	6 दिसंबर 1989
(14)	जगन्नाथ मिश्र	6 दिसंबर 1989	10 मार्च 1990
20	लालू प्रसाद यादव	10 मार्च 1990	28 मार्च 1995
-	राष्ट्रपति शासन	28 मार्च 1995	4 अप्रैल 1995
(20)	लालू प्रसाद यादव	4 अप्रैल 1995	25 जुलाई 1997
21	राबड़ी देवी	25 जुलाई 1997	11 फरवरी 1999
-	राष्ट्रपति शासन	11 फरवरी 1999	9 मार्च 1999
(21)	राबड़ी देवी	9 मार्च 1999	3 मार्च 2000
22	नीतीश कुमार	3 मार्च 2000	11 मार्च 2000
(21)	राबड़ी देवी	11 मार्च 2000	6 मार्च 2005
-	राष्ट्रपति शासन	7 मार्च 2005	24 नवंबर 2005

क्रम. सं.	नाम	कार्यालय की अवधि	
(22)	नीतीश कुमार	24 नवंबर 2005 26 नवंबर 2010	26 नवंबर 2010 20 मई 2014
23	जीतन राम मांझी	20 मई 2014	22 फरवरी 2015
(22)	नीतीश कुमार	22 फरवरी 2015 20 नवंबर 2015 16 नवंबर 2020	20 नवंबर 2015 16 नवंबर 2020 पदधारी

17.4 मंत्री परिषद

- अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।
- अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- किसी मंत्री के मंत्री बनने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- अनुच्छेद 164 के 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्यों के 15% से अधिक और 12 से कम नहीं होने चाहिए।



18.1 बिहार लोक सेवा आयोग

- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) भारत के संविधान (अनुच्छेद 315) द्वारा बनाया गया एक निकाय है।
- इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल, 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया।
- इसका मुख्यालय रांची में था, लेकिन अब इसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया है।
- बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।

18.1.1 बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य



बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) एक संवैधानिक निकाय है जो भर्ती परीक्षा आयोजित करने और बिहार राज्य में विभिन्न सरकारी पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों में शामिल हैं:

- **भर्ती:** बिहार लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य परीक्षा आयोजित करना और बिहार में विभिन्न सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है। इनमें सिविल सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और राज्य सरकार के अन्य पद शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती अधिसूचना प्रकाशित करता है, परीक्षा आयोजित करता है और नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करता है।
- **राज्य सरकार को सलाह देना:** बिहार लोक सेवा आयोग राज्य सरकार को भर्ती, पदोन्नति और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। आयोग राज्य के लोक प्रशासन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए नीतिगत मामलों और दिशानिर्देशों पर सिफारिशें प्रदान कर सकता है।
- **विवादों का निवारण:** बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य कर सकता है। जिन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया या नियमों और विनियमों के आवेदन के संबंध में शिकायतें या विवाद हैं, वे निवारण के लिए आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

- **अन्य कार्य:** बिहार लोक सेवा आयोग राज्य सरकार द्वारा या बिहार लोक सेवा आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सौंपे गए अन्य कार्य कर सकता है। इसमें विशेष भर्ती अभियान चलाना, नीतिगत परिवर्तनों के लिए सिफारिशें प्रदान करना और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हो सकता है।

बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षाओं, साक्षात्कारों और सिफारिशों को आयोजित करके, आयोग योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में मदद करता है जो राज्य प्रशासन के कुशल कामकाज में योगदान दे सकते हैं।

18.2 बिहार राज्य चुनाव आयोग

- बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे पंचायत चुनाव में चुनाव कराने का कर्तव्य और जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- आयोग का गठन अनुच्छेद 243 (T) के अनुसार किया गया है।
- इस आयोग का प्रमुख मुख्य चुनाव अधिकारी होता है जिसे बिहार के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- चुनाव आयोग का कार्यालय भारत के चुनाव आयोग की समग्र देखरेख में कार्य करता है।
- आयोग एक मतदाता सूची तैयार करता है और जमीनी स्तर पर सभी चुनावों के संचालन, नियंत्रण और दिशा-निर्देश से संबंधित सभी गतिविधियों को अंजाम देता है।
- बिहार चुनाव आयोग का कार्यालय पटना में स्थित है।

18.3 बिहार मानवाधिकार आयोग

- मानवाधिकार अधिनियम 1993 का संरक्षण, राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी, 2000 को बिहार में हुई थी और औपचारिक रूप से 26 जून, 2008 को गठित किया गया था।
- एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- आयोग न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के किसी भी आरोप या उल्लंघन से संबंधित किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।
- यह अपनी पहल पर या लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही या मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत में प्रस्तुत याचिका पर भी पूछताछ कर सकता है।
- यह मानवाधिकारों के प्रचार के लिए गैर-सरकारी संगठनों के काम को भी प्रोत्साहित करता है।

बिहार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी मामले की जांच कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- हिरासत में मृत्यु और चोट
- न्यायेतर हत्याएं
- यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक व्यवहार या सजा
- मनमानी गिरफ्तारी और कैद
- न्याय तक पहुंच से इनकार
- जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधारों पर भेदभाव
- मानव तस्करी
- बाल श्रम
- बंधुआ मजदूरी
- वातावरण संबंधी मानहानि

मीडिया, जनता या अपने स्वयं के अधिकारियों सहित किसी भी स्रोत के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान ले सकता है।

बिहार मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपायों की सिफारिश कर सकता है। ऐसे उपायों में शामिल हो सकते हैं:

- कानून
- प्रशासनिक सुधार
- जन जागरूकता अभियान
- कानून प्रवर्तन कर्मियों का प्रशिक्षण

बिहार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजा दे सकता है। मुआवजे की राशि बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित की जाती है।

बिहार मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निवारक उपाय कर सकता है। ऐसे उपायों में शामिल हो सकते हैं:

- कानून प्रवर्तन कर्मियों की गतिविधियों की निगरानी करना
- जनता के साथ बातचीत
- सरकार को एडवाइजरी जारी करना।

बिहार मानवाधिकार आयोग विभिन्न माध्यमों से मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाता है, जिनमें शामिल हैं:

- सार्वजनिक व्याख्यान
- सेमिनार
- कार्यशालाएं
- प्रकाशन

बिहार मानवाधिकार आयोग ने बिहार में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से निर्दोष लोगों को जेल से छुड़ाने में मदद मिली है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजा दिया है और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निवारक उपाय किए हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग एक मूल्यवान संस्था है जो बिहार में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रिपोर्ट और सिफारिशें: बिहार मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, बिहार में मानवाधिकारों की स्थिति पर प्रकाश डालता है और मानवाधिकार के संरक्षण और प्रचार के उपायों की सिफारिश करता है। इन रिपोर्टों में विधायी और नीतिगत सुधारों के सुझाव शामिल हो सकते हैं।

18.4 बिहार राज्य महिला आयोग

- बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 'बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999' के तहत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए एक स्वतंत्र सरकारी विभाग के रूप में किया गया है।
- आयोग महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का भी शुभारंभ करता है।
- आयोग के सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए चुना जाता है।
- अध्यक्ष और अन्य सदस्य महिलाएं हैं और राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती हैं।
- आयोग का मुख्यालय पटना में है।



उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

- बिहार उच्च न्यायालय **पटना में स्थित** है।
- उच्च न्यायालयों के अलावा, राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय भी हैं जो जिलों में स्थित हैं।

19.1 उच्च न्यायालय

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 214 से 231** में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए संसद को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- उच्च न्यायालय का नेतृत्व एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश करते हैं।
- अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की परामर्श से की जाती है।
- वे 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।
- किसी राज्य के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।

19.1.1 उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ

मूल न्यायाधिकार

- उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया विवादों की सुनवाई करता है न कि अपील द्वारा।
- यह अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों की भी सुनवाई करता है।
- यह वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानूनों और अदालत की अवमानना के मामलों पर विवादों को सुनता है।
- यह राजस्व मामलों को भी सुनता है।

रिट क्षेत्राधिकार

- उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट, निषेध और अधिकार वारंट जारी करने की शक्ति है।

अपील न्यायिक क्षेत्र

- उच्च न्यायालय के पास सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
- दीवानी मामलों में प्रथम या द्वितीय अपील हो सकती है।
- आपराधिक मामलों में, यदि 7 या उससे अधिक वर्षों का कारावास हो जाता है तो आपराधिक अपील लागू की जा सकती है।

अधीक्षण की शक्ति

- अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालय के पास इसके अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है।
- यह अधीनस्थ न्यायालयों को भी नियंत्रित करता है और उन प्रपत्रों को निर्धारित करता है जिनमें अभिलेख रखे जाने हैं।

मामलों का स्थानांतरण

- संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार, अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिसका मामला के निपटारे के लिए आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा।

19.2 अधीनस्थ न्यायालय

बिहार में अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय, लोक अदालत और लोकायुक्त शामिल थे।

19.2.1 जिला न्यायालय

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का गठन किया गया है।
- जिला न्यायालय जिला स्तर पर न्याय करता है।
- ये अदालतें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं।

- जिला न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन है।
- प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय होता है।
- जिला न्यायालय की अध्यक्षता एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है जिसे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- न्यायिक सेवा में अन्य नियुक्तियाँ भी राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती हैं।
- जिला न्यायालय दो प्रकार के होते हैं अर्थात् **दीवानी और फौजदारी न्यायालय**।
- वे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के अधीक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं।
- सभी 38 जिलों में जिला या अधीनस्थ न्यायालय हैं।
- बिहार का सबसे पुराना जिला न्यायालय मुजफ्फरपुर में है।

19.2.2 बिहार में ग्राम कचहरी या ग्राम न्यायालय

- बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 990 के तहत ग्राम कचहरी या ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला एकमात्र राज्य है।
- ग्राम कचहरी में सभी पंच और सरपंच सहित पांच सदस्य होते हैं।
- उनमें से एक को कार्यवाही के न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है।
- ग्राम कचहरी को नागरिक अधिकार अधिनियम की धारा 120 के अनुसार दस हजार से कम की चल संपत्ति के नुकसान से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार है।
- छोटे-मोटे विवादों को बिना समय और धन गंवाए निपटाने की यह राज्य सरकार की एक पहल है।
- ग्राम कचहरी के सुचारू संचालन के लिए पुलिस विभाग आवश्यक सहयोग देता है।
- ग्राम कचहरी ग्रामीण बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कार्य करता है।
- इनका गठन नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
- ग्राम कचहरी का सरपंच निर्वाचित नेता, उप सरपंच उपाध्यक्ष तथा पंच इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं।

19.2.3 लोक अदालतें

- लोक अदालतों का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया जाता है।
- वे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं।

- लोक अदालतें त्वरित और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं और विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के लिए फायदेमंद होती हैं।
- वे दीवानी मामलों, वैवाहिक विवादों, संपत्ति/जमीन के लेन-देन और विवादों आदि से निपटते हैं।
- राज्य और जिला निकाय लोक अदालतों का अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं।

19.2.3.1 बिहार में लोक अदालतें

- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है।
- बिहार में तीन तरह की लोक अदालतें कार्य कर रही हैं – सतत लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत
- ये अदालतें कानून की अदालत में अपील करके या पूर्व-मुकदमेबाजी के चरण में समझौता करके विवादों का निपटारा करती हैं।
- मामले बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाते हैं।

19.2.3.2 बिहार में लोक अदालत की भूमिका

बिहार में लोक अदालतें राज्य के लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे स्वतंत्र और स्वैच्छिक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र हैं जो विवादों को जल्दी और सस्ते में हल करने में मदद करते हैं। लोक अदालतों की अध्यक्षता न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य पेशेवरों के एक पैनल द्वारा की जाती है जो मध्यस्थता और सुलह में प्रशिक्षित होते हैं।

बिहार में लोक अदालतों की कुछ भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

- समाज के गरीब और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना।
- न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना।
- जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
- समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए।

बिहार में विवादों को सुलझाने में लोक अदालत बहुत सफल रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, बिहार में लोक अदालतों ने 15 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इसने अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मदद की है और राज्य के लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान की है। लोक अदालतें भारत में न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा

हैं। वे विवादों को जल्दी, सस्ते और निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हैं। लोक अदालतों ने बिहार में न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बिहार लोक अदालत का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था और संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया गया था, जो हर नागरिक को उनकी आर्थिक या अन्य सीमाओं के बावजूद न्याय पाने में मदद करने के लिए तैयार किया गया था। भारतीय संवैधानिक दर्शन के अनुसार निर्धारित प्राथमिक मूल्य व्यक्तिगत गरिमा है जो मानवाधिकारों का आधार बनता है और नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के समग्र आधार पर मांग करता है।

19.3 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम

- बिहार राज्य ने आम जनता की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से यानी शिकायत दर्ज करने के 60 दिनों के भीतर राहत/लाभ प्रदान करने के लिए 5 जून, 2016 से इस अधिनियम को लागू किया है।
- राज्य शिकायत दर्ज करने के लिए सहायता और जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल Lokshikayat.bihar.gov.in प्रदान करता है।

19.4 लोकायुक्त

- लोकायुक्त कुशासन और राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करके आम जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- राज्यों के मामले में, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विपक्षी नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- लोकायुक्त को बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- इसे महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।

19.4.1 बिहार में लोकायुक्त

- बिहार में लोकायुक्त का गठन 1973 के बिहार लोकायुक्त अधिनियम के तहत किया गया था।
- राज्य सरकार ने 2012 के बिहार लोकायुक्त अधिनियम के तहत अधिनियम में कई बदलाव किए।
- इसकी नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बिहार राज्य विधान सभा के विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- यह 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

19.4.2 बिहार लोकायुक्त की संरचना

- बिहार लोकायुक्त में तीन सदस्य होते हैं, जिनमें से दो सदस्य बिहार न्यायपालिका से होने चाहिए या बिहार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हों।
- तीन सदस्यों में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और सदस्य शामिल हैं।
- बिहार लोकायुक्त के सदस्यों की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बिहार लोकायुक्त के सभी सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक लोकायुक्त का नाम उसके अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है।

19.5 महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)

- किसी राज्य का महाधिवक्ता एक कानूनी अधिकारी होता है जो किसी क्षेत्र या राज्य का मुख्य प्रतिनिधि होता है।
- महाधिवक्ता कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है।
- महाधिवक्ता का पद प्रकृति में वैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार बनाया गया है।
- किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
- विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव के स्तर पर नियुक्ति का प्रस्ताव लाया गया है।
- महाधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

19.6 बिहार में पुलिस प्रशासन

- पुलिस प्रशासन का मुख्यालय पटना में है।
- बिहार पुलिस विभाग बिहार राज्य के लिए कानून व्यवस्था और कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
- बिहार पुलिस गृह विभाग, बिहार सरकार के सीधे नियंत्रण में आती है।
- बिहार पुलिस का नेतृत्व एक पुलिस महानिदेशक (DGP; श्री-स्टार रैंक) करता है।
- राज्य को चार क्षेत्रों (पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर) में विभाजित किया गया है, प्रत्येक की कमान एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) या एक महानिरीक्षक के पास होती है।
- प्रत्येक क्षेत्र को दो से तीन रेंज में विभाजित किया गया है, प्रत्येक की कमान एक पुलिस उप महानिरीक्षक (DIGP) के पास है।
- प्रत्येक जिला एक पुलिस अधीक्षक के अधीन होता है।

- बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1947 में हुई थी।
- भारत में पंचायती राज से संबंधित दो महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था- 1957 में बलवंत राय मेहता समिति और 1978 में अशोक मेहता समिति।
- स्थानीय निकायों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत प्रशासन स्थापित करने और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को आम लोगों तक ले जाने की प्रक्रिया में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन मील का पत्थर है।

बिहार को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 मंडलों, 38 जिलों, 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों और पंचायतों में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लॉक को विभिन्न ग्राम पंचायतों में बांटा गया है।

20.1 पंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण स्वशासन)

- यह प्रणाली भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाती है।
- प्राचीन काल से भारत में पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है।
- इसकी विशेषताएं विशिष्ट और अनूठी हैं जो जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन प्रदान करती हैं।
- 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया था।
- इस संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है।
- अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है।
- कोई भी राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक है, वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकता।
- पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

- पंचायत में निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए, व्यक्ति की आयु 21 वर्ष की होने के साथ-साथ उसे विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।

20.1.1 बिहार में पंचायती राज व्यवस्था

- बिहार सरकार ने 1961 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम बनाया।
- यह 2 अक्टूबर, 1963 से लागू हुआ है।
- इन दो अधिनियमों के अनुसार, पूरे बिहार राज्य को निम्नतम स्तर यानी ग्राम पंचायत से शुरू होने वाली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में विभाजित किया गया था।
- दूसरा स्तर पंचायत समिति है जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है और इसके बाद जिला परिषद जिला स्तर पर आती है।
- राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाता है।

20.1.2 बिहार में पंचायती राज की मुख्य विशेषताएं एवं लक्षण

- राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 73वां संविधान संशोधन, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया।
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति (16%) और अनुसूचित जनजाति (1%) के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है।
- बिहार सरकार ने स्थानीय पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय राज्य है।
- अत्यंत पिछड़े वर्गों को लगभग 20% आरक्षण दिया जाता है।
- पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है और ग्राम सभा की चार बैठकें एक वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए।
- राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।

20.1.3 पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना

- पंचायती राज व्यवस्था में शासन के तीन श्रेणी या स्तर होते हैं यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत।

- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों को क्रमशः मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष कहा जाता है।

1. जिला परिषद

- यह तीन स्तरीय या त्रिस्तरीय संरचना का उच्चतम स्तर है।
- जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं।
- संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य जिले के एक हिस्से, किसी भी भाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले के भीतर आते हैं, वे भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं।
- बिहार पंचायत चुनाव नियम 2006 के अनुसार पहली बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) के सामने शपथ लेते हैं।
- परिषद की बैठक को तीन माह में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक है।
- बैठकें जिला मुख्यालय या जिले के भीतर किसी अन्य स्थान पर हो सकती हैं।

संघटन और संरचना

- जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन 50000 (लगभग) की आबादी के साथ किया जाता है, जिसमें से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होना चाहिए।
- बिहार में 38 जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं।
- जिला परिषद के सदस्यों को 5 साल की अवधि के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जिले से चुना जाता है।
- प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नेतृत्व एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जिला पंचायत की अध्यक्षता एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से चुने जाते हैं।
- प्रत्येक जिला पंचायत में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होता है।

कार्य

कार्यों में निम्न में शामिल हैं

- कृषि गतिविधियों, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण का प्रबंधन करना।
- लघु सिंचाई परियोजनाओं, भूजल संसाधनों का विकास और वाटरशेड विकास कार्यक्रम का प्रबंधन करना।
- ग्रामीण विद्युतीकरण, जिला सड़कों, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान करना।
- बागवानी, कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजारों का विकास और विनियमन करना।

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक सुधार गतिविधियों आदि को हाथ में लेना और शुरू करना।

2. पंचायत समिति

- यह पंचायती राज संस्था का दूसरा स्तर है।
- प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है।
- पंचायत समिति के सदस्य पंचायत स्तर पर चुने जाते हैं।
- पंचायत समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
- समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक होता है।

संघटन और संरचना

5000 (लगभग) की आबादी के साथ पंचायत समिति बनाई जाती है, जिसमें से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होना होता है।

प्रत्येक पंचायत समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सदस्य, जो ब्लॉक में मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।
- आमतौर पर प्रत्येक ब्लॉक को 10-25 के बीच मतदान निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य का चुनाव करता है।
- राज्य विधान सभा के सभी सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक और ग्राम पंचायत के पांचवें हिस्से में आते हैं।
- प्रमुख का चयन एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से ब्लॉक के प्रादेशिक क्षेत्र में किया जाता है।
- लॉटरी निकालकर प्रमुख का चयन किया जाता है।
- प्रत्येक पंचायत समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से चुने जाते हैं।
- प्रत्येक पंचायत समिति में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है।

कार्य

- समिति के भीतर सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना।
- वार्षिक बजट तैयार करना और इसे जिला परिषद को प्रस्तुत करना।
- जिला परिषद द्वारा सौंपे गए सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निरंतरता को बनाए रखना या जारी रखना।

3. ग्राम पंचायत

- यह त्रिस्तरीय प्रणाली का तीसरा या निम्नतम स्तर है।
- ग्राम पंचायतें निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती हैं जो ग्राम स्तर की होती हैं।

- ग्राम सभा निर्वाचकों का एक सामान्य सभा है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निर्वाचित निकाय है।
- कार्यकारिणी को ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है।

संघटन और संरचना

- 7000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा।
- 500 लोगों वाली प्रत्येक पंचायत से एक सदस्य का चुनाव करना होता है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और 20 से अधिक वार्डों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वार्ड एक वार्ड सदस्य और एक पंच का चुनाव करता है।
- ग्राम पंचायत में निर्वाचित वार्ड सदस्य और एक मुखिया होता है, जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होता है।
- एक उप-मुखिया भी चुना जाता है, जो उप मुखिया के रूप में कार्य करता है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है, जो एक या अधिक ग्राम पंचायतों की सेवा कर सकता है। पंचायती राज में न्यायिक शक्ति रखने वाली ग्राम पंचायत के निर्वाचकों द्वारा पंच, सरपंच और उप-सरपंच (उप सरपंच) का चुनाव किया जाता है।

कार्य

- ग्राम पंचायत में पेयजल, आवास, विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था करना।
- ग्राम पंचायत में गांवों के आवश्यक आंकड़ों का रखरखाव करना।
- पंचायत क्षेत्र में वार्षिक योजना, वार्षिक बजट तैयार करना।
- ग्राम पंचायत में पशुशालाओं, तालाबों, सार्वजनिक पार्कों, खेल के मैदानों, कूड़ादानों, धर्मशालाओं और इसी तरह के संस्थानों का निर्माण और रखरखाव करना।
- ग्राम पंचायत में बाजारों, मेलों और त्योहारों का विनियमन और प्रबंधन करना।

73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।

वर्तमान में, राज्य में 8058 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषद कार्यरत हैं।

ग्राम पंचायतों को वार्डों में बांटा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 1.15 लाख होती है। त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने के लिए एक ग्राम कचहरी भी स्थापित की जाती है, जिसे कुछ आपराधिक एवं कतिपय दीवानी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रतिद्वन्दी दलों को, और ऐसा करने में विफल रहने पर, दोषी पाये जाने वाले पक्ष को निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से मामले पर निर्णय लेने के बाद एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त आरक्षित एवं सामान्य दोनों श्रेणियों की महिलाओं को 50 प्रतिशत समानांतर आरक्षण प्रदान किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के प्रावधान के साथ जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने के लिए, वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्ड स्तर पर वार्ड सभा बनाई गई है। वार्ड सभा, वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति के माध्यम से, ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड को सौंपी गई सार्वजनिक महत्व की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करती है।

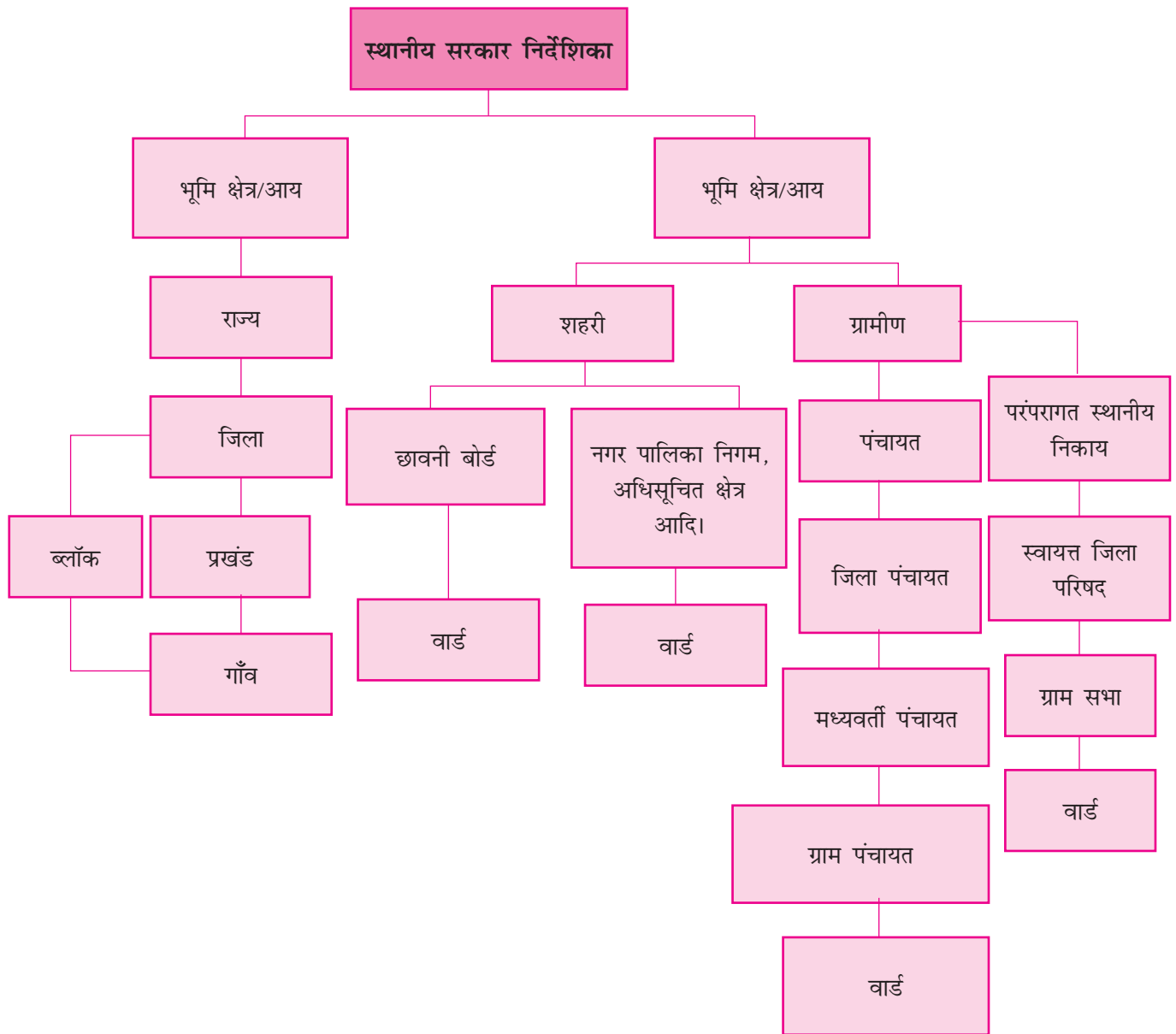
योजनाओं के गुणात्मक कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखने और वार्ड/पंचायत को उचित सलाह देने के लिए प्रत्येक वार्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का भी गठन किया गया है।

विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विकास उद्देश्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त धन के उचित हस्तांतरण के अलावा, पंचायती राज विभाग पंचायतों के खातों के नियमित रखरखाव और उसके लेखापरीक्षा के साथ-साथ लेखापरीक्षा आपत्तियों के उचित निपटान पर कड़ी नजर रखता है।

जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक पंचायत राज अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता/कार्यपालक सहायक/पंचायत सचिव और पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारी विभाग के निर्देशों के अधीन पंचायतों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बिहार सरकार, विकेंद्रीकरण की अपनी दृष्टि के भाग के रूप में, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की जीवंत इकाइयों के रूप में कार्य करने और सशक्त, समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह संस्थाओं में परिवर्तित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।



20.1.4 चुनौतियाँ

बिहार सरकार पंचायतों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जो स्थानीय स्व-शासन के प्रभावी कामकाज और सशक्तिकरण को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों में से कुछ में शामिल हैं:

- क्षमता निर्माण:** पंचायत सदस्यों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई पंचायत सदस्यों के पास अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल की कमी रहती है। शासन प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन की उनकी समझ को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों की आवश्यकता होती है।
- वित्तीय बाधाएं:** पंचायतें अपने कामकाज और विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की वित्तीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। हालांकि, सीमित वित्तीय संसाधन और धन जारी करने में देरी होने से पंचायतों के प्रभावी कामकाज में बाधा आ सकती है। उनकी वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने और उन्हें विकास परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता रहती है।
- प्रशासनिक सहायता:** पंचायतों को अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होती है। हालाँकि, नौकरशाही की देरी, समन्वय की कमी और अपर्याप्त प्रशासनिक सहायता पंचायतों के सुचारू कामकाज में बाधा बन सकती है।

पंचायतों के कुशल कामकाज के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सरकारी विभागों से पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है।

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** पंचायतें राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो उनकी स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्तियों को कमजोर कर सकती हैं। पंचायत सदस्यों पर राजनीतिक दबाव और प्रभाव स्थानीय समुदाय के सर्वोत्तम हित में काम करने की उनकी क्षमता से समझौता कर सकते हैं। पंचायतों के प्रभावी कामकाज के लिए अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा करना आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **जागरूकता और भागीदारी:** स्थानीय समुदाय के बीच जागरूकता और भागीदारी का निम्न स्तर पंचायतों के प्रभावी कामकाज के लिए एक चुनौती रहती है। समुदाय की सीमित भागीदारी और पंचायत की बैठकों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और विकास गतिविधियों में कम लोगों की भागीदारी उनकी सफलता में बाधा बन सकती है। पंचायत पहलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और सक्रिय नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के प्रयास आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- **लैंगिक (जैन्डर) समावेशिता:** पंचायतों में लैंगिक समावेशिता और महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। पंचायत पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण के बावजूद उन्हें सामाजिक भेदभाव, समर्थन की कमी और नेतृत्व के लिए सीमित अवसरों जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रभावी और समावेशी पंचायत शासन के लिए लैंगिक की समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** पंचायतों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक चुनौती है। वित्तीय लेन-देन, निर्णय लेने की प्रक्रिया और परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ निगरानी और निरीक्षण के लिए तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। पंचायत शासन में जनता का भरोसा और विश्वास पैदा करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार, पंचायत सदस्यों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदाय की प्रतिबद्धता और ठोस प्रयासों की आवश्यकता रहती है। इन चुनौतियों पर काबू पाकर, पंचायतें स्थानीय शासन, जमीनी स्तर के विकास और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

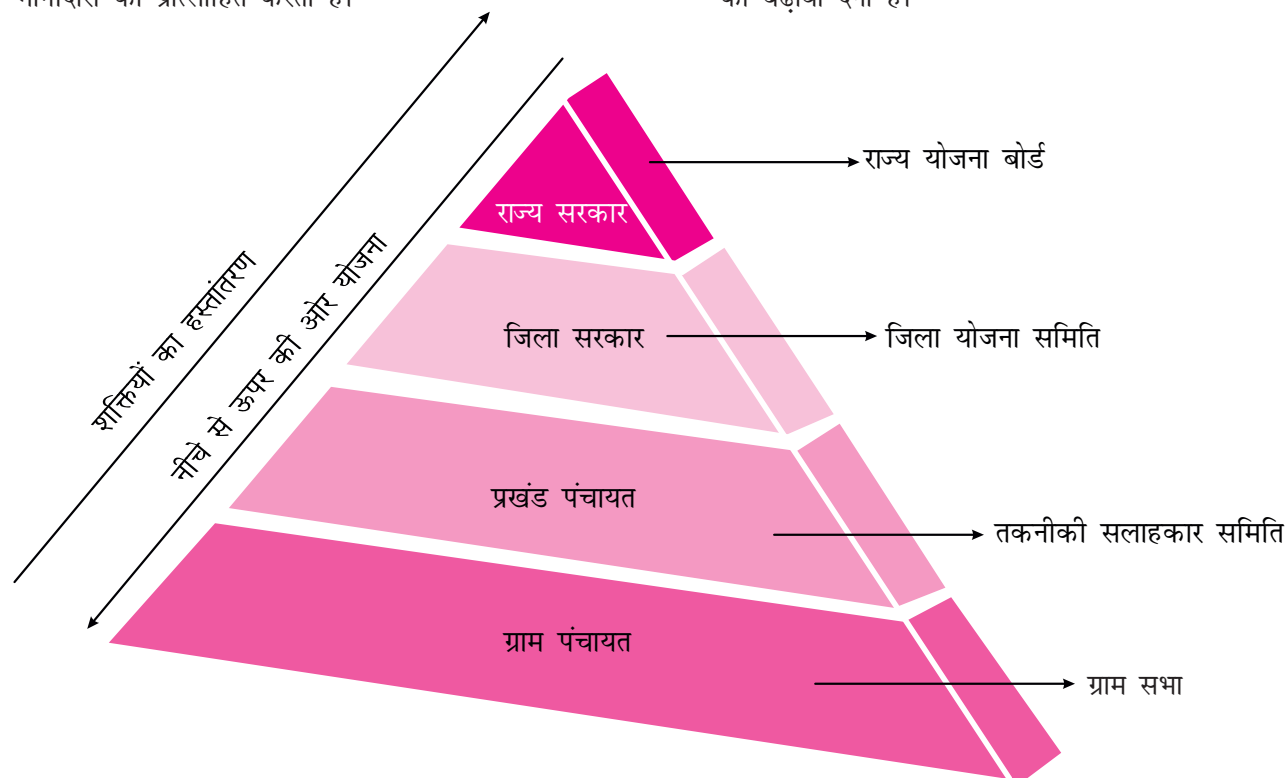
20.1.5 पंचायत के संबंध में बिहार सरकार द्वारा योजनाएं

बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और राज्य में जमीनी स्तर वाले प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और पहलों को लागू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, उनकी क्षमता में वृद्धि करना और स्थानीय स्वशासन में सुधार करना है। बिहार में पंचायतों से जुड़ी कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना:** यह योजना मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों सहित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता प्रदान करती है। भत्ते का उद्देश्य शासन की गतिविधियों में उनकी भागीदारी का समर्थन करना और उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करना है।
- **नल जल योजना:** यह योजना ग्रामीण बिहार में हर घर में पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत, पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना और ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना है।
- **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना:** इस योजना का उद्देश्य पंचायतों द्वारा परिवहन वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना है। वाहनों का उपयोग लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन करने के लिए किया जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में सुविधा होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता बढ़ती है।
- **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):** जहां ग्राम पंचायतें अपनी स्वयं की विकास योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करती हैं, वहाँ जीपीडीपी एक सहभागी नियोजन प्रक्रिया होती है। इस योजना के तहत, पंचायतें अपने गांवों के समग्र विकास के लिए अपनी विशिष्ट विकास आवश्यकताओं की पहचान करती हैं, संसाधनों का आवंटन करती हैं और परियोजनाओं को लागू करती हैं। निर्णय लेने में बॉटम-अप योजना और नागरिक भागीदारी को जीपीडीपी (GPDP) प्रोत्साहित करती है।
- **महादलित विकास मिशन:** महादलित विकास मिशन बिहार में सीमांत और वंचित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित रहती है। महादलितों को लक्षित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आवास और सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित पहल शामिल हैं।

- **ग्राम स्वराज अभियान:** इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सामाजिक सद्भाव, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह नागरिक भागीदारी बढ़ाने, सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित है। यह अभियान जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

- **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित रहती है। पंचायतें वाटरशेड विकास परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में शामिल रहती हैं। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है।



ये बिहार में पंचायतों से जुड़ी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। राज्य सरकार पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने, स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू कर रही है।

फायर हाइड्रेंट क्या है

- फायर हाइड्रेंट/फिलिंग स्टेशन जल आपूर्ति योजना की एक ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी आपात स्थिति या आकस्मिकता की स्थिति में, अग्निशमन वाहन/टैंकर में पानी जल्दी से संग्रहीत किया जा सकता है।
- यह डिलीवरी मेन (वितरण पाइप) में 80 मिमी × 80 मिमी × 50 मिमी आकार जीएल टी को जोड़कर और उचित ऊंचाई पर 50 मिमी जीआई पाइप रखकर चेक वाल्व/गेट वाल्व के साथ जोड़ा जाता है।

20.2 शहरी स्थानीय स्वशासन

- 1920 से बिहार राज्य में शहरी स्थानीय निकाय काम कर रहे हैं।
- पटना नगर निगम का गठन पटना नगरपालिका अधिनियम 1951 के बाद किया गया था।
- बिहार में नगर पालिकाओं को नगर परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया है और नगर पंचायतों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र समितियों को जनसंख्या और शहरीकरण के स्तर के आधार पर 1951 के अधिनियम के बाद पुनर्गठित किया गया है।
- 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकारों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को स्पष्ट और अच्छी तरह से सुपरिभाषित कार्य, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां देना अनिवार्य बना दिया है।
- बिहार विधानमंडल ने बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के गठन और कार्यप्रणाली के सभी पिछले अधिनियमों को

प्रतिस्थापित करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया है।

- अधिनियम के अनुसार, बिहार सरकार को शहरी स्थानीय निकायों की आय और व्यय की देखभाल के लिए नगरपालिका लेखा नियमावली तैयार करने की आवश्यकता है।
- बिहार राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण, पिछड़े वर्गों को बीस प्रतिशत आरक्षण और एससी और एसटी को कुछ प्रतिशत सीटें प्रदान की हैं।
- नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अलावा, बिहार में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की देखभाल के लिए टाउनशिप और छावनी बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

20.2.1 शहरी स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय संघटन और संरचना

1. बिहार में नगर निगम

- बिहार में 13 नगर निगम हैं।
- नगर निगम करों, किराए और सरकारी अनुदानों के माध्यम से अपनी निधि प्राप्त करता है।
- नगर निगमों ने शहर को वार्डों में बांट दिया है।
- पटना, मुजफ्फरपुर, गया आदि जैसे बड़े शहरों में से प्रत्येक में 45-75 वार्ड हैं।

2. नगर परिषद

- बिहार में कार्यरत नगर परिषद (सिटी काउंसल) छोटे शहरों, कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों की देखभाल करती है।
- आमतौर पर इन जगहों की आबादी 40000-200000 के बीच होती है।
- इन कस्बों/छोटे शहरों को 25 से 45 तक के वार्डों में बांटा गया है।
- नगर परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं।

3. नगर पंचायत

- बिहार में नगर पंचायतें उन क्षेत्रों में संचालित होती हैं जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं।
- इन क्षेत्रों में आमतौर पर 12000-40000 लोगों की आबादी रहती है।
- इन्हें 10 से 25 तक के वार्डों में बांटा जाता है।
- नगर पंचायत की अध्यक्षता अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य करते हैं, ये सभी अपने-अपने वार्ड में आम चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

20.2.2 शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य

- शहरी स्थानीय निकाय का प्रमुख महापौर होता है, जिसे अध्यक्ष भी कहा जाता है। महापौर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है और निकाय के सामान्य प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है।
- महापौर आम चुनाव के माध्यम से चुना जाता है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निगम/नगर पंचायत का पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- उनके कार्यों में सामान्य पर्यवेक्षण, बोर्ड की बैठकें आयोजित करना, बजट अनुमान प्राप्त करना, योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन शामिल होते हैं।

20.2.3 शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान होता है।
- अधिनियम में महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं होने का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम राज्य को अपनी शर्तों के अनुसार राज्य में 243 सीटों के आरक्षण की घोषणा करने के प्रावधान प्रदान करता है।

20.2.4 शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारी

- संविधान के अनुच्छेद 243, बारहवीं अनुसूची के अनुसार, नगर पालिकाओं में शामिल 18 कार्यात्मक आइटम हैं जैसे शहरी नियोजन करना, भूमि का विनियमन करना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कों और पुलों का निर्माण करना, आदि।

शहरी स्थानीय निकायों और पैरास्टेटल एजेंसियों के माध्यम से बिहार के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली पर्याप्त बुनियादी एवं आधारभूत संरचनाओं, सुविधाओं और सेवाओं के साथ शहरों और कस्बों के उचित और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास एवं आवास विभाग नोडल विभाग मौजूद है। विभाग किरायादाता आवास, सुरक्षित पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सीवरेंज, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन सहित नागरिक सेवाओं के कुशल प्रबंधन और वितरण के लिए विभिन्न ठोस उपाय और शहरों/कस्बों के आर्थिक विकास में तेजी लाकर और शहरी गरीबों की क्षमता का निर्माण करके आजीविका के अवसरों का सृजन करने में सहायक रहा है। आवास

और शहरी विकास विभाग का नेतृत्व मंत्री द्वारा किया जाता है, प्रधान सचिव, यूडीएचडी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

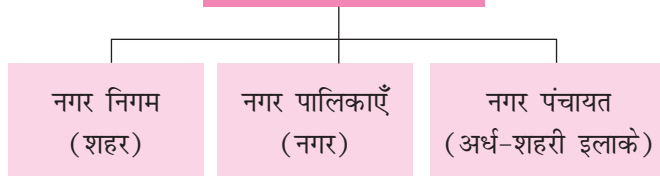
2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में राष्ट्रीय औसत 31.2% की तुलना में शहरीकरण की दर केवल 11.3% है। भारत की कुल आबादी का 8.6% हिस्सा बिहार राज्य का है, लेकिन यह देश की कुल शहरी आबादी का केवल 3.1% है।

कुल शहरी आबादी शहरी स्थानीय निकायों में निवास करती है। वर्तमान में बिहार में कुल 142 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें शामिल हैं,

- नगर निगम - 12
- नगर परिषद - 49
- नगर पंचायत - 81

बिहार की शहरी आबादी का 44% हिस्सा नगर निगमों (2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में रहता है, 32% हिस्सा नगर परिषदों (40,000 और 2,00,000 के बीच आबादी वाले कस्बों) में रहता है और 24% हिस्सा नगर पंचायतों (12,000 और 40,000 के बीच की आबादी वाले शहर) में रहता है।

शहरी स्थानीय निकायों के 3 प्रकार



उद्देश्य:

सामुदायिक भागीदारी और शहरी स्थानीय निकायों की जवाबदेही और नागरिकों के प्रति पैरास्टेटल एजेंसियों, अभिसरण तरीके से समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती आवास और आजीविका के अवसरों सहित पर्याप्त और टिकाऊ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के प्रावधान के साथ रहने योग्य, आर्थिक रूप से जीवंत और उत्पादक, टिकाऊ और कुशल संस्थाओं में शहरों/कस्बों के नियोजित और सर्व-समावेशी विकास को सुनिश्चित करके और सेवा वितरण तंत्र में दक्षता लाकर बिहार में एक सुसंगत, सजातीय, व्यापक, तेज और सतत विकास प्राप्त करना राज्य का लक्ष्य रहा है।

20.2.5 चुनौतियां

बिहार में शहरी स्थानीय सरकारों को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- **अवसंरचना की कमी:** बिहार में शहरी क्षेत्र अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से ग्रसित होते हैं, जिसमें पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। शहरी

स्थानीय सरकारें तेजी से शहरीकरण की आबादी की बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांगों को संबोधित करने के लिए संघर्ष करती रहती हैं।

- **सीमित वित्तीय संसाधन:** बिहार में शहरी स्थानीय निकायों को अक्सर वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को शुरू करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। वे राज्य सरकार के अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं, और उनके स्वयं के राजस्व सृजन स्रोत अक्सर शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं।
- **कमजोर शासन संरचनाएं:** कमजोर शासन संरचनाएं और प्रशासनिक क्षमता की कमी बिहार में शहरी स्थानीय सरकारों के लिए चुनौतियां खड़ी करती रहती हैं। परिणामस्वरूप अक्षमताएं, निर्णय लेने में देरी और शहरी विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में कठिनाइयां हो सकती हैं।
- **अपर्याप्त राजस्व सृजन:** बिहार में शहरी स्थानीय निकायों को कम संपत्ति कर संग्रह, राजस्व के सीमित स्रोत और एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जैसे कारकों के कारण राजस्व सृजन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। यह शहरी विकास परियोजनाओं को निधि देने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- **स्लम पुनर्वास और आवास:** शहरी गरीबों के लिए स्लम पुनर्वास और किफायती आवास प्रदान करने में बिहार चुनौतियों का सामना करता है। तेजी से शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों में प्रवास के कारण मलिन बस्तियों का विकास हुआ है, और झुग्गीवासियों को पर्याप्त आवास और बुनियादी सेवाएं प्रदान करना शहरी स्थानीय सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बिहार के शहरी क्षेत्रों में एक सतत चुनौती रही है। सीमित अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना, अपर्याप्त अपशिष्ट पृथक्करण प्रथाएं, और अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान सुविधाएं पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों में योगदान करती रहती हैं।
- **क्षमता निर्माण और मानव संसाधन:** बिहार में शहरी स्थानीय निकायों को अक्सर मानव संसाधन क्षमता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और क्षमता निर्माण के सीमित अवसर प्रभावी शासन और सेवा वितरण में बाधा डालते हैं।
- **राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय:** शहरी स्थानीय निकायों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग बिहार में एक चुनौती हो सकता है। शहरी नियोजन, अधोसंरचना विकास

तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय आवश्यक होता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। बिहार में शहरी स्थानीय सरकारों के कामकाज और प्रभावशीलता में सुधार के लिए वित्तीय संसाधनों को मजबूत करना, शासन संरचना में सुधार, राजस्व सृजन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में निवेश, स्थायी शहरी नियोजन को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हैं।

20.2.6 पहल

पेयजल आपूर्ति: राज्य सरकार ने अमृत मिशन, राज्य योजना और मुख्यमंत्री हर घर नल का जल निश्चय योजना के माध्यम से सभी घरों में पाइप से पेयजल आपूर्ति करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।

सड़कें और नालियाँ: बिहार के शहरी क्षेत्रों में जलभराव प्रमुख समस्याओं में से एक है, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी क्षेत्रों में व्यापक जल निकासी प्रणालियों के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। जबकि राज्य सरकार द्वारा अमृत या राज्य योजना के तहत बड़े आउटफॉल नालों और बहु-वार्ड नालों को मंजूरी दी जा रही है, छोटे नालों को शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा “मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली निश्चय योजना” (राज्य निधियों के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग निधियों के माध्यम से वित्त पोषित) के तहत लिया जा रहा है।

सीवरेज: केंद्र सरकार की “नमामि गंगे” योजना के तहत, गंगा नदी की सफाई और नदी की कायाकल्प करने के लिए नदी के किनारे स्थित शहरों एवं कस्बों को लक्षित किया गया है।

स्वच्छता: राज्य सरकार के ‘शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय’ योजना और केंद्र सरकार के ‘स्वच्छ भारत मिशन’ परियोजना के तहत शौचालयों का निर्माण शुरू किया गया है। राज्य सरकार स्वच्छता अनुदान के रूप में सभी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के प्रावधान में सहायता के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1200 रुपये की दर से धनराशि दे रही है।

आवास और आश्रय: 2015-2022 के दौरान शहरी क्षेत्रों हेतु ‘सभी के लिए आवास’ मिशन लागू किया गया और यह मिशन

2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान किया। क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के घटक को छोड़कर मिशन को एक केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्रीय हिस्सा -75%, राज्य हिस्सा -25%) के रूप में लागू किया जाएगा जिसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। 2017 में राज्य ने अपनी किरायायती आवास और स्लम पुनर्वास और पुनर्विकास नीति को भी अधिसूचित किया है जिसके तहत सभी योजनाओं के लिए आवास का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम 35% ईडब्ल्यूएस इकाइयां बेची जाएंगी।

नागरिक सुविधाएं: राज्य सरकार का इरादा सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पार्कों को विकसित करना है। पटना में एक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस विकसित किया जा रहा है और विभिन्न शहरों में 38 बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। फरवरी 2018 में राज्य सरकार ने सभी अक्षम स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ एक अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के चार सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है।

हैरिटेज सिटी डेवेलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (एचआरआईडीएवाई): बिहार के गया शहर को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई) योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य विरासत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करके सौंदर्यवादी रूप से आकर्षक, सुलभ, सूचनात्मक और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है।

नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन: एंज्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) के तहत बीपीएल युवाओं को प्लेसमेंट पर फोकस के साथ स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य ने स्ट्रीट वेंडिंग नियमों को अधिसूचित किया है और कई शहरों में वेंडिंग जोन निर्माणाधीन हैं।



21.1 बिहार में चुनाव: टी. एन. शेषन काल के पहले और बाद

टी.एन.शेषन काल से पहले और बाद के दौर में टी.एन.शेषन काल के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए चुनाव सुधारों से पहले और बाद की अवधि का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। इन सुधारों का उद्देश्य बिहार सहित भारत में चुनावों की अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाना था। बिहार में चुनाव के संदर्भ में शेषन युग से पहले और बाद के युगों की तुलना यहां दी गई है:

21.1.1 शेषन काल के पूर्व (1990 से पहले)

- **चुनावी भ्रष्टाचार एवं कुप्रथा:** बिहार, भारत के कई अन्य राज्यों की तरह, बूथ कैप्चरिंग, हेराफेरी, हिंसा, और धन और बाहुबल के दुरुपयोग सहित व्यापक चुनावी कदाचार का गवाह बना रहा है। इन भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं एवं कदाचारों ने चुनावों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को कम कर दिया है।
- **कमजोर चुनावी प्रशासन एवं व्यवस्था:** चुनावी प्रशासन एवं व्यवस्था को बिहार में चुनाव कराने में राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्याप्त संसाधनों की कमी और अक्षमताओं सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में देरी, अनियमितताएं और कठिनाइयां हुईं।
- **धन और बाहुबल का प्रभाव:** बिहार में चुनाव अक्सर धन और बाहुबल के इस्तेमाल से प्रभावित होते थे। मजबूत वित्तीय संसाधनों वाले या राजनीतिक कनेक्शन वाले उम्मीदवारों को एक फायदा था, जिसने सभी प्रतियोगियों के लिए खेल के मैदान को कमजोर कर दिया था।

21.1.2 शेषन काल के पूर्व (1990 के बाद)

- **चुनावी सुधार:** टी.एन. शेषन के नेतृत्व में, भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से कार्यान्वयन, मतदाता शिक्षा अभियान, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनावी भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं एवं कदाचारों को रोकने के उपाय शामिल थे।

- **मतदाता पंजीकरण और पहचान:** फोटो मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) की शुरुआत करने और एक व्यापक मतदाता पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन करने से सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने और चुनावों के दौरान मतदाताओं की पहचान करने में मदद मिली, परिणामस्वरूप प्रतिरूपण और फर्जी मतदान की गुंजाइश कम हो गई।
 - **चुनाव प्रशासन का विकेंद्रीकरण:** चुनाव आयोग ने स्थानीय पूर्वाग्रहों को कम करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के बाहर से चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति सहित चुनाव प्रशासन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने के उपायों को लागू किया था।
 - **सतर्कता और निगरानी:** चुनाव आयोग ने बूथ कैप्चरिंग, धांधली और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी कुप्रथाओं, भ्रष्टाचार एवं कदाचारों को रोकने के लिए सतर्कता और निगरानी तंत्र को बढ़ाया है। कानून को सख्ती से लागू करने और केंद्रीय बलों की तैनाती से चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली है।
 - **मतदाता जागरूकता और भागीदारी:** चुनाव आयोग ने नागरिकों को उनके अधिकारों और मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। बिहार में मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।
- बिहार में, टी.एन.शेषन युग के दौरान चुनावी प्रक्रिया में हुए कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को अधिक अधिकार दिए गए थे। इसमें राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने, चुनाव रद्द करने और पुनर्मतदान का आदेश देने की शक्ति शामिल थी।
 - चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधार किए गए। इसमें ईवीएम, फोटो मतदाता पहचान पत्र और वीवीपीएटी प्रणाली का उपयोग शामिल था।
 - ईसीआई ने मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें मतदाता जागरूकता अभियान और हेल्पलाइन की स्थापना शामिल थी।

बिहार में, टी. एन. शेषन काल के बाद चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। चुनावी कुप्रथाओं, भ्रष्टाचार एवं कदाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है और चुनाव अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण हो गए हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि धन का प्रभाव और राजनीति का अपराधीकरण। चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने और बिहार के चुनाव में सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

21.2 बिहार में जाति आधारित राजनीति

1977 में, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 3,49,30,842 थी जो 1980 में बढ़कर 3,97,13,485, 1984 में बढ़कर 4,33,31,010 और 1989 के संसदीय चुनावों में बढ़कर लगभग 5.40 करोड़ हो गई है, जबकि मतदान करने वालों की आयु को घटाकर 18 कर दिया गया है। हालाँकि मतदाताओं को जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जाति के विचार प्रमुख महत्व के हैं। 1977 के बाद जब जनता सरकार ने बिहार में जाति आधारित आरक्षण लागू किया था तो अगड़ी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ जैसे तीन मूल जाति समूह उभरे थे।

2018 और 2019 में, बिहार विधानसभा ने जातिगत जनगणना के पक्ष में दो सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किए। जून 2022 में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।

जाति आधारित राजनीति ने ऐतिहासिक रूप से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य की एक जटिल सामाजिक संरचना है जिसमें जाति समूहों की एक विविध श्रेणी है, प्रत्येक के अपने हितों, आकांक्षाओं और शक्ति की गतिशीलता है। बिहार में जाति आधारित राजनीति के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- **एक राजनीतिक पहचान के रूप में जाति:** बिहार में राजनीतिक पहचान और गठबंधनों को आकार देने में जाति एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दल अक्सर खुद को विशिष्ट जाति समूहों या जाति-आधारित गठबंधनों के साथ जोड़ लेते हैं। जाति-आधारित लामबंदी का उद्देश्य विशेष जातियों या जाति ब्लॉकों के समर्थन को उनकी विशिष्ट विषयों को संबोधित करके और उनके हितों को बढ़ावा देकर मजबूत करना है।
- **जाति-आधारित वोट बैंक:** बिहार में जाति-आधारित राजनीति एक वोट बैंक की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जिसमें राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों या जाति संयोजनों का समर्थन हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रतिनिधित्व,

सामाजिक न्याय और विकास के वादों के साथ विशेष समुदायों को लक्षित करने के लिए पार्टियाँ जाति-आधारित गणनाओं पर भरोसा करती हैं। जाति आधारित मतदान पैटर्न ने राज्य में चुनावी परिणामों और राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता को प्रभावित किया है।

- **सामाजिक न्याय और आरक्षण:** बिहार में जाति आधारित राजनीति सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों की मांग से निकटता से जुड़ी हुई है। कई जाति समूह, विशेष रूप से वे जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं, सरकारी संस्थानों, शिक्षा और रोजगार में प्रतिनिधित्व और सकारात्मक कार्रवाई चाहते हैं। राजनीतिक दल अक्सर इन मुद्दों का इस्तेमाल वंचित जातियों के बीच समर्थन जुटाने के लिए करते रहते हैं।
- **जाति-आधारित गठबंधन:** बिहार में राजनीतिक गठबंधन अक्सर जाति-आधारित रूप ले लेते रहते हैं, जिसमें पार्टियाँ चुनावी लाभ हासिल करने के लिए खुद को जाति-आधारित संगठनों या नेताओं के साथ जोड़ लेती हैं। ये गठजोड़ जाति जनसांख्यिकी की गणना और विशिष्ट जातियों के बीच समर्थन को मजबूत करने की क्षमता के आधार पर बनते रहते हैं। जाति आधारित गठबंधन राज्य में चुनावी नतीजों और सरकार गठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **जातिगत हिंसा और संघर्ष:** बिहार में जाति आधारित राजनीति भी जातिगत हिंसा और संघर्षों की घटनाओं से प्रभावित हुई है। अंतर-जातीय प्रतिद्वंद्विता, संसाधनों पर विवाद और प्रभुत्व का दावा करने के प्रयास से जाति-आधारित हिंसा और सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं। इन संघर्षों को संबोधित करना और प्रबंधित करना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
- **सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व:** बिहार में जाति आधारित राजनीति ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़ी और उपेक्षित जातियों के सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में योगदान दिया है। हाशिए की जातियों के कई राजनीतिक नेता उभरे हैं और सरकार और राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर आसीन हुए हैं। इससे इन समुदायों के लिए सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

यह ध्यान रखना आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि जाति आधारित राजनीति ने जहां बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं पहचान आधारित राजनीति से आगे बढ़ने और शासन, विकास और समावेशी विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास किए गए हैं। जैसे-जैसे राज्य प्रगति कर रहा है, वैसे-वैसे जाति के बावजूद सभी समुदायों की आकांक्षाओं, विषयों और चिंताओं को दूर करने और एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

सदियों से बिहार की राजनीति में जाति एक प्रमुख कारक रही है। स्वतंत्रता-पूर्व युग में, उच्च जातियों, जैसे कि ब्राह्मण, भूमिहार और

राजपूत, राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, यादव, कुर्मी और कोरी जैसी निचली जातियों ने खुद को राजनीतिक रूप से मुखर करना शुरू कर दिया। इससे जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल जैसे जाति-आधारित दलों का उदय हुआ। हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में जाति और भी अहम हो गई है। यह आंशिक रूप से मंडल आयोग की रिपोर्ट के कारण है, जिसने सिफारिश की थी कि 27% सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों को पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को 1990 में लागू किया गया था, और इसका बिहार की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जाति आधारित राजनीति के उदय के बिहार के लिए कई नकारात्मक परिणाम हुए हैं। इसने सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया है, और जाति की परवाह किए बिना बिहार के सभी निवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करना मुश्किल बना दिया है।

बिहार में जाति आधारित राजनीति के कुछ प्रमुख खिलाड़ी इस प्रकार हैं:

- **लालू प्रसाद यादव:** जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करने वाले यादव नेता हैं। वह अपनी लोकलुभावन बयानबाजी और सामाजिक न्याय पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं।
- **नीतीश कुमार:** कुर्मी नेता हैं, जिन्होंने आठ मौकों पर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह अपनी विकासोन्मुखी नीतियों और राजनीति के प्रति अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।
- **राष्ट्रीय जनता दल:** एक क्षेत्रीय दल है, जिसे मुख्य रूप से यादवों और अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी बिहार में कुल 15 साल सत्ता में रही है।
- **जनता दल (यूनाइटेड):** एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसे मुख्य रूप से कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी बिहार में कुल 18 साल सत्ता में रही है।

जाति आधारित राजनीति एक जटिल और हमेशा विकसित होने वाली परिघटना है। यह बिहार के अनूठे इतिहास और सामाजिक संरचना की उपज है। यह भारत में बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य का भी प्रतिबिंब है।

21.3 बिहार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, राज्य में बड़ी संख्या में जातियों और समुदायों के साथ एक बहुत ही विविध आबादी है। इससे किसी एक पार्टी के लिए पूरे बिहार में जनाधार बनाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण, राज्य का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उच्च स्तर के

अलगवाव को जन्म दिया है, जिन्हें लोगों की जरूरतों के साथ संपर्क से बाहर होने के रूप में देखा जाता है।

इन कारकों के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय दल विशेष जातियों और समुदायों के बीच मजबूत समर्थन आधार बनाने में सक्षम हुए हैं। वे राष्ट्रीय दलों की तुलना में इन समूहों की चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में भी सक्षम रहे हैं। इससे उन्हें चुनाव जीतने और सरकार बनाने में मदद मिली है।

बिहार के लिए क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम रहा है। एक ओर, इसने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दल लोगों की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील रहे हैं। इससे बिहार में कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है।

दूसरी ओर, क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व ने भी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। सरकार में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, और इससे दीर्घकालीन नीतियों को लागू करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने कभी-कभी हिंसा और भ्रष्टाचार को जन्म दिया है।

बिहार में, कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों की भूमिका मिली-जुली रही है। वे कई लोगों के जीवन में सुधार करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता में भी योगदान दिया है। बिहार में क्षेत्रीय दलों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ये संभावना बनी हुई है कि वे राज्य की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे।

बिहार के संदर्भ में, क्षेत्रीय दलों ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में क्षेत्रीय दलों की कुछ विशिष्ट भूमिकाएँ और कार्य इस प्रकार हैं:

- **क्षेत्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व:** बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे क्षेत्रीय दल, बिहारी पहचान और आकांक्षाओं की आवाज के रूप में उभरे हैं। वे बिहार के लोगों की चिंताओं और हितों की वकालत और समर्थन करते हैं। राज्य के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता:** बिहार में क्षेत्रीय दलों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय, अधिकारिता और वंचित समुदायों के उत्थान से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने पिछड़े वर्गों, दलितों और समाज के अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और समान विकास सुनिश्चित करने की मांग की है।
- **गठबंधन की राजनीति:** बिहार में गठबंधन की राजनीति देखी गई है, जिसमें क्षेत्रीय दल गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन पार्टियों ने अक्सर व्यापक राजनीतिक आधार हासिल करने और राज्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए

राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। अतीत में जदयू-राजद गठबंधन और हाल के वर्षों में जदयू-भाजपा गठबंधन ऐसे गठबंधनों के उदाहरण हैं।

- **राज्य विकास और शासन:** बिहार में क्षेत्रीय दलों ने राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नौकरी के अवसरों की वकालत की है, और उन विकास परियोजनाओं और पहलों को आगे बढ़ाया है जो बिहार के लोगों को लाभान्वित करें।
- **जमीनी स्तर की राजनीति:** बिहार में क्षेत्रीय दलों की मजबूत जमीनी उपस्थिति है और उन्होंने स्थानीय स्तर पर समर्थन जुटाया है। उन्होंने व्यापक नेटवर्क और कैंडिड बनाए हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते हैं और उनकी चिंताओं को सीधे संबोधित करते हैं। इससे उन्हें राज्य में एक मजबूत राजनीतिक आधार स्थापित करने की अनुमति मिली है।

कुल मिलाकर, बिहार में क्षेत्रीय दल लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने, क्षेत्रीय चिंताओं की वकालत करने और अपनी उपस्थिति और गठबंधनों के माध्यम से राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

- भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय होने से संबंधित कारक
- **उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:**
 - भारतीय समाज का सांस्कृतिक और जातीय बहुलवाद।
 - विकास में आर्थिक विषमताएं और क्षेत्रीय असंतुलन।
 - कुछ वर्गों की इच्छा ऐतिहासिक कारकों के कारण एक अलग पहचान बनाए रखने की है।

- अपदस्थ महाराजाओं और बेदखल जमींदारों का स्वार्थ।
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ विलय करने में राष्ट्रीय राजनीति की विफलता।
- भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
- क्षेत्रीय नेताओं का करिश्माई व्यक्तित्व।
- बड़े दलों के भीतर गुटबाजी के झगड़े- फसाद।
- कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्तियों का केंद्रीकरण।
- केंद्रीय स्तर पर मजबूत विपक्षी दल की अनुपस्थिति और अभाव।
- राजनीतिक प्रक्रिया में जाति और धर्म की भूमिका।
- जनजातीय समूहों के बीच अलगाव और असंतोष।

21.4 बिहार में कुछ प्रमुख क्षेत्रीय/राष्ट्रीय दल

- राष्ट्रीय जनता दल (राजद)
- भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
- जनता दल (यूनाइटेड) (JDU)
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
- समता पार्टी
- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
- राष्ट्रीय लोक जनता दल
- जन अधिकार पार्टी
- विकासशील इंसान पार्टी
- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
- राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी

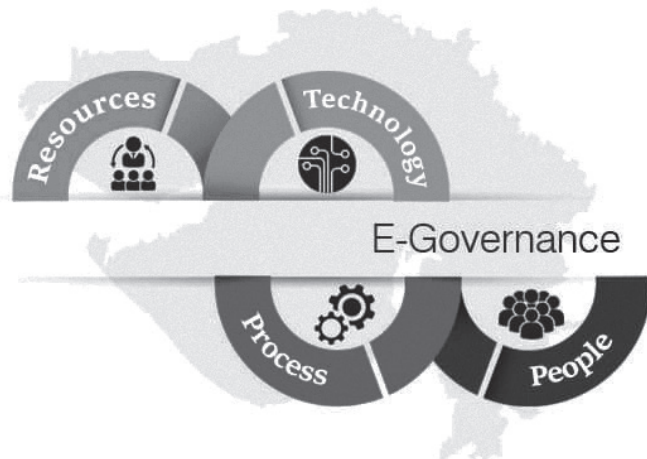


22.1 ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का उपयोग है। इसका उपयोग नागरिकों को सरकारी जानकारी, सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने, सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार करने और सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए किया जा सकता है।

ई-गवर्नेंस के कई लाभ हो सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- **दक्षता में वृद्धि:** ई-गवर्नेंस से सरकारी सेवाओं के समय और लागत को कम करने में सहायता एवं मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, नागरिक अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों ही बचता है।



- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** ई-गवर्नेंस से सरकारी सूचनाओं और सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाकर सरकार को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता एवं मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, नागरिक अब सरकारी बजट, अनुबंधों और अन्य अभिलेखों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं।
- **ई-गवर्नेंस से नागरिकों के लिए सरकारी खर्च को ट्रैक करना और सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना आसान बनाकर सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में सहायता एवं मदद मिल सकती है।** उदाहरण के लिए, नागरिक अब सरकारी खर्च को ट्रैक करने और सरकारी अधिकारियों

के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन टूल का उपयोग कर सकते हैं।

22.1.1 ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार सरकार की पहल

बिहार सरकार ने हाल के वर्षों में कई ई-गवर्नेंस पहलों को लागू किया है। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की कार्य-दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। बिहार की कुछ प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों में निम्न शामिल हैं:

- **बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (बीएसडब्ल्यूएन):** बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एक हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जो बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सरकारी विभागों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी सेवाओं की कार्य-दक्षता में सुधार होता है।
- **ई-डिस्ट्रिक्ट बिहार:** ई-डिस्ट्रिक्ट बिहार एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को जन्म और मृत्यु पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। ई-डिस्ट्रिक्ट बिहार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का उपयोग करना आसान बना दिया है और इन सेवाओं को प्राप्त करने के समय और लागत को कम कर दिया है।
- **बिहार स्टेट डेटा सेंटर (बीएसडीसी):** बिहार स्टेट डेटा सेंटर एक डेटा सेंटर है जो राज्य सरकार के ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को होस्ट करता है। बिहार स्टेट डेटा सेंटर सरकारी डेटा के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण प्रदान करता है।
- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण कियोस्क हैं जो नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाओं सहित कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) बिहार में डिजिटल डिवाइड को पाटने में सहायक रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है।



बिहार सरकार ने कई अन्य ई-गवर्नेंस पहलों को भी लागू किया है, जैसे राज्यव्यापी ई-खरीद प्रणाली का विकास और राज्यव्यापी ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली का निर्माण। ये पहलें बिहार में सरकारी सेवाएं प्रदान करने के तरीके को बदलने में मदद कर रही हैं। बिहार सरकार की ई-गवर्नेंस पहल सरकारी सेवाओं की कार्य-दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सफल रही है। इन पहलों ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाना भी आसान बना दिया है। बिहार सरकार ई-गवर्नेंस पहल को जारी रखने और बिहार को डिजिटल रूप से सशक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

- बिहार पिछले वर्ष के 17 वें स्थान से SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 में गवर्नेंस में 11 वें स्थान पर है, जो समग्र रैंकिंग में छह स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाता है।
- सुशासन सूचकांक 2021, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बिहार को ग्रुप 'बी' में 6 वीं रैंक मिली है।
- पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में बिहार ने अपने स्कोर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.40 था, जो अब बढ़कर 4.624 हो गया है।
- बिहार ने मूल रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण और विकास क्षेत्र और न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार किया है।

22.2 बिहार के संबंध में केंद्र-राज्य संबंधों की समस्या

बिहार के संदर्भ में केंद्र-राज्य संबंध को कई चुनौतियों और मुद्दों से चिह्नित किया गया है। कुछ प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं:

- **वित्तीय विषमताएं:** बिहार, अन्य राज्यों की तुलना में कम प्रति व्यक्ति आय और सीमित संसाधनों के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करता रहा है। राज्य अपने विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय अनुदान और धन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि, केंद्र सरकार से पर्याप्तता और समय पर धन जारी (रिलीज) करने के बारे में चिंताएं रही हैं, जो राज्य की विकास पहलों में बाधा डाल रही हैं।
- **अवसंरचना विकास:** बिहार को सड़क, रेलवे, बिजली आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे के विकास में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपर्याप्त केंद्रीय समर्थन और समन्वय ने राज्य के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है और कोशिशों एवं चेष्टाओं को बाधित

किया है। सीमित कनेक्टिविटी और अपर्याप्त बिजली आपूर्ति प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।

- **पिछड़ापन और क्षेत्रीय विषमताएँ:** बिहार राज्य के भीतर महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असमानताओं एवं विषमताओं का सामना करता रहा है। केंद्र सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और पहलों के माध्यम से इन असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालाँकि, इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और न्यायसंगत कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ रही हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की मजबूत हुई है और प्रांतीय असंतुलन बना रहा है।
- **कृषि क्षेत्र का समर्थन:** बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि एवं खेती एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है। राज्य को कृषि बुनियादी ढांचे, सिंचाई सुविधाओं और प्रौद्योगिकी प्रसार के संदर्भ में मजबूत केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। हालाँकि, बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से अपर्याप्त ध्यान और समर्थन के बारे में आलोचना की गई है।
- **कानून और व्यवस्था:** अतीत में, बिहार ने कानून और व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों का सामना किया है। कानून और व्यवस्था का प्रभावी रखरखाव केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक साझा जिम्मेदारी होती है। आपराधिक गतिविधियों से निपटने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच सहयोग और समन्वय महत्वपूर्ण है। प्रभावी शासन के लिए कानून और व्यवस्था के मामलों में एक सुचारू केंद्र-राज्य संबंध सुनिश्चित करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है।
- **रोजगार और कौशल विकास:** बिहार को रोजगार के अवसर पैदा करने और अपने कर्मचारियों के कार्य-कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने में केंद्र सरकार का समर्थन महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हालाँकि, राज्य की रोजगार जरूरतों को पूरा करने में केंद्रीय पहलों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ रही हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने और बिहार की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित

परामर्श, प्रभावी समन्वय तंत्र, और राज्य के विकास के लिए एक साझा प्रतिबद्धता आवश्यक है।

इन समस्याओं का बिहार के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने में असमर्थ रहा है, और यह विकास के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ गया है।

बिहार में केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं। इसमें शामिल है:

- **विश्वास और सहयोग का निर्माण:** केंद्र और राज्य सरकार को विश्वास और सहयोग बनाने की आवश्यकता है। यह नियमित संवाद और परामर्श के माध्यम से और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके किया जा सकता है।
- **संसाधन आवंटन में वृद्धि:** केंद्र को बिहार को संसाधन आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे राज्य सरकार को अपनी विकास योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन:** केंद्र को बिहार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है। यह राज्य सरकार को अधिक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके किया जा सकता है।
- **सुरक्षा चुनौतियों का समाधान:** केंद्र को बिहार में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाकर और एक व्यापक सुरक्षा योजना विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करके किया जा सकता है।

इन समस्याओं का समाधान करके केंद्र और राज्य सरकार बिहार में केंद्र-राज्य संबंधों को सुधार सकती है। इससे राज्य को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और एक समृद्ध और जीवंत राज्य के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी।

- राज्य के वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ राज्यों को अपने खर्च को फिर से प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती हैं और गरीब राज्यों को नुकसान में डालती हैं। यह देखा गया है कि कई योजनाओं पर केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च करने से अंततः केंद्र सरकार के आवंटन को कम कर दिया जाता है। यह निश्चित रूप से बिहार जैसे राज्यों को चुनिंदा योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने और वितरण में सुधार करने के लिए सशक्त करेगा। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 9.84 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। हालाँकि, राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि 15.04 प्रतिशत थी, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक थी। लेकिन बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। इसलिए यह केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता का हकदार है।

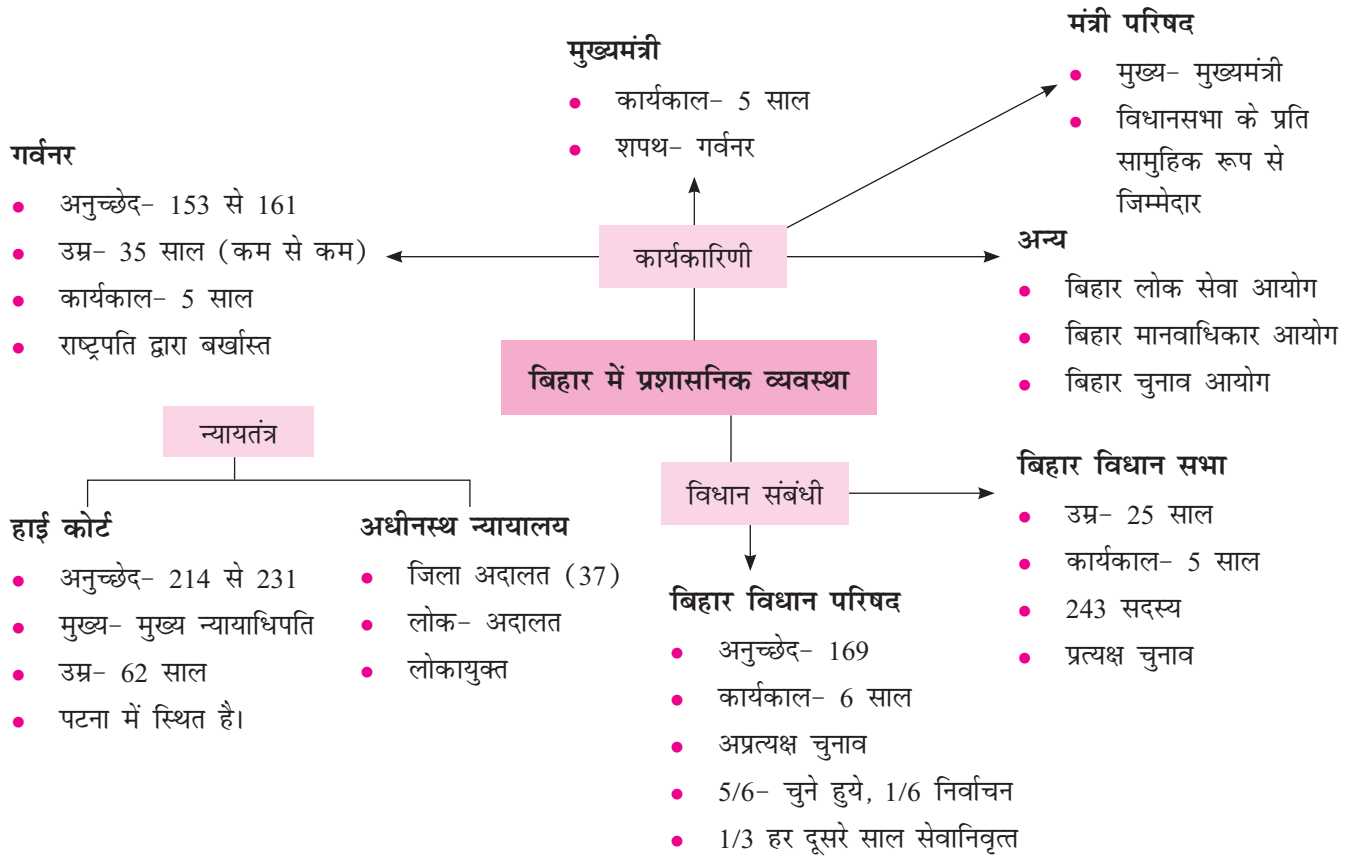
बिहार की स्थानीय स्वशासन

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

- 11वीं अनुसूची
- 73 संवैधानिक संशोधन
- उम्र- 21 साल
- चुनाव- राज्य चुनाव आयोग द्वारा
- 3 स्तरीय प्रणाली
 1. जिला परिषद
 2. पंचायत समिति
 3. ग्राम पंचायत
- नल जल योजना
- ग्राम स्वराज योजना
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

शहरी स्थानीय स्वशासन

- 74 संवैधानिक संशोधन
- 12वीं अनुसूची
- 50% आरक्षण महिलाओं को
- 3 स्तरीय प्रणाली
 1. नगर निगम (12)
 2. नगर परिषद (49)
 3. नगर पंचायत (31)
- हृदय योजना
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना
- नमामी गंगे
- हर घर नल का जल निश्चय योजना



खंड-IV

बिहार की अर्थव्यवस्था

- भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, बिहार काफी हद तक सेवा संचालित है। कृषि और उद्योग क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- वर्तमान बाजार मूल्य (2022-23) पर इस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹745310 करोड़ था जो इसे 94 बिलियन डॉलर बनाता है। यह भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14वें स्थान पर है। बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 10.98% (2022-23) पर है। बजट रिपोर्टों के अनुसार अपेक्षित जीएसडीपी 2023-24 858928.0 करोड़ रुपये है।
- बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तृतीयक क्षेत्र का रहा है और परिणामस्वरूप विकास प्रक्रिया ने बिहार अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना को भी बदल दिया है – तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग समान है, और प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम हो रहा है।
- यह वास्तव में शहरी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास का तात्पर्य है, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का स्थान है। दुर्भाग्य से, इस घटना के साथ ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों की स्थानांतरण नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है
- आर्थिक विकास का लाभ प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कल्याणकारी उपाय भी शुरू किए हैं। राज्य सरकार का मुख्य विकास फोकस अब 'सात निश्चय' के आसपास है।
 - (a) युवाओं का कल्याण
 - (b) महिला सशक्तिकरण
 - (c) सभी घरों में बिजली की आपूर्ति
 - (d) स्वच्छ पेयजल
 - (e) सड़क संपर्क
 - (f) शौचालय सुविधा
 - (g) उच्च तकनीकी शिक्षा

जनसांख्यिकी: किसी क्षेत्र का बुनियादी आर्थिक परिदृश्य इसकी जनसांख्यिकीय प्रोफाइल से प्रभावित होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की जनसंख्या लगभग 104 मिलियन थी जो भारत की कुल आबादी का 8.6% है।

2011 की जनगणना के अनुसार,

- बिहार की जनसंख्या 104,099,452 है।
- बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है।
- बिहार की ग्रामीण आबादी बिहार की कुल आबादी का 88.71% है।
- बिहार की शहरी आबादी बिहार की कुल आबादी का 11.29% है।
- बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,106 प्रति वर्ग किमी है।
- बिहार में लिंगानुपात 918 है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है।
- बिहार में **शहरीकरण का स्तर 11.3%** है।

जनसांख्यिकी संकेतक	बिहार की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (2011)
जनसंख्या	104 099 452
पुरुष जनसंख्या	54,278,157
महिला आबादी	49,821,295
लिंग अनुपात	918/1000
बाल लिंग अनुपात	935/1000
जनसंख्या का घनत्व	1106/ sq. km
शहरीकरण	11.3%
दशकीय वृद्धि	25.1%
जिलों की संख्या	38
सीडी ब्लॉक की संख्या	534
कस्बों की संख्या	199
गांवों की संख्या	39073
साक्षरता दर	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	71.2%
महिला साक्षरता दर	51.5%

23.1 बिहार की जनसांख्यिकी

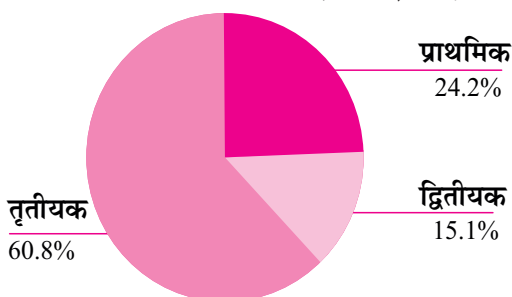
जनसंख्या के मामले में बिहार भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है।

जनसंख्या संकेतक	जिले का नाम	
	अधिकतम	न्यूनतम
उच्चतम जनसंख्या	पटना	शेखपुरा
साक्षरता दर	रोहतास	पूर्णिया
जनसंख्या घनत्व	शिवहर	कैमूर
लिंग अनुपात	गोपालगंज	मुंगेर
एससी आबादी	गया	शिवहर
एसटी आबादी	पश्चिमी चंपारण	शिवहर
शहरी आबादी	पटना	शिवहर
शहरीकरण	पटना	समस्तीपुर
ग्रामीण आबादी	पूर्वी चंपारण	शेखपुरा
प्रति व्यक्ति आय	पटना	शिवहर

23.2 राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) दोनों के लिए वर्तमान और स्थिर कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। कीमतों और मौजूदा कीमतों पर लगातार (2011-12) आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल राज्य मूल्यवर्धन (करोड़ रुपये में)।

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार।



बिहार के 2020-21 की अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रों की क्षेत्रवार संरचना

23.3 बिहार में कृषि

कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बिहार के विभाजन के बाद, बिहार पर्याप्त खनिज संसाधनों या बड़े औद्योगिक क्षेत्र से रहित था। इस प्रकार कृषि विकास का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में कृषि का आधार नदी के पानी और भूजल के संदर्भ में प्रचुर मात्रा में सिंचाई संसाधनों के साथ इसका समृद्ध जलोढ़ है। धान, गेहूं, मक्का बिहार की प्रमुख अनाज फसलें हैं। दलहन, तिलहन, फाइनर फसलें, गन्ना, फल, सब्जियां बिहार में उगाई जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें हैं। कृषि क्षेत्र राज्य की आबादी का लगभग 80% रोजगार देता है, जो 58% के राष्ट्रीय औसत से अधिक

है। भारत में, बिहार फलों का आठवां सबसे बड़ा उत्पादक और सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।

बिहार में कृषि धन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

- 76% आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है।
- बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर शुद्ध खेती क्षेत्र है और सकल कृषि क्षेत्र 79.46 लाख हेक्टेयर है।
- लगभग 33.51 लाख हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र और 43.86 लाख हेक्टेयर सकल क्षेत्र विभिन्न स्रोतों से सिंचाई प्राप्त करते हैं।
- बिहार ने 6,764.14 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को अधिसूचित किया है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.1 प्रतिशत है।
- मृदा, वर्षा, तापमान और भू-भाग के आधार पर बिहार में चार मुख्य कृषि-जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं:

- जोन-1- उत्तर जलोढ़ मैदान,
- जोन-2- उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान,
- जोन-3A- दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और
- जोन-3B- दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान।

बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पर्याप्त फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं।

- पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।
- कुल मिलाकर, इसी अवधि के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत थी।
- जीएसवीए में उप-क्षेत्रों का योगदान 2021-22 में फसल क्षेत्र (11.1 प्रतिशत), पशुधन (6.6 प्रतिशत) और मत्स्य पालन और जलीय कृषि (1.8 प्रतिशत) था।
- 2020-21 में, बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50.5 लाख हेक्टेयर था, जबकि फसल की तीव्रता 1.44 थी।
- 2021-22 तक कुल अनाज उत्पादन 181.0 लाख टन था।
- गन्ना विभाग के अनुमान के अनुसार, 2021-22 में कुल गन्ना उत्पादन 119.77 लाख टन था, जिसमें प्रति हेक्टेयर 49.70 टन की उपज थी।
- 2021-22 तक, लगभग 17,534 एकड़ भूमि प्रमाणीकरण के अधीन है।

- 2021-22 में सिंचाई विकास के लिए कुल व्यय 2670.49 करोड़ रुपये था।
- मार्च 2022 तक, जल संसाधन विभाग के तहत प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत लगभग 37.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है। कमला नदी पर 405.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बैराज का निर्माण प्रगति पर है, और मार्च 2023 तक पूरा होने वाला है।
- वर्तमान सीसीए (कृषि योग्य कमान क्षेत्र) 28384 हेक्टेयर है, और इस बैराज के पूरा होने के साथ, अतिरिक्त 1175 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाएगा जिससे 29,559 हेक्टेयर का अंतिम सीसीए होगा।

फसलों और सिंचाई के संदर्भ में कृषि क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है।

23.3.1 बिहार में फसलें

बिहार को मिट्टी की विशेषताओं, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर चार प्राथमिक कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चावल, धान, गेहूं, जूट, मक्का और तिलहन जैसे खाद्यान्न प्राथमिक फसलें हैं। राज्य फूलगोभी, गोभी, टमाटर, मूली, गाजर और बीट सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाता है। खेती की जाने वाली कुछ गैर-अनाज फसलों में गन्ना, आलू और जौ शामिल हैं। गोपालगंज और मधेपुरा में सबसे अधिक शुद्ध बुवाई क्षेत्र है। आधुनिक कृषि तकनीकों और अनुबंध खेती के तरीकों को किसानों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है।

बिहार में, तीन अलग-अलग फसल मौसम हैं: खरीफ, रबी और जायद

खरीफ फसलें:

- खरीफ का मौसम मई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और अक्टूबर के अंत में समाप्त होता है।
- इसे बढ़ई और अघानी फसल भी कहा जाता है।
- महत्वपूर्ण फसलों में **मक्का, धान और जूट** शामिल हैं।

रबी फसलें:

- रबी फसलों को अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में काटा जाता है।
- महत्वपूर्ण फसलों में **गेहूं, चना, रेपसीड और सरसों** शामिल हैं।

जायद फसलें:

- जायद मौसम का उपयोग मुख्य रूप से फलों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।
- इस मौसम की फसलों का उत्पादन रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच किया जाता है।
- महत्वपूर्ण फसलों में **खरबूजा, तरबूज, लौकी** आदि शामिल हैं।
- मुजफ्फरपुर की लीची पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
- बिहार अपने लीची और आम उत्पादन के लिए जाना जाता है।

बिहार राज्य में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलों में से कुछ हैं:

गेहूं:

- बागमती मैदान और गंगा दियारा गेहूं उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
- नमी को धारण करने की क्षमता के साथ रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त है।
- अधिकतम उत्पादकता क्षेत्र- जहानाबाद, पटना और गया।
- अधिकतम उत्पादन क्षेत्र - रोहतास, कैमूर और सिवान।
- गेहूं की खेती के तहत अधिकतम क्षेत्र- रोहतास, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद।

चावल:

- बिहार की प्राथमिक फसल चावल है।
- चावल की फसल दो प्रकार की होती है: औस (ग्रीष्मकालीन फसल) और अमन (शीतकालीन फसल)।
- अधिकतम उत्पादकता क्षेत्र- अरवल, रोहतास और शेखपुरा।
- अधिकतम उत्पादन क्षेत्र - रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण
 - चावल की खेती के तहत अधिकतम क्षेत्र- मधुबनी, औरंगाबाद और रोहतास।

जूट:

- बिहार में जूट उत्पादन देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है।
- इसके लिए बड़ी मात्रा में वर्षा के साथ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
- जूट उत्पादन के लिए प्रमुख जिला - किशनगंज और पूर्णिया

मक्का:

- मक्का उत्पादन के लिए, हल्की चिकनी मिट्टी, जैसे बाल सुंदरी मिट्टी आदर्श है।
- अधिकतम उत्पादकता क्षेत्र- कटिहार

- उत्पादन क्षेत्र- कटिहार, मधेपुरा और खगड़िया मक्का की खेती के तहत
- अधिकतम क्षेत्र- खगड़िया

दालें:

- राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें हैं: अरहर, चना, उड़द, मसूर, मूंग और खेसारी।
- अधिकतम उत्पादकता क्षेत्र- कैमूर।
- अधिकतम उत्पादन क्षेत्र- पटना, औरंगाबाद और नालंदा।
- दलहन की खेती के तहत अधिकतम क्षेत्र- पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर।

जैविक और टिकाऊ कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए, जैविक गलियारा योजना (2022-25) के तहत, जैविक खेती के लिए 20,000 एकड़ जमीन ली गई है, जहां किसानों को सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में इंसुलेटेड/रीफर वैन, स्मार्ट जैविक मंडी, स्ट्रीट वेंडिंग, मंडियों में एफपीओ को स्थान आवंटन में प्राथमिकता, जैविक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास आदि के रूप में अवसरचक्रात्मक सहायता प्रदान की जा रही है।

सब्जियों, फलों, फूलों और गन्ने के उत्पादन के लिए अग्रणी जिले

क्रम.	फसल	शीर्ष जिला
1	आलू	नालंदा, पटना, वैशाली
2	प्याज	नालंदा, कटिहार, मुजफ्फरपुर
3	फूलगोभी	वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा
4	आम	दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर
5	अमरूद	नालंदा, रोहतास, भोजपुर
6	लीची	मुजफ्फरपुर
7	केला	मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर
8	गुलाब	वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर
9	गेंदा	पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली
10	गन्ना	पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज

स्रोत: बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण

23.3.2 बिहार में कृषि का महत्व

बिहार राज्य में आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से कृषि का अत्यधिक महत्व है। बिहार में कृषि महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कई प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं:

- **आर्थिक आधार:** कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है। राज्य के अधिकांश कार्यबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह राज्य के सकल घरेलू

उत्पाद में योगदान देता है और लाखों लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

- **खाद्य सुरक्षा:** बिहार भारत में सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और कृषि इसकी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ राज्य की उपजाऊ भूमि, फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला की कृषि में सहायक है। मुख्य खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और दालों का उत्पादन लोगों की आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करता है।
- **ग्रामीण विकास:** बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि की जाती है और कृषि क्षेत्र का विकास समग्र ग्रामीण विकास में योगदान देता है। यह आय और रोजगार के अवसर पैदा करता है, निर्धनता कम करता है और ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करता है। यह शहरी-ग्रामीण अंतर को समाप्त करने और शहरों की ओर पलायन को कम करने में भी मदद करता है।
- **निर्यात क्षमता:** बिहार में कृषि निर्यात की महत्वपूर्ण क्षमता है। राज्य फलों, सब्जियों, तिलहन और मसालों सहित कई कृषि वस्तुओं का अधिशेष पैदा करता है। कृषि निर्यात बाजार का विस्तार न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि करता है और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवसर पैदा करता है।
- **सामाजिक आर्थिक प्रभाव:** कृषि आय असमानता को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे और सीमांत किसान बिहार में कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कृषि क्षेत्र को समर्थन और मजबूती देकर, राज्य इन किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत कर सकता है और संसाधनों, ऋण और प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच में सुधार कर सकता है।
- **जलवायु लचीलापन:** बिहार बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। कृषि क्षेत्र ऐसी जलवायु चुनौतियों के प्रति लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टिकाऊ कृषि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को लागू करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन तकनीकों में सुधार करना आवश्यक है।
- **रोजगार सृजन:** कृषि न केवल किसानों को बल्कि बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और कृषि-उद्योगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस क्षेत्र में संबद्ध गतिविधियों जैसे डेयरी फार्मिंग, कुक्कुट-पालन, मत्स्य पालन,

बागवानी और कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

इन कारकों के दृष्टिगत कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन में केंद्रीय स्थान रखती है। सरकार और विभिन्न हितधारक राज्य में कृषि उत्पादकता, आय और स्थिरता को बढ़ाने के लिए नीतियों और पहलों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

तथ्य:

- बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जिनका शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 70% से अधिक है। ये जिले बक्सर (86.8%), नालंदा (77.1%), मधेपुरा (74.4%), भोजपुर (72.4%), सीवान (73%), मुजफ्फरपुर (72%) और गोपालगंज (71.2%) जैसे बिहार के मूल्यवान कृषि क्षेत्र हैं।
- बिहार में दस जिले ऐसे हैं जिनका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से कम है। ये हैं पटना (49.9%), नवादा (47.2%), अररिया (44.7%), जहानाबाद (44.6%), कैमूर (42.6%), बांका (37.5%), गया (37.4%), लखीसराय (34.4%), मुंगेर (32.4%) और जमुई (27.4%) जिले।
- बिहार में 1950 में भूमि सुधार अधिनियम और 1961 में बिहार भूमि सुधार (सीलिंग का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम अस्तित्व में आया।
- राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) के संस्थागत बुनियादी ढांचे और कृषि विज्ञान केंद्र, पटना में आईसीएआर पूर्वी क्षेत्र परिसर, लीची, मखाना और पान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क द्वारा राज्य में कृषि विकास में वृद्धि की गयी है। छोटे किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) राज्य में कृषि विकास में सहायता करने वाली अन्य संस्थाएँ हैं।

23.3.3 कृषि में बिहार के समक्ष चुनौतियाँ

बिहार को कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियाँ उत्पादकता, स्थिरता और क्षेत्र के समग्र विकास को प्रभावित कर सकती हैं। कृषि के मामले में बिहार के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- **निर्वाह कृषि:** बिहार में छोटे और सीमांत किसानों की एक बड़ी संख्या है जो निर्वाह खेती करते हैं। संसाधनों तक सीमित पहुंच, आधुनिक तकनीक और ऋण, उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं।

यह उत्पादकता में कमी लाता है और व्यावसायिक खेती में संक्रमण को रोकता है।

- **भूमि विखंडन:** बिहार में भूमि विखंडन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें छोटी जोतें प्रचलित हैं। खंडित भूमि जोतें मशीनीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इस मुद्दे को हल करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी और भूमि सुधारों की आवश्यकता है।
- **सिंचाई अवसंरचना:** अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं बिहार में एक बड़ी चुनौती हैं। राज्य वर्षा पर अत्यधिक निर्भर करता है जो प्रायः अनियमित होती है, जिसके कारण प्रायः सूखा पड़ता है और फसल खराब होती है। पानी की कमी के मुद्दे के समाधान के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना और कुशल सिंचाई प्रणालियों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- **मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता:** बिहार को मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, अनुचित भूमि प्रबंधन प्रथाओं और मिट्टी के कटाव से मिट्टी के क्षरण में योगदान होता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने और दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और मृदा संरक्षण उपायों को लागू करना आवश्यक है।
- **फसल-पश्चात नुकसान:** अपर्याप्त भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण बिहार को फसल-पश्चात नुकसान का सामना करना पड़ता है। उचित भंडारण सुविधाओं, कोल्ड चेन और खराब बाजार लिंकेज की कमी के कारण कृषि उत्पादों की बर्बादी होती है। इन बुनियादी ढांचे के अंतर को दूर करने से फसल-पश्चात नुकसान को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- **बाजार पहुंच और मूल्य अस्थिरता:** बिहार में किसानों को प्रायः बाजारों तक पहुंच और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित बाजार जानकारी, संगठित विपणन चैनलों की कमी और बिचौलियों का प्रभुत्व किसानों की सौदेबाजी शक्ति को प्रभावित करता है। किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना और बाजारों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं:** बिहार बाढ़, सूखा और चरम मौसम की घटनाओं सहित जलवायु संबंधी जोखिमों से ग्रस्त है। इन घटनाओं से फसलों, बुनियादी

ढांचे और आजीविका को काफी नुकसान हो सकता है। जलवायु-लचीली कृषि प्रथाओं को लागू करना, आपदा प्रबंधन रणनीतियों में सुधार करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना इस क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच, क्षमता निर्माण पहल और अनुसंधान और विकास सहायता शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करके, बिहार अपने कृषि क्षेत्र की क्षमता को संवर्धित कर सकता है, किसानों की आजीविका में वृद्धि कर सकता है और सतत आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है।

23.3.4 बिहार सरकार की पहल

बिहार सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहलें लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना, आधुनिक तकनीक और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। कृषि के संदर्भ में बिहार सरकार की कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- **बिहार कृषि रोडमैप:** सरकार ने बिहार कृषि रोडमैप लॉन्च किया है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनाकर सतत कृषि विकास हासिल करना है।
- **छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजनाएं:** बिहार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। **बिहार किसान क्रेडिट कार्ड योजना** किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किराया ऋण प्रदान करती है। **मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोत्तरी प्रोत्साहन योजना** का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नकद प्रोत्साहन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का सर्वांगीण विकास है। इसके तीन घटक हैं - **उत्पादन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे और संपत्तियों का विकास और फ्लेक्सी फंड**।
- **जैविक खेती को बढ़ावा:** मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार जैविक खेती की विधियों को बढ़ावा देती है। **बिहार जैविक खेती नीति** का उद्देश्य जैविक खेती का रकबा बढ़ाना और जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना है। यह जैविक खेती के

तरीकों को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।

- **कृषि इनपुट सब्सिडी:** सरकार किसानों का समर्थन करने के लिए बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे कृषि इनपुट पर सब्सिडी प्रदान करती है। बिहार राज्य बीज सब्सिडी योजना और बिहार राज्य उर्वरक सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण आदानों को सुलभ और सस्ता बनाना है।
- **दियारा विकास योजना:** साल 2018-19 में बिहार सरकार दियारा विकास योजना लेकर आई। इस योजना के तहत कुल 1243.72 लाख रुपये की लागत से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। यह योजना राज्य के 30 जिलों में संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गॉर्डस समूह की सब्जी एवं मेलनर की संकर किस्मों के वितरण किये जाने का प्रावधान है।
- **कृषि अवसंरचना विकास:** बिहार सरकार ने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। बिहार कृषि सड़क परियोजना ग्रामीण संपर्क बढ़ाने, बाजारों तक पहुंच प्रदान करने और फसल-पश्चात बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। इसमें ग्रामीण सड़कों, बाजार यार्ड, भंडारण सुविधाओं और कोल्ड चेन का निर्माण शामिल है।
- **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ):** सरकार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और मजबूती को बढ़ावा देती है। एफपीओ किसानों को सामूहिक विपणन, ऋण प्राप्त करने, उन्नत तकनीकों को अपनाने और सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने में मदद करते हैं। बिहार कृषि विकास और सुधार पहल एफपीओ के गठन और क्षमता निर्माण में सहायता करती है।
- **कृषि-उद्यमिता विकास:** बिहार सरकार युवाओं को व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कृषि-व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देता है। बिहार स्टार्टअप नीति इनक्यूबेशन केंद्रों, फंडिंग और मेंटरशिप के माध्यम से कृषि-स्टार्टअप को भी सहायता प्रदान करती है।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहचानते हुए, सरकार जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। पहल में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के उपाय, जैविक खेती और जलवायु-लचीली फसल किस्मों को शामिल करना शामिल है। बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना,

कृषि में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उपशमन के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है।

ये पहले कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने और किसानों के जीवन में सुधार के लिए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य, सहायता, संसाधन प्रदान करके और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर, राज्य में कृषि उत्पादकता, आय और लचीलेपन को बढ़ाना है।

कई मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है: (i) बिहार मिलेट मिशन, (ii) बिहार दलहन और तिलहन विकास मिशन और (iii) फसल विविधीकरण मिशन। दलहन और तिलहन पर विशेष ध्यान देते हुए चौथा कृषि रोडमैप लागू किया जाएगा। राज्य के कृषि मंडी प्रांगणों के अधोसंरचना का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

23.4 बिहार में सिंचाई

बिहार में सिंचाई की बहुत अधिक क्षमता है। बिहार में उचित मात्रा में वर्षा होती है। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली और वर्षा का वितरण असमान है। बिहार में सिंचाई का 37% हिस्सा नहरों का है, जबकि नलकूपों और कुओं और तालाबों में से प्रत्येक का 30% हिस्सा है। दक्षिण बिहार क्षेत्र नहर सिंचित क्षेत्र का लगभग 3/4 भाग है।

बिहार के कई क्षेत्रों की सिंचाई के लिए निम्नलिखित नहरों का उपयोग किया जाता है:

कोसी नहर:

- हनुमान नगर जलाशय से दो नहरें निकाली गई।
- पूर्वी कोसी नहर- पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा को सिंचित करती है।
- पश्चिमी कोसी नहर - दरभंगा जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है।

सोन नहर:

- पूर्वी सोन नहर बरुण से निकाली गई - पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है।
- पश्चिमी सोन नहर तिहरी से निकाली गई है - आरा, बक्सर और रोहतास को सिंचित करती है।

कमला नहर:

- इसे दरभंगा में कमला नदी से निकाली जाती है।
- यह मुख्य रूप से मधुबनी जिले की सिंचाई करती है।

त्रिवेणी नहर:

- इसे त्रिवेणी में गंडक नदी से निकाली जाती है।
- यह पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है।

गंडक नहर:

- वाल्मीकि नगर बांध से दो नहरें निकाली गई।
- सारण नहर - सारण, गोपालगंज और सीवान की सिंचाई करती है।
- तिरहुत नहर - मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण की सिंचाई करती है।

बिहार समृद्ध रूप से वर्षा, स्वस्थ मृदा और सुगम उपलब्ध भूजल से संपन्न है, लेकिन राज्य अपनी कृषि क्षमता का दोहन करने में विफल रहा, जिसने राज्य के भीतर ग्रामीण निर्धनता, निम्न पोषण और श्रम प्रवासन में योगदान दिया। बिहार में कृषि, प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे के प्रति सुभेद्य है। उपयुक्त फसल प्रौद्योगिकी का उपयोग और सभी किसानों को फसल बीमा प्रदान करने से बिहार में कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।

- 70% से अधिक सिंचित भूमि वाले जिले अरवल, जमुई, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सीवान और गोपालगंज हैं।
- गया, पटना, बांका, कैमूर, मुंगेर, बेगूसराय, शिवहर और लखीसराय 50% से 70% के बीच सिंचित भूमि वाले जिले हैं।
- 50% से कम सिंचित भूमि वाले जिले अररिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, नवादा और खगड़िया हैं।

23.4.1 बिहार में सिंचाई से जुड़ी चुनौतियाँ

- बिहार में सिंचाई का 37% हिस्सा नहरों का है जबकि नलकूपों और कुओं व तालाबों में से प्रत्येक का 30% हिस्सा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए बजट अनुमान 5,047 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक में 4712 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- बिहार को सिंचाई से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कृषि उत्पादकता, जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करती हैं।

बिहार के समक्ष सिंचाई की कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

- **अपर्याप्त सिंचाई अवसंरचना:** बिहार में एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, लेकिन सिंचाई के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सीमित है। राज्य के कई हिस्से अभी भी कृषि जल की जरूरतों के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, जिससे मानसून पर निर्भरता और सूखे की चपेट में आ जाते हैं। नहरों, बांधों और नलकूपों सहित सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी, कृषि उद्देश्यों के लिए जल के कुशल और व्यापक वितरण को बाधित करती है।

- **जल संसाधनों का असमान वितरण:** बिहार के जल संसाधन पूरे राज्य में समान रूप से वितरित नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हैं, जबकि अन्य में पानी की कमी है। विशेष रूप से जल-तनाव वाले क्षेत्रों में यह असमान वितरण, सिंचाई के पानी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु चुनौतियों पेश करता है। सतत कृषि विकास के लिए जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से प्रबंधन और वितरण करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।
- **प्राचीन सिंचाई प्रणालियाँ:** बिहार की कई सिंचाई प्रणालियाँ, जैसे नहरें और तटबंध, पुरानी हैं और रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता है। ये पुरानी प्रणालियाँ रिसाव, गाद और पानी की बढ़ती माँगों को पूरा करने की अपर्याप्त क्षमता जैसे मुद्दों से प्रभावित हैं। कुशल जल वितरण सुनिश्चित करने और पानी के नुकसान को कम करने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण आवश्यक है।
- **भूजल की कमी:** सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन बिहार में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। नलकूपों और बोरवेलों के माध्यम से भूजल के व्यापक उपयोग से कई क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल का हास हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए जल-दक्ष सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ भूजल उपयोग का उचित प्रबंधन और विनियमन आवश्यक है।
- **बाढ़ और जल-भराव: बिहार में प्रायः** बाढ़ और जल-भराव की संभावना रहती है, विशेषतः मानसून के मौसम में। जबकि अतिरिक्त पानी हानिकारक हो सकता है, बाढ़ की घटनाओं के दौरान भूजल को रिचार्ज करने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पादकता पर बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उचित तटबंधों, जल निकासी प्रणालियों और बाढ़ के मैदान प्रबंधन सहित प्रभावी बाढ़ नियंत्रण उपायों को लागू करने में चुनौती निहित है।
- **किसान जागरूकता:** किसानों के बीच कुशल सिंचाई पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। हालाँकि, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और सटीक खेती जैसी जल-बचत तकनीकों के लाभों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इन प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करने से अकुशल सिंचाई विधियों की चुनौती का समाधान करने में मदद मिल सकती है।
- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन:** जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकारी विभागों, किसानों, जल उपयोगकर्ता संघों और स्थानीय समुदायों सहित कई हितधारकों के बीच

एकीकृत योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। बिहार में सिंचाई से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना आवश्यक है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक योजना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश, प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन रणनीतियों और किसान क्षमता निर्माण की पहल की आवश्यकता है। बिहार सरकार को प्रासंगिक हितधारकों के सहयोग से, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने, जल-कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देने और राज्य भर में सिंचाई के पानी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों को प्राथमिकता देने और लागू करने की आवश्यकता है।

23.4.2 बिहार सरकार की पहल

नदियों को आपस में जोड़ना

बिहार सरकार ने राज्य में कई नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की सिंचाई क्षमता में सुधार करना और बाढ़ व सूखे के प्रभाव को कम करना है।

बिहार में प्रस्तावित कुछ प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं में शामिल हैं:

- **कोसी-मेची लिंक परियोजना:** यह परियोजना कोसी और मेची नदियों को जोड़ेगी। यह परियोजना लगभग 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करेगी और लगभग 400 मेगावाट जलविद्युत शक्ति भी उत्पन्न करेगी।
- **बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा लिंक परियोजना:** उम्मीद है कि इस योजना से समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया की लगभग 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यह बूढ़ी गंडक द्वारा इन जिलों में बाढ़ के जोखिम को भी कम करेगा।
- **सकरी-नाटा नदी जोड़ो परियोजना:** केंद्रीय जल आयोग ने सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बक्सोती बैराज नहर के माध्यम से सकरी नदी का पानी नाटा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना से नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों की लगभग 68,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

राज्य में सिंचाई में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई कुछ विशिष्ट पहलें यहां दी गई हैं:

- **बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा सिंचाई योजना):** इस योजना का उद्देश्य बिहार में किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान करना है। यह योजना अत्यधिक सफल रही है और इसने राज्य के कई किसानों की सिंचाई क्षमता में सुधार करने में मदद की है।

- **मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई कुओं के निर्माण और मौजूदा सिंचाई कुओं की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना बहुत सफल रही है और इसने राज्य के कई किसानों की सिंचाई क्षमता में सुधार करने में मदद की है।
- **बिहार राज्य वाटरशेड विकास कार्यक्रम (BSWDP):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना है। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और इसने राज्य के कई हिस्सों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार करने में मदद की है।

ये उन विभिन्न पहलों में से कुछ हैं जो बिहार सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई में सुधार के लिए की गई हैं। इन पहलों ने राज्य की सिंचाई क्षमता में सुधार करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की है।

हर खेत में सिंचाई का पानी

- जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2022-23 में 156 योजनाओं को क्रियान्वित कर 45,194 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की है। वर्ष 2023-24 में 200.00 करोड़ ₹. का प्रावधान किया गया है।
- लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में आहर-पाइन्स की 56 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। 13 चेक डैम का काम शुरू हो चुका है और 9 पूरे हो चुके हैं। 54 उवाह सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 15 पूर्ण हो चुकी हैं। अब तक पुनर्बहाल किया गया कुल सिंचित क्षेत्र 18,602 हेक्टेयर है। वर्ष 2022-23 के लिए 186 आहर पाइन्स, 11 चौक डैम तथा 50 उवाह सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में ₹0 340.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

23.5 बिहार में उद्योग

2021-22 में, विनिर्माण क्षेत्र का बिहार की अर्थव्यवस्था में (मौजूदा मूल्यों पर) 15% योगदान करने का अनुमान है। बिहार राज्य में लागत प्रभावी औद्योगिक श्रम का एक बड़ा आधार है, जो इसे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। राज्य पूर्वी और उत्तरी भारत के विशाल बाजारों, कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाहों तक पहुंच और कच्चे माल के स्रोतों व पड़ोसी राज्यों के खनिज भंडार से इसकी निकटता के कारण एक अद्वितीय स्थान-विशिष्ट लाभ प्राप्त करता है।

बिहार के उद्योगों को विभाजित किया जा सकता है

क. कृषि आधारित उद्योग: प्रमुख कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, चाय शामिल हैं।

ख. गैर कृषि आधारित उद्योग: इसमें हथकरघा उद्योग, पावरलूम उद्योग, रेशम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, चमड़ा उद्योग, वन आधारित उद्योग, तेल रिफाइनरी आदि शामिल हैं।

क. बिहार के प्रमुख उद्योग:

उद्योग	स्थान
चीनी	मोतिहारी, बिहटा, गया, नरकटियागंज, गोपालगंज, हथवा, मोतीपुर, सारण, भोजपुर, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, डालमियानगर, मीरगंज
सूती वस्त्र	गया, फुलवारी शरीफ, डुमरांव, मोकामा, पटना, बरौनी, डालमियानगर
सीमेंट	बंजारी, डालमियानगर
कागज	समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी, डालमियानगर
प्लाईवुड	हाजीपुर
जूट	कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया
माचिस उद्योग	कटिहार
कंबल	गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मोतिहारी
हस्तशिल्प	मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया, पटना, मुंगेर
बर्तन	सीवान, बिहटा

ख. बिहार के प्रमुख औद्योगिक शहर

नगर	उद्योग	नगर	उद्योग
मोकामा	जूता, मालगाड़ी का डिब्बा	दीघा	चमड़ा
बिहटा	चीनी	पटना	पटाखा, साइकिल, सिंदूर
भागलपुर	रेशम, हस्तशिल्प	हथुआ	वनस्पति
कांटी	ऊष्मा विद्युत	नारायणपुर	दवा
रीगा	चीनी	बगहा	कागज
मेहसी	बटन	दरभंगा	कागज
लोहाट	चीनी	मुंगेर	बन्दूक, सिगरेट
बिहारशरीफ	तंबाकू	डुमरांव	सूती कपड़ा, लालटेन
समस्तीपुर	पेपर मिल, चीनी	कटिहार	जूट
जमालपुर	रेल इंजन की मरम्मत	गया	चीनी, लाख, चमड़ा, सूती वस्त्र
छपरा	रेल पहिया कारखाना	ओबरा	कालीन, ऊनी वस्त्र

उद्योग

- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बिहार ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सतत मूल्य (2011-12) पर 10.98% की तीसरी उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की।
- बिहार में शुद्ध घरेलू उत्पाद 32004 करोड़ रुपये है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा मात्र 1020 करोड़ रुपये है। इस प्रकार उद्योग, राज्य के घरेलू उत्पाद का केवल 3.2% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.1% है, जो बिहार को देश के सबसे कम औद्योगिक राज्यों में से एक बनाता है।
- 2018-19 और 2019-20 के बीच, बिहार में कारखानों की संख्या में केवल 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन कार्यशील पूंजी में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- शुद्ध मूल्य वर्धन में 2018-19 के स्तर की तुलना में 2019-20 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इसमें 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था, जिसकी रिकवरी दर 9.6 प्रतिशत थी। 2020-21 में 395 KLPD की तुलना में 2021-22 में इथेनॉल का उत्पादन करने की आसवनी क्षमता बढ़कर 470 किलो लीटर प्रति दिन (KLPD) हो गई।
- विद्युत् उत्पादन के मामले में 2021-22 में आठ चीनी मिलों ने मिलकर 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।
- दूध, घी, लस्सी, पनीर, दही और आइस्क्रीम के उत्पादन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को पिछले छह वर्षों में 60.86 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में बिहार में 398 इकाइयां कार्यरत हैं और इन कार्यरत इकाइयों में कुल 3.39 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले छह वर्षों के दौरान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत अनुदान के रूप में 532.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
- सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण (1395.65 करोड़ रुपये) में हुआ है, जो राज्य में कुल निवेश का 41 प्रतिशत है।
- 2020-21 में 71 परियोजनाओं की तुलना में 2021-22 में, राज्य विभिन्न आकारों की 97 परियोजनाओं को आकर्षित कर सका।

- 2021-22 में, 45 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए, जो 2020-21 में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या के दोगुने से भी अधिक थे।
- सूक्ष्म उद्यमों में निवेश की राशि में 135 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार में 107 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- बड़े उद्यमों की संख्या भी 2020-21 में 3 से बढ़कर 2021-22 में 11 हो गई। उन उद्यमों में निवेश की राशि में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- बड़े उद्यमों में रोजगार में 187 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए 4.01 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

23.5.1 बिहार में औद्योगिक विकास

बिहार ने हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य की कई विशिष्टताएं हैं जो इसे निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- कुशल और अकुशल श्रम का वृहद् पूल:** बिहार में एक बड़ी और वृद्धिशील आबादी है, जो संभावित श्रमिकों का एक वृहद् पूल प्रदान करती है। राज्य में शिल्प कौशल और विनिर्माण की भी एक सशक्त परंपरा है, जिसका अर्थ है कि कुशल श्रमिकों का एक पूल उपलब्ध है।
- प्रचुर प्राकृतिक संसाधन:** बिहार में कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर सहित कई प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों का उपयोग विनिर्माण, खनन और ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए किया जा सकता है।
- एक रणनीतिक स्थान:** बिहार भारत के केंद्र में स्थित है, जो इसे प्रमुख बाजारों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। राज्य कोलकाता और हल्दिया में बंदरगाहों के निकट भी है, जिससे माल निर्यात करना आसान हो जाता है।
- व्यापार-अनुकूल माहौल:** बिहार सरकार ने राज्य में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कई सुधार किए हैं। इन सुधारों में करों को कम करना, नियमों को सरल बनाना और छोटे व्यवसायों को अधिक सहायता प्रदान करना शामिल है।

इन कारकों के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में बिहार में औद्योगिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राज्य ने सैमसंग, एलजी और टाटा सहित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आकर्षित किया है। इस निवेश ने रोजगार सृजित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद की है।

बिहार में धार्मिक, विरासत, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जल और सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करने की क्षमता है। पर्यटन पर खर्च 2020-21 के 70.20 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में बढ़कर 146.90 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं।

बिहार अभी भी अपने औद्योगिक विकास में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** बिहार का बुनियादी ढाँचा भारत के कुछ अन्य राज्यों की तरह विकसित नहीं है। इससे राज्य में व्यवसायों को संचालित करना कठिन हो सकता है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** बिहार में अभी भी कुशल श्रमिकों की कमी है। इससे व्यवसायों के लिए उन श्रमिकों को ढूँढना मुश्किल हो सकता है जिनकी उन्हें कुशलता से संचालन करने की आवश्यकता होती है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है। इससे सरकार के लिए सुधारों को लागू करना और निवेश आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, बिहार में भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता है। राज्य में कई विशिष्टताएं हैं जो इसे निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं। यदि बिहार सरकार अपने समक्ष चुनौतियों का समाधान कर सकती है तो बिहार औद्योगिक विकास में अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकता है।

यहां कुछ विशिष्ट कदम हैं जो बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उठा सकती है:

- **बुनियादी ढाँचे में निवेश:** सरकार सड़कों, पुलों, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण में निवेश कर सकती है। यह बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति में सुधार के लिए भी निवेश कर सकता है। इससे व्यवसायों के लिए राज्य में काम करना और बिहार से/को सामान परिवहन सुगम हो जाएगा।
- **शिक्षा प्रणाली में सुधार:** सरकार शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करके और अधिक पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करके बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इससे निरक्षरता को कम करने और कार्यबल के कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **अपराध पर नकेल:** सरकार पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर, पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करके और पुलिस को बेहतर उपकरण प्रदान करके अपराध पर नकेल

कस सकती है। इससे बिहार व्यवसाय करने और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाएगा।

- **अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण का निर्माण:** सरकार करों को कम करके, विनियमों को सरल बनाकर और छोटे व्यवसायों को अधिक सहायता प्रदान करके अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बना सकती है। यह बिहार को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा और रोजगार सृजित करने में मदद करेगा।

यदि बिहार सरकार ये कदम उठाती है, तो यह राज्य में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

23.5.2 बिहार में औद्योगिक विकास की रैंकिंग

13 दिसंबर 2022 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने बताया कि राज्य के उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है।

- राज्य में औद्योगिक विकास की रैंकिंग के अनुसार सीवान (73.5 अंक) पहले स्थान पर तथा पटना (68 अंक) दूसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर जिलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया है। अंतिम पांच जिलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप, बैंकों और उद्यमियों से संवाद, एमएसएमई योजना, पीएमएफएमई-योजना, पीएमईजीपी योजना आदि के कार्यान्वयन में जिलों द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर जिलेवार रैंकिंग तैयार की गई है।

23.5.3 भारत के साथ बिहार के औद्योगिक विकास की तुलना

- भारत में समग्र औद्योगिक विकास की तुलना में बिहार में औद्योगिक विकास कुछ महत्वपूर्ण अंतर और विविधताओं को दर्शाता है। यहां बिहार और पूरे भारत में औद्योगिक विकास की तुलना की गई है:
- **औद्योगिक आधार:** भारत का एक विविध और सु-स्थापित औद्योगिक आधार है, जिसमें विनिर्माण, सेवा, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। देश ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों में

महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसमें कई बड़े पैमाने के औद्योगिक क्लस्टर और विनिर्माण केंद्र विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। दूसरी ओर, बिहार का औद्योगिक आधार अपेक्षाकृत सीमित है और कृषि, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और लघु-स्तरीय विनिर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है।

- **औद्योगिक योगदान:** भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात में योगदान करते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विपरीत, बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हैं।
- **औद्योगिक अवसंरचना:** भारत में औद्योगिक विकास को एक सुविकसित अवसंरचना नेटवर्क द्वारा सहायता प्रदान की गयी है, जिसमें परिवहन प्रणाली, बिजली आपूर्ति, औद्योगिक संपदा और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल हैं। उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है। हालाँकि, बिहार को सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और औद्योगिक पार्कों की उपलब्धता सहित अपर्याप्त औद्योगिक बुनियादी ढांचे के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी ढांचे की यह कमी राज्य में उद्योगों के विकास को बाधित करती है।
- **निवेश और नीतियाँ:** भारत ने उद्योगों में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए सुधार प्रस्तुत किए हैं। परिणामस्वरूप, कई राज्यों में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास हुआ है। जबकि बिहार सरकार ने भी औद्योगिक विकास को

बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, राज्य अभी भी अन्य औद्योगिक राज्यों की तुलना में पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- **रोजगार के अवसर:** भारत का औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जो देश भर में लाखों लोगों को अवसर प्रदान करता है। बड़े पैमाने के उद्योगों, छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और सेवा क्षेत्र की उपस्थिति रोजगार के व्यापक विकल्प सृजित करती है। बिहार में, हालाँकि, रोजगार सृजन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत सीमित है, मुख्य रूप से राज्य की कृषि-केंद्रित अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति के कारण।
- **विकास क्षमता:** भारत का औद्योगिक विकास बाजार के आकार, कुशल कार्यबल, तकनीकी प्रगति और नीतिगत समर्थन जैसे कारकों के संयोजन से संचालित हुआ है। देश में अपने औद्योगिक आधार का और विस्तार करने और उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की क्षमता है। बिहार के मामले में, जबकि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-आधारित उद्योग, कपड़ा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमता है, इसे इन अवसरों को विकसित करने और लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक पार्कों की स्थापना और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। हालाँकि, राज्य का औद्योगिक विकास अभी भी भारत के अन्य औद्योगिक राज्यों से पीछे है। बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन और नीतिगत सुधारों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने से बिहार में औद्योगिक विकास में तेजी लाने और भारत में समग्र औद्योगिक विकास के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है।



24.1 बिहार में सड़क परिवहन क्षेत्र

सड़क मार्ग लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन का सबसे आम साधन है। सड़क परिवहन राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। यह डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

24.1.1 बिहार में सड़क परिवहन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- 2019 के रिकॉर्ड के आधार पर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5358 किमी है।
- बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, जिसमें से 487 किमी बिहार में है।
- राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 4,006 किमी है।
- **राष्ट्रीय राजमार्ग 27:** यह NHAI के NS-EW कॉरिडोर का एक हिस्सा है और भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 44 के बाद) है।
- **पूर्व-पश्चिम गलियारा:** यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। यह बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरता है: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज।
- **स्वर्णिम चतुर्भुज:** यह बिहार में 4 जिलों से होकर गुजरता है - कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया।

प्रमुख सड़क पुल नीचे सूचीबद्ध हैं:

- भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु
- पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु।

बिहार के प्रमुख रेल-सड़क पुल नीचे सूचीबद्ध हैं:

- डेहरी-ए-कोह में सोन नदी पर नेहरू सेतु।
- मोकामा में गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु।
- पटना और सोनपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर गंगा रेल-सड़क पुल।
- कोईलवर और भोजपुर को जोड़ने वाली सोन नदी पर अब्दुल बारी पुल।

बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नीचे सूचीबद्ध हैं:

- NH-19 - छपरा से पटना
- NH-57 - मुजफ्फरपुर से पूर्णिया
- NH-82 - गया से मोकामा
- NH-85 - छपरा से गोपालगंज
- NH-98 - पटना से राजहरा

बिहार में प्रति लाख आबादी पर लगभग 200 किलोमीटर सड़कें हैं। जनसंख्या के विकास के लिए पर्याप्त और उचित सड़कों का होना अनिवार्य है। प्रति 100 वर्ग किमी में 210 किमी सड़कों के साथ सड़क घनत्व के मामले में, बिहार केरल और पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों से बहुत आगे है।

24.1.2 चुनौतियां

बिहार में सड़क परिवहन क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों में शामिल हैं:

- **सड़क की खराब स्थिति:** बिहार में कई सड़कें खराब स्थिति में हैं। इससे सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है।
- **यातायात संकुलन:** बिहार के कई शहरों में यातायात संकुलन एक बड़ी समस्या है। इससे सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल और विलम्ब कारी हो सकता है।
- **दुर्घटनाएं:** बिहार में सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। यह खराब सड़क स्थिति, यातायात संकुलन और चालक की लापरवाही सहित कई कारकों के कारण है।

24.1.3 समाधान

सड़क परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार कई कदम उठा रही है। इन चरणों में शामिल हैं:

- **सड़क की स्थिति में सुधार:** सरकार राज्य में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए निवेश कर रही है। इसमें क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण शामिल है।
- **यातायात संकुलन कम करना:** सरकार प्रमुख शहरों में यातायात संकुलन कम कर रही है। इसमें नई सड़कों और फ्लाईओवरों का निर्माण और सार्वजनिक परिवहन में सुधार शामिल है।

- **दुर्घटनाओं को रोकना:** सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही है। इसमें चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना और यातायात कानूनों को लागू करना शामिल है।

सड़क क्षेत्र: इस क्षेत्र में सड़क निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 17,487.78 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 के लिए, कुल राशि में सड़कों के रखरखाव (ओपीआरएमसी) के लिए 4,500.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

24.2 बिहार में रेलवे परिवहन

बिहार के अधिकांश शहरों में एक रेलवे जंक्शन है जो पूरे राज्य में रेल यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। बिहार में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860-1862 में अपना पहला रेलवे बनाया।

बिहार में तीन रेल लाइनें हैं:

- उत्तर-पूर्वी रेलवे - उत्तर बिहार:** पूर्वोत्तर रेलवे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई यात्री ट्रेनें चलाता है क्योंकि यह एक व्यापक क्षेत्र की सेवा करता है जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार सहित एक व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ है।
- पूर्व मध्य रेलवे - दक्षिण बिहार:** पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित है। इसमें पं.दीन दयाल उपाध्याय, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर और धनबाद के विभाग शामिल हैं। झारखंड राज्य के कोयला-क्षेत्र वाले धनबाद डिवीजन और बिहार के अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में कोयले की भारी मात्रा में लदान होने के कारण, ईसीआर इस मामले में विशिष्ट है कि माल लदान और यात्री परिवहन दोनों ही प्रमुख महत्व रखते हैं।
- नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे- नॉर्थ-ईस्ट बिहार:** यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ पूर्वी बिहार और उत्तरी पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को संचालित और विस्तारित करने का प्रभारी है।

24.3 बिहार में वायुमार्ग परिवहन

हवाई परिवहन राज्य के व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में, दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं:

- गया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा
 - जय प्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना
- UDAN योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डे (घरेलू) को जनता के लिए शुरू कर दिया गया।

24.4 बिहार में जलमार्ग

जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बिहार स्टीमर सेवा **भागलपुर में बरारी घाट** पर उपलब्ध है। बिहार **राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1** से गुजरता है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। बिहार में सात नदियाँ- गंगा, गंडक घाघरा, कोसी, कर्मनासा, सोन और पुनपुन- उन 111 धाराओं में से हैं जिन्हें भारत ने राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में नामित किया है। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय जलमार्ग - 37 (गंडक नदी) और - 58 (कोसी नदी) अधिकांशतः बिहार में हैं, गंडक जलमार्ग का केवल एक छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध है। नेविगेशन उद्देश्यों के लिए आरा नहर का भी उपयोग किया जाता है। भारत और नेपाल की सरकारों द्वारा हाल ही में एक संयुक्त घोषणा के अनुसार, कोसी और गंडक नदियों को **अंतरराष्ट्रीय भारत-नेपाल जलमार्ग** के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि नेपाल को समुद्र से जोड़ा जा सके।

एमवी गंगा विलास भारत में बना पहला क्रूज पोत है। यह सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। यह बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के छपरा, पटना, सिमरिया, भागलपुर में रुकती है।

संचार के अन्य साधन: बिहार ने समय के साथ टेलीघनत्व में पर्याप्त वृद्धि देखी है। 2020 तक, बिहार में टेलीडेंसिटी 53 थी। मार्च 2020 तक बिहार में 9084 डाकघर थे। बिहार में भारत के कुल डाकघरों का 5.8% है। संचार प्रौद्योगिकी में सूचना के क्षेत्र में उन्नति के लिए **बिहार ने 'डिजिटल इंडिया अवार्ड-2020' जीता है।**

24.5 बिहार के विकास में अधोसंरचना का महत्व

बिहार के विकास में अधोसंरचना की अहम भूमिका है। यह आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, जीवन स्तर में सुधार करता है और निवेश को आकर्षित करता है। बिहार के विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को उजागर करने वाले कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- **आर्थिक विकास:** उद्योगों, व्यवसायों और व्यापार के लिए एक ठोस आधार प्रदान करके बुनियादी ढांचा विकास सीधे आर्थिक विकास में योगदान देता है। परिवहन नेटवर्क, विद्युत् आपूर्ति और औद्योगिक सम्पदा सहित सु-विकसित बुनियादी ढांचा, निवेश आकर्षित करता है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, और औद्योगिक और कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है। यह माल परिवहन को सुगम बनाता है, लेनदेन की लागत को कम करता है और बाजार पहुंच बढ़ाता है।
- **कनेक्टिविटी:** सड़कों, रेलवे और हवाई संपर्क सहित कुशल परिवहन बुनियादी ढांचा, क्षेत्रों को जोड़ने, व्यापार को बढ़ावा देने और लोगों और माल परिवहन को सक्षम करने के लिए

आवश्यक है। बिहार में बेहतर कनेक्टिविटी शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने में मदद करती है, बाजारों और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाती है और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। यह किसानों को अपनी उपज को अधिक कुशलता से बाजारों तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाता है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है।

- **कृषि और ग्रामीण विकास:** बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, बुनियादी ढांचा विकास कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहरों, बांधों और जल प्रबंधन प्रणालियों सहित सिंचाई के बुनियादी ढांचे, कृषि उत्पादकता में सहायता करते हैं और मानसून पर निर्भरता कम करते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण और आधुनिक तकनीक तक पहुंच, जैसे कि कृषि मशीनरी और उपकरण, कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने, दक्षता बढ़ाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करता है और शिक्षण माहौल में वृद्धि करता है। इसी तरह, स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विकास स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है। सुलभ और सुसज्जित शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा, मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देता है और एक कुशल और स्वस्थ कार्यबल को बढ़ावा देता है।
- **शहरी विकास:** बिहार में शहरी क्षेत्रों में तीव्र शहरीकरण का समर्थन करने और शहरी विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है। सतत शहरी विकास के लिए सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति प्रणालियों, सीवेज उपचार संयंत्रों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है। यह शहरी आवासन में सुधार करता है, निवेश आकर्षित करता है और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है।
- **पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत:** बिहार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में समृद्ध है, जिसमें बोधगया, नालंदा और राजगीर जैसे स्थल शामिल हैं। होटल, परिवहन नेटवर्क और आगंतुक केंद्र जैसे पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करता है। सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की भी आवश्यकता होती है ताकि आगंतुकों के लिए उनकी स्थिरता और पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

- **आपदा प्रतिरोध:** बिहार बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण उपायों और आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे सहित आपदा प्रतिरोध को मजबूत करने वाले बुनियादी ढांचे में निवेश, आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और राज्य की शीघ्र पुनर्स्थापन क्षमता को बढ़ाता है।

कुल मिलाकर, राज्य की आर्थिक क्षमता का उपयोग करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। यह सतत विकास की नींव रखता है और राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है।

24.6 चुनौतियां

बिहार के सामने बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी को बाधित कर सकती हैं और राज्य के समग्र विकास को प्रभावित कर सकती हैं। बिहार में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- **परिवहन नेटवर्क:** बिहार का परिवहन नेटवर्क, विशेष रूप से सड़क बुनियादी ढांचा, कई चुनौतियों का सामना करता है। अपर्याप्त सड़क संपर्क, सड़क की निम्न स्थिति और सीमित संख्या में राजमार्ग माल और लोगों के सुचारू आवागमन में बाधक हैं। गुणवत्तापूर्ण परिवहन अवसंरचना तक सीमित पहुंच व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।
- **विद्युत् आपूर्ति:** बिहार बिजली की कमी और बिजली के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है। बार-बार बिजली की कटौती, ग्रामीण क्षेत्रों में कम विद्युतीकरण दर और अपर्याप्त पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचा, औद्योगिक उत्पादकता, कृषि संचालन और समग्र विकास को प्रभावित करता है। निरंतर आर्थिक विकास के लिए बिजली आपूर्ति की कमी को दूर करना और बिजली के बुनियादी ढांचे का उन्नयन महत्वपूर्ण है।
- **जल और स्वच्छता:** बिहार के कई हिस्सों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है। स्वच्छ जल स्रोतों तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त जल आपूर्ति अवसंरचना, और खराब स्वच्छता सुविधाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करना, सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र हैं।
- **शहरी बुनियादी ढांचा:** बिहार में तीव्र शहरीकरण, शहरी बुनियादी ढांचे के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता

है। शहरी क्षेत्र अपर्याप्त आवास, सीमित शहरी नियोजन, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और अपर्याप्त जल आपूर्ति व सीवेज बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों का सामना करते हैं। शहरीकरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को समायोजित करने वाले टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना महत्वपूर्ण है।

- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना:** बिहार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थानों तक सीमित पहुंच, सुसज्जित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की कमी मानव पूंजी और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में बाधा डालती है। इन अंतरालों को पाटने के लिए शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता है।
- **बाढ़ प्रबंधन:** बिहार में वार्षिक बाढ़ का खतरा रहता है जो मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों और राज्य की समतल स्थलाकृति के कारण होता है। बाढ़ से सड़कों, पुलों और इमारतों सहित बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है। बाढ़ से संबंधित जोखिमों को कम करने और जान-माल की सुरक्षा के लिए तटबंधों, बाढ़ नियंत्रण चैनलों और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों सहित सशक्त बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे का विकास करना महत्वपूर्ण है।
- **औद्योगिक अवसंरचना:** बिहार में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालाँकि, राज्य को औद्योगिक पार्कों, भंडारण सुविधाओं और विश्वसनीय कनेक्टिविटी सहित अपर्याप्त औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना और आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण हैं।

इन बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से पार पाने और बिहार में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, नीतिगत सुधारों और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों में निवेश आवश्यक है।

24.7 बिहार सरकार के पहल

बिहार सरकार ने बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। इन पहलों का उद्देश्य परिवहन नेटवर्क, बिजली

आपूर्ति, जल और स्वच्छता, शहरी बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करना है। बिहार सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे से संबंधित कुछ उल्लेखनीय पहलें यहां दी गई हैं:

- **बिहार स्टार्टअप नीति 2022:** बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य युवाओं में रोजगार उपलब्ध कराना और उद्यमशीलता का विकास करना है। महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये के स्थान पर 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.50 लाख रुपये की सीड फंडिंग मिलेगी। एससी, एसटी और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11.50 लाख रुपये की सीड फंडिंग मिलेगी।
- **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चमड़ा), 2022:** मई 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चमड़ा), 2022 को लागू किया गया। इस नीति के माध्यम से बिहार को वस्त्र और चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार वस्त्र और चमड़ा उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों को 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। सरकार इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की वेतन सहायता भी प्रदान करेगी।
- **सड़क अवसंरचना विकास:** बिहार सरकार ने सड़क संपर्क में सुधार और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। बिहार राज्य राजमार्ग विकास परियोजना राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर केंद्रित है। ग्रामीण इलाकों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने, ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** लागू की जा रही है।
- **प्लग एंड प्ले:** हाल ही में, बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'प्लग एंड प्ले' की पहल की है, जिसके तहत पांच जिलों में 'प्लग एंड प्ले' प्री-फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां उद्यमी संयंत्र लगाकर ही कारखाने शुरू करने में सक्षम हो सकेंगे।

राज्य सरकार वर्तमान में आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच उद्यमशीलता या स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईबीसी उद्यमी योजना लागू कर रही है।

- **विद्युत क्षेत्र में सुधार:** सरकार ने बिहार में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए पहल शुरू की है। कुशल बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) की स्थापना की गई है। हर घर बिजली योजना (सभी के लिए

विद्युतीकरण) का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करना है।

- **शहरी अवसंरचना विकास:** बिहार सरकार शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BUIDCO) की स्थापना शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना, विकास और कार्यान्वयन के लिए की गई है। पहलों में किफायती आवास का निर्माण, जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों में सुधार और स्मार्ट शहरों का विकास शामिल है।
- **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** सरकार बिहार में जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम कर रही है। हर घर नल का जल योजना जैसी पहल का उद्देश्य हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत मिशन) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त समुदायों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **औद्योगिक अवसंरचना विकास:** बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य में औद्योगिक अवसंरचना विकास को बढ़ावा देता है। यह औद्योगिक पार्कों, भूखंडों को विकसित करता है और निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जैसी पहल का उद्देश्य उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** सरकार बिहार में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) परियोजना का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे ई-गवर्नेंस सेवाओं की कुशल डिलीवरी संभव हो सके। कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) की पहल ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स की स्थापना को बढ़ावा देती है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा:** बिहार सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में काम कर रही है। पहल में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। बिहार कौशल विकास मिशन का उद्देश्य युवाओं के कौशल को बढ़ाना और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये पहलें बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश करके, सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, निवेश आकर्षित करना, आवश्यक सेवाएं प्रदान करना और बिहार के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

भागलपुर में अगुवानी-सुल्तानगंज पुल हादसा

पुल के बारे में:

3.1 किलोमीटर लंबा, अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा पुल एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1,710 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा था। यह पुल खगड़िया जिले के अगुवानी को भागलपुर के सुल्तानगंज से जोड़ेगा। उसी के लिए निर्माण 2014 में शुरू हुआ और 2023 में पूरा होने की उम्मीद थी।

बिहार में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ी है बल्कि राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मची है

बिहार में पुल गिरने का कारण अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन कई संभावित कारक हैं जो दुर्घटना में योगदान दे सकते हैं।

- **निम्न-गुणवत्ता सामग्री:** कुछ रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि पुल को घटिया सामग्री का उपयोग करके बनाया गया हो सकता है। इससे पुल अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो सकता था और गिरने की संभावना अधिक थी।
- **घटिया निर्माण:** हो सकता है कि पुल खराब तरीके से बनाया गया हो, डिजाइन या कार्य के निष्पादन में गलतियां की गई हों। इससे पुल के गिरने की संभावना भी अधिक हो सकती थी।
- **मौसम की स्थिति:** भारी बारिश के दौरान पुल ढह गया। यह संभव है कि बारिश ने पुल की नींव को कमजोर कर दिया हो या जमीन को और अस्थिर कर दिया हो, जिससे पुल ढह गया हो।
- **अन्य कारक:** यह भी संभव है कि मानवीय त्रुटि या प्राकृतिक आपदा जैसे अन्य कारकों ने पतन में योगदान दिया हो।
- उपरोक्त कारणों के अलावा, पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों ने पुल के निर्माण की गुणवत्ता और बिहार के अन्य पुलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुल ढहने के संबंध में बिहार सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

1. **ढहने के कारणों की जांच करना:** सरकार को ढहने के कारणों की पूरी जांच शुरू करनी चाहिए, जिसमें निर्माण सामग्री, कारीगरी की गुणवत्ता और ढहने के समय मौसम की स्थिति की जांच शामिल है।

2. **जिम्मेदारों को उत्तरदायी ठहराना:** अगर जांच में पता चलता है कि ढहने की वजह लापरवाही या भ्रष्टाचार है तो सरकार को जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायी ठहराना चाहिए। इसमें आपराधिक आरोप दायर करना, जुर्माना लगाना या लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है।

3. **भविष्य में पुल ढहने को रोकने के लिए कदम उठाना:** सरकार को भविष्य में पुल ढहने को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि मौजूदा पुलों को मजबूत करना, निरीक्षण प्रक्रियाओं में सुधार करना और निर्माण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण बढ़ाना।

4. **ढहने से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना:** सरकार को उन लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जो ढहने से घायल या विस्थापित हुए थे, जैसे कि चिकित्सा देखभाल, वित्तीय सहायता और अस्थायी आवास प्रदान करना।

बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पुल का ढहना एक गंभीर घटना है जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है। सरकार को ढहने के कारणों की जांच करने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायी बनाना चाहिए और भविष्य में ढहने को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार को निम्नलिखित पर भी विचार करना चाहिए:

- **पुलों के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा:** सरकार को पुलों के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अद्यतन हैं और वे नवीनतम निर्माण तकनीकों और सामग्रियों को ध्यान में रखते हैं।

- **पुल के रखरखाव के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना:** पुलों के रखरखाव के लिए सरकार को अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलों को अच्छी स्थिति में रखा जाए और किसी भी संभावित समस्या की पहचान की जाए और उसके ढहने से पहले उसका समाधान किया जाए।

- **जनता को पुल सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना:** सरकार को जनता को पुल सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जिसमें अधिकारियों को किसी भी संभावित समस्या को रिपोर्ट करने का महत्व शामिल है।



बिहार ने 7 निश्चय में उल्लिखित “हर घर विद्युत” प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र हेतु एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया है। यह विजन रोडमैप आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए एक कम कार्बन मार्ग से सहमत है। यह दृष्टिकोण अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, कृषि प्रयोजनों के लिए अलग फीडर, वितरण प्रणाली में समग्र दक्षता में सुधार करके और वितरण कंपनियों को मजबूत करके मांग-पक्ष प्रबंधन के साथ राज्य के स्वामित्व वाले बिजली उत्पादन संयंत्रों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित है। इसे एसडीजी अर्थात् “सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना” के विजन के साथ संगत किया गया है।

बिहार में ऊर्जा क्षमता:

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में, संपूर्ण बिहार में स्थापित विद्युत् क्षमता लगभग 7,323 मेगावाट थी। कई निर्माण ग्राही नई परियोजनाएँ हैं जो बिहार में कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता को लगभग 12000 मेगावाट से अधिक तक ले जाएंगी।

ऊर्जा विभाग, बिहार राज्य सरकार का एक विभाग है, जिसे विद्युत, शक्ति और ऊर्जा के संबंधित अधिनियमों और नियमों पर लागू शक्ति क्षेत्र की सभी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के कार्य सौंपा गया है, यह राज्य में संचालित सभी विद्युत् उपयोगिताओं और हितधारकों के बीच समन्वय और विद्युत, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देती है। विभाग राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा स्वीकृत और प्रायोजित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को भी कार्यान्वित करता है। इस विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित नाम से स्वतंत्र रूप से कार्यरत निकाय हैं:

1. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड: योजना गतिविधियों के तहत, बीएसपी (एच) सीएल विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण पर योजनाएँ तैयार करता है। राज्य सरकार अपने योजना आवंटन से योजना के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान करती है और भारत सरकार से केंद्रीय आवंटन/धन भी प्राप्त करती है। इसकी सहायक कंपनी हैं -

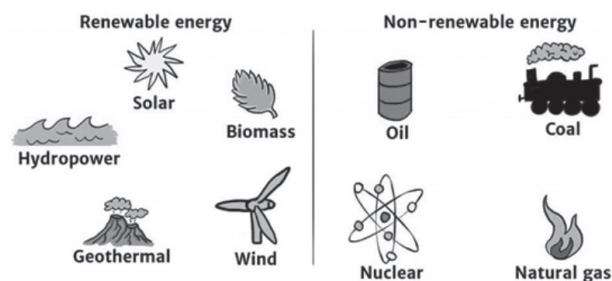
1. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
2. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3. बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
4. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

2. बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: बीएचपीसी की स्थापना राज्य में जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए की गई है। बीएचपीसी इस उद्देश्य के लिए एक सर्वेक्षण करता है और जलविद्युत् उत्पादन पर योजनाएँ तैयार करता है। राज्य सरकार अपने योजना आवंटन से धन प्रदान करती है और केंद्र सरकार एवं भारत सरकार के वित्तीय संस्थान से वित्तीयन की सुविधा भी प्राप्त होती है।

3. बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण: गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर योजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रेडा की स्थापना की गई है। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए इसे नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्य सरकार योजनाओं के लिए सब्सिडी पर व्यय के लिए और स्थापना पर व्यय के लिए भी ब्रेडा को योजना निधि प्रदान करता है।

4. विद्युत निरीक्षणालय: विद्युत निरीक्षणालय कार्यालय भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों के अवलोकन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

ऊर्जा की दो प्रमुख श्रेणियाँ हैं: नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय।



1. गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सीमित आपूर्ति में उपलब्ध हैं, आमतौर पर क्योंकि इनकी पुनः पूर्ति में काफी समय लगता है। इन गैर-नवीकरणीय संसाधनों का लाभ यह है कि इनका उपयोग करने वाले विद्युत् संयंत्र मांग पर अधिक विद्युत् का उत्पादन कर सकते हैं।

गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं:

- कोयला
 - नाभिकीय
 - तेल
 - प्राकृतिक गैस
2. **नवीकरणीय संसाधन स्वयं की पुनः पूर्ति करते हैं।**
प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं:
- सौर
 - हवा
 - जल/हाइड्रो पावर
 - बायोमास, या पौधों और जानवरों से जैविक सामग्री
 - भू-तापीय

25.1 नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **विद्युत् की उपलब्धता:** नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर विद्युत् उत्पादन है जो मानव द्वारा नियंत्रित नहीं है। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा से विद्युत् तभी उत्पन्न होती है जब धूप उपलब्ध होती है और रात में या बादल छाए होने पर बंद हो जाती है। पवन ऊर्जा भी हवा की उपलब्धता पर निर्भर करती है: यदि हवा की गति बहुत कम है, तो टर्बाइन मुड़ेगा नहीं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड में शून्य विद्युत् प्रवाह होगा। और बहुत अधिक हवा जनरेटर को नुकसान पहुँचा सकती है, और इसलिए ऊर्जा के सतत उत्पादन को बनाए रखने के लिए एक संवेदनशील संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में ऊर्जा उत्पादन में अनिश्चितता एकीकरण को और अधिक जटिल बना रही है।
- **विद्युत् गुणवत्ता के मुद्दे:** नेटवर्क की स्थिरता और उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लगातार उच्च शक्ति की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। विद्युत् आपूर्ति की गुणवत्ता प्रणाली को उच्च विश्वसनीयता और कम लागत के साथ अच्छी तरह से काम करने की अनुमति देती है। दूसरी ओर, खराब विद्युत् की गुणवत्ता का पावर ग्रिड और औद्योगिक प्रक्रियाओं पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे उच्च लागत और उपकरण विफलता हो सकती है। विद्युत् की गुणवत्ता की समस्याओं में आवृत्ति विकार, वोल्टेज/वर्तमान हार्मोनिक्स, कम विद्युत् कारक, वोल्टेज भिन्नता और ट्रांसमिशन लाइन ट्रांजिट शामिल हैं।
- **संसाधन स्थान:** ग्रिड के साथ अपनी ऊर्जा साझा करने वाले अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को बड़े स्थान की

आवश्यकता होती है। ज्यादातर मामलों में, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्थान के आधार पर तय किए जाते हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए अप्रिय हो सकते हैं। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ग्रिड के बीच की दूरी लागत और दक्षता का एक प्रमुख पहलू है।

अक्षय ऊर्जा स्रोत मौसम, जलवायु और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक प्रकार की ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है।

- **सूचना बाधा:** अक्षय ऊर्जा के लाभों और जरूरतों के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी है। अक्षय ऊर्जा को लागू करने के लिए निवेश और पूंजीगत भत्ते उपलब्ध कराए गए हैं।
- **लागत की समस्या:** नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में उच्च प्रारंभिक स्थापना लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। उत्पन्न ऊर्जा की भंडारण प्रणालियाँ महंगी हैं और मेगावाट उत्पादन के संबंध में एक वास्तविक चुनौती का प्रतिनिधित्व करती हैं।

25.2 बिहार में थर्मल पावर प्लांट

25.2.1 बरौनी थर्मल पावर स्टेशन

- बरौनी थर्मल स्टेशन यूगोस्लाविया और पोलैंड की तकनीकी मदद से स्थापित किया गया था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने परियोजना को वित्तपोषित करने में मदद की थी। बरौनी स्टेशन की आधारशिला 26 जनवरी, 1960 को बिहार के मुख्यमंत्री डॉ कृष्णा सिंह ने रखी थी।
- इस विद्युत् संयंत्र की वर्तमान स्थापित क्षमता 470 मेगावाट है और भविष्य में इस संयंत्र की कुल क्षमता 720 मेगावाट होगी, जिसमें 250 मेगावाट की परियोजनाएँ निर्माणाधीन होंगी।
- यूनिट III और II, एक यूगोस्लावियन कंपनी द्वारा टर्नकी आधार पर आपूर्ति की गईं, यह 1963 में प्रारंभ की गई थी, जबकि यूनिट I को 1966 के अंत तक चालू किया गया था। तीनों इकाइयाँ 15 मेगावाट की थीं। कुल पूंजी निवेश 6.7 करोड़ रुपये था।
- 50MW की दो और इकाइयाँ (यूनिट IV और V) क्रमशः 1969 और 1971 में प्रारंभ की गईं।
- यूनिट VI को 1983 में और यूनिट VII को 1985 में कमीशन किया गया था। लगभग 26 वर्षों के संचालन के बाद, दोनों इकाइयाँ R&M के तहत हैं और यूनिट VII की सीओडी जल्द ही होने की उम्मीद है।
- इस संयंत्र में 500 मेगावाट (2×250 मेगावाट) की नई क्षमता वृद्धि के लिए एक और योजना चल रही है। मार्च 2013 में, केंद्र सरकार को बरौनी थर्मल पावर प्लांट को कोयला लिंकेज प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था।



25.2.2 बक्सर थर्मल पावर प्लांट



- बक्सर थर्मल पावर प्लांट भारत के बिहार राज्य के बक्सर जिले के चौसा गांव में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। इसकी परिकल्पना वर्ष 2013 में की गई थी जब एसजेवीएन ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) और बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (बीपीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- यह 1320 मेगावाट की नियोजित क्षमता वाला एक आगामी विद्युत् संयंत्र है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को 7,490 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण की सविदा प्राप्त है।
- के लिए तीन इकाइयाँ शामिल हैं और चरण दो में 1,320MW की कुल क्षमता के लिए दो इकाइयाँ शामिल हैं।
- परियोजना के पहले चरण के संचालन के लिए आवश्यक कोयले की खरीद सेंट्रल कोल फील्ड्स से की जाएगी, जो भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनी है।
- बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट क्षमता वाली कुल पांच कोयला आधारित विद्युत् उत्पादन इकाइयाँ होंगी। चरण एक में यूनिट 1, 2 और 3 का निर्माण शामिल है, जबकि यूनिट 4 और 5 को चरण दो के तहत निर्मित किया गया था।

25.2.3 बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट

- बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) एक 3.3 गीगावाट सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित पावर स्टेशन है जिसे भारत सरकार के स्वामित्व वाले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा बाढ़, (बिहार) में विकसित किया जा रहा है।
- मेगा पावर प्रोजेक्ट को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें चरण एक में 1,980MW की कुल स्थापित क्षमता के लिए तीन इकाइयाँ शामिल हैं और चरण दो में 1,320MW की कुल क्षमता के लिए दो इकाइयाँ शामिल हैं।
- परियोजना के पहले चरण के संचालन के लिए आवश्यक कोयले की खरीद सेंट्रल कोल फील्ड्स से की जाएगी, जो भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनी है।
- बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट क्षमता वाली कुल पांच कोयला आधारित विद्युत् उत्पादन इकाइयाँ होंगी। चरण एक में यूनिट 1, 2 और 3 का निर्माण शामिल है, जबकि यूनिट 4 और 5 को चरण दो के तहत निर्मित किया गया था।

25.2.4 कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन

- कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले के कहलगांव शहर में स्थित है।
- यह थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी के नियंत्रण में कोयला आधारित विद्युत् संयंत्रों में से एक है।

- विद्युत् संयंत्र के लिए कोयला ईसीएल के राजमहल कोयला क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है।
- कहलगांव संयंत्र के लिए जल का स्रोत गंगा नदी है।
- कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट वर्ष 1992 में चालू किया गया था। इसकी 2340 मेगावाट की स्वीकृत क्षमता है, जिसमें चरण 1 के लिए 840 मेगावाट और चरण 2 के लिए 1500 मेगावाट शामिल है।
- इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता 2340 मेगावाट है। इस थर्मल प्लांट की स्थिति गतिशील है। विद्युत् के उत्पादन के लिए कोयले का स्रोत राजमहल कोल फील्ड्स से है।
- उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन कोयला है।

25.2.5 कांटी थर्मल पावर स्टेशन

- एनटीपीसी कांटी को जॉर्ज फर्नांडीस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। **कांटी**, मुजफ्फरपुर, बिहार में स्थित है।
- इस विद्युत् संयंत्र की वर्तमान स्थापित क्षमता 610 मेगावाट है।
- 110 मेगावाट की यूनिट 1 और 2, मूल रूप से 1985-86 में कमीशन की गई थी, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा पुनर्निर्मित की गई थी, जिन्होंने शुरू में इन दोनों इकाइयों को उपकरण की आपूर्ति की थी। यूनिट 3 और 4 प्रत्येक 195 मेगावाट की हैं।

25.2.6 नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

- नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के **औरंगाबाद जिले के नबीनगर तालुक के सिवानपुर गांव** में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। इसकी परिकल्पना 1989 में की गई थी।
- नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीजीसीएल) औरंगाबाद जिले में स्थित एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच 1980 मेगावाट (3 × 660 मेगावाट, स्टेज 1) की क्षमता और स्टेज 2 के लिए प्रस्तावित 3 × 800 मेगावाट का एक संयुक्त उद्यम है।
- 22.01.2010 को पूर्ववर्ती बीएसईबी के साथ 3 × 660 मेगावाट (चरण I) के लिए और 15.01.2011 को तत्कालीन बीएसईबी के साथ 2 × 660 मेगावाट (चरण II) के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- सोन नदी (इंद्रपुरी बैराज) से 11.08.2010 को सीडब्ल्यूसी द्वारा 125 क्यूसेक जल के लिए जल स्वीकृति प्राप्त की गई है।
- कोयले की आवश्यकता का विवरण: नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड, सीसीएल चरण-I-11.25 मिलियन टन/वर्ष और चरण-II-10.333 मिलियन टन/वर्ष से कोल लिंकेज

बिहार में आगामी तापीय परियोजनाएँ:

- जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा. लिमिटेड (2 × 640 मेगावाट), सिरिया, बांका जिला, बिहार
- नालंदा पावर (2000 मेगावाट), पिपरानैत दक्षिण, भागलपुर जिला, बिहार
- कांटी विद्युत् उत्पादन निगम (2 × 250 मेगावाट), चरण II - कांटी, मुजफ्फरपुर जिला, बिहार
- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2 × 250 मेगावाट), बरौनी, बेगूसराय जिला, बिहार
- पिरानपैती विद्युत् (2 × 660 मेगावाट), पिरानपैती, भागलपुर जिला, बिहार
- लखीसराय विद्युत् (2 × 660 मेगावाट), कजरा, लखीसराय जिला, बिहार
- बक्सर विद्युत् (1320 मेगावाट), चौसा, बक्सर जिला, बिहार
- एनटीपीसी (2 × 660 मेगावाट), बाढ़ एसटीपीएस, पटना जिला, बिहार

25.3 बिहार सरकार और ऊर्जा विकास

थर्मल उत्पादन के अलावा, बीएसपीजीसीएल सौर ऊर्जा के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भी लगी हुई है। यह राज्य को नवीकरणीय खरीद बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करने में सक्षम करेगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की गई हैं:

24×7 हाईब्रिड ग्रीन पावर: राज्य में जल-जीवन-हरियाली मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के कुछ शहरों का चयन करने और उन्हें विद्युत् के मामले में ग्रीन टाउन बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरे शब्दों में, उक्त शहरों को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत् पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से और चौबीसों घंटे होगी। इसके लिए राजगीर, बोधगया और पटना शहर के कुछ हिस्सों को चुना गया था। इन चिन्हित शहरों को 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता किया गया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, सौर ऊर्जा की आपूर्ति दिन के समय की जाएगी और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की अवधि के लिए, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पम्प स्टोरेज प्लांट से विद्युत् की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

25.4 बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा)

वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंता के साथ, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग मानव जाति के भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के व्यवहार्य समाधानों में से एक प्रतीत होता है। इस प्रकार, **अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए** राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) नामक एक एजेंसी बनाई है। राज्य सरकार ब्रेडा को योजनाओं के लिए सब्सिडी पर व्यय एवं अपनी स्थापनाओं पर व्यय के लिए भी धन उपलब्ध कराती है। ब्रेडा वर्तमान में निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है: ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट, ऑफ-ग्रिड हाइब्रिड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और सोलर स्ट्रीट लाइट। ये योजनाएँ अक्षय ऊर्जा मिश्रण की हिस्सेदारी बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पूरे बिहार में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगी और प्रसार करेंगी। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा।

ब्रेडा द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

25.4.1 सरकारी भवनों में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप (जीसीआरटी) सौर ऊर्जा संयंत्र

ब्रेडा द्वारा मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर अधिष्ठापन योजना एवं जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन विद्युत् संयंत्रों की क्षमता 500 KWp तक है। ये संयंत्र विभिन्न राज्य सरकार के कार्यालयों के विद्युत् बिलों को बचाएंगे और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देंगे। योजना के दायरे में आने वाले राज्य सरकार के भवनों में संवाद भवन, सीएम हाउस, पटना उच्च न्यायालय, बिहार संग्रहालय, बुद्ध स्मृति पार्क, तारामंडल, IGIMS, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, विभिन्न आईटीआई, पंचायत सरकार भवन, राजकीय उच्च विद्यालय आदि हैं। वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच कुल 2156 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 19.28 मेगावाट है कुल लागत 98.07 करोड़ रुपये थी।

25.4.2 निजी आवासीय भवनों में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

“मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर अधिष्ठापन योजना” के तहत 2019-20 में ब्रेडा द्वारा निजी आवासीय भवनों में भी ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गए हैं, कुल 113 सोलर पावर प्लांट निजी आवासीय भवनों में स्थापित किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 583 KWp विद्युत् की क्षमता है, इसके लिए 3.08 करोड़ रुपये की लागत आई।

25.4.3 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक उभरती हुई तकनीक है। इस तकनीक में भूमि की न्यूनतम आवश्यकता होती है और यह एक प्रमुख लाभ है। इसके अलावा, तैरने वाले सौर पैनलों की उपस्थिति के साथ, जल निकायों से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। सौर मॉड्यूल अपने परिवेश के तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, और इस तरह उनकी दक्षता में सुधार होता है। इन्हीं बातों को रखते हुए और बिहार में जमीन की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने **सुपौल और दरभंगा जिलों** में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की पहल की है। राजापोकर (सुपौल) में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए कुल क्षमता 525 किलोवाट है और लागत 3.00 करोड़ रुपये है। इसे चालू वित्त वर्ष में स्थापित किया गया है। नाका नंबर 1 (दरभंगा) में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की क्षमता 1600 किलोवाट है और इसे 2021-22 में 8.55 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया था।

25.4.4 सौर जल पंप

सौर जल पंप फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग है जो अनियमित ग्रिड आपूर्ति या डीजल मशीनों के कारण प्रदूषण की जगह सिंचाई पंपसेट चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर पम्प योजना के तहत 77.16 करोड़ की लागत से 2771 सौर जल पम्प स्थापित किये गये।

25.4.5 सोलर स्ट्रीट लाइट्स

सोलर स्ट्रीट लाइट्स बाहरी प्रकाश स्रोतों के लिए स्थापित की जाती हैं जो पीवी (फोटोवोल्टिक) पैनलों द्वारा संचालित होती हैं। ये पैनल पोल पर लगाये जाते हैं। पीवी पैनलों में एक रिचार्जबल बैटरी होती है, जो पूरी रात फ्लोरोसेंट या एलईडी लैंप को विद्युत् प्रदान करती है।

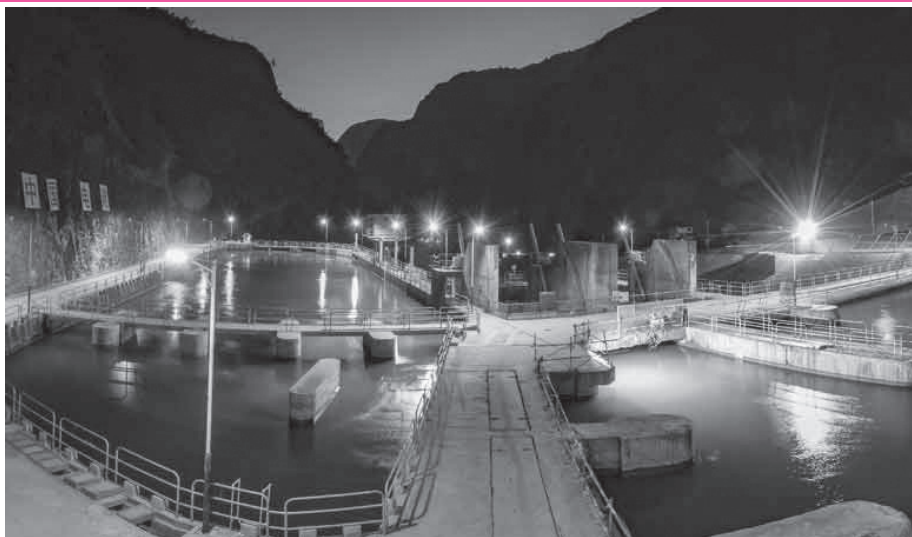
- ‘श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन’ के तहत, चार जिलों (गया, रोहतास, कैमूर और सहरसा) में विभिन्न स्थानों पर नियोजित 1825 प्रणालियों में से 1050 सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएसएलएस) स्थापित किए गए हैं। इसके लिए कुल व्यय रु. 1.66 करोड़ है।
- ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ (MGSSLY) के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा ब्रेडा के तकनीकी सहयोग से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जानी हैं, जिनकी कुल संख्या 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें हैं। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित है। वर्तमान में पायलट आधार पर पाँच पंचायतों में 880 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

सभी सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए सभी जिलों के मुख्यालय पर एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, सोलर स्ट्रीट लाइट के विभिन्न घटकों के निर्माताओं से बिहार में अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। बिहार में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं

25.4.6 जलविद्युत परियोजनाओं में खाली भूमि पर सौर संयंत्र

बीएसएचपीसी (बिहार राज्य जलविद्युत निगम) ने 10 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए विद्युत् घरों, खाली भूमि, विद्युत् चैनलों और टेलरेस चैनलों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

25.5 कोशी हाइडल पावर स्टेशन



- कोशी हाइडल पावर स्टेशन (KHPS) सुपौल जिले, बिहार, भारत में स्थित एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है।
- स्टेशन की स्थापित क्षमता 20 मेगावाट है और इसे वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। स्टेशन का स्वामित्व और संचालन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (BSEB) द्वारा किया जाता है।
- KHPS एक रन-ऑफ-द-रिवर पावर स्टेशन है, जिसका अर्थ है कि यह तभी विद्युत् पैदा करता है जब कोशी नदी में जल बह रहा हो।
- स्टेशन में दो उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 10 मेगावाट है। स्टेशन विद्युत् पैदा करने के लिए कापलान टर्बाइन का उपयोग करता है।
- केएचपीएस बिहार के लिए विद्युत् का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्टेशन राज्य की राजधानी पटना के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में विद्युत् की आपूर्ति करता है। स्टेशन जीवाश्म ईंधन पर राज्य की निर्भरता को कम करने में भी मदद करता है।
- केएचपीएस के अलावा, बिहार में कई अन्य जलविद्युत् स्टेशन स्थित हैं। इन स्टेशनों में शामिल हैं:
- डगमारा बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना:** यह सुपौल जिले में स्थित 130 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।

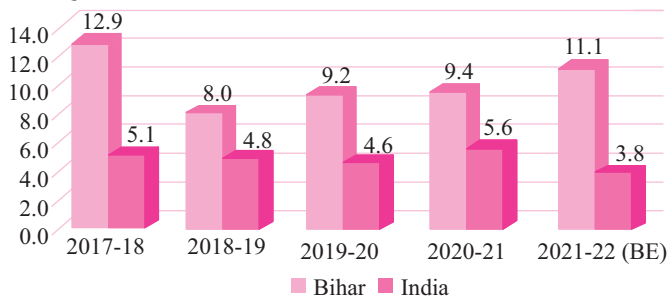
परियोजना निर्माणाधीन है और 2024 में पूरा होने की उम्मीद है।

- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत परियोजना:** यह सिंधुपालचौक जिले, नेपाल में स्थित 102 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। परियोजना निर्माणाधीन है और इसके 2025 में पूरा होने की उम्मीद है।
- ऊपरी भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजना:** यह सिंधुपालचौक जिले, नेपाल में स्थित 44 मेगावाट की जलविद्युत् परियोजना है। परियोजना वर्ष 2001 में पूरी हुई थी।

कजरा (लखीसराय) और पीरपैंती (भागलपुर) में सौर ऊर्जा परियोजना: लखीसराय जिले में कजरा और भागलपुर जिले में पीरपैंती को पहले ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था। बाद में, इन स्थानों पर थर्मल पावर प्लांट के स्थान पर 400-450 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के लिए कजरा में उपयुक्त भूमि की पहचान कर ली गई है। पीरपैंती में भी जमीन चिन्हित कर ली गई है और अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। मैसर्स गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जीईआरएमआई), अहमदाबाद को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

26.1 बिहार का ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास न केवल बिहार बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः ग्रामीण विकास का तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से ग्रामीण आबादी के उत्थान की योजना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की 89% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इसलिए राज्य के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास पर अपने कुल व्यय का औसतन 10.1% खर्च किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर 4.8% के हिस्से से दोगुना से अधिक है।



बिहार और भारत में ग्रामीण विकास व्यय का प्रतिशत

बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (बीआरएलपी) (जीविका), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि जैसे कार्यक्रम बिहार में ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं।

26.1.1 जीविका

बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसाइटी है। इस सोसायटी ने अपने कार्यों के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसने अर्थव्यवस्था और समाज और ग्रामीण बिहार के चेहरे को काफी बदल दिया है।

सितंबर 2022 तक, जीविका के तहत 10.35 लाख महिला SHG का गठन किया गया है, जिनमें से 2.4 लाख को क्रेडिट के लिए बैंकों से जोड़ा गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए जीविका जमीनी स्तर पर काम करती है और इसका प्रभाव उच्च आय सृजन

और ग्रामीण गरीबों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के संदर्भ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

वैकल्पिक बैंकिंग हस्तक्षेप में 4571 बैंक सखियों को व्यवहार परिवर्तन एजेंटों के रूप में चुना गया था, इसी तरह पशु सखी मॉडल और मत्स्य हस्तक्षेप ने कवरेज और उत्पादन दोनों के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

जीविका के तहत, दीदी की रसोई एक समुदाय संचालित कैटीन मॉडल है। यह अस्पतालों में रोगियों, बैंकों के अधिकारियों, स्कूली छात्रों आदि को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए एक सफल उद्यम मॉडल के रूप में उभरा है।

जीविका और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के अलावा, जीविका ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित लोगों को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों में भी शामिल है।

- (A) नवीकरणीय ऊर्जा: जीविका- नवीकरणीय ऊर्जा और समाधान प्राइवेट लिमिटेड (जे-वाईआरईएस) के लिए महिला पहल
- (B) हरित जीविका हरित बिहार अभियान
- (C) दीदी की नर्सरी का प्रचार
- (D) विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना

विवरण/संकेतक	सितंबर 2022 तक प्रगति
वैकल्पिक बैंकिंग	
बीसी एजेंटों के रूप में चयनित बैंक सखियों की संख्या	4571
लेन-देन की मात्रा (लाख रुपये)	788144
बीसी एजेंटों द्वारा अर्जित कमीशन (लाख रुपये)	1934.19
पशु सखी मॉडल	
पशु सखी की संख्या विकसित हुई	3094
प्रेरित बक्स द्वारा किये गये गर्भाधान की संख्या	93010
विकसित अजोला पिट की संख्या (हरा चारा सहित)	21032
निर्मित मचान/शेड की संख्या	20508
स्थापित फीडरों की संख्या	93898
किये गये बधियाकरण की संख्या	341376

उत्पादित दाना मिश्रान की कुल मात्रा (किलो में)	240441
प्रदान की गई कृमिनाशक खुराकों की संख्या	1381033
दी गई टीकाकरण खुराकों की संख्या	687576
मत्स्य हस्तक्षेप	
कवर किये गये जिले की संख्या	26
कवर किए गए ब्लॉकों की संख्या	138
आर्बिट्रिट तालाबों की संख्या	280
क्रियाशील तालाबों की संख्या	65
मधुमक्खी पालन हस्तक्षेप	
जिले	22
निर्माता समूह	299
हाउस हॉलड लिंकड	7693
संचयी उत्पादन (एमटी में)	2418.7
संचयी बिक्री प्राप्ति (₹ करोड़)	42.74
ग्रामीण बाजार हस्तक्षेप	
स्थापित ग्रामीण बाजारों की संख्या	125

किराना स्टोर्स तक पहुंच	7093
औसत प्रति ग्रामीण बाजार वार्षिक कारोबार (लाख)	50
औसत प्रति किराना स्टोर वार्षिक कारोबार (लाख)	6.3

स्रोत: जीविका, जीओबी

जीविका के तहत विभिन्न घटकों की भौतिक और वित्तीय प्रगति

26.1.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में **100 दिनों के मजदूरी रोजगार** की कानूनी गारंटी प्रदान करता है जो शारीरिक या अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

सूची	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जल संरक्षण एवं जल संचयन	6664 (6.1)	5511 (3.0)	5219 (1.1)	20951 (2.1)	36890 (2.9)
सूखा निवारण	7496 (6.9)	7700 (4.2)	4182 (0.9)	6007 (0.6)	6372 (0.5)
सूक्ष्म सिंचाई कार्य	9705 (8.9)	7778 (4.2)	7266 (1.6)	14416 (1.5)	21175 (1.6)
व्यक्तिगत भूमि पर कार्य करता है	21283 (19.5)	103971 (56.2)	403358 (87.0)	875084 (88.6)	1157153 (89.3)
पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	1838 (1.7)	1669 (0.9)	1594 (0.3)	1912 (0.2)	2482 (0.2)
भूमि विकास	16736 (15.3)	16169 (8.7)	15551 (3.4)	20309 (2.1)	16551 (1.3)
बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	1365 (1.3)	1287 (0.7)	1259 (0.3)	2110 (0.2)	4477 (0.4)
ग्रामीण कनेक्टिविटी	33021 (30.3)	31899 (17.2)	20202 (4.4)	36416 (3.7)	41202 (3.2)
कोई अन्य गतिविधि	1571 (1.4)	1434 (0.8)	655 (0.1)	1089 (0.1)	389 (neg.)
ग्रामीण बुनियादी ढांचा	—	25 (neg.)	240 (neg.)	4358 (0.4)	5914 (0.5)
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र	198 (0.18)	108 (0.06)	82 (neg.)	83 (neg.)	22 (neg.)
तटीय क्षेत्र	4 (neg.)	—	—	—	—
मछली पालन	11 (neg.)	5 (neg.)	7 (neg.)	4 (neg.)	3 (neg.)
खेल का मैदान	21 (neg.)	26 (neg.)	27 (neg.)	35 (neg.)	21 (neg.)
ग्रामीण पेयजल	28 (neg.)	76 (neg.)	159 (neg.)	9 (neg.)	5 (neg.)
ग्रामीण स्वच्छता	9232 (8.5)	7407 (4.0)	4037 (0.9)	4785 (0.5)	3682 (0.3)
कुल	109173 (100.0)	185052 (100.0)	463838 (100.0)	987568 (100.0)	1296338 (100.0)

मनरेगा के अंतर्गत श्रेणीवार पूर्ण कार्य (2017-18 से 2021-22)

सतत जीविकोपार्जन योजना

‘अल्ट्रा-पुअर ग्रेजुएशन’ कार्यक्रम के माध्यम से अति-गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आजीविका संवर्धन

राज्य सरकार ने 5 अगस्त, 2018 को औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत की। यह परियोजना मुख्य रूप से अति-गरीब परिवारों के लिए स्थायी आजीविका विकल्पों के विकास पर केंद्रित है, जो परंपरागत रूप से देशी शराब/ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यंत गरीब अन्य समुदाय हैं। यह आजीविका के विविधीकरण, क्षमता निर्माण और वित्त तक बेहतर पहुंच के माध्यम से करने की मांग की गई थी। इस योजना ने शुरू में ‘अल्ट्रा-पुअर ग्रेजुएशन एप्रोच’ के माध्यम से 1,00,000 अति-गरीब परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा था। राज्य सरकार ने बाद में ‘सतत जीविकोपार्जन योजना’ को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

अब तक कुल 1,47,277 घरों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। परियोजना विश्वास निर्माण और उद्यम विकास में समर्थित परिवारों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। इसके बाद आजीविका निवेश कोष की राशि 60,000 से 1 लाख रू. तक संपत्ति निर्माण के लिए 3-4 किशोरों में लक्षित परिवारों को प्रदान किया जाता है। जब तक उनके द्वारा चुनी गई वैकल्पिक आजीविका लाभ अर्जित करना शुरू नहीं कर देती, तब तक परिवारों की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक अनुमोदित

परिवार को उपभोग सहायता निधि के रूप में आजीविका अंतराल सहायता निधि भी प्रदान की जाती है।

आजीविका क्लस्टर दृष्टिकोण मौजूदा आजीविका विकल्पों के साथ आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ‘क्लस्टर आजीविका’ के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जीविका टीम अपने अनुभव का उपयोग समूह-आधारित आजीविका समूहों के विकास में सहायता करने और अत्यधिक गरीब परिवारों के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की पेशकश करने के लिए कर रही है। **बांस के उत्पाद, सिलाई, चूड़ी बनाने, डेयरी, सॉफ्ट टॉयज आदि के उत्पादन के आसपास आजीविका क्लस्टर विकसित किया गया है।** लगभग 766 अति गरीब परिवार अपनी आय में सुधार के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं।

26.1.3 इंदिरा आवास योजना/प्रधामंत्री आवास योजना-ग्रामीण

यह केंद्र सरकार की एक पहल है जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ योजना को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराना है। केंद्र और राज्य सरकारें मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक आवास इकाई के लिए अधिकतम 1.2 लाख की सहायता से 60:40 के अनुपात में इस योजना की लागत साझा करती हैं।

वर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वार्षिक भौतिक लक्ष्य (लाख)		5.4	NA	12.9	2.5	10.3
पूरे मकान (लाख)	PMAY-G	0.3	5.8	3.8	9.4	5.1
	IAY	2.8	1.3	0.6	1.1	1.1
	कुल	3.1	7.1	4.3	10.5	6.1
कुल व्यय (लाख रुपये)	PMAY-G	324304.1	560295.6	813045.4	981371.3	579448.5
	IAY	65208.9	26501.9	8237.6	4606.5	4249.2
	कुल	389512.9	586797.5	821282.9	985977.8	583697.7
एससी/एसटी का हिस्सा (प्रतिशत)	PMAY-G	40.4	20.6	4.9	2.4	21.2
	IAY	45.2	45.7	48.3	46.3	46.4
	कुल	41.2	21.8	5.4	2.6	21.4

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

IAY-PMAY-G योजना का प्रदर्शन (2017-18 से 2021-22)

26.1.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। यह योजना गरीब लोगों के बीच कुपोषण से निपटने के लिए बुनियादी खाद्यान्न वितरण की एक प्रणाली के रूप में विकसित की गई थी।

वर्तमान में पीडीएस के माध्यम से गेहूं, चावल, दाल का वितरण किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन योजना में सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

वर्ष	कुल आबंटन			कुल उत्तोलक			कुल उत्तोलक (%)
	गेहूँ	चावल	कुल	गेहूँ	चावल	कुल	
2017-18	2187.7	3281.6	5469.3	2135.2	3205.1	5340.3	97.6
2018-19	2088.1	3132.1	5220.2	2059.4	3104.3	5163.7	98.9
2019-20	2091.3	3141.3	5232.6	2089.8	3134.1	5223.9	99.8
2020-21	2165.8	3248.1	5413.9	2065.9	3106.6	5172.5	95.5
2021-22	2208.2	3266.7	5474.9	2159.4	3187.7	5347.1	97.7

26.1.5 पंचायती राज संस्थान

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की भावना को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे अधिनियमित किया गया है। संभावित भागीदारों में शामिल हैं- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जातियाँ और महिलाओं सहित समाज के हाशिए पर स्थित वर्ग। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 38 जिला परिषदें, 533 पंचायत समितियाँ, 8058 ग्राम पंचायतें तथा 8058 ग्राम कचहरी कार्यरत हैं।

बिहार में पंचायती राज संस्थानों का अवलोकन (2022-23)

वस्तु	संख्या	वस्तु	संख्या
जिला परिषद	38	ग्राम पंचायत सचिव (/1/जीपी)	8058
पंचायत समिति	533	न्याय मित्र (@1/GK)	8058
ग्राम पंचायत	8058	ग्रामकचहरी सचिव (@1/GK)	8058
ग्राम पंचायत सदस्य	109528	जिला पंचायत राज अधिकारी	38
पंचायत समिति सदस्य	11094	प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी	716
जिला परिषद सदस्य	1160	ग्राम कचहरी सदस्य	109528

स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

केंद्र सरकार द्वारा बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पुरस्कार

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2021 प्रदान किया है:

(A) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP (2021)

जिला परिषद नालंदा

पंचायत समिति: (1) अकोढीगोला (रोहतास), (2) गया सदर (गया) (3) इमामगंज (गया), (4) कुटुम्बा (जिला औरंगाबाद)।

ग्राम पंचायत (1) सबैत ग्राम पंचायत (नालंदा), (2) असरा ग्राम पंचायत (दरभंगा), (3) मोहनपुर ग्राम पंचायत (समस्तीपुर), (4) औरवन ग्राम पंचायत (गया)

(B) नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (2021) बगढ़ी ग्राम पंचायत (सीतामढ़ी)

(C) बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (2021)

कोसियावां ग्राम पंचायत (नालंदा)

(D) ग्राम पंचायत विकास योजना (2021)

सात निश्चय के दो घटक पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना हर पंचायत के लिए शुरू की गई है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

राज्य सरकार ने 'सात निश्चय-2' के तहत 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण के संचालन के लिए एक निर्दिष्ट अनुदान को मंजूरी प्रदान की है।

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु 7287.36 करोड़ रुपये के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान से 1511.45 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण के तहत चरणबद्ध तरीके से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करके राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024-25 के अंत तक ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य है। प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 12 जिलों की 36 ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक अनुभव के आधार पर 1650 ग्राम पंचायतों तक काम बढ़ाया गया।

26.1.6 बिहार में ग्रामीण विकास संबंधी समस्याएँ

बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 88.71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों में रहती है। इस दशक (2001-2011) के लिए दर्ज की गई ग्रामीण आबादी के लिए बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 24.25% थी। बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला लिंग अनुपात 921 था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिहार में औसत साक्षरता दर 59.78 प्रतिशत थी।

बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, और ग्रामीण विकास राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिहार में सतत ग्रामीण विकास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- **गरीबी:** बिहार में भारत में सबसे अधिक गरीबी दर है, जहाँ की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यह कम कृषि उत्पादकता, उच्च निरक्षरता दर और रोजगार के अवसरों की कमी सहित कई कारकों के कारण है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** बिहार में सड़क, विद्युत् और जल की आपूर्ति सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा खराब है। इससे लोगों का बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है।
- **सामाजिक बहिष्करण:** बिहार में दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समूहों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करता है।
- **पर्यावरण क्षरण:** बिहार वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण सहित कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है। ये समस्याएँ लोगों के लिए अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल बना रही हैं।

बिहार में स्थायी ग्रामीण विकास प्राप्त करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की आवश्यकता है। इसे सामाजिक बहिष्कार और पर्यावरणीय क्षरण को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। ठोस प्रयास से बिहार

इन चुनौतियों से पार पा सकता है और सतत ग्रामीण विकास हासिल कर सकता है।

बजट के प्रमुख बिंदु

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, ग्रामीण विकास व्यय ₹25,270 करोड़ अनुमानित है, जिसमें से ₹17,099 करोड़ राजस्व के लिए और ₹8,171 करोड़ पूंजी के लिए है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल ग्रामीण विकास व्यय में से, ₹15,193 करोड़ का अनुमान योजना परिव्यय या कुल ग्रामीण विकास व्यय का 60 प्रतिशत था।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ व्यक्ति दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 16 जनवरी 2023 तक कुल 19.68 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1.47 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है। पिछले 3 वर्षों में इस अभियान के तहत कुल 4.20 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 के बीच 37,35,491 घरों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 36.93 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और 17 जनवरी 2023 तक 33,74,311 घरों का निर्माण किया गया है।

26.1.7 पहल

ग्रामीण विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराना है।
- **सर्व शिक्षा अभियान:** इस योजना का उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है।

इन पहलों ने ग्रामीण बिहार में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। हालाँकि अभी भी बहुत कार्य किया जाना बाकी है। सतत विकास हासिल करने के लिए सरकार को ग्रामीण विकास में निवेश जारी रखने की जरूरत है।

स्वच्छ गाँव - समृद्ध गाँव

- सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट इस संकल्प के तहत, चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। वर्ष 2023-24 में ₹392.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इसके अंतर्गत गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2022-23 तक लक्षित 4250 ग्राम पंचायतों के 57028 वार्डों के लक्ष्य के साथ 2428 पंचायतों के 32145 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास राज्य के पशु एवं मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2023-24 में ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

26.2 बिहार का शहरी विकास

शहरी क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी केंद्र एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बुनियादी प्रेरक हैं। यह बिहार जैसे विकासशील राज्यों में तेजी से शहरीकरण के लिए अधिक से अधिक केंद्रित प्रयास की मांग करता है। राज्य सरकार शहरी विकास के लिए कई कार्यक्रमों को लागू करके इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश कर रही है, जिनमें से कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से हैं। राज्य सरकार भी हाल के वर्षों में शहरी विकास के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर रही है।

वर्ष 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 20.2 मिलियन है जो बिहार में शहरीकरण दर को 11.3 से बढ़ाकर 16.2% कर देगी। पिछले 15 वर्षों के दौरान बिहार में समग्र अर्थव्यवस्था विशेष

रूप से इसकी शहरी अर्थव्यवस्था उच्च दर से बढ़ी है। शहरी विकास पर राज्य सरकार का खर्च 2016-17 में 2823.9 करोड़ रुपये था, जो पाँच वर्ष में 77.1% बढ़कर 2020-21 में 5001.3 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। सात संकल्पों में से तीन वास्तव में शहरी विकास से संबंधित हैं।

26.2.1 शहरीकरण का स्तर

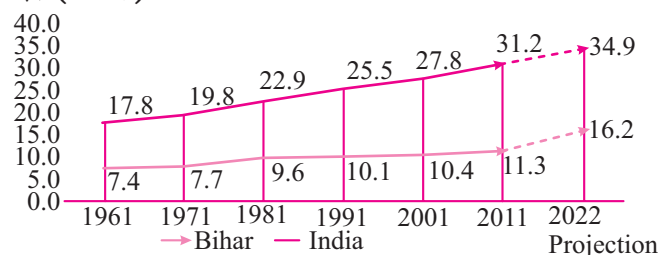
वर्ष 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 20.2 मिलियन है। 2022 के लिए बिहार में शहरीकरण का अनुमानित स्तर 16.2% है। नीचे दी गई तालिका में बिहार और भारत में शहरीकरण के रुझान दिखाए गए हैं:

बिहार और भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति (1961 से 2022)

वर्ष	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2022 (प्रक्षेपण)
शहरी जनसंख्या (मिलियन)							
बिहार	2.6	3.2	5.0	6.5	8.7	11.8	20.2
भारत	79.0	109.1	159.5	217.2	286.1	377.1	480.9
शहरीकरण का स्तर (%)							
बिहार	7.4	7.7	9.6	10.1	10.4	11.3	16.2
भारत	17.8	19.8	22.9	25.5	27.8	31.2	34.9

स्रोत: जनगणना 1961 से 2011

1961 से 2022 तक भारत और बिहार की शहरीकरण दर (% में)



बिहार में शहरों की संख्या और जनसंख्या का हिस्सा

Size Class	Number of Towns		Population (million)	
	2001	2011	2001	2011
Class I (1,00,000)	19 (14.6)	26 (13.1)	4.85 (55.9)	6.75 (57.5)
Class II (50,000-99,999)	19 (14.6)	29 (14.6)	1.37 (15.8)	1.88 (15.6)
Class III (20,000-49,999)	67 (51.5)	75 (37.7)	2.1 (24.2)	2.49 (21.6)
Class IV (10,000-19,999)	19 (14.6)	22 (11.1)	0.31 (3.6)	0.33 (2.8)
Class V (5,000-9,999)	6 (4.6)	38 (19.1)	0.04 (0.5)	0.26 (2.2)
Class VI (Less than 5,000)	—	9 (4.5)	—	0.03 (0.3)
कुल	130 (100.0)	199 (100.0)	8.68 (100.0)	11.76 (100.0)

स्रोत: जनगणना 2001 और 2011

ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े प्रतिशत शेयर दर्शाते हैं

26.2.2 शहरी स्थानीय निकायों का पुनर्गठन

हाल ही में, नौ नई नगर परिषदों के साथ 111 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इसके अलावा, 39 पुरानी नगर पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है जबकि सात पुराने नगर पदों को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। इस विकास के कारण लगभग 40.40 लाख की आबादी बढ़ने का अनुमान है।

नई 120 नगर पंचायतों और परिषदों की स्थापना (2022)

जिला	नगर पंचायत : जोकीहाट, रानीगंज, नरपतगंज
अररिया	नगर पंचायत: जोकीहाट, रानीगंज, नरपतगंज
अरवल	नगर पंचायत: कुर्था
औरंगाबाद	नगर पंचायत: देव, बारुण
बांका	नगर पंचायत: कटोरिया, बौंसी
बेगूसराय	नगर परिषद: बरौनी
भागलपुर	नगर पंचायत: पीरपैती, हबीबपुर, सबौरा, अकबरनगर
भोजपुर	नगर पंचायत: ग्रहणी
बक्सर	नगर पंचायत: चौसा, ब्रह्मपुर, इटाडीह
दरभंगा	नगर पंचायत: कुशेश्वरस्थान, बहरी, हायाघाट, घनश्यामपुर, बिरौल, भरवाड़ा, सिंहवाड़ा, कमतौल नगर परिषद: जाले
गया	नगर पंचायत: डोभी, इमामगंज, खिजरसराय, फतेहपुर, वजीरगंज
गोपालगंज	नगर पंचायत : हथुआ
जमुई	नगर पंचायत : सिकंदरा
जहानाबाद	नगर पंचायत : काको, घोषी
कैमूर	नगर पंचायत : हाता, कुदरा, रामगढ़
कटिहार	नगर पंचायत, बलरामपुर, अमदाबाद, कुरसैल, कोढ़ा, बरारी
खगड़िया	नगर पंचायत: अलौली, मानसी, परबत्ता, बेलदौर
किशनगंज	नगर पंचायत: पौआखाली
लखीसराय	नगर परिषद: सूर्यगढ़
मधेपुरा	नगर पंचायत : बिहारीगंज, सिंहेश्वर, आलमनगर नगर परिषद: उदाकिशुनगंज
मधुबनी	नगर पंचायत: फुलपरास, बेनीपट्टी
मुंगेर	नगर पंचायत: तारापुर, असरगंज, संग्रामपुर
मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत बरुराज, मीनापुर, सरैया, माधोपुर सुस्ता, सकरा, तुर्की-कुढ़नी, मुरौल
नालन्दा	नगर पंचायत: गिरियक, चंडी, हरनौत, अस्थावा, परवलपुर, सरमेरा, रहुई, एकंगरसराय, पावापुरी, नालन्दा

नवादा	नगर पंचायत : रजौली
पटना	नगर पंचायत: पुनपुन, पालीगंज नगर परिषद: संपतचक, बिहटा
पूर्णिया	नगर पंचायत रूपौली, भवानीपुर, धमदाहा, जानकीनगर, चंपानगर, बायसी, मीरगंज, अमौर
रोहतास	नगर पंचायत: काराकाट, दिनारा, चेनारी, रोहतास
सहरसा	नगर पंचायत: नवहट्टा, सोनवर्षा, बनगांव, सौरबाजार
समस्तीपुर	नगर पंचायत : सरायरंजन, मुसरी घरारी, सिंधिया नगर परिषद: ताजपुर, शाहपुर पटोरी
सारण	नगर पंचायत: मांझी, मशरख, कोपा
शेखपुरा	नगर पंचायत: चेवाड़ा, शेखोपुरसराय
सिवान	नगर पंचायत: गोपालपुर, हसनपुर, आंद्रा, गुठनी, बसंतपुर, बड़हरिया
सुपौल	नगर पंचायत: पिपरा, सिमराही नगर परिषद: त्रिवेणीगंज
वैशाली	नगर पंचायत: गोरौली, पातेपुर, जंदाहा
पश्चिमी चंपारण	नगर पंचायत: मच्छरगावां, लौरिया

स्रोत: शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

बिहार की कुल जनसंख्या में से 11.29% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001-2011 की अवधि के दौरान बिहार की शहरी आबादी में 35.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं थीं। शहरी क्षेत्रों के लिए बिहार में औसत साक्षरता दर 76.86 प्रतिशत थी।

26.2.3 चुनौतियाँ

बिहार में शहरी विकास कई चुनौतियों का सामना करता है जो शहरी क्षेत्रों के सतत विकास और कल्याण में बाधक हैं। ये चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और इनके समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार में शहरी विकास की कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** बिहार में कई शहरी क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से ग्रस्त हैं, जिनमें सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएँ शामिल हैं। खराब निर्मित सड़कें, उचित तूफान प्रेरित जल प्रबंधन की कमी, स्वच्छ जल तक सीमित पहुँच और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ रहने की स्थिति को बिगड़ने और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने में योगदान करती हैं।
- **अनियोजित शहरीकरण:** बिहार में तेजी से शहरीकरण के कारण शहरों और कस्बों का अनियोजित विकास हुआ है।

उचित शहरी नियोजन का अभाव, अपर्याप्त भूमि उपयोग नियम और अतिक्रमण अव्यवस्थित विकास में योगदान करते हैं। अनियोजित शहरीकरण के परिणामस्वरूप मलिन बस्तियों का प्रसार, भीड़भाड़ और बुनियादी सेवाओं का अपर्याप्त प्रावधान होता है।

- **आवास की कमी और अनौपचारिक बस्तियाँ:** बिहार को विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। प्रवासियों का तेजी से आगमन और आवास विकल्पों की सीमित उपलब्धता अनौपचारिक बस्तियों और मलिन बस्तियों के विकास की ओर ले जाती है। इन बस्तियों में उचित बुनियादी ढाँचे, बुनियादी सेवाओं और कार्यकाल की सुरक्षा का अभाव है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं और बढ़ जाती हैं।
- **यातायात संकुलन और परिवहन मुद्दे:** बिहार में कई शहरी क्षेत्र यातायात की भीड़ और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से पीड़ित हैं। अपर्याप्त सड़क क्षमता, उचित यातायात प्रबंधन की कमी, और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना संकुलन और यातायात संबंधी समस्याओं में योगदान करती है। अपर्याप्त पार्किंग सुविधाएं और गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना परिवहन चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बिहार के शहरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अपर्याप्त अपशिष्ट संग्रह प्रणाली, अपर्याप्त अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं एवं उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में सीमित जागरूकता से अनुचित अपशिष्ट निपटान, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं।
- **सीमित रोजगार के अवसर:** बिहार में शहरी क्षेत्र पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी दर और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। विविध उद्योगों की कमी और अपर्याप्त कौशल विकास कार्यक्रम सीमित नौकरी की संभावनाओं में योगदान करते हैं। यह स्थिति रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों या अन्य राज्यों में प्रवास की ओर ले जाती है।
- **अपर्याप्त बुनियादी सेवाएं:** शहरी क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित पेयजल तक पहुँच जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल स्रोतों की सीमित उपलब्धता शहरी निवासियों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
- **शासन और संस्थागत क्षमता:** बिहार में शहरी शासन और संस्थागत क्षमता की प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता

है। प्रभावी शहरी नियोजन और विकास के लिए कुशल शहरी शासन संरचना, पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शहरी नियोजन, बुनियादी ढाँचा विकास, किफायती आवास कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियाँ, कौशल विकास पहल, और बेहतर शासन तंत्र शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करके बिहार स्थायी शहरी विकास को बढ़ावा दे सकता है, रहने की स्थिति में सुधार कर सकता है और अपने निवासियों के लिए जीवंत और रहने योग्य शहरों और कस्बों का निर्माण कर सकता है।

बिहार के सभी शहरों में उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जानी है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदेश की 261 में से 161 नगर निकायों में क्लस्टर आधारित इकाई एवं 100 में स्टैंडअलोन आधारित इकाई के आधार पर परियोजना क्रियान्वित की जानी है। 35 नगर निकायों में 51 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं हैं और 87 नगर निकायों में 181 अपशिष्ट से खाद केंद्र हैं। तरल कचरा प्रबंधन के तहत एक लाख से कम आबादी वाले 231 नगर निकायों में नगर स्वच्छता कार्य योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में ₹ 124.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

26.2.4 शहरी विकास योजनाएँ

राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने का प्रयास कर रही है और इस दिशा में अब कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना 2- शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नालियाँ मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना बिहार सरकार की अन्य योजनाएँ हैं।

निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित हैं

नमामि गंगे कार्यक्रम: यह जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ केंद्र सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत एक एकीकृत संरक्षण मिशन है।

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवरफ्रंट विकास केंद्र सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण शहरी विकास योजनाएँ हैं।

गंगा जल आपूर्ति योजना

राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा 27 नवंबर, 2022 को नालंदा जिले में 'बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना' नामक एक अनूठी योजना शुरू की गई थी। इससे दक्षिण बिहार के कुछ शहरों को गंगा नदी का अधिशेष जल उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत हाथीदह (मोकामा) में इनटेक वेल-कम-पंप हाउस बनाकर गंगा नदी के अतिरिक्त पानी की पाइप के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। राजगीर, नवादा, गया और बोधगया शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का तकनीकी विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

19.40 क्यूमेक्स (दर की एक इकाई के रूप में एक क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड) के निर्वहन के लिए डायफ्राम वॉल टेक्नोलॉजी के साथ मरांची में इंटेक वेल, पंप हाउस और एप्रोच चैनल का निर्माण।

राजगीर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता

(1) 24 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन)।

उपचार संयंत्र

(2) गया में 186.5 एमएलडी

राजगीर में 78500 क्यूमेक्स की भण्डारण क्षमता हेतु डिस्टेंशन टैंक एवं पम्प हाउस का निर्माण

तीन जलाशयों की क्षमता

(1) 9.915 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) राजगीर में (नालंदा में घोरकटोरा झील और पंचने नदी के बीच)

(2) तेतर में 18.633 एमसीएम (गया के मोहरा प्रखंड की तेतर पंचायत में पहाड़ियों के पास)

(3) गया में 0.938 एमसीएम (मानपुर, गया की अबगिला पहाड़ियाँ)

पाइपलाइन की लंबाई (कुल 151 कि.मी.)

(1) 2.4 मीटर व्यास, पाइप- 91 किलोमीटर।

(2) 2.1 मी. व्यास, पाइप-27 कि.मी.

(3) 1.6 मीटर व्यास, पाइप-33 कि.मी.

इस योजना के लागू होने से राजगीर शहर की करीब 1.12 लाख, नवादा शहर की करीब 1.21 लाख और गया व बोधगया शहर की करीब 6.32 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

26.3 बिहार में मानव विकास

मानव विकास अवसरों तक समान पहुँच के माध्यम से व्यक्तियों के अच्छे समग्र विकास को दर्शाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे घटक शामिल होते हैं जो जीवन की मानक गुणवत्ता में योगदान करते हैं। बिहार एक निर्धारित सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता और वंचित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है।

मानव विकास के तीन मुख्य आयाम हैं- **लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुँच और जीवन का अच्छा स्तर।** शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति आदि से युक्त सामाजिक बुनियादी ढांचा मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक कल्याण की प्रक्रिया का सम्मान होता है।

सामाजिक क्षेत्र में समानांतर विकास, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में, यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया कितनी समावेशी है। **पिछले 16 वर्षों** के दौरान सामाजिक सेवाओं पर खर्च के समग्र परिदृश्य में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2005-06 और 2021-22 के बीच सामाजिक सेवाओं पर सरकार के खर्च में काफी वृद्धि हुई है।

अखिल भारतीय स्तर पर 77.9 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण बिहार में पुरुष कार्य जनसंख्या अनुपात (WPR) 68.8 प्रतिशत था। शहरी बिहार के मामले में पुरुष WPR अखिल भारतीय स्तर पर 75.7 प्रतिशत की तुलना में 64.6 प्रतिशत था।

बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (LEB) 2006-10 में 65.8 वर्ष से बढ़कर 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गई है, दस वर्षों की अवधि में 3.7 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के लिए LEB में 2006-10 और 2016-20 के बीच 3.9 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान में बिहार का समग्र LEB भारत (70.0 वर्ष) से केवल 0.5 वर्ष कम है।

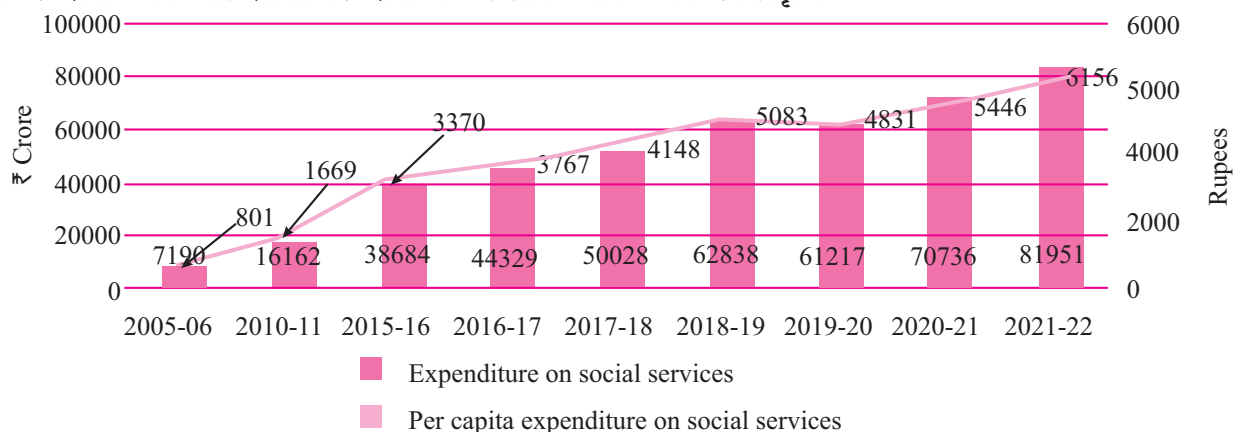
बिहार में सामाजिक सेवा स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल व्यय (करोड़)	सामाजिक सेवाओं पर व्यय (करोड़)	कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा (%)	स्वास्थ्य पर व्यय (करोड़)	शिक्षा पर व्यय (₹ करोड़)	सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (₹)
2005-06	22568.46	7190.35	31.9	1015	4366	801
2010-11	50704.51	16161.50	31.9	1667	8156	1669
2015-16	112328.00	38683.87	34.4	4571	18980	3370
2016-17	126302.00	44329.12	35.1	5493	20034	3767
2017-18	136427.00	50027.81	36.7	6182	24587	4148

2018-19	154655.00	62837.53	40.6	7318	28237	5083
2019-20	146097.00	61216.56	41.9	7674	26684	4831
2020-21	165697.00	70735.62	42.7	9152	27651	5446
2021-22	193122.97	81950.52	42.4	11510	35805	6156

Source: Budget Documents, GoB

सामाजिक सेवा व्यय और सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय की प्रवृत्ति



26.3.1 बिहार की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 104,099,452 है।

बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है। बिहार की ग्रामीण आबादी बिहार की कुल आबादी का 88.71% है।

बिहार की शहरी आबादी बिहार की कुल आबादी का 11.29% है।

बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,106 प्रति वर्ग किमी है।

बिहार में लिंगानुपात 918 है।

26.3.1.1 आयु संरचना

आयु संरचना विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या का एक बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। 60 वर्ष से ऊपर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बढ़ती आयु वाली आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक खर्च होता है। शून्य से 14 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या का उच्च अनुपात इंगित करता है कि इस क्षेत्र में उच्च जन्म दर है। इस प्रकार बदलती आयु संरचना के आर्थिक निहितार्थ हैं।

आयु संरचना द्वारा बिहार और भारत में जनसंख्या का प्रतिशत वितरण (2011)

आयु-समूह	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
भारत									
0-14 (बच्चे)	30.8	31.2	30.3	32.8	33.3	32.3	26.2	26.6	25.8
15-59 (कार्यरत) जनसंख्या) 60 और ऊपर (वृद्धावस्था)	60.3	60.2	60.3	58.0	58.0	58.1	65.3	65.3	65.3
	8.9	8.6	9.3	9.1	8.8	9.5	8.5	8.1	8.9
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
बिहार									
0-14 (बालक) 15-59 (कम करने वाली जनसंख्या) 60 और उससे अधिक (वृद्धावस्था)	40.1	40.0	40.2	40.8	40.8	40.9	34.2	33.9	34.4
	52.1	52.1	52.2	51.4	51.2	51.5	58.2	58.3	58.1
	7.8	8.0	7.6	7.8	8.0	7.6	7.6	7.7	7.5
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Census of India, 2011

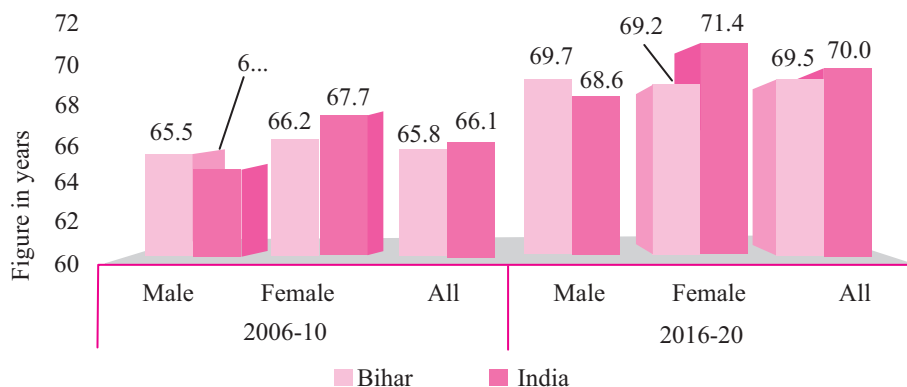
26.3.2 बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति

स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। स्वास्थ्य की स्थिति को मोटे तौर पर कुछ विशिष्ट संकेतकों द्वारा आंका जाता है- रुग्णता, मृत्यु दर, संचारी और गैर संचारी रोगों की घटना, सड़क जैसे जोखिम कारक यातायात चोटें

और खतरनाक प्रदूषण, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना।

26.3.2.1 बिहार में चयनित स्वास्थ्य संकेतक

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा: मृत्यु दर की वर्तमान अनुसूची के तहत एक नवजात शिशु के जीवित रहने की औसत संख्या। पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए बिहार की जीवन प्रत्याशा में क्रमशः 3.5 वर्ष और 4.0 वर्ष की वृद्धि हुई है।



बिहार और भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

स्वास्थ्य के छः अन्य संकेतक, जिनके लिए तुलनीय डेटा मौजूद है- अपरिष्कृत जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और प्रसवकालीन मृत्यु दर।

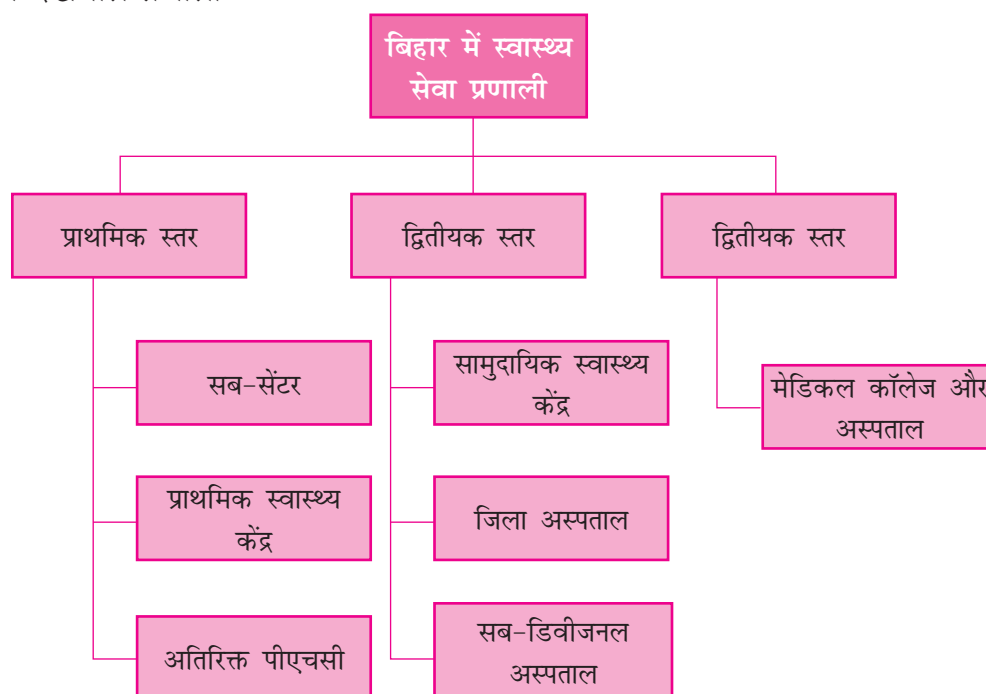
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा

मजबूत स्वास्थ्य ढांचा आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य

बिहार में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

बुनियादी ढांचे की समग्रता में एक कुशल कार्यबल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन, संसाधन, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली और अनुसंधान शामिल हैं। गरीबी, जनसंख्या भार और जलवायु कारकों के संयुक्त प्रभाव के कारण, बिहार की जनसंख्या रोग के प्रति अतिसंवेदनशील है। इतनी आबादी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है।

बिहार पूर्व निर्धारित जनसंख्या मानदंडों के आधार पर त्रि-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का अनुसरण करता है।

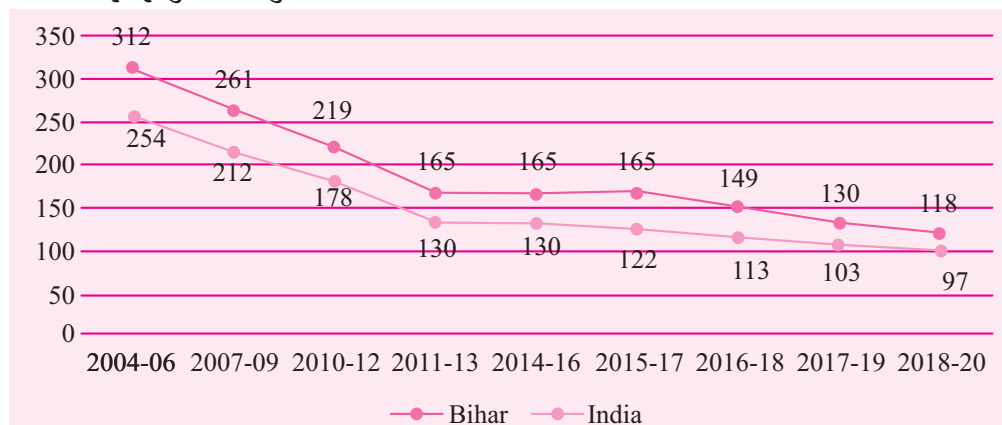


संस्थागत प्रसव

मातृ स्वास्थ्य सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है एवं संस्थागत प्रसव इसका एक बुनियादी घटक है। संस्थागत प्रसव कुशल प्रसव कर्मचारी सहायता द्वारा किसी भी चिकित्सा सुविधा में प्रसव का एक तरीका है, जो मां और नवजात शिशु की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह जन्म संबंधी जटिलताओं

का पता लगाने और प्रबंधन को सुनिश्चित करके एमएमआर और आईएमआर को काफी कम कर देता है। एमएमआर पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार, बिहार में गर्भावस्था संबंधी मुद्दों से मरने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2015-17 से वर्ष 2018-20 तक 165 प्रति जीवित जन्म से घटकर 118 हो गई है।

बिहार और भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात



मुख्य रोगों का प्रसार

ध्वनि महामारी विज्ञान अनुसंधान के आधार पर रोग भार का अनुमान प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का आधार निर्मित करता है। लगभग आधी सदी से अधिकांश रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के बावजूद, संचारी और गैर-संचारी रोग

अभी भी बिहार और भारत में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार, एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को चलाने के लिए इस राज्य में बीमारी के बोझ की एक अलग समझ की आवश्यकता है। बिहार में प्रसारित प्रमुख बीमारियों की सूची नीचे दी गई है:

मुख्य रोग का प्रसार

(No. of patients in thousand)

बीमारी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23(Upto Nov. 22)
तीव्र दस्त रोग (तीव्र आंत्रशोथ सहित)	91.83 (10.7)	417.41 (11.8)	21.07 (8.4)	0.18 (0.5)	1.97 (2.0)
दण्डाणुज पेचिश	46.48 (5.4)	209.42 (5.9)	11.32 (4.5)	0.33 (1.0)	4.55 (4.7)
वायरल हेपेटाइटिस	8.19 (1.0)	32 (0.9)	14.41 (5.7)	0.02 (0.0)	5.61 (5.8)
आंतों का बुखार	43.99 (5.1)	210.03 (5.9)	9.32 (3.7)	1.34 (3.9)	1.95 (2.0)
मलेरिया	3.74 (0.4)	25.87 (0.7)	2.91 (1.2)	0.44 (1.3)	1.37 (1.4)
अज्ञात उत्पत्ति का बुखार (FUO)	214.2 (25.0)	895.37 (25.2)	78.06 (31)	0 (0.0)	31.78 (32.8)
तीव्र श्वसन संक्रमण (एआरआई) इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई)	319.71 (37.3)	1283.86 (36.2)	64.79 (25.8)	0.52 (1.5)	34.45 (35.5)
न्यूमोनिया	9.76 (1.1)	35.9 (1.0)	1.18 (0.5)	0 (0.0)	0.37 (0.4)
कुत्ते का काटना	104.75 (12.2)	368 (10.4)	41.51 (16.5)	9.81 (28.7)	12.73 (13.1)
कोई अन्य राज्य विशिष्ट रोग (उल्लिखित करना)	6.3 (0.7)	24.32 (0.7)	1.75 (0.7)	21.6 (63.1)	0.87 (0.9)
ऊपर कैप्चर नहीं किए गए असामान्य सिंड्रोम (नैदानिक निर्दिष्ट करें)	9.19 (1.1)	47.15 (1.3)	5.14 (2.0)	0 (0.0)	1.39 (1.4)
कुल	858.13 (100.0)	3549.33 (100.0)	251.46 (100)	34.23 (100.0)	97.02 (100.0)

Note: Figures in the parenthesis denote percent share to total

Source: State Health Society, GoB

स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियाँ

कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार मूलभूत सेवाओं और आधुनिक उपचार व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके संबंध में उठाए गए कुछ कदम हैं:

- राज्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके लिए एक उपाध्यक्ष सहित 32 पद सृजित किए गए हैं। बहुत जल्द बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय काम करना शुरू कर देगा।
- प्रदेश का दूसरा एम्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लहेरियासराय के परिसर में स्थापित किया जा रहा है।
- राज्य में कुल 11 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एमबीबीएस कोर्स शीघ्र ही पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा। इसके अलावा सीतामढ़ी, झंझारपुर (मधुबनी), समस्तीपुर, सीवान, सारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, महुआ (वैशाली) और भोजपुर (आरा) में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पांच उप स्वास्थ्य केंद्र, 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1379 स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने के लिए 1754.99 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है। इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है और योजना पर अमल किया जा रहा है।
- बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा 2021-22 में एनएचएम के तहत सविदा पदों पर कुल 5373 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इन 5373 पदों का वितरण है- स्टाफ नर्स (2444), एनएम् (865), चिकित्सा अधिकारी (पूर्णकालिक) (102), चिकित्सा अधिकारी (अंशकालिक) (69), प्रखंड सामुदायिक प्रेरक (68), प्रखंड लेखापाल (50), ब्लॉक स्वास्थ्य प्रबंधक (39) और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (1537)।
- वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत 13,572 हितग्राहियों के लिए 119.53 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत काम के बढ़े हुए बोझ के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों के कुल 194 पद और अन्य 70 सविदा पदों का सृजन किया गया है। साथ ही, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) के परिसर में स्थित राज्य कैंसर संस्थान के विभिन्न विभागों के लिए

272 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। अंत में, विभिन्न सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 1430 सीटें सृजित की गई हैं।

- सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत बिहार का स्वास्थ्य विभाग राज्य के दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने टेलीमेडिसिन सुविधा के माध्यम से लोगों को चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सी-डैक मोहाली, भारत सरकार द्वारा विकसित ई-संजीवनी प्रणाली को टेलीमेडिसिन सेवाओं को लागू करने के लिए चुना गया है। इस प्रणाली के तहत टेली-परामर्श के लिए दो प्रकार के मॉड्यूल, e-Sanjeevani.in और e-Sanjeevani OPD का उपयोग किया जाता है। 10 फरवरी, 2023 तक ई-संजीवनी के तहत कुल 31.4 लाख और ई-संजीवनी ओपीडी के तहत 65687 चिकित्सा परामर्श प्रदान किए गए।

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

वर्ष 2020-21 में 91 के स्कोर के साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता पर सतत विकास लक्ष्य- 6 में बिहार सबसे आगे है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हर घर नल का जल और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जैसी पहलों ने प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित स्वच्छता की आपूर्ति सुनिश्चित की है। पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता और आवास की स्थिति (2018) पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 48.2% और शहरी क्षेत्रों में 48.6% घरों में पीने के जल के प्रमुख स्रोत के रूप में पाइप के जल का उपयोग किया जाता है।

पेयजल और स्वच्छता: नए कार्यक्रम

- केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पीएचईडी विभाग ने पटना में परीक्षण और अंशान्कन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की है। इसी तरह की प्रयोगशालाएं सभी जिला मुख्यालयों में भी स्थापित की गई हैं, जहां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 16 मापदंडों के आधार पर पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।
- निचले स्तर पर पानी की जांच के लिए 76 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना में से 75 पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 9 मोबाइल जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से राज्य के दूरस्थ गांवों में नियमित रूप से सार्वजनिक जल स्रोत की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है।

- हर घर नल का जल योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में पाइप जलापूर्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 5 नल, माध्यमिक विद्यालयों में 7 नल, आंगनबाड़ी केन्द्रों में 2 नल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 नल।
- विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए 5350 क्वार्टरटीन केंद्रों में पेयजल, 28912 शौचालय, 11916 महिला स्नानघर और 5488 हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- लॉकडाउन की अवधि (अप्रैल से जुलाई, 2020) के दौरान, हर घर नल का जल योजना के तहत, 17,227 वार्डों के 25.78 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति प्रदान की गई। साथ ही 15,776 प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया गया।
- राज्य के 38 जिलों की 1672 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियाँ शुरू की गईं। इन ग्राम

पंचायतों के चयनित स्वच्छता पर्यवेक्षकों, स्वच्छता कर्मों एवं संबंधित प्रखंड समन्वयकों का चरणबद्ध तरीके से क्षमता निर्माण किया गया। साथ ही इन सभी ग्राम पंचायतों के पंचायती राज प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण भी किया गया।

26.3.3 शिक्षा और युवा

अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि की नींव होती है। बेहतर शैक्षिक कवर के लिए शैक्षिक संस्थानों की पहुँच, समानता और गुणवत्ता की आवश्यकता है। बिहार में, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देने के सभी सामाजिक वर्गों और दोनों जेंडर में अच्छे परिणाम मिले हैं।

साक्षरता दर: बिहार में क्षेत्रफल, लिंग और डिजिटल वृद्धि के आधार पर 2011 में साक्षरता दर के आधार पर जिलों का वर्गीकरण नीचे तालिका में दिया गया है:

2011 में साक्षरता दर का जिलावार वर्गीकरण

क्षेत्र/ लिंग	साक्षरता दर					दशकीय परिवर्तन
	ग्रामीण	शहरी	पुरुष	महिला	संयुक्त	
शीर्ष पांच जिले	रोहतास (72.5), औरंगाबाद (69.4), भोजपुर (69.2), बक्सर (69.1), सीवान (68.9)	कैमूर (82.6), मुंगेर (81.0), पटना (81.0), मुजफ्फरपुर (80.2)	रोहतास (82.9), भोजपुर (81.7), बक्सर (80.7), सीवान (80.2), औरंगाबाद (80.1)	रोहतास (63.0), मुंगेर (62.1), पटना (62.0), औरंगाबाद (59.7), सीवान (58.7)	रोहतास (73.4), पटना (70.7), भोजपुर (70.5), औरंगाबाद (70.3)	किशनगंज (24.4), सुपौल (20.3), शिवहर (18.5), अररिया (18.5), ई. चापनारन (18.3)
निचले पांच जिले	पूर्णिया (48.4), कटिहार (49.6), सीतामढ़ी (50.8), सहरसा (51.1), मधेपुरा (51.2)	शिवहर (62.0), शेखपुरा (71.0), चंपारण (17.1), मधुबनी (71.1), किशनगंज (71.2)	मधेपुरा (61.8), शिवहर (61.3), सीतामढ़ी (60.6), कटिहार (59.4), पूर्णिया (59.1)	सहरसा (41.7), मधेपुरा (41.7), पूर्णिया (42.3), सीतामढ़ी (42.4), किशनगंज (43.9)	पूर्णिया (51.1), सीतामढ़ी (52.1), कटिहार (52.2), मधेपुरा (52.3), सहरसा (53.2)	जहानाबाद (11.6), भोजपुर (11.5), नालन्दा (11.2), मुंगेर (11.0), पटना (7.8)

नोट: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अंतिम कॉलम में साक्षरता दर और दशकीय वृद्धि दर दर्शाते हैं

स्रोत: जनगणना, 2011

शिक्षा पर व्यय

बिहार में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय 2017-18 में 24385 करोड़ रुपये से 41.3% बढ़कर 2021-22 में 34465 करोड़ रुपये हो गया है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न स्तरों पर शिक्षा पर खर्च के बारे में एक विचार देती है:

वर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
शिक्षा पर व्यय (करोड़)	प्राथमिक	15638 (64.1)	19152 (81.1)	18747 (66.4)	6054 (46.7)	22201 (64.4)
	माध्यमिक	4655 (19.1)	2216 (9.4)	4233 (15)	3256 (25.1)	5891 (17.1)
	उच्च	4092 (16.8)	2250 (9.5)	4711 (16.7)	3564 (27.5)	6373 (18.5)
कुल (करोड़)		24385 (100.0)	23618 (100)	28234 (100.0)	12959 (100.0)	34465 (100.0)
शिक्षा पर व्यय प्रतिशत के रूप में	कुल बजट	17.9	15.3	13.0	7.8	15.8
	सामाजिक क्षेत्र	48.7	37.9	30.6	18.5	37.9

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाते हैं
- 2019-20 और 2020-21 के आंकड़ों में जन शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, प्रशासन पर व्यय भी शामिल है और पुस्तकालय
- 2021-22 के लिए बजट और सामाजिक क्षेत्र पर हिस्सेदारी की गणना बीई आंकड़ों पर की जाती है

स्रोत: राज्य सरकार वित्त, बिहार सरकार

नई शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री औषधि शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, प्राथमिक केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं जिन्होंने बिहार में शिक्षा के विकास में मदद की है।

बिहार में तकनीकी शिक्षा का मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास

- कुल 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक जिले में एक।
- पारंपरिक शाखाओं के अलावा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, 3-डी एनीमेशन और ग्राफिक्स, फूड प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल और रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। एयरोनॉटिकल) जैसे कई नए पाठ्यक्रम। उभरते क्षेत्रों के रूप में केमिकल एवं माइनिंग इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी आदि) को स्नातक स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया गया है।
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक स्तर पर सीटें 8774 से बढ़ाकर 10,965 कर दी गई हैं। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर सीटें 96 से बढ़ाकर 126 कर दी गई हैं।
- राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय सदस्यों के साथ-साथ छात्रों को उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आईआईटी और एनआईटी पटना के सहयोग से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी संकाय सदस्यों को इन-हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिससे राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज जुड़ेंगे शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संबद्ध किया जाए। नव स्थापित बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान और कॉलेज में सभी पाठ्यक्रमों और सभी श्रेणियों में महिला उम्मीदवारों के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में प्रत्येक जिले में कम से कम एक सहित कुल 46 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए हैं। 46 में से दो नए पॉलिटेक्निक संस्थानों, राजकीय पॉलिटेक्निक, बाढ़ और राजकीय वस्त्र पॉलिटेक्निक, भागलपुर में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
- 2021-22 में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्नातक स्तर पर कुल सीटें 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई हैं।
- उद्योगों की मांग के अनुरूप स्पोक-हब मॉडल आई.सी. पर आईआईटी पटना के सहयोग से 44 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल 33 सरकारी पॉलिटेक्निक स्पोक और 11 सरकारी पॉलिटेक्निक हब के रूप में। निम्नलिखित क्षेत्रों में। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं: 1. ड्रोन प्रौद्योगिकी, 2. 3डी प्रिंटिंग, 3. औद्योगिक स्वचालन, 4. रोबोटिक्स, 5. इलेक्ट्रिक वाहन, 6. इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 7. वेलडिंग प्रौद्योगिकी।
- अगले वित्तीय वर्ष तक सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंटरनेट कनेक्टिविटी (100 एमबीपीएस), वाई-फाई और स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- विभाग एवं संस्थागत स्तर पर ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गयी है। छात्रों के प्लेसमेंट के लिए उद्योग घरानों को नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है।
- सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में कर्मचारियों के साथ-साथ छात्रों के लिए बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति का चलन है।
- इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर तारामंडल के लिए नवीनतम तकनीक (3डी/2डी, टू आरजीबी लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम) की एक नई प्रोजेक्शन प्रणाली की स्थापना। पटना का कार्य प्रगति पर है और अगले वित्तीय वर्ष में चालू होने की संभावना है। दरभंगा का तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय जनवरी, 2022 से क्रियाशील हो गया है।
- निर्माण कार्य डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना का कार्य प्रगति पर है।
- प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान और बाल विज्ञान कांग्रेस मनाई जाती है।

बिहार में तकनीकी शिक्षा का मात्रात्मक और गुणात्मक विकास

- प्रत्येक जिले में एक कुल 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
- पारंपरिक ब्रांच के अलावा, कई नए पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, 3-डी एनिमेशन और ग्राफिक्स, फूड प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिकल और रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, वैमानिकी, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्नातक स्तर पर उभरते क्षेत्रों के रूप में केमिकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी आदि) की शुरुआत की गई है।
- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक स्तर पर सीटों की क्षमता 8774 से बढ़ाकर 10,965 कर दी गई है। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर सीटें 96 से बढ़ाकर 126 की गई हैं।
- राष्ट्रीय श्रेष्ठता संस्थान के सहयोग से उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण संकाय सदस्यों के साथ-साथ सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। आईआईटी और एनआईटी पटना के सहयोग से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी संकाय सदस्यों को इन-हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिससे राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संबद्ध हो जाएंगे। कुल सीटों

में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों, सभी पाठ्यक्रमों में और नव स्थापित बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान और कॉलेज में सभी श्रेणियों में।

- राज्य में कुल 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक जिले में कम से कम एक है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 46 में से दो नवीन पॉलिटेक्निक संस्थानों शासकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ एवं शासकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल भागलपुर में शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो गयी हैं।

राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्नातक स्तर पर 2021-22 में कुल सीटें 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई हैं।

स्पोक-हब मॉडल पर आईआईटी पटना के सहयोग से 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उद्योगों की मांग के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जिसमें कुल 33 राजकीय पॉलिटेक्निक स्पोक्स और 11 राजकीय पॉलिटेक्निक हब के रूप में हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं: 1. ड्रोन टेक्नोलॉजी, 2. 3डी प्रिंटिंग, 3. औद्योगिक स्वचालन, 4. रोबोटिक्स, 5. इलेक्ट्रिक वाहन, 6. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 7. वेल्डिंग टेक्नोलॉजी।

- अगले वित्तीय वर्ष तक सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी (100एमबीपीएस), वाई-फाई और स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- विभाग एवं संस्थागत स्तर पर प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। छात्रों के प्लेसमेंट के लिए उद्योग घरानों को नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है।
- सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में कर्मचारियों और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति का चलन है।
- इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर तारामंडल, पटना के लिए नवीनतम तकनीक (3डी/2डी, टू आरजीबी लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम) की एक नई प्रक्षेपण प्रणाली की स्थापना प्रगति पर है और अगले वित्तीय वर्ष में इसके कार्यशील होने की संभावना है। दरभंगा का तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय जनवरी, 2022 से क्रियाशील हो गया है।
- डॉ. ए.पी.जे. का निर्माण कार्य अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान और बाल विज्ञान कांग्रेस प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है।

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सात निश्चय कार्यक्रम के 'अर्थिक हल, युवाओं को बल' घटक के तहत उच्च शिक्षा के एजेंडे को संबोधित करने के लिए 02 अक्टूबर, 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है। मार्च, 2022 तक रु. 2.32 लाख आवेदनों के लिए 5210.98 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में सितम्बर तक रु. 38,863 आवेदनों के लिए 714.71 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- 2021-22 में, मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना में सभी वर्ग की 61.7 लाख बालिकाओं के लिए 146.44 लाख रु. की स्वीकृति दी गई है। लाभार्थियों को भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। चालू वर्ष में 1.22 लाख बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रु. 11,869 प्रति बच्चे प्रक्रियाधीन है।
- वर्तमान में, 21,420 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के कुल लक्ष्य में से 21,286 नए विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही, 19,725 विद्यालयों के उन्नयन के लक्ष्य के तहत 19,633 प्रारंभिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल के तहत, 27,287 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 1393 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 11,151 शिक्षकों और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 255 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। माध्यमिक स्कूलों। अगस्त, 2021 तक राज्य सरकार 37,434 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुकी है।
- 2022-23 में, सभी केजीबीवी स्कूलों को कक्षा -12 स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। आने वाले चार वर्षों में आईसीटी /स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम के तहत सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कवर करने की योजना है।
- छात्रों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और पूरे विद्वानों के लाभ के लिए "ई-लाइब्रेरी" स्थापित करने के लिए यूजीसी के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बिहार के 15 राज्य विश्वविद्यालयों

के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समुदाय। इसके तहत लाइब्रेरी ऑटोमेशन, साहित्यिक चोरी की जांच, अनुसंधान संबंधी सभी सामग्री को एकत्रित करने के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली, पुस्तकों की यूनियन कैटलॉग, इंटरएक्टिव डैशबोर्ड आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

- बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद (बीएसएचईसी), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी)** की मान्यता बढ़ाने के लिए कई उपायों को लागू किया है। उन्होंने सभी एचईआई के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की हैं और उन कॉलेजों को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिन्होंने अभी तक **एक्यूएआर (वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट)**, **आईआईक्यूए (गुणवत्ता आकलन के लिए संस्थागत सूचना)** और **एसएसआर (स्वयं अध्ययन रिपोर्ट)** रिपोर्ट जमा नहीं की थी। नतीजतन, बिहार के कॉलेज अब ये रिपोर्ट नैक मान्यता के लिए जमा कर रहे हैं। मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर एक राज्य नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है।

26.4 बाल विकास

- 4.98 करोड़ की बाल आबादी के साथ, बिहार में कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में है। इन 4.98 करोड़ बच्चों में से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में और 0.50 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- लैंगिक विवरण के अनुसार, 2.35 करोड़ लड़कियाँ हैं और 2.62 करोड़ लड़के हैं।
- बिहार में 10 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों की आबादी 2001 में 1.83 करोड़ से 1.3 गुना बढ़कर 2011 में 2.34 करोड़ हो गई।
- कुल जनसंख्या में किशोरों की हिस्सेदारी भी 2001 में 22.0 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2011 में 22.5 प्रतिशत हो गई।
- 2001 और 2011 के बीच, शहरी और ग्रामीण दोनों किशोरों की आबादी में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। किशोर लिंग अनुपात भी 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 826 महिलाओं से 2011 में 854 तक 29 अंकों की वृद्धि दिखा रहा है।
- **ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में क्रमशः 27 अंक और 44 अंक की वृद्धि हुई है।**

- बच्चों पर वास्तविक व्यय में 2016-17 के 16,638.5 करोड़ रुपये से वर्ष 2020-21 में 30,903.05 करोड़ के आधार पर 85.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय में 2016-17 के 3275 करोड़ रुपये से वर्ष 2020-21 में 5986 करोड़ रुपये के आधार पर से 82.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सबसे उत्साहजनक तथ्य यह है कि कुल बजट में बाल-विशिष्ट व्यय का हिस्सा 2016-17 के 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 18.7 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह कुल जीएसडीपी में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 में 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 5.3 प्रतिशत हो गया।

आंगनवाड़ी

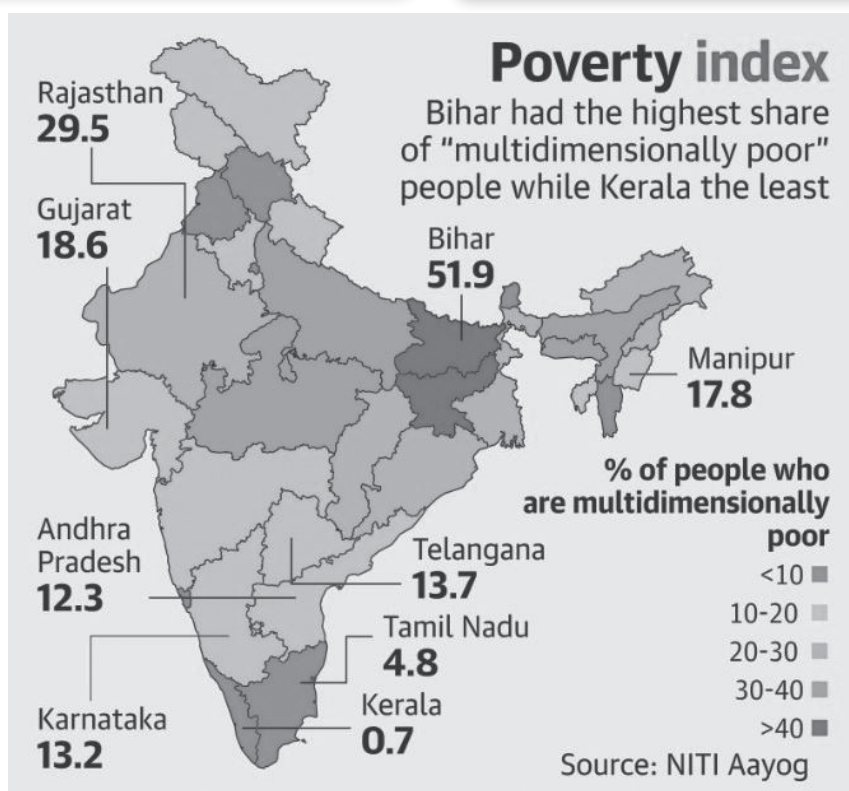
- वर्तमान में आईसीडीएस बिहार के 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के माध्यम से संचालित है।
- अब तक, राज्य में 1,07,894 आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs) और अतिरिक्त AWCs और 7115 मिनी AWCs हैं।
- आईसीडीएस के लिए बजट प्रावधान 2017-18 में 988.7 करोड़ रुपये से वर्ष 2021-22 में 1758.4 करोड़ रुपये

की वृद्धि के साथ 14.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ा है। 2021-22 में आईसीडीएस के लिए बजट प्रावधान 1758.4 करोड़ रुपये था। जो 2020-21 में 1533.8 करोड़ रुपये से 14.6 प्रतिशत अधिक था।

26.5 बिहार में गरीबी से संबंधित मुद्दे

बिहार में गरीबी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, और कई मुद्दे राज्य में गरीबी के प्रसार में योगदान करते हैं। हालांकि, इन मुद्दों को हल करने और समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई पहल की गई हैं। बिहार में गरीबी से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे और पहल इस प्रकार हैं:

सरकारी थिंक टैंक **नीति आयोग** ने राष्ट्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर गरीबी को मापने के लिए पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जारी किया है। उद्घाटन सूचकांक के अनुसार, बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्य की 51.91 प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है।



26.5.1 बिहार में गरीबी से संबंधित मुद्दे

- **निम्न आय और बेरोजगारी:** प्रति व्यक्ति आय कम होने और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बिहार गरीबी के उच्च स्तर का सामना करता है। विविध उद्योगों की कमी, अपर्याप्त कौशल विकास कार्यक्रम और मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था उच्च बेरोजगारी दर और निम्न-आय स्तरों में योगदान करती है।

- **कृषि संकट:** बिहार का कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें खंडित भूमि जोत, ऋण और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच, सिंचाई सुविधाओं की कमी और प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आना शामिल है। ये कारक कृषि उत्पादकता और आय को कम करते हैं, जिससे कई ग्रामीण परिवार गरीबी के कुचक्र में फँस जाते हैं।
- **बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच:** बिहार के कई हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है। बुनियादी ढाँचे की कमी, अपर्याप्त सेवा वितरण तंत्र और कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी गरीबों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में बाधा डालती है।
- **सामाजिक असमानता और भेदभाव:** जाति, लिंग और धर्म जैसे कारकों के आधार पर सामाजिक असमानता और भेदभाव बिहार में गरीबी को बढ़ाता है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के कुछ हाशिए पर स्थित वर्गों को अक्सर संसाधनों, अवसरों और सामाजिक सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ जाती है।

26.5.2 बिहार में गरीबी दूर करने की पहल

- **जीविका:** जीविका, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (बीआरएलपीएस) द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, आजीविका के अवसर प्रदान करने, कौशल विकास प्रशिक्षण और ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए ऋण और बाजारों तक पहुँच प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (बीआरएलपी):** बीआरएलपी का उद्देश्य समुदाय संचालित विकास दृष्टिकोण के माध्यम से बिहार में आजीविका को बढ़ाना और गरीबी को कम करना है। यह बेहतर कृषि पद्धतियों, गैर-कृषि गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से क्षमता निर्माण, संस्थागत मजबूती और गरीबों के लिए स्थायी आजीविका विकल्प बनाने पर केंद्रित है।
- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना:** यह पहल बिहार में बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य युवाओं को गरीबी से बाहर निकालने के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसरों को बढ़ाना है।
- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना:** यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है, जिससे गरीबी के चक्र को कम किया जा सके।

- **स्वास्थ्य अवसंरचना विकास पहल:** बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना शामिल है।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** मनरेगा बिहार के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। यह पहल रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ग्रामीण आय में वृद्धि करती है और गरीबों के लिए आजीविका में सुधार करती है।

अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ इन पहलों का उद्देश्य स्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाकर और सामाजिक असमानताओं को कम करके बिहार में गरीबी के मूल कारणों को दूर करना है। बिहार में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान और गरीबी को कम करने के लिए इन पहलों के निरंतर प्रयास और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हैं।

26.6 बिहार में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 2021-जून 2022) के अनुसार, बिहार में बेरोजगारी दर 6% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर (4.1%) से अधिक थी। 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लिए बिहार में बेरोजगारी दर 20.1% थी, जो राष्ट्रीय स्तर (12.4%) से अधिक थी।

बिहार में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ आँकड़े हैं-

- नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आँकड़े बताते हैं कि पिछले एक वर्ष में बिहार में बेरोजगार युवाओं की संख्या तीन गुना हो गई है।
- बिहार में लगभग 14,15,914 पंजीकृत बेरोजगार हैं, ये वे युवा हैं जिन्होंने नौकरी के लिए अपना पंजीकरण कराया है।
- बिहार में बेरोजगार युवाओं की संख्या ढाई लाख से अधिक है।

26.6.1 प्रमुख मुद्दे

बेरोजगारी के उच्च स्तर में योगदान देने वाले कई कारकों के साथ, बिहार में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। बिहार में बेरोजगारी से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

- **औद्योगीकरण का अभाव:** बिहार को औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और एक मजबूत औद्योगिक आधार विकसित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने के उद्योगों की अनुपस्थिति रोजगार के अवसरों को सीमित करती है और विविध रोजगार बाजार के निर्माण में बाधा डालती है।

- **कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** बिहार की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि प्रधान है, जिसमें आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि में लगा हुआ है। हालांकि, इस क्षेत्र को कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत, और काम की मौसमी प्रकृति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे बेरोजगारी और बेरोजगारी बढ़ती है। छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार सहित अनौपचारिक क्षेत्र भी नौकरी बाजार पर हावी है, जो अक्सर कम वेतन और अस्थिर रोजगार की पेशकश करता है।
 - **सीमित कौशल विकास:** कार्यबल के कौशल और नौकरी बाजार की आवश्यकताओं के बीच एक अंतर है। उचित कौशल विकास पहलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को सीमित करती है।
 - **शैक्षिक असमानताएं:** कम साक्षरता दर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपर्याप्त पहुँच सहित शैक्षिक असमानताएं बेरोजगारी में योगदान करती हैं। शिक्षण संस्थानों की सीमित उपलब्धता, विशेष रूप से उच्च स्तर पर, और प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता रोजगार के लिए आवश्यक कौशल के अधिग्रहण में बाधा डालती है।
 - **प्रवासन और प्रतिभा पलायन:** बिहार बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में अन्य राज्यों में कुशल और अकुशल श्रम के बड़े पैमाने पर पलायन का साक्षी है। शहरी क्षेत्रों या अन्य राज्यों में युवाओं के प्रवास के परिणामस्वरूप अक्सर बिहार से प्रतिभा और कौशल का पलायन होता है, जिससे राज्य के भीतर कुशल कार्यबल की कमी हो जाती है।
 - **अवसररचना और कनेक्टिविटी:** अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं और कनेक्टिविटी सहित सीमित बुनियादी ढांचे का विकास, बिहार में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को प्रभावित करता है। खराब आधारभूत संरचना उद्योगों के विकास को बाधित करती है और निवेश को हतोत्साहित करती है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के सीमित अवसर होते हैं।
 - **सामाजिक असमानताएँ और जाति-आधारित भेदभाव:** बिहार में सामाजिक असमानताएँ और जाति-आधारित भेदभाव कायम हैं, जिससे समाज के वंचित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। दलितों, आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अक्सर भेदभाव और रोजगार तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी बेरोजगारी दर बढ़ जाती है।
- इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए औद्योगिक विकास, कौशल वृद्धि, शिक्षा सुधार, बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

प्रदान करने और कौशल अंतर को पाटने वाली पहल महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, राज्य में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उपाय आवश्यक हैं।

26.6.2 पहल

राज्य सरकार ने बिहार के युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करके उनकी योग्यता में सुधार करके आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाने के लिए विशेष योजनाएँ/कार्यक्रम/नीतियाँ शुरू की हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं:

- **कुशल युवा कार्यक्रम।**
- **बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना:** इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवा जो शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार हैं, उन्हें बिहार सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये मिलते हैं।
- **बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम):** बीएसडीएम राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने पर केंद्रित है। बीएसडीएम उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और कुशल उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट के अवसरों को सुविधाजनक बनाने हेतु उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करता है।
- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना:** इस योजना का उद्देश्य बिहार में बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पात्र लाभार्थियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक वजीफा प्रदान करता है और स्वरोजगार उद्यमों के लिए सहायता प्रदान करता है, बेरोजगार युवाओं के बीच उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है।
- **बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (बीआरएलपीएस):** बीआरएलपीएस, जिसे जीविका के नाम से भी जाना जाता है, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण आजीविका पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्वयं सहायता समूहों, समुदाय आधारित उद्यमों और कौशल विकास प्रशिक्षण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करता है। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना:** यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करती है। किफायती ऋण तक पहुँच को सुगम बनाकर, इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर रोजगार की संभावनाओं के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता हासिल करने में सक्षम बनाना है।

- **औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा विकास पहल:** बिहार सरकार ने निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इसमें औद्योगिक पार्कों का विकास, मेगा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और उद्योगों को प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य विनिर्माण, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- **स्टार्ट-अप नीति:** बिहार ने नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्ट-अप नीति शुरू की है। यह नीति स्टार्ट-अप्स के लिए समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें फंडिंग तक पहुँच, ऊष्मायन केंद्र, सलाह और नियामक समर्थन शामिल है। इस पहल का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों में नए उद्यमों और नौकरी के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा देना है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** मनरेगा बिहार के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कम कृषि मौसम के दौरान अस्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करता है, और बेरोजगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
- प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाई-फाई के माध्यम से निःशुल्क इंटरनेट सुविधा का प्रावधान।

26.7 सात निश्चय योजना

सात निश्चय योजना की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 2015 में की गई थी, उन लक्ष्यों की कल्पना करने के लिए जिनके आसपास राज्य के विकास के लिए विकासात्मक कार्य किए जाने हैं। बिहार की सात निश्चय योजना के दो भाग हैं अर्थात् सात निश्चय भाग-1 (2015) और सात निश्चय पार्ट-2 (2020 में शुरू)। भाग 1 और भाग 2 दोनों में सात-सात संकल्प हैं:



26.7.1 सात निश्चय भाग-1

सात निश्चय-1 योजना के तहत सात संकल्प नीचे दिए गए हैं:

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल:

‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’ कार्यक्रम को कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) के नाम से भी जाना जाता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल सुधार पाठ्यक्रम चलाकर स्कूली शिक्षा छोड़ चुके युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है।

- इस ‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’ कार्यक्रम में, बिहार के ऐसे युवा जो 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और बिहार राज्य से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे कौशल विकास पाठ्यक्रमों में शामिल होने के पात्र हैं।
- इस कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी प्रशिक्षक शामिल हैं जो युवाओं को जीवन उन्मुख कौशल के पैकेज के साथ पढ़ाते हैं, इस प्रकार युवाओं की भाषा में सुधार करके और कंप्यूटर में बुनियादी स्तर के कामकाजी ज्ञान को पढ़ाने के लिए संचार कौशल को बढ़ावा देते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऐसी ही एक पहल है।

2. आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार

बिहार राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए “आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार” कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, बिहार की महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलता है। इस प्रतिबद्धता से पूरे प्रदेश में महिला शिक्षा दर बढ़ेगी।

3. हर घर बिजली, लगातार

राज्य की जरूरतों के संबंध में राज्य में बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगले स्तर तक बिजली की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए “हर घर बिजली, लगातार” कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के साथ बिहार की राज्य सरकार बिहार के प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करती है।

4. हर घर नल का जल

रुपये के भारी निवेश के साथ। 47,700 करोड़, नीतीश के नेतृत्व वाली बिहार राज्य सरकार ने बिहार में सभी घरों को पानी की पाइपलाइन कनेक्शन से जोड़कर बिहार के प्रत्येक निवासी को **स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल** उपलब्ध कराने के लिए “हर घर नल का जल” कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना के तहत सभी चापाकलों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। मोटे तौर पर अनुमान है कि इस “हर घर नल का जल” कार्यक्रम के तहत बिहार में लगभग 1.95 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

5. घर तक पक्की गली - नाली

कार्यक्रम “घर तक पक्की गली - नाली” बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा वादा किए गए प्रतिबद्धताओं में से एक है, जो बिहार राज्य

के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़कर सड़क परिवहन के अच्छे और उचित तरीके को सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत, बिहार के प्रत्येक गांव देहात को पक्की सड़कें प्राप्त होंगी जो सभी प्रकार के मौसम के उपयुक्त हैं। “घर तक पक्की गली - नालियान” पक्की जल निकासी नेटवर्क के साथ बिहार के गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण है।

6. शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

बिहार में नीतीश सरकार ने 28 सितंबर 2016 को विभिन्न योजनाओं के साथ “शौचालय निर्माण, घर का सम्मान” कार्यक्रम की शुरुआत की। “शौचालय निर्माण, घर का सम्मान” कार्यक्रम के तहत बिहार के लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली का आनंद सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य भर के घरों में लगभग 1.72 लाख करोड़ शौचालय बनाने की योजना है।

7. अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बिहार राज्य में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस कार्यक्रम के तहत, बिहार की राज्य सरकार ने राज्य भर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की योजना बनाई है। बिहार राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान जैसे इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक आदि खोले जाएंगे।

26.7.2 सात निश्चय भाग-2

सात निश्चय योजना-2 में 7 संकल्प युवा विकास, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के चकबंदी और स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं।

1. **युवा शक्ति, बिहार की प्रगति:** इस योजना के तहत उच्च शिक्षा, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संचार कौशल और व्यवहार प्रशिक्षण के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर आईटीआई और पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी योजना है।
2. **सशक्त महिला, सक्षम महिला:** महिलाओं में उद्यमशीलता के कौशल को बढ़ाने के लिए विशेष योजना का प्रावधान है। इस योजना के तहत महिलाओं को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही, महिला उम्मीदवारों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 12वीं कक्षा पास करने वाली बालिकाओं के लिए 25000/- रुपये और स्नातक पास बालिकाओं के लिए 50000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

3. **हर खेत को सिंचाई के लिए पानी:** इसके तहत वादा किया गया है कि अगले पांच वर्षों में राज्य के हर खेत या कृषिभूमि में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकेगी।
4. **स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव:** इस योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, गांवों में पशु व मत्स्य संसाधनों का विकास करने की योजना है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना आगे बढ़ेगी।
5. **स्वच्छ शहर, विकसित शहर:** इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रयों का निर्माण, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत शवदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है।
6. **सुलभ संपर्कता:** इसके तहत गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने और लोगों के आने-जाने के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए बाईपास सड़कों और फ्लाईओवर का निर्माण करने की योजना है।
7. **सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा:** इस योजना के तहत गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और बेहतर पशु स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन के लिए बुनियादी प्रणाली तैयार करने की योजना है। यह कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की मदद से हर घर की दहलीज तक सेवा प्रदान करने का वादा करता है। इसके अलावा, यह टेली-मेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ अनुमंडल और जिला अस्पतालों को भी जोड़ सकता है। साथ ही, मौजूदा अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार और विस्तार करने का आश्वासन दिया है।

26.8 बिहार में आर्थिक विकास की समस्याएं

ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने राज्य की आर्थिक समस्याओं में योगदान दिया है, जिनमें शामिल हैं:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** बिहार में खराब सड़क नेटवर्क, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और हवाई अड्डों और बंदरगाहों की कमी है। इससे व्यवसायों के लिए राज्य में काम करना और बिहार से माल ले जाना मुश्किल हो जाता है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** बिहार में अकुशल श्रमिकों की संख्या तो बहुत है, लेकिन कुशल श्रमिकों की कमी है। इससे व्यवसायों के लिए उन श्रमिकों को ढूँढना मुश्किल हो जाता है जिनकी उन्हें कुशलता से संचालन करने की आवश्यकता होती है।
- **खराब शिक्षा प्रणाली:** बिहार में एक खराब शिक्षा प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि राज्य में बहुत से लोग निरक्षर हैं या

उनके पास केवल एक बुनियादी शिक्षा है। इससे लोगों के लिए अच्छी नौकरी पाना और अपने जीवन स्तर को सुधारना मुश्किल हो जाता है।

- **उच्च अपराध दर:** बिहार में अपराध की उच्च दर है, जो इसे व्यापार करने के नजरिए से एक जोखिम भरा स्थान बनाती है। इससे राज्य में निवेश हतोत्साहित हुआ है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, जिसने सरकार के लिए सुधारों को लागू करना और निवेश को आकर्षित करना मुश्किल बना दिया है।

बिहार सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कानून व्यवस्था में निवेश करने की जरूरत है। इसे और अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है। यदि ये कदम उठाए जाते हैं, तो बिहार में और अधिक समृद्ध राज्य बनने की क्षमता है।

यहाँ कुछ विशिष्ट कदम हैं जो बिहार सरकार राज्य में आर्थिक विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए उठा सकती है:

- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** सरकार सड़कों, पुलों, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण में निवेश कर सकती है। यह बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति में सुधार के लिए भी निवेश कर सकता है। इससे व्यवसायों के लिए राज्य में काम करना और बिहार से सामान ले जाना आसान हो जाएगा।
- **शिक्षा प्रणाली में सुधार:** सरकार शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करके और अधिक पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करके बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इससे निरक्षरता को कम करने और कार्यबल के कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **अपराध पर नकेल:** सरकार पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर, पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करके और पुलिस को बेहतर उपकरण प्रदान करके अपराध पर नकेल कस सकती है। इससे बिहार व्यवसाय करने और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाएगा।
- **व्यवसाय के अधिक अनुकूल वातावरण बनाएँ:** सरकार करों को कम करके, विनियमों को सरल बनाकर और छोटे व्यवसायों को अधिक सहायता प्रदान करके अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बना सकती है। यह बिहार को

निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा और रोजगार सृजित करने में मदद करेगा।

यदि बिहार सरकार ये कदम उठाती है, तो यह राज्य में आर्थिक विकास की समस्याओं को दूर करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) है 2022-23 (7.89 लाख करोड़ रुपये) से 8.9% की वृद्धि के साथ 8.59 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

विभिन्न सूचकांकों में बिहार की रैंकिंग

अनुक्रमणिका	स्थान
स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक	19वां
स्वास्थ्य सूचकांक	20वां
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक	15वां
एसडीजी इंडिया इंडेक्स	अंतिम
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022	15वां
निर्यात तैयारी सूचकांक 2021	20वां
सुशासन सूचकांक	ग्रुप 'B' में छठा
एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक	7वां
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक	15वां
सामाजिक प्रगति सूचकांक	35वां

सुशासन योजना के तहत विभिन्न मापदंडों में बिहार की रैंकिंग

क्षेत्र	बिहार का स्थान
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	6ठा
2. वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र	7वां
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	तृतीय
4. पब्लिक हेल्थ सेक्टर	तृतीय
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	प्रथम
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	5वां
7. समाज कल्याण और विकास	8वां
8. न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा	7वां
9. पर्यावरण क्षेत्र	7वां
10. नागरिक केन्द्रित शासन	चौथा



28 फरवरी 2023 को बिहार विधानसभा में बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया।

27.1 2023-24 के बजट अनुमान संक्षेप में

कुल व्यय (A+B): 2,61,885.40 करोड़ रुपये।

(A) योजना व्यय: 1,00,029.73 करोड़ रुपये।

(B) स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय: 1,61,855.67 करोड़ रुपये।

प्रतिबद्ध व्यय

(I) वेतन (A+B+C+D): 59,647.53 करोड़ रुपये

(a) स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय: 31,118.70 करोड़ रुपये।

(b) वार्षिक योजना: 1,834.16 करोड़ रुपये

(c) सहायता अनुदान- वेतन: 22,156.03 करोड़ रुपये

(d) संविदा कर्मी वेतन: 4,538.64 करोड़ रुपये

(II) पेंशन: 29,436.92 करोड़ रुपये।

(III) ब्याज: 18,354.44 करोड़ रुपये।

(IV) लोक ऋण की अदायगी: ₹23,558.69 करोड़ रुपये।

कुल (I+II+III+IV): ₹1,30,997.58 करोड़

कुल प्राप्तियां

(राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्राप्तियां): 2,62,085.40 करोड़ रुपये (1+2)

1. राजस्व प्राप्तियाँ: 2,12,326.97 करोड़ रुपये

(A) केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्तियां। (I+II): 1,56,115.18 करोड़ रुपये।

(I) केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा: 1,02,737.26 करोड़ रुपये।

(II) केंद्र सरकार से सहायता अनुदान: 53,377.92 करोड़ रुपये।

(B) राज्य का अपना राजस्व (I + II): 56,211.79 करोड़ रुपये।

(I) राज्य का अपना कर राजस्व: 49,700.05 करोड़ रुपये।

(II) राज्य का गैर-कर राजस्व: 6,511.74 करोड़ रुपये।

राज्य का अपना कर राजस्व:

वाणिज्यिक कर: 39,550.00 करोड़ रुपये।

स्टाम्प और पंजीकरण: 6,300.00 करोड़ रुपये।

परिवहन: 3300.00 करोड़ रुपये।

भूमि राजस्व: 550.00 करोड़ रुपये।

कुल: 49,700.00 करोड़ रुपये।

राज्य का मुख्य गैर-कर राजस्व

पेंशन शेयर की देनदारियों के कारण झारखंड राज्य से प्राप्य: 843.12 करोड़ रुपये।

खान: 3,300.00 करोड़ रुपये

ब्याज प्राप्तियां: 1,704.73 करोड़ रुपये।

सिंचाई: 50.00 करोड़ रु.

अन्य गैर-कर: 613.89 करोड़ रुपये

कुल: 6,511.74 करोड़ रुपये

(2) पूंजीगत प्राप्तियां (i + ii): 49,758.44 करोड़ रुपये।

(i) उधारी: 49,326.53 करोड़ रुपये।

(ii) ऋणों की वसूली: 431.91 करोड़ रुपये।

कुल व्यय (I+II): 2,61,885.40 करोड़ रुपये।

(I) राजस्व व्यय: 2,07,848.00 करोड़ रुपये।

जिसमें,

(A) वेतन: 59,647.53 करोड़ रुपये।

(B) गैर वेतन के लिए अनुदान: 37,412.99 करोड़ रुपये।

(C) संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान: 21,880.08 करोड़ रुपये।

(D) पेंशन: 29,436.92 करोड़ रुपये।

(E) ब्याज भुगतान: 18,354.44 करोड़ रुपये।

(F) छात्रवृत्ति: 3,711.16 करोड़ रुपये।

(G) सब्सिडी (संसाधन गैप के साथ): 10,990.11 करोड़ रुपये।

(H) आपदा में नकद और सामग्री सहायता: 3,439.59 करोड़ रुपये।

(I) मरम्मत और रखरखाव: ₹ 6,633.91 करोड़ रुपये।

(J) अन्य व्यय: 16,341.27 करोड़ रुपये।

(II) पूंजीगत व्यय: 54,037.40 करोड़ रुपये।

जिसमें

(A) पूंजी परिव्यय: 29,257.31 करोड़ रुपये।

(B) सार्वजनिक ऋण: 23,558.69 करोड़ रुपये।

(C) ऋण और अग्रिम: 1,221.40 करोड़ रुपये।

राजस्व अधिशेष: 4,478.97 करोड़ रुपये।

(राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय) (2,12,326.97-2,07,848.00= 4,478.97 करोड़ रुपये)

राजस्व अधिशेष/जीएसडीपी: 0.52%

राजकोषीय घाटा: 25,567.83 करोड़ रुपये।

(कुल गैर-ऋण व्यय-कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ)

राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी: 2.98%

2. **बजट व्यय:** वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885.40 करोड़ रुपये के बजट व्यय का अनुमान लगाया गया जो वर्ष 2022-23 के 2,37,691.19 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 24,194.21 करोड़ रुपये से अधिक है।
3. **स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय 1,61,855.67 करोड़ रुपये अनुमानित है। अर्थात् वर्ष 2022-23 के 1,37,460.94 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 24,394.72 करोड़ रुपये अधिक है।
4. **वार्षिक योजना परिव्यय:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 1,00,000.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। जो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के बराबर है। सुशासन कार्यक्रम, 2020-25:- आत्म निर्भर बिहार (2020-25) के सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न विभागों में 5,000.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमानित है।
5. **राजस्व व्यय:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व व्यय 2,07,848.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। जो वर्ष 2022-23 के 1,91,956.67 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 15,891.33 करोड़ रुपये से अधिक है।
6. **पूंजीगत व्यय:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय 54,037.40 करोड़ रुपये अनुमानित है। जो वर्ष 2022-23 के 45,734.52 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 8,302.88 करोड़ रुपये अधिक है।
7. **पूंजीगत एवं राजस्व व्यय:** वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व व्यय 2,07,848.00 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 54,037.40 करोड़ रु. है। कुल व्यय 2,61,885.40 करोड़ रुपये है। कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का प्रतिशत क्रमशः 79.37 एवं 20.63 है।

8. **विकास एवं गैर विकास व्यय:** वर्ष 2023-24 का विकास व्यय 1,67,375.47 करोड़ रु और गैर-विकास व्यय 94,509.93 करोड़ रु है। कुल व्यय रु 2,61,885.40 करोड़ रु है। कुल व्यय में विकास व्यय एवं गैर-विकास व्यय का प्रतिशत क्रमशः 63.91 एवं 36.09 है।
9. **कुल राजस्व प्राप्ति:** 2023-24 में 2,12,326.97 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित की गई है। जो वर्ष 2022-23 के 1,96,704.51 करोड़ रु के बजट अनुमान से 15,622.46 करोड़ रुपये से अधिक है।
10. **राज्य का अपना कर राजस्व:** 2023-24 में 49,700.05 करोड़ रुपये है। यह वर्ष 2022-23 के 41,387.00 करोड़ के बजट अनुमान से 8,313.05 करोड़ रुपये अधिक है।
11. **राज्य का गैर कर राजस्व:** 2023-24 में 6,511.74 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के 6,135.62 करोड़ रुपये से 376.12 करोड़ रु अधिक है।
12. **केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा:** 2023-24 में 1,02,737.26 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के 91,180.60 करोड़ रुपये से 11,556.66 करोड़ रुपये अधिक है।
13. **केंद्र सरकार से राज्य को 2023-24 में 53,377.92 करोड़ रुपये सहायता अनुदान प्राप्त होने का अनुमान है।** जो वर्ष 2022-23 के 58,001.29 करोड़ रु के बजट अनुमान से 4,623.37 करोड़ रुपये से कम है।
14. **राज्य में 2023-24 के दौरान 4,478.97 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष है।** जो जीएसडीपी का 0.52% है। जीएसडीपी वर्ष 2023-24 के लिए का अनुमान 8,58,928.00 करोड़ रु है।
15. **राजकोषीय घाटा 25,567.84 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।** जो वर्ष 2023-24 के लिए 8,58,928.00 करोड़ रु के जीएसडीपी के अनुमान का 2.98% है।
16. **बकाया सार्वजनिक ऋण 2023-24 में 2,76,165.43 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।** जो 8,58,928.00 करोड़ के जीएसडीपी का 32.15% है। 2023-24 में लोक लेखा में देनदारी सहित कुल कर्ज 3,24,762.35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि 8,58,928.00 करोड़ के जीएसडीपी का 37.81 प्रतिशत है।

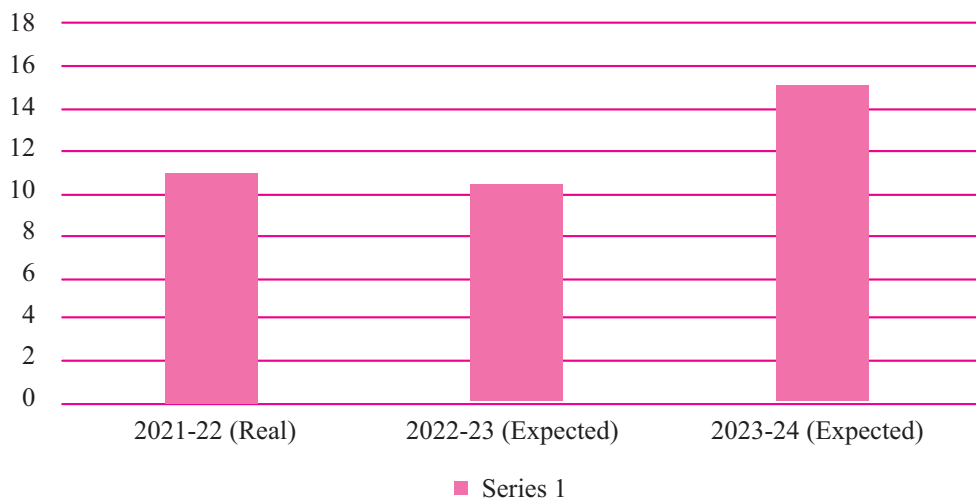
27.2 बिहार बजट 2023-24 की आर्थिक रूपरेखा

बिहार उन राज्यों में से एक है जिसने लगातार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 इस राज्य के लिए कोविड महामारी एवं अन्य कारणों से आर्थिक मंदी का वर्ष

रहा। लेकिन बिहार इस आर्थिक मंदी से तेजी से उबरने वाला राज्य है, जहां वित्त वर्ष 2021-22 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.0% थी। उसी वर्ष, देश की आर्थिक विकास दर 8.7% थी, जबकि बिहार की आर्थिक विकास दर 10.98% थी। बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से 2.28%

अंक अधिक है और वैश्विक विकास दर से 4.98% अंक अधिक है। यह समय बिहार सरकार की नीतियों और बेहतर प्रयासों के कारण संभव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी बिहार की आर्थिक विकास दर दो अंकों में रहने का अनुमान है।

Economic growth rate in percentage



27.3 बिहार बजट 2023-24 का फिस्कल ओरिएंटेशन (राजकोषीय विन्यास)

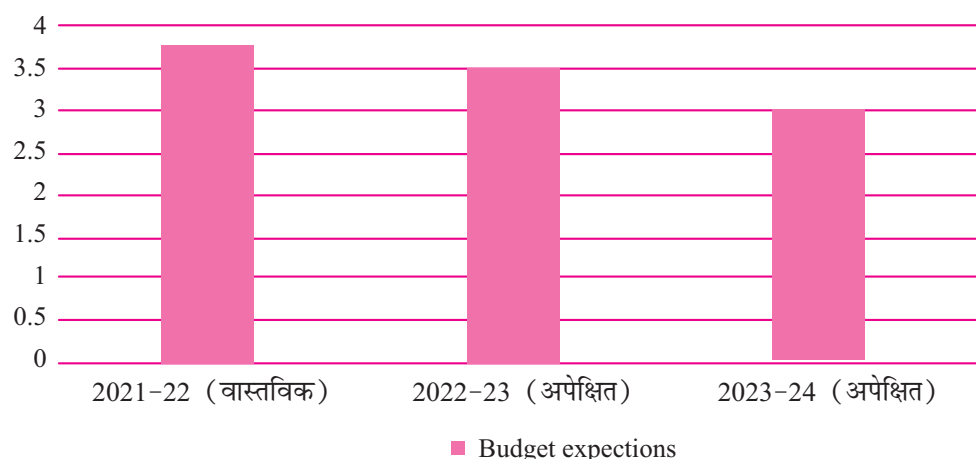
वैश्विक महामारी एवं अन्य कारणों से उत्पन्न आर्थिक मंदी से निपटने के लिये राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये व्यापक राजकोषीय नीति अपनाकर उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त की है। विगत वर्षों में राज्य सरकार ने जनहित में जनोपयोगी योजनाओं में अतिरिक्त राशि प्रदान की थी, जिससे राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। यह इस राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में मददगार

साबित हुआ है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से बिहार राजस्व अधिशेष अर्जित करता रहा।

वर्ष 2023-24 में बजट के प्रमुख उद्देश्यों में से एक वित्तीय सुदृढ़ीकरण है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4478 करोड़ रुपये का राजस्व असाधारण होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 12 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम 2022 बनाया है।

27.3.1 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा



वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा 3.78 प्रतिशत थी। पुनः वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 3.47% रखा गया है जो सशर्त रूप से 3.50% की ऋण सीमा के अधीन है। वित्तीय अनुमान के उद्देश्य से, उत्पाद अनुपात में घाटा 2.98% अनुमानित है जो वित्तीय वर्ष 2023 के 3.47% से कम है।

27.3.2 कुल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का हिस्सा

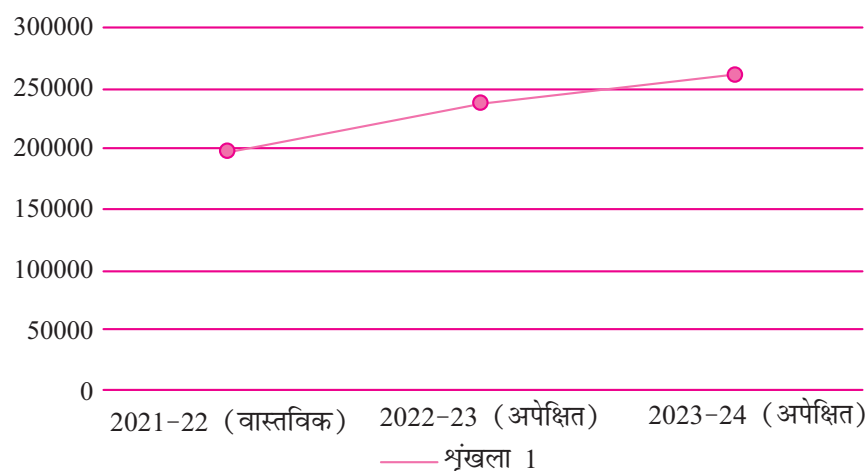
कुल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का हिस्सा मजबूत वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो ऋण प्रबंधन की स्थिति को दर्शाता है। विभिन्न वित्त आयोगों ने ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में एक निर्धारित सीमा के भीतर रखने की सिफारिश की है। इस संस्तुति के तहत इसे 10% की सीमा में रखना बेहतर ऋण प्रबंधन का संकेत देता है बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वित्तीय

वर्ष 2023 के बजट अनुमान के अनुसार 8.70% रहा जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.29% और 8.64% प्राप्त होने का अनुमान है।

27.4 प्राप्तियों की प्रवृत्ति और संरचना

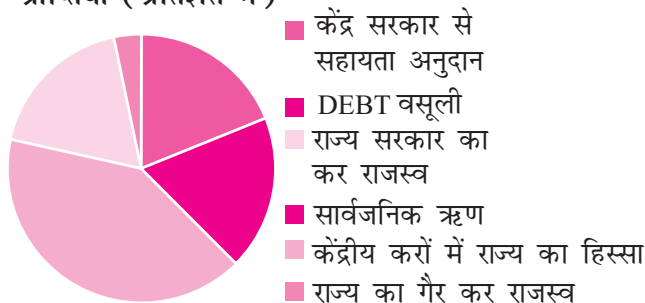
राज्य सरकार से लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। अपेक्षा की पूर्ति तथा उच्च आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार की आय में अपेक्षित वृद्धि हो। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां 199270.15 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में बढ़कर 237891.94 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः 2 रुपये 262085.40 करोड़ होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार राज्य की कुल प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 24193.46 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक अनुमान की तुलना में 62815.08 करोड़ रुपये की वृद्धि अपेक्षित है।

कुल प्राप्तियाँ



वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल आय में राजस्व प्राप्तियां 212326.97 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 49758.44 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसी वर्ष कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81.01% है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था।

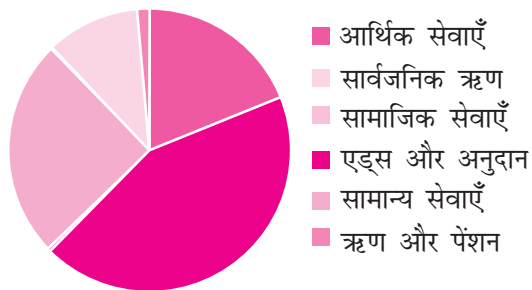
प्राप्तियां (प्रतिशत में)



27.5 राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति और विन्यास

बजट 2023-24 का मुख्य लक्ष्य उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करना है। राज्य सरकार हमेशा लोक कल्याण के प्रति समर्पित रही है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकासोन्मुखी व्यय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विकासोन्मुखी व्यय के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक क्षेत्र एवं सामान्य क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों पर व्यय तथा पूँजी परिव्यय पर व्यय सम्मिलित हैं। राज्य के बजट 2023-24 में कुल व्यय का लगभग 63.91% विकासात्मक व्यय पर रखा गया है। गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 237591.19 करोड़ रुपये के बजट से 10.18 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट बढ़ाकर 261885.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कुल बजट में 79.37% राजस्व व्यय और 20.63% पूंजीगत व्यय रखा गया है।

क्षेत्रीय व्यय संरचना



38.14% का अधिकतम व्यय सामाजिक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक सेवाओं पर कुल बजट का 24.01 प्रतिशत व्यय अनुमानित। कुल व्यय में से 28.38% व्यय सामान्य सेवाओं पर अनुमानित है जबकि कुल व्यय का 90% सार्वजनिक ऋण की अदायगी के लिए रखा गया है। सात निश्चय-2 में कुल 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

27.6 ऋण प्राप्ति की रूपरेखा

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40.4% की सीमा में रखा जाना है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात

37.81% अनुमानित है। राज्य वित्तीय सुधारों के पथ की ओर बढ़ रहा है, जिसके वर्ष 2022-23 में घटकर 38.05% तथा वर्ष 2023-24 में 37.81% रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 38.12% था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण 49326.53 करोड़ रुपये आंका गया है। सार्वजनिक ऋण को राज्य के विकासात्मक व्यय पर खर्च करने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास की राशि खर्च कर सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को फलीभूत करेगी।

27.7 प्राथमिकताएं

बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं:

- युवा और रोजगार
- महिलाओं का निरंतर सशक्तीकरण
- अल्पसंख्यक कल्याण
- पुलिस बल का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण
- कृषि और ग्रामीण विकास
- हरित विकास
- बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास
- शहरी विकास

वास्तविक/बजट एक नजर में						
(करोड़ रुपये में)						
विवरण		2021-22 वास्तविक	2022-23	2023-24	परिवर्तन 2022-23 बीई से 2023-24 बीई तक	2021-22 से वास्तविक 2022-23 बी.ई. में परिवर्तन
			बजट अनुमान	बजट अनुमान		
	1	2	3	4	5	6
1	राजस्व प्राप्तियाँ	158797.33	196704.51	212326.97	23.87	7.94
2	कर राजस्व (ए + बी)	126207.16	132567.60	152437.31	5.04	14.99
	(a) केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	91352.62	91180.60	102737.26	−0.19	12.67
	(b) राज्य के अपने कर	34854.54	41387.00	49700.05	18.74	20.09
3	राज्य का अपना गैर कर राजस्व	3984.34	6135.62	6511.74	53.99	6.13
4	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान.	28605.83	58001.29	53377.92	102.76	−7.97
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6 + 7 + 8)	40472.82	41187.43	49758.44	1.77	20.81
6	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	27.92	431.55	431.91	1445.66	0.08
	सार्वजनिक ऋण (7 + 8)	40444.90	40755.88	49326.53	0.77	21.03
7	राज्य का आंतरिक ऋण	30917.46	37845.88	47451.53	22.41	25.38
8	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	9527.44	2910.00	1875.00	−69.46	−35.57
9	कुल प्राप्तियाँ	199270.15	237891.94	262085.40	19.38	10.17
10	स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय	109825.45	137460.94	161855.67	25.16	17.75

11	जिसके राजस्व खाते पर	100732.94	122603.30	138012.19	21.71	12.57
12	(a) ब्याज भुगतान	13821.93	16305.03	18354.44	17.96	12.57
	(b) पेंशन	20257.58	24252.29	29436.92	19.72	21.38
	(c) वेतन	22237.55	29749.57	31118.70	33.78	4.60
13	पूँजी खाते पर (ए + बी + सी + डी)	9092.51	14857.64	23843.48	63.41	60.48
	(a) राज्य का आंतरिक ऋण	7619.64	12927.41	21487.65	69.66	66.22
	(b) से ऋण और अग्रिम केंद्र सरकार	1126.83	1742.62	2071.04	54.65	18.85
	(c) पूँजीगत व्यय	27.63	67.10	163.50	142.85	143.67
	(d) ऋण और अग्रिम	318.41	120.51	121.29	-62.15	0.65
14	योजना व्यय	83297.54	100230.25	100029.73	20.33	-0.20
	(a) वार्षिक योजना	83149.18	100000.00	100000.00	20.27	0.00
	(b) केंद्रीय क्षेत्र योजना	148.36	230.25	29.73	55.19	-87.09
15	राजस्व खाते पर	58486.77	69353.37	69835.81	18.58	0.70
16	पूँजी खाते पर	24810.77	30876.88	30193.92	24.45	-2.21
17	कुल व्यय (10 + 14)	193122.99	237691.19	261885.40	23.08	10.18
18	राजस्व व्यय (11 + 15)	159219.71	191956.67	207848.00	20.56	8.28
19	पूँजीगत व्यय (13 + 16)	33903.28	45734.52	54037.40	34.90	18.15
20	राजस्व घाटा (18-1)	422.38	-4747.84	-4478.97		
21	राजकोषीय घाटा (17-(1 + 6 + 13(ए) + 13(बी))	25551.27	25885.11	25567.83		
22	प्राथमिक घाटा (21-12ए)	11729.34	9580.07	7213.39		
23	G.S.D.P	675448.00	745310.00	858928.00		
24	G.F.D/G.S.D.P	3.78%	3.47%	2.98%		
25	ब्याज भुगतान/कुल राजस्व प्राप्ति	8.70%	8.29%	8.64%		

पहला

- बिहार कृषि रोडमैप
- बिहार किसान क्रेडिट कार्ड
- बिहार जैविक खेती कृषि नीति
- दियार विकास योजना

बिहार में कृषि

प्रमुख फसलें- चावल, जूट, गेहूं जौ मैदा

76% जनसंख्या-कृषि

बिहार फल उत्पादन में 8वां और सब्जी उत्पादन में चौथे स्थान पर है।

जूट उत्पाद में दूसरा स्थान

धप्रार्थमिक फसल चावल है

समस्याएं

- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा
- गरीबी
- पर्यावरण निम्नीकरण

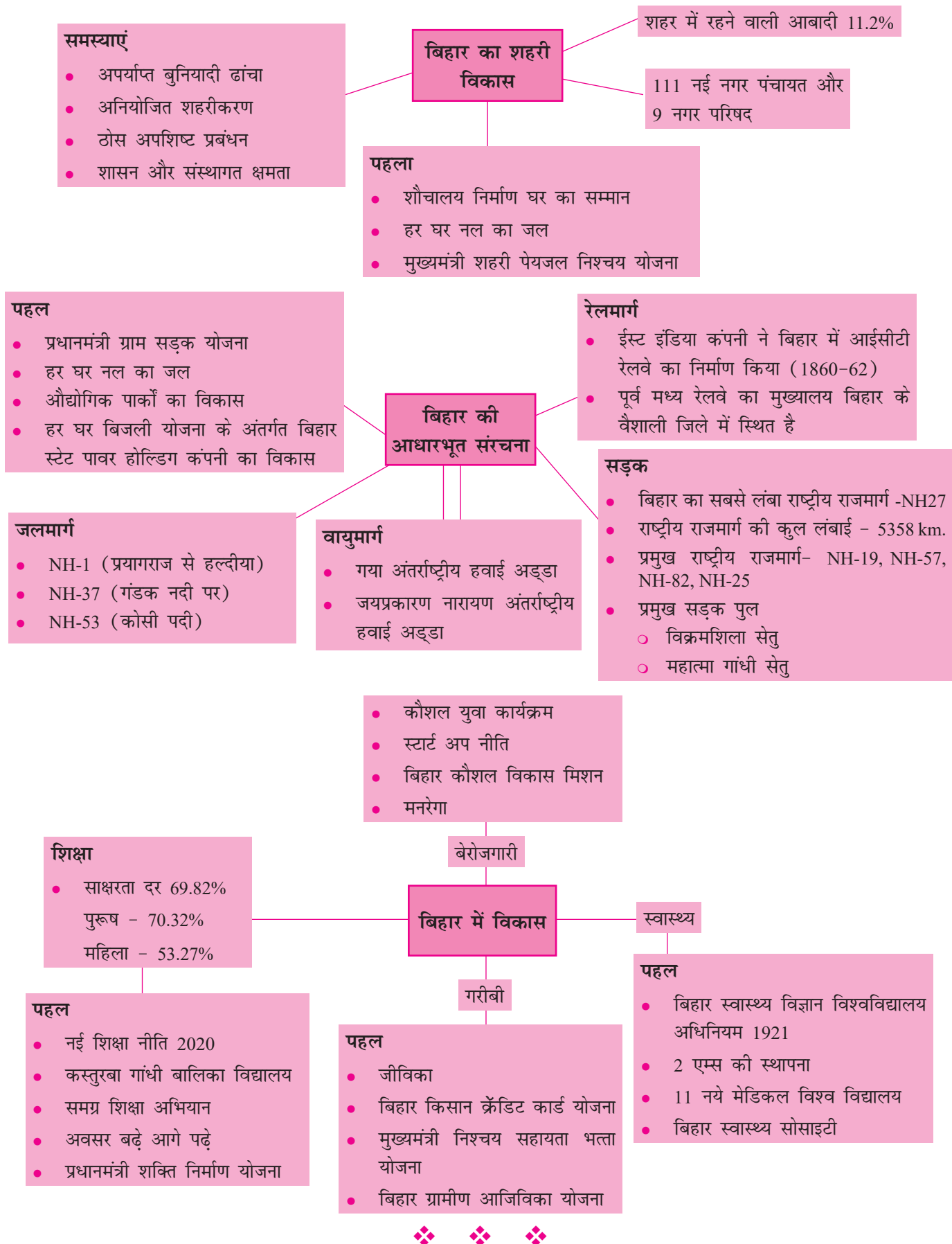
बिहार का ग्रामीण विकास

पहला

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- जीविका
- इंदिरा आवास योजना
- सार्वजनिक वितरण योजना

बजट विशेषता

- ग्रामीण विकास खर्चा- 25,270 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 33,74,311 घरों का निर्माण



खंड - V

पिछले वर्ष के प्रश्न

परिशिष्ट 1: बीपीएससी मुख्य परीक्षा (39वीं से 68वीं)

पेपर 1

खंड 1: भारत का इतिहास और कला एवं संस्कृति

A. कला और संस्कृति

पाल कला

1. पाल कला और वास्तुकला की विशेषताओं और बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर चर्चा करें। (65वीं बीपीएससी)
2. पाल वास्तुकला और मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। (47 बीपीएससी)
3. बिहार में पाल कला की मुख्य विशेषताओं का विवरण दीजिए। (41 BPSC)
4. पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (43 बीपीएससी)

पटना कलाम पेंटिंग्स

1. पटना कलम पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं बताइए। (66 बीपीएससी)
2. पटना कलम पेंटिंग शैली की मुख्य विशेषताओं की जांच करें। (63 बीपीएससी)
3. पटना कलाम पेंटिंग्स की मुख्य विशेषताओं को सामने लाएँ। (56-59 बीपीएससी)
4. पटना कलम और चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें (40-52 बीपीएससी)
5. पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। (46 बीपीएससी)

मौर्य कला

1. मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। (67वीं बीपीएससी)
2. मौर्य कला पर प्रकाश डालें और बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण करें: (60-62 बीपीएससी)
3. मौर्य कला और वास्तुकला की विशेषताओं और बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर चर्चा करें (64वीं बीपीएससी)

4. मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। (53-55 बीपीएससी)
5. मौर्यकालीन कला और वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करें (47 बीपीएससी)
6. मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण (45 बीपीएससी)
7. बिहार से प्राप्त मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं को पहचानें (42 बीपीएससी)
8. मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं? (40 बीपीएससी/1995)

मिश्रित

1. बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। (39 बीपीएससी/1993)

B. आदिवासी विद्रोह

संथाल विद्रोह

1. संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (67वीं बीपीएससी)
2. संथाल विद्रोह के क्या कारण थे? इसका मार्ग और परिणाम क्या था? (66वीं बीपीएससी)
3. बिहार में संथाल विद्रोह (1855-56) के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन करें। (63 बीपीएससी)
4. संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों की चर्चा करें। इसके परिणाम क्या थे? (56-59 बीपीएससी)
5. बिहार में संथालों के विद्रोह (1855-56) के कारणों और परिणामों पर चर्चा करें (48-52 BPSC)
6. “संथाल विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लोकप्रिय सशस्त्र प्रतिरोध का एक मॉडल प्रदान किया।” समझाएं। (45 बीपीएससी)
7. संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासियों की पहली उग्र प्रतिक्रिया थी (43 बीपीएससी)

बिरसा आंदोलन

1. बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। (66वीं बीपीएससी-2021)

2. “बिरसा आंदोलन का अंतर्निहित उद्देश्य आंतरिक शुद्धि और विदेशी सरकार को हटाने की इच्छा थी। स्पष्ट करें। (53-55 BPSC)
3. बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी संघर्षों को एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया (44 बीपीएससी)
4. बिरसा आंदोलन की प्रकृति और इसके द्वारा जनजातीय प्रशासन पर छोड़े गए सबक के विशेष संदर्भ में एक आलोचना लिखें। (42 बीपीएससी)
5. बिरसा आंदोलन के विशेष संदर्भ में बिहार के आदिवासी आंदोलनों का संक्षेप में परीक्षण करें। (39 BPSC)

C. 1857 का विद्रोह

1. 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? इसका बिहार पर क्या असर पड़ा? (65वीं बीपीएससी)
2. 1857 ई. के विद्रोह में बिहार के योगदान की चर्चा करें। [63वां बीपीएससी]
3. बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 के विद्रोह के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (56-59 बीपीएससी)
4. 1857 के विद्रोह में कुँवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (53-55 BPSC)
5. बिहार में 1857 के विद्रोह के फैलने के कारणों की चर्चा करें और इसकी विफलता का कारण बताएं। (47 बीपीएससी)
6. 1857 के विद्रोह में कुँवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन करें। (43 BPSC)

D. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

चम्पारण सत्याग्रह

1. चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। [67वां बीपीएससी]
2. चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। व्याख्या करना। [66वीं बीपीएससी]
3. बिहार में चंपारण सत्याग्रह (1917), के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। (63 बीपीएससी)
4. चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। स्पष्ट करें (64वीं बीपीएससी)
5. किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व था? (55-59 बीपीएससी)
6. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था? (47 बीपीएससी)
7. चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्पष्ट करें (42 बीपीएससी)

8. सामान्य तौर पर बिहार के किसान आंदोलनों और विशेषकर चंपारण आंदोलन में गांधी के हस्तक्षेप पर चर्चा करें (39 बीपीएससी)

भारत छोड़ो आंदोलन

1. जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन (66वीं बीपीएससी) पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखें
2. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन (60-62 BPSC) के दौरान बिहार में लोगों की भागीदारी का वर्णन करें
3. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन (48-52 BPSC) में बिहार के योगदान का वर्णन करें
4. बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति और विस्तार का विश्लेषण करें। (44 बीपीएससी)
5. भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार पर प्रभाव पर चर्चा करें (41 बीपीएससी)
6. भारत छोड़ो आंदोलन (40 BPSC) के दौरान बिहार में आजाद दस्ता ने क्या भूमिका निभाई?

पश्चिमी शिक्षा

1. 1857-1947 के बीच बिहार में पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम का पता लगाएं (67वीं बीपीएससी)
2. 1858-1914 के बीच बिहार में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का वर्णन करें, (65वीं बीपीएससी)
3. 1813 से 1947 तक बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास पर चर्चा करें (60-62 BPSC)
4. 1857 ई. से 1947 ई. तक बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास की चर्चा करें।
5. आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास का वर्णन करें और राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका का भी वर्णन करें (46 BPSC)
6. ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। (44 बीपीएससी)
7. बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें (39 बीपीएससी)
8. तकनीकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में 1990 से 1947 तक बिहार में पश्चिमी शिक्षा के पाठ्यक्रम का पता लगाएं (42 बीपीएससी)
9. अपने अध्ययन काल के दौरान बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन करें। (47 बीपीएससी)

मिश्रित

1. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिये। (65वीं बीपीएससी)

2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (65वीं बीपीएससी)
3. बिहार में दलित आंदोलन पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (65वीं बीपीएससी)
4. स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन (65वीं बीपीएससी) पर एक नोट लिखें
5. 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिये। (53-55 BPSC)
6. बिहार के बंगाल से अलग होने और आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। (46 बीपीएससी)
7. सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का आकलन कीजिये। (45 बीपीएससी)
8. स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में किसान आंदोलनों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। (43 बीपीएससी)
9. 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में विदेशी आप्रवासन के पीछे क्या कारण थे? बिहार के विशेष संदर्भ में अनुबंध प्रणाली के आलोक में चर्चा कीजिये। (64 वीं बीपीएससी)
10. ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में क्या परिवर्तन आये? (45 बीपीएससी)

खंड 2: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

60-62 बीपीएससी

1. विमुद्रीकरण योजना को स्पष्ट कीजिए। आपके विचार में यह किस हद तक सफल या असफल रहा? बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?
2. मानवाधिकारों के बारे में आप क्या समझते हैं? UNO द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) पर प्रकाश डालिए। पिछले दशक में इन्हें बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या प्रमुख प्रयास किये गये?

56-59 बीपीएससी

1. आप जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर तैयार की गई राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कौन से मिशन गठित किए गए हैं? इस संबंध में बिहार सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। चर्चा कीजिये।

53-55 बीपीएससी

1. 1991 से बिहार की राजनीति में राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा करें।

2. बिहार सरकार के राज्य वित्त के बिगड़ते हिस्से की व्याख्या करें।

47 बीपीएससी

1. बिहार के विशेष संदर्भ में जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक जागृति और सशक्तिकरण पर 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रभाव का परीक्षण करें।
2. बिहार के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति में जातिवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

46 बीपीएससी

1. सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के आलोक में बिहार में जेल प्रशासन पर अपनी टिप्पणी दें।

42 बीपीएससी

1. बिहार में जातिगत राजनीति की आलोचना लिखिए।

41 बीपीएससी

1. ग्रामीण बिहार में हिंसा के कारणों पर चर्चा करें।

39 बीपीएससी

1. बिहार में लोगों को शिक्षा प्रदान करने वाले चारवाहा विद्यालयों की उपलब्धियों पर चर्चा करें।

पेपर 2

खंड 1: राजनीति और शासन

नीति निदेशक तत्व

1. विभिन्न निदेशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। 1950 के बाद इन्हें बिहार में कैसे लागू किया गया? (52-55 बीपीएससी)

केंद्र-राज्य संबंध

1. भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव क्षेत्रों का विश्लेषण करें। केंद्र सरकार और बिहार राज्य के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। (56-59 BPSC)

राजनीति

1. जाति की राजनीति ने भारत में राजनीति का एक प्रमुख और स्थायी तरीका हासिल कर लिया है। बिहार में समकालीन राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में इस घटना की व्याख्या करें। (67 बीपीएससी)
2. भारतीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था राष्ट्रवादी न होकर व्यक्तिवादी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। (65 बीपीएससी)

3. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज भारतीय राजनीति, मुख्य रूप से जिम्मेदार राजनीति के बजाय विकास की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (64 बीपीएससी)
4. बहुत सारे राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं। इस तथ्य को बिहार के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये। (64 बीपीएससी)
5. भारत की चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण करें। 2015 के बिहार चुनाव में जाति कारक ने किस हद तक भूमिका निभाई? (56-59 बीपीएससी)
6. भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन की व्याख्या करें। (बीपीएससी 2009)
7. बिहार के विशेष संदर्भ में राजनेता-अपराधी गठजोड़ पर एक निबंध लिखें। (बीपीएससी 2007)
8. भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका पर चर्चा करें, बिहार में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधानों की गणना करें। (बीपीएससी 2005)
9. 1977 से बिहार की राजनीति में एक कारक के रूप में जाति पर एक संक्षिप्त और आलोचनात्मक निबंध लिखें और वर्तमान स्थिति के विशेष कारणों पर प्रकाश डालें। (बीपीएससी 1999)

राज्यपाल और मुख्यमंत्री

1. भारत में विशेष रूप से बिहार में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्या वह महज कठपुतली है? (64 बीपीएससी)
2. बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों और वास्तविक स्थिति पर चर्चा करें। (63 BPSC)
3. राज्यपाल की शक्ति एवं कार्यों तथा बिहार में उनकी भूमिका पर चर्चा करें। (52-55 बीपीएससी)
4. राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा करें और बिहार में हाल के घटनाक्रम के संदर्भ में उनकी भूमिका स्पष्ट करें। (बीपीएससी 1997)
5. राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्यों और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (बीपीएससी 2002)

चुनाव

1. आप चुनाव अभियान के बारे में क्या समझते हैं? बिहार में चुनाव प्रचार के प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डालिए। (बीपीएससी 2005)
2. बिहार में चुनावी प्रक्रिया पर टिप्पणी। (बीपीएससी 2001)

स्थानीय सरकार

1. बिहार के विशेष संदर्भ में 1991 से भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकारों के कामकाज का विश्लेषण करें। (बीपीएससी 2009)

मिश्रित

1. ई-गवर्नेंस के बारे में आप क्या समझते हैं? बिहार में ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करें। (65 बीपीएससी)
2. मानव विकास को कैसे मापा जाता है? मानव विकास एजेंडा को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की सात प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं की व्याख्या करें। (66 बीपीएससी)

खंड 2: भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल

बिहार से सम्बंधित प्रश्न

1. मानव विकास को कैसे मापा जाता है? मानव विकास एजेंडा को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की सात प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं की व्याख्या करें। (66 बीपीएससी)
2. बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? (65 बीपीएससी)
3. पंचायत प्रणाली को मजबूत करने के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना हाल के दिनों में भारत में योजना का फोकस है। इस कथन की व्याख्या करते हुए एक एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना का खाका सुझाइए। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकृत योजना परिदृश्य का भी आलोचनात्मक परीक्षण करें। (60-62 बीपीएससी)
4. भारतीय मानसून की परिवर्तनशील प्रकृति भारत में कृषि विकास की योजना पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव डालती है? बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। (53-55 बीपीएससी)
5. “बिहार में गरीबी का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएँ हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार टिप्पणी करें। (47 BPSC)
6. बिहार में कृषि उपज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्थिर क्यों है? उनके मूल कारणों को स्पष्ट कीजिए तथा उन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाइए। (46 बीपीएससी)
7. बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाओं की भूमिका स्पष्ट करें। (44 बीपीएससी)
8. विकास की सभी संभावनाओं के साथ, बिहार को भारत के पिछड़े राज्यों में से एक माना जा रहा है। पूरी चर्चा करें। (43 बीपीएससी)
9. बिहार में उद्योगों की संसाधन क्षमता, योजना और विकास की जांच करें। (42 बीपीएससी)
10. बिहार में एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ बताइये। इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं? (40 बीपीएससी)
11. समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद बिहार में औद्योगिक विकास की गति खराब क्यों है? चर्चा करना। (40 बीपीएससी)

आर्थिक योजना

1. क्षेत्रीय विकास से आप क्या समझते हैं? बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन कितना सफल रहा है? चर्चा करना। (56-59 बीपीएससी)
2. सरकार अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बिहार से गरीबी दूर करने में कितनी सफल रही है? (48-52 बीपीएससी)

कृषि

1. 1991 से भारतीय कृषि में उत्पादन और उत्पादकता के रुझान का मूल्यांकन करें। बिहार में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन से व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने चाहिए? (65 बीपीएससी)
2. भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए तथा कृषि विपणन प्रणाली के दोष लिखिए। कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? (56-59 बीपीएससी)
3. “भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि विविधीकरण और जैविक खेती बेहतर विकल्प हैं।” बिहार के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक टिप्पणी करें। (53-55 BPSC)

खंड 3: भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव

ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत

1. बिहार राज्य में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए, उन वैज्ञानिक पहलों का सुझाव दें जिन्हें आप शुरू करना चाहते हैं। (56-59 BPSC)

जल पर प्रश्न

1. घरेलू कृषि और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार अपने जल संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग नहीं कर रहा है। व्याख्या करना। (39 बीपीएससी)
2. पिछले कुछ वर्षों में बिहार में बाढ़ और सूखा प्रमुख बाधाएँ रही हैं, जिसने इसके विकास और समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के आपदा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विशिष्ट उदाहरणों सहित चर्चा करें। (66 बीपीएससी)

विविध प्रश्न

1. उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) क्या है? इस योजना में कौन से राज्य भागीदार हैं? उदय से बिहार को क्या फायदा होने वाला है? (60-62 बीपीएससी)
2. यूरेनियम ऑक्साइड बिहार में पाया जाता है। उपयोग न करने पर भी यह अपने आप नष्ट हो जाता है। इस खनिज के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करें। (46 बीपीएससी)

68वीं बीपीएससी

पेपर 1

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
(a) बिरसा मुंडा आंदोलन
(b) पटना कलम पेंटिंग
2. ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास पर चर्चा करें। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
3. A. बिहार के अधिकार-आधारित ई-सेवा वितरण परिदृश्य पर चर्चा करें।
B. बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का वर्णन करें।
C. सुशासन के आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 (2020-2025) कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

पेपर 2

1. पिछले दशकों में बिहार की राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा गया है। उदाहरण दो।
2. चुनाव कराने में भारत निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका रही है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बिहार में शेषान-पूर्व और शेषान युग के बाद के चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर की सराहना करें। यह लोकतंत्र की मजबूती में कैसे योगदान देता है?
3. बिहार में शहरीकरण के स्तर पर चर्चा करें। राज्य में शहरीकरण के निम्न स्तर के कम से कम दो कारण बताइये। राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या पहल की गई हैं?
4. कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन-आधारित उद्योगों, कृषि-आधारित उद्योगों और खनिज-आधारित उद्योगों में विभाजित करें, उन उद्योगों के स्थान को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखाचित्रों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें।
5. बिहार के प्रौद्योगिकी-संचालित आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखें।
6. एक ओर हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का मिशन और दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की कमी, जल संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर प्रकाश डालें। उन वैज्ञानिक और तकनीकी विकासों पर भी चर्चा करें जिनका उपयोग बिहार राज्य ने केंद्र सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने में किया है।



परिशिष्ट 2: बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (विगत वर्षों के प्रश्न)

68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 2023

1. बिहार में “स्वराज दल” की स्थापना किसने की थी?
- (a) श्रीकृष्ण सिंह (b) रामलाल शाह
(c) बंकिम चंद्र मित्रा (d) उपरोक्त में से एक से अधिक
(e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में “स्वराज दल” की एक शाखा स्थापित की।
 - बिहार में इसका गठन फरवरी, 1923 में हुआ था।
 - श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी इसके सचिव थे।
 - पार्टी ने नवंबर, 1923 में हुए विधानसभा चुनावों में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीतीं।
 - स्वराज पार्टी के बारे में:
 - स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी।
 - वे दोनों इस विचारधारा में विश्वास करते थे कि “कांग्रेस को सरकार का हिस्सा होना चाहिए और विधान सभाओं में प्रवेश करना चाहिए और सरकार के भीतर संघर्ष जारी रहना चाहिए।
 - इस विचारधारा को अधिकांश कांग्रेसियों ने खारिज कर दिया, जिसके कारण अंततः 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ।
 - पार्टी का जनादेश परिषदों का हिस्सा बनना और आंदोलन के माध्यम से उनके काम में बाधा डालना था।
 - चितरंजन दास पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने।
2. बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ-साथ किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना?
- (a) हाथी
(b) विकास
(c) मलबा
(d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
(e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- “बिहार में नमक सत्याग्रह” के दौरान, लोग नमक बनाने के अलावा, बिहार में “चौकीदारी कर का भुगतान न करने” द्वारा सरकार का विरोध करना चुनते हैं।
 - इसलिए, “c” अर्थात् उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है।
 - बिहार में नमक सत्याग्रह:
 - बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल, 1930 को सारण और चंपारण जिलों में शुरू किया गया था।
 - पटना में, नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल, 1930 को हुआ, जब स्वयंसेवकों ने पटना शहर में मांगले टैंक के पास, नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए स्थान के रूप में चुना गया था।
 - 1930 में, सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में, बिहपुर [भागलपुर] के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवा की दुकानों पर धरना देना शामिल था।
 - मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस समिति के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया।
 - छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया और स्वदेशी कपड़े मिलने तक नग्न हड़ताल पर चले गए।
 - 30 जून 1930 को कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया।
3. श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी, 1938 में किस कारण से त्यागपत्र दे दिया?
- (a) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी।
(b) राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए
(c) गांधीजी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह।
(d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
(e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने “राजनीतिक कैदियों की रिहाई” के लिए फरवरी, 1938 में इस्तीफा दे दिया।

- मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा जारी एक सर्कुलर का बिहार में मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया और उन्हें इसे वापस लेना पड़ा।
 - जब राज्यपाल ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया, तो मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया।
 - हालांकि, फरवरी, 1938 में इस मामले पर एक समझौते के बाद ही मंत्रालय ने कार्यालय फिर से शुरू किया।
 - भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत चुनाव:
 - कांग्रेस ने “भारत सरकार अधिनियम, 1935” के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया।
 - बिहार में विधान सभा के चुनाव 22 जनवरी से 27 जनवरी, 1937 के बीच हुए।
 - विधानसभा की कुल 152 सीटों में से कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर जीत हासिल की।
 - परिणामस्वरूप, 20 जुलाई, 1937 को श्री कृष्ण सिंह के साथ प्रीमियर के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया।
 - राम दयालु सिंह स्पीकर बने और अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर बने।
 - अन्य मंत्रियों में अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद और जगलाल चौधरी थे।
 - बलदेव सहाय को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।
 - अंत में, बिहार मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 1939 को अपना इस्तीफा दे दिया।
4. चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधीजी की जान किसने बचाई थी?
- (a) बताक मियां
 - (b) हामिद अंसारी
 - (c) रवींद्र पाठक
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बटक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधीजी की जान बचाई थी।
 - वह रसोइया था और बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था।
 - चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी (चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी) पुस्तक के अनुसार, इरविन (केवल एक नाम उपलब्ध है), एक नील बागान के एक ब्रिटिश प्रबंधक ने गांधी को रात के खाने पर आमंत्रित किया और अपने रसोइये बटक मियां से कहा कि वह उन्हें जहरीला दूध परोस दें।
 - बटक मियां गिलास गांधी के पास ले गए लेकिन साजिश का खुलासा कर दिया। डॉ राजेंद्र प्रसाद, बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति, एक गवाह थे।
5. असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया?
- (a) स्वामी विद्यानन्द

- (b) राजकुमार शुक्ल
- (c) श्रीकृष्ण सिंह
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया।
- 1919 और 1920 में, किसान कार्यकर्ता “स्वामी विद्यानंद” ने एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र के लोगों के बीच व्यापक समर्थन को आकर्षित किया।
- यह विरोध दरभंगा राज, बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी जमींदारों में से एक पर केंद्रित था।

बिहार में असहयोग आंदोलन (1920-22):

- गांधीजी ने 1920 में पंजाब और खिलाफत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया और 1921-22 के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच गया। इस आंदोलन में बिहार ने निभाई अहम भूमिका
- 28 अगस्त, 1920 को, “डॉ राजेंद्र प्रसाद” की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने महात्मा गांधी के असहयोग के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे उन्होंने 1 अगस्त, 1920 को घोषित किया था।
- गांधीजी ने दिसंबर, 1920 में बिहार का दौरा किया और एक राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी।
- बिहार में असहयोग आंदोलन की विशेषताएं:
- शिक्षकों और छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और वकीलों ने अदालतों में भाग लेने से परहेज किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया।
- 17 नवंबर को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हो गई।
- 22 दिसंबर को जब प्रिंस पटना आए तो वहां पूरी तरह बहिष्कार कर दिया गया।
- मार्च 1922 में गांधीजी की गिरफ्तारी को बिहार में राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिह्नित किया गया था।
- 1922 में कांग्रेस की सविनय अवज्ञा जांच समिति ने बिहार का दौरा किया।
- बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी, 1921 को हुई थी, जिसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था।
- मौलाना मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को क्रमशः इसका कुलपति और कुलपति बनाया गया।
- राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रीय विद्यालय, पटना में प्रधानाचार्य बनाया गया।

- मजहूरल हक ने पटना में दीघा के निकट सदाकत आश्रम की स्थापना की जो राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र बना।
- उन्होंने 30 सितंबर, 1921 से “मातृभूमि” नामक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया।
- 6. 1940 में, पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी?
 - (a) यीशु का समाज।
 - (b) आयरिश ईसाई ब्रदर्स।
 - (c) एपोस्टोलिक कार्मेल की बहनें।
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- पटना वीमेंस कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है।
- बिशप बीजे सुलिवन एसजे, पटना के बिशप (संस्थापक) और मदर एम। जोसेफिन एसी सुपीरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल ने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा।
- कॉलेज 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय, अपोस्टोलिक कार्मेल की कैथोलिक धार्मिक बहनों द्वारा चलाया जाता है।
- 7. महात्मा गांधी और बिहार, सम रेमिनिसेन्स के लेखक कौन थे?
 - (a) जेपी नारायण
 - (b) कर्पूरी ठाकुर
 - (c) डॉ राजेंद्र प्रसाद
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- महात्मा गांधी और बिहार, सम रेमिनिसेन्स के लेखक “डॉ राजेंद्र प्रसाद” थे।
- डॉ राजेंद्र प्रसाद पर अतिरिक्त तथ्य:
- उनका जन्म बिहार के जीरादेई [सीवान जिले] में हुआ था।
- वह भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने [26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962 तक]।
- 11 दिसंबर, 1946 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने।
- उन्हें 1962 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, “भारत रत्न” मिला।
- उपाधि: देशरत्न, अजातशत्रु
- 8. बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है?

- (a) ल्यूक चर्च
- (b) स्टीफंस चर्च
- (c) पादरी की हवेली
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- “पादरी की हवेली” पटना, बिहार का सबसे पुराना चर्च है।
- इसे “धन्य वर्जिन मैरी के दर्शन” के रूप में भी जाना जाता है।
- जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे, तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किया, जिसे अब “पाद्री-की-हवेली” के नाम से जाना जाता है।
- वर्तमान चर्च को 1772 में एक विनीशियन वास्तुकार “टिरेटो” द्वारा फिर से डिजाइन किया गया था।
- 9. निम्नलिखित में से किसने हुमायूँ को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा?
 - (a) शेर खान
 - (b) बैरम खान
 - (c) बहादुर शाह
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- शेर खान ने हुमायूँ को एक प्रस्ताव दिया कि वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा यदि उसे बंगाल को बनाए रखने की अनुमति दी गई।
- शेर खान:
- वह सासाराम के जागीरदार “हसन खान” के पुत्र थे।
- 1527-28 में, वह बाबर की सेवा में शामिल हो गए और फिर दक्षिण बिहार में डिप्टी गवर्नर और नाबालिग राजा “जलाल खान लोहानी” के संरक्षक के रूप में लौट आए।
- सूरजगढ़ [मुंगेर] का युद्ध, 1534 ई.: शेरशाह ने महमूद शाह के नेतृत्व वाली बंगाल की सेना को हराया।
- इस लड़ाई का महत्व: इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक और शेरशाह के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।
- इस लड़ाई के बाद, उन्होंने “हजरत-ए-आला” की उपाधि धारण की और वस्तुतः बिहार के स्वामी बन गए।
- चुनार का किला: उसने ताज खान सारंगखानी की विधवा लाडो मलका से विवाह करके चुनार का रणनीतिक किला प्राप्त किया।

- उसने “हुमायूँ” को हराया:
- 1539 में चौसा के युद्ध में और सम्राट के रूप में “शेर शाह” की उपाधि धारण की।
- 1540 में बिलग्राम/कन्नौज की लड़ाई में और कन्नौज पर कब्जा कर लिया।
- उसने “रूपया” नामक सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानक वजन और माप निर्धारित किए।
- उसने दिल्ली में “पुराना किला” बनवाया।
- उन्हें “सासाराम” में दफनाया गया था।

10. विक्रमशिला विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था।

- धर्मपाल
- देवपाल
- गोपाल
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- धर्मपाल [गोपाला के पुत्र] ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और “विक्रमशिला विश्वविद्यालय” की स्थापना की।
- पाल साम्राज्य के बारे में:
- वे महायान बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे।
- गोपाल ने 750 ईस्वी में “पाल साम्राज्य” की स्थापना की।
- उन्होंने “ओदंतपुरी” मठ की स्थापना की।
- देवपाल [धर्मपाल के पुत्र] ने असम, ओडिशा और कामरूप जैसे पूर्वी भारत में “पाल साम्राज्य” का विस्तार किया।

11. निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे?

- सर जेम्स डेविड सिफ्टन
- सर ह्यूग डॉव
- सर मौरिस गार्नियर हैलेट
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- सर जेम्स डेविड सिफ्टन 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे।
- वह उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे।
- 12. भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है?
- (a) उत्तर प्रदेश
- (b) झारखंड
- (c) पश्चिम बंगाल

(d) उपरोक्त में से एक से अधिक।

(e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य दोनों की बिहार के 8 जिलों के साथ सीमा मिलती है।
- कटिहार जिले का पूर्वी सिरा झारखंड को छूता है और रोहतास जिले का पश्चिमी सिरा उत्तर प्रदेश को छूता है।

उत्तर प्रदेश के साथ जिला साझा सीमा:		झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले:	
1.	पश्चिमी चंपारण	1.	कटिहार
2.	गोपालगंज	2.	भागलपुर
3.	सीवान	3.	किनारा
4.	सारण	4.	जमुई
5.	बक्सर	5.	गया
6.	भोजपुर	6.	नवादा
7.	कैमूर	7.	औरंगाबाद
8.	रोहतास	8.	रोहतास

13. फल्गु, बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है?

- लीलाजन और सोन नदियाँ
- सोन और मोहना नदियाँ
- मोहना और लीलाजन नदियाँ
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- फल्गु का निर्माण दो बड़ी पहाड़ी धाराओं लीलाजन और मोहना के संगम से हुआ है।
- इसे “निरंजना नदी” के नाम से भी जाना जाता है।
- यह मानसून के दौरान उच्च बाढ़ के अधीन है, लेकिन वर्ष के अन्य मौसमों में, यह रेत के विस्तृत विस्तार से भटकते हुए धारा में गिर जाता है।
- यह गया से बहती है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है।

14. बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई?

- ठाकुरगंज
- बहादुरगंज
- सुपौल
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बिहार में पहली बार “ठाकुरगंज” में चाय बागानों की स्थापना की गई।
- ठाकुरगंज भारतीय राज्य बिहार के किशनगंज जिले में 12 वार्डों में विभाजित एक शहर और एक अधिसूचित क्षेत्र है।

किशनगंज के बारे में:

- इसे “बिहार का चाय शहर” और बिहार के पूर्णिया संभाग का हिस्सा कहा जाता है।
- किशनगंज जिला 14 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल 1,884 वर्ग किलोमीटर है।
- किशनगंज जिला पश्चिम में अररिया जिले, दक्षिण-पश्चिम में पूर्णिया जिले, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले और उत्तर में पश्चिम बंगाल और नेपाल के दार्जिलिंग जिले से घिरा हुआ है।
- पश्चिम बंगाल की लगभग 20 किमी चौड़ी एक संकरी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है।

15. आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि [2001-2011] के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनें

- (a) सीवान, किशनगंज, मधेपुरा
- (b) मधेपुरा, किशनगंज, सीवान
- (c) किशनगंज, मधेपुरा, सीवान
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि [2001-11] के अनुसार जिलों का सही क्रम

सीवान < किशनगंज < मधेपुरा

जिले और राज्य	दशकीय विकास दर [2001-11]
मधेपुरा	30.65%
किशनगंज	30.44%
सीवान	22.25%
बिहार	25.07%

16. बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का बोलबाला है?

- (a) अनाज आधारित उद्योग
- (b) दाल उद्योग
- (c) गन्ना उद्योग
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का बोलबाला है।
- कृषि आधारित उद्योगों में शामिल हैं:
- खाद्य उत्पाद, कपड़ा, चमड़ा उत्पाद, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद, फर्नीचर और कागज उद्योग।
- बिहार के प्रमुख कृषि उत्पादों में अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें शामिल हैं।

17. बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रोहतास में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडार है।
2. चूना पत्थर कैमूर (भभुआ), मुंगेर (मुंगेर) तथा रोहतास जिलों में पाया जाता है।
3. जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 3
- (b) 1 और 2 केवल
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक
- (e) इनमें से कोई भी नहीं

व्याख्या

- कथन 1: रोहतास में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडार है।
- बिहार देश के पायराइट संसाधनों का प्रमुख धारक है और इसके पास 95% संसाधन हैं।
- मुख्य निक्षेप बिहार के रोहतास जिले के अमझोर कसिस्याकोह और कुरियारी में सोन घाटी में पाए जाते हैं।
- कथन 2: कैमूर [भभुआ], मुंगेर और रोहतास जिले में अच्छी गुणवत्ता वाले चूना पत्थर पाए जाते हैं।
- कथन 3: भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, जमुई जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने के संसाधन हैं।
- तो, “विकल्प d” अर्थात “उपरोक्त में से एक से अधिक” सही है।

18. निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है?

- (a) पीरपैंती रेलवे स्टेशन।
- (b) अम्मापाली रेलवे स्टेशन
- (c) कहलगांव रेलवे स्टेशन
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है।
 - यह पूर्वी रेलवे क्षेत्र के मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत साहिबगंज लूप लाइन पर एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन है।
 - यह भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले के अम्मापाली में पकारिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है।
19. कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं?
- (a) Cwg
 - (b) Aw
 - (c) Dfc
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु "Cwg" प्रकार की जलवायु में आती है।
 - दक्षिण भारत "ओ" प्रकार की जलवायु में पड़ता है।
 - कोपेन एक जर्मन-रूसी जलवायु विज्ञानी थे।
20. साल 2020 में बिहार ने हासिल किया... बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान [बीआरएपी] द्वारा दी गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 36 राज्यों में से रैंक
- (a) 23तक
 - (b) 24जी
 - (c) 25जी
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बिहार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक व्यापार रैंकिंग में आसानी से 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 26 वीं रैंक हासिल की है।
 - रैंकिंग व्यापार सुधार कार्य योजना [बीआरएपी], 2019 पर आधारित है।
 - यह 180 सुधार बिंदुओं पर राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित था, जिसमें 12 व्यापार नियामक क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिसमें निवेश को आकर्षित करने और व्यवसाय करने के पूर्व के बड़े उद्देश्य के साथ सूचना तक पहुंच, एकल-खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण शामिल थे।
21. 28 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया?

- (a) लखीसराय
- (b) राजगीर
- (c) बोधगया
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- सही उत्तर विकल्प "c" है।
- श्री नीतीश कुमार ने 27-11-2022 को राजगीर में और 28-11-2022 को बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया।

हर घर गंगाजल योजना:

- इस योजना में मानसून के मौसम के दौरान गंगा नदी से अतिरिक्त पानी एकत्र करने की परिकल्पना की गई है।
 - एकत्रित पानी को उपचारित कर पाइपलाइन के माध्यम से राजगीर, गया और बोधगया जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति की जाएगी।
 - यह योजना बिहार सरकार की प्रमुख योजना, "जल, जीवन और हरियाली योजना" के एक भाग के रूप में शुरू की जाएगी।
 - पहले चरण का परियोजना परियोजना: 4000 करोड़ रुपये।
 - योजना का विवरण:
 - यह राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मानसून के दौरान बाढ़ वाली गंगा से अतिरिक्त पानी को चैनलाइज करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
 - इस योजना का उद्देश्य बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्याओं से निपटना है।
 - यह पूरे वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135 लीटर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करेगा।
 - योजना के एक भाग के रूप में, बिहार सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संगठनों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगी।
22. पिछले दस वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर _____ प्रतिशत था, जो वर्तमान में बढ़कर _____ प्रतिशत हो गया।
- (a) 11.3, 15.3
 - (b) 12.2, 13.1
 - (c) 14.4, 15.5
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में शहरीकरण दर 11.3 है, जो बहुत कम है और राष्ट्रीय औसत 31.2% से कम है।
- बिहार सरकार द्वारा शहरी केंद्र की पुनर्परिभाषा के साथ, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण 15.3% है।
- पुनर्परिभाषा के अलावा, 32 पुरानी नगर पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है, जबकि पांच पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है।

23. बिहार में पहला “फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट” किस स्थान पर बनाया गया है?

- (a) दिलबरपुर, दरभंगा
- (b) जमालपुर, दरभंगा
- (c) कादिराबाद, दरभंगा
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- पहला “फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट” बिहार के दरभंगा के कादिराबाद में बनाया गया है।
- यह बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी [ब्रेडा] द्वारा कमीशन किया गया था।
- इससे करीब 2 मेगावाट बिजली पैदा होगी।

“फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट” क्या है?

- फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों में, सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली जमीन या इमारत की छतों के विपरीत सीधे पानी के शरीर के ऊपर रखी जाती है।
- दुनिया का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जापान में सेंट्रल होन्शू के आइची प्रीफेक्चर में बनाया गया था।

24. वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है?

- (a) शिवहर
- (b) अररिया
- (c) सीतामढ़ी
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- शिवहर की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में सबसे कम है।

जिलों	प्रति व्यक्ति आय
शिवहर	19,600 रुपये
अररिया	20,600 रुपये
सीतामढ़ी	22,100 रुपये

25. नीति आयोग, SDG रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बिहार राज्य ने कितना स्कोर किया?

- (a) 100 में से 22
- (b) 100 में से 35
- (c) 100 में से 52
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, सतत विकास लक्ष्यों पर बिहार का समग्र स्कोर (100 में से 52) सभी राज्यों में सबसे कम है।
- सूचकांक का निर्माण 16 एसडीजी में 115 संकेतकों का उपयोग करके किया गया है।
- बिहार में आबादी का एक उच्च अनुपात (33.74 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे रहता है, और 52.5 प्रतिशत उच्च बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है।
- पांच साल से कम उम्र के 42 फीसदी बच्चे नाटे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है।

26. निम्नलिखित में से किसे अगस्त, 2022 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया है?

- (a) बिहार का पिपली (खटवा) कार्य
- (b) बिहार के सिक्की घास उत्पाद
- (c) मिथिला मखाना
- (d) उपरोक्त में से एक से अधिक
- (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- मिथिला मखाना को अगस्त, 2022 में “भौगोलिक संकेत” [जीआई] टैग से सम्मानित किया गया है।
- इससे उत्पादकों को अधिकतम मूल्य प्राप्त करने और उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

मिथिला मखाना:

- इसकी खेती बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में की जाती है, मिथिला मखाना जलीय लोमड़ियों की एक अनूठी किस्म है।
- इसका वानस्पतिक नाम यूरियाल फेरॉक्स सैलिसब है और मिथिला की व्यापक रूप से ज्ञात क्षेत्रीय पहचान में से एक है।
- भारत की 80 प्रतिशत मखाना या फॉक्स नट की आपूर्ति बिहार द्वारा पूरी की जाती है।

- मिथिला मखाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है।

भौगोलिक संकेत:

- जीआई टैग उत्पादों, कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) के एक विशिष्ट क्षेत्र को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है।
- यह विशेष गुणवत्ता और पहचान के उत्पाद को दिया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है।
- जीआई टैगिंग उत्पादों को एक ब्रांड बनाने, स्थानीय रोजगार पैदा करने में मदद करता है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह विशेष क्षेत्र (और इसके लोगों) के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति और अभिव्यक्ति को संरक्षित करने में मदद करता है।
- भारत में, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 माल से संबंधित जीआई को सुरक्षा प्रदान करता है और बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है।
- टैग की वैधता 10 वर्ष है जिसे आगे भी नवीनीकृत किया जा सकता है।

27. निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है?

- लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला
- बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर
- नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- सही उत्तर विकल्प "e" है।
- खगोलीय वेधशाला लंगट सिंह कॉलेज यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं था।
- यह एक फर्जी खबर थी, जिसे बाद में विधिवत स्पष्ट किया गया।

बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल	स्थान
महाबोधि मंदिर [2002]	बोधगया, गया
नालंदा महाविहार	नालंदा

28. दिवंगत अभिनेता कुमुदल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था?

- मुंगेर
- भागलपुर

- पटना
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- कुमुदलाल छत (13 अक्टूबर 1911 - 10 दिसंबर 2001), जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार और दादाजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त की।
- वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय का परिचय दिया।
- उन्हें 40 और 50 के दशक के काले और सफेद युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है और साथ ही एक विरोधी नायक की भूमिका निभाने वाले पहले मुख्य अभिनेता भी हैं।
- अशोक कुमार का जन्म भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत (वर्तमान बिहार, भारत) में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

29. कर उद्योगों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है?

- दरभंगा
- पूर्णिया
- किशनगंज
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- प्रश्न को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण के साथ हटा दिया गया था:
- प्रश्न दिए गए (निम्नलिखित) केवल 3 जिलों या बिहार या भारत के सभी जिलों में ऐसे जिले का उल्लेख नहीं करता है। इसलिए इसे मिटा देना चाहिए।

30. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण [2021-22] के अनुसार, 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद [जीएसडीपी] की विकास दर कितनी रही?

- 3%
- 2%
- 2.5%
- उपरोक्त में से एक से अधिक।
- इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण [2021-22] के अनुसार:
- 2020-21 में, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण 2.5% की वृद्धि हुई।

- हालाँकि, बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 7.2% कम हो गई है।
- **बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद [जीएसडीपी]:** मौजूदा कीमतों पर, 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी 618.63 हजार करोड़ रुपये था जबकि स्थिर कीमतों (2011-12) पर यह 419.88 हजार करोड़ रुपये है।
- 31. निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार अर्थव्यवस्था के लिए सही है?
 - (a) विकास दर भारत में सबसे कम 2.5% में से एक है।
 - (b) बिहार ने ज्यादातर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया
 - (c) अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है।
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बिहार की अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से ठप है। इसलिए, “विकल्प C” सही समाधान है।

रोजगार प्रकृति:

- 2019-20 में, 59.9% पुरुष कर्मचारी स्व-नियोजित थे, ज्यादातर स्वयं खाता श्रमिकों या नियोक्ताओं के रूप में। लगभग 30.8% पुरुष श्रमिक आकस्मिक श्रमिक थे, जो मुख्य रूप से अपने जीवन यापन के लिए अनियमित मजदूरी पर निर्भर थे।
- दूसरी ओर, महिला श्रमिकों के मामले में, 51.7% स्व-नियोजित श्रमिकों में से 22.9% घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे।
- महिला आकस्मिक श्रम में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 36.3% था, जो अखिल भारतीय औसत से 14.4% अधिक था।

रोजगार सृजन:

- बिहार के अधिकांश पुरुष श्रमिक कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने [45.9%], निर्माण [21%] और थोक और खुदरा व्यापार, मोटर वाहनों की मरम्मत [13.5%] में लीन थे।
- लगभग 2/3 महिला कर्मचारी कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में लगी हुई थीं।
- 32. बिहार ने वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की है?
 - (a) ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5%
 - (b) ग्रामीण क्षेत्रों में 6% और शहरी क्षेत्रों में 8.1%
 - (c) ग्रामीण क्षेत्रों में 7% और शहरी क्षेत्रों में 9.1%
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- बिहार ने ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5% पर सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) दर्ज की।
- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन [1905-08] की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी जो बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था।
- बिहार में महिला कार्य भागीदारी दर के इतने निम्न स्तर के कारणों में से एक उनके कार्य की परिभाषित जटिलताएं हैं जो श्रम बल में उनकी कम गणना की समस्या को बढ़ाती हैं।
- रोजगार की स्थिति के अनुसार श्रमिकों के वितरण से पता चलता है कि बिहार में 40% महिला श्रमिक स्व-नियोजित थीं, या तो स्वयं खाता श्रमिकों (32.3%) या घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में (7.7%)।
- प्राथमिक क्षेत्र रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करना जारी रखता है।
- कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में 66.8% महिला श्रमिक कार्यरत हैं।
- 33. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 24, 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह 2015-16 में _____ से बढ़कर 2020-22 में _____ हो गया है
 - (a) 1062, 1090
 - (b) 1040, 1070
 - (c) 1030, 1050
 - (d) उपरोक्त में से एक से अधिक।
 - (e) इनमें से कोई भी नहीं।

व्याख्या

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर, 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार बिहार के लिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- यह 2015-16 में 1062 [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4] से बढ़कर 2020-22 में 1090 [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य-सर्वेक्षण-5] हो गया है।
- जबकि बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात केवल 982 और ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1111 है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 55% है।
- बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण में 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गई है।

34. मगध शासक “बिम्बिसार” के चिकित्सक कौन थे?

- (a) विजयसेना
(b) जीवक

(c) मनु

(d) शीलभद्र

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- “जीवक” मगध शासक “बिम्बिसार” के चिकित्सक थे।

राजवंश	संबद्ध तथ्य
हर्यक वंश [544 ई.पू.-412 ई.पू.]	कालक्रम: बिम्बिसार-अजातशत्रु-उदयिन।
	बिम्बिसार: [546-494 BC] - श्रोतिका और सेनिया भी कहा जाता है। - ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। - उसने वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। - कोसल के शासक परिवार के साथ पहला वैवाहिक गठबंधन। - उन्होंने प्रसेनजित की बहन कोसलदेवी से विवाह किया। - उन्हें दहेज के रूप में “काशी क्षेत्र” दिया गया था। - काशी ने उन्हें बड़े राजस्व में मदद की
	दूसरा वैवाहिक गठबंधन
	उन्होंने वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी “चेलाना” से विवाह किया।
	तीसरा वैवाहिक गठबंधन
	उन्होंने मध्य पंजाब में “मदरा” के शाही घराने के “खेमा” से शादी की।
	वह वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे।
	पीलिया से पीड़ित होने पर उन्होंने अपने शाही चिकित्सक “जीवक” को अवन्ती राजा “प्रद्योत” के इलाज के लिए उज्जैन भेजा।
	नियमित और स्थायी सेना रखने वाले पहले भारतीय राजा के रूप में पहचाने गए।
	अजातशत्रु [494 BC-462 BC] - कुनिका के नाम से भी जाना जाता है। - उसने अपने पिता को मार डाला और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। - वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाना जाता है। - कोशल नरेश प्रसेनजित ने अपने मामा पर आक्रमण किया। - काशी पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। - वज्जि महासंघ के विरुद्ध युद्ध किया और 16 वर्षों के युद्ध के बाद उन्हें पराजित किया। - काशी और वैशाली को जोड़कर मगध को शक्तिशाली बनाया। - उन्होंने गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गाँव में राजगृह का किला और एक चौकीदार किला [जलदुर्ग] बनवाया। - राजगृह में उनके शासनकाल के दौरान पहली बौद्ध परिषद बुलाई गई थी। उदयिन: [460-440 BC] - उन्होंने सोन और गंगा के संगम पर “पाटलिपुत्र” शहर की नींव रखी। - उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया।

35. बिहार में “तुर्क शासन” का वास्तविक संस्थापक कौन था?
- बख्तियार खिलजी
 - इब्राहिम
 - दरियान खान नूहानी
 - मलिक हुसामुद्दीन
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बख्तियार खिलजी बिहार में “तुर्क शासन” के वास्तविक संस्थापक थे।
 - उसने 1199 ईस्वी में बिहार के किलेबंद विश्वविद्यालय शहर (हिसार-ए-बिहार) पर हमला किया।
 - इसके अलावा, उन्होंने बिहारशरीफ पर आक्रमण किया और “ओदंतीपुरी महाविहार” को लूट लिया।
 - बिहारशरीफ उपखंड में “बख्तियारपुर” स्थान का नाम संभवतः शहर के “तुर्की विजय” के बाद उनके नाम पर रखा गया था।
 - बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन “तबकात-ए-नासिरी” [फारसी भाषा में] मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा लिखित है।
 - उन्होंने 1206 ईस्वी में एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान “तिब्बत अभियान” शुरू किया और अली मर्दन द्वारा बंगाल लौटने पर उनकी हत्या कर दी गई।
36. बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे?
- डॉ. श्री कृष्ण सिंह
 - बृज किशोर प्रसाद
 - बीपी मंडल
 - सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- सत्येंद्र प्रसन्ना बिहार के भारतीय राज्यपाल थे।
 - लॉर्ड सिन्हा [सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा] ने 1921 में बिहार-उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया।
 - सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के बारे में:
 - वह एक प्रमुख ब्रिटिश भारतीय वकील और राजनेता थे।
 - वह 1920 में बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल थे।
 - 1905 में बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल।
 - 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय।
 - ब्रिटिश “हाउस ऑफ लॉर्ड्स” के पहले भारतीय सदस्य।
 - 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।
37. संथाल विद्रोह के नेता कौन थे?

- सिद्धू और कान्हू
- गौरक्षिणी भगत और केशव चंद्र।
- शंभजीतमज पाल और कोर्पा माल्या
- जरा भगत और बलराम भगत
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे।
 - संथाल विद्रोह (जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हूल के रूप में भी जाना जाता है), ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (बीईआईसी) और जमींदार प्रणाली दोनों के खिलाफ संथाल द्वारा वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में एक विद्रोह था।
 - यह 30 जून, 1855 को शुरू हुआ और 10 नवंबर, 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मार्शल लॉ घोषित किया गया, जो 3 जनवरी, 1856 तक चला, जब मार्शल लॉ को निलंबित कर दिया गया और विद्रोह को अंततः प्रेसीडेंसी द्वारा दबा दिया गया।
 - विद्रोह का नेतृत्व चार भाई-बहनों- सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने किया था।
38. बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था?
- 1842
 - 1798
 - 1784
 - 1832
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ई. में हुआ था।
- बिहार के कुछ अन्य आदिवासी विद्रोह:

बिहार के आदिवासी विद्रोह	संबद्ध तथ्य
भूमिज विद्रोह	यह 1832-33 में अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति के खिलाफ गंगा नारायण के नेतृत्व में बिहार में हुआ था।
कोल विद्रोह	यह 1831-32 में बाहरी लोगों को भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ बुधु भगत के नेतृत्व में बिहार में हुआ था।

39. उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था?
- 1936
 - 1956

- (c) 2000
- (d) 1912
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
- 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था।
- 1936 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, बिहार और ओडिशा ब्रिटिश शासित भारत के अलग-अलग प्रांत बन गए।
- इसलिए उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग कर दिया गया।

40. खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था?

- (a) दरभंगा
- (b) मुजफ्फरपुर
- (c) गया
- (d) पटना
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 30 अप्रैल, 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था।
- इसने दो यूरोपीय महिलाओं, श्री पिंगले केनेडी की पत्नी और बेटी को मार डाला।
- हालाँकि, बम मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के लिए था, जिसने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भारी सजा सुनाकर खुद को बेहद अलोकप्रिय बना लिया था।
- खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त, 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई और उनके सहयोगी “प्रफुल्ल चाकी” ने खुद को गोली मार ली।

41. “आजाद दस्ता” किस आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय था?

- (a) असहयोग आंदोलन।
- (b) सविनय अवज्ञा आंदोलन।
- (c) भारत छोड़ो आंदोलन।
- (d) चंपारण सत्याग्रह।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी।
- सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई।
- संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र और सैन्य प्रशिक्षण को पंगु बनाना था, और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पुरुषों को तैयार करने के लिए शिविर लगाए गए थे।
- मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सरदार नित्यानंद सिंह के साथ पहला प्रशिक्षण शिविर नेपाल में स्थापित किया गया था जहाँ मधुबनी आजाद दस्ता का मुख्यालय स्थित था।
- यहाँ 35 आदमियों को इस उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया था कि वे विभिन्न स्थानों पर आजाद दस्ता की शाखाएँ स्थापित करें और अधिक पुरुषों को प्रशिक्षित करें।

42. 1942 ई. में जयप्रकाश नारायण किस पर्व के अवसर पर हजारीबाग जेल से भाग निकले?

- (a) होली
- (b) दशहरा
- (c) दीपावली
- (d) बैसाखी

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1942 ई. में “दीपावली” के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले।
- 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद, हजारीबाग जेल में कैद कई स्वतंत्रता सेनानियों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित करने की आवश्यकता महसूस की।
- दीवाली की रात, 9 नवंबर, 1942 को उनमें से कई चमत्कारिक रूप से जेल से भाग निकले।
- वे थे जय प्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सोनार और शालिग्राम सिंह।
- जो लोग भाग गए थे उनकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा बड़े इनाम की पेशकश की गई थी।
- जय प्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला और रामनंदन मिश्रा को 5-5 हजार रुपये और अन्य तीन को 2-2 हजार रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया।
- भागकर वे गया जिले की सीमा में प्रवेश कर गये जहाँ से उन्होंने अपने को दो गुटों में बाँट लिया।

- योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह और गुलाब का एक समूह उत्तर बिहार गया।
- गुप्त सूचना के आधार पर **मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट के पास से योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर बक्सर जेल भेज दिया गया।**
- जय प्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा और शालिग्राम सिंह सहित अन्य समूह बनारस की ओर बढ़े।

43. प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?

- राजगृह
- अमरावती
- कंगनहल्ली
- पाटलिपुत्र
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

बौद्ध परिषद	संबद्ध तथ्य
प्रथम बौद्ध संगीति	वर्ष: 483 ई.पू.
	स्थान: सप्तपर्णी गुफा, राजगृह।
	अध्यक्ष: महाकस्सप।
	संरक्षक: हर्यक वंश के अजातशत्रु।
	आनंद और उपाली द्वारा क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन।
द्वितीय बौद्ध संगीति	वर्ष: 383 ई.पू.
	स्थान: चुल्लवंगा, वैशाली।
	अध्यक्ष: सबकामी।
	संरक्षक: कालाशोक [शिशुनाग वंश]।
	स्थाविरा-वादियों और महासंघिकों में फूट।
तीसरा बौद्ध संगीति	वर्ष: 250 ई.पू.
	स्थान: पाटलिपुत्र
	अध्यक्ष: मोगलीपुत्त तिस्सा।
	संरक्षक: मौर्य वंश के अशोक।
	अभिधिधम्म पिटक का संकलन।
चतुर्थ बौद्ध संगीति	वर्ष: 72 ई
	स्थान: कुंडलन वन, कश्मीर
	अध्यक्ष: वसुमित्र
	उपाध्यक्ष: अश्वघोष।
	संरक्षक: कुषाण वंश का कनिष्क।
	बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित था।

44. बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है।

- 94316 वर्ग किमी.
- 94163 वर्ग किमी.**
- 94526 वर्ग किमी.
- 94200 वर्ग किमी.
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल **“94,163 वर्ग किमी”** है।
- बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में 12 वें स्थान पर है।

अतिरिक्त तथ्य:

- **अक्षांशीय विस्तार:** बिहार 24° 20'10" N और 27° 31'15"N के बीच स्थित है।
- **अनुदैर्घ्य सीमा:** 83° 19'50"E और 88° 17'40"E
- **उत्तर-दक्षिण विस्तार:** 345 कि.मी.
- **पूर्व-पश्चिम विस्तार:** 483 कि.मी.

45. किस नदी को “बिहार का शोक” कहा जाता है?

- गंगा
- कोसी**
- सोन
- घाघरा
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- **कोसी नदी को** पाठ्यक्रम बदलने और बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ लाने के लिए **“बिहार का शोक” के रूप में जाना जाता है।**
- यह हिमालय से निकलती है और नदी प्रणाली का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और तिब्बत में स्थित है।
- **इसकी सात ऊपरी सहायक नदियों के कारण** इसे नेपाल में “सप्त कोसी” कहा जाता है।
- यह नेपाल में हनुमान नगर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और **कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है।**
- बिहार में नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है।
- लेफ्ट बैंक की सहायक नदियाँ: फरियानी धार और धेमाना धार।
- दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ: बागमती, कमला-बलान, भूती बलान और त्रिजुगा।

46. तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है ?

- (a) नवादा
- (b) कैमूर
- (c) रोहतास
- (d) सासाराम
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

बिहार में जलप्रपात	स्थान
ककोलत जलप्रपात	नवादा
कर्कट जलप्रपात	कैमूर
तेलहर जलप्रपात	कैमूर
मंझर कुंड और धुआ कुंड जलप्रपात	सासाराम (रोहतास)

47. बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है?

- (a) कांवर झील
- (b) अनुपम झील
- (c) कुशेश्वर झील
- (d) घोघा झील
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- कांवर झील बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील है।
- यह बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है।
- यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है।
- यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है जो सर्दियों के महीनों के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से आते हैं।

बिहार में झील	जगह
अनुपम झील	कैमूर
कुशेश्वर झील	दरभंगा
घोघा झील	कटिहार

48. बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है?

- (a) जमुई
- (b) बांका
- (c) कटिहार
- (d) मुंगेर
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- जमुई के पास सोने का सबसे बड़ा भंडार है।
 - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सर्वेक्षण के अनुसार, जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है।
 - राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार, 1.4.2015 को देश में प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के कुल संसाधन 654.74 टन स्वर्ण धातु के साथ 501.83 मिलियन टन होने का अनुमान है और इसमें से बिहार 222.885 मिलियन टन (44 प्रतिशत) से संपन्न है।) अयस्क जिसमें 37.6 टन धातु है।
 - जमुई बिहार के मुंगेर संभाग का हिस्सा है।
49. बिहार के किस जिले को “सिल्क सिटी” के नाम से जाना जाता है?
- (a) भोजपुर
 - (b) भागलपुर
 - (c) बांका
 - (d) कटिहार
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “भागलपुर” को “बिहार के रेशम शहर” के रूप में जाना जाता है।

भागलपुर के बारे में:

- भागलपुर बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है और समुद्र तल से 141 फीट ऊपर गंगा बेसिन में स्थित है।
- यह शहर 2569 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 25° 07' – 25° 30' उत्तर अक्षांश और 86° 37' – 87° 30' पूर्व देशांतर के बीच स्थित है।
- यह जिला बिहार के मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिलों, झारखंड के गोड्डा और साहेबगंज जिलों से घिरा हुआ है।
- भागलपुर जिले में तीन अनुमंडल शामिल हैं: भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया।

50. भारत की “जनगणना 2011” के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है?

- (a) 71.25%
- (b) 50.50%
- (c) 51.50%
- (d) 61.80%
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

महत्वपूर्ण 2011 जनगणना डेटा:

जनसांख्यिकी शब्द	भारत	बिहार
दशकीय विकास दर [2001-2011]	17.7%	25.42%
शहरीकरण	31.2%	11.3%
जनसंख्या घनत्व	382	1106
लिंग अनुपात	943	918
साक्षरता दर	74.04%	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	82.14%	71.2%
महिला साक्षरता दर	65.46%	51.5%

51. बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन करें
- बिहार में द्वितीयक क्षेत्र 4.8% की दर से बढ़ा था।
 - बिहार में तृतीयक क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा है।
 - बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.8% की दर से बढ़ा था।
 - बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.3% की दर से बढ़ा था।
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर:
 - 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर 2.3% रही है।
अतः, “विकल्प C” गलत कथन है।
 - द्वितीयक क्षेत्र के मामले में मध्यम अवधि की वृद्धि दर 4.8% रही है।
 - तृतीयक क्षेत्र ने उच्चतम विकास दर 8.5% दर्ज की है।
- बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है?
 - 22.4%
 - 15.3%
 - 18.6%
 - 11.6%
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में शहरीकरण दर 11.3 है, जो बहुत कम है और राष्ट्रीय औसत 31.2% से कम है।

- बिहार सरकार द्वारा शहरी केंद्र की पुनर्परिभाषा के साथ, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण 15.3% है।
 - पुनर्परिभाषा के अलावा, 32 पुरानी नगर पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है, जबकि पांच पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है।
53. शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनें
- नालंदा < पटना < मुंगेर
 - पटना < मुंगेर < नालंदा
 - मुंगेर < नालंदा < पटना
 - नालंदा < मुंगेर < पटना
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम है:
- नालंदा < मुंगेर < पटना।

जिलों	शहरीकरण दर
नालंदा	26.2%
मुंगेर	28.3%
पटना	44.3%

54. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का _____ रहने का अनुमान है।
- 12.1%
 - 3.47%
 - 9.89%
 - 3.18%
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% रहने की उम्मीद है।
- 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 25,885 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 3.47%) पर लक्षित है।
- 2021-22 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 11.31% रहने की उम्मीद है, जो जीएसडीपी के 2.97% के बजट अनुमान से काफी अधिक है।
- “राजकोषीय घाटा” क्या है?
- सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

- यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है। कुल राजस्व की गणना करते समय, उधार शामिल नहीं होते हैं।

55. बिहार के किस जिले में माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची (251 मीटर) प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा?

- (a) सीतामढ़ी
- (b) बोधगया
- (c) पटना
- (d) मधुबनी
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार के “सीतामढ़ी” जिले में दुनिया की सबसे ऊंची [251 मीटर] “माता सीता की प्रतिमा” का निर्माण किया जाएगा।
 - इसे सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी गांव में स्थापित किया जाएगा।
 - माना जाता है कि देवी सीता, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, वर्तमान समय के सीतामढ़ी जिले में एक मिट्टी के बर्तन में एक शिशु के रूप में पाई जाती हैं, जबकि विदेह के राजा जनक यज्ञ के एक भाग के रूप में खेत की जुताई कर रहे थे।
 - माता सीता का लालन-पालन राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में हुआ था।
 - सीतामढ़ी का नाम “माता सीता” से लिया गया है।
56. उस विकल्प को चुनें जो बिहार की “सात निश्चय पार्ट-2 योजना” का हिस्सा नहीं है
- (a) सशक्त महिला, सक्षम महिला।
 - (b) हर खेत में सिंचाई का पानी।
 - (c) सभी के लिए एयरवेज।
 - (d) युवा शक्ति-बिहार की प्रगति।
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “एयरवेज टू एवरीवन” बिहार सरकार की “सात निश्चय पार्ट-2 योजना” का हिस्सा नहीं है।

सात निश्चय भाग-2 में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. युवा शक्ति बिहार की प्रगति
2. सशक्त महिला सक्षम महिला
3. हर खेत तक पानी
4. स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव
5. स्वच्छ शहर विकसित शहर
6. सुलभ संपर्क
7. सबके झूठ स्वास्थ्य सुविधा

57. प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनें।

- (a) शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा
- (b) पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा
- (c) अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज
- (d) नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

जिलों	प्रति व्यक्ति आय
शिवहर	19,600 रुपये
अररिया	20,600 रुपये
पूर्वी चंपारण	22,300 रुपये
किशनगंज	23,200 रुपये
नवादा	23,400 रुपये

“प्रति व्यक्ति आय” के अवरोही क्रम में सही क्रम है:

- नवादा > किशनगंज > पूर्वी चंपारण > अररिया > शिवहर।
58. बिहार में खादी का ब्रांड एंबेसडर कौन है?
- (a) राजेश तिवारी
 - (b) मनोज तिवारी
 - (c) मनोज वाजपेयी
 - (d) पवन सिंह
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- जिस वक्त यह सवाल पूछा गया उस वक्त मनोज तिवारी बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एंबेसडर थे।
- नवंबर, 2022 में लोक गायिका “मैथिली ठाकुर” को राज्य की खादी और हस्तकला का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया।
- वह बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं।
- She recently received the "Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for 2021".

59. हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है?

- (a) सारण
- (b) पूर्वी चंपारण
- (c) पश्चिमी चंपारण

(d) भागलपुर

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में खोला गया है।
- उद्देश्य: प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, अनुसंधान और निगरानी करना।
- भागलपुर क्यों?
- कंबोडिया और असम के बाद भागलपुर प्रवासी शब्दों के लिए तीन ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है।
- यह भारत का चौथा “बर्ड रिंगिंग स्टेशन” है।
- अन्य तीन चेन्नई [तमिलनाडु], जयपुर [राजस्थान] और ओडिशा [भुवनेश्वर] में हैं।

60. बिहार में “ऑपरेशन प्रहार” का संबंध है

- (a) साक्षरता अभियान
- (b) धूम्रपान निषेध
- (c) शराब बंदी
- (d) COVID-19 टीकाकरण।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार पुलिस ने राज्य में “शराब बंदी” लागू करने के लिए “ऑपरेशन प्रहार” चलाया।
- इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया:
- मद्य निषेध कानून का उल्लंघन।
- गंभीर आपराधिक घटनाएं।
- उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए जिला स्तर पर वज्र टीमों का गठन किया गया।
- राज्य भर में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए शराब विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया गया।

61. बिहार के रितिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24 वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है?

- (a) रजत पदक
- (b) कांस्य पदक
- (c) प्लेटिनम पदक
- (d) स्वर्ण पदक
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24 वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता।
 - वह बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है।
 - हाजीपुर “वैशाली” जिले [बिहार के तिरहुत प्रमंडल में स्थित] का प्रशासनिक मुख्यालय है।
 - तिरहुत [मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है] बिहार के नौ प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, इसमें छह जिले शामिल हैं, अर्थात् पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली।
62. निम्नलिखित में से किसने बिहार में “गिद्ध संरक्षण योजना” प्रारंभ की?
- (a) राजगीर वन्यजीव अभयारण्य।
 - (b) वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
 - (c) कंवर झील पक्षी अभयारण्य
 - (d) कैमूर टाइगर रिजर्व।
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार सरकार ने उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीआरटी) में एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया।
 - इसका उद्देश्य क्षेत्र में लुप्तप्राय उड़ने वाले मैला ढोने वालों को विलुप्त होने से बचना है।
 - रिजर्व के मदनपुर, गोनौली, हरनाटांड और भीखनाथोरी क्षेत्रों में गिद्धों को घोंसला बनाते हुए देखा गया था।
 - वीटीआर में, उदयपुर वन क्षेत्र कई पंख वाले जीवों के लिए भी जाना जाता है।
 - इसमें जंगल बुश बटेर, रेड जंगल फाउल, इंडियन मोर, कॉटन पिग्मी गूज, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब, ब्लैक बिटर्न बर्ड, लिटिल एग्टूट, रेड-हेडेड वल्चर, कॉमन मूरहेन, ग्रे-हेडेड लैपविंग, एशियन कोयल, ब्लू-टेल्ड बीटर, इंडियन शामिल हैं। ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे-कैण्ड पिग्मी, वुड पिकर, येलो-क्राउन्ड वुडपेकर और हिमालयन गोल्ड ब्लैक अन्य हैं।
 - पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में उनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है।
63. “सुनन्दिनी कार्यक्रम” का संबंध है
- (a) सहायक नर्स दाइयों
 - (b) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक।
 - (c) ग्राम पंचायत के सदस्य

(d) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “सुनन्दिनी कार्यक्रम” का सम्बन्ध “आंगनवाड़ी कार्यकर्ता” से है
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, बिहार सरकार ने “आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं” की शैक्षिक योग्यता के उन्नयन के लिए “सुनन्दिनी कार्यक्रम” शुरू किया।
- यह बिहार के समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का संयुक्त प्रयास है।

67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (रद्द), 2022

64. बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है?
- (a) कृषि विज्ञान बैंक
 - (b) कृषि यंत्र बैंक
 - (c) कृषि विकास बैंक
 - (d) कृषि उत्थान बैंक
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार में “कृषि और ग्रामीण विकास” के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- बिहार के 13 जिलों में 328 KYBs स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य सरकार किसानों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न “यंत्रों” पर 80% अनुदान प्रदान करेगी।
- यह राज्य सरकार के “कृषि मशीनीकरण” उपायों का एक हिस्सा है।

65. 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था
- (a) 0.641
 - (b) 0.613
 - (c) 0.596
 - (d) 0.574
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- यूएनडीपी का कहना है कि बिहार का मानव विकास सूचकांक, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, 0.536 है।
- यह पाकिस्तान के एचडीआई के बराबर है जो 0.536 पर है।
- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के मोर्चे पर कमजोर बने हुए

हैं, जबकि हरियाणा और हिमाचल सहित अन्य ने पिछले 27 वर्षों में सुधार दिखाया है।

66. 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है
- (a) 22,511 करोड़ रुपये।
 - (b) 27,617 करोड़ रुपये।
 - (c) 20,011 करोड़ रुपये।
 - (d) 21,543 करोड़ रुपये।
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 2.97%) रहने का अनुमान है।
 - संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.77% रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी के 2.97% के बजट अनुमान से काफी अधिक है।
 - “राजकोषीय घाटा” क्या है?
 - सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
 - यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है। कुल राजस्व की गणना करते समय, उधार शामिल नहीं होते हैं।
67. डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 2021-22 से कौन से छात्र कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे?
- (a) कक्षा V के सभी छात्र
 - (b) छठी कक्षा के सभी छात्र
 - (c) कक्षा सातवीं के सभी छात्र
 - (d) आठवीं कक्षा के सभी छात्र
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 2021-22 से कक्षा छठी और उससे ऊपर के सभी छात्र कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगा।

68. 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 से केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा?
- (a) 4.12%
 - (b) 4.23%
 - (c) 4.89%
 - (d) 4.06%
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बिहार को 2021-26 से केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में 4.12% प्राप्त होगा।
- वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- 15 वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: श्री एन.के. सिंह) को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों वाली पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में संसद में पेश की गई थी।
- 2021-26 की अवधि के लिए सिफारिशों वाली अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी, 2021 को संसद में पेश की गई।
- 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें:

- 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की गई है, जो कि 2020-21 के बराबर है।
- यह 2015-20 की अवधि के लिए 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 42% हिस्सेदारी से कम है।
- 1% का समायोजन केंद्र के संसाधनों से नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रदान करना है।

69. बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किसने की थी?

- महावीर स्वामी
- गौतम बुद्ध
- सीमंथर स्वामी
- पार्श्वनाथ स्वामी
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

अतिरिक्त तथ्य:

जन्म	लुम्बिनी में 563 ई.पू. इसका प्रतिनिधित्व कमल और बैल करते हैं।
वंश	शाक्य क्षत्रिय
पिता	शुद्धोदन वह कपिलवस्तु के गणतंत्र राजा थे।
मां	महामाया वह कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थीं।
सौतेली मां	महाप्रजापति गौतमी अपनी माता की शीघ्र मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध का पालन-पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया
पत्नी	यशोधरा की उम्र में वह शाक्य वंश की राजकुमारी थीं जिनसे उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र हुआ।
अध्यापक	- अलारा कलामः प्रथम शिक्षक जो एक सांख्य दार्शनिक थे। - भगवान बुद्ध ने उनसे ध्यान की तकनीक सीखी। - उद्दक रामपुत्र उनके दूसरे गुरु थे।
बुद्ध को त्याग के लिए राजी करने वाले चार लक्षण	- एक बूढ़ा आदमी - एक रोगग्रस्त व्यक्ति। - एक मृत शरीर। - एक तपस्वी।
महाभिनिष्क्रमण [त्याग]	29 वर्ष की आयु में, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में भटकते हुए तपस्वी बन गए। - इसे महाभिनिष्क्रमण [ग्रेट गोइंग फोर्थ] के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की इस घटना का प्रतीक अश्व है। - कंथकः बुद्ध का घोड़ा - चन्ना- बुद्ध का सारथी।

निर्वाण [ज्ञानोदय]	- वे सात वर्षों तक भटकते रहे और कई गुरुओं से मिले लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। - अंत में वे बोधगया में एक बोधिवृक्ष के नीचे बैठ गए और घोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। - निर्वाण प्राप्त करने के बाद, उन्हें “बुद्ध” या “प्रबुद्ध व्यक्ति” कहा जाता था। बुद्ध के जीवन की यह घटना बोधि वृक्ष का प्रतीक है। - सुजाता: बोधगया में बुद्ध चावल का दूध देने वाली किसान की बेटी।
धर्मचक्र प्रवर्तन [कानून के चक्र का घूमना]	उन्होंने अपना पहला उपदेश “सारनाथ” [डियर पार्क] में अपने पांच शिष्यों को दिया। बुद्ध के जीवन की यह घटना चक्र द्वारा प्रतीकित है।
महापरिनिर्वाण [मृत्यु]	- कुशीनगर [मल्ला महाजनपद की राजधानी] में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। - बुद्ध के जीवन की यह घटना स्तूप का प्रतीक है।

70. प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे?

- वसुमित्र
- महाकश्यप
- संघरक्ष
- पार्श्वक
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

प्रथम बौद्ध संगीति	- वर्ष: 483 ई.पू. - स्थान: सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। - अध्यक्ष: महाकश्यप। - संरक्षक: हर्यक वंश के अजातशत्रु। - आनंद और उपाली द्वारा क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन।
--------------------	--

71. 1917 ई. के चंपारण सत्याग्रह से किसका संबंध नहीं है?

- जेबी कृपलानी
- राज कुमार शुक्ल
- राजेन्द्र प्रसाद
- राममनोहर लोहिया
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- राम मनोहर लोहिया 1917 ई. के “चंपारण सत्याग्रह” से संबंधित नहीं हैं।
- 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।

- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।
- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।
- सत्याग्रह ने “ब्रिटिश सरकार” को इंडिगो प्लांटर्स के मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर किया।
- समिति के सदस्य के रूप में गांधीजी ने तीनकठिया व्यवस्था के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में प्राधिकरण को आश्वस्त किया, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बागान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- गांधीजी ने बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में सहमति व्यक्त की कि ली गई धनराशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

72. 1913 ई. में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की?

- रमांडा सिन्हा
- सतीश झा
- सचिंद्र नाथ सान्याल
- बिपिन झा
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1913 ई. में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने पटना में “अनुशीलन समिति” की एक शाखा की स्थापना की।
- बीएन कॉलेज के बंकिमचंद्र मित्रा को इस संगठन का नेतृत्व सौंपा गया था।

सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में:

- वह एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सह-संस्थापक थे।
- उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, जतिंद्र नाथ दास और भगत सिंह का प्रतिपालन किया।
- 1912 में, उन्होंने राशबिहारी बोस के साथ वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया।

73. 1931 ई. में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था?

- (a) फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद।
- (b) फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण।
- (c) राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश।
- (d) स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- गंगा शरण सिन्हा, रामबृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने 1931 में “बिहार सोशलिस्ट पार्टी” का गठन किया।
- बाद में 1934 में, जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और “बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी” का औपचारिक उद्घाटन किया।
- आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया।
- पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण और संगठन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया।

74. शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है?

- (a) सासाराम
- (b) मानेर
- (c) सीतामढ़ी
- (d) पावापुरी
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम रोहतास [बिहार के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है] जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
- शेर शाह पर अतिरिक्त तथ्य:
- उन्हें दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत के पुनर्गठन और समेकन का श्रेय दिया जाता है।

केंद्रीय प्रशासन	प्रमुख
दीवान-ए-वजारत	वजीर की अध्यक्षता में राजस्व और वित्त से जुड़ा
दीवान-ए-अर्ज	डाबिर के नेतृत्व में सचिवालय
दीवान-ए-इंशा	सदरा के नेतृत्व में धार्मिक विभाग।
दीवान-ए-काजी	काजी के नेतृत्व में कानून विभाग।

- उन्होंने सिकेदरा-ए-सिकदराना के तहत इतिहास में पहली बार “सरकार इकाई” [जिला] की शुरुआत की।

प्रशासनिक इकाई	प्रमुख
इक्ता [प्रांत]	हकीम और अमीन
सरकार [जिला]	शिकदार-ए-शिकदरन
परगना [तालुका]	शिकदार और मुंसिफ
ग्राम [गांव]	मुकद्दम और अमिल

- उन्होंने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत पेश किया। अपराधियों को खोजने में विफल रहने के लिए मुकद्दमों को दंडित किया गया था।
- उन्होंने भूमि माप के आधार पर “भूमि राजस्व” को पुनर्जीवित किया। भू-राजस्व प्रणाली को टोडरमल द्वारा डिजाइन की गई “जबित” प्रणाली कहा जाता था।
- भू-राजस्व फसल मूल्य सूची “राई” के आधार पर नगद रूप में लिया जाता था।
- “पट्टा” जारी करने और एक कबुलियत [समझौते] का विलेख] जारी करके किसानों को भूमि पर अधिकार दिया गया।
- किसानों पर “जरीबाना [भूमि माप शुल्क] और” मुहिस्लाना “[राजस्व संग्रह शुल्क]” जैसे कर लगाए गए थे।
- चाँदी का सिक्का: उसने 178 ग्राम का चाँदी का सिक्का या रुपिया चलाया।
- बाट और माप: उसने पूरे साम्राज्य में मानक बाट और माप निर्धारित किए।
- निर्माण कार्य: उन्होंने दिल्ली में पुराना किला और कलकत्ता को पेशावर से जोड़ने वाली ग्रेंड ट्रंक रोड का निर्माण किया।

75. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग निकला था?

- (a) सच्चिदानंद सिन्हा
- (b) जयप्रकाश नारायण
- (c) जगजीवन राम
- (d) रफी अहमद क़िदवई।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद, हजारीबाग जेल में कैद कई स्वतंत्रता सेनानियों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित करने की आवश्यकता महसूस की।
- दीवाली की रात, 9 नवंबर, 1942 को उनमें से कई चमत्कारिक रूप से जेल से भाग निकले।

- वे जय प्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सोनार और शालिग्राम सिंह थे।
- जो लोग भाग गए थे उनकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा बड़े इनाम की पेशकश की गई थी।
- जय प्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और रामनंदन मिश्रा को 5-5 हजार रुपये और अन्य तीन को 2-2 हजार रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया।**
- भागकर वे गया जिले की सीमा में प्रवेश कर गये जहाँ से उन्होंने अपने को दो गुटों में बाँट लिया।
- योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह और गुलाब का एक समूह उत्तर बिहार गया।
- गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट के पास से योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार कर बक्सर जेल भेज दिया गया।
- जय प्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा और शालिग्राम सिंह सहित अन्य समूह बनारस की ओर बढ़े।

76. 1922 ई. में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?

- चित्तरंजन दास
- हकीम अजमल खान
- महात्मा गांधी
- मौलाना अबुल कलाम आजाद
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- चित्तरंजन दास 1922 ई. में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे।

चित्तरंजन दास	लोकप्रिय रूप से “देशबंधु” के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दिसंबर, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने 1923 में लाहौर और 1924 में कलकत्ता के “ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस” सत्र की अध्यक्षता की। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी, 1923 को स्वराज पार्टी या कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की।
---------------	--

77. बिहार के किस जिले में अभ्रक के भंडार हैं?

- रोहतास
- पटना
- गया
- सरन
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- अभ्रक बिहार के जमुई, गया और नवादा जिलों में पाया जाता है।

अभ्रक के बारे में:

- भारत में अभ्रक की तीन किस्में पाई जाती हैं जिनका नाम मस्कोवाइट, फ्लाँगोपाइट और बायोटाइट है।
- इसके इन्सुलेट गुणों के कारण, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है।

78. सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है?

- बक्सर
- पटना
- भोजपुर
- नालंदा
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “सोन और गंगा” नदियों का संगम बिहार के “पटना जिले” में स्थित है।

अतिरिक्त तथ्य:

- पटना में फतुहा के निकट पुनपुन नदी गंगा से मिलती है।
- “करमनासा” नदी चौसा [बक्सर जिले] के पास गंगा नदी से मिलती है।
- सरयू नदी छपरा में उत्तर-पश्चिम दिशा से गंगा में मिलती है।

79. बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है?

- कैमूर रेंज
- खड़गपुर झील
- कांवर झील
- राजगीर पहाड़ी
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- कांवर झील बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील है।
- यह बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है।
- यह बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है।

- यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है जो सर्दियों के महीनों के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से आते हैं।

80. ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है?

- (a) गया
- (b) रोहतास
- (c) नालंदा
- (d) नवादा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- ब्रह्मयोनि पहाड़ी “बिहार के गया जिले” में स्थित है।
- ब्रह्मयोनी हिल के बारे में:
- यह गया में छोटी चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो फल्गु नदी के साथ गया शहर का परिदृश्य बनाते हैं।
- गया जिला:
- 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद गया को अंग्रेजों के पास भेज दिया गया था। गया, देश के अन्य हिस्सों के साथ, 1947 में आजादी हासिल की थी।
- गया 1864 तक बिहार और रामगढ़ जिले का एक हिस्सा बना। इसे 1865 में स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया।
- औरंगाबाद और नवादा जिलों को वर्ष 1976 में मूल गया से अलग कर बनाया गया था।
- इसके बाद, मई 1981 में, बिहार राज्य द्वारा मगध मंडल बनाया गया।
- गया, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों के साथ सरकार। 1865 में जब गया जिला बनाया गया था तब ये सभी जिले उप-विभाजन के स्तर पर थे।

81. बिहार के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं?

- (a) उत्तरी पूर्व
- (b) उत्तरी पश्चिम
- (c) दक्षिणी पूर्व
- (d) दक्षिणी पश्चिम
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में “सबसे अधिक जिले” हैं।
- इसमें 13 जिले शामिल हैं।

- जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय।

82. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है?

- (a) गोपालगंज
- (b) बेगूसराय
- (c) पटना
- (d) सिवान
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

2011 जनगणना के अनुसार:

- गोपालगंज जिले का लिंगानुपात 1021 है जो पुरुषों से अधिक महिलाओं को दर्शाता है।

गोपालगंज के बारे में:

- गोपालगंज, जो 1875 तक केवल एक छोटा सा गांव था, उसी वर्ष पुराने सारण जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था।
- यह 2 अक्टूबर, 1973 को एक स्वतंत्र जिला बन गया। जिला मुख्यालय गोपालगंज शहर में स्थित है।
- गोपालगंज जिला बिहार राज्य के पश्चिम-उत्तर कोने पर स्थित है।
- भौगोलिक रूप से यह $83.54^{\circ} - 85.56^{\circ}$ अक्षांश और $26.12^{\circ} - 26.39^{\circ}$ उत्तरी देशांतर के बीच स्थित है।
- यह पूर्व में चंपारण और गंडक नदी, दक्षिण में सीवान जिले और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से घिरा है।

83. बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी?

- (a) 1911
- (b) 1913
- (c) 1914
- (d) 1919
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी, 1913 को पटना के बांकीपुर में बुलाई गई थी।
- बिहार विधान परिषद के बारे में:
- बिहार विधान परिषद का गौरवशाली अतीत रहा है। अपने गठन के बाद से, इसने आज तक कई विकासात्मक कदमों की यात्रा तय की है।

- यह स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दिनों के दौरान था जब कुछ बुद्धिजीवियों ने बिहार राज्य को बंगाल से अलग करने के लिए आंदोलन शुरू किया था।
- ऐसी मांग की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सरकार। भारत सरकार ने बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल के पद के निर्माण, विधान परिषद के गठन और पटना को बिहार और उड़ीसा की राजधानी बनाने के लिए राज्य सचिव को एक पत्र के माध्यम से सिफारिश की।
- **25 अगस्त, 1911** बिहार के संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस तिथि को सरकार द्वारा ऐसी सिफारिश की गई थी। भारत का।
- परिषद का गठन **भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सरकार के तहत किया गया था। भारत अधिनियम 1909 (1912 में संशोधित) और विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों को इसमें लिया गया था।**
- बिहार की संसदीय प्रणाली में एक और बदलाव **1917 में हुआ** जब बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल का प्रांत कहा गया और परिषद को बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का नाम दिया गया।
- बिहार में संसदीय विकास का तीसरा और अंतिम चरण **1936 में हुआ**, जब बिहार ने अपने अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया।
- सरकार के तहत। **भारत अधिनियम, 1919 के** एकसदनीय विधायिका को द्विसदनीय आकार में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात् बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा।

84. बिहार से रश्मि कुमारी हैं -

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर।
- अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन।
- फुटबाल खिलाड़ी
- शतरंज के खिलाड़ी।
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- रश्मी कुमारी बिहार, भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, जो 1992 से खेल रही हैं।
- वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई में फैसिलिटी के आधार पर प्रतिबंधित हैं।

85. “डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020” बिहार सरकार को प्रदान किया गया -

- बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना
- बिहार में आईटी क्रांति लाना

(c) बिहार में ई-प्रशासन की सुविधा

(d) **COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करना**

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020” बिहार सरकार को “COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने” के लिए दिया गया था।
- बिहार सरकार के उन लोगों के प्रयासों और सेवाओं के लिए, जो राज्य के बाहर फंसे हुए थे और जो लोग कोरोना प्रेरित तालाबंदी के दौरान राज्य में वापस आ गए थे, उन्हें भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा “डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020” से सम्मानित किया गया।

86. बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

- 38
- 40
- 44
- 46
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित बिहार राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें निम्नानुसार हैं:

राज्य	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
बिहार	243	38	02

87. बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था?

- 2005
- 2006
- 2009
- 2014
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 2006 में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने महिलाओं की मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने के लिए प्रचार करने के लिए राज्य के ग्रामीण शासन निकाय या पंचायती राज बैठक में महिलाओं के लिए 50% घोषणा की शुरुआत की थी।
- महिलाओं के लिए पहले बुकिंग करने वाला बिहार पहला राज्य था।

88. गांधीजी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया?

- राजकुमार शुक्ल
- राजेन्द्र प्रसाद
- जयप्रकाश नारायण
- कृष्णा सहाय
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।
- राजकुमार शुक्ल ने “महात्मा गांधी” को नील की खेती करने वालों की समस्या पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था।
- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।
- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।

89. “झारखंड” बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था?

- 2000
- 2001
- 2004
- 2005
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा “झारखंड” बनाने के लिए बिहार को 2000 में विभाजित किया गया था।
- झारखंड के बारे में:

- इसे 15 नवंबर, 2000 को भारत के 28 वें राज्य के रूप में बनाया गया था।
 - 15 नवंबर आदिवासी नेता “बिरसा मुंडा” की जयंती है।
 - इसकी राजधानी रांची है।
90. बिहार बजट में वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित नए मंत्रालय पर फोकस किया गया है
- बाल देखभाल
 - महिला अधिकारिता।
 - अवसंरचना विकास।
 - कौशल और उद्यमिता विकास।
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार बजट 2021-22 में प्रस्तावित नया मंत्रालय “कौशल और उद्यमिता विकास” पर केंद्रित है।
 - यह राज्य भर में सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे के निर्माण, कौशल उन्नयन, नए कौशल के निर्माण और न केवल नवीन सोच के लिए जिम्मेदार होगा। मौजूदा नौकरियों के लिए बलिक बनाई जाने वाली नौकरियों के लिए भी।
91. बिहार में मानव विकास उप-मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं?
- 6
 - 7
 - 8
 - 10
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार सरकार ने बिहार विकास मिशन का गठन 7 निश्चय को मिशन मोड में लागू करने, प्राथमिकताओं के निर्धारण, सुशासन के कार्यक्रमों के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों की निगरानी, कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया है।
- सुशासन कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू करने के लिए बिहार विकास मिशन के तहत 7 सब-मिशन का गठन किया गया है।
- मानव विकास उप-मिशन 7 उप-मिशनों में से एक है। मानव विकास उप मिशन के अन्तर्गत सात विभागों को शामिल किया गया है।

1. स्वास्थ्य विभाग।
2. शिक्षा विभाग।
3. समाज कल्याण विभाग।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
6. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. आपदा प्रबंधन विभाग।

92. प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई थी?
- (a) पटना
 - (b) बांका
 - (c) मधेपुरा
 - (d) खगड़िया
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- भारत के प्रधान मंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले से “गरीब कल्याण रोजगार अभियान” का शुभारंभ किया।
- अभियान को 20 जून, 2020 को तेलिहार, ब्लॉक बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से हरी झंडी दिखाई गई।
- इसे 125 दिनों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें रुपये का संसाधन घेरा था। गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये।

66वीं बीपीएससी प्रारंभिक पुनः परीक्षा, 2021

93. नेपाल की पहली ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार के किस स्थान से शुरू होती है?
- (a) मोतिहारी
 - (b) रक्सौल
 - (c) जोगबनी
 - (d) पटना
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- नेपाल की पहली अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार में “मोतिहारी” से शुरू हुई।
 - इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधान मंत्री माननीय केपी शर्मा ओली ने आज 2019 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से किया।

- यह भारत में मोतिहारी से नेपाल में अमलेखगंज तक दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है।
 - 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन, जिसकी क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, नेपाल के लोगों को सस्ती कीमत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी।
94. बिहार में पहला एकीकृत चेकपोस्ट स्थापित किया गया था
- (a) 2012
 - (b) 2014
 - (c) 2018
 - (d) 2020
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार में पहला एकीकृत चेकपोस्ट 2018 में रक्सौल-बीरगंज में स्थापित किया गया था।
- 21 जनवरी, 2020 को जोगबनी-विराटनगर में दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया।
- जोगबनी बिहार के अररिया जिले में है।
- एकीकृत चेकपोस्ट:
- यह मूल रूप से भारत की सीमाओं पर व्यापार सुविधा केंद्र है।
- यह द्विपक्षीय व्यापार और लोगों की सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- एकीकृत चेकपोस्ट के उद्देश्य:
- सीमा पार लोगों के व्यापार और आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए।
- यह यात्रियों और कार्गो की आवाजाही के लिए बेहतर सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

95. भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है

- (a) दिल्ली
- (b) मुंबई
- (c) बिहार
- (d) ओडिशा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- भारत की पहली “डॉल्फिन वेधशाला” “बिहार” के भागलपुर जिले में बनाई जा रही है।

- इसका निर्माण “भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य” में किया गया था।
- गंगा पर सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल पर वेधशाला बनाई जा रही है।
- वेधशाला का संरचनात्मक डिजाइन ऐसा है कि यह इको-टूरिज्म को बढ़ावा देगा।
- यह लोगों को उस जगह का दौरा करने और उन्हें परेशान किए बिना अभयारण्य में डॉल्फिन देखने के लिए प्रोत्साहन देगा।

96. बिहार का प्रथम रामसर स्थल स्थित है

- (a) बेगूसराय
- (b) बांका
- (c) भागलपुर
- (d) भोजपुर
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- कंवर झील बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील है।
- यह बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है।
- यह बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है।
- यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है जो सर्दियों के महीनों के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से आते हैं।

97. बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है?

- (a) गया
- (b) पटना
- (c) भागलपुर
- (d) बोधगया
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार का राजगीर शहर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
- यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है।
- यह रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरि, सोनगिरी और उदयगिरि नाम की पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
- यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध, हिंदू और जैन तीर्थ स्थल है

98. भारत के प्रथम राष्ट्रपति “राजेन्द्र प्रसाद” किस राज्य के थे?

- (a) बिहार
- (b) हरियाणा
- (c) दिल्ली

(d) उत्तर प्रदेश

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- भारत के पहले राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद”, बिहार राज्य के थे।
- उनका जन्म 3 दिसंबर, 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वर्तमान में यह सीवान जिले का हिस्सा है।
- उन्होंने 26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- उन्हें 11 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- उपाधि: देशरत्न, अजातशत्रु।
- उन्हें 1962 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, “भारत रत्न” मिला।

99. बिहारी छात्र सम्मेलन का 16 वां अधिवेशन आयोजित हुआ

- (a) हजारीबाग
- (b) पटना
- (c) आरा
- (d) छपरा

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1921 में हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ।
- बिहारी छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ।
- डॉ राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

100. बिहार के चिरांद से सबसे पुरानी संस्कृति है

- (a) पुरापाषाण संस्कृति
- (b) मध्यपाषाण संस्कृति
- (c) नवपाषाण संस्कृति
- (d) ताम्रपाषाण संस्कृति
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “गंगा घाटी” में पहली “नवपाषाण संस्कृति” चिरांड में पाई गई थी।
- यह “गंगा और घाघरा” के संगम के पास सारण जिले में “गंगा” के बाएं किनारे पर स्थित है।

- नवपाषाण संस्कृति 2500-1500 ईसा पूर्व के बीच की है।
- उन्होंने सुलेमानी, जैस्पर और कार्नेलियन जैसे अर्ध-कीमती पत्थरों से विभिन्न प्रकार के मोतियों का निर्माण किया।
- वे पालिश किए हुए पत्थर के औजारों के अलावा, चिरांद की विशेषता वाले विभिन्न प्रकार के एंटरल हड्डी के औजारों का इस्तेमाल करते थे।

अन्य नवपाषाण संस्कृति और संबद्ध जिले:

नवपाषाण संस्कृति	संबद्ध जिले
चेचर	वैशाली
सेनुवर	रोहतास
मानेर	पटना
ताराडीह	बोधगया

101. बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समाज की स्थापना की?
- (a) भारतीय समाज के सेवक
 - (b) रामकृष्ण मिशन सोसायटी
 - (c) सेवा समिति
 - (d) समाज सेवा लीग
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “बाबा ठाकुर दास” ने 1906-07 में पटना में “रामकृष्ण मिशन सोसाइटी” की स्थापना की।
- रामकृष्ण मिशन सोसायटी के बारे में:
- इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में दोहरे उद्देश्यों के साथ की थी:
- हिंदू संत “रामकृष्ण” के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना।
- भारतीय लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना।
- मिशन ने “शिक्षा”, “परोपकार”, “धार्मिक अध्ययन” और “आध्यात्मिकता” पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

102. कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में प्रवेश किया
- (a) 22 अप्रैल, 1858
 - (b) 23 अप्रैल, 1858
 - (c) 20 अप्रैल, 1858
 - (d) 25 अप्रैल, 1858
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल, 1858 को “जगदीशपुर” में प्रवेश किया।
- उनका जन्म नवंबर, 1782 में शाहबाद जिले के जगदीशपुर [वर्तमान में बिहार का भोजपुर जिला] में राजा शाहबजाद सिंह और रानी पंचरतन देवी के घर हुआ था।
- वह उज्जैनिया राजपूत वंश के थे।
- 80 वर्ष की आयु में, उन्होंने 1857 में बिहार में “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया।
- 26 अप्रैल, 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।

103. चंपारण आंदोलन मूल रूप से खिलाफ था

- (a) भू राजस्व
- (b) नकदी फसलें
- (c) ब्रिटिश सरकार की कृषि नीतियां
- (d) भूमि अनुदान
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन [1905-08] की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी जो बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था।
 - ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई, 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की।
 - 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई चर्चाओं के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई।
 - 16 अक्टूबर, 1905 को, बंगाल का विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल में “शोक दिवस” के रूप में मनाया गया।
104. 1904 में, अंग्रेजों का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी।
- (a) बंगाल
 - (b) अवध
 - (c) पंजाब
 - (d) बिहार
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- अंग्रेजों के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में “देवघर” में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी।

- गोल्डन लीग सोसाइटी का गठन 1904 में शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया गया था, जो स्थान के रूप में एक व्यायामशाला का उपयोग करते थे।
- उल्लेखनीय सदस्यों में **बारिन घोष**, उनके चाचा **मनिंद्र बसु** और कई अन्य शामिल थे।
- ये सभी व्यक्तित्व बलपूर्वक अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक शामिल थे।
- ऐसे सदस्यों के सहयोग से, **देवघर की गोल्डन लीग सोसाइटी** की पहचान तेजी से देवघर में क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में होने लगी।

105. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?
- (a) राम मनोहर लोहिया
 - (b) उषा मेहता
 - (c) चित्तू पाण्डेय
 - (d) जयप्रकाश नारायण
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- जयप्रकाश नारायण द्वारा “भारत छोड़ो आंदोलन” के दौरान “बकरी का टापू” में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का आयोजन किया गया था।
- आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी।
- **सूरज नारायण सिंह** के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई।
- **संगठन का मुख्य उद्देश्य** सरकारी तंत्र और सैन्य प्रशिक्षण को पंगु बनाना था, और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पुरुषों को तैयार करने के लिए शिविर लगाए गए थे।
- **मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सरदार नित्यानंद सिंह** के साथ पहला प्रशिक्षण शिविर नेपाल में स्थापित किया गया था जहाँ मधुबनी आजाद दस्ता का मुख्यालय स्थित था।
- यहाँ 35 आदमियों को इस उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया था कि वे विभिन्न स्थानों पर आजाद दस्ता की शाखाएँ स्थापित करें और अधिक पुरुषों को प्रशिक्षित करें।

106. बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में किसके द्वारा की गई थी?
- (a) मुंशी सूरजमल
 - (b) राय रोशन लाल
 - (c) बाबा गुरु प्रसाद सेन
 - (d) कृष्ण भट्ट
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “बिहार हेराल्ड” की शुरुआत 1872 में “बाबा गुरु प्रसाद सेन” ने की थी।
- यह पहला “बिहार का अंग्रेजी अखबार” था।

अन्य समाचार पत्र:

- 1881 में पटना से “इंडियन क्रॉनिकल” नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ।
- बिहार से “द बिहारी” और “बिहार टाइम्स” नामक दो और अंग्रेजी दैनिक प्रकाशित हुए।
 - इन दोनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्र बिहार के निर्माण की वकालत की।
 - 1903 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन पटना से साप्ताहिक के रूप में हुआ।
 - 1906 में, इसे भागलपुर से प्रकाशित दैनिक “बिहार न्यूज” के साथ जोड़ा गया और “द बिहारी” के रूप में नया नाम दिया गया।
 - 1912 से इसे दैनिक में परिवर्तित कर दिया गया।
- 1917 में, इसे “सैय्यद हैदर हुसैन” के मार्गदर्शन में “सर्चलाइट” से बदल दिया गया।

107. आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे?

- (a) जगन्नाथ मिश्र
- (b) ललित नारायण मिश्रा
- (c) जयरामदास दौलतराम
- (d) जयप्रकाश नारायण
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- जयरामदास दौलतराम आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे।
- ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई, 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की।
- 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई चर्चाओं के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई।

- 16 अक्टूबर, 1905 को, बंगाल का विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल में “शोक दिवस” के रूप में मनाया गया।
108. 2011 में बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी?
- (a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के तीन जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी।

तीन जिले हैं:

जिलों	जनसंख्या
अरवल	700843
शेखपुरा	636342
शिवहर	656246

109. बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है?
- (a) चावल
(b) गेहूँ
(c) मक्का
(d) जौ
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज बिहार में सर्वाधिक है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विभिन्न वर्षों के लिए नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है।
- यह मुख्य रूप से बिहार के कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया जिलों में उगाया जाता है।

Table 3.8 Productivity Levels of Major Crops (2019-20 to 2021-22)

(kg/ha)

Crops	2019-20	2020-21	2021-22	CAGR (%)
Total Cereals	2703	2961	3012	5.6
Total Paddy	2245	2447	2496	5.5
Autumn Paddy	1639	1555	1696	1.7

Aghani Paddy	2351	2599	2620	5.6
Summer Paddy	2133	2307	2682	12.1
Wheat	2595	2985	3078	8.9
Total Maize	5193	5229	5236	0.4
Kharif Maize	2078	1163	1352	-19.3
Rabi Maize	7565	7472	7180	-2.6
Summer Maize	4806	5762	5512	7.1
Total Coarse Cereals	5098	5129	5148	0.5
Barley	1369	1903	1779	14.0
Jowar	1067	1067	1067	0.0
Bajra	1134	1134	1140	0.3
Ragi	796	934	978	10.8
Small Millets	755	753	755	0.0
Total Pulses	731	843	891	10.4

110. बिहार के प्रमुख मछली उत्पादक जिले हैं
- (a) मधुबनी और पूर्वी चंपारण
(b) मधुबनी और दरभंगा
(c) पूर्वी चंपारण और दरभंगा
(d) पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार के प्रमुख मछली उत्पादक जिले मधुबनी और दरभंगा हैं।
- मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण एक साथ राज्य में कुल मछली उत्पादन का 29.8% हिस्सा हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 2019-20 में बिहार के कृषि जीएसडीपी में मत्स्य पालन और जलीय कृषि का हिस्सा लगभग 8.4% था।

111. बिहार में रकबे के मामले में शीर्ष रैंकिंग वाली दालें हैं
- (a) मसूर और ग्राम
(b) मूंग और चना
(c) मूंग और मसूर
(d) मसूर और खेसारी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार में रकबे के मामले में शीर्ष रैंकिंग वाली दालें “मूंग और मसूर” हैं।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार:
- 2021-22 में, दलहन उत्पादन के लिए अग्रणी जिले पटना [0.58 लाख टन], इसके बाद औरंगाबाद [0.30 लाख टन] और नालंदा [0.21 लाख टन] हैं।
- उच्चतम उत्पादकता जहानाबाद [1306 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर] में दर्ज की गई जिसके बाद वैशाली और भोजपुर जिलों का स्थान है।

112. बिहार का अग्रणी गन्ना उत्पादक जिला है

- (a) पश्चिमी चंपारण।
- (b) सीतामढ़ी
- (c) गोपालगंज
- (d) पूर्वी चंपारण
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

• बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार:

- प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में, पश्चिम चंपारण 56.98% से अधिक के योगदान के साथ सूची में सबसे ऊपर है।
- अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर हैं।

113. बिहार में सबसे बड़ी नहर सिंचित क्षेत्र किस जिले में स्थित है

- (a) पश्चिमी चंपारण
- (b) औरंगाबाद
- (c) रोहतास
- (d) भोजपुर
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार में सबसे बड़ी नहर सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में स्थित है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार:
- कुल मिलाकर बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र 2016-17 में 53.41 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 54.96 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- विभिन्न स्रोतों में, नलकूप/कुएँ सकल सिंचित क्षेत्र के 63.4% की सिंचाई करने वाले प्रमुख स्रोत हैं, इसके बाद नहर का पानी [30.9%] है। टैंक सिंचाई सकल सिंचित क्षेत्र का केवल 2% है।
- सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास [4.15 लाख हेक्टेयर] में सबसे अधिक और शिवहर में सबसे कम था।

- रोहतास जिले का नहर सिंचाई के तहत क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सा [3.07 लाख हेक्टेयर] था, इसके बाद पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद का स्थान था।

114. 2001 और 2011 में क्रमशः बिहार के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम है?

- (a) किशनगंज और मधेपुरा
- (b) सुपौल और सहरसा
- (c) सुपौल और मधेपुरा
- (d) किशनगंज और सहरसा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार के किशनगंज और सहरसा जिलों में क्रमशः 2001 और 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी।
- महत्वपूर्ण 2011 जनगणना डेटा:

जनसांख्यिकी शब्द	भारत	बिहार
दशकीय वृद्धि दर [2001-2011]	17.7%	25.42%
शहरीकरण	31.2%	11.3%
जनसंख्या घनत्व	382	1106
लिंग अनुपात	943	918
साक्षरता दर	74.04%	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	82.14%	71.2%
महिला साक्षरता दर	65.46%	51.5%

115. 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है?

- (a) 10.06%
- (b) 11.02%
- (c) 13.02%
- (d) 15.03%
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.06% है।

Table 2: Individual share of states in the taxes devolved by the centre (out of 100)

State	14th FC 2015-20	15th FC 2020-21	15th FC 2021-26
Andhra Pradesh	4.305	4.111	4.047
Arunachal Pradesh	1.370	1.760	1.757
Assam	3.311	3.131	3.128
Bihar	9.665	10.061	10.058

116. वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही?
- 13.53%
 - 11.53%
 - 12.53%
 - 10.53%
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार, 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 10.53 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) और 15.01 प्रतिशत (मौजूदा कीमतों पर) थी, जो विकास दर से अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए।
- 2018-19 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 5,57,490 करोड़ रुपये और स्थिर (2011-12) कीमतों पर 3,94,350 करोड़ रुपये था।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार:

- बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में एक मजबूत रिकवरी पोस्ट की।
- त्वरित अनुमानों के अनुसार, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद [जीएसडीपी] ने 2020-21 में (-) 3.2% की तुलना में 10.98% की मजबूत वृद्धि दर्ज की।
- 2021-22 में राष्ट्रीय विकास दर 8.68% थी।

117. वर्ष 2019 में बिहार राज्य में विद्युत क्षमता उपलब्धता कितनी थी?

- 4767 मेगावाट
- 4867 मेगावाट
- 5767 मेगावाट
- 5867 मेगावाट
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता 4767 मेगावाट थी।
- इसमें से 82 प्रतिशत कोयला आधारित थर्मल पावर से, 11 प्रतिशत जलविद्युत से और शेष 7 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है।
- स्वामित्व के संदर्भ में, केंद्रीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 86 प्रतिशत है, इसके बाद निजी क्षेत्र/आईपीपी (13 प्रतिशत) और राज्य क्षेत्र (1 प्रतिशत) का स्थान है।

118. बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए मिला है?

- मक्का
- चावल
- गेहूँ
- दाल
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार को “गेहूँ” के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला।
- 2016-17 के लिए यह “मक्का” के उत्पादन के लिए दिया गया था।
- कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में:
- कृषि कर्मण पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2010-11 में खाद्यान्न और चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज की व्यक्तिगत फसलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी।
- देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाते हैं।
- कृषि कर्मण पुरस्कारों में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए तीन पुरस्कार और चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालों के उत्पादन के लिए चार पुरस्कार शामिल हैं - वे फसलें जो खाद्यान्न का निर्माण करती हैं।

66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 2022

119. रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस राजनीतिक दल से की थी?

- जनता पार्टी
- भारतीय लोकदल
- संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
- प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- रामविलास पासवान बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे।
- वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, नौवीं लोकसभा के सदस्य और दो बार सांसद भी रहे हैं।
- उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 1969 में बिहार विधान सभा के लिए फिर चले गए।

- बाद में पासवान 1974 में लोकदल के गठन के बाद शामिल हो गए और इसकी महासचिव बनीं।
- उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- उन्होंने पहली बार 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता के सदस्य के रूप में 1980, 1989, 1991 (रोसेरा से), 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुने गए।

120. भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के लिए प्रेस नोट कब जारी किया?

- (a) 23 सितंबर, 2020
- (b) 24 सितंबर, 2020
- (c) **25 सितंबर, 2020**
- (d) 26 सितंबर, 2020
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- भारत निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर, 2020 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव के लिए एक प्रेस नोट जारी किया।
- भारत के चुनाव आयोग के बारे में:
- भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।

121. किस राज्य में 21 सितंबर, 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से “घर तक फाइबर योजना” शुरू की गई है?

- (a) उत्तर प्रदेश
- (b) मध्य प्रदेश
- (c) **बिहार**
- (d) कर्नाटक
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- भारत के प्रधान मंत्री ने 21 सितंबर, 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में “घर तक फाइबर योजना” का शुभारंभ किया।
- ‘घर तक फाइबर’ योजना ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से बिहार के सभी 45,945 गांवों को जोड़ेगी।

- फाइबर इंटरनेट सेवा कार्यक्रम एक “प्रतिष्ठित परियोजना” है जो “डिजिटल क्रांति” को राज्य के दूरस्थ कोने तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी

122. बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

- (a) नाना साहेब
- (b) तात्या टोपे
- (c) **कुंवर सिंह**
- (d) मौलवी अहमदुल्लाह
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- कुंवर सिंह ने बिहार में “1857 के विद्रोह” का नेतृत्व किया।

कुंवर सिंह पर अतिरिक्त तथ्य:

- कुंवर सिंह का जन्म नवंबर, 1782 में शाहबाद जिले [वर्तमान में बिहार का भोजपुर जिला] के जगदीशपुर में राजा शाहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के घर हुआ था।
- वह उज्जैनिया राजपूत वंश के थे।
- 80 वर्ष की आयु में, उन्होंने 1857 में बिहार में “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया।
- **26 अप्रैल, 1858** को उनकी मृत्यु हो गई।

123. चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा की ओर गांधीजी का ध्यान किसने आकर्षित किया?

- (a) राजेन्द्र प्रसाद
- (b) अनुग्रह नारायण सिन्हा
- (c) आचार्य कृपलानी
- (d) **राज कुमार शुक्ल**
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी का ध्यान चंपारण में “नील किसानों” की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया।
- 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।
- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।
- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।

- सत्याग्रह ने “ब्रिटिश सरकार” को इंडिगो प्लांटर्स के मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर किया।
- समिति के सदस्य के रूप में गांधीजी ने **तीनकठिया व्यवस्था के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में प्राधिकरण को आश्वस्त किया**, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बागान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- गांधीजी ने बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में सहमति व्यक्त की कि ली गई धनराशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

व्याख्या

प्राचीन महाजनपद “मगध” की प्रथम राजधानी राजगृह थी।

मगध • अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है। • पहले इसे चंपा नदी द्वारा अंग से अलग किया गया था।	• गिरिविराज/राजगृह - [बिम्बिसार] • पाटलिपुत्र - [उदयिन] • वैशाली - [शिशुनाग] • पाटलिपुत्र - [कालाशोक]	• वर्तमान स्थान: बिहार के पटना, गया और नालंदा जिले
--	--	--

125. स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे?
- (a) बिहार में आदिवासी आंदोलन
 - (b) बिहार में मजदूर आंदोलन
 - (c) **बिहार में किसान आंदोलन**
 - (d) बिहार में जाति आंदोलन
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- स्वामी सहजानंद बिहार में “किसान आंदोलन” से संबंधित थे।

स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में:

- उनका जन्म 22 फरवरी, 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था।
- 1929 में, उन्होंने अपने अधिभोग अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के लिए “बिहार प्रांतीय किसान सभा” का गठन किया।
- 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया।
- स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और एनजी रंगा सचिव थे।
- स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम “हुंकार” था।

126. किस कंपनी ने 1632 में पटना, बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया?

124. प्राचीन महाजनपद “मगध” की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
- (a) पाटलिपुत्र
 - (b) वैशाली
 - (c) चंपा
 - (d) अंग
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

- (a) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
- (b) **डच ईस्ट इंडिया कंपनी**
- (c) पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
- (d) फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- **डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने “1632” में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया।**

बिहार में यूरोपीय कंपनियां:

- नमक पीटर के व्यापार के लिए 17 वीं शताब्दी से बिहार एक **महत्वपूर्ण केंद्र था**। यह सूती वस्त्र, नील आदि के लिए भी प्रसिद्ध था।
- “पुर्तगाली” बिहार में प्रवेश करने वाली पहली “यूरोपीय कंपनी” थी।
- उन्होंने बंगाल में “हुगली” में अपना कारखाना स्थापित किया, लेकिन पानी के चौनलों और सड़कों के माध्यम से व्यापार के लिए अक्सर पटना जाते थे,
- इंग्लिश ईस्ट कंपनी ने **शोरा के व्यापार के लिए 1620 में पटना के आलमगंज में एक कारखाना स्थापित किया।**
- हालांकि, फैक्ट्री को 1621 में ही बंद कर दिया गया था। केवल 1651 में कंपनी ने इस क्षेत्र में अपने व्यापार को पुनर्जीवित किया।
- वर्तमान में गुलजार बाग स्थित ब्रिटिश कंपनी के कारखाने को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया है।

127. बिहार की स्थापना कब हुई थी?

- (a) 1911
- (b) 1912
- (c) 1913
- (d) 1914
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
- 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था तो, बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी।
- बिहार दिवस बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है।
- इसका गठन 22 मार्च, 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था।
- The theme of “बिहार दिवस 2023” का विषय “युवा शक्ति-बिहार की प्रगति” [युवा शक्ति से बिहार की प्रगति] है।

128. बिहार में तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी?

- (a) 01/20
- (b) 01/03
- (c) 03/20
- (d) 03/25
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।
- राजकुमार शुक्ल ने “महात्मा गांधी” को नील की खेती करने वालों की समस्या पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था।
- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।
- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।

129. बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?

- (a) श्रीकृष्ण सिंह
- (b) सत्य पाल मलिक
- (c) नीतीश कुमार
- (d) राबड़ी देवी
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे।

अतिरिक्त तथ्य:

- लोकप्रिय रूप से “श्री बाबू” और “बिहार केसरी” के रूप में जाना जाता है।
- “फ्रीडम एंड बियाँड” जेएल नेहरू और श्री कृष्ण सिंह के बीच “लेटर्स ऑफ एक्सचेंज” है।
- बिहार में 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, उन्हें प्रथम सत्याग्रही घोषित किया गया जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा को द्वितीय सत्याग्रही घोषित किया गया।
- वह “संविधान सभा” के सदस्य थे जिसने “संविधान” का निर्माण किया।

130. बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?

- (a) पटना
- (b) गया
- (c) मुजफ्फरपुर
- (d) दरभंगा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

उत्तर: (a)

व्याख्या

- बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ था।
- बिहार में वार्षिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र:

सत्र	वर्ष	जगह	सत्र के अध्यक्ष
27 वां सत्र	1912	बांकीपुर, पटना	आरएन मुधोलकर
37 वां सत्र	1922	गया	सीआर वह
53 वां सत्र	1940	Ramgarh	मौलाना अबुल कलाम आजाद

131. जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी?

- (a) प्रजा हितेच्छू
- (b) लोक नायक
- (c) लोकमान्य
- (d) राष्ट्र नायक।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- जय प्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से “लोकनायक [जनता का नेता]” या जेपी कहा जाता है

जय प्रकाश नारायण पर अतिरिक्त तथ्य:

- 1934 में बिहार कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन हुआ। वे इस दल के महासचिव थे।
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन्होंने “आजाद दस्ता” का गठन किया।
- स्वतंत्रता के बाद, उन्हें प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी के खिलाफ “संपूर्ण क्रांति” के लिए जाना जाता है।
- पुरस्कार: 1965 में उन्हें “मैग्सेसे पुरस्कार” और 1999 में मरणोपरांत “भारत रत्न” से सम्मानित किया गया।
- उनकी जीवनी “जयप्रकाश” उनके मित्र “रामबृक्ष बेनीपुरी” ने लिखी थी।
- 1929 में, उन्होंने अपने अधिभोग अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के लिए “बिहार प्रांतीय किसान सभा” का गठन किया।

132. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था?

- चंपारण
- खेड़ा
- अहमदाबाद
- रोलेट सत्याग्रह
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।
- राजकुमार शुक्ल ने “महात्मा गांधी” को नील की खेती करने वालों की समस्या पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था।
- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।
- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।

- सत्याग्रह ने “ब्रिटिश सरकार” को इंडिगो प्लांटर्स के मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर किया।
- समिति के सदस्य के रूप में गांधीजी ने तीनकठिया व्यवस्था के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में प्राधिकरण को आश्वस्त किया, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बागान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- गांधीजी ने बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में सहमति व्यक्त की कि ली गई धनराशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

133. निम्नलिखित खनिज और जिले के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है?

- चूना पत्थर: कैमूर
- अभ्रक: भागलपुर
- क्वार्टजाइट: मधुबनी
- लेड जिंक : गया
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

खनिज पदार्थ	जिन जिलों में यह पाया जाता है
चूना पत्थर	कैमूर, मुंगेर और रोहतास।
अभ्रक	नवादा, जमुई और गया
क्वार्टजाइट	लखीसराय, मुंगेर और नालंदा
सीसा जस्ता	बांका और रोहतास।
मोनाजाइट	गया और मुंगेर
यूरेनियम	गया
चीनी मिट्टी	भागलपुर और मुंगेर

134. उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

- तेल-शोधनशाला: बरौनी
- सीमेंट: बंजारी
- खाद: भौरही
- भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग प्लांट: भागलपुर
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड “मोकामा” में स्थित है
- यह रेल वैगन और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण से संबंधित है।
- बिहार में प्रमुख उद्योग और उनके स्थान:

उद्योग	जगह
बरौनी रिफाइनरी	यह बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन USSR की मदद से की गई थी।
बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड	फतुहा, पटना
चमड़ा उद्योग	मोकामा, बेगूसराय, गया और मुजफ्फरपुर
गन फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री	मुंगेर
रेल इंजन की मरम्मत	जमालपुर
कागज उद्योग	समस्तीपुर, दरभंगा
प्लाईवुड उद्योग	हाजीपुर
जूट उद्योग	कटिहार
माचिस की तीली उद्योग	कटिहार
बर्तन	सीवान
लाख उद्योग	गया, पूर्णिया

135. पीडमोंट दलदली मिट्टी बिहार के निम्नलिखित जिलों में से केवल किस एक में पाई जाती है?

- मधुबनी
- भागलपुर
- पश्चिमी चंपारण
- सीतामढ़ी
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- पीडमोंट दलदल मिट्टी केवल बिहार के “पश्चिम चंपारण जिले” में पाई जाती है।
- यह पश्चिम चंपारण के उत्तर-पश्चिमी भागों में बना है।
- यह भाबर मैदान का एक क्षेत्र है, मिट्टी में चट्टानों और कंकड़ प्रमुख हैं।
- वनों की प्रधानता के कारण, मिट्टी भूरी और प्रकृति में अम्लीय है।
- यह धान की खेती के लिए उपयुक्त है।

बिहार की महत्वपूर्ण मिट्टी:

मिट्टी के प्रकार	जिला	काटना	भौतिक और रासायनिक गुण।
बल्लथर	कैमूर	ज्वार, बाजरा, अरहर	रेतीला, चूनेदार, पीला
टॉल	पटना, मुंगेर	दालें, गेहूँ, तिलहन	भारी मिट्टी

तराई	चंपारण, किशनगंज	गन्ना, चावल और जूट	सैंडी और कैल्शियम, भूरा और हल्का पीला
भांगर	पटना, गया, रोहतास	जूट, अरहर और गन्ना	अम्लीय, चूने से भरपूर
खादर	मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर	गेहूँ, चना, चावल और मक्का	गहरा भूरा, उपजाऊ
बाल सुंदरी	सहरसा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण।	मक्का, गन्ना, तम्बाकू, गेहूँ	चूना, क्षारीय।

136. बिहार के प्रशासनिक संभागों के निम्नलिखित में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है?

- दरभंगा: मुंगेर
- पूर्णिया: भागलपुर
- तिरहुत: सारण
- कोसी: मगध
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- गंगा नदी कोसी [सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिलों] और मगध [औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद जिलों] संभाग से नहीं बहती है।
- बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित जिलों की संख्या 12 है।
- बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय जिले हैं।

137. निम्नलिखित जनजाति और जिले के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

- संथाल: बांका
- मुंडा: जमुई
- उरांव: सुपौल
- खरवार: भागलपुर
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- मुंडा जनजाति जमुई में नहीं, बिहार के कटिहार जिले में पाई जाती है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों [एसटी] की आबादी का प्रतिशत: 1.28%।
- बिहार में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात [जनगणना 2011]: 958
- उच्चतम एसटी आबादी वाले जिले: पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया।

- शिवहर में सबसे कम आदिवासी आबादी है।
- संथाल बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति है।

जनजाति	जिलों
ओरांव	पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, रोहतास, दरभंगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और भागलपुर।
खरवार	भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर
गोंड	सीवान, भोजपुर, कैमूर, सारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास।
मुंडा	कटिहार
चेरो	रोहतास, भोजपुर, गया
थारू	पश्चिमी चंपारण

65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 2019

- 138.** निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है?
- नालंदा
 - भागलपुर
 - पश्चिमी चंपारण
 - पूर्वी चंपारण
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, “वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान” पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है।
- बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की सूची:

नाम	जिला
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिमी चंपारण
वाल्मीकि वन्य प्राणि अभयारण्य	पश्चिमी चंपारण
उदयपुर वन्य प्राणि अभयारण्य	पश्चिमी चंपारण
पंत वन्य प्राणि अभयारण्य	नालंदा
कैमूर अभयारण्य	रोहतास
गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य	गया
नकती बांध पक्षी अभयारण्य	जमुई
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य	भागलपुर
कंवर झील पक्षी अभयारण्य	बेगूसराय
बरैल झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य	वैशाली
कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार	दरभंगा

- 139.** बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है?

- 7.27%
- 6.87%
- 3.21%
- 12.77%
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार:

- अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के आईआरएस रिपोर्ट-2 लिस III उपग्रह डेटा की व्याख्या के आधार पर, राज्य में वन आवरण 7,305.99 वर्ग किमी है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है।
- वन चंदवा घनत्व वर्गों के संदर्भ में, राज्य में बहुत घने वन (वीडीएफ) के तहत 333.13 वर्ग किमी, मध्यम घने वन (एमडीएफ) के तहत 3,280.32 वर्ग किमी और खुले वन (ओएफ) के तहत 3,692.54 वर्ग किमी है।
- ISFR 2017 में रिपोर्ट किए गए पिछले आकलन की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र में 6.99 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

नवीनतम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार:

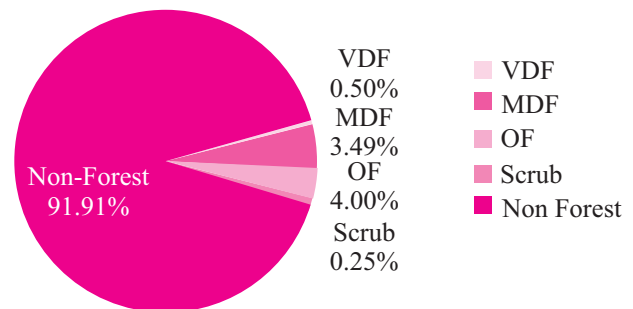


Fig. 13.4.2: Forest Cover of Bihar

(in sq km)

Class	Area	% of GA
VDF	333.42	0.35
MDF	3,285.83	3.49
OF	3,761.54	4.00
Total	7,380.79	7.84
Scrub	235.89	0.25

- 140.** बिहार सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। यह प्रणाली
- राज्य में सभी वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन और पेपरलेस करेंगे।
 - बैंकों के एनपीए की समस्या का समाधान करेंगे।

- (c) राज्य की परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे
- (d) स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगा।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1 अप्रैल, 2019 को “व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली” की शुरुआत की थी :
- प्रदेश की वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन एवं पेपरलेस बनाना।
- वित्तीय तंत्र के माध्यम से राज्य परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन।
- इसलिए, “विकल्प e”, अर्थात “उपरोक्त में से एक से अधिक” सही समाधान है।

141. भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया?

- (a) गेहूं और मक्का का उत्पादन और उत्पादकता।
- (b) खाद्यान्न उत्पादन
- (c) चावल का उत्पादन
- (d) तिलहन का उत्पादन।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार को “गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता” के लिए 2 जनवरी, 2020 को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला।

कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में:

- कृषि कर्मण पुरस्कारों की **स्थापना वर्ष 2010-11 में** खाद्यान्न और चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज की व्यक्तिगत फसलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी।
- देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों** को कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाते हैं।
- कृषि कर्मण पुरस्कारों में **कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए तीन पुरस्कार** और चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालों के उत्पादन के लिए चार पुरस्कार शामिल हैं - वे फसलें जो खाद्यान्न का निर्माण करती हैं।

142. बिहार सरकार ने अगस्त, 2018 में एक नई योजना, “सतत जीविकोपार्जन योजना” शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है

- (a) युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना।
- (b) स्थानीय निकायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना।
- (c) बेहद गरीब परिवारों को स्थायी आय अर्जक संपत्ति प्रदान करना।
- (d) युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2018 को “सतत जीविकोपार्जन योजना” निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी :

- **अति-गरीब परिवारों को 24 महीने** की आजीविका और समर्पित सामुदायिक संवर्गों और मास्टर संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से परामर्श सहायता के साथ सशक्त बनाना।
- पारंपरिक रूप से ताड़ी के उत्पादन, परिवहन और बिक्री में लगे लोगों का समर्थन करने के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों से अति-गरीब।
- अंततः, यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है।
- बिहार **ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी [जीविका]**, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- इसलिए, “विकल्प e”, जो उपरोक्त में से एक से अधिक है, सही कथन है।

143. निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सरकार के सात निश्चय में शामिल नहीं है?

- (a) महिला सशक्तिकरण
- (b) स्वच्छ पेयजल
- (c) सभी घरों में बिजली की आपूर्ति
- (d) बाल कल्याण
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

बिहार सरकार के सात निश्चय [सात निश्चय] में बाल कल्याण शामिल नहीं है। सात संकल्प नीचे दिए गए हैं:

1. आर्थिक हाल, युवाओं का बल
2. अरिश्चित रोजगार महिला का अधिकार [महिला अधिकारिता]
3. हर घर बिजली लगातर [सभी घरों में बिजली की आपूर्ति]।
4. हर घर नल का जल [स्वच्छ पेयजल]
5. घर तक पक्की गली-नालियां
6. शौचालय निर्माण घर का सम्मान
7. अवसर बढ़े, आगे पढ़े

144. बिहार का स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देश से कम है। वर्ष 2018-19 में था
- (a) राष्ट्रीय औसत का 75 प्रतिशत
 - (b) राष्ट्रीय औसत का 60 प्रतिशत
 - (c) राष्ट्रीय औसत का 50 प्रतिशत
 - (d) राष्ट्रीय औसत का 33 प्रतिशत
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 21,750 से 2018-19 में 30,617 रुपये बढ़ी है।
- हालाँकि, बिहार में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और यह 2018-19 में राष्ट्रीय औसत (92,565 रुपये) का केवल 33.1 प्रतिशत था।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार:

- 2021-22 में, राज्य में प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 2020-21 में 28,127 रुपये से 9.4% बढ़ने के बाद 30,779 रुपये था। यह देश की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी का 33.7% है।

145. बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

- (a) बाबू अमर सिंह
- (b) हरे कृष्ण सिंह
- (c) कुंवर सिंह
- (d) राजा शहजादा सिंह
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे।
- कुंवर सिंह का जन्म नवंबर, 1782 में शाहबाद जिले [वर्तमान में बिहार का भोजपुर जिला] के जगदीशपुर में राजा शाहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के घर हुआ था।
 - वह उज्जैनिया राजपूत वंश के थे।
 - 80 वर्ष की आयु में, उन्होंने 1857 में बिहार में “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया।
 - 26 अप्रैल, 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।

146. असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया?

- (a) स्वामी विद्यानंद
- (b) राज कुमार शुक्ल
- (c) श्री कृष्ण सिंह
- (d) जेबी सेन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया।

- 1919 और 1920 में, किसान कार्यकर्ता “स्वामी विद्यानंद” ने एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र के लोगों के बीच व्यापक समर्थन को आकर्षित किया।
- यह विरोध दरभंगा राज, बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी जमींदारों में से एक पर केंद्रित था।

147. आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है?

- (a) सच्चिदानंद सिन्हा
- (b) कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा
- (c) सर गणेश सिंह
- (d) आचार्य नरेंद्र देव
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

सच्चिदानंद सिन्हा को “आधुनिक बिहार का निर्माता” माना जाता है।

- सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में:

- वह एक भारतीय वकील, सांसद और पत्रकार थे।
- उन्हें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा के पहले राष्ट्रपति [9 दिसंबर, 1946] के रूप में चुना गया था।
- उन्होंने दूसरों के एक छोटे समूह के साथ बिहार के एक अलग प्रांत के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उनके प्रयासों से 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ।
- उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के “कुलपति” के रूप में कार्य किया और 1936 से 1944 तक इस पद पर रहे।
- उन्होंने अपनी पत्नी “राधिका” की याद में 1924 में “सिन्हा पुस्तकालय” का निर्माण किया।
- वह इंडियन नेशन के प्रकाशक और हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक थे।

148. बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था?

- (a) स्वामी सहजानंद सरस्वती
- (b) राम सुंदर सिंह
- (c) गंगा शरण सिन्हा
- (d) रामानंद मिश्रा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

संगठन	वर्ष	संबंधित तथ्य
मुंगेर में किसान सभा	1922 से 23	इसका आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण सिंह ने किया था।
बिहार प्रोविशियल किसान सभा	1929	• इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी
बिहार किसान सभा	1933	• इसका उद्देश्य किसानों की मौजूदा शिकायतों को दूर करना है
ऑल इंडिया किसान सभा	1936	• इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। • स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा सचिव थे

149. डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया?
- 1601
 - 1632
 - 1774
 - 1651
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने “1632” में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया।
- बिहार में यूरोपीय कंपनियां:
 - नमक पीटर के व्यापार के लिए 17 वीं शताब्दी से बिहार एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह सूती वस्त्र, नील आदि के लिए भी प्रसिद्ध था।
 - “पुर्तगाली” बिहार में प्रवेश करने वाली पहली “यूरोपीय कंपनी” थी।
 - उन्होंने बंगाल में “हुगली” में अपना कारखाना स्थापित किया, लेकिन पानी के चौनलों और सड़कों के माध्यम से व्यापार के लिए अक्सर पटना जाते थे।
 - इंग्लिश ईस्ट कंपनी ने शोरा के व्यापार के लिए 1620 में पटना के आलमगंज में एक कारखाना स्थापित किया।
 - हालांकि, फैक्ट्री को 1621 में ही बंद कर दिया गया था। केवल 1651 में कंपनी ने इस क्षेत्र में अपने व्यापार को पुनर्जीवित किया।

- वर्तमान में गुलजार बाग स्थित ब्रिटिश कंपनी के कारखाने को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया गया है
- 1774-75 में दोनों ने पटना में नेपाली कोठी में एक कारखाना शुरू किया।

150. बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की?

- श्री कृष्ण सिंह
- रामलाल शाह
- बंकिमचंद्र मित्रा
- सचिंद्र नाथ सान्याल
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में “स्वराज दल” की एक शाखा स्थापित की।
 - बिहार में इसका गठन फरवरी, 1923 में हुआ था।
 - श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी इसके सचिव थे।
 - पार्टी ने नवंबर, 1923 में हुए विधानसभा चुनावों में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीतीं।
- स्वराज पार्टी के बारे में:
 - स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी।
 - वे दोनों इस विचारधारा में विश्वास करते थे कि “कांग्रेस को सरकार का हिस्सा होना चाहिए और विधान सभाओं में प्रवेश करना चाहिए और सरकार के भीतर संघर्ष जारी रहना चाहिए।
 - इस विचारधारा को अधिकांश कांग्रेसियों ने खारिज कर दिया, जिसके कारण अंततः 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ।
 - पार्टी का जनादेश परिषदों का हिस्सा बनना और आंदोलन के माध्यम से उनके काम में बाधा डालना था।
- सीआर दास पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने।

151. भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?

- श्री कृष्ण सिंह
- महादेव लाल सर्राफ
- कुमार मिश्रा
- सत्यनारायण
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- भागलपुर में महादेव लाल सर्राफ ने “नमक सत्याग्रह” का नेतृत्व किया। वे महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित थे।

बिहार में नमक सत्याग्रह:

- बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल, 1930 को सारण और चंपारण जिलों में शुरू किया गया था।
- पटना में, नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल, 1930 को हुआ, जब स्वयंसेवकों ने पटना शहर में मांगले टैंक के पास, नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए स्थान के रूप में चुना गया था।
- 1930 में, सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में, बिहपुर [भागलपुर] के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवा की दुकानों पर धरना देना शामिल था।
- मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस समिति के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया।
- छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया और स्वदेशी कपड़े मिलने तक नग्न हड़ताल पर चले गए।
 - 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया।

152. 1939 में बिहार में “अंबरी सत्याग्रह” का नेतृत्व किसने किया था?

- राहुल सांकृत्यायन
- यदुनंदन शर्मा
- स्वामी सहजानंद
- स्वामी योगानंद
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1939 में बिहार में अंबरी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था।
 - इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया और छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
- राहुल सांकृत्यायन के बारे में:
 - उनका मूल नाम “केदारनाथ पाण्डेय” था। वह बहुश्रुत और बहुभाषाविद दोनों ही थे।
 - उन्हें “हिंदी यात्रा साहित्य के पिता” के रूप में जाना जाता है।

- बाद में, वह एक बौद्ध भिक्षु [बुद्ध भिक्षु] बने और अंततः “मार्क्सवादी समाजवाद” अपना लिया।
- भारत सरकार ने उन्हें 1963 में “पद्म भूषण के नागरिक सम्मान” से सम्मानित किया।

153. बिहार में सर्चलाइट अखबार के संपादक कौन थे?

- अब्दुल बारी
- लंबोदर मुखर्जी
- मुरली मोहन प्रसाद
- रामानंद चटर्जी
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- मुरली मोहन प्रसाद बिहार में “सर्चलाइट” समाचार पत्र के “संपादक” थे।
 - वे बिहार के जाने-माने पत्रकार थे।
 - “सर्चलाइट” का प्रकाशन 1918 में द्वि-साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ।
 - 1930 के बाद से यह एक दैनिक समाचार पत्र बन गया।
 - “सर्चलाइट” के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन और दूसरे महेश्वर प्रसाद थे।
 - स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन [1905-08] की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी जो बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था।
 - ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई, 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की।
 - 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई चर्चाओं के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई।
 - 16 अक्टूबर, 1905 को, बंगाल का विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल में “शोक दिवस” के रूप में मनाया गया।
154. 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था?
- फूलन प्रसाद वर्मा
 - स्वामी योगानंद
 - नरहरी पारीक
 - दादाभाई नरोजी
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1931 में गंगा शरण सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, और रामानंद मिश्रा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया।

- बाद में 1934 में, जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और “बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी” का औपचारिक उद्घाटन किया।
- आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया।
- पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण और संगठन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया।

155. कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक युसूफ शाह चक, जिन्हें बादशाह अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था, को किस स्थान पर दफनाया गया था?
- (a) पाटलिपुत्र
 - (b) राजगीर
 - (c) मुंगेर
 - (d) नालंदा
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक युसूफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था।
 - वह कश्मीर घाटी का अंतिम संप्रभु शासक था। उसने 1579 से 1586 ई. तक कश्मीर पर शासन किया।
 - मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें बिहार निर्वासित कर दिया था।
 - वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नालंदा के बिस्वाक गांव में बस गए, जिसे बाद में कश्मीरी चक कहा गया।
 - जब ओडिशा में उनकी मृत्यु हुई, तो उनके शरीर को बिहार लाया गया और नालंदा में उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की कब्रों के साथ दफनाया गया।
156. निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है?
- (a) मुंगेर
 - (b) रोहतास
 - (c) जमुई
 - (d) नवादा
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- रोहतास जिले में “धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना” नहीं है।
- बिहार में, मुंगेर, जमुई और नवादा जिले “धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचनाओं” का हिस्सा हैं।
- धारवाड़ क्षेत्र में अभ्रक की चादरों का बोलबाला है।
- विध्ययन चट्टानें:
 - यह कैमूर जिले और रोहतास जिले के सोन घाटी जिले के बीच बिहार के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पाया जाता है।

157. बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित जिलों की संख्या है
- (a) 21
 - (b) 17
 - (c) 12
 - (d) 6
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित जिलों की संख्या 12 है।

- बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय जिले हैं।
158. निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है?
- (a) वाल्मीकि
 - (b) राजगीर
 - (c) भीम बांध
 - (d) गौतम बुद्ध
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है।
- बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की सूची:

नाम	जिला
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिमी चंपारण
वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य	पश्चिमी चंपारण
उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य	पश्चिमी चंपारण
पंत वन्य प्राणी अभयारण्य	नालंदा
कैमूर अभयारण्य	रोहतास
गौतम बुद्ध वर्ल्ड पश्चिमी अभयारण्य	गया
नकटी डैम पक्षी अभयारण्य	जमुई
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य	भागलपुर
कंवर झील पक्षी अभयारण्य	बेगूसराय
बरैल झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य	वैशाली
कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य	दरभंगा

159. बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है?

- (a) सिवान (b) गोपालगंज
(c) सारण (d) किशनगंज
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

• जनगणना 2011 के अनुसार:

- गोपालगंज जिले का लिंगानुपात 1021 है जो पुरुषों से अधिक महिलाओं को दर्शाता है।
- गोपालगंज के बारे में:
 - गोपालगंज, जो 1875 तक केवल एक छोटा सा गांव था, उसी वर्ष पुराने सारण जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था।
 - यह 2 अक्टूबर, 1973 को एक स्वतंत्र जिला बन गया। जिला मुख्यालय गोपालगंज शहर में स्थित है।
 - गोपालगंज जिला बिहार राज्य के पश्चिम-उत्तर कोने पर स्थित है।
 - भौगोलिक रूप से यह $83.54^\circ - 85.56^\circ$ अक्षांश और $26.12^\circ - 26.39^\circ$ उत्तरी देशांतर के बीच स्थित है।
 - यह पूर्व में चंपारण और गंडक नदी, दक्षिण में सीवान जिले और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से घिरा है।

160. निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्र घने पर्णपाती वनों से आच्छादित है?

- (a) पश्चिम चंपारण (b) गया
(c) कैमूर (d) नवादा।
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- दिए गए जिलों में से, पश्चिम चंपारण [पश्चिम चंपारण] में घने पर्णपाती वन आवरण के तहत बड़ा क्षेत्र है।
- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 : बिहार डेटा:

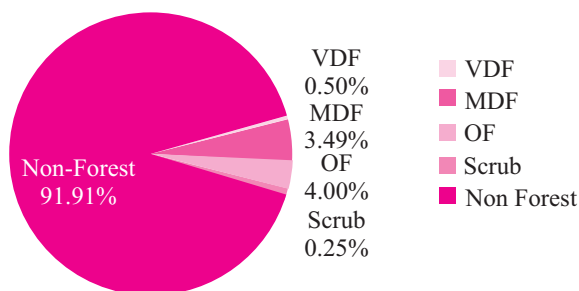


Fig. 13.4.2: Forest Cover of Bihar

(in sq km)

Class	Area	% of GA
VDF	333.42	0.35
MDF	3,285.83	3.49
OF	3,761.54	4.00
Total	7,380.79	7.84
Scrub	235.89	0.25

161. बिहार का वह जिला जिसमें गंगा नदी की लम्बाई अधिक है?

- (a) भागलपुर
(b) कटिहार
(c) पटना
(d) बेगूसराय
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है।
- बिहार के 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं।
- बिहार का वह जिला जिसमें गंगा नदी की लंबाई [99kms] अधिक है, “पटना” है।

162. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व (प्रति वर्ग किमी) दर्ज किया गया है?

- (a) शिवहर
(b) वैशाली
(c) पटना
(d) दरभंगा
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- शिवहर जिले [तिरहुत संभाग का हिस्सा] में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी दर्ज किया गया है।
- जनसंख्या घनत्व के मामले में शीर्ष पांच जिले: शिवहरझ पटनाझ दरभंगाझ वैशाली।
- बिहार में कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है [488 व्यक्ति/वर्ग किमी]
- महत्वपूर्ण 2011 जनगणना डेटा:

जनसांख्यिकी शब्द	भारत	बिहार
दशकीय विकास दर [2001-2011]	17.7%	25.42%
शहरीकरण	31.2%	11.3%
जनसंख्या घनत्व	382	1106
लिंग अनुपात	943	918
साक्षरता दर	74.04%	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	82.14%	71.2%
महिला साक्षरता दर	65.46%	51.5%

163. निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन-सी गंगा नदी बेसिन का भाग है?
- शंख
 - उत्तरी कोयल
 - दक्षिणी कोयल
 - बराकर
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- उत्तरी कोयल गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है।
 - यह छोटानागपुर पठार से निकलती है और झारखंड में बहती है।
 - बाद में, यह सोन नदी में गिरती है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है।
 - दक्षिणी कोयल और शंख नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं।
164. बिहार में, “कृषि कुंभ मेला 2019” आयोजित किया गया था
- चंपारण
 - मोतिहारी
 - राजगीर
 - गया
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- कृषि कुंभ मेला 2019 मोतिहारी में आयोजित हुआ था
 - मोतिहारी के बारे में:
 - यह पूर्वी चंपारण जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
 - पूर्वी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है।
165. नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक, 2019 में बिहार ने स्कोर किया
- 30.12
 - 30.13
 - 32.11

(d) 32.12

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक, 2019 में बिहार ने 32.11 स्कोर किया।
 - राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए वार्षिक उपकरण है। यह ‘स्वास्थ्य परिणाम’, ‘शासन और सूचना’ और ‘प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं’ के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है।
 - परिणाम संकेतकों के लिए उच्च स्कोर के साथ प्रत्येक डोमेन को उसके महत्व के आधार पर भार दिया गया है।
 - समान संस्थाओं के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए, रैंकिंग को ‘बड़े राज्यों’, ‘छोटे राज्यों’ और ‘केंद्र शासित प्रदेशों’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
166. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था
- 935
 - 934
 - 933
 - 932
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था।
- महत्वपूर्ण 2011 जनगणना डेटा:

जनसांख्यिकी शब्द	भारत	बिहार
दशकीय विकास दर [2001-2011]	17.7%	25.42%
शहरीकरण	31.2%	11.3%
जनसंख्या घनत्व	382	1106
लिंग अनुपात	943	918
साक्षरता दर	74.04%	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	82.14%	71.2%
महिला साक्षरता दर	65.46%	51.5%

167. वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी
- 14.2%
 - 14.6%
 - 15.6%
 - 15.2%
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी।
 - **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार:**
 - बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में एक मजबूत रिकवरी पोस्ट की।
 - त्वरित अनुमानों के अनुसार, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद [जीएसडीपी] ने 2020-21 में (-) 3.2% की तुलना में 10.98% की मजबूत वृद्धि दर्ज की।
 - 2021-22 में राष्ट्रीय विकास दर 8.68% थी।
- 168.** वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद [जीएसडीपी] था
- (a) 4,87,628 करोड़ रुपये।
(b) 3,61,504 करोड़ रुपये।
(c) 1,50,036 करोड़ रुपये।
(d) 5,63,424 करोड़ रुपये।
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 2017-18 में बिहार का जीएसडीपी ₹मौजूदा कीमतों पर 4,87,628 करोड़। स्थिर (2011-12) कीमतों पर यह आंकड़ा ₹ 3,61,504 करोड़।
 - 2017-18 में परिणामी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी हैं - रुपये। 42,242 (वर्तमान मूल्य) और ₹ 31,316 (स्थिर मूल्य)
- 169.** पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने श्री फागू चौहान को जुलाई, 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई थी?
- (a) माननीय मुकेश शाह
(b) माननीय एपी शाही
(c) माननीय रेखा मनहरलाल दोषित
(d) माननीय दीपक मिश्रा।
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- माननीय एपी शाही, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जुलाई, 2019 में “श्री फागू चौहान” को बिहार के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई।
- पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: माननीय के विनोद चंद्रन [केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश]।

- **बिहार के वर्तमान राज्यपाल:** राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर [पहले, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया]
- 170.** हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले “बिहार दिवस” का क्या महत्व है?
- (a) इसी दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था।
(b) 1873 में इसी दिन बिहार को संयुक्त प्रांत से अलग कर बनाया गया था।
(c) 1912 में बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार के अलग होने की स्मृति में
(d) 12 वीं सदी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए।
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
 - 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था
 - 1936 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, बिहार और ओडिशा ब्रिटिश शासित भारत के अलग-अलग प्रांत बन गए।
 - बिहार दिवस बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है।
 - इसका गठन 22 मार्च, 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था।
 - बिहार दिवस 2030 की थीम- युवा शक्ति- बिहार की प्रगति (प्रोग्रेस आफ बिहार विद यूथ पावर)
- 171.** बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है?
- (a) उज्ज्वल बिहार
(b) हम सबका बिहार
(c) ब्लिसफुल बिहार
(d) बिहार सबसे अच्छा है
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है “ब्लिसफुल बिहार”।
- बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के बारे में:
 - बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) की स्थापना वर्ष 1980 में बिहार राज्य में पर्यटन के

विकास और राज्य के पास उपलब्ध पर्यटन संसाधनों के व्यावसायीकरण के लिए की गई थी।

- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बंगला, कैफेटेरिया, रेस्तरां, परिवहन सुविधाएं और रोपवे जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे प्रदान किए जाते हैं।

172. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नदी पर बनने वाली मंडल बांध परियोजना की नींव रखी?

- कोसी
- बूढ़ी गंडक
- फाल्गु
- उत्तरी कोयल
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- मंडल बांध परियोजना “उत्तर कोयल” नदी पर बनाई जाएगी।
 - इस परियोजना की कल्पना पहली बार 1973 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के तहत की गई थी, लेकिन इसके निर्माण को 25 साल पहले पर्यावरण के आधार पर रोक दिया गया था, जब यह वन (संरक्षण) नियम 1981 में 1992 के संशोधन से कम हो गया था।
 - इस परियोजना से 1.11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की उम्मीद है, जिसमें बिहार में 91,000 हेक्टेयर भूमि और झारखंड में 20,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
- 173.** जुलाई 2019 में, विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के एक महापाषाण स्थल के पहले प्रलेखन के लिए दौरा किया?
- पटना
 - कैमूर
 - मधुबनी
 - बांका
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- जुलाई, 2019 में, विशेषज्ञों ने “कैमूर जिले” में बिहार के एक महापाषाण स्थल के पहले प्रलेखन के लिए दौरा किया।
- कैमूर जिले के बारे में:
 - यह पहले “रोहतास जिले” का हिस्सा था, जिसे 1991 में बनाया गया था और 1994 में इसका नाम बदलकर “कैमूर” कर दिया गया।

- **जिला मुख्यालय:** भभुआ में।
- कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ स्थित है।
- बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व इसी जिले में बनेगा।
- **जलप्रपात:** करकट और तेलहर यहाँ स्थित हैं।
- ज्वार, बाजरा और अरहर के लिए अच्छी मिट्टी प्राप्त होती है।

- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार वन आच्छादन के मामले में यह बिहार में पहले स्थान पर है।

64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 2018

- 174.** एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन किया गया था
- 1911
 - 1912
 - 1936
 - 2000
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
 - 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था।
 - 1936 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, बिहार और ओडिशा ब्रिटिश शासित भारत के अलग-अलग राज्य बन गए।
 - इसलिए, दिए गए विकल्पों में से, “विकल्प C” जो कि 1936 है, सबसे उपयुक्त समाधान है।
- 175.** भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था
- राजगृह
 - गया
 - पाटलिपुत्र
 - वैशाली
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

प्रथम बौद्ध संगीति	वर्ष: 483 ई.पू.
	● स्थान: सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। ● अध्यक्ष - महा कश्यप ● राजा -हर्षक वंश का अजातशत्रु ● आनंद और उपाली द्वारा क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन।

176. बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन मिलता है
- (a) तारीख ए हिंद
 - (b) तबकात ए नासिरी
 - (c) ताज उल मासिर
 - (d) तारिक-ए मुबारक शाही
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन “तबकात-ए-नासिरी” [फारसी भाषा में] मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा लिखित है।
 - बख्तियार खिलजी बिहार में “तुर्क शासन” के वास्तविक संस्थापक थे। उन्हें बिहार का पहला “मुस्लिम विजेता” भी माना जाता है।
 - उसने 1199 ईस्वी में बिहार के किलेबंद विश्वविद्यालय शहर (हिसार-ए-बिहार) पर हमला किया।
 - इसके अलावा, उन्होंने बिहारशरीफ पर आक्रमण किया और “ओदंतीपुरी महाविहार” को लूट लिया।
 - बिहारशरीफ उपखंड में “बख्तियारपुर” स्थान का नाम संभवतः शहर के “तुर्की विजय” के बाद उनके नाम पर रखा गया था।
 - उन्होंने 1206 ईस्वी में एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान “तिब्बत अभियान” शुरू किया और अली मर्दन द्वारा बंगाल लौटने पर उनकी हत्या कर दी गई।
177. सुवर्णभूमि का वह शासक, जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी और देवपाल से उसके रखरखाव के लिए पाँच गाँव देने के लिए अपने राजदूत के माध्यम से अनुरोध किया था
- (a) धीरेंद्र
 - (b) संग्राम धनंजय
 - (c) बाला पुत्र देव
 - (d) चूड़ामणि वर्मन
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- “बालपुत्रदेव” ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से “देवपाल” से इसके रखरखाव के लिए गाँव देने का अनुरोध किया।
- वह स्वर्ण भूमि के शैलेंद्र डायनेस्टी से संबंधित था
- अतिरिक्त तथ्य:
 - देवपाल पाल वंश का शासक था।

- पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी।
 - उन्होंने बिहार के ओदंतीपुरी में मठ का निर्माण किया।
 - विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी।
178. बिहार का निम्नलिखित में से कौन-सा भाग भौगोलिक रूप से आयु में क्रमशः पुराना है?
- (a) रोहतास पठार
 - (b) उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियाँ
 - (c) खड़गपुर हिल्स
 - (d) उत्तरी गंगा का मैदान
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार का रोहतास पठार भूवैज्ञानिक रूप से आयु में क्रमशः पुराना है।
- बिहार के भूविज्ञान के बारे में:
 - बिहार का भूविज्ञान काफी संतुलित है क्योंकि इसमें चट्टान के नए और पुराने दोनों रूप शामिल हैं।
 - इसके भूविज्ञान के संदर्भ में, इसमें युवा (तृतीयक काल) और पुराने रॉक फॉर्मेशन (पूर्व-कैम्ब्रियन काल) शामिल हैं।
 - भौतिक और संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को तीन भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है:
 1. शिवालिक रेंज।
 2. बिहार का मैदान।
 3. दक्षिणी पठारी क्षेत्र।

179. नील विद्रोह के बारे में था

- (a) किसान नील की खेती नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर किया जा रहा था
- (b) किसान नील उगाना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था
- (c) किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्हें उस कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी।
- (d) एक विरोध आंदोलन जिसमें नीले रंग का झंडा था।
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- नील विद्रोह के बारे में था:
 - किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्हें उस कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी।

- यह अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें उन शर्तों पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल थीं।
- यह 1859-60 में हुआ था।
- नेता: दिगंबर विश्वास और बिष्णु विश्वास।

180. जुलाई, 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से घिरा था?
- (a) 7
(b) 8
(c) 9
(d) 10
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- पटना बिहार के 9 जिलों से घिरा हुआ है।
- वे 9 जिले निम्न हैं- भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल
- बिहार के नौ प्रशासनिक संभाग हैं।
 - पटना जिला होने के साथ-साथ बिहार का प्रशासनिक प्रभाग भी है।
 - पटना डिवीजन में 6 जिले पड़ते हैं जो निम्न हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास।

181. बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके द्वारा कवर किया गया है
- (a) पहाड़ी मिट्टी
(b) जलोढ़ मिट्टी
(c) रेगुर मिट्टी
(d) तराई मिट्टी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार का अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है।
- बिहार की महत्वपूर्ण मिट्टी:

मिट्टी के प्रकार	जिला	फसल	भौतिक और रासायनिक गुण
बलथर	कैमूर	ज्वार, बाजरा, अरहर	रेतीला, चूनेदार, पीला
टाल	पटना, मुंगेर	दाल, गेहूं, तिलहन	भारी मिट्टी
तराई	चंपारण, किशनगंज	गन्ना, चावल, जूट	सैंडी और कैल्शियम, भूरा और हल्का पीला

बांगर	पटना, गया, रोहतास	जूट, अरहर, गन्ना	अम्लीय, चूने से भरपूर
खादर	मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर	गेहूं, दाल, चावल, मक्का	गहरा भूरा, उपजाऊ
बाल सुंदरी	सहरसा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण	मक्का, गन्ना, गेहूं तंबाकू	चूना, क्षारीय।

182. भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर [जनगणना 2011] की दृष्टि से बिहार का स्थान है
- (a) पहला
(b) दूसरा
(c) तीसरा
(d) चौथी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है।
- महत्वपूर्ण 2011 जनगणना डेटा:

जनसांख्यिकी शब्द	भारत	बिहार
दशकीय विकास दर [2001-2011]	17.7%	25.42%
शहरीकरण	31.2%	11.3%
जनसंख्या घनत्व	382	1106
लिंग अनुपात	943	918
साक्षरता दर	74.04%	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	82.14%	71.2%
महिला साक्षरता दर	65.46%	51.5%

183. बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं और संभावनाएं हैं?
- (a) तेल शोधशाला
(b) वन आधारित उद्योग
(c) रेत-खनन उद्योग
(d) कृषि आधारित उद्योग
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार में कृषि आधारित उद्योग की क्षमता और संभावनाएं हैं।
- बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का बोलबाला है।

- कृषि आधारित उद्योगों में शामिल हैं:
 - खाद्य उत्पाद, कपड़ा, चमड़ा उत्पाद, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद, फर्नीचर और कागज उद्योग।
 - बिहार के प्रमुख कृषि उत्पादों में अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें शामिल हैं।

184. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?

- केरल
- हरियाणा
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- जनसंख्या घनत्व का अर्थ है “प्रति वर्ग किमी भूमि क्षेत्र में लोग”।
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए राज्यों में से बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है।

जनगणना 2011	जनसंख्या घनत्व
भारत	382
उत्तर प्रदेश	829
केरल	860
हरियाणा	573

185. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है?

- 893
- 916
- 918**
- 925
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- लिंगानुपात को दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है।
- महत्वपूर्ण 2011 जनगणना डेटा:

जनसांख्यिकी शब्द	भारत	बिहार
दशकीय विकास दर [2001-2011]	17.7%	25.42%
शहरीकरण	31.2%	11.3%

जनसंख्या घनत्व	382	1106
लिंग अनुपात	943	918
साक्षरता दर	74.04%	61.8%
पुरुष साक्षरता दर	82.14%	71.2%
महिला साक्षरता दर	65.46%	51.5%

186. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, पहली बार, वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था।

- 2004-05
- 2006-07**
- 2008-09
- 2009-10
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में जारी किया गया था।
- इसे “सुशील मोदी” द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे।
- महत्वपूर्ण तथ्य:
 - बिहार [राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम] FRBM अधिनियम: 2006।
 - बिहार [लोक सेवा का अधिकार अधिनियम]: 2011।
 - बिहार में चाइल्ड बजटिंग की शुरुआत 2013-14 से हुई थी।
 - बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम]: 2015 [5 जून, 2016 से प्रभावी]
 - 2020 में बिहार का पहला हरित बजट।

187. कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ शामिल हुए थे?

- आरा
- पटना**
- बेतिया
- वाराणसी
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- कुंवर सिंह ने बिहार में “1857 के विद्रोह” का नेतृत्व किया।

- बीपीएससी की अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार, कुंवर सिंह पटना में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए।

कुंवर सिंह पर अतिरिक्त तथ्य:

- कुंवर सिंह का जन्म नवंबर, 1782 में शाहबाद जिले [वर्तमान में बिहार का भोजपुर जिला] के जगदीशपुर में राजा शाहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के घर हुआ था।
- वह उज्जैनिया राजपूत वंश के थे।
- 80 वर्ष की आयु में, उन्होंने 1857 में बिहार में “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया।
- 26 अप्रैल, 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।

188. किस क्षेत्र में आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया?

- (a) बिहार
- (b) पंजाब
- (c) सिंध
- (d) काठियावाड़
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- “बिहार” में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
- बिहार में निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह हुए
 - कोल विद्रोह (1831-32)
 - भूमिज विद्रोह (1832-33)
 - संथाल विद्रोह (1855-56)
 - बिरसा मुंडा
 - ताना भगत विद्रोह

189. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था?

- (a) अहमदाबाद
- (b) बारदोली
- (c) चंपारण
- (d) व्यक्तिगत सत्याग्रह
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।

- राजकुमार शुक्ल ने “महात्मा गांधी” को नील की खेती करने वालों की समस्या पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था।

- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।

- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।

- सत्याग्रह ने “ब्रिटिश सरकार” को इंडिगो प्लांटर्स के मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर किया।

- समिति के सदस्य के रूप में गांधीजी ने तीनकठिया व्यवस्था के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में प्राधिकरण को आश्वस्त किया, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बागान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

- गांधीजी ने बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में सहमति व्यक्त की कि ली गई धनराशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

190. गांधीजी के असहयोग आंदोलन ने लोगों से शराब से बचने का आग्रह किया। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। एक प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। प्रांत का नाम बताइए।

- (a) आंध्र प्रदेश
- (b) बिहार
- (c) बंबई
- (d) गुजरात
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- गांधीजी के असहयोग आंदोलन ने लोगों से शराब से बचने का आग्रह किया। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है।

- एक प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की।

- यह बिहार प्रांत में हुआ था।

191. नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोग नमक बनाने के साथ-साथ किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुनते हैं?

- (a) चौकीदारी
- (b) हाथी
- (c) विकास
- (d) चित्रकारी
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक

व्याख्या

- “बिहार में नमक सत्याग्रह” के दौरान, लोग नमक बनाने के अलावा, बिहार में “चौकीदारी कर का भुगतान न करने” द्वारा सरकार का विरोध करना चुनते हैं।
 - बिहार में नमक सत्याग्रह:
 - बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल, 1930 को सारण और चंपारण जिलों में शुरू किया गया था।
 - पटना में, नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल, 1930 को हुआ, जब स्वयंसेवकों ने पटना शहर में मांगले टैंक के पास, नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए स्थान के रूप में चुना गया था।
 - 1930 में, सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में, बिहपुर [भागलपुर] के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवा की दुकानों पर धरना देना शामिल था।
 - मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस समिति के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया।
 - छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया और स्वदेशी कपड़े मिलने तक नग्न हड़ताल पर चले गए।
 - 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया।
192. फरवरी, 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया?
- (a) युद्ध में भारत की भागीदारी
 - (b) गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह।
 - (c) अंग्रेजों द्वारा उच्च कर लगाया जाना
 - (d) राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए।
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने “राजनीतिक कैदियों की रिहाई” के लिए फरवरी, 1938 में इस्तीफा दे दिया।

- मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा जारी एक सर्कुलर का बिहार में मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया और उन्हें इसे वापस लेना पड़ा।
- जब राज्यपाल ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया, तो मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया।
- हालांकि, फरवरी, 1938 में इस मामले पर एक समझौते के बाद ही मंत्रालय ने कार्यालय फिर से शुरू किया।

193. बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई थी?
- (a) 1868
 - (b) 1881
 - (c) 1885
 - (d) 1893
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए पारित किया गया था।
 - इस अधिनियम का मूल उद्देश्य किसानों को जमींदारी उत्पीड़न से बचाना था।
 - अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार:
 - किसान के पास भूमि का अधिभोग अधिकार होगा यदि वह इस भूमि को उसी गाँव में कम से कम बारह वर्षों तक रखता है।
194. बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना?
- (a) 1897
 - (b) 1905
 - (c) 1907
 - (d) 1912
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
 - 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था।
 - इसलिए, 1912 में ब्रिटिश शासित भारत में बिहार एक अलग प्रांत बन गया।
 - 1936 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, बिहार और ओडिशा ब्रिटिश शासित भारत के अलग-अलग राज्य बन गए।

- **बिहार दिवस** बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है।
 - इसका गठन **22 मार्च, 1912** को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था।
 - बिहार दिवस 2030 की थीम है **युवा शक्ति- बिहार की प्रगति (प्रोग्रेस ऑफ बिहार युथ पावर)**

195. गांधीजी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया?

- (a) राजेंद्र प्रसाद
- (b) राज कुमार शुक्ल
- (c) मजहरुल हक
- (d) कृष्णा सहाय
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- राजकुमार शुक्ला ने गांधीजी को चंपारण आमंत्रित किया था
- **1917 का चंपारण सत्याग्रह** महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
- यह पहला “सविनय अवज्ञा आंदोलन” था।
- यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे “तीनकठिया प्रणाली” कहा जाता था।
- राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर-उल-हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में सहायता की।
- सत्याग्रह ने “ब्रिटिश सरकार” को इंडिगो प्लांटर्स के मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर किया।
- समिति के सदस्य के रूप में गांधीजी ने तीनकठिया व्यवस्था के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में प्राधिकरण को आश्वस्त किया, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बागान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- गांधीजी ने बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में सहमति व्यक्त की कि ली गई धनराशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

196. बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था?

- (a) 1921
- (b) 1927
- (c) 1931
- (d) 1934
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- गंगा शरण सिन्हा, रामबृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने 1931 में “बिहार सोशलिस्ट पार्टी” का गठन किया।
- बाद में 1934 में, जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और “बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी” का औपचारिक उद्घाटन किया।
- आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और **जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया।**
- पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण और संगठन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया।

197. निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे?

- (a) अनुग्रह नारायण सिन्हा
- (b) अब्दुल बारी
- (c) जयप्रकाश नारायण
- (d) कृष्णा सिन्हा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- **भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत चुनाव:**
 - कांग्रेस ने “भारत सरकार अधिनियम, 1935” के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया।
 - **बिहार में विधान सभा के चुनाव 22 जनवरी से 27 जनवरी, 1937 के बीच हुए।**
 - विधानसभा की कुल 152 सीटों में से कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर जीत हासिल की।
 - हालांकि शुरुआत में बहुमत में होने के बावजूद श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया।
 - **मोहम्मद यूनस, जो स्वतंत्र पार्टी [बहुमत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी] के नेता थे, ने सरकार बनाई।**
 - वे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने।
- बाद में, **20 जुलाई, 1937 को श्री कृष्ण सिंह के प्रीमियर के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया।**
- राम दयालु सिंह स्पीकर बने और अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर बने।

63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 2018

198. निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?

- (a) मधुबनी
- (b) किशनगंज
- (c) सीतामढ़ी
- (d) पूर्णिया
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
- बिहार के सात जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।

नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले	1. पश्चिमी चंपारण।
	2. पूर्वी चंपारण।
	3. सीतामढ़ी
	4. मधुबनी
	5. सुपौल
	6. अररिया
	7. किशनगंज

199. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है?
- महाबोधि विहार
 - नालंदा में बौद्ध मठ।
 - विक्रमशिला बिहार की प्राचीन साइट
 - शेर शाह सूरी का मकबरा
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:	वह स्थान जहाँ यह स्थित है
महाबोधि मंदिर (2002)	बोधगया, गया
नालंदा महा बिहार (2016)	नालंदा

200. बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है?
- बिहार
 - कर्नाटक
 - राजस्थान
 - पंजाब
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

बिहार में थर्मल पावर प्लांट	संबद्ध जिला
कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	मुजफ्फरपुर
एनटीपीसी नबीनगर	औरंगाबाद
एनटीपीसी BARH	पटना
एनटीपीसी बरौनी	बेगूसराय
एनटीपीसी कहलगांव	भागलपुर
चौसा थर्मल पावर प्लांट	बक्सर

201. कैमूर का पठार प्रसिद्ध है

- ताँबा
- चूना पत्थर
- लिथियम
- बॉक्साइट।
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

खनिज पदार्थ	जिन जिलों में यह पाया जाता है
चूना पत्थर	कैमूर, मुंगेर और रोहतास
अभ्रक	नवादा, जमुई, गया
क्वार्ट्जाइट	लखीसराय, मुंगेर, नालंदा
सीसा जस्ता	बांका, और, रोहतास
मोनोसाइट	गया, और, मुंगेर
यूरेनियम	गया
चीनी मिट्टी	भागलपुर और मुंगेर

202. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी फतुहा में गंगा में मिलती है?
- सोन
 - पुनपुन
 - सकरी
 - बालन
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिलने वाली नदियाँ:
 - पटना में फतुहा के निकट पुनपुन नदी गंगा से मिलती है।
 - “करमनासा” नदी चौसा [बक्सर जिले] के पास गंगा नदी से मिलती है।
 - सरयू नदी छपरा में उत्तर-पश्चिम दिशा से गंगा में मिलती है।
 - “सोन और गंगा” नदियों का संगम बिहार के “पटना जिले” में स्थित है।

203. मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
- काली मिट्टी
 - नवीन जलोढ़
 - पुराना जलोढ़
 - लाल मिट्टी
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- नवीन जलोढ़ मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में पाया जाता है।
- बिहार की महत्वपूर्ण मिट्टी:

मिट्टी के प्रकार	जिला	फसल	भौतिक और रासायनिक गुण
बलथर	कैमूर	ज्वार, बाजरा, अरहर	रेतीला, चूनेदार, पीला
ताल	पटना, मुंगेर	दाल, गेहूं, तिलहन	भारी मिट्टी
तराई	चंपारण, किशनगंज	गन्ना, चावल, जूट	सैंडी और कैल्शियम, भूरा और हल्का पीला
बांगर	पटना, गया, रोहतास	जूट, अरहर, गन्ना	अम्लीय, चूने से भरपूर
खादर	मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर	गेहूं, दाल, चावल, मक्का	गहरा भूरा, उपजाऊ
बाल सुंदरी	सहरसा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण	मक्का, गन्ना, गेहूं तंबाकू	चूना, क्षारीय।

204. बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला है

- सिवान
- गया
- वैशाली
- पूर्णिया
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला “पूर्णिया” है।
- अतिरिक्त तथ्य:
 - भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है।
 - बिहार दूसरे स्थान पर है।
 - भारत वैश्विक जूट उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा है।

205. नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है

- कोसी
- सोन

(c) गंडक

(d) कमला

(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। यह पश्चिम चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करता है।
- बिहार में सिंचाई:
 - नहरें, नलकूप, कुएं और तालाब सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं।
 - नहर सिंचाई बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है।
 - मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी, बारहमासी नदी की उपलब्धता बिहार में नहर विकास के लिए अनुकूल आधार प्रदान करती है।
 - नहर सिंचित मैदानों का अधिकांश भाग दक्षिण बिहार में स्थित है।

सोन नहर	टिहरी से दो नहरें पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर निकाली गई हैं। पूर्वी सोन नहर: यह पटना, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिलों की सिंचाई करती है। पश्चिमी सोन नहर: इसकी तीन शाखाएँ हैं जिनके नाम आरा, बक्सर और चौसा हैं। यह भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिलों की भूमि की सिंचाई करता है।
कोसी नहर	1. पूर्वी तट नहर: - इसे हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी भाग से निकाला गया है। - इसकी चार शाखाएँ हैं मुर्लीगंज, जानकीनगर, पूर्णिया, अररिया - राजपुर नहर इसी नहर की एक शाखा है जिससे सहरसा एवं मुंगेर जिलों की सिंचाई होती है। 2. पश्चिमी कोसी नहर: इसे हनुमान नगर जलाशय के बाईं ओर से निकाला गया है। यह दरभंगा जिले की भूमि की सिंचाई करता है।

गंडक नहर	वाल्मीकि नगर के पास गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है, जो 743 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा है। इस स्थान से दो नहरें निकाली गई हैं। सारण नहर से सारण, गोपालगंज एवं सीवान जिलों की सिंचाई होती है। तिरहुत नहर पूर्व की ओर बहती है और मुजफ्फरपुर, वैशाली और चंपारण की भूमि की सिंचाई करती है। ए मां तेरी मां को चोदा
कमला नगर	यह दरभंगा में कमला नदी से निकाली गई है और मुख्य रूप से मधुबनी जिले की सिंचाई करती
सकरी नहर	यह 1950 में बनाया गया था और मुंगेर, गया और पटना जिलों की सिंचाई करता है।
ढाका और तुर नहर	इन्हें चंपारण में क्रमशः लालवाकिया और तेउर नदी से निकाला गया है।

206. बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था

- 1929
- 1930
- 1931
- 1932
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने “बिहार प्रांतीय किसान सभा” का गठन किया।
- अपने अधिभोग अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के लिए।
- बदले में जमींदारों ने किसानों को दबाने के लिए “संयुक्त राजनीतिक दल” का गठन किया।

207. किस अधिनियम द्वारा, बिहार एक अलग प्रांत बन गया?

- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- 1919 का भारत सरकार अधिनियम
- 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
- 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम।
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1912 तक बिहार अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।

- 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था।
 - 1936 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, बिहार और ओडिशा ब्रिटिश शासित भारत के अलग-अलग प्रांत बन गए।
 - बिहार दिवस बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है।
 - इसका गठन 22 मार्च, 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था।
 - “बिहार दिवस 2023” का विषय “युवा शक्ति” है
208. राजेंद्र प्रसाद किसे “पाकिस्तान का पिता” मानते थे?
- एमडी जिन्ना
 - लॉर्ड माउंटबेटन
 - लॉर्ड मिंटो
 - लियाकत अली खान
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- राजेंद्र प्रसाद “लॉर्ड मिंटो” को “पाकिस्तान का पिता” मानते थे।
- लॉर्ड मिंटो को “सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता” के रूप में भी जाना जाता है।
- उन्होंने “1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म” की शुरुआत की, जिसने “भारत में सांप्रदायिक मतदाता” की अवधारणा पेश की।
- सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के प्रावधानों के तहत, “मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था”।

209. पटना लॉन का नाम बदलकर “गांधी मैदान” कब किया गया?

- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
- एंटी-साइमन कमीशन रैली के दौरान
- चंपारण सत्याग्रह के दौरान
- आजादी की पूर्व संध्या पर
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- महात्मा गांधी की हत्या के बाद, पटना लॉन का नाम बदलकर “गांधी मैदान” कर दिया गया।
- तो, “विकल्प ई”, अर्थात् उपरोक्त में से कोई भी सबसे उपयुक्त समाधान नहीं है।

- ब्रिटिश काल के दौरान, इसका उपयोग गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ ट्रैक के रूप में किया जाता था।

210. 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया?
- (a) श्री कृष्ण सिंह
 - (b) मो. यूनस
 - (c) जीएस लाल
 - (d) वहाब अली
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत चुनाव:
 - कांग्रेस ने “भारत सरकार अधिनियम, 1935” के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया।
 - बिहार में विधान सभा के चुनाव 22 जनवरी से 27 जनवरी, 1937 के बीच हुए।
- विधानसभा की कुल 152 सीटों में से कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर जीत हासिल की।
- हालांकि शुरुआत में बहुमत में होने के बावजूद श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया।
- मोहम्मद यूनस, जो स्वतंत्र पार्टी [बहुमत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी] के नेता थे, ने सरकार बनाई।
- वे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने।
- बाद में, 20 जुलाई, 1937 को श्री कृष्ण सिंह के प्रीमियर के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया।
- राम दयालु सिंह स्पीकर बने और अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर बने।

211. बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे?

- (a) एएन सिन्हा
- (b) राजेंद्र प्रसाद
- (c) जगजीवन राम
- (d) श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- अनुग्रह नारायण सिन्हा और जगजीवन राम बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे।
- संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया

था और 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

- बिहार के अन्य व्यक्तित्व जिन्होंने संविधान सभा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया वे थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिन्हा, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री श्याम नंदन सहाय, श्री सत्यनारायण सिंह, श्री जयपाल सिंह, बाबू जगजीवन राम, श्री राम नारायण सिंह और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद
212. बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में इसके सचिव के साथ हुआ था
- (a) आचार्य नरेंद्र देव
 - (b) जयप्रकाश नारायण
 - (c) रामवृक्ष बेनीपुरी
 - (d) कर्पूरी ठाकुर
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने 1931 में “बिहार सोशलिस्ट पार्टी” का गठन किया।
- बाद में 1934 में, जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और “बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी” का औपचारिक उद्घाटन किया।
- आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया।
- पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण और संगठन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया।

213. 1922-23 में मुंगेर में “किसान सभा” का आयोजन किसने किया था?

- (a) स्वामी सहजानंद सरस्वती
- (b) कृष्णा सिंह
- (c) मोहम्मद जुबैर
- (d) केएन सिंह
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

संगठन	समय	संबंधित तथ्य
मुंगेर में किसान सभा	1922 से 23	इसका आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण सिंह ने किया था।

बिहार प्रोविंशियल किसान सभा	1929	इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी
बिहार किसान सभा	1933	इसका उद्देश्य किसानों की मौजूदा शिकायतों को दूर करना है
ऑल इंडिया किसान सभा	1936	- इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। - स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा सचिव थे

214. 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी?

- रेवती नाग
- यदुनाथ सरकार
- सचिंद्र नाथ सान्याल
- मजहरुल हक
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- सचिन सान्याल सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच की स्थापना की
- बीएन कॉलेज के बंकिमचंद्र मित्रा को इस संगठन का नेतृत्व सौंपा गया था।
- सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में:
 - वह एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सह-संस्थापक थे।
 - उन्होंने “चंद्रशेखर आजाद, जतिंद्र नाथ दास और भगत सिंह का मार्गदर्शन किया।
 - 1912 में, उन्होंने राशबिहारी बोस के साथ वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया।

215. स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की

- जनक्रांति
- हुंकार
- कृषक समाचार
- विद्रोही
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम “हुंकार” था।
- स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में:
 - उनका जन्म 22 फरवरी, 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था।
 - 1929 में, उन्होंने अपने अधिभोग अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के लिए “बिहार प्रांतीय किसान सभा” का गठन किया।
 - 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया।
 - स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और एनजी रंगा सचिव थे।

60-62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा

216. जीविका बिहार सरकार की एक पहल है

- रोजगार सृजन
- वित्तीय समावेशन
- गरीबी क्षीणन
- सार्वजनिक वितरण
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बिहार सरकार (GoB), ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) के माध्यम से, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट (BRLP) का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण।
- GoB गरीबों के संस्थानों के निर्माण, समर्थन और रखरखाव और उनकी आजीविका बढ़ाने के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

217. बिहार में "SPUR" परियोजना संबंधित है

- स्वास्थ्य
- गरीबी
- बैंकिंग
- नगर वित्त
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- SPUR का मतलब “शहरी सुधारों के लिए सहायता कार्यक्रम” है।
- शहरी विकास और आवास विभाग (यूडी एंड एचडी), बिहार सरकार को बिहार में शहरी सुधारों के लिए सहायता कार्यक्रम (एसपीयूआर) को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) द्वारा समर्थित किया गया था।
- इसका उद्देश्य बिहार सरकार को राज्य और शहरी स्थानीय सरकार के स्तर पर शासन को मजबूत करने में मदद करना है, ताकि विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं तक सस्ती और टिकाऊ पहुंच को सक्षम किया जा सके।
- बिहार के शहरी विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकायों के साथ काम करने से शहरी सेवाएं बनी रहेंगी और निजी निवेश आकर्षित होगा।

218. निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों की सिंचाई करती है?
- (a) ऊपरी गंगा नहर
 - (b) त्रिवेणी नहर
 - (c) शारदा नहर
 - (d) पूर्वी यमुना नहर
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। यह पश्चिम चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करता है।
- बिहार में सिंचाई:
- नहरें, नलकूप, कुएं और तालाब सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं।
- नहर सिंचाई बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है।
- मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी, बारहमासी नदी की उपलब्धता बिहार में नहर विकास के लिए अनुकूल आधार प्रदान करती है।
- नहर सिंचित मैदानों का अधिकांश भाग दक्षिण बिहार में स्थित है।

सोन नहर	टिहरी से दो नहरें पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर निकाली गई हैं। पूर्वी सोन नहर: यह पटना, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिलों की सिंचाई करती है। पश्चिमी सोन नहर: इसकी तीन शाखाएँ हैं जिनके नाम आरा, बक्सर और चौसा हैं। यह भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिलों की भूमि की सिंचाई करता है।
---------	--

कोसी नहर	1. पूर्वी तट नहर: • इसे हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी भाग से निकाला गया है। • इसकी चार शाखाएँ हैं मुरलीगंज, जानकीनगर, पूर्णिया, अररिया • राजपुर नहर इसी नहर की एक शाखा है जिससे सहरसा एवं मुंगेर जिलों की सिंचाई होती है। 2. पश्चिमी कोसी नहर: इसे हनुमान नगर जलाशय के बाईं ओर से निकाला गया है। यह दरभंगा जिले की भूमि की सिंचाई करता है।
गंडक नहर	वाल्मीकि नगर के पास गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है, जो 743 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा है। इस स्थान से दो नहरें निकाली गई हैं। सारण नहर से सारण, गोपालगंज एवं सीवान जिलों की सिंचाई होती है। तिरहुत नहर पूर्व की ओर बहती है और मुजफ्फरपुर, वैशाली और चंपारण की भूमि की सिंचाई करती है। ए मां तेरी मां को चोदा
कमला नगर	यह दरभंगा में कमला नदी से निकाली गई है और मुख्य रूप से मधुबनी जिले की सिंचाई करती
सकरी नहर	यह 1950 में बनाया गया था और मुंगेर, गया और पटना जिलों की सिंचाई करता है।
ढाका और तुर नहर	इन्हें चंपारण में क्रमशः लालवाकिया और तेउर नदी से निकाला गया है।

219. निम्नलिखित में से कौन-सी भू-आकृतियाँ बिहार राज्य के उत्तर-पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं?
- (a) सोमेश्वरपहाड़ी श्रृंखला
 - (b) कैमूर का पठार
 - (c) नवादा पहाड़ी क्षेत्र
 - (d) राजगीर पहाड़ी क्षेत्र
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला बिहार राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।
- यह एक छोटा पहाड़ी क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 74 वर्ग किलोमीटर है।

- यह त्रिवेणी नहर के मुहाने से भिकना थोरी दूरी तक फैली हुई है।
- यह भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है।
- उच्चतम बिंदु सोमेश्वर किला है जिसकी ऊँचाई 874 मीटर है और यह बिहार में सबसे ऊँचा स्थान है।

220. तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है?
- (a) बागमती
 - (b) घाघरा
 - (c) गंडक
 - (d) कमला
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- तेल नदी “महानदी” की एक सहायक नदी है।
 - तेल नदी ओडिशा के नबरंगपुर, कालाहांडी, बलांगीर, बौध सोनपुर जिले में बहती है। भारत
 - यह टिटिलागढ़ शहर से सिर्फ आठ किलोमीटर दूर बहती है।
 - महानदी की यह महत्वपूर्ण सहायक नदी सोनपुर या सुबरनपुर में मुख्य नदी से मिलती है।
221. 2001-11 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है?
- (a) किशनगंज
 - (b) अररिया
 - (c) मधेपुरा
 - (d) खगरिया
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

जिले और राज्य	दशकीय विकास दर [2001-11]
मधेपुरा	30.65%
किशनगंज	30.44%
बिहार	25.07%

222. निम्नलिखित में से कौन-सा बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र है?
- (a) मोतीपुर
 - (b) बंजारी
 - (c) भागलपुर
 - (d) डालमियानगर
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- भागलपुर बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केन्द्र है।
- इसे “बिहार के रेशम शहर” के रूप में जाना जाता है।

भागलपुर के बारे में:

- भागलपुर बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है।
 - यह बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है और समुद्र तल से 141 फीट ऊपर गंगा बेसिन में स्थित है।
 - यह शहर 2569 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह $25^{\circ} 07' - 25^{\circ} 30'$ उत्तर अक्षांश और $86^{\circ} 37' - 87^{\circ} 30'$ पूर्व देशांतर के बीच स्थित है।
 - यह जिला बिहार के मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिलों, झारखंड के गोड्डा और साहेबगंज जिलों से घिरा हुआ है।
 - भागलपुर जिले में तीन अनुमंडल शामिल हैं: भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया।
223. निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थित है?
- (a) मधेपुरा
 - (b) जमालपुर
 - (c) हरनत
 - (d) मोकामा
 - (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड “मोकामा” में स्थित है।
- यह रेल वैगन और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण से संबंधित है।
- बिहार में प्रमुख उद्योग और उनके स्थान

उद्योग	अवस्थिति
बरौनी रिफायनरी	यह बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन USSR की मदद से की गई थी
बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड	फतुहा, पटना
चमड़ा उद्योग	मोकामा, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर
गन फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री	मुंगेर
रेल इंजन की मरम्मत	जमालपुर

कागज उद्योग	समस्तीपुर और दरभंगा
प्लाईवुड उद्योग	हाजीपुर
जूट उद्योग	कटिहार
माचिस की तीली उद्योग	कटिहार
बर्तन उद्योग	सिवान बिहार
लाख उद्योग	गया, पूर्णिया

224. बिहार का एक वकील, जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद प्रथा छोड़ दी

- जय प्रकाश नारायण
- राजेंद्र प्रसाद**
- सहजानंद सरस्वती
- राज कुमार शुक्ल
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- राजेंद्र प्रसाद ने “असहयोग” आंदोलन के दौरान अपनी लाभकारी प्रथा को छोड़ दिया।

बिहार में असहयोग आंदोलन (1920-22):

- गांधीजी ने 1920 में पंजाब और खिलाफत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया और 1921-22 के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच गया। इस आंदोलन में बिहार ने निभाई अहम भूमिका
- 28 अगस्त, 1920** को, “डॉ राजेंद्र प्रसाद” की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने महात्मा गांधी के असहयोग के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे उन्होंने 1 अगस्त, 1920 को घोषित किया था।
- गांधीजी ने दिसंबर, 1920 में बिहार का दौरा किया और एक राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी।
- बिहार में असहयोग आंदोलन की विशेषताएं:**
 - शिक्षकों और छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और वकीलों ने अदालतों में भाग लेने से परहेज किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया।
 - 17 नवंबर को जब **प्रिंस ऑफ वेल्स** बंबई पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हो गई।
 - 22 दिसंबर को जब **प्रिंस पटना आए** तो वहां पूरी तरह बहिष्कार कर दिया गया।
 - मार्च 1922 में गांधीजी की गिरफ्तारी** को बिहार में राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिह्नित किया गया था।
 - 1922 में कांग्रेस की सविनय अवज्ञा जांच समिति ने बिहार का दौरा किया।

- बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी, 1921 को हुई थी, जिसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था।
- मौलाना मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को क्रमशः इसका कुलपति और कुलपति बनाया गया।
- राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय विद्यालय, पटना में प्रधानाचार्य** बनाया गया।
- मजहरुल हक ने पटना में दीघा के निकट सदाकत आश्रम की स्थापना की जो राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र बना।
- उन्होंने 30 सितंबर, 1921 से “मातृभूमि” नामक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया।

225. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा?

- जय प्रकाश नारायण
- बैकुंठ शुक्ला
- शीलभद्र याजी**
- रामनारायण प्रसाद
- उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए **शील भद्र याजी “सुभाष चंद्र बोस”** में शामिल हुए और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे।
- शील भद्र याजी के बारे में:**
 - उनका जन्म 22 मार्च, 1906 को बख्तियारपुर गांव में हुआ था।
 - उन्होंने 1931 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कराची में आयोजित भारत नौजवान सभा में सक्रिय भाग लिया।
 - उन्हें देश के मान्यता प्राप्त किसान नेता [स्वामी सहजानंद सरस्वती] के लेफ्टिनेंट के रूप में चुना गया था।
- 1937 में वे बिहार विधान सभा के सदस्य बने।
- मार्च 1940 में, बिहार के रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा द्वारा कांग्रेस पंडाल के ठीक सामने एक विशाल प्रदर्शन किया गया था।
- श्री याजी इस समझौता विरोधी सम्मेलन के मुख्य आयोजक थे।
- वह अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के उपाध्यक्ष थे लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में, उन्हें 1942

में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करने के लिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

- 226.** असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहने पर पटना कॉलेज किसने छोड़ा था?
- राजेंद्र प्रसाद
 - बृज किशोर
 - जय प्रकाश नारायण**
 - श्रीकृष्ण सिन्हा
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- जय प्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ **20 दिन शेष रहने पर “पटना कॉलेज”** छोड़ दिया।
 - कॉलेज छोड़ने के पीछे की पृष्ठभूमि:**
 - जयप्रकाश, कुछ दोस्तों के साथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद को सुनने के लिए गए, जो गांधी द्वारा 1919 के रौलट अधिनियम के पारित होने के खिलाफ गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहे थे।
 - मौलाना एक शानदार वक्ता थे और अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने का उनका आह्वान “तूफान से पहले पत्तों की तरह था: जयप्रकाश बह गए और क्षण भर के लिए आसमान में उठ गए।”
 - एक महान विचार की हवा के साथ ऊपर उठने का वह संक्षिप्त अनुभव उनके अंतर्मन पर छाप छोड़ गया।
 - जयप्रकाश ने मौलाना की बातों को दिल से लगा लिया और अपनी परीक्षाओं के लिए सिर्फ 20 दिन शेष रहते बिहार नेशनल कॉलेज छोड़ दिया।**
 - जयप्रकाश राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित एक कॉलेज बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए और गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के पहले छात्रों में शामिल हो गए।
- 227.** यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया?
- बाबा राम चंद्र
 - राज कुमार शुक्ल**
 - स्वामी सहजानंद सरस्वती
 - श्री कृष्ण सिंह
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- 1916 में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, गांधीजी ने चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल से भेंट की, जिन्होंने उनसे चंपारण आने और वहां नील रैयतों के कष्टों को स्वयं देखने का अनुरोध किया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसने भारत में गांधीजी के सत्य तथा हिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। इस प्रकार यह आंदोलन एक युग प्रवर्तक के रूप में उभरा। सत्य पर आधारित भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन।
- 228.** निम्नलिखित में से किस राज्य में “ओदंतीपुर” शिक्षा केंद्र स्थित था?
- बंगाल
 - बिहार**
 - गुजरात
 - तमिलनाडु
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- “ओदंतीपुर” शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित था।**
 - स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में:**
 - उनका जन्म 22 फरवरी, 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था।
 - 1929 में, उन्होंने अपने अधिभोग अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के लिए “बिहार प्रांतीय किसान सभा” का गठन किया।
 - 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया।
 - स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और एनजी रंगा सचिव थे।
- 229.** बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था?
- मलिक इब्राहिम
 - इल्तुतमिश
 - बख्तियार खिलजी**
 - अली मर्दन खलजी
 - उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बख्तियार खिलजी बिहार में “तुर्क शासन” के वास्तविक संस्थापक थे। उन्हें बिहार का पहला “मुस्लिम विजेता” भी माना जाता है।
- उसने 1199 ईस्वी में बिहार के किलेबंद विश्वविद्यालय शहर (हिसार-ए-बिहार) पर हमला किया।
- इसके अलावा, उन्होंने बिहारशरीफ पर आक्रमण किया और “ओदंतीपुरी महाविहार” को लूट लिया।
- बिहारशरीफ उपखंड में “बख्तियारपुर” स्थान का नाम संभवतः शहर के “तुर्की विजय” के बाद उनके नाम पर रखा गया था।
- बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन “तबकात-ए-नासिरी” (फारसी भाषा में) मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा लिखित है।
- उन्होंने 1206 ईस्वी में एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान “तिब्बत अभियान” शुरू किया और अली मर्दन द्वारा बंगाल लौटने पर उनकी हत्या कर दी गई।

230. कर्नाट वंश का संस्थापक राजा कौन था?

- (a) नान्यदेव
- (b) नरसिम्हा देव
- (c) विजय देव
- (d) हरिदेव
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

मिथिला में स्वतंत्र “कर्नाट राजवंश” की स्थापना 1097 ईस्वी में “नान्यदेव” ने की थी।

- सिमरांव, चंपारण मिथिला के कर्नाटक की राजधानी थी।
- मिथिला के कर्नाटक चालुक्य आक्रमणकारियों के मद्देनजर दक्कन से आए थे।
- कर्नाट शासकों के बारे में:
- नान्यदेव को मिथिला परंपरा में “कर्नाटक्षत्रिय” और “कर्नाटकुलभूषण” कहा जाता है।
- कालक्रमः नान्यदेव-गंगादेव-नरसिम्हादेव

- नर्मशीमदेव के शासनकाल के दौरान, मुहम्मद बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ 1202 ईस्वी में लखनौती के रास्ते तिरहुत से गुजरा।

231. नालंदा विहार को नष्ट कर दिया

- (a) बख्तियार खिलजी
- (b) कुतुबुद्दीन खिलजी
- (c) मुहम्मद बिन तुगलक
- (d) अलाउद्दीन खिलजी
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार को नष्ट कर दिया।
- उसने 1199 ईस्वी में बिहार के किलेबंद विश्वविद्यालय शहर (हिसार-ए-बिहार) पर हमला किया।
- इसके अलावा, उन्होंने बिहारशरीफ पर आक्रमण किया और “ओदंतीपुरी महाविहार” को लूट लिया।
- बिहारशरीफ उपखंड में “बख्तियारपुर” स्थान का नाम संभवतः शहर के “तुर्की विजय” के बाद उनके नाम पर रखा गया था।

232. 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था?

- (a) नामदार खान
- (b) बाबू कुंवर सिंह
- (c) बिरसा मुंडा
- (d) शंकर शाह
- (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक।

व्याख्या

- बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे।
- कुंवर सिंह का जन्म नवंबर, 1782 में शाहबाद जिले (वर्तमान में बिहार का भोजपुर जिला) के जगदीशपुर में राजा शाहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के घर हुआ था।
 - वह उज्जैनिया राजपूत वंश के थे।
 - 80 वर्ष की आयु में, उन्होंने 1857 में बिहार में “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया।
 - 26 अप्रैल, 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।

